दृष्टि The Vision

करेंट अपडेट्स

(संग्रह)

जून भाग-2

2021

दृष्टि, 641, प्रथम तल, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009

फोन: 8750187501

ई-मेल: online@groupdrishti.com

अनुक्रम

संवैधानिक/प्रशासनिक घटनाक्रम 7

- इलेक्ट्रिक वाहनों के लिये संशोधित सब्सिडी 7
- भारत में सीप्लेन सेवाओं के लिये समझौता ज्ञापन 8
- जल शक्ति अभियान-II 10
- UAPA की सीमाओं का निर्धारण: दिल्ली उच्च न्यायालय 11
- युद्ध इतिहास के अवर्गीकरण संबंधी नीति 12
- सोने की हॉलमार्किंग को लेकर नए मानदंड 14
- आयुध निर्माणी बोर्ड का निगमीकरण 15
- 'चेन्नई-कन्याकुमारी औद्योगिक कॉरिडोर' के लिये ADB का ऋण 16
- केबल टेलीविज़न नेटवर्क नियमों में परिवर्तन 18
- राज्यपाल की भूमिका संबंधित विवाद 20
- युवाओं की रोज़गार क्षमता में सुधार 22
- साइबर धोखाधड़ी के लिये हेल्पलाइन 24
- चुनाव याचिका 25
- भारत में फिल्मों की सेंसरशिप 26
- चिकित्सीय, ग्रामीण और MICE पर्यटन को बढ़ावा देने की रणनीति 27
- जम्मू और कश्मीर में परिसीमन 30
- NDPS अधिनियम का निष्क्रिय प्रावधान: त्रिपुरा उच्च न्यायालय 31
- उचित मूल्य की दुकानों पर इलेक्ट्रॉनिक माप तौल मशीनें 33
- न्यायाधीशों द्वारा बहिष्कार 34
- क्लास एक्शन सूट्स 36
- मिशन कर्मयोगी के लिये विशेष प्रयोजन वाहन 38
- चुनावी ट्रस्ट योजना, 2013 39

नोट :

➢ भगोड़ा आर्थिक अपराधी 41

➢ वन क्षेत्रों का LiDAR आधारित सर्वेक्षण 42

➢ परिवर्तनकारी शहरी मिशनों के 6 वर्ष 44

➢ नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस 46

➢ बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय 47

➢ गुजरात निषेध कानून 48

➢ भारत का महान्यायवादी 50

➢ प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना 51

➢ गैर-लाभकारी अस्पताल मॉडल अध्ययन: नीति आयोग 52

➢ सौर ऊर्जा के लिये श्रीलंका को ऋण 55

आर्थिक घटनाक्रम 55

➢ विश्व प्रतिस्पर्द्धात्मकता सूचकांक 56

➢ गेहूँ और चावल में पोषक तत्त्वों की कमी 58

➢ बायोटेक-किसान' कार्यक्रम 60

➢ सभी राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के लिये ड्रोन सर्वेक्षण अनिवार्य 62

➢ प्रत्यक्ष कर में बढ़ोतरी 63

➢ एकीकृत विद्युत विकास योजना 65

➢ ई-कॉमर्स 'फ्लैश सेल' पर प्रतिबंध का प्रस्ताव 67

➢ रिफॉर्म लिंक्ड बॉरोइंग विंडो 68

➢ माइक्रोफाइनेंस इंस्टीट्यूशन हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक के प्रस्ताव 70

➢ विश्व का पहला आनुवंशिक रूप से संशोधित रबड़: असम 71

➢ G20 श्रम और रोज़गार मंत्रियों की बैठक 73

➢ अन्य सेवा प्रदाताओं के लिये दिशा-निर्देश 75

➢ गुजरात अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मध्यस्थता केंद्र 77

➢ 2020 में नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन लागत: IRENA 78

➢ टॉयकथॉन 2021 79

➢ एग्रीस्टैक: कृषि क्षेत्र हेतु नया डिजिटल प्रयोजन 80

➢ ऊर्जा परिवर्तन को आकार देने वाली भारतीय पहल 82

नोट :

➢ अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस 84

➢ अमेरिका का डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट 86

➢ लघु बचत योजनाओं पर ब्याज दरें 88

➢ कोरोना की दूसरी लहर के बाद आर्थिक राहत पैकेज 89

अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम 92

➢ यूरोपीय संघ की वरीयता सामान्यीकृत योजना 92

➢ FAO सम्मेलन का 42वाँ सत्र 94

➢ परमाणु शस्त्रागार का वैश्विक विस्तार: SIPRI रिपोर्ट 95

➢ 8वीं एडीएमएम-प्लस बैठक 97

➢ एंटोनियो गुटेरेस: दूसरे कार्यकाल के लिये संयुक्त राष्ट्र महासचिव 99

➢ चीन एक सुरक्षा जोखिम के रूप में: नाटो 101

➢ अंटार्कटिक संधि 103

➢ पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में बनाए रखने का निर्णय 105

➢ हाई एल्टीट्यूड के लिये नई चीनी मिलिशिया इकाइयाँ 107

➢ ज़ेन गार्डन - काइज़न अकादमी 109

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी 112

➢ न्यू शेफर्ड 112

➢ डीप ओशन मिशन 113

➢ चीन का शेनझाउ-12 मानवयुक्त मिशन 115

➢ हर्बिसाइड टॉलरेंट (HT) बीटी कॉटन 116

➢ गेन-ऑफ-फंक्शन रिसर्च 117

➢ चमगादड़ में निपाह वायरस के खिलाफ एंटीबॉडीज़ 119

➢ महाराष्ट्र में नए डॉप्लर रडार: IMD 120

➢ कोविड-19 डेल्टा प्लस वेरिएंट 121

➢ साइबर कैपेबिलिटी एंड नेशनल पावर रिपोर्ट: IISS 123

➢ मरुस्थलीकरण, भूमि क्षरण और सूखे पर वार्ता 125

दृष्टि The Vision

पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण **125**

- चिल्ड्रन एंड डिजिटल डंपसाइट' : WHO की रिपोर्ट 126
- ब्लैक सॉफ्टशेल कछुआ 128
- इबोला वायरस 130
- ग्रेट बैरियर रीफ 131
- एम्बरग्रीस 133
- अफ्रीकन स्वाइन फीवर 134
- वायु गुणवत्ता और कोविड-19 के बीच संबंध 135
- बरनाडी वन्यजीव अभयारण्य: असम 137
- एनर्जी कॉम्पैक्ट 138
- पायरोस्ट्रिया लालजी: अंडमान में नई प्रजाति 139
- दक्षिण-पश्चिम मानसून 141

भूगोल एवं आपदा प्रबंधन **141**

- समुद्र जल स्तर में वृद्धि 142
- ग्रीष्म संक्रांति: 21 जून 144
- बैहेतन बाँध: दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जलविद्युत बाँध 145
- दिव्यांगता प्रारंभिक हस्तक्षेप केंद्र 147

सामाजिक न्याय **147**

- विश्व सिकल सेल दिवस, 2021 148
- 2019 में दुनिया भर में आत्महत्या: WHO 150
- दिव्यांग व्यक्तियों के लिये पदोन्नति में आरक्षण का अधिकार 151
- प्रवासी कामगारों के लिये ONORC प्रणाली पर सर्वोच्च न्यायालय का फैसला 153

कला एवं संस्कृति **156**

- तुलू भाषा 156
- हुमायूँ का मकबरा: मुगल वास्तुकला 157
- राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर: लोथल 158
- संत कबीर दास जयंती 159

दृष्टि The Vision

नोट :

आंतरिक सुरक्षा **162**

- एकीकृत ट्राइसर्विस थिएटर कमांड 162
- भारत-अमेरिका: PASSEX 163
- क्रिवाक स्टील्थ फ्रिगेट 164
- द वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट-2021 166
- आईएनएस विक्रांत: पहला स्वदेशी विमानवाहक 168
- जम्मू में ड्रोन से हमला 169
- अग्नि-पी (प्राइम) 170
- दक्षिणी महासागर 173

चर्चा में **173**

- डगमारा जलविद्युत परियोजना: बिहार 174
- भारत-थाईलैंड समन्वित गश्त (इंडो-थाई कॉर्पेट) 175
- नमामि गंगे कार्यक्रम 175
- इन-ईयू नेवफोर' संयुक्त नौसेना अभ्यास 176
- 7वाँ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 177
- पिग्मी हॉग 179
- राजस्थान का चौथा बाघ अभयारण्य 180
- पीटर पैन सिंड्रोम 181
- "लैंड फॉर लाइफ" पुरस्कार 182
- टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर्स प्रोग्राम 183
- काला सागर 184
- प्रोजेक्ट सीबर्ड: आईएनएस कदंब 184
- राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 185
- अभ्यास 'सी ब्रीज 2021' 186
- NATRAX-हाई स्पीड ट्रैक 187
- भरितलासुचस तपनी: एक मांसाहारी सरीसृप 188

विविध **190**

नोट :

संवैधानिक/प्रशासनिक घटनाक्रम

इलेक्ट्रिक वाहनों के लिये संशोधित सब्सिडी

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में केंद्र सरकार ने इको-फ्रेंडली वाहनों को अपनाने हेतु उन्हें प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से FAME-II (फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स) योजना के तहत इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स पर सब्सिडी को 50 प्रतिशत तक बढ़ाने का निर्णय लिया है।

प्रमुख बिंदु

नए संशोधित प्रावधान

- केंद्र ने FAME-II नियमों में आंशिक संशोधन किया है, जिसमें इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों के लिये मांग प्रोत्साहन को बढ़ाकर 15,000 रुपए किलोवाट प्रति घंटा करना शामिल है, जो कि पूर्व में बसों के अतिरिक्त सभी इलेक्ट्रिक वाहनों (प्लग-इन हाइब्रिड और स्ट्रॉंग हाइब्रिड समेत) के लिये 10,000 रुपए किलोवाट प्रति घंटा था।
- सरकार ने इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स के लिये इंसेंटिव या प्रोत्साहन को वाहनों की लागत के 40 प्रतिशत तक कर दिया है, जो कि पूर्व में 20 प्रतिशत था।

महत्त्व

- यह इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों की कीमतों को पारंपरिक आंतरिक दहन इंजन वाले वाहनों के करीब लाएगा और इससे इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों की बिक्री में उच्च मूल्य संबंधी सबसे बड़ी बाधा को समाप्त किया जा सकेगा।
- अन्य महत्त्वपूर्ण कारकों जैसे- कम परिचालन लागत, कम रखरखाव लागत और शून्य उत्सर्जन आदि के कारण इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों की मांग में बढ़ोतरी हो सकेगी।

'फेम-2' योजना

- पृष्ठभूमि
  - 'फेम इंडिया' नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन (NEMM) का एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा है। 'फेम' का मुख्य ज़ोर सब्सिडी प्रदान करके इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहित करना है।
    - नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन का उद्देश्य हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री को प्रोत्साहित करना है ताकि वे पारंपरिक वाहनों को प्रतिस्थापित कर सकें और इस प्रकार देश में तरल ईंधन की खपत को कम किया जा सके।
  - योजना के दो चरण
    - चरण I: वर्ष 2015 में शुरू हुआ और 31 मार्च, 2019 को पूरा हो गया।
    - चरण II: अप्रैल, 2019 से शुरू हुआ और 31 मार्च, 2022 तक पूरा किया जाएगा।
  - इस योजना में हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक तकनीक जैसे- माइल्ड हाइब्रिड, स्ट्रांग हाइब्रिड, प्लग इन हाइब्रिड और बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन शामिल हैं।
  - निगरानी प्राधिकरण: भारी उद्योग विभाग (भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय)
  - फेम इंडिया योजना के चार मुख्य क्षेत्र हैं:
    - प्रौद्योगिकी विकास
    - मांग सृजन
    - पायलट प्रोजेक्ट
    - चार्जिंग अवसंरचना

नोट :

- इस योजना के तहत खरीद के समय खरीदारों (अंतिम उपयोगकर्त्ताओं/ उपभोक्ताओं) द्वारा मांग प्रोत्साहन का लाभ उठाया जाएगा और इसकी मासिक आधार पर भारी उद्योग विभाग द्वारा निर्माताओं को इसकी प्रतिपूर्ति की जाएगी।

- 'फेम-II' की मुख्य विशेषताएँ:
  - सार्वजनिक परिवहन के विद्युतीकरण पर ज़ोर देना, जिसमें साझा परिवहन भी शामिल है।
  - सब्सिडी के माध्यम से लगभग 7000 ई-बसों, 5 लाख ई-थ्री व्हीलर, 55000 ई-फोर व्हीलर पैसेंजर कारों और 10 लाख ई-टू व्हीलर को सहायता प्रदान करने का लक्ष्य।
  - 3-व्हील और 4-व्हील सेगमेंट में प्रोत्साहन मुख्य रूप से सार्वजनिक परिवहन के लिये उपयोग किये जाने वाहनों वाले या वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए पंजीकृत वाहनों पर ही लागू होंगे।
  - वहीं 2-व्हील सेगमेंट में निजी वाहनों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
  - उन्नत प्रौद्योगिकियों को प्रोत्साहित करने के लिये इस योजना के तहत प्रोत्साहन का लाभ केवल उन वाहनों को मिलेगा जो लिथियम आयन बैटरी और अन्य नवीन प्रौद्योगिकियों आदि से सुसज्जित हैं।
  - इसके तहत चार्जिंग अवसंरचना की स्थापना का भी प्रावधान किया गया है, जिसमें देश भर के महानगरों, एक मिलियन से अधिक जनसंख्या वाले शहरों, स्मार्ट सिटीज़ और पहाड़ी राज्यों के शहरों में लगभग 2700 चार्जिंग स्टेशन स्थापित किये जाएंगे, जिससे 3 किलोमीटर x 3 किलोमीटर के एक ग्रिड में कम-से-कम एक चार्जिंग स्टेशन की उपलब्धता हो सकेगी।
  - प्रमुख शहर को जोड़ने वाले मुख्य राजमार्गों पर भी चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना का प्रस्ताव है।

चिंताएँ

- इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाना विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है, जिसमें बेहतर चार्जिंग अवसंरचना, आसान वित्तपोषण और व्यावहारिक जगत में वाहन का पर्याप्त प्रदर्शन आदि शामिल हैं। इसके लिये सरकारी हस्तक्षेप और नियोजन की आवश्यकता है, विशेष रूप से तब जब यह क्षेत्र अपने शुरुआती चरण में है।
- ई-रिक्शा चालक भी अपने वाहनों को चार्ज करने के लिये असुरक्षित और अवैध बिजली के स्रोतों पर निर्भर रहते हैं। प्राय: ई-रिक्शा चालकों द्वारा असुरक्षित परिस्थितियों में चार्जिंग की जाती है, जिससे ड्राइवर और यात्री दोनों को खतरा होता है।

आगे की राह

- सरकार द्वारा जन-जागरूकता अभियान चलाने और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा आसान वित्तपोषण प्रदान किये जाने के साथ इस तरह की पहलों के माध्यम से आगामी पाँच वर्षों में दोपहिया बाज़ार को 30% इलेक्ट्रिक वाहन युक्त बनाने के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है।
- इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने हेतु सरकार का निरंतर समर्थन और स्थानीय रूप से निर्मित इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों पर विशेष ध्यान देने से भारत को इलेक्ट्रिक वाहनों के विनिर्माण का महत्त्वपूर्ण केंद्र बनाया जा सकेगा।
- इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग के तीन स्तंभों यानी शहरी नियोजन, परिवहन और बिजली क्षेत्रों के बीच सही समन्वय स्थापित करने से इलेक्ट्रिक वाहनों को व्यवस्थित रूप से अपनाने में मदद मिलेगी।

भारत में सीप्लेन सेवाओं के लिये समझौता ज्ञापन

चर्चा में क्यों?

बंदरगाह, नौवहन तथा जलमार्ग मंत्रालय और नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने भारत में सी-प्लेन सेवाओं के विकास के लिये समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किये हैं।

- भारत की पहली सी-प्लेन सेवा का परिचालन सागरमाला सी-प्लेन सेवाओं के तहत अक्तूबर 2020 में अहमदाबाद में केवडिया और साबरमती रिवरफ्रंट के बीच शुरू किया गया।

प्रमुख बिंदु

समझौता ज्ञापन (MoU) के बारे में:

- इस समझौता ज्ञापन में भारत के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के भीतर सी-प्लेन सेवाओं के गैर-अधिसूचित/अधिसूचित प्रचालन की परिकल्पना की गई है।
- नागरिक उड्डयन मंत्रालय की पहल आरसीएस-उड़ान (Regional Connectivity Scheme-Ude Desh Ka Aam Nagrik) के एक हिस्से के रूप में सी-प्लेन सेवाओं को विकसित किया जाएगा।
- यह जहाज़रानी मंत्रालय वाटरफ्रंट एयरोड्रोम तथा अन्य आवश्यक बुनियादी ढाँचे की पहचान और विकास करेगा।
- नागरिक उड्डयन मंत्रालय बिडिंग प्रक्रिया के माध्यम से संभावित एयरलाइन ऑपरेटरों का चयन करेगा। इसमें नौवहन मंत्रालय द्वारा पहचाने गए स्थान और मार्गों को भी शामिल किया जाएगा।

लाभ:

- यह समझौता ज्ञापन भारत में नए जल हवाई अड्डों के विकास और नए सी-प्लेन मार्गों के संचालन में तेज़ी लाने में मदद करेगा।
- यह न केवल समुद्री विमानों के माध्यम से पर्यावरण के अनुकूल परिवहन को बढ़ावा देकर पूरे देश में सहज संपर्क को बढ़ाएगा बल्कि पर्यटन उद्योग को भी बढ़ावा देगा।
- इससे स्थानीय स्तर पर पर्यटन और होटल व्यवसाय में वृद्धि होगी और स्थानीय लोगों को रोज़गार भी मिलेगा।
- जल हवाई अड्डों की स्थापना प्रस्तावित स्थलों पर वर्तमान सामाजिक आधारभूत सुविधाओं (स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, सामुदायिक आवास आदि) के स्तर में वृद्धि में योगदान देगी।

उड़ान योजना के बारे में:

- 'उड़े देश का आम नागरिक' (उड़ान) योजना को वर्ष 2016 में नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तहत एक क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना के रूप में लॉन्च किया गया था।
- इस योजना का उद्देश्य क्षेत्रीय मार्गों पर किफायती तथा आर्थिक रूप से व्यवहार्य और लाभदायक उड़ानों की शुरुआत करना है, ताकि छोटे शहरों में भी आम आदमी के लिये सस्ती उड़ानें शुरू की जा सकें।
- यह योजना मौजूदा हवाई-पट्टी और हवाई अड्डों के पुनरुद्धार के माध्यम से देश के गैर-सेवारत और कम उपयोग होने वाले हवाई अड्डों को कनेक्टिविटी प्रदान करने की परिकल्पना करती है। यह योजना 10 वर्षों की अवधि के लिये संचालित की जाएगी।
  - कम उपयोग होने वाले हवाई अड्डे वे हैं, जहाँ एक दिन में एक से अधिक उड़ान नहीं भरी जाती, जबकि गैर-सेवारत हवाई अड्डे वे हैं जहाँ से कोई भी उड़ान नहीं भारी जाती है।
- चयनित एयरलाइंस को केंद्र, राज्य सरकारों और हवाई अड्डा संचालकों द्वारा वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है, ताकि वे गैर-सेवारत और कम उपयोग होने वाले हवाई अड्डों पर सस्ती उड़ानें उपलब्ध करा सकें।

उड़ान 4.1 के बारे में:

- उड़ान 4.1 मुख्यत: छोटे हवाई अड्डों, विशेष तौर पर हेलीकॉप्टर और सी-प्लेन मार्गों को जोड़ने पर केंद्रित है।
- सागरमाला विमान सेवा के तहत कुछ नए मार्ग प्रस्तावित किये गए हैं।

सागरमाला सीप्लेन सेवाएँ:

- यह बंदरगाह, जहाज़रानी और जलमार्ग मंत्रालय के तहत एक महत्त्वाकांक्षी परियोजना है।
- इस परियोजना को भावी एयरलाइन ऑपरेटरों के माध्यम से एक विशेष प्रयोजन वाहन (Special Purpose Vehicle- SPV) ढाँचे के तहत शुरू किया जा रहा है।
- इस परियोजना को सागरमाला विकास कंपनी लिमिटेड (Sagarmala Development Company Ltd- SDCL) के माध्यम से लागू किया जाएगा जो कि बंदरगाह, जहाज़रानी और जलमार्ग मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में है।

- दूरदराज़ के स्थानों तक कनेक्टिविटी और आसान पहुँच प्रदान करने के लिये SDCL सी-प्लेन संचालन शुरू करके पूरे भारत में विशाल समुद्र तट और कई जल निकायों/नदियों की क्षमता का लाभ उठाने की योजना तलाश रहा है।
  - सी-प्लेन संचालन के लिये कई गंतव्यों की परिकल्पना की गई है। सी-प्लेन टेक-ऑफ और लैंडिंग हेतु आस-पास के जल निकायों का उपयोग करेंगे और इस तरह उन स्थानों को किफायती तरीके से जोड़ेंगे क्योंकि सी-प्लेन संचालन के लिये रनवे और टर्मिनल बिल्डिंग जैसे पारंपरिक हवाई अड्डे के बुनियादी ढाँचे की आवश्यकता नहीं होती है।
- मार्गों को सरकार की सब्सिडी वाली उड़ान योजना के तहत संचालित किया जा सकता है।

जल शक्ति अभियान-II

चर्चा में क्यों?

जल शक्ति मंत्री ने सभी सांसदों से आग्रह किया है कि वे अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों और राज्यों में चल रहे "जल शक्ति अभियान: कैच द रेन" अभियान का समर्थन करें ।

- इस तरह के हस्तक्षेप से ग्रामीण क्षेत्रों में जल स्रोत की स्थिरता सुनिश्चित होगी और मंत्रालय द्वारा लागू किये जा रहे जल जीवन मिशन को मज़बूती मिलेगी।

प्रमुख बिंदु:

- विश्व जल दिवस (22 मार्च 2021) के अवसर पर इसे इस अभियान की थीम- '"कैच द रेन व्हेयर इट फॉल्स, व्हेन इट फॉल्स" विषय के साथ शुरू किया गया था।
- इसमें देश के सभी ज़िलों के सभी ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों को शामिल किया गया है।
  - वर्ष 2019 के जल शक्ति अभियान- I ने देश के 256 ज़िलों के 2836 ब्लॉकों में से केवल 1592 जल संकट वाले ब्लॉकों को कवर किया है।
- जल शक्ति मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय जल मिशन, इसके कार्यान्वयन के लिये नोडल एजेंसी है।
- ग्रामीण विकास विभाग के मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना) के तहत 14,000 करोड़ रुपए का जल संरक्षण संबंधी कार्य चल रहा है।

लक्ष्य:

- अभियान का उद्देश्य मानसून की शुरुआत से पहले कृत्रिम पुनर्भरण संरचनाओं का निर्माण, मौजूदा तालाबों और जल निकायों को पुनर्जीवित करके नए जल निकायों का निर्माण, चेक डैम का प्रावधान, आर्द्रभूमि और नदियों का कायाकल्प करके वर्षा जल का दोहन करना है।
- देश में सभी जल निकायों को जियो टैगिंग करके और इस डेटा का उपयोग करके वैज्ञानिक एवं डेटा-आधारित जिला स्तरीय जल संरक्षण योजना बनाने के लिये एक डेटा-बेस बनाने की भी योजना है।

जल संरक्षण के लिये अन्य पहलें:

- जल जीवन मिशन:
  - जल शक्ति मंत्रालय के तहत इस पहल का उद्देश्य ग्रामीण भारत के हर घर में पाइप से पानी की पहुँच सुनिश्चित करना है।
  - भारत सरकार ने प्रत्येक ग्रामीण परिवार अर्थात् 'हर घर नल से जल' (HGNSJ) को कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन (FHTC) प्रदान करने के लिये राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (NRDWP) को जल जीवन मिशन (JJM) में पुनर्गठित करने के साथ ही इसमें सम्मिलित किया है।
- जल जीवन मिशन (शहरी):
  - बजट 2021-22 में सतत् विकास लक्ष्य- 6 (स्वच्छ पानी और स्वच्छता)) के अनुसार सभी वैधानिक कस्बों में कार्यात्मक नलों के माध्यम से सभी घरों में पानी की आपूर्ति का सार्वभौमिक कवरेज प्रदान करने हेतु आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के तहत जल जीवन मिशन (शहरी) की घोषणा की गई थी।

- राष्ट्रीय जल मिशन:
  - यह एकीकृत जल संसाधन विकास और प्रबंधन के माध्यम से पानी के संरक्षण, अपव्यय को कम करने और राज्यों के भीतर अधिक समान वितरण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था।
- नीति आयोग का समग्र जल प्रबंधन सूचकांक:
  - जल के प्रभावी उपयोग के उद्देश्य से नीति आयोग ने समग्र जल प्रबंधन सूचकांक विकसित किया है।
- अटल भूजल योजना:
  - यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जिसका मूल्य सामुदायिक भागीदारी के साथ भूजल के सतत् प्रबंधन के उद्देश्य के साथ 6,000 करोड़ रुपए है।
  - इसमें जल उपयोगकर्ता संघों के गठन, जल बजट, ग्राम-पंचायत-वार जल सुरक्षा योजनाओं की तैयारी और कार्यान्वयन आदि के माध्यम से लोगों की भागीदारी की परिकल्पना की गई है।

UAPA की सीमाओं का निर्धारण: दिल्ली उच्च न्यायालय

चर्चा में क्यों?

हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय ने गैर-कानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम, 1967 के एक मामले में छात्र कार्यकर्त्ताओं को जमानत दे दी है।

- इस निर्णय के दौरान दिल्ली उच्च न्यायालय ने अधिनियम की धारा-15 की 'अस्पष्ट' सीमाओं को पुन: परिभाषित किया।

प्रमुख बिंदु

उच्च न्यायालय का निर्णय

- आतंकवादी गतिविधि की सीमा
  - सामान्य दंडात्मक अपराधों को अधिनियम के तहत 'आतंकवादी गतिविधि' की व्यापक परिभाषा में शामिल नहीं किया जा सकता है।
    - ऐसा करके उच्च न्यायालय ने राज्य के लिये किसी व्यक्ति पर UAPA लागू करने हेतु सीमा निर्धारित कर दी है।
  - आतंकवादी गतिविधि की सीमा एक सामान्य अपराध के प्रभाव से परे होनी चाहिये और इसमें केवल कानून-व्यवस्था या सार्वजनिक व्यवस्था में अशांति पैदा करने संबंधी गतिविधियों को शामिल नहीं किया जाना चाहिये।
    - इसके तहत 'आतंकवाद' की परिभाषा में उन गतिविधियों को शामिल किया जाना चाहिये, जिनसे निपटने के लिये एजेंसियाँ सामान्य कानूनों के तहत सक्षम नहीं हैं।
- गैर-कानूनी गतिविधियों को परिभाषित करते समय सावधानी
  - देश भर के विभिन्न न्यायालयों को UAPA की धारा 15 में प्रयुक्त निश्चित शब्दों और वाक्यांशों को उनके पूर्ण शाब्दिक अर्थों में नियोजित करते समय सावधानी बरतनी चाहिये, साथ ही उन्हें यह स्पष्ट करना चाहिये कि पारंपरिक और जघन्य अपराध किस प्रकार आतंकवाद से अलग हैं।
    - UAPA की धारा 15 'आतंकवादी कृत्यों' को परिभाषित करती है और इसके लिये कम-से-कम पाँच वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक की सज़ा का प्रावधान करती है। यदि आतंकवादी कृत्य के परिणामस्वरूप किसी की मृत्यु हो जाती है, तो सज़ा मृत्यु या आजीवन कारावास है।
    - न्यायालय ने उल्लेख किया कि किस प्रकार स्वयं सर्वोच्च न्यायालय ने 'करतार सिंह बनाम पंजाब राज्य' वाद (1994) में एक अन्य आतंकवाद विरोधी कानून 'आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम, 1987' (1995 में व्यपगत) के दुरुपयोग के विरुद्ध इसी तरह की चिंता ज़ाहिर की थी।
- UAPA लागू करने का उद्देश्य
  - इस अधिनियम को लागू करने का एकमात्र उद्देश्य आतंकवादी गतिविधि को सीमित करने और 'भारत की रक्षा' पर गंभीर प्रभाव डालने वाले मामलों से निपटना होना चाहिये।

- इस अधिनियम का उद्देश्य और इरादा सामान्य प्रकार के अपराधों को कवर करना नहीं था, चाहे वे कितने भी गंभीर, असाधारण या जघन्य ही क्यों न हों।
- विरोध प्रदर्शन का अधिकार
  - न्यायालय ने स्पष्ट किया कि सरकारी और संसदीय कार्यों के विरुद्ध विरोध प्रदर्शन करना पूर्णत: वैध है और यद्यपि इस तरह के विरोध प्रदर्शनों के शांतिपूर्ण और अहिंसक होने की उम्मीद होती है, किंतु ऐसी स्थिति में भी प्रदर्शनकारियों के लिये कानून की सीमा को आघात पहुँचाना कोई असामान्य घटना नहीं है।
  - न्यायालय के मुताबिक, विरोध के संवैधानिक अधिकार (अनुच्छेद-19) और आतंकवादी गतिविधि के बीच की रेखा कुछ धुंधली होती दिख रही है।

निर्णय का महत्त्व

- यह पहला उदाहरण है जब किसी न्यायालय ने उन मामलों में व्यक्तियों के विरुद्ध UAPA के कथित दुरुपयोग की बात कही है, जो ज़ाहिर तौर पर 'आतंकवाद' की श्रेणी में नहीं आते हैं।
  - मार्च में संसद में गृह मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराए गए आँकड़ों की मानें तो वर्ष 2019 में UAPA के तहत कुल 1126 मामले दर्ज किये गए, जबकि वर्ष 2015 में इनकी संख्या 897 ही थी।

गैर-कानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम, 1967

- UAPA को वर्ष 1967 में पारित किया गया था। इसका उद्देश्य भारत में गैर-कानूनी गतिविधियों का प्रभावी रोकथाम सुनिश्चित करना है।
  - गैरकानूनी गतिविधि किसी व्यक्ति या संघ द्वारा भारत की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता को बाधित करने के उद्देश्य से की गई किसी भी कार्रवाई को संदर्भित करती है।
- यह अधिनियम केंद्र सरकार को पूर्ण शक्ति प्रदान करता है, जिसके माध्यम से यदि केंद्र सरकार किसी गतिविधि को गैर-कानूनी मानती है तो वह आधिकारिक राजपत्र के माध्यम से इसकी घोषणा कर उसे अधिनियम के तहत अपराध बना सकती है।
  - इसमें अधिकतम सज़ा के तौर पर मृत्युदंड और आजीवन कारावास का प्रावधान हैं।
- यह अधिनियम भारतीय और विदेशी दोनों नागरिकों पर लागू होता है। यह अपराधियों पर एकसमान रूप से ही लागू होता है, भले ही वह अपराध भारत के बाहर किसी विदेशी भूमि पर ही क्यों न किया गया हो।
- UAPA के तहत जाँच एजेंसी गिरफ्तारी के बाद अधिकतम 180 दिनों में चार्जशीट दाखिल कर सकती है और न्यायालय को सूचित करने के बाद उस अवधि को बढ़ाया भी जा सकता है।
- वर्ष 2004 में किये गए संशोधन के तहत आतंकवादी गतिविधियों में संलग्न संगठनों पर प्रतिबंध लगाने हेतु अपराधों की सूची में 'आतंकवादी कृत्यों' को भी शामिल कर लिया गया, जिसके पश्चात् कुल 34 संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया।
  - वर्ष 2004 तक 'गैर-कानूनी' गतिविधियों के तहत अलगाव और अधिग्रहण संबंधित कृत्यों को ही शामिल किया जाता था।
- अगस्त, 2019 में संसद ने अधिनियम में प्रदान किये गए कुछ विशिष्ट आधारों पर किसी विशिष्ट व्यक्ति को आतंकवादी के रूप में नामित करने हेतु गैर-कानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2019 को मंज़ूरी दी।
  - यह अधिनियम मामले की जाँच के दौरान 'राष्ट्रीय जाँच एजेंसी' (NIA) के महानिदेशक को संपत्ति की ज़ब्ती या कुर्की करने की मंज़ूरी देने का अधिकार देता है।
  - यह अधिनियम NIA के इंस्पेक्टर या उससे ऊपर के रैंक के अधिकारियों को राज्य में DSP या ASP या उससे ऊपर के रैंक के अधिकारी से संबंधित मामलों के अतिरिक्त आतंकवाद के सभी मामलों की जाँच करने का अधिकार देता है।

युद्ध इतिहास के अवर्गीकरण संबंधी नीति

चर्चा में क्यों ?

केंद्रीय रक्षा मंत्री ने रक्षा मंत्रालय (MoD) के युद्ध एवं ऑपरेशन संबंधी इतिहास के संग्रह, अवर्गीकरण (Declassification), संकलन और प्रकाशन पर एक नीति को मंज़ूरी दी है।

नोट :

प्रमुख बिंदु

आधिकारिक रिकॉर्ड की आवश्यकता

- युद्ध एवं ऑपरेशन संबंधी इतिहास का समय पर प्रकाशन आम-जनमानस को घटनाओं का सटीक विवरण प्रदान करेगा, अकादमिक शोध के लिये प्रामाणिक सामग्री प्रदान करेगा और निराधार अफवाहों को रोकेगा।
- किसी भी युद्ध और ऑपरेशन से सीखे गए सबक का विश्लेषण करने और भविष्य की गलतियों को रोकने के लिये 'के. सुब्रह्मण्यम' की अध्यक्षता वाली कारगिल समीक्षा समिति (2019) ने एक स्पष्ट नीति के साथ युद्ध इतिहास को लिखे जाने की आवश्यकता की सिफारिश की थी।
- कारगिल संघर्ष के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर मंत्रियों के एक समूह (2001) की सिफारिशों में भी एक आधिकारिक युद्ध इतिहास की वांछनीयता का उल्लेख किया गया था।

नीति के प्रावधान

- रिकॉर्ड का स्थानांतरण: रक्षा मंत्रालय के तहत प्रत्येक संगठन जैसे- तीनों सेवाएँ (थल सेना, वायु सेना और नौसेना), एकीकृत रक्षा कर्मचारी, असम राइफल्स और तटरक्षक बल आदि को युद्ध संबंधी और ऑपरेशन संबंधी विभिन्न रिकॉर्ड्स जैसे- युद्ध डायरी, कार्यवाही पत्र और ऑपरेशन रिकॉर्ड बुक आदि को रक्षा मंत्रालय के इतिहास विभाग को उचित रखरखाव, अभिलेखीय और इतिहास लेखन हेतु स्थानांतरित करना होगा।
  - इतिहास विभाग युद्ध और संचालन इतिहास के संकलन, अनुमोदन और प्रकाशन के दौरान विभिन्न विभागों के साथ समन्वय के लिये उत्तरदायी होगा।
- समिति का गठन: युद्ध और ऑपरेशन इतिहास के संकलन के लिये यह नीति, रक्षा मंत्रालय के संयुक्त सचिव की अध्यक्षता में एक समिति के गठन का प्रावधान करती है, जिसमें आवश्यकता के अनुसार, तीनों सेवाओं, विदेश मंत्रालय (MEA), गृह मंत्रालय (MHA) और अन्य संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ-साथ देश के प्रमुख सैन्य इतिहासकार भी शामिल हो सकते हैं।
- समयसीमा: यह नीति युद्ध और ऑपरेशन इतिहास के संकलन एवं प्रकाशन के संबंध में स्पष्ट समयसीमा निर्धारित करती है।
  - युद्ध और ऑपरेशन के पूरा होने के दो वर्ष के भीतर समिति का गठन किया जाना अनिवार्य है।
  - इसके पश्चात् आगामी तीन वर्ष के भीतर अभिलेखों का संग्रह और संकलन पूरा किया जाना चाहिये तथा उसे सभी संबंधित हितधारकों को भेजा जाना चाहिये।
  - नीति के अनुसार, सभी अभिलेखों को सामान्यत: 25 वर्षों में अवर्गीकृत किया जाएगा।
  - 25 वर्ष से अधिक पुराने अभिलेखों का अभिलेखीय विशेषज्ञों द्वारा मूल्यांकन किया जाना चाहिये और युद्ध/ऑपरेशन इतिहास संकलित होने के बाद उन्हें भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार में स्थानांतरित कर दिया जाना चाहिये।
- अभिलेखों के अवर्गीकरण का उत्तरदायित्व: अभिलेखों के अवर्गीकरण (Declassification) का उत्तरदायित्व पब्लिक रिकॉर्ड एक्ट 1993 और पब्लिक रिकॉर्ड रूल्स 1997 में निर्दिष्ट संगठनों को सौंपा गया है।
- आंतरिक उपयोग: युद्ध और ऑपरेशन से संबंधित संकलित इतिहास को सर्वप्रथम प्रारंभिक पाँच वर्ष के भीतर केवल आंतरिक उपयोग के लिये ही प्रयोग किया जाएगा और इसके पश्चात् समिति विषय की संवेदनशीलता को देखते हुए उसे पूर्णत: अथवा आंशिक रूप से सार्वजनिक करने का निर्णय ले सकती है।

पुराने युद्ध संबंधी दस्तावेज़ों का अवर्गीकरण:

- वर्ष 1962 के युद्ध और ऑपरेशन ब्लूस्टार जैसे युद्धों और ऑपरेशन्स से संबंधित दस्तावेज़ों का अवर्गीकरण (Declassification) स्वचालित नहीं होता है, बल्कि नई नीति के तहत गठित समिति द्वारा मामले की संवेदनशीलता के आधार निर्णय लिया जाएगा।

सोने की हॉलमार्किंग को लेकर नए मानदंड

चर्चा में क्यों?

हाल ही में उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने सोने के गहनों की हॉलमार्किंग को अनिवार्य कर दिया है, जिसे चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा।

प्रमुख बिंदु

हॉलमार्किंग के बारे में:

- भारतीय मानक ब्यूरो (Bureau of Indian Standard- BIS) भारत में सोने और चाँदी की हॉलमार्किंग योजना को संचालित करता है, हॉलमार्किंग को "कीमती धातु की वस्तुओं में कीमती धातु की आनुपातिक सामग्री का सटीक निर्धारण और आधिकारिक रिकॉर्डिंग" के रूप में परिभाषित करता है।
- यह कीमती धातु की वस्तुओं की "शुद्धता या सुंदरता की गारंटी" है, जो वर्ष 2000 में शुरू हुई थी।
- भारत में वर्तमान में दो कीमती धातुओं सोना और चाँदी को हॉलमार्किंग के दायरे में लाया गया है।
- BIS प्रमाणित ज्वैलर्स किसी भी BIS मान्यता प्राप्त एसेइंग एंड हॉलमार्किंग सेंटर (Assaying and Hallmarking Centres- A&HC) से अपने आभूषण हॉलमार्क करवा सकते हैं।
- पहले यह ज्वैलर्स के लिये वैकल्पिक था और इस प्रकार केवल 40% सोने के आभूषणों की हॉलमार्किंग हो रही थी।

चरणबद्ध तरीके से कार्यान्वयन:

- पहले चरण में केवल 256 जिलों में गोल्ड हॉलमार्किंग सुविधा उपलब्ध होगी और 40 लाख रुपए से अधिक वार्षिक टर्नओवर वाले ज्वैलर्स इसके दायरे में आएंगे।
- आभूषण और वस्तुओं की एक निश्चित श्रेणी को भी हॉलमार्किंग की अनिवार्य आवश्यकता से छूट दी जाएगी।
  - अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों हेतु आभूषण, सरकार द्वारा अनुमोदित B2B (बिजनेस-टू-बिजनेस) घरेलू प्रदर्शनियों के लिये आभूषणों को अनिवार्य हॉलमार्किंग से छूट दी जाएगी।

गोल्ड हॉलमार्किंग की आवश्यकता:

- भारत सोने का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। हालाँकि देश में हॉलमार्क वाली ज्वैलरी का स्तर बहुत कम है।
- अनिवार्य हॉलमार्किंग जनता को कम कैरेट (शुद्ध सोने का अंश) से बचाएगी और यह सुनिश्चित करेगी कि सोने के गहने खरीदते समय उपभोक्ताओं को धोखा न हो।
  - यह आभूषणों पर अंकित शुद्धता को बनाए रखने में मदद करेगा।
- यह पारदर्शिता लाएगा और उपभोक्ताओं को गुणवत्ता का आश्वासन देगा।
- यह आभूषणों के निर्माण की प्रणाली में विसंगतियों और भ्रष्टाचार को दूर करेगा।

भारतीय मानक ब्यूरो

- BIS वस्तुओं के मानकीकरण, अंकन और गुणवत्ता प्रमाणन जैसी गतिविधियों के सामंजस्यपूर्ण विकास का कार्य भारत का राष्ट्रीय मानक निकाय (National Standard Body of India) करता है।
- मानक तैयार करना: BIS विभिन्न क्षेत्रों के लिये राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप भारतीय मानक तैयार करता है जिन्हें 14 विभागों जैसे- रसायन, खाद्य और कृषि, नागरिक, इलेक्ट्रो-तकनीकी, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी आदि के तहत समूहीकृत किया गया है।

BIS की अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियाँ:

- BIS, अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन (International Organization for Standardization- ISO) का संस्थापक सदस्य है और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के विकास में सक्रिय रूप से शामिल है।

नोट :

- भारत का प्रतिनिधित्व BIS के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रो-तकनीकी आयोग (International Electro-technical Commission- IEC) द्वारा किया जाता है। IEC सभी विद्युत, इलेक्ट्रॉनिक और संबंधित प्रौद्योगिकियों के लिये अंतर्राष्ट्रीय मानकों की तैयारी एवं प्रकाशन हेतु विश्व का अग्रणी संगठन है।
- BIS, विश्व व्यापार संगठन (World Trade Organisation- WTO) और व्यापार में तकनीकी बाधाओं (Technical Barriers to Trade- TBT) के लिये राष्ट्रीय पूछताछ बिंदु है।

अन्य पहलें:

- BIS SDO मान्यता योजना:
  - भारत सरकार के 'एक राष्ट्र एक मानक' विज़न के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये BIS ने एक योजना शुरू की जिसके तहत इसे मानक विकास संगठन (Standard Developing Organization- SDO) की मान्यता प्रदान करती है।
- उत्पाद प्रमाणन योजना:
  - भारतीय मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिये BIS एक उत्पाद प्रमाणन योजना संचालित करता है। किसी उत्पाद पर BIS मानक चिह्न (जिसे ISI चिह्न के रूप में जाना जाता है) की उपस्थिति प्रासंगिक भारतीय मानक के अनुरूप होने का संकेत देती है।

आयुध निर्माणी बोर्ड का निगमीकरण

चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आयुध निर्माणी बोर्ड (OFB) के निगमीकरण की योजना को मंज़ूरी दी है।

प्रमुख बिंदु:

नई संरचना:

- देश भर में 41 कारखानों को रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के सात नए उपक्रमों (DPSU) में बदल दिया जाएगा। नवनिर्मित संस्थाएँ सरकार के 100% स्वामित्व में होंगी।
- ये संस्थाएँ उत्पादों के विभिन्न कार्यक्षेत्रों के लिये ज़िम्मेदार होंगी जैसे कि गोला-बारूद और विस्फोटक समूह गोला-बारूद का उत्पादन करेंगे, जबकि एक वाहन समूह रक्षा गतिशीलता और लड़ाकू वाहनों के उत्पादन में संलग्न होगा।
- उत्पादन इकाइयों में सभी OFB कर्मचारियों को केंद्र सरकार के कर्मचारियों के रूप में उनकी सेवा शर्तों में बदलाव किये बिना शुरू में दो वर्ष की अवधि के लिये एक डीम्ड प्रतिनियुक्ति पर नई कॉर्पोरेट संस्थाओं में स्थानांतरित किया जाएगा।
- सेवानिवृत्त और मौजूदा कर्मचारियों की पेंशन देनदारियाँ सरकार द्वारा वहन की जाती रहेंगी।

OFB:

- यह आयुध कारखानों और संबंधित संस्थानों के लिये एक पूर्ण निकाय है तथा वर्तमान में रक्षा मंत्रालय (MoD) का एक अधीनस्थ कार्यालय है।
  - पहला भारतीय आयुध कारखाना वर्ष 1712 में डच कंपनी द्वारा गन पाउडर फैक्ट्री, पश्चिम बंगाल के रूप में स्थापित किया गया था।
- यह 41 कारखानों, 9 प्रशिक्षण संस्थानों, 3 क्षेत्रीय विपणन केंद्रों और 5 क्षेत्रीय सुरक्षा नियंत्रकों का समूह है।
- मुख्यालय: कोलकाता
- महत्त्व: न केवल सशस्त्र बलों के लिये बल्कि अर्द्धसैनिक और पुलिस बलों हेतु हथियार, गोला-बारूद और आपूर्ति का एक बड़ा हिस्सा OFB द्वारा संचालित कारखानों से आता है।
- उत्पादन में शामिल हैं: नागरिक और सैन्य-ग्रेड हथियार और गोला-बारूद, विस्फोटक, मिसाइल सिस्टम के लिये प्रणोदक और रसायन, सैन्य वाहन, बख्तरबंद वाहन, ऑप्टिकल उपकरण, पैराशूट, रक्षा उपकरण, सेना के कपड़े और सामान्य भंडार।

निगमीकरण का कारण:

- OFB पर वर्ष 2019 के लिये अपनी रिपोर्ट में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा प्रदर्शन मूल्यांकन में कुछ कमियों पर प्रकाश डाला गया है, जो इस संगठन के सामने कठिनाइयाँ पैदा करती हैं।
  - ओवरहेड्स (उत्पाद बनाने या सेवा के लिये सीधे तौर पर ज़िम्मेदार नहीं) वर्ष के लिये कुल आवंटित बजट का 33% बाकी रह गया।
    - इसमें प्रमुख योगदानकर्त्ता पर्यवेक्षण लागत और अप्रत्यक्ष श्रम लागत हैं।
  - विलंबित उत्पादन: आयुध कारखानों ने केवल 49% वस्तुओं के उत्पादन का लक्ष्य हासिल किया।
    - आधे से अधिक सामान (52%) निर्माण हेतु खरीदा गया था लेकिन कारखानों द्वारा एक वर्ष के भीतर उपयोग नहीं किया गया था।
- आत्मनिर्भर भारत पहल में भी OFB के निगमीकरण का प्रावधान किया गया है- 'आयुध आपूर्तिकर्ताओं की स्वायत्तता, जवाबदेही और दक्षता में सुधार'।

नई व्यवस्था का महत्त्व:

- यह पुनर्गठन अक्षम आपूर्ति शृंखलाओं को समाप्त करके OFB की मौजूदा प्रणाली में विभिन्न कमियों को दूर करने में भी मदद करेगा और इन कंपनियों को प्रतिस्पर्द्धी बनने तथा बाज़ार में नए अवसरों का पता लगाने के लिये प्रोत्साहन प्रदान करेगा।
- यह इन कंपनियों को स्वायत्तता के साथ-साथ जवाबदेही और दक्षता में सुधार करने में मदद करेगा।
- इस पुनर्गठन का एक अन्य उद्देश्य आयुध कारखानों को उत्पादक और लाभदायक संपत्तियों में बदलना, उत्पाद शृंखला में उनकी विशेषज्ञता को बढ़ाना, प्रतिस्पर्द्धात्मकता को बढ़ाना और गुणवत्ता और लागत-दक्षता में सुधार करना है।

आशंकाएँ:

- कर्मचारियों की मुख्य आशंकाओं में से एक यह है कि निगमीकरण (स्वामित्व और प्रबंधन सरकार के पास है) अंततः निजीकरण (निजी संस्थाओं को स्वामित्व और प्रबंधन अधिकारों का हस्तांतरण) की ओर ले जाएगा।
- नई कॉर्पोरेट संस्थाएँ रक्षा उत्पादों के प्रतिस्पर्द्धी बाज़ार के माहौल से बचने में सक्षम नहीं होंगी, जिसका एक प्रमुख कारण अस्थिर मांग और आपूर्ति की गतिशीलता है।
- पुनर्गठन के परिणामस्वरूप अधिक स्वायत्तता और निगम पर कम सरकारी नियंत्रण होगा, साथ ही रोज़गार कम होने का डर है।

आगे की राह:

- OFB के निगमीकरण से आयुध कारखानों को एक अत्याधुनिक सुविधा में बदलने की संभावना है, जिससे कामकाज में लचीलापन आएगा और बेहतर निर्णय लेने की क्षमता विकसित होगी।
- इस योजना के लिये एक चिंतनशील रोड-मैप की आवश्यकता है। इससे निगमीकरण के संबंध में आशंकाओं को कम करने में मदद मिल सकती है।

'चेन्नई-कन्याकुमारी औद्योगिक कॉरिडोर' के लिये ADB का ऋण

चर्चा में क्यों?

हाल ही में एशियाई विकास बैंक (ADB) और भारत सरकार ने 'तमिलनाडु औद्योगिक कनेक्टिविटी परियोजना' के लिये 484 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं।

- यह ऋण तमिलनाडु राज्य में 'चेन्नई-कन्याकुमारी औद्योगिक कॉरिडोर' (CKIC) के अंतर्गत परिवहन कनेक्टिविटी में सुधार और औद्योगिक विकास की सुविधा से संबंधित है।

एशियाई विकास बैंक

- यह 19 दिसंबर, 1966 को स्थापित एक क्षेत्रीय विकास बैंक है। इसका मुख्यालय मनीला, फिलीपींस में स्थित है।
- वर्तमान में इसके 68 सदस्य देश हैं, जिनमें से 49 एशियाई देश हैं। भारत भी इसका सदस्य है।

- इसके पाँच सबसे बड़े शेयरधारकों में जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका (कुल शेयरों का 15.6% हिस्सा), पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना (6.4% हिस्सा), भारत (6.3% हिस्सा) और ऑस्ट्रेलिया (5.8% शामिल) हैं।
- इसका उद्देश्य एशिया और प्रशांत क्षेत्र में सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है।

प्रमुख बिंदु

ऋण समझौता

- यह ऋण परियोजना 'एशियाई विकास बैंक' की दीर्घकालिक कॉरपोरेट रणनीति यानी 'रणनीति-2030' के अनुरूप है और स्थिरता, जलवायु परिवर्तन के लिहाज़ से लचीलापन और सड़क सुरक्षा से जुड़े तत्त्वों पर ज़ोर देती है।
    - 'रणनीति-2030' के मुताबिक, 'एशियाई विकास बैंक' अत्यधिक गरीबी को मिटाने के अपने प्रयासों के तहत एक समृद्ध, समावेशी, लचीला और सतत् एशिया-प्रशांत सुनिश्चित करने के लिये अपने दृष्टिकोण का विस्तार करेगा।
- 'चेन्नई-कन्याकुमारी औद्योगिक कॉरिडोर' भारत के 'पूर्वी तट आर्थिक गलियारे' (ECEC) का हिस्सा है।

औद्योगिक गलियारा योजना

- औद्योगिक गलियारा एक आर्थिक पारिस्थितिकी तंत्र है, जो दो प्रमुख आर्थिक केंद्रों को जोड़ने वाले परिवहन गलियारे के चारों ओर बनाया गया है, जहाँ परिवहन गलियारा आर्थिक गतिविधियों के तंत्रिका केंद्र के रूप में कार्य करता है।
    - परिवहन गलियारे के अलावा एक औद्योगिक गलियारे में क्षेत्रीय और वैश्विक मांग को पूरा करने वाले औद्योगिक उत्पादन के क्लस्टर और एकसमान रूप से विकसित शहरी केंद्र भी शामिल होते हैं।
- वर्ष 2019 में सरकार ने 'राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास और कार्यान्वयन ट्रस्ट' (NICDIT) के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही पाँच औद्योगिक गलियारा परियोजनाओं के विकास को मंज़ूरी दी थी।
    - NICDIT केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के 'उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग' (DPIIT) के प्रशासनिक नियंत्रण में एक सर्वोच्च निकाय है।
- पाँच औद्योगिक गलियारा परियोजनाएँ
    - दिल्ली-मुंबईऔद्योगिक गलियारा (DMIC)
    - अमृतसर-कोलकाता औद्योगिक गलियारा (AKIC)
    - चेन्नई-बंगलूरू औद्योगिक गलियारा (CBIC)
    - पूर्वी तट आर्थिक गलियारा (ECEC) के साथ विज़ाग चेन्नई औद्योगिक गलियारा
    - बंगलूरू-मुंबई औद्योगिक गलियारा (BMIC)

पूर्वी तट आर्थिक गलियारा

- पश्चिम बंगाल से तमिलनाडु तक विस्तृत यह आर्थिक गलियारा समग्र भारत को दक्षिण, दक्षिणपूर्व और पूर्वी एशिया के उत्पादन नेटवर्क से जोड़ता है।
    - 'पूर्वी तट आर्थिक गलियारे' के विकास में 'एशियाई विकास बैंक' भारत सरकार का प्रमुख भागीदार है।
- इसमें पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को कवर किया गया है। इस कॉरिडोर के विज़ाग-चेन्नई खंड को फेज-1 के रूप में विकसित किया गया है।
    - विज़ाग-चेन्नई औद्योगिक गलियारा (VCIC) देश का पहला तटीय आर्थिक गलियारा है।
- यह परियोजना 'स्वर्णिम चतुर्भुज' के साथ संरेखित है। यह भारत की 'एक्ट ईस्ट पॉलिसी' में भी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
    - स्वर्णिम चतुर्भुज भारत की सबसे लंबी सड़क परियोजना है और दुनिया का पाँचवाँ सबसे लंबा राजमार्ग है। यह दिल्ली, मुंबई, कोलकाता एवं चेन्नई को जोड़ता है।

नोट :

औद्योगिक गलियारों का महत्त्व

- निर्यात के लिये नवीन संभावनाएँ
  - औद्योगिक गलियारों से लोजिस्टिक्स की लागत कम होने की संभावना है, जिससे औद्योगिक उत्पादन संरचना की दक्षता में वृद्धि होगी।
  - इस तरह की दक्षता उत्पादन की लागत को कम करती है जो भारत में निर्मित उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में प्रतिस्पर्द्धा के लिये और अधिक सक्षम बनाता है।
- रोज़गार अवसर
  - यह उद्योगों के विकास के लिये निवेश आकर्षित करेगा, जिससे बाज़ार में अधिक रोज़गार सृजित होने की संभावना है।
- पर्यावरणीय महत्त्व
  - सभी राज्यों में औद्योगिक गलियारों के साथ औद्योगिक इकाइयों की स्थापना से किसी एक विशिष्ट स्थान पर उद्योगों के एकत्रण को रोका जा सकेगा। ज्ञात हो कि किसी विशिष्ट स्थान उद्योगों के एकत्रण के कारण उस क्षेत्र के पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जो पर्यावरणीय गिरावट का कारण बनाता है।
- सामाजिक-आर्थिक महत्त्व
  - सामाजिक-आर्थिक दृष्टि से भी औद्योगिक गलियारे काफी महत्त्वपूर्ण हैं, इसके परिणामस्वरूप औद्योगिक टाउनशिप, शैक्षणिक संस्थानों, अस्पतालों की स्थापना जैसी सामाजिक कल्याण गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। ये देश में मानव विकास को और अधिक बढ़ावा देंगे।

केबल टेलीविज़न नेटवर्क नियमों में परिवर्तन

चर्चा में क्यों?

केंद्र सरकार ने केबल टेलीविज़न नेटवर्क नियम, 1994 में संशोधन करते हुए एक अधिसूचना जारी की, यह नागरिकों की शिकायतों के निवारण के लिये एक वैधानिक तंत्र प्रदान करता है।

- ये शिकायतें केबल टेलीविज़न नेटवर्क अधिनियम, 1995 के प्रावधानों के अनुसार टेलीविज़न चैनलों द्वारा प्रसारित सामग्री से संबंधित हैं।

प्रमुख बिंदु:

- अधिसूचना के बारे में: यह अधिसूचना केबल टेलीविज़न नेटवर्क (संशोधन) नियम, 2021 को जारी करती है।
  - यह त्रिस्तरीय शिकायत निवारण तंत्र प्रदान करता है - प्रसारकों द्वारा स्व-विनियमन, प्रसारकों के स्व-विनियमन निकायों द्वारा स्व-विनियमन और केंद्र सरकार के स्तर पर एक अंतर-विभागीय समिति द्वारा निरीक्षण।
- केबल टेलीविज़न नेटवर्क (संशोधन) नियम, 2021 का महत्त्व:
  - न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स स्टैंडर्ड अथॉरिटी (NBSA) और ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट्स काउंसिल (BCCC) जैसे विभिन्न स्व-नियामक निकायों को कानूनी मान्यता मिलेगी।
    - वर्तमान नियमों के तहत कार्यक्रम/विज्ञापन संहिताओं के उल्लंघन से संबंधित नागरिकों की शिकायतों को दूर करने के लिये एक अंतर-मंत्रालयी समिति के माध्यम से जारी एक संस्थागत तंत्र है।
    - विभिन्न प्रसारकों ने शिकायतों के समाधान के लिये अपना आंतरिक स्व-नियामक तंत्र भी विकसित किया है।
  - 900 से अधिक टेलीविज़न चैनलों को सूचना और प्रसारण मंत्रालय (MIB) द्वारा अनुमति दी गई है।
    - हालिया अधिसूचना महत्त्वपूर्ण है क्योंकि यह प्रसारकों और उनके स्व-नियामक निकायों पर जवाबदेही और ज़िम्मेदारी डालते हुए शिकायतों के निवारण हेतु एक मज़बूत संस्थागत प्रणाली का मार्ग प्रशस्त करती है।
  - यह टेलीविज़न के स्व-नियामक तंत्र द्वारा OTT कंपनियों और डिजिटल समाचार प्रकाशकों पर भी लागू किया जाएगा, जैसा कि सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशा-निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 में परिकल्पित है।
- केबल टेलीविज़न नेटवर्क अधिनियम, 1995:
  - उद्देश्य: इस अधिनियम का उद्देश्य केबल नेटवर्क की सामग्री और संचालन को विनियमित करना है। यह अधिनियम 'केबल टेलीविज़न नेटवर्क के बेतरतीब विकास' को नियंत्रित करता है।

- महत्त्वपूर्ण प्रावधान:
  - धारा 2: इस अधिनियम के तहत ज़िला मजिस्ट्रेट, उप-मंडल मजिस्ट्रेट और पुलिस आयुक्त यह सुनिश्चित करने के लिये 'अधिकृत अधिकारी' हैं कि कार्यक्रम संहिता का उल्लंघन न हो।
  - धारा 3: कोई भी व्यक्ति केबल टेलीविज़न नेटवर्क को तब तक संचालित नहीं करेगा जब तक कि वह इस अधिनियम के तहत केबल ऑपरेटर के रूप में पंजीकृत न हो।
  - धारा 4ए: केबल ऑपरेटरों के लिये डिजिटल एड्रेसेबल सिस्टम के माध्यम से किसी भी चैनल के कार्यक्रमों को एन्क्रिप्टेड रूप में प्रसारित करना अनिवार्य है, जब केंद्र द्वारा उन्हें ऐसा करने के लिये कहा गया हो।
  - धारा 16: इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन दंडनीय होगा।
  - धारा 19: अधिकृत अधिकारी के पास जनहित में कुछ कार्यक्रमों के प्रसारण को प्रतिबंधित करने की शक्ति है, यदि यह विभिन्न धार्मिक, नस्लीय, भाषायी या क्षेत्रीय समूहों या जातियों या समुदायों के बीच शत्रुता, घृणा या द्वेष की भावनाओं को बढ़ावा देता है।
  - धारा 20: संसद के पास जनहित में केबल टेलीविज़न नेटवर्क के संचालन को प्रतिबंधित करने की शक्ति है।

अंतर्देशीय पोत विधेयक, 2021

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अंतर्देशीय पोत विधेयक (Inland Vessels Bill) 2021 को मंज़ूरी दी है जो संसद में पारित होने के बाद अंतर्देशीय पोत अधिनियम, 1917 को प्रतिस्थापित करेगा।

- यह विधेयक अंतर्देशीय जहाज़ों की सुरक्षा, बचाव और पंजीकरण को विनियमित करेगा।

प्रमुख बिंदु:

विधेयक की विशेषताएँ:

- अंतर्देशीय पोत विधेयक की मुख्य विशेषता विभिन्न राज्यों द्वारा बनाए गए अलग-अलग नियमों के बजाय संपूर्ण देश के लिये एक संयुक्त कानून का प्रावधान करना है।
  - प्रस्तावित कानून के तहत दिया गया पंजीकरण प्रमाण पत्र सभी राज्यों और केंद्र-शासित प्रदेशों में मान्य होगा तथा इसके लिये राज्यों से अलग से अनुमति लेने की कोई आवश्यकता नहीं होगी।
- विधेयक में एक इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल पर पोत, पोत पंजीकरण, चालक दल के विवरण दर्ज करने हेतु एक केंद्रीय डेटाबेस का प्रावधान है।
- सभी गैर-यांत्रिक रूप से चालित जहाज़ों को ज़िला, तालुक या पंचायत या ग्राम स्तर पर नामांकित कराना होगा।
- यह केंद्र सरकार द्वारा घोषित ज्वारीय जल सीमा और राष्ट्रीय जलमार्गों को शामिल करते हुए 'अंतर्देशीय जल' की परिभाषा को व्यापक बनाता है।
- यह विधेयक अंतर्देशीय जहाज़ों के प्रदूषण नियंत्रण उपायों से भी संबंधित है तथा केंद्र सरकार को रसायनों, पदार्थों आदि की सूची को प्रदूषकों के रूप में नामित करने का निर्देश देता है।

अंतर्देशीय जलमार्ग:

- संदर्भ:
  - भारत में लगभग 14,500 किलोमीटर नौगम्य जलमार्ग (Navigable Waterways) हैं जिनमें नदियाँ, नहरें, बैकवाटर/अप्रवाही जल, खाड़ियाँ आदि शामिल हैं।
  - राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 के अनुसार, 111 जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग (NWs) घोषित किया गया है।
    - राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1: इलाहाबाद-हल्दिया जलमार्ग को भारत में राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या-1 का दर्जा दिया गया है। यह जलमार्ग गंगा-भागीरथी-हुगली नदी तंत्र में स्थित है। यह 1620 किमी लंबाई के साथ भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग है।
    - अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (Inland Waterways Authority of India-IWAI), विश्व बैंक की तकनीकी और वित्तीय सहायता से गंगा के हल्दिया-वाराणसी खंड पर नेविगेशन की क्षमता वृद्धि हेतु जल मार्ग विकास परियोजना (Jal Marg Vikas Project-JMVP) को कार्यान्वित कर रहा है।

- उपयोगिता:
  - अंतर्देशीय जल परिवहन (Inland Water Transport- IWT) द्वारा वार्षिक रूप से लगभग 55 मिलियन टन कार्गो का परिवहन किया जा रहा है जो एक ईंधन-कुशल और पर्यावरण अनुकूल साधन है।
    - हालाँकि विकसित देशों की तुलना में भारत में जलमार्ग द्वारा माल ढुलाई का अत्यधिक उपयोग किया जाता है।
  - इसका संचालन वर्तमान में गंगा-भागीरथी-हुगली नदियों, ब्रह्मपुत्र, बराक नदी (पूर्वोत्तर भारत), गोवा में नदियों, केरल में बैकवाटर, मुंबई में अंतर्देशीय जल और गोदावरी- कृष्णा नदी के डेल्टा क्षेत्रों में कुछ हिस्सों तक सीमित है।
  - मशीनीकृत जहाज़ों द्वारा इन संगठित संचालनों के अलावा, अलग-अलग क्षमता की देशी नावें भी विभिन्न नदियों एवं नहरों में संचालित होती हैं और इस असंगठित क्षेत्र में भी पर्याप्त मात्रा में कार्गो और यात्रियों को ले जाया जाता है।
  - IWT में, भारत में अत्यधिक व्यस्त रेलवे और भीड़भाड़ वाले रोडवेज का पूरक बनने की क्षमता है। कार्गो आवाजाही के अलावा, IWT क्षेत्र वाहनों की ढुलाई [स-फेरी के रोल-ऑन-रोल-ऑफ (रो-रो) मोड] और पर्यटन जैसी संबंधित गतिविधियों को सुविधाजनक बनाता है।
- उठाए गए कदम:
  - जलमार्गों को पूर्वी और पश्चिमी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (DFCs) के साथ-साथ सागरमाला परियोजना से भी जोड़ा जाएगा, जिसका उद्देश्य बंदरगाह के नेतृत्व वाले प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष विकास को बढ़ावा देना है।
  - इसके अलावा बांग्लादेश और म्याँमार जलक्षेत्र के माध्यम से माल के परिवहन को सुविधाजनक बनाने वाले भारत-बांग्लादेश (सोनमुरा-दाउदकांडी) और भारत-म्याँमार प्रोटोकॉल (कलादान) के प्रावधान जो कि कई मामलों में भारत के अंतर्देशीय जलमार्गों को निरंतरता प्रदान करते हैं, भारत के उत्तर पूर्वी भागों में त्वरित शिपमेंट तथा बाज़ार में गहरी पैठ को सक्षम बनाते हैं।

भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (IWAI):

- IWAI, जहाज़रानी मंत्रालय (Ministry of Shipping) के अधीन एक सांविधिक निकाय है।
- यह जहाज़रानी मंत्रालय से प्राप्त अनुदान के माध्यम से राष्ट्रीय जलमार्गों पर अंतर्देशीय जल परिवहन अवसंरचना के विकास और अनुरक्षण का कार्य करता है।
- प्राधिकरण का मुख्यालय नोएडा (उत्तर-प्रदेश) में क्षेत्रीय कार्यालय पटना, कोलकाता, गुवाहाटी और कोची में तथा उप-कार्यालय प्रयागराज (पूर्व में इलाहाबाद), वाराणसी, भागलपुर, रक्का और कोल्लम में हैं।

राज्यपाल की भूमिका संबंधित विवाद

चर्चा में क्यों?

हाल ही में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने राज्य के राज्यपाल को केंद्र सरकार के व्यक्ति के रूप में संबोधित किया।

- कई सांसदों सहित मुख्यमंत्री ने भारत के राष्ट्रपति को पत्र लिखकर राज्यपाल को वापस बुलाने की मांग की है।

प्रमुख बिंदु

राज्यपाल से संबंधित संवैधानिक प्रावधान

- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 के तहत प्रत्येक राज्य के लिये एक राज्यपाल का प्रावधान किया गया है। एक व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जा सकता है।
  - राज्यपाल केंद्र सरकार का एक नामित व्यक्ति होता है, जिसे राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है।
- संविधान के मुताबिक, राज्य का राज्यपाल दोहरी भूमिका अदा करता है।
  - वह राज्य के मंत्रिपरिषद (CoM) की सलाह मानने को बाध्य राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है।
  - इसके अतिरिक्त वह केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच एक महत्त्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करता है।

- अनुच्छेद 157 और 158 के तहत राज्यपाल पद के लिये पात्रता संबंधी आवश्यकताओं को निर्दिष्ट किया गया है।
- राज्यपाल को संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत क्षमादान और दंडविराम आदि की भी शक्ति प्राप्त है।
- कुछ विवेकाधीन शक्तियों के अतिरिक्त राज्यपाल को उसके अन्य सभी कार्यों में सहायता करने और सलाह देने के लिये मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्रिपरिषद का गठन किये जाने का प्रावधान है। (अनुच्छेद 163)
- राज्य के मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। (अनुच्छेद 164)
- राज्यपाल, राज्य की विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को अनुमति देता है, अनुमति रोकता है अथवा राष्ट्रपति के विचार के लिये विधेयक को सुरक्षित रखता है। (अनुच्छेद 200)
- राज्यपाल कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में अध्यादेशों को प्रख्यापित कर सकता है। (अनुच्छेद 213)

राज्यपाल की भूमिका संबंधित विवाद

- केंद्र सरकार द्वारा सत्ता का दुरुपयोग: प्राय: केंद्र में सत्ताधारी दल के निर्देश पर राज्यपाल के पद के दुरुपयोग के कई उदाहरण देखने को मिलते हैं।
  - राज्यपाल की नियुक्ति की प्रकिया को इसमें प्रमुख कारण माना जाता है।
- पक्षपाती विचारधारा: कई मामलों में एक विशेष राजनीतिक विचारधारा वाले राजनेताओं और पूर्व नौकरशाहों को केंद्र सरकार द्वारा राज्यपालों के रूप में नियुक्त किया जाता है।
  - यह संवैधानिक रूप से अनिवार्य तटस्थ पद के पूर्ण विरुद्ध है और यह पक्षपात को जन्म देता है, जैसा कि कर्नाटक और गोवा के मामलों में देखा गया।
- कठपुतली शासक: हाल ही में राजस्थान के राज्यपाल पर आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है। केंद्रीय सत्ताधारी दल के प्रति उनका समर्थन गैर-पक्षपात की भावना के विरुद्ध है जिसकी अपेक्षा संवैधानिक पद पर आसीन व्यक्ति से की जाती है।
  - ऐसी घटनाओं के कारण ही राज्य के राज्यपाल के लिये केंद्र के एजेंट, कठपुतली और रबर स्टैम्प जैसे नकारात्मक शब्दों का उपयोग किया जाता है।
- एक विशेष राजनीतिक दल का पक्ष लेना: चुनाव के बाद सबसे बड़ी पार्टी/गठबंधन के नेता को सरकार बनाने के लिये आमंत्रित करने की राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों का प्राय: किसी विशेष राजनीतिक दल के पक्ष में दुरुपयोग किया जाता है।
- शक्ति का अनुचित उपयोग: प्राय: यह देखा गया है कि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन (अनुच्छेद 356) के लिये राज्यपाल की सिफारिश सदैव 'तथ्यों' पर आधारित न होकर राजनीतिक भावना और पूर्वाग्रह पर आधारित होती है।

राज्यपाल के पद से संबंधित सिफारिशें

राज्यपाल की नियुक्ति और निष्कासन के संबंध में

- 'पुंछी आयोग' (2010) ने सिफारिश की थी कि राज्य विधायिका द्वारा राज्यपाल पर महाभियोग चलाने का प्रावधान संविधान में शामिल किया जाना चाहिये।
  - राज्यपाल की नियुक्ति में राज्य के मुख्यमंत्री की राय भी ली जानी चाहिये।

अनुच्छेद 356 के संबंध में

- 'पुंछी आयोग' ने अनुच्छेद 355 और 356 में संशोधन करने की सिफारिश की थी।
- 'सरकारिया आयोग' (1988) ने सिफारिश की थी कि अनुच्छेद 356 का उपयोग बहुत ही दुर्लभ मामलों में विवेकपूर्ण तरीके से ऐसी स्थिति में किया जाना चाहिये जब राज्य में संवैधानिक तंत्र को बहाल करना अपरिहार्य हो गया हो।
- इसके अलावा प्रशासनिक सुधार आयोग (1968), राजमन्नार समिति (1971) और न्यायमूर्ति वी. चेलैया आयोग (2002) आदि ने भी इस संबंध में सिफारिशें की हैं।

अनुच्छेद 356 के तहत राज्य सरकार की बर्खास्तगी के संबंध में

- एस.आर. बोम्मई मामला (1994): इस मामले के तहत केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों की मनमानी बर्खास्तगी को समाप्त कर दिया गया।
  - निर्णय के मुताबिक, विधानसभा ही एकमात्र ऐसा मंच है, जहाँ तत्कालीन सरकार के बहुमत का परीक्षण करना चाहिये, न कि राज्यपाल की व्यक्तिपरक राय के आधार पर।

विवेकाधीन शक्तियों के संबंध में

- नबाम रेबिया मामले (2016) में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा था कि अनुच्छेद 163 के तहत राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग सीमित है और राज्यपाल की कार्रवाई मनमानी या काल्पनिक तथ्यों के आधार पर नहीं होनी चाहिये।

आगे की राह

- विवेकाधीन शक्तियों का विवेकपूर्ण उपयोग: सरकार की कार्यप्रणाली के सुचारु संचालन के लिये आवश्यक है कि राज्यपाल अपनी विवेकाधीन शक्तियों और व्यक्तिगत निर्णय का प्रयोग करते हुए विवेकपूर्ण, निष्पक्ष और कुशलता से कार्य करे।
- संघवाद को मज़बूत करना: राज्यपाल पद के दुरुपयोग को रोकने के लिये भारत में संघीय व्यवस्था को मज़बूत करने की आवश्यकता है।
  - इस संबंध में अंतर-राज्य परिषद और राज्यसभा की भूमिका को मज़बूत किया जाना महत्त्वपूर्ण साबित हो सकता है।
- राज्यपाल की नियुक्ति की पद्धति में सुधार: राज्यपाल की नियुक्ति राज्य विधायिका द्वारा तैयार किये गए पैनल के आधार पर की जा सकती है, वहीं वास्तविक नियुक्ति का अधिकार अंतर-राज्य परिषद को होना चाहिये, न कि केंद्र सरकार को।
- राज्यपाल के लिये आचार संहिता: इस 'आचार संहिता' में कुछ 'मानदंड और सिद्धांत' निर्धारित किये जाने चाहिये, जो राज्यपाल के 'विवेक' और उसकी शक्तियों के प्रयोग हेतु मार्गदर्शन कर सके।

युवाओं की रोज़गार क्षमता में सुधार

चर्चा में क्यों?

हाल ही में श्रम और रोज़गार मंत्रालय तथा यूनिसेफ ने भारत में युवाओं के लिये रोज़गार के परिणामों में सुधार हेतु एक आशय पत्र के वक्तव्य पर हस्ताक्षर किये हैं।

- जनगणना 2011 के अनुसार, भारत में हर पाँचवाँ व्यक्ति युवा (15-24 वर्ष) है।
- यूनिसेफ संयुक्त राष्ट्र (UN) का एक विशेष कार्यक्रम है जो बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा और सामान्य कल्याण में सुधार के लिये राष्ट्रीय प्रयासों की सहायता हेतु समर्पित है। 'द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स चिल्ड्रन' यूनिसेफ की प्रमुख रिपोर्ट है।

प्रमुख बिंदु

इस सहयोग का उद्देश्य:

- यह चुनिंदा राज्यों में दोनों पक्षों की मौजूदा मुख्यधारा की पहलों का लाभ उठाने के लिये मंत्रालय और यूनिसेफ के बीच सहयोग हेतु एक मंच प्रदान करने का इरादा रखता है।
- यह कमज़ोर आबादी पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत में किशोरों और युवाओं हेतु रोज़गार तथा कौशल चुनौतियों से निपटने के लिये बड़े पैमाने पर समाधानों का निर्माण और कार्यान्वयन करेगा।
  - इसमें विशेष आवश्यकता वाले युवाओं सहित सुभेद्य आबादी, देखभाल संस्थानों को छोड़ने वाले युवा, प्रवासी युवा, बाल श्रम, हिंसा, बाल विवाह के शिकार और तस्करी तथा अन्य मामले शामिल हैं।

सहयोग के क्षेत्र:

- युवाओं को रोज़गार के अवसरों से जोड़ना।
- जीवन कौशल, वित्तीय कौशल, डिजिटल कौशल, व्यवसाय कौशल आदि सहित 21वीं सदी में युवाओं के कौशल को ऊपर उठाना।

नोट :

- राष्ट्रीय कॅरियर सेवा (NCS) को सुदृढ़ बनाना।
- अंतराल की खोज करके नौकरी के पूर्वानुमान में सहायता करना।
- सीधे संवाद का समर्थन करना और युवाओं तथा नीति हितधारकों के बीच एक प्रतिक्रिया तंत्र की स्थापना करना।

राष्ट्रीय कॅरियर सेवा (NCS)

- इसके बारे में:
  - इसे वर्ष 2015 में ई-गवर्नेंस योजना की छत्रछाया में लॉन्च किया गया था।
  - यह एक वन-स्टॉप समाधान है जो भारत के नागरिकों को रोज़गार और कॅरियर से संबंधित सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है।
- नोडल मंत्रालय: श्रम और रोज़गार मंत्रालय।
- तीन स्तंभ: NCS परियोजना अपने तीन आवश्यक स्तंभों के माध्यम से इस देश के लोगों तक पहुँचती है।
  - एक अच्छी तरह से डिज़ाइन किया गया आईसीटी आधारित पोर्टल जो एनसीएस पोर्टल है।
  - देश भर में मॉडल कॅरियर केंद्रों की स्थापना।
  - रोज़गार कार्यालयों के माध्यम से सभी राज्यों के साथ अंतर्संबंध।

यूनिसेफ की पहल (युवा):

- जनरेशन अनलिमिटेड का इंडिया चैप्टर (India chapter of Generation Unlimited- GenU) युवा की शुरुआत वर्ष 2018 में की गई थी।
- GenU एक वैश्विक बहु-हितधारक मंच है जिसका उद्देश्य युवाओं को शिक्षा और अध्ययन के माध्यम से उत्पादक कार्य एवं सक्रिय नागरिकता के लिये अवस्थांतरित करना है।
- भारत में वर्ष 2030 तक युवा का लक्ष्य निम्नलिखित को सुनिश्चित करना है:
  - 100 मिलियन युवाओं की आकांक्षा के अनुरूप उनके सामाजिक-आर्थिक अवसरों हेतु पथ का निर्माण करना।
  - उत्पादक जीवन और काम के भविष्य के लिये प्रासंगिक कौशल हासिल करने हेतु 200 मिलियन युवाओं को सुविधा प्रदान करना।
  - चेंजमेकर्स के रूप में 300 मिलियन युवाओं के साथ भागीदारी करना और उनकी नेतृत्त्व क्षमता को विकसित करना।

युवाओं की रोज़गार क्षमता में सुधार के लिये की गई अन्य पहलें

- राष्ट्रीय युवा नीति-2014 भारत के युवाओं के लिये एक समग्र दृष्टिकोण प्रदान करती है, इसका लक्ष्य युवाओं की पूर्ण क्षमता हासिल करने के लिये उन्हें सशक्त बनाने और उनके ज़रिये देश को राष्ट्रों के बीच सही जगह हासिल करने में समर्थ बनाना है।
- प्रधानमंत्री रोज़गार सृजन कार्यक्रम (PMEGP): इसे वर्ष 2008 में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के माध्यम से रोज़गार के अवसर पैदा करने के लिये पेश किया गया था। यह सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा प्रशासित है।
- प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY): इसकी शुरुआत 8 अप्रैल, 2015 को गैर-कॉर्पोरेट, गैर-कृषि लघु/सूक्ष्म उद्यमों को 10 लाख तक का ऋण प्रदान करने के उद्देश्य से की गई है। इसका फोकस स्वरोज़गार पर है।
- प्रधानमंत्री रोज़गार प्रोत्साहन योजना (PMRPY): यह रोज़गार सृजन को बढ़ावा देने के लिये नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करने हेतु श्रम और रोज़गार मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है। सरकार 3 वर्ष के लिये सभी क्षेत्रों के सभी पात्र नए कर्मचारियों के EPF और EPS के लिये नियोक्ता के योगदान का भुगतान कर रही है।
- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना (मनरेगा), पं. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (DDU-GKY) और आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा संचालित दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY-NULM) जैसी योजनाओं पर सार्वजनिक व्यय में वृद्धि।
- अन्य प्रमुख कार्यक्रम जिनमें रोज़गार पैदा करने की क्षमता है, वे हैं: मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्वच्छ भारत मिशन, स्मार्ट सिटी मिशन, अटल नवीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन, सभी के लिये आवास, औद्योगिक गलियारे आदि।

नोट :

साइबर धोखाधड़ी के लिये हेल्पलाइन

चर्चा में क्यों?

गृह मंत्रालय ने साइबर धोखाधड़ी के कारण होने वाले वित्तीय नुकसान को रोकने के लिये राष्ट्रीय हेल्पलाइन 155260 और रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म का संचालन शुरू किया है। इस हेल्पलाइन को 1 अप्रैल को लॉन्च किया गया था।

- राष्ट्रीय हेल्पलाइन और रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म साइबर धोखाधड़ी में ठगे गए व्यक्तियों को ऐसे मामलों की रिपोर्ट करने के लिये एक तंत्र प्रदान करता है ताकि उनकी गाढ़ी कमाई को नुकसान से बचाया जा सके।
- साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक के कार्यालय द्वारा एक राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा रणनीति 2020 तैयार की जा रही है।

साइबर सुरक्षा

- साइबर सुरक्षा का आशय किसी भी प्रकार के हमले, क्षति, दुरुपयोग और जासूसी से महत्त्वपूर्ण सूचना अवसंरचना सहित संपूर्ण साइबर स्पेस की रक्षा करने से है।
- महत्त्वपूर्ण सूचना अवसंरचना (CII): सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 70(1) के अनुसार, CII को एक "कंप्यूटर संसाधन के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसकी अक्षमता या विनाश, राष्ट्रीय सुरक्षा, अर्थव्यवस्था, सार्वजनिक स्वास्थ्य या सुरक्षा पर गंभीर प्रभाव डालेगा"।
- साइबर धोखाधड़ी: यह किसी अन्य व्यक्ति की व्यक्तिगत और वित्तीय जानकारी को ऑनलाइन संग्रहीत करने के इरादे से कंप्यूटर के माध्यम से किया गया अपराध है।
  - यह धोखाधड़ी का सबसे आम प्रकार है और व्यक्तियों तथा संगठनों को सतर्क रहने एवं धोखेबाजों से अपनी जानकारी की रक्षा करने की आवश्यकता होती है।

प्रमुख बिंदु

- भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक, सभी प्रमुख बैंकों, भुगतान बैंकों, वॉलेट और ऑनलाइन व्यापारियों के समन्वय से इस हेल्पलाइन को शुरु किया गया है।
- नागरिक वित्तीय साइबर धोखाधड़ी रिपोर्टिंग और प्रबंधन प्रणाली I4C के कानून प्रवर्तन एजेंसियों तथा बैंकों व वित्तीय मध्यस्थों को एकीकृत करने के लिये विकसित की गई है।
- ऑनलाइन धोखाधड़ी से संबंधित जानकारी साझा करने और वास्तविक समय में कार्रवाई करने के लिये आधुनिक तकनीकों का लाभ उठाकर यह सुविधा बैंकों तथा पुलिस दोनों को सशक्त बनाती है।
- अपने सॉफ्ट लॉन्च के बाद से दो महीने की छोटी अवधि में इस हेल्पलाइन ने 1.85 करोड़ रुपए से अधिक की बचत करने में मदद की है।

भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C):

- I4C की स्थापना योजना को सभी प्रकार के साइबर अपराधों से व्यापक और समन्वित तरीके से निपटने के लिये अक्तूबर 2018 में मंज़ूरी दी गई थी।
- इसके सात घटक हैं:
  - नेशनल साइबर क्राइम थ्रेट एनालिटिक्स यूनिट,
  - राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल,
  - राष्ट्रीय साइबर अपराध प्रशिक्षण केंद्र,
  - साइबर अपराध पारिस्थितिकी तंत्र प्रबंधन इकाई,
  - राष्ट्रीय साइबर अपराध अनुसंधान और नवाचार केंद्र,
  - राष्ट्रीय साइबर अपराध फोरेंसिक प्रयोगशाला पारिस्थितिकी तंत्र,
  - संयुक्त साइबर अपराध जाँच दल प्लेटफॉर्म।

- 15 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों ने क्षेत्रीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र स्थापित करने के लिये अपनी सहमति व्यक्त की है।
- यह अत्याधुनिक केंद्र दिल्ली में स्थित है।
- बुडापेस्ट कन्वेंशन को कंप्यूटर सिस्टम के माध्यम से ज़ेनोफोबिया और जातिवाद पर एक प्रोटोकॉल द्वारा समर्थन प्रदान किया गया है।
- भारत इसका पक्षकार नहीं है। भारत ने हाल ही में एक अलग सम्मेलन स्थापित करने के लिये रूस के नेतृत्त्व वाले संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया। प्रस्ताव में अमेरिका समर्थित बुडापेस्ट समझौते के काउंटर विकल्प के रूप में माने जाने वाले नए साइबर मानदंड स्थापित करने का प्रयास किया गया है।

चुनाव याचिका

चर्चा में क्यों?

हाल ही में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने नंदीग्राम निर्वाचन क्षेत्र के विधानसभा चुनाव परिणाम को चुनौती देते हुए कलकत्ता उच्च न्यायालय में एक निर्वाचन अथवा चुनाव याचिका दायर की है।

प्रमुख बिंदु

निर्वाचन याचिका

- चुनाव परिणामों की घोषणा के पश्चात् चुनाव आयोग की भूमिका समाप्त हो जाती है, इसके पश्चात् यदि कोई उम्मीदवार मानता है कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान भ्रष्टाचार अथवा कदाचार हुआ था तो चुनाव अथवा निर्वाचन याचिका उस मतदाता या उम्मीदवार के लिये उपलब्ध एकमात्र कानूनी उपाय है।
- ऐसा उम्मीदवार संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय में निर्वाचन याचिका के माध्यम से परिणामों को चुनौती दे सकता है।
- ऐसी याचिका चुनाव परिणाम की तारीख से 45 दिनों के भीतर दायर करनी होती है; इस अवधि की समाप्ति के पश्चात् न्यायालय द्वारा मामले की सुनवाई नहीं की जाती है।
- यद्यपि वर्ष 1951 के जनप्रतिनिधि अधिनियम (RPA) के मुताबिक, उच्च न्यायालय को छह माह के भीतर मुकदमे को समाप्त करने का प्रयास करना चाहिये, हालाँकि इस प्रकार के मुकदमे प्राय: वर्षों तक चलते रहते हैं।

जिन आधारों पर निर्वाचन याचिका दायर की जा सकती है (RPA की धारा 100)

- चुनाव के दिन जीतने वाला उम्मीदवार चुनाव लड़ने के लिये योग्य नहीं था।
- चुनाव जीतने वाले उम्मीदवार, उसके पोल एजेंट या जीतने वाले उम्मीदवार की सहमति से किसी अन्य व्यक्ति ने भ्रष्ट आचरण किया है।
- विजेता उम्मीदवार के नामांकन की अनुचित स्वीकृति या नामांकन की अनुचित अस्वीकृति।
- मतगणना प्रक्रिया में कदाचार, जिसमें अनुचित तरीके से मत प्राप्त करना, किसी भी मान्य वोट को अस्वीकार करना या किसी भी अमान्य वोट को स्वीकार करना शामिल है।
- संविधान या जनप्रतिनिधि अधिनियम के प्रावधानों या आरपी अधिनियम के तहत बनाए गए किसी भी नियम या आदेश का पालन न करना।

यदि निर्णय याचिकाकर्त्ता के पक्ष में है (RPA की धारा 84)

- याचिकाकर्त्ता जीतने वाले उम्मीदवार के परिणाम को शून्य घोषित किये जाने की मांग कर सकता है।
- इसके अलावा याचिकाकर्त्ता न्यायालय से स्वयं को (यदि याचिका उसी उम्मीदवार द्वारा दायर की गई है) या किसी अन्य उम्मीदवार को विजेता या विधिवत निर्वाचित घोषित करने की मांग कर सकता है।
- इस तरह यदि चुनाव याचिका का निर्णय याचिकाकर्त्ता के पक्ष में होता है तो न्यायालय द्वारा नए सिरे से चुनाव आयोजित करने या एक नए विजेता की घोषणा की जा सकती है।

निर्वाचन याचिका का इतिहास

- इस संबंध में सबसे प्रसिद्ध मामला वर्ष 1975 का इलाहाबाद उच्च न्यायालय का निर्णय है, जिसके तहत चार वर्ष पूर्व (वर्ष 1971) रायबरेली निर्वाचन क्षेत्र से इंदिरा गांधी के चुनाव को भ्रष्ट आचरण के आधार पर रद्द कर दिया गया था।

जनप्रतिनिधि अधिनियम, 1951

- यह चुनावों और उपचुनावों के वास्तविक संचालन को नियंत्रित करता है।
- यह चुनाव आयोजित कराने के लिये प्रशासनिक मशीनरी भी प्रदान करता है।
- यह राजनीतिक दलों के पंजीकरण को भी नियंत्रित करता है।
  - जनप्रतिनिधि अधिनियम, 1951 की धारा 123 में भ्रष्ट आचरण की एक विस्तृत सूची प्रदान की गई है, जिसमें रिश्वतखोरी, बल प्रयोग या ज़बरदस्ती अथवा धर्म, जाति, समुदाय और भाषा के आधार पर वोट की अपील करना आदि शामिल हैं।
- यह सदनों की सदस्यता के लिये योग्यता और अयोग्यता को भी निर्दिष्ट करता है।
- यह भ्रष्ट आचरण और अन्य अपराधों को रोकने का प्रावधान करता है।
- यह चुनावों से उत्पन्न होने वाले संदेहों और विवादों को निपटाने की प्रक्रिया निर्धारित करता है।

भारत में फिल्मों की सेंसरशिप

चर्चा में क्यों?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने हाल ही में सिनेमैटोग्राफ (संशोधन) विधेयक [Cinematograph (Amendment) Bill], 2021 के अपने मसौदे पर सार्वजनिक टिप्पणी मांगी है, यह केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (Central Board of Film Certification) पर अपनी "संशोधन शक्तियों" को वापस लाने का प्रस्ताव करता है।

- नया विधेयक "बदले हुए समय के अनुरूप प्रदर्शन के लिये फिल्मों को मंज़ूरी देने की प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी बना देगा तथा पायरेसी के खतरे को भी रोकेगा"।

प्रमुख बिंदु

पृष्ठभूमि:

- भारत के सर्वोच्च न्यायालय (SC) ने नवंबर 2000 में कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेश को बरकरार रखा था, जिसने "बोर्ड द्वारा पहले से प्रमाणित फिल्मों के संबंध में केंद्र की पुनरीक्षण शक्तियों" को रद्द कर दिया था।
- हालाँकि सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि विधानमंडल कुछ मामलों में उचित कानून बनाकर न्यायिक या कार्यकारी निर्णय को खारिज या रद्द कर सकता है।

मसौदा सिनेमैटोग्राफ (संशोधन) विधेयक, 2021 का प्रावधान:

- पुनरीक्षण अधिकार प्रदान करना: सरकार सिनेमैटोग्राफ अधिनियम, 1952 की धारा 5बी(1) के उल्लंघन के कारण शिकायतों की प्राप्ति के बाद पहले से प्रमाणित फिल्म के संबंध में प्रमाणन बोर्ड को "पुन: परीक्षण (Re-Examination)" का आदेश दे सकती है।
  - धारा 5बी(1) फिल्मों को प्रमाणित करने के मार्गदर्शक सिद्धांतों से संबंधित है। इसे संविधान के अनुच्छेद 19(2) से लिया गया है और गैर-परक्राम्य है।
  - मौजूदा सिनेमैटोग्राफ अधिनियम (Cinematograph Act), 1952 की धारा 6 के तहत केंद्र को पहले से ही किसी फिल्म के प्रमाणन के संबंध में कार्यवाही के रिकॉर्ड की मांग करने और उस पर कोई आदेश पारित करने का अधिकार है।
    - यदि आवश्यक हो तो केंद्र सरकार बोर्ड के निर्णय को उलटने की शक्ति रखती है।
- मौजूदा UA श्रेणी का उप-विभाजन: फिल्मों के प्रमाणन से संबंधित प्रावधान "अप्रतिबंधित सार्वजनिक प्रदर्शनी (U/A)" श्रेणी में संशोधन का प्रस्ताव है ताकि मौजूदा UA श्रेणी को U/A 7+, U/A 13+ और U/A 16+ जैसी आयु-आधारित श्रेणियों में उप-विभाजित किया जा सके।
- फिल्म पाइरेसी: ज़्यादातर मामलों में सिनेमा हॉल में अवैध दोहराव पाइरेसी का मूल बिंदु है। वर्तमान में सिनेमैटोग्राफ अधिनियम, 1952 में फिल्म पायरेसी को रोकने के लिये कोई सक्षम प्रावधान नहीं है। मसौदा विधेयक धारा 6AA को सम्मिलित करने का प्रस्ताव करता है जो अनधिकृत रिकॉर्डिंग को प्रतिबंधित करता है।

- पायरेसी के लिये सज़ा: मसौदा कानून की धारा 6AA पायरेसी को दंडनीय अपराध बनाती है।
  - तीन वर्ष तक के काFरावास की सज़ा और जुर्माने के साथ जो 3 लाख रुपए से कम नहीं होगा, लेकिन यह ऑडिटेड सकल उत्पादन लागत का 5% या दोनों के साथ हो सकता है।
- वर्ष 2013 की न्यायमूर्ति मुकुल मुद्गल समिति (Justice Mukul Mudgal Committee) और वर्ष 2016 की श्याम बेनेगल समिति (Shyam Benegal Committee) की सिफारिशों पर भी कानून का मसौदा तैयार करते समय विचार किया गया था।

केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC):

- यह सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय है, जो सिनेमैटोग्राफ अधिनियम, 1952 के प्रावधानों के तहत फिल्मों के सार्वजनिक प्रदर्शन को नियंत्रित करता है।
- बोर्ड में गैर-आधिकारिक सदस्य और एक अध्यक्ष (जिनमें से सभी केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किये जाते हैं) होता है और इसका मुख्यालय मुंबई में है।
- केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा प्रमाणित होने के बाद ही फिल्मों को भारत में (सिनेमा हॉल, टीवी चैनलों पर) सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किया जा सकता है।
- वर्तमान में फिल्मों को 4 श्रेणियों के तहत प्रमाणित किया जाता है: U, U/A, A & S।
  - अप्रतिबंधित सार्वजनिक प्रदर्शनी (U)।
  - अप्रतिबंधित सार्वजनिक प्रदर्शनी लेकिन सावधानी के साथ 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिये माता-पिता के विवेक की आवश्यकता (U/A)।
  - वयस्कों के लिये प्रतिबंधित (A)।
  - व्यक्तियों के किसी विशेष वर्ग के लिए प्रतिबंधित (S)।
- सेंसरशिप के प्रावधान:
  - संविधान का अनुच्छेद 19(2): इसके आधार पर राज्य अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध लगाने का अधिकार रखता है। युक्तियुक्त निर्बंधनों की घोषणा करता है-
    - भारत की सुरक्षा व संप्रभुता
    - मानहानि
    - विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध
    - सार्वजनिक व्यवस्था
    - शिष्टाचार या सदाचार
    - न्यायालय की अवमानना
  - सिनेमैटोग्राफ अधिनियम, 1952 भी अनुच्छेद 19 (2) के तहत बताए गए समान प्रावधानों का प्रावधान करता है।

चिकित्सीय, ग्रामीण और MICE पर्यटन को बढ़ावा देने की रणनीति

चर्चा में क्यों?

पर्यटन मंत्रालय ने भारत में ग्रामीण पर्यटन के विकास और MICE उद्योग को बढ़ावा देने के लिये चिकित्सा एवं स्वास्थ्य पर्यटन को प्रोत्साहन देने हेतु रोडमैप के साथ तीन मसौदा रणनीतियाँ तैयार की है।

- विश्व आर्थिक मंच (WEF) द्वारा जारी विश्व यात्रा और पर्यटन प्रतिस्पर्धी सूचकांक 2019 में भारत को 140 देशों में से 34 वें स्थान पर रखा गया है।

प्रमुख बिंदु

चिकित्सा और स्वास्थ्य पर्यटन (MWT):

- यह स्वास्थ्य सेवाओं की प्राप्ति हेतु अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के पार यात्रा करने की तेज़ी से बढ़ रही प्रवृत्ति का वर्णन करता है।
- इसे मोटे तौर पर तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है - चिकित्सा उपचार, स्वास्थ्य एवं कायाकल्प और वैकल्पिक इलाज। अब इसे प्राय: मेडिकल वैल्यू ट्रैवल (MWT) के रूप में जाना जाता है।

भारत में MWT का दायरा:

- अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाएँ: भारत में वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय समूहों के शीर्ष चिकित्सा और नैदानिक उपकरण उपलब्ध हैं।
- प्रतिष्ठित हेल्थकेयर पेशेवर: भारत को उच्च गुणवत्ता वाले चिकित्सा प्रशिक्षण के लिये प्रतिष्ठा प्राप्त है और साथ ही यहाँ के चिकित्सक विदेशियों के साथ अंग्रेज़ी में भी धाराप्रवाह बातचीत करने में सक्षम हैं।
- वित्तीय बचत: भारत में चिकित्सा प्रक्रियाओं और सेवाओं की गुणवत्ता की लागत कम है।
- वैकल्पिक इलाज: भारत में उपचार के लिये योग, आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा जैसी वैकल्पिक सुविधाएँ भी उपलब्ध हैं।

प्रमुख रणनीति:

- "हील इन इंडिया" ब्रांड द्वारा MWT गंतव्य के रूप में भारत को बढ़ावा देना।
- MWT फैसिलिटेटर, उद्यमों और कर्मचारियों की क्षमता का निर्माण।
- अंतर्राष्ट्रीय रोगियों की सुविधा के लिये वन स्टॉप सॉल्यूशन प्रदान करने के लिये एक ऑनलाइन MWT पोर्टल की स्थापना।
- स्वास्थ्य, आतिथ्य और यात्रा व्यवसायों का अभिसरण।

ग्रामीण पर्यटन:

- पर्यटन का कोई भी रूप जो ग्रामीण स्थानों पर ग्रामीण जीवन, कला, संस्कृति और विरासत को प्रदर्शित करता है तथा जिससे स्थानीय समुदाय को आर्थिक और सामाजिक रूप से लाभ होता है।
- यह स्थायी और ज़िम्मेदार पर्यटन को बढ़ावा देने और आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को पूरा करने का अवसर प्रदान करता है।

भारत में दायरा:

- भारत के गाँवों में आगंतुकों के समक्ष पेश करने के लिये अद्वितीय संस्कृति, शिल्प, संगीत, नृत्य और विरासत है।
- ठहरने की सुविधा और अनुभव प्रदान करने के लिये अच्छी तरह से विकसित कृषि और खेत यहाँ उपलब्ध हैं।
- मनोरम जलवायु स्थिति और जैव विविधता।
- भारत में पर्यटकों के लिये तटीय, हिमालयी, रेगिस्तानी, जंगल और आदिवासी क्षेत्र हैं।

प्रमुख रणनीति:

- क्षमता निर्माण (पंचायती राज संस्थानों सहित) के लिये एक उपकरण के रूप में राज्य मूल्यांकन और रैंकिंग।
- ग्रामीण पर्यटन के लिये डिजिटल प्रौद्योगिकियों को सक्षम करना; जैसे पर्यटन क्षमता वाले ग्रामीण क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड इंटरनेट अवसंरचना के विकास को बढ़ावा देना।
- ग्रामीण पर्यटन के लिये क्लस्टर विकसित करना।

MICE (बैठकें, प्रोत्साहन, सम्मेलन और प्रदर्शनियाँ):

- इसका मुख्य उद्देश्य व्यापार, उद्योग, सरकार और अकादमिक समुदाय के लिये नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म बनाना और सार्थक बातचीत में संलग्न होना है।
- MICE को 'मीटिंग इंडस्ट्री' या 'इवेंट इंडस्ट्री' के नाम से भी जाना जाता है।

नोट :

भारत में दायरा:

- भारत में कोर MICE अवसंरचना सुविधाएँ अधिकांश विकसित देशों के समान हैं।
- भारत ने विश्व बैंक की ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट और WEF की ट्रैवल एंड टूरिज़्म कॉम्पिटिटिवनेस रैंक में अपनी स्थिति में लगातार सुधार किया है।
- भारत की लगातार मज़बूत हो रही आर्थिक स्थिति।
- भारत ने सूचना प्रौद्योगिकी और वैज्ञानिक अनुसंधान जैसे क्षेत्रों में तेज़ी से प्रगति की है।

प्रमुख रणनीति:

- "मीट इन इंडिया" ब्रांड द्वारा MICE उद्योग को बढ़ावा देना।
- MICE अवसंरचना के वित्तपोषण के लिये इसे अवसंरचना का दर्जा प्रदान करना।
- MICE उद्योग के लिये कौशल विकास करना।

महत्त्व

- गुणक प्रभाव: पर्यटन क्षेत्र न केवल उच्च गुणवत्ता वाली नौकरियाँ प्रदान करता है बल्कि यह भारत में निवेश को भी बढ़ाता है, विकास को गति भी देता है।
- सेवा क्षेत्र का विकास: एयरलाइन, होटल, परिवहन आदि जैसे सेवा क्षेत्र में लगे व्यवसायों की एक बड़ी संख्या पर्यटन उद्योग के विकास के साथ बढ़ती है।
- राष्ट्रीय विरासत और पर्यावरण का संरक्षण तथा सांस्कृतिक गौरव का नवीनीकरण।
- सॉफ्ट पावर: पर्यटन सांस्कृतिक कूटनीति को बढ़ावा देने में मदद करता है, लोगों को जोड़ता है और इस तरह भारत तथा अन्य देशों के बीच दोस्ती एवं सहयोग को बढ़ावा देता है।
- पर्यटन के अन्य रूपों को बढ़ावा: भारत में संबंधित क्षेत्रों जैसे इको-टूरिज़्म, नेचर रिजर्व, वाइल्डलाइफ टूरिज़्म, हिमालयी टूरिज्म के क्षेत्र में बड़ी संभावनाएँ हैं। भारत में 38 विश्व धरोहर स्थल हैं जिनमें 30 सांस्कृतिक धरोहर, 7 प्राकृतिक धरोहर और 1 मिश्रित धरोहर शामिल हैं।

चुनौतियाँ

- बुनियादी ढाँचा और कनेक्टिविटी: बुनियादी ढाँचे में कमी और अपर्याप्त कनेक्टिविटी कुछ स्थानों पर पर्यटकों की यात्रा में बाधा डालती है।
- प्रचार और विपणन: हालाँकि यह बढ़ रहा है किंतु ऑनलाइन मार्केटिंग / ब्रांडिंग सीमित है और यह समन्वित अभियान नहीं हैं।
- पर्यटक सूचना केंद्रों का प्रबंधन खराब तरीके से किया जाता है, जिससे घरेलू और विदेशी पर्यटकों के लिये आसानी से जानकारी प्राप्त करना मुश्किल हो जाता है।
- कौशल की कमी: सीमित संख्या में बहुभाषी प्रशिक्षित गाइड और सीमित स्थानीय जागरूकता एवं पर्यटक विकास से जुड़े लाभों और ज़िम्मेदारियों की समझ में कमी।

अन्य:

- भारत को एक बहुत स्वच्छ देश न समझे जाने की धारणा प्रचलित है। यह एक चिकित्सा गंतव्य के रूप में भारत की पसंद को प्रभावित करता है।
- राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर ग्रामीण पर्यटन के लिये प्राथमिकता का अभाव।
- एक उद्योग के रूप में MICE पर केंद्रित दृष्टिकोण का अभाव।

पर्यटन मंत्रालय की प्रमुख योजनाएँ

- प्रतिष्ठित पर्यटक स्थल पहल
- देखो अपना देश अभियान
- प्रसाद योजना
- स्वदेश दर्शन योजना

आगे की राह

- 'एक भारत एक पर्यटन' दृष्टिकोण: पर्यटन कई मंत्रालयों को शामिल करता है और कई राज्यों से संबंधित होता है। अत: इसके विकास के लिये केंद्र और अन्य राज्यों द्वारा सामूहिक प्रयासों तथा सहयोग किये जाने की आवश्यकता होती है।
- पर्यटन की सुगमता को बढ़ावा देना: वास्तव में एक निर्बाध पर्यटक परिवहन अनुभव सुनिश्चित करने के लिये हमें सभी अंतरराज्यीय सड़क करों को मानकीकृत करने और उन्हें एक ही बिंदु पर देय बनाने की आवश्यकता है जो व्यापार करने में आसानी व सुविधा प्रदान करेगा।

जम्मू और कश्मीर में परिसीमन

चर्चा में क्यों?

हाल ही में जम्मू और कश्मीर (J & K) में परिसीमन अभ्यास शुरू हुआ है।

- परिसीमन अभ्यास का पूरा होना केंद्रशासित प्रदेश (Union Territory- UT) में राजनीतिक प्रक्रिया को चिह्नित करेगा जो जून 2018 से केंद्र के शासन के अधीन है।

प्रमुख बिंदु

परिसीमन:

- निर्वाचन आयोग के अनुसार, किसी देश या एक विधायी निकाय वाले प्रांत में क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों (विधानसभा या लोकसभा सीट) की सीमाओं को तय करने या फिर से परिभाषित करने का कार्य परिसीमन है।
- परिसीमन अभ्यास (Delimitation Exercise) एक स्वतंत्र उच्च-शक्ति वाले पैनल द्वारा किया जाता है जिसे परिसीमन आयोग के रूप में जाना जाता है, जिसके आदेशों में कानून का बल होता है और किसी भी न्यायालय द्वारा इस पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है।
- किसी निर्वाचन क्षेत्र के क्षेत्रफल को उसकी जनसंख्या के आकार (पिछली जनगणना) के आधार पर फिर से परिभाषित करने के लिये वर्षों से अभ्यास किया जाता रहा है।
- एक निर्वाचन क्षेत्र की सीमाओं को बदलने के अलावा इस प्रक्रिया के परिणामस्वरूप राज्य में सीटों की संख्या में भी परिवर्तन हो सकता है।
- संविधान के अनुसार, इसमें अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के लिये विधानसभा सीटों का आरक्षण भी शामिल है।

उद्देश्य:

- परिसीमन का उद्देश्य समय के साथ जनसंख्या में हुए बदलाव के बाद भी सभी नागरिकों के लिये सामान प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करना है। जनसंख्या के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों का उचित विभाजन करना जिससे प्रत्येक वर्ग के नागरिकों को प्रतिनिधित्व का समान अवसर प्रदान किया जा सके।

परिसीमन के लिये संवैधानिक आधार:

- प्रत्येक जनगणना के बाद भारत की संसद द्वारा संविधान के अनुच्छेद-82 के तहत एक परिसीमन अधिनियम लागू किया जाता है।
- अनुच्छेद 170 के तहत राज्यों को भी प्रत्येक जनगणना के बाद परिसीमन अधिनियम के अनुसार क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है।
- एक बार अधिनियम लागू होने के बाद केंद्र सरकार एक परिसीमन आयोग का गठन करती है।
- हालाँकि पहला परिसीमन अभ्यास राष्ट्रपति द्वारा (निर्वाचन आयोग की मदद से) 1950-51 में किया गया था।
  - परिसीमन आयोग का गठबंधन अधिनियम, 1952 में अधिनियमित था।
- 1952, 1962, 1972 और 2002 के अधिनियमों के आधार पर चार बार 1952, 1963, 1973 और 2002 में परिसीमन आयोगों का गठन किया गया है।

- वर्ष 1981 और वर्ष 1991 की जनगणना के बाद परिसीमन नहीं किया गया।

परिसीमन आयोग:

- परिसीमन आयोग का गठन भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है और यह भारतीय निर्वाचन आयोग के सहयोग से काम करता है।
- परिसीमन आयोग की संरचना:
  - सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश
  - मुख्य चुनाव आयुक्त
  - संबंधित राज्य चुनाव आयुक्त।

जम्मू-कश्मीर में परिसीमन:

- अतीत में जम्मू-कश्मीर में परिसीमन अभ्यास क्षेत्र की विशेष स्थिति के कारण देश के बाकी हिस्सों से थोड़ा अलग रहा है।
- लोकसभा सीटों का परिसीमन तब जम्मू-कश्मीर में भारतीय संविधान द्वारा शासित था, लेकिन विधानसभा सीटों का परिसीमन जम्मू-कश्मीर संविधान और जम्मू-कश्मीर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1957 द्वारा अलग से शासित किया गया था।
- हालाँकि जम्मू-कश्मीर ने अपना विशेष दर्जा खो दिया और 5 अगस्त, 2019 को अनुच्छेद 370 के तहत अपनी विशेष स्थिति को निरस्त करने के बाद दो केंद्रशासित प्रदेशों (जम्मू-कश्मीर और लद्दाख) में विभाजित हो गया।
- इसके बाद 6 मार्च, 2020 को केंद्रशासित प्रदेश में विधानसभा और संसद की सीटों को बनाने के लिये एक विशेष परिसीमन आयोग का गठन किया गया था।

परिसीमन के मुद्दे:

- जो राज्य जनसंख्या नियंत्रण में कम रुचि लेते हैं उन्हें संसद में अधिक संख्या में सीटें मिल सकती हैं। परिवार नियोजन को बढ़ावा देने वाले दक्षिणी राज्यों को अपनी सीटें कम होने की संभावना का सामना करना पड़ा।
- वर्ष 2002-08 तक परिसीमन जनगणना 2001 के आधार पर की गई थी लेकिन वर्ष 1971 की जनगणना के अनुसार विधानसभाओं और संसद में तय की गई सीटों की कुल संख्या में कोई बदलाव नहीं किया गया था।
- संविधान ने लोकसभा एवं राज्यसभा सीटों की संख्या को क्रमश: 550 तथा 250 तक सीमित कर दिया है और बढ़ती जनसंख्या का प्रतिनिधित्व एक ही प्रतिनिधि द्वारा किया जा रहा है।

NDPS अधिनियम का निष्क्रिय प्रावधान: त्रिपुरा उच्च न्यायालय

चर्चा में क्यों?

हाल ही में त्रिपुरा उच्च न्यायालय ने पाया है कि 'नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस' (NDPS) अधिनियम, 1985 में वर्ष 2014 के संशोधनों का मसौदा तैयार करते हुए अनजाने में अधिनियम के एक प्रमुख प्रावधान (धारा 27A) को निष्क्रिय कर दिया गया है।

प्रमुख बिंदु

'नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस' (NDPS) अधिनियम, 1985

- भारत संयुक्त राष्ट्र सिंगल कन्वेंशन ऑन नारकोटिक्स ड्रग्स-1961, कन्वेंशन ऑन साइकोट्रोपिक सब्सटेंस-1971 और कन्वेंशन ऑन इलीसिट ट्रैफिक ऑन नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस, 1988 का एक हस्ताक्षरकर्त्ता है।
  - ये सभी कन्वेंशन चिकित्सा और वैज्ञानिक उद्देश्यों के लिये नशीली दवाओं और साइकोट्रोपिक पदार्थों के उपयोग को सीमित करने के साथ-साथ उसके दुरुपयोग को रोकने हेतु दोहरे उद्देश्यों को प्राप्त करने नियम निर्धारित करते हैं।
- इस संबंध में भारत सरकार का मूल विधायी साधन 'नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस' (NDPS) अधिनियम, 1985 है।
- यह अधिनियम नशीली दवाओं और साइकोट्रोपिक पदार्थों से संबंधित ऑपरेशन के नियंत्रण और विनियमन के लिये कड़े प्रावधान करता है।

- साथ ही इसमें नशीली दवाओं और साइकोट्रोपिक पदार्थों के अवैध व्यापार से प्राप्त या उपयोग की गई संपत्ति की ज़ब्ती का प्रावधान किया गया है।
- बार-बार अपराध किये जाने के मामले में यह अधिनियम मौत की सज़ा का भी प्रावधान करता है।
- अधिनियम के तहत वर्ष 1986 में 'नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो' का भी गठन किया गया था।

NDPS अधिनियम की धारा 27A:

- धारा 27A के तहत शामिल प्रावधान के मुताबिक, धारा 2 के खंड (viiia) के उप-खंड (i) से (v) में निर्दिष्ट किसी भी गतिविधि में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से शामिल कोई भी व्यक्ति अथवा उपरोक्त किसी भी गतिविधि में संलग्न किसी व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करने वाला कोई भी व्यक्ति अधिनियम के तहत दंड के लिये पात्र होगा।
- ऐसे व्यक्ति को कठोर कारावास की सज़ा दी जाएगी, जिसकी अवधि दस वर्ष से कम नहीं होगी और जिसे बीस वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, साथ ही उस व्यक्ति पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है, जो कि एक लाख रुपए से कम नहीं होगा, किंतु यह दो लाख रुपए से अधिक भी नहीं होगा।
  - हालाँकि निर्णय में दिये गए कारणों के आधार पर दो लाख रुपए से अधिक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

धारा 27A के निष्क्रिय होने का कारण

- इसके मुताबिक, धारा 2 (viiia) के उप-खंड (i) से (v) के तहत उल्लिखित अपराध धारा 27A के माध्यम से दंडनीय होंगे।
- हालाँकि धारा 2 (viiia) के उप-खंड (i) से (v), जिसे अपराधों की सूची माना जाता है, वर्ष 2014 के संशोधन के बाद मौजूद नहीं है।
- अत: यदि धारा 27A किसी रिक्त सूची या गैर-मौजूद प्रावधान को दंडनीय बनाती है, तो यह कहा जा सकता है कि यह वस्तुत: निष्क्रिय है।

NDPS अधिनियम में वर्ष 2014 का संशोधन:

- यह संशोधन मादक अथवा नशीली दवाओं के बेहतर चिकित्सा पहुँच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लागू किया गया था। चूँकि NDPS अधिनियम के तहत नियमन काफी सख्त थे, अत: एक दर्द निवारक के रूप में इस्तेमाल किये जाने वाले मॉर्फिन का अग्रणी निर्माता होने के बावजूद देश में अस्पतालों के लिये दवा प्राप्त करना मुश्किल था।
- वर्ष 2014 के संशोधन के माध्यम से 'आवश्यक मादक दवाओं' के रूप में वर्गीकृत दवाओं के परिवहन और लाइसेंसिंग में राज्य- स्तर पर उत्पन्न बाधाओं को समाप्त कर दिया गया और इसे केंद्रीकृत कर दिया गया।
- इसके तहत आवश्यक नशीले पदार्थों को परिभाषित किया गया और आवश्यक मादक दवाओं के निर्माण, परिवहन, अंतर-राज्य आयात, अंतर-राज्य निर्यात, बिक्री, खरीद, खपत और उपयोग की अनुमति दी गई।
  - आवश्यक मादक दवाओं की परिभाषा को जोड़ने के लिये किये गए संशोधन के माध्यम से अपराधों की सूची प्रदान करने वाली धारा 2 (viiiia) को धारा 2 (viiiib) के रूप में लिखा गया, जबकि धारा 2 (viiia) के तहत आवश्यक मादक दवाओं की परिभाषा को शामिल किया गया।
  - हालाँकि इस संशोधन अधिनियम के निर्माता मूल अधिनियम की धारा 27A में भी संश्दोहन करने से चूक गए।

उच्च न्यायालय का निर्णय

- उच्च न्यायालय ने गृह मंत्रालय (भारत सरकार) को NDPS अधिनियम, 1985 की धारा 27A में संशोधन हेतु उचित कदम उठाने का निर्देश दिया है।
  - न्यायालय ने कहा कि में धारा में संशोधन किया जाना अभी शेष है। हालाँकि, 1आपराधिक कानूनों को पूर्वव्यापी रूप से संशोधित नहीं किया जा सकता है। इसलिये यदि संशोधन लाया भी जाता है, तो इससे प्रारूपण त्रुटि के कारण अधिक संवैधानिक प्रश्न उठ सकते हैं।
- न्यायालय ने अपने आदेश में केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को इस मामले से संबंधित सामग्री को संक्षेप में सार्वजनिक सूचना के लिये प्रकाशित करने को कहा है, ताकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद-20 का महत्त्व कम न हो।
  - संविधान का अनुच्छेद 20 दोहरे दंड से सुरक्षा की गारंटी देता है।
  - अनुच्छेद 20(1) के मुताबिक, कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिये तब तक सिद्धदोष नहीं ठहराया जाएगा, जब तक कि उसने ऐसा कोई कार्य करते समय, जो अपराध के रूप में आरोपित है, किसी प्रवृत्त कानून का उल्लंघन न किया हो या उससे अधिक सज़ा का भागी नहीं होगा जो उस अपराध के किये जाने के समय प्रवृत्त विधि के अधीन अधिरोपित की जा सकती थी।

उचित मूल्य की दुकानों पर इलेक्ट्रॉनिक माप तौल मशीनें

चर्चा में क्यों?

केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों से राशन की दुकानों हेतु इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस बचत (ePoS) से इलेक्ट्रॉनिक तौल मशीन खरीदने को कहा है।

- इसके लिये उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने ई-पीओएस उपकरणों के विवेकपूर्ण उपयोग के माध्यम से बचत करने हेतु राज्यों को प्रोत्साहित करने के लिये खाद्य सुरक्षा नियम (राज्य सरकार के लिये सहायता नियम) 2015 में संशोधन किया है।

प्रमुख बिंदु

खाद्य सुरक्षा (राज्य सरकार के लिये सहायता नियम) 2015:

- उचित मूल्य की दुकानों के लिये अतिरिक्त मार्जिन: सभी स्तरों पर लेनदेन की पारदर्शी रिकॉर्डिंग सुनिश्चित करने हेतु प्रोत्साहन के रूप में ePoS के माध्यम से बिक्री के लिये उचित मूल्य की दुकान के डीलरों को अतिरिक्त मार्जिन देने के लिये नियम अधिसूचित किये गए थे।
- ePoS के माध्यम से बेचे जाने वाले खाद्यान्न पर मार्जिन को "उचित मूल्य की दुकान पर डीलर मार्जिन" के रूप में प्रदान किया जाता है।
- यह पॉइंट ऑफ़ सेल डिवाइस की खरीद, संचालन और रखरखाव की लागत, इसके संचालन के खर्च और इसके उपयोग के लिये प्रोत्साहन हेतु किये गए प्रयासों में से एक है।

संशोधन के लाभ:

- इलेक्ट्रॉनिक तौल तराजू के साथ ईपीओएस उपकरणों का एकीकरण, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA), 2013 के तहत सब्सिडी वाले खाद्यान्न के वितरण में लाभार्थियों को उनकी पात्रता के अनुसार लाभान्वित करेगा।
- यह सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) व्यवस्था में अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करेगा। इससे खाद्यान्न का रिसाव कम होगा।
- ईपीओएस उपकरणों के माध्यम से बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण द्वारा लक्षित लाभार्थी को सब्सिडी वाला खाद्यान्न प्रदान किया जाता है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA), 2013

- अधिसूचित: 10 सितंबर, 2013
- उद्देश्य: सम्मान के साथ जीवन जीने के लिये लोगों को सस्ती कीमतों पर पर्याप्त मात्रा मंल गुणवत्तापूर्ण भोजन तक पहुँच सुनिश्चित करके खाद्य और पोषण सुरक्षा प्रदान करना।
- कवरेज: लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (TPDS) के तहत सब्सिडी वाले खाद्यान्न प्राप्त करने के लिये 75% ग्रामीण आबादी और 50% शहरी आबादी को कवरेज प्रदान किया गया है।
  - NFSA कुल आबादी का लगभग 67% हिस्सा पूरा करता है।
  - नीति आयोग ने NFSA के तहत ग्रामीण और शहरी कवरेज को क्रमश: 60% और 40% तक कम करने की सिफारिश की है।

पात्रता:

- राज्य सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार प्राथमिकता वाले परिवारों को TPDS के तहत कवर किया जाना है।
- मौजूदा अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत आने वाले परिवार।

प्रावधान:

- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत गरीबों को 2 रुपए प्रति किलो गेहूँ और 3 रुपए प्रति किलो चावल देने की व्यवस्था की गई है। इस कानून के तहत व्यवस्था है कि लाभार्थियों को उनके लिये निर्धारित खाद्यान्न हर हाल में मिले, इसके लिये खाद्यान्न की आपूर्ति न होने की स्थिति में खाद्य सुरक्षा भत्ते के भुगतान के नियम को जनवरी 2015 में लागू किया गया।
- इस अधिनियम के तहत समाज के अति निर्धन वर्ग के प्रत्येक परिवार को प्रत्येक माह अंत्योदय अन्न योजना में सब्सिडी दरों पर यानी तीन रुपए, दो रुपए, एक रुपए प्रति किलो चावल, गेहूँ और मोटा अनाज मिल रहा है।

नोट :

- मौजूदा AAY परिवार को प्रतिमाह प्रति परिवार 35 किलोग्राम खाद्यान्न प्राप्त होता रहेगा।
- गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को गर्भावस्था के दौरान और बच्चे के जन्म के छह महीने बाद तक 6,000 रुपए की राशि प्रदान करना।
- 14 वर्ष तक के बच्चों को भोजन।
- खाद्यान्न या भोजन की आपूर्ति न होने की स्थिति में लाभार्थियों को खाद्य सुरक्षा भत्ता।
- ज़िला और राज्य स्तर पर शिकायत निवारण तंत्र की स्थापना।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS):

- PDS उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तहत स्थापित एक भारतीय खाद्य सुरक्षा प्रणाली है।
- सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) कम कीमत पर अनाज के वितरण और आपातकालीन स्थितियों में प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिये लाई गई एक प्रणाली है।
- जून 1997 में भारत सरकार ने गरीबों पर ध्यान केंद्रित करते हुए लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (TPDS) शुरू की।

कार्य प्रणाली:

- चिन्हित लाभार्थियों को खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिये केंद्र और राज्य सरकारें ज़िम्मेदारियों को साझा करती हैं।
- केंद्र किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर खाद्यान्न खरीदता है और इसे केंद्रीय निर्गम मूल्य पर राज्यों को बेचता है। यह प्रत्येक राज्य में अनाज को गोदामों तक पहुँचाने के लिये ज़िम्मेदार है।
- इन गोदामों से प्रत्येक उचित मूल्य की दुकान (राशन की दुकान) तक खाद्यान्न पहुँचाने की ज़िम्मेदारी राज्यों की है, जहाँ लाभार्थी कम केंद्रीय निर्गम मूल्य पर खाद्यान्न खरीदता है।
- कई राज्य लाभार्थियों को अनाज बेचने से पहले उसकी कीमत में और सब्सिडी देते हैं।

न्यायाधीशों द्वारा बहिष्कार

चर्चा में क्यों?

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय (SC) के दो न्यायाधीशों ने पश्चिम बंगाल से संबंधित मामलों की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया है।

प्रमुख बिंदु:

बहिष्कार:

- यह पीठासीन न्यायालय के अधिकारी या प्रशासनिक अधिकारी के हितों के टकराव के कारण कानूनी कार्यवाही जैसी आधिकारिक कार्रवाई में भाग लेने से अनुपस्थित रहने से संबंधित है।

बहिष्कार का कारण:

- जब हितों का टकराव होता है तो एक न्यायाधीश मामले की सुनवाई से पीछे हट सकता है ताकि यह धारणा पैदा न हो कि उसने मामले का निर्णय करते समय पक्षपात किया है।
- हितों का टकराव कई तरह से हो सकता है, जैसे:
  - मामले में शामिल किसी पक्ष के साथ पूर्व या व्यक्तिगत संबंध होना।
  - एक मामले में शामिल पक्षों में से एक के लिये पेश किया गया।
  - वकीलों या गैर-वकीलों के साथ एकतरफा संचार।
  - एक उच्च न्यायालय (HC) के फैसले के खिलाफ SC में अपील दायर की जाती है जो SC के न्यायाधीश द्वारा HC में होने पर दी जा सकती है।

 - एक कंपनी के मामले में जिसमें वह शेयर रखता है और उसने अपने हित का खुलासा नहीं किया है और इसमें कोई आपत्ति नहीं है।
- यह प्रथा कानून की उचित प्रक्रिया के मुख्य सिद्धांत से उपजी है कि कोई भी अपने ही मामले में न्यायाधीश नहीं हो सकता है।
  - कोई भी हित या हितों का टकराव किसी मामले से हटने का आधार होगा क्योंकि निष्पक्ष कार्य करना न्यायाधीश का कर्तव्य है।

निर्णय और अस्वीकृति की प्रक्रिया:

- किसी भी संभावित हितों के टकराव का खुलासा करने के लिये न्यायाधीश के विवेक पर निर्भर होने के कारण आमतौर पर खुद को अलग करने का निर्णय न्यायाधीश द्वारा लिया जाता है।
  - कुछ न्यायाधीश मौखिक रूप से मामले में शामिल वकीलों को अपने अलग होने के कारणों से अवगत कराते हैं, कई नहीं। कुछ अपने क्रम में कारणों की व्याख्या करते हैं।
- कुछ परिस्थितियों या मामलों में वकील या पक्ष इसे न्यायाधीश के सामने लाते हैं। एक बार अलग होने का अनुरोध किये जाने के बाद न्यायाधीश के पास इसे वापस लेने या न लेने का अधिकार होता है।
  - हालाँकि ऐसे कुछ उदाहरण हैं जहाँ न्यायाधीशों ने विरोध नहीं देखा, भले ही वे खुद को अलग कर लेते हों, लेकिन केवल इसलिये कि इस तरह की आशंका जताई गई थी, ऐसे कई मामले भी हैं जहाँ न्यायाधीशों ने किसी मामले से हटने से इनकार कर दिया है।
- यदि कोई न्यायाधीश इनकार करता है तो मामले को मुख्य न्यायाधीश के समक्ष एक नई पीठ को आवंटित करने के लिये सूचीबद्ध किया जाता है।

बहिष्कार हेतु नियम:

- पुनर्मूल्यांकन को नियंत्रित करने वाले कोई औपचारिक नियम नहीं हैं, हालाँकि SC के कई निर्णयों में इस मुद्दे पर बात की गई है।
  - रंजीत ठाकुर बनाम भारत संघ (1987) मामले में SC ने माना कि यह दूसरे पक्ष के मन में पक्षपात की संभावना की आशंका के प्रति तर्कों को बल प्रदान करती है।
  - न्यायालय को अपने सामने पक्ष के तर्क को देखना चाहिये और तय करना चाहिये कि वह पक्षपाती है या नहीं।

चिंताएँ:

- न्यायिक स्वतंत्रता को कम आँकना:
  - यह वादियों को अपनी पसंद की बेंच चुनने की अनुमति देता है, जो न्यायिक निष्पक्षता को कम करता है।
  - साथ ही इन मामलों में अलग होने का उद्देश्य न्यायाधीशों की स्वतंत्रता और निष्पक्षता दोनों को कमज़ोर करता है।
- विभिन्न व्याख्याएँ:
  - चूँकि यह निर्धारित करने के लिये कोई नियम नहीं हैं कि न्यायाधीश इन मामलों में कब खुद को अलग कर सकते हैं, एक ही स्थिति की अलग-अलग व्याख्याएँ हैं।
- प्रक्रिया में देरी:
  - कुछ कार्य मुद्दों को उलझाने या कार्यवाही में बाधा डालने और देरी करने के इरादे से या किसी अन्य तरीके से न्याय के प्रारूप में बाधा डालने या इसे बाधित करने के इरादे से भी किये जाते हैं।

आगे की राह:

- न्याय में परिवर्तन के एक उपकरण के रूप में तथा वादी की पसंद की बेंच चुनने के साधन के रूप में और न्यायिक कार्य से बचने हेतु एक साधन के रूप में पुनर्मूल्यांकन व्यवस्था का उपयोग नहीं किया जाना चाहिये।
- न्यायिक अधिकारियों को हर तरह के दबाव का विरोध करना चाहिये, चाहे वह कहीं से भी हो और अगर वे विचलित हो जाते हैं तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता के साथ- साथ संविधान भी कमज़ोर हो जाएगा।
- इसलिये एक नियम जो न्यायाधीशों की ओर से अलग होने की प्रक्रिया को निर्धारित करता है, जल्द-से-जल्द बनाया जाना चाहिये।

क्लास एक्शन सूट्स

चर्चा में क्यों?

हाल ही में घटित 'ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड' (ONGC) से संबंधित 'बार्ज त्रासदी' जैसी घटनाएँ भारत में प्रभावी क्लास एक्शन सूट/मुकदमों की अनुपस्थिति को रेखांकित करती हैं।

- चक्रवात ताउते के कारण 'बॉम्बे हाई' से ONGC के जहाज़ों के क्षतिग्रस्त होने के बाद 71 लोगों की मौत हो गई थी।

ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड:

- यह भारत सरकार का एक महारत्न सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम (PSU) है।
- इसकी स्थापना वर्ष 1995 में हुई थी और यह पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधीन है।
- यह भारत की सबसे बड़ी कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस कंपनी है, जो भारतीय घरेलू उत्पादन में लगभग 70% का योगदान करती है।

प्रमुख बिंदु:

- यह लोगों के एक बड़े समूह का प्रतिनिधित्व करने वाले समूह द्वारा अदालत में लाया गया मामला है, जिनकी संख्या अक्सर हज़ारों में होती है और इन्हें एकसमान नुकसान हुआ होता है।
- यह अवधारणा 'प्रतिनिधि मुकदमेबाज़ी' की अवधारणा से ली गई है, जिसमें एक शक्तिशाली विरोधी के खिलाफ आम व्यक्ति के लिये न्याय सुनिश्चित किया जाता है।
- ऐसे मामलों में आरोपी आमतौर पर कॉर्पोरेट संस्थाएँ या सरकारें होती हैं।
- आमतौर पर क्लास एक्शन सूट में भुगतान किया गया नुकसान व्यक्तिगत स्तर पर छोटा हो सकता है या मात्रात्मक भी नहीं हो सकता है।
  - हालाँकि गणना की गई कुल क्षति बड़ी हो सकती है।
- जनहित याचिका (संविधान का अनुच्छेद 32 या अनुच्छेद 226) और क्लास एक्शन सूट के बीच का अंतर यह है कि क्लास एक्शन सूट के विपरीत एक निजी पक्ष के खिलाफ जनहित याचिका दायर नहीं की जा सकती है।

क्लास एक्शन सूट का इतिहास:

- 'क्लास एक्शन सूट' का इतिहास 18वीं शताब्दी से पहले का है, इन्हें औपचारिक रूप से अमेरिका में वर्ष 1938 में नागरिक प्रक्रिया के संघीय नियमों के तहत कानून में शामिल किया गया था।
  - यह अमेरिका में व्यापक रूप से उपयोग किया जाने वाला एक उपकरण है जहाँ व्यक्ति या छोटे समुदाय, एक बड़ी इकाई के कार्यों से व्यथित सामूहिक रूप से कानूनी विकल्पों का प्रयोग करने के लिये एक साथ आते हैं।
- वर्षों से लापरवाही पर अंकुश लगाने में 'क्लास एक्शन सूट' इतना सफल सिद्ध हुआ है कि अब यह अमेरिकी कॉर्पोरेट और उपभोक्ता कानूनों, पर्यावरण मुकदमेबाज़ी आदि का एक हिस्सा है।

भारत में 'क्लास एक्शन सूट' से संबंधित नियम:

- सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 :
  - सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 भारत में सिविल कार्यवाही के प्रशासन से संबंधित एक प्रक्रियात्मक कानून है।
  - नियम 8 प्रतिनिधि सूट को संदर्भित करता है जो भारत में नागरिक संदर्भ में 'क्लासिक क्लास एक्शन सूट' के सबसे करीब है। यह आपराधिक कार्यवाही को कवर नहीं करता है।
- कंपनी अधिनियम 2013:
  - इसकी धारा 245 किसी कंपनी के सदस्यों या जमाकर्ताओं को विशिष्ट मामलों में कंपनी के निदेशकों के खिलाफ कार्यवाही शुरू करने की अनुमति देती है।
  - इस तरह के मुकदमे के आगे बढ़ने से पहले की थ्रेसशोल्ड सीमाएँ हैं, जिसके लिये न्यूनतम संख्या में लोगों या शेयर पूंजी धारकों की आवश्यकता होती है।

    - इस प्रकार का मुकदमा वर्तमान में नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLAT) में दायर किया गया है।
- प्रतिस्पर्द्धा अधिनियम 2002:
    - धारा 53 (N) के तहत यह पीड़ित व्यक्तियों के एक समूह को प्रतिस्पर्द्धा-विरोधी कार्यों से संबंधित मुद्दों के संदर्भ में NCLT में उपस्थित होने की अनुमति देता है।
- उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 :
    - सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत कुछ शिकायतों को 'क्लास एक्शन सूट' माना जा सकता है। (रामेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव और अन्य बनाम द्वारकाधीश परियोजना प्राइवेट लिमिटेड और अन्य 2018)।

लाभ

- न्यायालय के बोझ में कमी
    - इसका एक तात्कालिक लाभ यह है कि न्यायालय को केवल एक मामले की सुनवाई करनी होती है न कि कई मामलों की। पहले से ही भारतीय न्यायालय मामलों के बोझ में दबे हुए हैं, ऐसे में क्लास एक्शन सूट के माध्यम से उनके बोझ को कम किया जा सकता है।
- कमज़ोर और संवेदनशील वर्ग की सहायता
    - चूँकि सभी के पास कानूनी कार्यवाही के लिये साधन या समय नहीं होता है, ऐसे में धन और साधन से सक्षम लोगों का एक छोटा समूह अन्य पीड़ितों को न्याय दिला सकता है।
- ब्रांड छवि को प्रभावित करता है
    - कंपनियाँ ऐसे मुकदमों का सामना करने से हिचक रही हैं, क्योंकि इससे उनकी ब्रांड छवि प्रभावित होती है। वे अपनी प्रतिष्ठा को होने वाले नुकसान को कम करने के लिये ऐसे मामलों को तेज़ी से निपटाना पसंद करते हैं।
    - हालाँकि आरोपी पक्षों के लिये एक फायदा यह है कि उन्हें केवल एक ही मामले से निपटना होता है।

चुनौतियाँ

- अविकसित 'टॉर्ट' प्रणाली
    - टॉर्ट कानून भारत में कई कारणों से पर्याप्त रूप से विकसित नहीं हुआ है, मुख्य रूप से मुकदमेबाज़ी की उच्च लागत और समय लेने वाली प्रकृति के कारण।
        - 'टॉर्ट कानून' उन कानूनों का एक समूह है, जो लोगों को उनके खिलाफ की गई गलतियों या अपराधों के लिये मुआवज़े की मांग करने में सक्षम बनाता है।
- आकस्मिक शुल्क का अभाव:
    - बार काउंसिल ऑफ इंडिया के नियम वकीलों को आकस्मिक शुल्क लेने की अनुमति नहीं देते हैं, यानी दावा करने वालों को केस जीतने पर मिलने वाले नुकसान का एक प्रतिशत।
    - यह वकीलों को अधिक समय लेने वाले मामलों में पेश होने से हतोत्साहित करता है, क्लास एक्शन सूट अनिवार्य रूप से काफी अधिक समय लेते हैं।
- वादियों के लिये थर्ड-पार्टी वित्तपोषण तंत्र का अभाव:
    - चूँकि मुकदमेबाज़ी की लागत अधिक होती है, इसलिये थर्ड-पार्टी को मुकदमेबाज़ी की लागत को प्रायोजित करने की अनुमति देकर क्लास एक्शन सूट को और अधिक सुगम बनाया जा सकता है।
        - ज्ञात हो कि महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और कर्नाटक जैसे कुछ राज्यों ने इसकी अनुमति देने के लिये नागरिक प्रक्रिया संहिता में बदलाव किये हैं।

आगे की राह

- भारत को जवाबदेही निर्धारित करने की दिशा में आगे बढ़ना चाहिये, ज्ञात हो कि इस अवधारणा को विकसित अर्थव्यवस्थाओं में काफी गंभीरता से लिया जाता है और यही उन्हें रोज़गार और व्यापार के लिये एक बेहतर स्थान बनाता है।

- ऐसे मामलों को उठाने के लिये वकीलों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिये, यह 'क्लास एक्शन सूट' को मुख्यधारा में लाने की दिशा में पहला कदम होगा।
- यदि भारत को 'इज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस' रैंकिंग में सुधार करना है, खास तौर पर आपदा रोकथाम और जीवन के जोखिम के क्षेत्र में, तो क्लास एक्शन सूट काफी महत्त्वपूर्ण हो सकता हैं।

मिशन कर्मयोगी के लिये विशेष प्रयोजन वाहन

चर्चा में क्यों?

हाल ही में अपने महत्त्वाकांक्षी "मिशन कर्मयोगी (Mission Karmayogi)" के माध्यम से प्रमुख नौकरशाही सुधार लाने में सरकार की मदद करने के लिये एक तीन सदस्यीय टास्क फोर्स का गठन किया गया है।

प्रमुख बिंदु

पृष्ठभूमि:

- केंद्र ने हाल ही में देश में सभी सिविल सेवाओं की भूमिका हेतु क्षमता विकास के लिये नियम आधारित प्रशिक्षण द्वारा परिवर्तनकारी बदलाव लाने हेतु 'सिविल सेवा क्षमता विकास के लिये राष्ट्रीय कार्यक्रम- मिशन कर्मयोगी (National Programme for Civil Services Capacity Building – Mission Karmayogi)' को मंज़ूरी दी है।
  - इस कार्यक्रम का उद्देश्य सरकारी सेवाओं के लिये नागरिक अनुभव को बढ़ाना और सक्षम कार्यबल की उपलब्धता में सुधार करना है।
- इस सक्षमता संचालित मिशन को प्रभावी ढंग से चलाने के लिये एक विशेष प्रयोजन वाहन (Special Purpose Vehicle- SPV) अर्थात् 'कर्मयोगी भारत' को एक गैर-लाभकारी कंपनी के रूप में स्थापित किया जाएगा।
  - इसे कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के तहत 100% सरकारी स्वामित्व वाली इकाई के रूप में स्थापित किया जाएगा।
  - SPV एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है और यह बुनियादी ढाँचे को डिज़ाइन करने, कार्यान्वयन, विकास और प्रबंधन, योग्यता मूल्यांकन सेवाओं का प्रबंधन तथा वितरण करने एवं टेलीमेट्री डेटा का शासनिक प्रबंधन और निगरानी व मूल्यांकन के प्रावधान सुनिश्चित करने के लिये ज़िम्मेदार होगा।
- टास्क फोर्स अपने विज़न, मिशन और कार्यों को रेखांकित करते हुए SPV की संगठनात्मक संरचना पर अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेगा।

मिशन कर्मयोगी के बारे में:

- लक्ष्य और उद्देश्य:
  - इसका उद्देश्य सही दृष्टिकोण, कौशल और ज्ञान के साथ भविष्य के लिये सिविल सेवा का निर्माण करना है, जो न्यू इंडिया की दृष्टि से जुड़ा हुआ है।
  - इसका उद्देश्य भारतीय सिविल सेवकों को और भी अधिक रचनात्मक, सृजनात्मक, विचारशील, नवाचारी, अधिक क्रियाशील, प्रगतिशील, ऊर्जावान, सक्षम, पारदर्शी तथा प्रौद्योगिकी समर्थ बनाते हुए भविष्य के लिये तैयार करना है।
- मिशन का कारण:
  - वर्तमान में नौकरशाही को नियम अभिविन्यास, राजनीतिक हस्तक्षेप जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।
  - सिविल सेवाओं की यथास्थिति को बदलने और लंबे समय से लंबित सिविल सेवा सुधारों को लागू करने के लिये।
- योजना की विशेषताएँ:
  - टेक-एडेड (Tech-Aided): क्षमता निर्माण प्रशिक्षण iGOT कर्मयोगी डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से दिया जाएगा जिसमें वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं से तैयार की गई सामग्री होगी।
  - कवरेज: लगभग 46 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को शामिल करने के लिये वर्ष 2020-2021 से लेकर 2024-25 तक (5 वर्षों की अवधि के दौरान) 510.86 करोड़ रुपए का व्यय किया जाएगा।

- नियमों से भूमिकाओं में बदलाव: यह कार्यक्रम "नियम-आधारित से भूमिका-आधारित (Rules-Based to Roles-Based)" मानव संसाधन प्रबंधन (Human Resource Management- HRM) का समर्थन करेगा ताकि पद की आवश्यकताओं के अनुरूप एक अधिकारी की दक्षता का मिलान करके कार्य आवंटन किया जा सके।
- एकीकृत पहल: अंतत: सेवा मामलों जैसे- परिवीक्षा अवधि के बाद पुष्टि, तैनाती, कार्य असाइनमेंट और रिक्तियों की अधिसूचना सभी को प्रस्तावित ढाँचे में एकीकृत किया जाएगा।

अन्य नौकरशाही सुधार:

- सरकार ने संयुक्त सचिव (JS) के स्तर पर नियुक्तियों के संबंध में शीर्ष नौकरशाही कैडर भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के आधिपत्य को समाप्त कर दिया है।
  - इसके बजाय भारतीय राजस्व सेवा, भारतीय लेखा और लेखा परीक्षा सेवा तथा भारतीय आर्थिक सेवा जैसे अन्य संवर्गों से भी पदों पर नियुक्तियाँ की गई हैं।
- इसी तरह केंद्र सरकार ने भी निजी क्षेत्र के कर्मियों के पार्श्व प्रेरण को प्रोत्साहित किया है।

चुनावी ट्रस्ट योजना, 2013

चर्चा में क्यों?

पहली बार चुनावी ट्रस्ट (चुनावी ट्रस्ट योजना, 2013 के तहत) ने चुनावी बॉण्ड के माध्यम से दान की घोषणा की है, हालाँकि चुनावी बॉण्ड योजना के तहत गारंटीकृत नाम न छापने का हवाला देते हुए धन प्राप्त करने वाले राजनीतिक दलों के नामों का खुलासा नहीं किया गया है।

- एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) के अनुसार, यह प्रथा 'इलेक्टोरल ट्रस्ट्स स्कीम, 2013 और आयकर नियम, 1962 की भावना के विरुद्ध है, जो ट्रस्टों के लिये योगदान देने वाले के बारे में प्रत्येक विवरण प्रस्तुत करना अनिवार्य बनाते हैं।
  - यदि चुनावी ट्रस्ट, बॉण्ड के माध्यम से दान करने की इस प्रथा को अपनाना शुरू कर देते हैं, तो यह पूर्णत: अनुचित होगा और इसमें तमाम गलत प्रथाएँ जैसे- पूर्ण गुमनामी, अनियंत्रित और असीमित धन, काले धन का मुक्त प्रवाह, भ्रष्टाचार, विदेशी धन, कॉर्पोरेट दान तथा हितों का टकराव आदि शामिल होंगी।

प्रमुख बिंदु

चुनावी ट्रस्ट योजना के बारे में

- चुनावी ट्रस्ट भारत में गठित एक गैर-लाभकारी संगठन है जो किसी भी व्यक्ति से व्यवस्थित रूप से योगदान प्राप्त करने का कार्य करता है।
- चुनावी ट्रस्ट भारत में अपेक्षाकृत नई अवधारणा है और यह देश में तेज़ी से हो रहे चुनावी पुनर्गठन का हिस्सा है।
- चुनावी ट्रस्ट योजना, 2013 को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) द्वारा अधिसूचित किया गया था।
  - चुनावी ट्रस्ट से संबंधित प्रावधान आयकर अधिनियम, 1961 और आयकर नियम, 1962 के तहत शामिल हैं।

उद्देश्य

- यह एक चुनावी ट्रस्ट को अनुमोदन प्रदान करने हेतु प्रक्रिया निर्धारित करता है, जो स्वैच्छिक योगदान प्राप्त करते हैं तथा इसे राजनीतिक दलों को वितरित करते हैं।
- जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29A के तहत पंजीकृत एक राजनीतिक दल इस योजना के तहत पात्र राजनीतिक दल होगा और एक चुनावी ट्रस्ट केवल पात्र राजनीतिक दलों को ही धन वितरित करेगा।

ट्रस्ट के अनुमोदन के लिये मानदंड

- एक चुनावी ट्रस्ट को अनुमोदित किया जाएगा यदि वह निम्नलिखित शर्तों को पूरा करता है:-
  - कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के प्रयोजनों के लिये पंजीकृत कंपनी।
  - चुनावी ट्रस्ट का उद्देश्य कोई लाभ अर्जित करना अथवा अपने सदस्यों या योगदानकर्त्ताओं को कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष लाभ देना नहीं होना चाहिये।

चुनावी ट्रस्टों में योगदान:

- स्वैच्छिक योगदान प्राप्त कर सकते हैं:
  - एक ऐसे व्यक्ति से जो भारत का नागरिक है;
  - ऐसी कंपनी से जो भारत में पंजीकृत है;
  - किसी फर्म या भारत में निवास कर रहे एक हिंदू अविभाजित परिवार या व्यक्तियों के एक संघ या व्यक्तियों के निकाय से।
- योगदान स्वीकार नहीं कर सकते:
  - ऐसे व्यक्ति से जो भारत का नागरिक नहीं है।
  - किसी अन्य चुनावी ट्रस्ट से जो कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के तहत एक कंपनी के रूप में पंजीकृत है और चुनावी ट्रस्ट योजना, 2013 के तहत चुनावी ट्रस्ट के रूप में अनुमोदित है;
  - कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 में परिभाषित किसी सरकारी कंपनी से;
  - किसी विदेशी स्रोत से, जैसा कि विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम, 2010 की धारा 2 में परिभाषित किया गया है।
- एक चुनावी ट्रस्ट केवल चेक, डिमांड ड्राफ्ट या बैंक खाते के माध्यम से हस्तांतरण द्वारा किये गए योगदान को ही स्वीकार कर सकता है।

अन्य बिंदु:

- चुनावी/इलेक्टोरल ट्रस्ट एक वर्ष में प्राप्त कुल योगदान का 5% तक खर्च कर सकता है, जिसकी कुल सीमा निगमन के पहले वर्ष में 5 लाख रुपए और बाद के वर्षों में 3 लाख रुपए होगी।
- ट्रस्ट पात्र राजनीतिक दल से एक रसीद प्राप्त करता है जिसमें राजनीतिक दल का नाम, उसकी स्थायी खाता संख्या आदि का उल्लेख होता है।
- ट्रस्ट को अपनी प्राप्तियों, वितरण एवं व्यय के संबंध में ऐसी लेखा बही और अन्य दस्तावेज़ों को रखना तथा उनका अनुरक्षण करना आवश्यक है।

योजना का महत्त्व:

- चुनावी ट्रस्टों को कॉरपोरेट संस्थाओं द्वारा राजनीतिक दलों को उनके चुनाव संबंधी खर्चों के लिये उपलब्ध कराए गए फंड में अधिक पारदर्शिता लाने के लिये अभिकल्पित किया गया है।
- निर्वाचन आयोग ने पारदर्शिता के हित में चुनावी ट्रस्टों द्वारा प्राप्त और राजनीतिक दलों को उनके द्वारा वितरित किये गए योगदान के विवरण संबंधी वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिये चुनावी ट्रस्टों की योगदान रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु दिशा-निर्देश भी जारी किये थे।

चुनावी बॉण्ड

- चुनावी बॉण्ड राजनीतिक दलों को दान देने हेतु एक वित्तीय साधन है।
- चुनावी बॉण्ड बिना किसी अधिकतम सीमा के 1,000 रुपए, 10,000 रुपए, 1 लाख रुपए, 10 लाख रुपए और 1 करोड़ रुपए के गुणकों में जारी किये जाते हैं।
- भारतीय स्टेट बैंक इन बॉण्डों को जारी करने और भुनाने (Encash) के लिये अधिकृत बैंक है, ये बॉण्ड जारी करने की तारीख से पंद्रह दिनों तक वैध रहते हैं।
- यह बॉण्ड एक पंजीकृत राजनीतिक पार्टी के निर्दिष्ट खाते में प्रतिदेय होता है।
- बॉण्ड किसी भी व्यक्ति (जो भारत का नागरिक है) द्वारा जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्तूबर के महीनों में प्रत्येक दस दिनों की अवधि हेतु खरीद के लिये उपलब्ध होते हैं, जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट किया गया है।
  - एक व्यक्ति या तो अकेले या अन्य व्यक्तियों के साथ संयुक्त रूप से बॉण्ड खरीद सकता है।
  - बॉण्ड पर दाता के नाम का उल्लेख नहीं किया जाता है।

भगोड़ा आर्थिक अपराधी

चर्चा में क्यों?

प्रवर्तन निदेशालय ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को ₹8,441.50 करोड़ की संपत्ति हस्तांतरित की है, विजय माल्या, नीरव मोदी तथा मेहुल चौकसी द्वारा कथित तौर पर की गई धोखाधड़ी के कारण ₹22,585.83 करोड़ का नुकसान हुआ है।

- इन तीनों को धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत मुंबई के विशेष न्यायालय द्वारा 'भगोड़ा आर्थिक अपराधी (FEO)' घोषित किया गया है।
- तीनों आरोपियों के खिलाफ यूनाइटेड किंगडम (UK), एंटीगुआ और बारबुडा में प्रत्यर्पण (Extradition) अनुरोध भी दायर किये गए हैं।

प्रमुख बिंदु

भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम, 2018:

- परिचय : यह उन आर्थिक अपराधियों की संपत्तियों को ज़ब्त करने का प्रयास करता है, जिन्होंने आपराधिक मुकदमे का सामना करने से बचने के लिये देश छोड़ दिया है या अभियोजन का सामना करने के लिये देश लौटने से इनकार कर दिया है।
- भगोड़ा आर्थिक अपराधी (FEO) : एक ऐसा व्यक्ति जिसके खिलाफ अनुसूची में दर्ज किसी अपराध के संबंध में गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है और इस अपराध का मूल्य कम-से-कम 100 करोड़ रुपए है।
- अधिनियम में सूचीबद्ध कुछ अपराध हैं:
  - नकली सरकारी स्टाम्प या करेंसी बनाना,
  - चेक अस्वीकृत करना
  - मनी लॉन्ड्रिंग
  - क्रेडिटर्स के साथ धोखाधड़ी वाले लेनदेन करना,

भगोड़े आर्थिक अपराधी की घोषणा:

- आवेदन पर सुनवाई के बाद एक विशेष अदालत (PMLA, 2002 के तहत नामित) किसी व्यक्ति को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित कर सकती है।
- विशेष अदालत भारत या विदेश में अपराध की आय से खरीदी गई संपत्तियों, बेनामी संपत्तियों और अन्य संपत्तियों को ज़ब्त कर सकती है।
- ज़ब्त होने के पश्चात् संपत्ति के सभी अधिकार और शीर्षक केंद्र सरकार में निहित होंगे, जो किसी भी भार से मुक्त होंगे (जैसे कि संपत्ति पर कोई शुल्क)।
- केंद्र सरकार इन संपत्तियों के प्रबंधन और निपटान के लिये एक प्रशासक नियुक्त कर सकती है।

सिविल दावे दायर करने या बचाव करने पर प्रतिबंध :

- अधिनियम किसी भी सिविल कोर्ट या ट्रिब्यूनल को एक घोषित भगोड़े आर्थिक अपराधी को किसी भी नागरिक दावे को दाखिल करने या बचाव करने से प्रतिबंधित करने की अनुमति देता है।
- इसके अतिरिक्त बिल अदालतों को अनुमति देता है कि वे किसी कंपनी या सीमित देयता भागीदारी का दावा करने या सफाई देने से प्रतिबंधित कर सकती हैं जिनके प्रमोटर, मुख्य प्रबंधन अधिकारी या मुख्य शेयर होल्डर को FEO घोषित किया गया है।
- जब तक आवेदन विशेष न्यायालय के समक्ष लंबित है, अधिकारी किसी आरोपी की संपत्ति को अनंतिम रूप से कुर्क/नीलामी कर सकते हैं।

शक्तियाँ :

- PMLA, 2002 के तहत प्राधिकरण भगोड़े आर्थिक अपराधी अधिनियम के तहत उन्हें दी गई शक्तियों का प्रयोग करेंगे।
- ये शक्तियाँ एक सिविल कोर्ट के समान होंगी, जिसमें रिकॉर्ड या अपराध से आय प्राप्त वाले व्यक्तियों के परिसर की इस विश्वास के साथ तलाशी लेना कि एक व्यक्ति एक FEO है जिसमें दस्तावेज़ो की जब्ती शामिल है।

नोट :

धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) :

- मनी लॉन्ड्रिंग :
  - मनी लॉन्ड्रिंग का अभिप्राय अवैध रूप से अर्जित आय को छिपाना या बदलना है ताकि वह वैध स्रोतों से उत्पन्न प्रतीत हों। यह अक्सर मादक पदार्थों की तस्करी, डकैती या ज़बरन वसूली जैसे अन्य गंभीर अपराधों का एक घटक है।
  - अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के अनुसार, वैश्विक मनी लॉन्ड्रिंग का अनुमान विश्व जीडीपी के 2 से 5% के बीच है।

मुख्य विशेषताएँ :

- मनी लॉन्ड्रिंग के लिये दंड:
  - मनी लॉन्ड्रिंग में न्यूनतम 3 वर्ष तथा अधिकतम 7 वर्ष का कठोर कारावास एवं जुर्माना हो सकता है।
  - यदि अपराध नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (NDPS) एक्ट, 1985 के अंतर्गत शामिल है, तो जुर्माने के साथ 10 साल तक की सज़ा हो सकती है।
- भ्रष्ट संपत्ति की कुर्की की शक्तियाँ:
  - भ्रष्ट संपत्ति को "अपराध की आय" माना जाता है और इसे 180 दिनों के लिये अस्थायी रूप से संलग्न किया जा सकता है। इस तरह के आदेश की पुष्टि एक स्वतंत्र न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा की जानी चाहिये।
- प्रवर्तन निदेशालय (ED) PMLA के तहत अपराधों की जाँच के लिये ज़िम्मेदार है।
  - इसके अतिरिक्त फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट - इंडिया (FIU-IND) राष्ट्रीय एजेंसी है जिसे संदिग्ध वित्तीय लेनदेन से संबंधित जानकारी प्राप्त करने, विश्लेषण और प्रसार के लिये स्थापित किया गया था।
- सबूतों का भार : एक व्यक्ति, जिस पर मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध करने का आरोप है, को यह साबित करना होगा कि अपराध की कथित आय वास्तव में वैध संपत्ति है।

प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate)

- प्रवर्तन निदेशालय (ED), भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अधीन एक विशेष वित्तीय जाँच एजेंसी है।
- इस निदेशालय की उत्पत्ति 1 मई, 1956 को हुई, जब विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1947 (फेरा '47) के तहत विनिमय नियंत्रण कानून के उल्लंघन से निपटने के लिये आर्थिक मामलों के विभाग में एक 'प्रवर्तन इकाई' का गठन किया गया।
  - वर्ष 1957 में इस इकाई का नाम बदलकर 'प्रवर्तन निदेशालय' कर दिया गया
- ED निम्नलिखित कानूनों को लागू करता है:
  - विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (FEMA)
  - धन शोधन निवारण अधिनियम,2002 (PMLA)

वन क्षेत्रों का LiDAR आधारित सर्वेक्षण

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने एक आभासी कार्यक्रम में 10 राज्यों में वन क्षेत्रों के लिडार (Light Detection and Ranging- LiDAR) आधारित सर्वेक्षण की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPRs) जारी की।

- ये 10 राज्य असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, नगालैंड और त्रिपुरा हैं।

प्रमुख बिंदु:

वन क्षेत्र की सर्वेक्षण परियोजना:

- इस परियोजना को 26 राज्यों में कुल 261897 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में कार्यान्वित करने के लिये जुलाई 2020 में कुल 18.38 करोड़ रुपए की लागत के साथ वापकोस (WAPCOS) को सौंपा गया था।
  - WAPCOS जल शक्ति मंत्रालय के तहत एक मिनी रत्न सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम (PSU) है।

नोट :

- यह अपनी तरह का पहला और LiDAR तकनीक का उपयोग करने वाला एक अनूठा प्रयोग है जो वन क्षेत्रों में जल और चारे को बढ़ाने में मदद करेगा जिससे मानव-पशु संघर्ष को कम किया जा सकेगा।
  - LiDAR तकनीक में 90% सटीकता पाई गई है।
- राज्यों को इस परियोजना में उपयोग करने के लिये प्रतिपूरक वनीकरण प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण (Compensatory Afforestation Management and Planning Authority- CAMPA) निधि दी जाएगी।
  - CAMPA का उद्देश्य वनीकरण और पुनर्जनन गतिविधियों को बढ़ावा देना है ताकि गैर-वन उपयोगों हेतु आवंटित वन भूमि की क्षतिपूर्ति की जा सके।
  - CAMPA की स्थापना प्रतिपूरक वनीकरण कोष (CAF) के प्रबंधन के लिये की गई थी और यह CAMPA कोष के संरक्षक के रूप में कार्य करता है।
- WAPCOS ने राज्य वन विभागों की भागीदारी के साथ इन राज्यों में वन ब्लॉक के भीतर एक बड़े टीले की पहचान करने के साथ विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने और स्थान विशेष के भूगोल, उसकी स्थलाकृति तथा वहाँ की मृदा की विशेषताओं के अनुरूप मृदा एवं जल संरक्षण की उपयुक्त एवं व्यावहारिक सूक्ष्म संरचनाओं के निर्माण के लिये स्थानों व संरचनाओं की पहचान करने के उद्देश्य से प्रत्येक राज्य में 10,000 हेक्टेयर के औसत क्षेत्रफल की भूमि का चयन किया है।
  - राज्यों/केंद्र-शासित प्रदेशों ने वन ब्लॉक के अंदर एक बड़े टीले की पहचान इस मानदंड के साथ की है कि चयनित क्षेत्र में राज्य की औसत वर्षा होनी चाहिये।

महत्त्व:

- मानव-पशु संघर्ष को कम करने के अलावा यह हमें उन क्षेत्रों की पहचान करने में मदद करेगा, जिन्हें भूजल पुनर्भरण की आवश्यकता है, जिससे स्थानीय समुदायों को मदद मिलेगी।
- यह वर्षा जल संचरण में मदद करेगा और उसके बहाव को रोकेगा, जिससे भूजल को रिचार्ज करने में मदद मिलेगी।
- WAPCOS ने लिडार तकनीक का उपयोग करके इन DPR को तैयार किया है, जिसमें 3-डी (त्रि-आयामी) डिजिटल एलिवेशन मॉडल (DEM), इमेजरी और परियोजना क्षेत्रों की परतों का उपयोग एनीकट, गेबियन, गली प्लग, लघु अंत:स्त्रवण टंकी, अंत:स्त्रवण टंकी, खेतों की मेंड़, धँसे हुए तालाब, खेती वाले तालाब आदि जैसी विभिन्न प्रकार की मृदा और जल संरक्षण संरचनाओं की सिफारिश करने के लिये किया जाता है।

लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग (LiDAR)

परिचय:

- यह सुदूर संवेदन प्रौद्योगिकी है जो दूरी के मापन के लिये लक्ष्य पर लेज़र प्रकाश भेजता है और परावर्तित प्रकाश का विश्लेषण करता है।
- वायुजनित प्रणाली द्वारा दर्ज किये गए अन्य डेटा के साथ-साथ यह संयुक्त प्रकाश स्पंद पृथ्वी के आकार और इसकी सतह की विशेषताओं के बारे में सटीक, त्रि-आयामी जानकारी प्रदान करता है।
- LiDAR उपकरण में मुख्य रूप से एक लेज़र, एक स्कैनर और एक विशेष ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (Global Positioning System- GPS) रिसीवर होता है।
  - व्यापक क्षेत्रों में LiDAR से डेटा प्राप्त करने के लिये हवाई जहाज़ और हेलीकॉप्टर का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है।
- LiDAR एक साधारण सिद्धांत का पालन करता है जो पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु पर लेज़र लाइट डालता है और LiDAR स्रोत पर लौटने में लगने वाले समय की गणना करता है।
  - प्रकाश जिस गति से यात्रा करता है (लगभग 186,000 मील प्रति सेकंड) उसको देखते हुए LiDAR के माध्यम से सटीक दूरी को मापने की प्रक्रिया अविश्वसनीय रूप से तेज़ प्रतीत होती है।

अनुप्रयोग:

- लिडार का उपयोग आमतौर पर सर्वेक्षण, भूगणित, भू-विज्ञान, पुरातत्त्व, भूगोल, भूविज्ञान, भू-आकृति विज्ञान (Geomorphology), भूकंप विज्ञान, वानिकी, वायुमंडलीय भौतिकी, लेज़र मार्गदर्शन, हवाई लेज़र स्वाथ मैपिंग (Airborne Laser Swath Mapping- ALSM) और लेज़र अल्टीमेट्री में अनुप्रयोगों के साथ उच्च-रिज़ॉल्यूशन मानचित्र के लिये किया जाता है।

नोट :

परिवर्तनकारी शहरी मिशनों के 6 वर्ष

चर्चा में क्यों?

हाल ही में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (MoHUA) ने तीन परिवर्तनकारी शहरी मिशनों [स्मार्ट सिटीज़ मिशन (SCM), अटल शहरी कायाकल्प और शहरी परिवर्तन मिशन (AMRUT) तथा प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (PMAY-U)] के छह वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में एक ऑनलाइन कार्यक्रम का आयोजन किया।

- यह दिन MoHUA के एक स्वायत्त निकाय, शहरी मामलों के राष्ट्रीय संस्थान (National Institute of Urban Affairs) की स्थापना के 45 वर्षों को भी चिह्नित करता है, जिसे शहरीकरण से संबंधित मुद्दों पर अनुसंधान और अभ्यास के बीच की खाई को पाटने का कार्य सौंपा गया है।

प्रमुख बिंदु:

प्रगति/उपलब्धियाँ:

- प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (PMAY-U):
  - इसके अंतर्गत कुल 1.12 करोड़ आवास स्वीकृत किये गए हैं, जिनमें से 82.5 लाख घरों के निर्माण के लिये आधार तैयार किये जा चुके हैं और लगभग 48 लाख घरों का काम पूरा हो चुका है।
  - PMAY-U की क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना (Credit Linked Subsidy Scheme- CLSS) से 16 लाख परिवार लाभान्वित हुए।
  - PMAY-U के तहत सरकारी निवेश ने लगभग 689 करोड़ व्यक्ति दिवस का रोज़गार सृजित किया, जो लगभग 246 लाख रोज़गारों में तब्दील हो गया।
  - शहरी प्रवासियों/गरीबों के लिये PMAY-U के तहत एफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्पलेक्सेज़ योजना को ज़मीनी स्तर पर उल्लेखनीय प्रतिक्रिया मिली है।
- अटल शहरी कायाकल्प और शहरी परिवर्तन मिशन (AMRUT):
  - अमृत मिशन के तहत अब तक 1.05 करोड़ घरेलू नल कनेक्शन और 78 लाख सीवर /सेप्टेज़ कनेक्शन प्रदान किये गए हैं।
  - लगभग 88 लाख स्ट्रीट लाइटों को ऊर्जा दक्ष एलईडी लाइटों से बदला गया जिससे ऊर्जा की बचत हुई।
  - ऊर्जा एवं संसाधन संस्थान (TERI) के अनुसार, अमृत के तहत विभिन्न पहलों के माध्यम से 84.6 लाख टन कार्बन फुटप्रिंट को कम किया गया।
- स्मार्ट सिटीज़ मिशन (SCM):
  - स्मार्ट सिटी मिशन के तहत 70 शहरों ने एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्रों (ICCCs) का विकास और संचालन किया है।

आयोजन के दौरान महत्त्वपूर्ण लॉन्च/रिलीज़:

इंडिया स्मार्ट सिटीज़ अवाड्र्स 2020

- ये पुरस्कार सामाजिक पहलू, शासन, संस्कृति, शहरी पर्यावरण, स्वच्छता, अर्थव्यवस्था, जल, शहरी गतिशीलता से संबंधित विभिन्न विषयों पर दिये गए।
- इस वर्ष ICCC के सस्टेनेबल बिज़नेस मॉडल और इनोवेशन अवार्ड विशेष रूप से कोविड प्रबंधन के मामले में कुछ दिलचस्प थीम भी शामिल किये गए।
- इंदौर और सूरत ने अपने समग्र विकास के लिये इस वर्ष संयुक्त रूप से सिटी अवार्ड जीता, जबकि उत्तर प्रदेश ने स्टेट श्रेणी में अवार्ड जीता।

क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज़ असेसमेंट फ्रेमवर्क 2.0

- भारत में शहरी जलवायु कार्यप्रणाली को तैयार करने, लागू करने और निगरानी करने के लिये एक व्यापक रोडमैप प्रदान करने के उद्देश्य से सितंबर 2020 में लॉन्च किया गया था।

- इसमें बेहतर प्रदर्शन करने वाले शीर्ष 9 शहरों में सूरत, इंदौर, अहमदाबाद, पुणे, विजयवाड़ा, राजकोट, विशाखापत्तनम, पिंपरी-चिंचवाड़ और वडोदरा शामिल हैं।

स्मार्ट सिटी के तहत आईसीटी पहल

- ICCC परिपक्वता आकलन फ्रेमवर्क
    - यह नागरिकों को बेहतर सेवाएँ प्रदान करने के लिये शहरों को अपने ICCCs में सुधार हेतु महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों की पहचान करने में मदद करने के लिये एक स्व-मूल्यांकन टूल किट है।
- स्मार्ट सिटी आईसीटी मानक
    - ये मानक एक स्मार्ट सिटी में मौजूद बहु-विक्रेता, बहु-नेटवर्क और बहु-सेवा वातावरण में उत्पादों के बीच अंतर-संचालन की सुविधा प्रदान करेंगे।
    - यह भारतीय मानक ब्यूरो (BSI) द्वारा आयोजित किया जाता है।
- इंडिया स्मार्ट सिटी फेलोशिप प्रोग्राम:
    - भारत के शहरी भविष्य के डिज़ाइन में युवा नेतृत्त्व और जीवंतता को बढ़ावा देना।
- 'ट्यूलिप-द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम' रिपोर्ट:
    - यह भारतीय शहरों के लिये नवीन समाधान विकसित करने हेतु स्नातकों को शहरी स्थानीय निकायों और स्मार्ट शहरों से जोड़ने का एक मंच है।
- CITIIS- नॉलेज प्रोडक्ट
    - इसे वर्ष 2018 में 'फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी' और 'यूरोपीय संघ' के साथ साझेदारी में लॉन्च किया गया।
    - इसमें परियोजनाओं को विकसित करने एवं शहरी बुनियादी अवसंरचना में स्थिरता एवं नवाचार के एजेंडे को आगे बढ़ाने हेतु एक नया दृष्टिकोण अपनाया गया है।

स्मार्ट सिटी मिशन (Smart City Mission)

- परिचय : यह भारत सरकार के आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के तहत एक अभिनव पहल है, जिसे नागरिकों के लिये स्मार्ट परिणाम प्राप्त करने के साधन के रूप में स्थानीय विकास और दोहन प्रौद्योगिकी को सक्षम करके आर्थिक विकास को बढ़ावा देने तथा लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने हेतु क्रियान्वित किया जा रहा है।
- उद्देश्य : इसका उद्देश्य उन शहरों को बढ़ावा देना है जो मूल बुनियादी ढाँचा प्रदान करते हैं और अपने नागरिकों को स्वच्छ एवं टिकाऊ वातावरण तथा 'स्मार्ट' समाधान के अनुप्रयोग द्वारा अच्छी गुणवत्ता युक्त जीवन प्रदान करते हैं।
- फोकस : सतत् और समावेशी विकास तथा कॉम्पैक्ट क्षेत्रों पर प्रभाव को देखने के लिये एक प्रतिकृति मॉडल का निर्माण करना जो अन्य महत्त्वाकांक्षी शहरों हेतु एक प्रकाश स्तंभ के रूप में कार्य करेगा।
- एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र (ICCC) एक समेकित तरीके से बेहतर स्थितिजन्य जागरूकता के साथ वास्तविक समय डेटा संचालन संबंधित निर्णय लेने हेतु मानकीकृत शहरों को न्यूनतम और अधिकतम डेटा से लैस करता है। ICCC से नागरिकों के दैनिक जीवन में सकारात्मक प्रभाव लाने पर ध्यान केंद्रित करते हुए विशिष्ट परिणाम देने की अपेक्षा की जाती है।

अमृत मिशन (AMRUT Mission)

- शुरु: जून 2015
- संबंधित मंत्रालय : आवास और शहरी कार्य मंत्रालय
- उद्देश्य :
    - यह सुनिश्चित करना कि हर घर में पानी की आपूर्ति और सीवरेज कनेक्शन के साथ नल की व्यवस्था हो।
    - हरियाली और पार्कों जैसे खुले स्थानों को अच्छी तरह से विकसित करके AMRUT जीवन की बेहतर एवं स्वस्थ गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिये बुनियादी नागरिक सुविधाओं में वृद्धि करता है।

नोट :

- गैर-मोटर चालित परिवहन (जैसे पैदल चलना और साइकिल चलाना) द्वारा सार्वजनिक परिवहन या निर्माण सुविधाओं के परिणामस्वरूप प्रदूषण को कम करना।

प्रधानमंत्री आवास योजना- शहरी

- लॉन्च: इसे 25 जून, 2015 को लॉन्च किया गया था और इसका उद्देश्य वर्ष 2022 तक शहरी क्षेत्रों में सभी के लिये आवास उपलब्ध कराना है।
- क्रियान्वयन मंत्रालय: आवास एवं शहरी मामलों का मंत्रालय
- विशेषताएँ
    - यह योजना पात्र शहरी गरीबों के लिये पक्का घर सुनिश्चित करके झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले लोगों समेत शहरी गरीबों के बीच शहरी आवास की कमी को दूर करती है।
    - इस मिशन के तहत संपूर्ण भारत के शहरी क्षेत्र को कवर किया गया है, जिसमें सांविधिक शहर, अधिसूचित योजना क्षेत्र, विकास प्राधिकरण, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, औद्योगिक विकास प्राधिकरण या राज्य कानून के तहत ऐसा कोई प्राधिकरण शामिल है जिसे शहरी नियोजन और विनियम के तहत कार्य सौंपा गया है।

नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस

चर्चा में क्यों?

हाल ही में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (Ministry of Social Justice and Empowerment) ने 26 जून को नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस (International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking) के अवसर पर नशा मुक्त भारत अभियान (Nasha Mukt Bharat Abhiyaan-NMBA) हेतु वेबसाइट लॉन्च की है।

- सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय नशीली दवाओं की मांग में कमी लाने हेतु नोडल मंत्रालय है, जो देश भर में नशीली दवाओं के दुरुपयोग की रोकथाम के लिये विभिन्न कार्यक्रमों को लागू करता है।

प्रमुख बिंदु:

- नशीली दवाओं के दुरुपयोग से मुक्त विश्व के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु कार्रवाई और सहयोग को मज़बूत करने के लिये संयुक्त राष्ट्र (United Nations- UN) महासभा ने दिसंबर 1987 में 26 जून को नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में चिह्नित करने का निर्णय लिया।
- वर्ष 2021 की थीम:
    - शेयर ड्रग्स फैक्ट्स टू सेव लाइव्स (Share Drug Facts to Save Lives)
- संबंधित पहल:
    - सिंगल कन्वेंशन ऑन नारकोटिक्स ड्रग्स, 1961
    - कन्वेंशन ऑन साइकोट्रोपिक सब्सटेंस-1971
    - कन्वेंशन ऑन इलीसिट ट्रैफिक ऑन नारकोटिक ड्रग्स एँड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस, 1988
        - भारत इन तीनों का हस्ताक्षरकर्त्ता देश है और इसने नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (NDPS) अधिनियम, 1985 को अधिनियमित किया है।
    - प्रत्येक वर्ष संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट (World Drug Report) का प्रकाशन किया जाता है।

भारतीय पहल

- नशा मुक्त भारत अभियान/ड्रग्स मुक्त भारत अभियान:

- विभिन्न स्रोतों से उपलब्ध आँकड़ों के आधार पर 15 अगस्त, 2020 को देश के 272 ज़िलों में (स्वतंत्रता दिवस) नशा मुक्त भारत अभियान/ड्रग्स मुक्त भारत अभियान को शुरू किया गया था।
- अभियान का मुख्य ध्येय नशे की समस्या के निवारक के रूप में कार्य करना, लोगों को नशे की लत के बारे में जागरूक करना, इस अभियान से जुड़े विभिन्न लोगों और संस्थाओं का क्षमता निर्माण, शैक्षणिक संस्थानों के साथ सकारात्मक साझेदारी तथा उपचार, पुनर्वास एवं परामर्श सुविधाओं में वृद्धि करना है।

- नशीली दवाओं की मांग में कमी हेतु राष्ट्रीय कार्ययोजना:
  - सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने वर्ष 2018-2025 की अवधि के लिये नशीली दवाओं की मांग में कमी लाने हेतु राष्ट्रीय कार्ययोजना (National Action Plan for Drug Demand Reduction- NAPDDR) का कार्यान्वयन शुरू किया है।
  - इसका उद्देश्य शिक्षा, नशा मुक्ति और प्रभावित व्यक्तियों तथा उनके परिवारों के पुनर्वास को शामिल करते हुए एक बहु-आयामी रणनीति के माध्यम से नशीली दवाओं के दुरुपयोग के प्रतिकूल परिणामों को कम करना है।
  - यह केंद्र और राज्य सरकारों एवं गैर-सरकारी संगठनों के सहयोगात्मक प्रयासों के माध्यम से नशा मुक्ति निवारक शिक्षा, जागरूकता पैदा करने, नशीली दवाओं पर निर्भर व्यक्तियों की पहचान करने, परामर्श, उपचार और पुनर्वास एवं सेवा प्रदाताओं के प्रशिक्षण व क्षमता निर्माण पर केंद्रित है।
    - देश भर में 500 से अधिक स्वैच्छिक संगठन हैं, जिन्हें NAPDDR योजना के तहत आर्थिक रूप से सहायता प्रदान की जाती है।

बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय

चर्चा में क्यों?

27 जून को भारतीय प्रधानमंत्री ने ऋषि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय (Bankim Chandra Chattopadhyay) को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी।

प्रमुख बिंदु:

परिचय:

- वह भारत के महान उपन्यासकारों और कवियों में से एक थे।
- उनका जन्म 27 जून, 1838 को उत्तर 24 परगना, नैहाटी, वर्तमान पश्चिम बंगाल के कंठपुरा गाँव में हुआ था।
- उन्होंने संस्कृत में वंदे मातरम गीत की रचना की जिसने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान लोगों के लिये प्रेरणास्रोत का कार्य किया।
- वर्ष 1857 में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के खिलाफ एक मज़बूत विद्रोह हुआ परंतु बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपनी पढ़ाई जारी रखी और वर्ष 1859 में बी.ए. की परीक्षा पास की।
  - कलकत्ता के उपराज्यपाल ने उसी वर्ष बंकिम चंद्र चटर्जी को डिप्टी कलेक्टर नियुक्त किया।
- वह बत्तीस वर्षों तक सरकारी सेवा में कार्यरत रहे और वर्ष 1891 में सेवानिवृत्त हुए।
- 8 अप्रैल, 1894 को उनका निधन हो गया।

भारत के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान:

- उनका महाकाव्य उपन्यास आनंदमठ, संन्यासी विद्रोह (1770-1820) की पृष्ठभूमि से प्रभावित था।
  - उन्होंने अपने साहित्यिक अभियान के माध्यम से बंगाल के लोगों को बौद्धिक रूप से प्रेरित किया।
  - भारत को अपना राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम आनंदमठ से मिला।
- उन्होंने वर्ष 1872 में एक मासिक साहित्यिक पत्रिका, बंगदर्शन की भी शुरुआत की, जिसके माध्यम से बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को एक बंगाली पहचान और राष्ट्रवाद के उद्भव को प्रभावित करने का श्रेय दिया जाता है।

- बंकिम चंद्र चाहते थे कि यह पत्रिका शिक्षित और अशिक्षित वर्गों के बीच संचार के माध्यम के रूप में कार्य करे।
- 1880 के दशक के अंत में पत्रिका का प्रकाशन बंद कर दिया गया परंतु वर्ष 1901 में रवींद्रनाथ टैगोर के संपादक बनने के बाद इसे फिर से शुरू किया गया।
- हालाँकि इसने टैगोर के लेखन को उनके पहले पूर्ण उपन्यास चोखेर बाली सहित 'नया' बंगदर्शन की राष्ट्रवादी भावना का पोषण करते हुए अपने मूल दर्शन को बरकरार रखा।
- बंगाल विभाजन (वर्ष 1905) के दौरान पत्रिका ने विरोध और असंतोष की आवाज़ को एक आधार देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। टैगोर का अमार सोनार बांग्ला बांग्लादेश का राष्ट्रगान तब पहली बार बंगदर्शन में प्रकाशित हुआ था।

अन्य साहित्यिक योगदान:

- उन्होंने संस्कृत का अध्ययन किया था और वह इस विषय में बहुत रुचि रखते थे, लेकिन बाद में बंगाली भाषा को जनता की भाषा बनाने की ज़िम्मेदारी ली। हालाँकि उनका पहला प्रकाशित काम एक उपन्यास है जो अंग्रेज़ी में था।
- उनके प्रसिद्ध उपन्यासों में कपालकुंडला (Kapalkundala) 1866, देवी चौधुरानी (Debi Choudhurani), बिशाब्रीक्षा (द पॉइज़न ट्री), चंद्रशेखर (1877), राजमोहन की पत्नी और कृष्णकांतर विल शामिल हैं।

संन्यासी विद्रोह

- संन्यासी विद्रोह बंगाल में वर्ष 1770-1820 के बीच हुआ था।
- बंगाल में वर्ष 1770 के भीषण अकाल के बाद संन्यासी विद्रोह शुरू हुआ जिससे घोर अराजकता और दुर्दशा उत्पन्न हुई।
- हालाँकि विद्रोह का तात्कालिक कारण हिंदुओं और मुसलमानों दोनों के पवित्र स्थानों हेतु जाने वाले तीर्थयात्रियों पर अंग्रेज़ो द्वारा लगाए गए प्रतिबंध थे।

गुजरात निषेध कानून

चर्चा में क्यों?

हाल ही में गुजरात निषेध अधिनियम, 1949 को बॉम्बे निषेध अधिनियम के रूप में लागू होने के सात दशक से अधिक समय बाद गुजरात उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई है।

- गुजरात निषेध अधिनियम, 1949 के तहत राज्य में शराब के निर्माण, बिक्री और खपत पर प्रतिबंध को 'मनमानापन' और 'निजता के अधिकार' के उल्लंघन के आधार पर चुनौती दी गई है।

प्रमुख बिंदु:

पृष्ठभूमि:

- बॉम्बे आबकारी अधिनियम, 1878: शराब निषेध का पहला संकेत बॉम्बे आबकारी अधिनियम, 1878 (बॉम्बे प्रांत में) के माध्यम से प्राप्त होता है।
    - यह अधिनियम वर्ष 1939 और 1947 में किये गए संशोधनों के माध्यम से अन्य बातों तथा मद्य निषेध के पहलुओं के अलावा नशीले पदार्थों पर शुल्क लगाने से संबंधित था।
- बॉम्बे निषेध अधिनियम,1949: बॉम्बे आबकारी अधिनियम 1878 में शराबबंदी लागू करने के सरकार के फैसले के दृष्टिकोण में "कई खामियाँ" थीं।
    - इसके कारण बॉम्बे प्रोहिबिशन एक्ट,1949 लाया गया।
    - सर्वोच्च न्यायालय (SC) ने वर्ष 1951 में 'बॉम्बे राज्य और अन्य बनाम एफएन बलसरा' के फैसले में कुछ धाराओं को छोड़कर अधिनियम को व्यापक रूप से बरकरार रखा।

नोट :

- गुजरात निषेध अधिनियम, 1949:
  - वर्ष 1960 में बॉम्बे प्रांत के महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों में पुनर्गठन के बाद विशेष रूप से वर्ष 1963 में महाराष्ट्र राज्य में निरंतर संशोधन एवं उदारीकरण जारी रहा।
    - कानून के उदारीकरण का आधार अवैध शराब के कारोबार पर लगाम लगाना था।
  - गुजरात ने वर्ष 1960 में शराबबंदी नीति को अपनाया और बाद में इसे और अधिक कठोरता के साथ लागू करने का विकल्प चुना, लेकिन विदेशी पर्यटकों तथा आगंतुकों के लिये शराब का परमिट प्राप्त करने की प्रक्रिया को भी आसान बना दिया।
  - वर्ष 2011 में अधिनियम का नाम बदलकर गुजरात निषेध अधिनियम कर दिया गया। वर्ष 2017 में गुजरात निषेध (संशोधन) अधिनियम को इस राज्य में शराब के निर्माण, खरीद, बिक्री करने और इसके परिवहन पर दस साल तक की जेल के प्रावधान के साथ पारित किया गया।

अधिनियम को चुनौती देने काआधार:

- निजता का अधिकार: किसी व्यक्ति के भोजन और पेय पदार्थ के चुनाव के अधिकार में राज्य द्वारा कोई भी अतिक्रमण एक अनुचित प्रतिबंध है और व्यक्ति की निर्णय लेने की क्षमता एवं स्वायत्तता को नष्ट करता है।
- वर्ष 2017 के बाद से सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गए विभिन्न निर्णयों में 'निजता के अधिकार' को मौलिक अधिकार के रूप में स्थापित किया गया है।
- स्पष्ट मनमानी अथवा निरंकुशता: राज्य के बाहर के पर्यटकों को स्वास्थ्य परमिट और अस्थायी परमिट देने से संबंधित प्रावधानों को चुनौती देते हुए इस अधिनियम की मनमानी प्रकृति को रेखांकित किया गया है।
  - याचिकाकर्त्ता का मानना है कि अधिनियम के प्रावधानों के माध्यम से राज्य द्वारा लोगों को वर्गों में विभाजित किया जा रहा है कि कौन राज्य में शराब का सेवन कर सकता है और कौन नहीं, जो कि संविधान के अनुच्छेद-14 के तहत समानता के अधिकार का स्पष्ट उल्लंघन है।

प्रतिबंध के पक्ष में तर्क

- हिंसा की भावना को बढ़ाना: विभिन्न शोधों और अध्ययनों से पता चला है कि शराब हिंसा की भावना को बढ़ावा देती है।
  - महिलाओं और बच्चों के खिलाफ घरेलू हिंसा के अधिकांश अपराधों के कारणों को शराब की लत में खोजा जा सकता है।
- राज्य का संवैधानिक दायित्व: समर्थकों का मानना है कि इस कानून को चुनौती देना, 'लोगों के स्वास्थ्य एवं जीवन की रक्षा करने के राज्य के प्राथमिक कर्तव्य के संवैधानिक दायित्व को चुनौती देने के समान है।
- महात्मा गांधी ने शराब के 'राष्ट्रव्यापी निषेध' की वकालत की थी।

निषेध के विरुद्ध तर्क

- राजस्व का नुकसान: शराब से होने वाली कर राजस्व की प्राप्ति किसी भी सरकार के राजस्व का एक बड़ा और महत्त्वपूर्ण हिस्सा होता है। यह राजस्व सरकार को कई जन कल्याणकारी योजनाओं को वित्तपोषित करने में सक्षम बनाता है। इस राजस्व के अभाव में राज्य की लोक कल्याणकारी कार्यक्रमों को चलाने की क्षमता गंभीर रूप से प्रभावित होती है।
- न्यायपालिका पर बोझ: बिहार ने अप्रैल 2016 में पूर्ण शराबबंदी की शुरुआत की थी, यद्यपि इससे निश्चित रूप से शराब की खपत में कमी आई है, किंतु इसके कारण संबंधित सामाजिक, आर्थिक और प्रशासनिक लागत लाभ में काफी अधिक बढ़ोतरी भी हुई है। साथ ही राज्य में शराबबंदी ने न्यायिक प्रशासन के कार्यभार को काफी अधिक बढ़ा दिया है।
  - गौरतलब है कि बिहार की सीमा से लगे उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के ज़िलों में शराब की बिक्री में बढ़ोतरी दर्ज की गई है।
- रोज़गार का स्रोत: वर्तमान में भारतीय निर्मित विदेशी शराब उद्योग प्रतिवर्ष करों के रूप में 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का योगदान देता है। यह 35 लाख किसान परिवारों की आजीविका का समर्थन करता है और उद्योग में कार्यरत लाखों श्रमिकों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोज़गार प्रदान करता है।

नोट :

अन्य राज्यों में निषेध (Prohibition in Other States):

- बिहार, मिज़ोरम, नगालैंड और केंद्रशासित प्रदेश लक्षद्वीप में शराबबंदी लागू है।

संबंधित संवैधानिक प्रावधान:

- राज्य विषय: भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत शराब राज्य सूची का विषय है।
- अनुच्छेद 47: अनुच्छेद 47 के तहत भारत के संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांतों में कहा गया है कि "राज्य मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिये हानिकर ओषधियों के औषधीय प्रयोजनों से भिन्न उपभोग का प्रतिषेध करने का प्रयास करेगा"।

आगे की राह:

- नैतिकता, निषेध या पसंद की स्वतंत्रता जैसे मुद्दों के बीच अर्थव्यवस्था, रोज़गार आदि कारक भी हैं, जिन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। इसके कारणों और प्रभावों पर एक सूचित तथा रचनात्मक संवाद की आवश्यकता है।
- नीति निर्माताओं को ऐसे कानून बनाने पर ध्यान देना चाहिये जो ज़िम्मेदार व्यवहार और अनुपालन को प्रोत्साहित करते हैं।
- शराब के उपभोग की उम्र को पूरे देश में एक समान किया जाना चाहिये और इससे कम उम्र के किसी भी व्यक्ति को शराब खरीदने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये।
- शराब के नशे में सार्वजनिक व्यवहार, प्रभाव व घरेलू हिंसा और शराब पीकर गाड़ी चलाने के खिलाफ सख्त कानून बनाए जाने चाहिये।
- सरकारों को शराब से अर्जित राजस्व का एक हिस्सा सामाजिक शिक्षा, नशामुक्ति और सामुदायिक समर्थन पर खर्च के लिये अलग रखना चाहिये।

भारत का महान्यायवादी

चर्चा में क्यों?

केंद्र सरकार ने के.के. वेणुगोपाल के कार्यकाल को एक वर्ष के लिये बढ़ा दिया है और वेणुगोपाल को महान्यायवादी (Attorney General- AG) के रूप में नियुक्त किया है।

- यह दूसरी बार है जब केंद्र ने उनका कार्यकाल बढ़ाया है। वर्ष 2020 में वेणुगोपाल के पहले कार्यकाल को बढ़ाया गया था।
- वेणुगोपाल को वर्ष 2017 में भारत का 15वाँ महान्यायवादी नियुक्त किया गया था। उन्होंने मुकुल रोहतगी का स्थान लिया जो वर्ष 2014-2017 तक महान्यायवादी रहे।
- वह सर्वोच्च न्यायालय में लंबित कई संवेदनशील मामलों में सरकार के कानूनी बचाव की कमान संभालेंगे जिसमें संविधान के अनुच्छेद 370 और नागरिकता संशोधन अधिनियम को निरस्त करने की चुनौती शामिल है।

प्रमुख बिंदु

- परिचय:
  - भारत का महान्यायवादी (AG) संघ की कार्यकारिणी का एक अंग है। AG देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी है।
  - संविधान के अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी के पद का प्रावधान है।
- नियुक्ति और पात्रता:
  - महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा सरकार की सलाह पर की जाती है।
  - वह एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिये जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के योग्य हो, अर्थात् वह भारत का नागरिक हो, उसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य करने का पाँच वर्षों का अनुभव हो या किसी उच्च न्यायालय में वकालत का 10 वर्षों का अनुभव हो अथवा राष्ट्रपति के मतानुसार वह न्यायिक मामलों का योग्य व्यक्ति हो।
- कार्यालय की अवधि: संविधान द्वारा तय नहीं।
- निष्कासन: महान्यायवादी को हटाने की प्रक्रिया और आधार संविधान में नहीं बताए गए हैं। वह राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद धारण करता है (राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय हटाया जा सकता है)।

- कर्तव्य और कार्य:
  - ऐसे कानूनी मामलों पर भारत सरकार (Government of India- GoI) को सलाह देना, जो राष्ट्रपति द्वारा उसे भेजे जाते हैं।
  - कानूनी रूप से ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करना जो उसे राष्ट्रपति द्वारा सौंपे जाते हैं।
    - भारत सरकार की ओर से उन सभी मामलों में जो कि भारत सरकार से संबंधित हैं, सर्वोच्च न्यायालय या किसी भी उच्च न्यायालय में उपस्थित होना।
    - संविधान के अनुच्छेद 143 (सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति) के तहत राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में किये गए किसी भी संदर्भ में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करना।
  - संविधान या किसी अन्य कानून द्वारा उसे प्रदत्त कार्यों का निर्वहन करना।
- अधिकार और सीमाएँ:
  - वोट देने के अधिकार के बिना उसे संसद के दोनों सदनों या उनकी संयुक्त बैठक और संसद की किसी भी समिति की कार्यवाही में बोलने तथा भाग लेने का अधिकार है, जिसका वह सदस्य नामित किया जाता है।
  - वह उन सभी विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों का हकदार होता है जो एक संसद सदस्य को प्राप्त होते हैं।
  - वह सरकारी सेवकों की श्रेणी में नहीं आता है, अत: उसे निजी कानूनी अभ्यास से वंचित नहीं किया जाता है।
  - हालाँकि उसे भारत सरकार के खिलाफ किसी मामले में सलाह या संक्षिप्त जानकारी देने का अधिकार नहीं है।
- भारत के सॉलिसिटर जनरल (Solicitor General of India) और भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (Additional Solicitor General) आधिकारिक ज़िम्मेदारियों को पूरा करने में महान्यायवादी की सहायता करते हैं।
- महाधिवक्ता (अनुच्छेद 165): राज्यों से संबंधित ।

प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना

चर्चा में क्यों?

आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत शुरू की गई 'प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना' (Pradhan Mantri Formalisation of Micro food processing Enterprises- PMFME) ने 29 जून, 2021 एक वर्ष पूरे किये।

- PMFME योजना वर्तमान 35 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यान्वित की जा रही है।

प्रमुख बिंदु

नोडल मंत्रालय:

- खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (Ministry of Food Processing Industries- MoFPI)।

विशेषताएँ:

- एक ज़िला एक उत्पाद (ODOP) दृष्टिकोण
  - राज्य मौजूदा समूहों और कच्चे माल की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए ज़िलों के लिये खाद्य उत्पादों की पहचान करेंगे।
  - ODOP एक खराब होने वाली उपज आधारित या अनाज आधारित या एक क्षेत्र में व्यापक रूप से उत्पादित खाद्य पदार्थ जैसे- आम, आलू, अचार, बाजरा आधारित उत्पाद, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, आदि हो सकते हैं।
- फोकस के अन्य क्षेत्र:
  - वेस्ट टू वेल्थ उत्पाद, लघु वन उत्पाद और आकांक्षी ज़िले।
  - क्षमता निर्माण तथा अनुसंधान: इकाइयों के प्रशिक्षण, उत्पाद विकास, उपयुक्त पैकेजिंग और सूक्ष्म इकाइयों के लिये मशीनरी का समर्थन करने हेतु राज्य स्तरीय तकनीकी संस्थानों के साथ-साथ MoFPI के अंतर्गत आने वाले शैक्षणिक एवं अनुसंधान संस्थानों को सहायता प्रदान की जाएगी।

- वित्तीय सहायता:
  - व्यक्तिगत सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों का उन्नयन: अपनी इकाइयों को अपग्रेड करने की इच्छा रखने वाली मौजूदा व्यक्तिगत सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयाँ पात्र परियोजना लागत के 35% पर अधिकतम 10 लाख रुपए प्रति यूनिट के साथ क्रेडिट-लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी का लाभ उठा सकती हैं।
  - SHG को प्रारंभिक पूंजी: कार्यशील पूंजी और छोटे उपकरणों की खरीद के लिये प्रति स्वयं सहायता समूह (Self Help Group-SHG) सदस्य को 40,000 रुपए का प्रारंभिक वित्तपोषण प्रदान किया जाएगा।

  समयावधि: वर्ष 2020-21 से 2024-25 तक पाँच वर्षों की अवधि में।

वित्तपोषण:

- 10,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है।
- इस योजना के तहत होने वाले व्यय को केंद्र और राज्य सरकारों के बीच 60:40 के अनुपात में, उत्तर पूर्वी तथा हिमालयी राज्यों के बीच 90:10 के अनुपात में, विधायिका वाले केंद्रशासित प्रदेशों के साथ 60:40 के अनुपात में तथा अन्य केंद्रशासित प्रदेशों के मामले 100% केंद्र सरकार द्वारा साझा किया जाता है।

आवश्यकता:

- असंगठित खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र जिसमें लगभग 25 लाख इकाइयाँ शामिल हैं, खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में 74 प्रतिशत रोज़गार उपलब्ध कराता है।
- असंगठित खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के समक्ष कई चुनौतियाँ विद्यमान हैं जो उनके प्रदर्शन और विकास को सीमित करती हैं। इन चुनौतियों में आधुनिक प्रौद्योगिकी और उपकरणों तक पहुँच की कमी; संस्थागत प्रशिक्षण का अभाव; संस्थागत ऋण तक पहुँच की कमी; उत्पादों की खराब गुणवत्ता; जागरूकता की कमी; ब्रांडिंग और विपणन कौशल की कमी शामिल हैं।

भारतीय खाद्य उद्योग की स्थिति:

- भारतीय खाद्य और किराना बाज़ार विश्व का छठा सबसे बड़ा बाज़ार है, खुदरा बिक्री में इसका योगदान 70% है।
- देश के कुल खाद्य बाज़ार में भारतीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की हिस्सेदारी 32% है, जो भारत के सबसे बड़े उद्योगों में से एक है और उत्पादन, खपत, निर्यात तथा अपेक्षित वृद्धि के मामले में पाँचवें स्थान पर है।
- यह विनिर्माण और कृषि में सकल मूल्य वर्धित (GVA) में क्रमश: लगभग 8.80 और 8.39%, भारत के निर्यात में 13% और कुल औद्योगिक निवेश में 6% का योगदान देता है।

खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित अन्य योजनाएँ:

- खाद्य प्रसंस्करण उद्योग हेतु उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना (PLISFPI): घरेलू इकाइयों में निर्मित उत्पादों से बिक्री में वृद्धि पर कंपनियों को प्रोत्साहन देना।
- मेगा फूड पार्क योजना: मेगा फूड पार्क क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण के माध्यम से मज़बूत फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज के साथ खेत से बाज़ार तक मूल्य श्रृंखला के साथ खाद्य प्रसंस्करण के लिये आधुनिक बुनियादी सुविधाओं का निर्माण करते हैं।

गैर-लाभकारी अस्पताल मॉडल अध्ययन: नीति आयोग

चर्चा में क्यों:

हाल ही में नीति आयोग ने देश में गैर-लाभकारी अस्पताल मॉडल (Not-for-Profit Hospital Model) पर एक व्यापक अध्ययन जारी किया।

- यह इस तरह के संस्थानों से जुड़ी सही सूचना की कमी को दूर करने और इस क्षेत्र में मज़बूत नीति निर्माण में मदद करने की दिशा में उठाया गया एक कदम है।

नीति आयोग

- यह भारत सरकार का एक सार्वजनिक नीति थिंक टैंक है, जिसे बॉटम-अप दृष्टिकोण (Bottom-Up Approach) का उपयोग करके आर्थिक नीति-निर्माण प्रक्रिया में भारत की राज्य सरकारों की भागीदारी को बढ़ावा देकर सहकारी संघवाद के साथ सतत् विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया है।
- इसे योजना आयोग के स्थान पर स्थापित किया गया है। प्रधानमंत्री इसका पदेन अध्यक्ष होता है।

प्रमुख बिंदु:

मुख्य विश्लेषण:

- कम शुल्क (Low Charge):
  - अधिकांश गैर-लाभकारी अस्पताल लाभकारी अस्पतालों की तुलना में कम शुल्क लेते हैं।
  - ग्रामीण समुदाय आधारित अस्पतालों में शुल्क कम होता है, जबकि ग्रामीण सहकारी अस्पतालों में शुल्क की दरें सरकारी अस्पतालों के समान हैं।
- मनोनयन:
  - अधिकांश गैर-लाभकारी अस्पताल राज्य या केंद्र सरकार की स्वास्थ्य देखभाल योजनाओं के साथ सूचीबद्ध हैं।
- व्यय:
  - गैर-लाभकारी अस्पताल नैदानिक देखभाल की कम लागत और परिचालन व्यय को कम करने के लिये विभिन्न साधनों (Levers) का उपयोग करते हैं।
    - अग्रलिखित साधनों का उपयोग किया जाता है- कार्यबल की मल्टीटास्किंग, आंतरिक स्तर पर बेड, डेंटल चेयर, आदि जैसे उपकरणों का निर्माण।
  - गैर-लाभकारी अस्पतालों की परिचालन लागत लाभकारी अस्पतालों की तुलना में कम होती है।
- गुणवत्ता:
  - गैर-लाभकारी अस्पतालों की सभी श्रेणियों में गुणवत्तापूर्ण देखभाल पर विशेष ध्यान दिया जाता है, क्योंकि उनमें से अधिकांश के पास अपनी सेवाओं के लिये किसी-न-किसी प्रकार की मान्यता है।

चुनौतियाँ:

- भर्ती:
  - अधिकांश अस्पतालों में डॉक्टरों और कर्मचारियों को भर्ती करना और उन्हें सेवा में बनाए रखना मुश्किल होता है।
- प्रतिपूर्ति:
  - विलंबित प्रतिपूर्ति और काफी समय से लंबित राशि के कारण उनके नकदी प्रवाह में बाधा पैदा हो रही है और इसका असर उनके संचालन पर पड़ रहा है।
- वित्तपोषण:
  - इनमें से कई अस्पताल परोपकार और पूंजीगत व्यय घटकों के लिये अनुदान के रूप में बाहरी वित्तपोषण पर निर्भर हैं, जैसे कि ढाँचागत विस्तार, नई तकनीक की खरीद तथा उन्नत उपकरण।
- अनुपालन बोझ:
  - कुछ अस्पतालों (विशेष रूप से दूरदराज़ के क्षेत्रों में स्थित) में ब्लड बैंक, क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट (Clinical Establishments Act) 2010, प्री-कॉन्सेप्शन एंड प्री-नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स (Pre-Conception and Pre-natal Diagnostic Techniques) 1994 के संचालन और गुणवत्ता मानकों के उच्च अनुपालन हेतु स्टाफ की आवश्यकता दर्ज की गई।

नोट :

सुझाव:

- नीतिगत हस्तक्षेप:
  - इन अस्पतालों की पहचान करने के लिये लघु और दीर्घकालिक नीतिगत हस्तक्षेप जैसे मानदंड विकसित करना, इन्हें एक प्रदर्शन सूचकांक के माध्यम से रैंकिंग करना आदि।
- कर राहत:
  - इन अस्पतालों को बढ़ावा देने के लिये सरकार को चाहिये कि इन अस्पतालों के डोनेशन और सदस्यता शुल्क पर टैक्स छूट बढ़ा दी जाए.
- इनकी विशेषज्ञता का उपयोग करना:
  - यह लोक कल्याण की भावना के लिये शीर्ष अस्पतालों को बढ़ावा देना और दूरस्थ क्षेत्रों में सीमित वित्त के साथ मानव संसाधनों के प्रबंधन में इन अस्पतालों की विशेषज्ञता का उपयोग करने की आवश्यकता पर भी प्रकाश डालता है।

गैर-लाभकारी अस्पताल

परिचय

- निजी अस्पतालों को बड़े पैमाने पर लाभकारी अस्पतालों और गैर-लाभकारी अस्पतालों में बाँटा गया है।
  - गैर-लाभकारी अस्पतालों में देखभाल की समग्र लागत लाभकारी अस्पतालों की तुलना में लगभग एक-चौथाई कम है।
  - लाभ के लिये कार्यरत अस्पताल में रोगियों का 55.3 प्रतिशत हिस्सा है, जबकि देश में गैर-लाभकारी अस्पतालों में केवल 2.7% रोगी हैं।
- रोगियों की सेवा से एकत्र धन से गैर-लाभकारी अस्पताल अपने मालिकों को लाभान्वित नहीं करते हैं। इन अस्पतालों के मालिक अक्सर धर्मार्थ संगठन या गैर-लाभकारी निगम होते हैं।
- इन अस्पतालों में सेवा के लिये शुल्क आमतौर पर लाभकारी अस्पतालों की तुलना में कम होता है और शुल्क से होने वाली आय को अस्पताल में पुनर्निवेश किया जाता है।
- ये अस्पताल भारत में स्वास्थ्य सेवा की अनुपलब्धता और दुर्गमता की चुनौतियों का एक संभावित उपाय हैं।

महत्त्व

- इन अस्पतालों की बुनियादी अवसंरचना, सेवाओं और शुल्कों से देश की वंचित आबादी को ज़रूरतों को पूरा किया जाता है।
- गैर-लाभकारी अस्पताल न केवल उपचारात्मक बल्कि निवारक स्वास्थ्य सेवा भी प्रदान करते हैं।
- यह स्वास्थ्य सेवा को सामाजिक सुधार, सामुदायिक जुड़ाव और शिक्षा से जोड़ता है। यह लाभ की चिंता किये बिना लोगों को लागत प्रभावी स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने हेतु सरकारी संसाधनों और अनुदानों का उपयोग करता है।
  - हालाँकि पिछले कुछ वर्षों में इस क्षेत्र पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया है।

स्वास्थ्य क्षेत्र में हालिया पहलें

- वर्ष 2021 के बजट में स्वास्थ्य आवंटन में बढ़ोतरी।
- प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना
- राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन
- राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC) अधिनियम, 2019
- प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि योजना।
- आयुष्मान भारत।

आर्थिक घटनाक्रम

सौर ऊर्जा के लिये श्रीलंका को ऋण

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत ने सौर ऊर्जा क्षेत्र की परियोजनाओं के लिये श्रीलंका को 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर की लाइन ऑफ क्रेडिट (LOC) प्रदान करने के लिये एक समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं। यह LOC की 1.75% ब्याज दर पर 20 वर्षों की अवधि के लिये है।

- इस समझौते पर श्रीलंका सरकार और भारतीय निर्यात-आयात (EXIM) बैंक के बीच हस्ताक्षर किये गए थे।
- EXIM बैंक एक विशिष्ट वित्तीय संस्थान है, जिसका पूर्ण स्वामित्व भारत सरकार के पास है।

लाइन ऑफ क्रेडिट (Line of Credit-LOC):

- लाइन ऑफ क्रेडिट एक प्रकार का 'सुलभ ऋण' (Soft Loan) होता है जो एक देश की सरकार द्वारा किसी अन्य देश की सरकार को रियायती ब्याज दरों पर दिया जाता है।
- आमतौर पर LOC इस प्रकार की शर्तों से जुड़ी होती है कि उधार लेने वाला देश उधार देने वाले देश से कुल LOC का निश्चित हिस्सा आयात करेगा। इस प्रकार दोनों देशों को अपने व्यापार और निवेश संबंधों को मज़बूत करने का अवसर मिलता है।

प्रमुख बिंदु:

LOC का महत्त्व:

- यह श्रीलंका में सौर ऊर्जा क्षेत्र की विभिन्न परियोजनाओं जैसे- घरों और सरकारी भवनों के लिये रूफटॉप सोलर फोटो-वोल्टाइक सिस्टम को वित्तपोषित करने में मदद करेगा।
  - इनमें से कुछ परियोजनाओं की घोषणा मार्च 2018 में दिल्ली में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) के संस्थापक सम्मेलन के दौरान की गई थी।
- सौर ऊर्जा के वैश्विक सहयोग के लिये भारत की पहल :
  - अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA):
    - ISA की स्थापना भारत की पहल के बाद हुई थी। इसकी शुरुआत संयुक्त रूप से पेरिस में 30 नवंबर, 2015 को संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन के दौरान COP-21 से पृथक भारत और फ्राँस द्वारा की गई थी।
    - ISA की अंतर्राष्ट्रीय संचालन समिति की पाँचवीं बैठक में 121 संभावित सदस्य राष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था, जो पूर्ण या आंशिक रूप से कर्क और मकर रेखा के बीच में स्थित हैं।
    - 89 देशों ने ISA फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं।
    - ISA का विज़न एक सूर्य, एक विश्व, एक ग्रिड (OSOWOG) को सक्षम बनाना है।
  - एक सूर्य, एक विश्व, एक ग्रिड (OSOWOG):
    - यह वैश्विक सहयोग की सुविधा के लिये एक ढाँचे पर ध्यान केंद्रित करता है, जो परस्पर अक्षय ऊर्जा संसाधनों (मुख्य रूप से सौर ऊर्जा) के वैश्विक पारिस्थितिकी तंत्र जिसे मूल रूप से साझा किया जा सकता है, का निर्माण करता है ।
- भारत में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिये योजनाएँ: हाल ही में भारत ने इटली को पीछे छोड़ते हुए सौर ऊर्जा परिनियोजन में वैश्विक स्तर पर 5वाँ स्थान हासिल किया है।
  - राष्ट्रीय सौर मिशन (जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना का एक हिस्सा): इसका उद्देश्य पूरे देश में सौर ऊर्जा की स्थापना के लिये नीतिगत शर्तें बनाकर भारत को सौर ऊर्जा में एक वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करना है।

नोट :

- रूफटॉप सौर योजना: घरों की छत पर सौर पैनल स्थापित कर सौर ऊर्जा उत्पन्न करने हेतु नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ग्रिड से जुड़ी रूफटॉप सौर योजना (द्वितीय चरण) को लागू कर रहा है।
- भारत में उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल के निर्माण को बढ़ावा देने के लिये उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना (PLI)।
- अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल एनर्जी पावर पार्कों के विकास हेतु योजना: यह मौजूदा सोलर पार्क योजना के तहत अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल एनर्जी पावर पार्क (UMREPPs) विकसित करने की एक योजना है।
- किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (KUSUM): इस योजना में ग्रिड से जुड़े अक्षय ऊर्जा विद्युत संयंत्र (0.5 - 2 मेगावाट)/सौर जल पंप/ग्रिड से जुड़े कृषि पंप शामिल हैं।
- राष्ट्रीय पवन-सौर हाइब्रिड नीति, 2018: इस नीति का मुख्य उद्देश्य बड़े ग्रिड से जुड़े पवन-सौर फोटो-वोल्टेइक हाइब्रिड प्रणाली को बढ़ावा देने के लिये एक ढाँचा प्रदान करना है।
- अटल ज्योति योजना (AJAY): इसे सितंबर 2016 में उन राज्यों में सौर स्ट्रीट लाइटिंग (SSL) सिस्टम की स्थापना के लिये लॉन्च किया गया था, जहाँ 50% से कम घरों में ग्रिड विद्युत् उपलब्ध है (जनगणना 2011 के अनुसार)।
- सूर्यमित्र कौशल विकास कार्यक्रम: सौर प्रतिष्ठानों की देखभाल करने हेतु ग्रामीण युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना।

विश्व प्रतिस्पर्द्धात्मकता सूचकांक

चर्चा में क्यों?

वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस ईयरबुक (World Competitiveness Yearbook- WCY) के अनुसार भारत ने वार्षिक विश्व प्रतिस्पर्द्धात्मकता सूचकांक (World Competitiveness Index) में 43वाँ स्थान बनाए रखा है।

- विश्व प्रतिस्पर्द्धात्मकता सूचकांक एक व्यापक वार्षिक रिपोर्ट और देशों की प्रतिस्पर्द्धात्मकता को लेकर विश्वव्यापी संदर्भ बिंदु है।

प्रमुख बिंदु:

संदर्भ:

- WCY को पहली बार वर्ष 1989 में प्रकाशित किया गया था और इसका संकलन इंस्टीट्यूट फॉर मनेजमेंट डेवलपमेंट (Institute for Management Development- IMD) द्वारा किया गया है।
  - वर्ष 2021 में IMD ने विश्व की अर्थव्यवस्थाओं पर कोविड -19 के प्रभाव की जाँच की।
  - यह सूचकांक 64 अर्थव्यवस्थाओं को रैंक प्रदान करता है।
- कारक: यह चार कारकों (334 प्रतिस्पर्द्धात्मकता मानदंड) की जाँच करके देशों की समृद्धि और प्रतिस्पर्द्धात्मकता को मापता है:
  - आर्थिक प्रदर्शन
  - सरकारी दक्षता
  - व्यापार दक्षता
  - आधारभूत संरचना

शीर्ष वैश्विक परफॉरमर्स:

- यूरोप:
  - यूरोपीय देश स्विटज़रलैंड (प्रथम), स्वीडन (द्वितीय), डेनमार्क (तीसरे), नीदरलैंड (चौथे) के साथ विश्व प्रतिस्पर्द्धात्मक रैंकिंग में क्षेत्रीय ताकत प्रदर्शित करते हैं।
- एशिया:
  - शीर्ष प्रदर्शन करने वाली एशियाई अर्थव्यवस्थाओं में, सिंगापुर 5वें, हॉन्गकॉन्ग 7वें, ताइवान 8वें और चीन 16वें स्थान पर है।
    - विश्व प्रतिस्पर्द्धात्मकता सूचकांक, 2020 में सिंगापुर प्रथम स्थान पर था।

- अन्य:
  - संयुक्त अरब अमीरात और संयुक्त राज्य अमेरिका पिछले वर्ष (क्रमश: 9वें और 10वें) की तरह ही अपने स्थान पर बने हुए हैं।

भारत का प्रदर्शन:

- ब्रिक्स राष्ट्रों की तुलना में: ब्रिक्स देशों में भारत, चीन (16वें) के बाद दूसरे (43वें) स्थान पर है, इसके बाद रूस (45वें), ब्राज़ील (57वें) और दक्षिण अफ्रीका (62वें) का स्थान है।
- चार कारकों में प्रदर्शन: प्रयोग में लाए गए चार सूचकांकों में सरकारी दक्षता में भारत की रैंकिंग पिछले वर्ष 50 से बढ़कर 46 हो गई, जबकि अन्य मापदंडों जैसे- आर्थिक प्रदर्शन (37वाँ), व्यावसायिक दक्षता (32वाँ) और बुनियादी ढाँचे (49वाँ) में इसकी रैंकिंग पूर्व की भाँती ही बनी रही।
- सरकारी दक्षता में सुधार: अधिकांशत: अपेक्षाकृत स्थिर सार्वजनिक वित्त के कारण महामारी के बावजूद वर्ष 2020 में सरकारी घाटा 7% रहा। सरकार ने निजी कंपनियों को सहायता और सब्सिडी भी प्रदान की।
- भारत का अच्छा प्रदर्शन:
  - भारत की शक्ति दूरसंचार (प्रथम), मोबाइल टेलीफोन लागत (प्रथम), आईसीटी सेवाओं के निर्यात (तीसरे), सेवा व्यवसायों में पारिश्रमिक (चौथा) और व्यापार सूचकाँक (पाँचवें) में निवेश में निहित है।
- भारत की कमज़ोरी:
  - भारत का प्रदर्शन सब-इंडेक्स जैसे- ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर (64वाँ), पार्टिकुलेट पॉल्यूशन (64वाँ), मानव विकास सूचकांक (64वाँ), प्रति व्यक्ति जीडीपी (63वाँ) और प्रति व्यक्ति विदेशी मुद्रा भंडार (62वाँ) आदि में सबसे खराब रहा है।

विश्लेषण:

- देशों के शीर्ष प्रदर्शन के कारक: नवाचार में निवेश, डिजिटलीकरण, कल्याणकारी लाभ, विविध आर्थिक गतिविधियों, सहायक सार्वजनिक नीति और नेतृत्व जैसे गुण, जिसके परिणामस्वरूप सामाजिक सामंजस्य ने देशों को संकट का बेहतर प्रबंधन करने में मदद की है तथा इस प्रकार इन देशों को प्रतिस्पर्द्धा में उच्च रैंकिंग प्राप्त हुई है।
- बेरोजगारी को संबोधित करना: प्रतिस्पर्द्धी अर्थव्यवस्थाएँ दूरस्थ शिक्षा की अनुमति देते हुए एक दूरस्थ कार्य दिनचर्या में परिवर्तन करने में सफल रहीं।
- सार्वजनिक खर्च: प्रमुख सार्वजनिक खर्च की प्रभावशीलता जैसे- सार्वजनिक वित्त, कर नीति और व्यापार कानून की प्रभावशीलता को कोविड -19 द्वारा प्रभावित अर्थव्यवस्थाओं पर दबाव को दूर करने के लिये देखा जाता है।

अपनी प्रतिस्पर्द्धात्मकता बढ़ाने के लिये भारत द्वारा हाल ही में उठाए गए कदम:

- सरकार ने भारत की विनिर्माण क्षमताओं और निर्यात को बढ़ाने के लिये विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (PLI) योजना शुरू की है।
- आत्मनिर्भर भारत अभियान (या आत्मनिर्भर भारत मिशन) के पाँच स्तंभ हैं- अर्थव्यवस्था, बुनियादी ढाँचा, प्रणाली, जीवंत जनसांख्यिकी और मांग।

आगे की राह:

- माइकल पोर्टर के अनुसार एक राष्ट्र जो आर्थिक और सामाजिक प्रगति के बीच संतुलन सुनिश्चित करता है, अपनी उत्पादकता बढ़ा सकता है तथा इसके बाद प्रतिस्पर्द्धात्मकता और इस प्रकार समृद्धि प्राप्त कर सकता है।
- इसलिये एक ऐसा वातावरण बनाना आवश्यक है जो न केवल व्यवसायों को स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में सफलतापूर्वक प्रतिस्पर्द्धा करने के लिये प्रेरित करे, बल्कि यह सुनिश्चित करे कि औसत नागरिक के जीवन स्तर में भी सुधार हो।
- सरकारों को कुशल बुनियादी ढाँचे, संस्थानों और नीतियों की विशेषता वाला वातावरण प्रदान करने की आवश्यकता है ताकि उद्यमों द्वारा स्थायी मूल्य निर्माण को प्रोत्साहित किया जा सके।

गेहूँ और चावल में पोषक तत्त्वों की कमी

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) और बिधान चंद्र कृषि विश्वविद्यालय के तहत विभिन्न संस्थानों के शोधकर्त्ताओं ने पाया कि भारत में चावल और गेहूँ की खेती में जस्ता और लोहे के अनाज घनत्व में कमी आई है।

- शोधकर्त्ताओं ने चावल के बीज (16 किस्में) और गेहूँ (18 किस्में) को ICAR के कल्टीवर रिपॉज़िटरी में बनाए गए जीन बैंक से एकत्र किया।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद

- यह कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग (DARE), कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संगठन है।
- यह पूरे देश में बागवानी, मत्स्य पालन और पशु विज्ञान सहित कृषि में अनुसंधान तथा शिक्षा के समन्वय, मार्गदर्शन एवं प्रबंधन के लिये शीर्ष निकाय है।
- इसकी स्थापना 16 जुलाई, 1929 को सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत एक पंजीकृत सोसायटी के रूप में की गई थी।
- इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। देश भर में फैले 102 ICAR से संबंधित संस्थानों और 71 कृषि विश्वविद्यालयों के साथ यह दुनिया की सबसे बड़ी राष्ट्रीय कृषि प्रणालियों में से एक है।
- 'कल्टीवर रिपॉज़िटरी' नोडल संस्थान हैं जो हमारे देश की पुरानी किस्मों को संरक्षित और संग्रहीत करते हैं।

प्रमुख बिंदु:

अवलोकन:

- चावल में सांद्रता:
  - 1960 के दशक में जारी चावल की किस्मों के अनाज में जिंक और आयरन की सांद्रता 27.1 मिलीग्राम/किलोग्राम और 59.8 मिलीग्राम/किलोग्राम थी। यह 2000 के दशक के भीतर क्रमश: 20.6 मिलीग्राम/किलोग्राम और 43.1 मिलीग्राम/किलोग्राम तक कम हो गई।
- गेहूँ में सांद्रता:
  - वर्ष 1960 के दशक की गेहूँ की किस्मों में जस्ता और लोहे की सांद्रता 33.3 मिलीग्राम/ किग्रा और 57.6 मिलीग्राम/किग्रा. थी, जो 2010 के दौरान जारी की गई किस्मों में क्रमश: 23.5 मिलीग्राम/किग्रा. और 46.4 मिलीग्राम/किग्रा. तक गिर गई।

कमी का कारण:

- 'मंदन प्रभाव' के कारण अनाज की उच्च उपज के साथ पोषक तत्त्वों की सांद्रता में कमी आती है।
- इसका मतलब यह है कि उपज में वृद्धि की दर पौधों द्वारा पोषक तत्त्व ग्रहण करने की दर के अनुकूल नहीं होती है। इसके अलावा पौधों को उपलब्ध पोषक तत्त्वों में मृदा अनुकूलित पौधों में कमी हो सकती है।

सुझाव:

- भारतीय आबादी में जस्ता और लौह कुपोषण को कम करने के लिये चावल और गेहूँ की नई (1990 और बाद में) किस्में उगाना एक स्थायी विकल्प नहीं हो सकता है।
  - जिंक और आयरन की कमी वैश्विक स्तर पर अरबों लोगों को प्रभावित करती है तथा इसकी कमी वाले देशों में मुख्य रूप से चावल, गेहूँ, मक्का और जौ से बने आहारों का प्रयोग किया जाता है।
- भविष्य के प्रजनन कार्यक्रमों में किस्मों को जारी करने में अनाज में पोषण संबंधी कमी में सुधार करके नकारात्मक प्रभावों को दूर करने की आवश्यकता है।
- बायोफोर्टिफिकेशन जैसे अन्य विकल्पों पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है, जहाँ हम सूक्ष्म पोषक तत्त्वों से भरपूर खाद्य फसलों का उत्पादन कर सकते हैं।

बायोफोर्टिफिकेशन:

- बायोफोर्टिफिकेशन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कृषि संबंधी प्रथाओं, पारंपरिक पौधों के प्रजनन, या आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से खाद्य फसलों की पोषण गुणवत्ता में सुधार किया जाता है।

भारत द्वारा की गई पहल:

- हाल ही में प्रधानमंत्री ने 8 फसलों की 17 बायोफोर्टिफाइड किस्मों को राष्ट्र को समर्पित किया। कुछ उदाहरण हैं:
  - चावल- CR धान 315 में जिंक की अधिकता होती है।
  - गेहूँ- HI 1633 प्रोटीन, आयरन और जिंक से भरपूर।
  - मक्का- हाइब्रिड किस्में 1, 2 और 3 लाइसिन और ट्रिप्टोफैन से समृद्ध होती हैं।
- बायोफोर्टिफाइड गाजर की किस्म 'मधुबन गाजर' गुजरात के जूनागढ़ में 150 से अधिक स्थानीय किसानों को लाभान्वित कर रही है। इसमें β-कैरोटीन और आयरन की मात्रा अधिक होती है।
- कृषि को पोषण से जोड़ने वाली खेती को बढ़ावा देने के लिये ICAR ने 'न्यूट्री-सेंसिटिव एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज़ एंड इनोवेशन' (NARI) कार्यक्रम शुरू किया है, पोषाहार सुरक्षा बढ़ाने के लिये न्यूट्री-स्मार्ट गाँव और स्थानीय रूप से उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाओं एवं विविध सेवाओं तक पहुँच सुनिश्चित करने के लिये स्थान विशिष्ट पोषण उद्यान मॉडल विकसित किये जा रहे हैं।
- बायो-फोर्टिफाइड फसल किस्मों के उत्पादन को बढ़ाया जाएगा और कुपोषण को कम करने के लिये उन्हें मध्याह्न भोजन, आँगनवाड़ी आदि सरकारी कार्यक्रमों से जोड़ा जाएगा।

बायोफोर्टिफिकेशन का महत्व:

- बेहतर स्वास्थ्य:
  - बायोफोर्टिफाइड प्रधान फसलों का जब नियमित रूप से सेवन होता है तो मानव स्वास्थ्य और पोषण में औसत दर्जे का सुधार होता है।
- उच्च लचीलापन:
  - बायोफोर्टिफाइड फसलें अक्सर कीटों, बीमारियों, उच्च तापमान, सूखे के प्रति अधिक प्रतिरोधी होती हैं और उच्च उपज प्रदान करती हैं।
- पहुँच में वृद्धि:
  - बायोफोर्टिफिकेशन एक महत्त्वपूर्ण अंतर को भरता है क्योंकि यह आयरन सप्लीमेंट के लिये भोजन आधारित, टिकाऊ और कम खुराक वाला विकल्प प्रदान करता है। इसके लिये व्यवहार परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है, यह समाज के सबसे गरीब वर्गों तक पहुँच सकता है और स्थानीय किसानों का समर्थन करता है।
- प्रभावी लागत:
  - बायोफोर्टिफाइड बीज को विकसित करने के लिये प्रारंभिक निवेश के बाद इसे सूक्ष्म पोषक तत्त्वों की सांद्रता में किसी भी कमी के बिना वितरित किया जा सकता है। जो इसे अत्यधिक लागत प्रभावी और टिकाऊ बनाता है।

भारत में बायोफोर्टिफिकेशन की चुनौतियाँ:

- स्वीकृति की कमी:
  - रंग परिवर्तन (जैसे- गोल्डन राइस) के कारण उपभोक्ताओं की कमी और फोर्टिफाइड भोजन की अंतिम व्यक्ति तक पहुँच एक बड़ी चुनौती बनी हुई है।
- लागत:
  - किसानों द्वारा अनुकूलन और फोर्टिफिकेशन की प्रक्रिया में शामिल लागत।
- धीमी प्रक्रिया:
  - हालाँकि बायोफोर्टिफिकेशन गैर-आनुवंशिक रूप से संशोधित विधियों का उपयोग करके किया जा सकता है, यह आनुवंशिक संशोधन की तुलना में धीमी प्रक्रिया है।

नोट :

आगे की राह:

- देश में विविध खाद्य प्रथाओं की व्यापकता के कारण भौगोलिक दृष्टि से अलग क्षेत्रों में बायोफोर्टिफिकेशन को अपनाने और खपत की उच्च दर हासिल करने की आवश्यकता होगी।
- बायोफोर्टिफाइड फसलों की डिलीवरी के लिये रणनीतियाँ प्रत्येक फसल-पोषक जोड़े हेतु स्थानीय संदर्भ के अनुरूप होनी चाहिये।
- सरकार को पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप को बढ़ावा देना चाहिये। निजी क्षेत्र की भागीदारी खाद्य सुदृढ़ीकरण पहलों को बढ़ाने हेतु तकनीकी समाधानों का लाभ उठा सकती है और समुदायों में जन जागरूकता तथा शिक्षा अभियानों के माध्यम से सरकार के प्रयासों को पूरक बना सकती है।
- पोषण की कमी न केवल एक मौलिक मानव अधिकार का हनन है, बल्कि यह एक खराब अर्थशास्त्र भी है। बायोफोर्टिफिकेशन एक आंशिक समाधान है, जिसे गरीबी, खाद्य असुरक्षा, बीमारी, खराब स्वच्छता स्थिति, सामाजिक और लैंगिक असमानता को कम करने के प्रयासों के साथ-साथ जारी रखा जाना चाहिये।

बायोटेक-किसान' कार्यक्रम

चर्चा में क्यों?

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 'बायोटेक-कृषि इनोवेशन साइंस एप्लीकेशन नेटवर्क' (बायोटेक-किसान) मिशन कार्यक्रम के हिस्से के रूप में पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिये एक विशेष आह्वान जारी किया है।

प्रमुख बिंदु

बायोटेक-कृषि इनोवेशन साइंस एप्लीकेशन नेटवर्क

- यह वर्ष 2017 में शुरू की गई एक वैज्ञानिक-किसान साझेदारी योजना है।
- यह अखिल भारतीय कार्यक्रम है, जो हब-एंड-स्पोक मॉडल का अनुसरण करता है और किसानों में उद्यमशीलता तथा नवाचार को प्रोत्साहित करता है एवं महिला किसानों को सशक्त बनाता है।
- बायोटेक-किसान हब के माध्यम से कृषि और जैव-संसाधन से संबंधित रोज़गार पैदा करने के लिये आवश्यक प्रौद्योगिकी सुनिश्चित करने और छोटे एवं सीमांत किसानों को जैव प्रौद्योगिकी लाभ प्रदान करने का कार्य किया जा रहा है।
- साथ ही इसके माध्यम से किसानों को सर्वोत्तम वैश्विक कृषि प्रबंधन और प्रथाओं से भी अवगत कराया जाता है।

मंत्रालय

- यह एक किसान केंद्रित योजना है जिसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा किसानों की सहायता से विकसित किया गया है।

उद्देश्य

- इसे कृषि नवाचार को बढ़ावा देने के लिये शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य कृषि स्तर पर लागू होने वाले नवीन समाधानों और प्रौद्योगिकियों का पता लगाने के लिये विज्ञान प्रयोगशालाओं को किसानों से जोड़ना था।

प्रगति

- देश के सभी 15 कृषि जलवायु क्षेत्रों और 110 आकांक्षी ज़िलों को कवर करते हुए 146 बायोटेक-किसान हब स्थापित किये गए हैं।
- इस योजना ने अब तक दो लाख से अधिक किसानों को उनके कृषि उत्पादन और आय में वृद्धि करके लाभान्वित किया है। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में 200 से अधिक उद्यमिताएँ भी विकसित की गई हैं।

वर्तमान आह्वान के विषय में

- 'बायोटेक-कृषि इनोवेशन साइंस एप्लीकेशन नेटवर्क' कार्यक्रम के तहत वर्तमान आह्वान विशेष रूप से पूर्वोतर क्षेत्र पर केंद्रित है, क्योंकि यह क्षेत्र मुख्य रूप से कृषि प्रधान है और इसका 70 प्रतिशत कार्यबल कृषि और संबद्ध क्षेत्र में संलग्न है।

- यह क्षेत्र देश के खाद्यान्न का केवल 1.5 प्रतिशत उत्पादन करता है और इसे अपनी घरेलू खपत को पूरा करने के लिये खाद्यान्न का आयात करना पड़ता है।
- पूर्वोतर क्षेत्र में स्थान विशिष्ट फसलों, बागवानी और वृक्षारोपण फसलों, मत्स्य पालन तथा पशुधन उत्पादन को बढ़ावा देकर कृषि आबादी की आय में बढ़ोतरी की जा सकती है।
- पूर्वोतर क्षेत्र में बायोटेक-किसान हब देश भर के शीर्ष वैज्ञानिक संस्थानों के साथ-साथ राज्य कृषि विश्वविद्यालयों/कृषि विज्ञान केंद्रों/इस क्षेत्र में मौजूदा राज्य कृषि विस्तार सेवाओं/प्रणालियों के प्रदर्शन और प्रशिक्षण के लिये किसानों का सहयोग करेंगे।

कृषि में जैव प्रौद्योगिकी

- कृषि जैव प्रौद्योगिकी
  - कृषि जैव प्रौद्योगिकी पारंपरिक प्रजनन तकनीकों सहित उपकरणों की एक विशिष्ट श्रृंखला है, जो उत्पादों को बनाने या संशोधित करने के लिये जीवित जीवों, या जीवों के कुछ हिस्सों को बदल देती है; इसमें पौधों या जानवरों में सुधार या विशिष्ट कृषि उपयोगों के लिये सूक्ष्मजीवों का विकास करना आदि शामिल है।
  - आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी के तहत वर्तमान में आनुवंशिक इंजीनियरिंग के भी उपकरणों को भी शामिल किया गया है।
- उदाहरण
  - आनुवंशिक रूप से संशोधित जीव (GMOs): ये पौधे, बैक्टीरिया, कवक और जानवर होते हैं, जिनमें विद्यमान आनुवंशिक पदार्थ को प्रयोगशाला में कृत्रिम रूप से आनुवंशिक इंजीनियरिंग का प्रयोग करके परिवर्तित किया जाता है। GM प्लांट (बीटी कॉटन) कई तरह से उपयोगी रहे हैं।
  - बायोपेस्टिसाइड: बेसिलस थुरिनजेनेसिस एक प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला जीवाणु है जो कीटों में बीमारी का कारण बनता है। यह जैविक कृषि में स्वीकार किया जाता है और इसकी कम लागत, आसान उपयोग तथा उच्च विषाणुता के कारण कीट प्रबंधन के लिये आदर्श माना जाता है।

लाभ

- आनुवंशिक रूप से संशोधित जीवों (GMOs) से फसलों में कई फायदे होते हैं जिनमें कटाई के बाद कम नुकसान, मानव कल्याण हेतु अतिरिक्त पोषक तत्त्वों हेतु फसलों को संशोधित किया जाना आदि शामिल हैं।
- इनमें से कुछ फसलों के उपयोग से काम आसान हो सकता है और किसानों की सुरक्षा में सुधार हो सकता है। यह किसानों को कम समय में अपनी फसलों के प्रबंधन का लाभ प्रदान करेगा और अन्य लाभदायक गतिविधियों के लिये उन्हें अधिक समय मिल सकेगा।

नुकसान

- एंटीबायोटिक प्रतिरोध: इस बात को लेकर चिंता है कि इसके उपयोग से नए एंटीबायोटिक-प्रतिरोधी बैक्टीरिया सामने आ सकते हैं, जिनसे निपटना पारंपरिक एंटीबायोटिक दवाओं के लिये काफी मुश्किल होगा।
- 'सुपरवीड्स' की संभावना: ट्रांसजेनिक पौधे अवांछित पौधों (जैसे- खरपतवार) के साथ परागण कर सकते हैं और इस तरह उनमें शाकनाशी-प्रतिरोध या कीटनाशक-प्रतिरोध के जीन को प्रसारित कर सकते हैं, जिससे वे 'सुपरवीड्स' में परिवर्तित हो सकते हैं।
- जीवों में जैव विविधता का नुकसान: एग्रीटेक किस्मों के बीजों के व्यापक उपयोग ने कुछ कृषकों को भयभीत कर दिया है क्योंकि इससे पौधों की प्रजातियों की जैव विविधता को नुकसान हो रहा है।
  - आनुवंशिक रूप से संशोधित जीवों (GMOs) वाली किस्मों का व्यापक उपयोग इस तथ्य के कारण है कि वे अधिक लाभदायक और सूखा प्रतिरोधी होती हैं।

सभी राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के लिये ड्रोन सर्वेक्षण अनिवार्य

चर्चा में क्यों?

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने विकास, निर्माण, संचालन और रख-रखाव के विभिन्न चरणों के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की वीडियो रिकॉर्डिंग के लिये ड्रोन का उपयोग अनिवार्य कर दिया है।

- परियोजनाओं पर हुई प्रगति का आकलन करने के लिये इन वीडियो का संग्रह NHAI के "डेटा लेक" (Data Lake) पोर्टल पर किया जाएगा।

प्रमुख बिंदु:

लाभ:

- यह पारदर्शिता, एकरूपता को बढ़ाएगा और नवीनतम तकनीक का लाभ उठाने में मदद करेगा।
- NHAI के अधिकारी पूर्व की टिप्पणियों में हुई विसंगतियों और सुधारों की जाँच के लिये परियोजनाओं के भौतिक निरीक्षण के दौरान वीडियो का उपयोग कर सकते हैं।
- चूँकि ये वीडियो स्थायी रूप से 'डेटा लेक' पोर्टल पर संग्रहीत किये जाएंगे, इसलिये इनका प्रयोग विवाद समाधान प्रक्रिया के दौरान मध्यस्थ न्यायाधिकरणों और न्यायालयों के समक्ष साक्ष्य के रूप में भी किया जा सकता है।
- साथ ही राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़क की स्थिति का सर्वेक्षण करने के लिये नेटवर्क सर्वेक्षण वाहन (NSV) की अनिवार्य तैनाती से राजमार्गों की समग्र गुणवत्ता में वृद्धि होगी।
  - NSV, 360 डिग्री इमेजरी के लिये उच्च-रिज़ॉल्यूशन डिजिटल कैमरा, लेजर रोड प्रोफिलोमीटर और सड़क की सतह पर किसी संभावित जोखिम की माप के लिये अन्य नवीनतम सर्वेक्षण तकनीकों का उपयोग करता है।

NHAI का "डेटा लेक" पोर्टल:

- NHAI, यूनिक क्लाउड आधारित एवं आर्टिफिसियल इंटेलीजेंस संचालित बिग डाटा एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म 'डाटा लेक' एवं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट साफ्टवेयर के लॉन्च के साथ 'पूरी तरह डिजिटल' हो गया है।
- सभी परियोजना दस्तावेज़ीकरण, अनुबंधात्मक निर्णय और अनुमोदन अब केवल पोर्टल के माध्यम से ही किये जा रहे हैं।
- एडवांस एनालिटिक्स के साथ, 'डाटा लेक पोर्टल' विलंबों, संभावित विवाद का पूर्वानुमान लगाएगा एवं अग्रिम अलर्ट देगा।
- लाभ:
  - डाटा लेक अविलंबित, त्वरित निर्णय लेने, रिकार्ड के न खोने, कहीं से भी/किसी भी समय कार्य करने के लाभों के साथ NHAI में क्रांतिकारी बदलाव लाएगा।
  - यह पारदर्शिता को बढ़ाएगा क्योंकि परियोजना से जुड़े सभी अधिकारी और हितधारक देख सकते हैं कि रियल टाइम आधार पर क्या हो रहा है जो वरिष्ठों द्वारा समवर्ती निष्पादन लेखा परीक्षा के बराबर होगा।
  - यह वरिष्ठ अधिकारियों और अन्य बाहरी एजेंसियों द्वारा ऑडिट करने में भी मदद करेगा।

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI):

- भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का गठन भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1988 के तहत राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास, अनुरक्षण और प्रबंधन को ध्यान में रखते हुए किया गया।
- भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को अन्य छोटी परियोजनाओं सहित, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना (National Highways Development Project-NHDP) का कार्य सौंपा गया है
  - राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना (NHDP) भारत में प्रमुख राजमार्गों को उच्च स्तर पर उन्नत, पुनर्व्यवस्थित और चौड़ा करने की एक परियोजना है। इस परियोजना की शुरुआत वर्ष 1998 में की गई थी।

- NHAI का प्रमुख दृष्टिकोण वैश्विक मानकों के अनुसार, राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क की व्यवस्था एवं अनुरक्षण के लिये राष्ट्र की आवश्यकता तथा भारत सरकार द्वारा निर्धारित महत्त्वपूर्ण नीतिगत ढाँचे के अंतर्गत अत्यंत समयबद्ध एवं लागत प्रभावी तरीके से प्रयोक्तता की आशाओं को पूरा करना और इस तरह लोगों की आर्थिक समृद्धि एवं उनके जीवन स्तर को समुन्नत करना है।

राष्ट्रीय राजमार्ग:

- भारत में प्रमुख सड़कें राष्ट्रीय और राज्य राजमार्ग हैं। राष्ट्रीय राजमार्गों (NH) का निर्माण, वित्तपोषण और रख-रखाव केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है जबकि राज्य राजमार्गों (SH) संबंधी कार्य राज्यों के लोक निर्माण विभाग द्वारा किये जाते हैं।
- संवैधानिक प्रावधान:
  - संसद द्वारा बनाए गए कानून (सातवीं अनुसूची के तहत संघ सूची) के तहत या द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किये जाते हैं।
  - अनुच्छेद 257 (2): संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार राज्य को ऐसे संचार साधनों के निर्माण और उन्हें बनाए रखने के संबंध में निर्देश देने तक होगा जिनका राष्ट्रीय या सैनिक महत्त्व का होना उस निर्देश में घोषित किया गया है।
    - बशर्ते इस खंड में राजमार्गों या जलमार्गों को राष्ट्रीय राजमार्ग या राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित करने के लिये संसद की शक्ति को प्रतिबंधित करने के रूप में या संघ द्वारा घोषित राजमार्गों या जलमार्गों के संबंध में नहीं लिया जाएगा।
- सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (Ministry of Road Transport and Highways) मुख्य रूप से राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और रख-रखाव के लिये उत्तरदायी है।
  - मंत्रालय ने सीमा क्षेत्रों के गैर-प्रमुख बंदरगाहों हेतु सड़क संपर्क सहित तटीय सड़कों का विकास, राष्ट्रीय गलियारों की दक्षता में सुधार, आर्थिक गलियारों का विकास और भारतमाला परियाजना के तहत सागरमाला के साथ फीडर रूट का एकीकरण आदि के लिये सड़क संपर्क को विकसित करने की दृष्टि से NH नेटवर्क की विस्तृत समीक्षा की है।
- भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों को राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 के तहत अधिसूचित किया गया है।
- NH और संबंधित उद्देश्यों के लिये भूमि अधिग्रहण राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत किया जाता है तथा भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और स्थानांतरण में उचित मुआवज़े और पारदर्शिता का अधिकार (RFCTLARR) अधिनियम, 2013 की पहली अनुसूची के अनुसार मुआवज़ा निर्धारित किया जाता है।
  - भूमिराशि पोर्टल को भूमि अधिग्रहण की पूरी प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल और स्वचालित करने के लिये वर्ष 2018 में लॉन्च किया गया था।
- हरित राजमार्ग (वृक्षारोपण, प्रत्यारोपण, सौंदर्यीकरण एवं रखरखाव) नीति, 2015 का उद्देश्य विभिन्न समुदायों, किसानों, निजी क्षेत्रों, गैर सरकारी संगठनों एवं सरकारी संस्थानों की भागीदारी से राजमार्ग क्षेत्रों में हरियाली को बढ़ावा देना है।

प्रत्यक्ष कर में बढ़ोतरी

चर्चा में क्यों?

वित्तीय वर्ष 2021-22 के पहले ढाई महीनों (अप्रैल-जून) में भारत का प्रत्यक्ष कर संग्रह लगभग 1.86 लाख करोड़ रुपए रहा है, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में लगभग दोगुना है। ज्ञात हो कि बीते वर्ष देशव्यापी लॉकडाउन के कारण प्रत्यक्ष कर संग्रह में कमी आई थी।

- पिछले वर्ष इसी अवधि में कुल संग्रह लगभग 92,762 करोड़ रुपए था।

प्रमुख बिंदु

प्रत्यक्ष कर संग्रह में बढ़ोतरी

- इसमें 74,356 करोड़ रुपए का निगम कर संग्रह तथा व्यक्तिगत आयकर प्रवाह शामिल है, जिसमें 1.11 लाख करोड़ रुपए का सिक्योरिटी लेनदेन कर शामिल है।
- प्रत्यक्ष कर संग्रह में उछाल स्वस्थ निर्यात और विभिन्न औद्योगिक एवं निर्माण गतिविधियों की निरंतरता को दर्शाता है।
- यह उम्मीद की जा रही है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 की पहली तिमाही में जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) दोहरे अंकों में विस्तार दर्ज करेगी।

प्रत्यक्ष कर

- प्रत्यक्ष कर एक ऐसा कर है जो एक व्यक्ति या संगठन द्वारा प्रत्यक्ष तौर पर उस संस्था को दिया जाता है जिसने इसे अधिरोपित किया है।
- उदाहरण के लिये एक व्यक्तिगत करदाता, आयकर, वास्तविक संपत्ति कर, व्यक्तिगत संपत्ति कर सहित विभिन्न उद्देश्यों के लिये सरकार को प्रत्यक्ष कर का भुगतान करता है।

निगम कर

- निगम कर उस शुद्ध आय या लाभ पर लगाया जाने वाला प्रत्यक्ष कर है जो उद्यमी अपने व्यवसायों से कमाते हैं।
- कंपनी अधिनियम 1956 के तहत भारत में सार्वजनिक और निजी तौर पर पंजीकृत दोनों प्रकार की कंपनियाँ, निगम कर का भुगतान करने के लिये उत्तरदायी हैं।
- यह कर आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार एक विशिष्ट दर पर लगाया जाता है।
- सितंबर 2019 में भारत ने मौजूदा कंपनियों के लिये निगम कर की दरों को 30% से घटाकर 22% और नई निर्माण कंपनियों के लिये 25% से 15% कर दिया था।
    - सरचार्ज और सेस को मिलाकर मौजूदा कंपनियों के लिये प्रभावी टैक्स दर अब 35% से कम होकर 25.17% हो गई है।

सिक्योरिटी लेनदेन कर (STT)

- यह भारत में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री पर लगाया जाने वाला प्रत्यक्ष कर है।
- खरीदार और विक्रेता दोनों को सिक्योरिटी लेनदेन (STT) कर के रूप में शेयर मूल्य के 0.1% भुगतान करना होता है।

अग्रिम कर संग्रह

- अग्रिम कर का भुगतान उन लोगों द्वारा किया जाता है जिन पर एक वित्तीय वर्ष में 10,000 रुपए या उससे अधिक की कर देनदारी होती है। इसका भुगतान वेतनभोगी कर्मचारियों और व्यवसायों दोनों द्वारा किया जाता है, इस प्रकार इसमें कॉर्पोरेट कर और व्यक्तिगत आयकर से संग्रह राशि दोनों ही शामिल हैं।
- अग्रिम कर का भुगतान तब किया जाता है जब धन वित्तीय वर्ष के अंत के बजाय चार किश्तों में अर्जित किया जाता है।
- इसे बाज़ार में आर्थिक रुख का संकेतक माना जाता है।
- पहली किस्त या वार्षिक कर का 15% 15 जून तक, दूसरी किस्त 15 सितंबर (30%), तीसरी किस्त 15 दिसंबर (30%) तक और शेष 15 मार्च तक चुकानी होती है।

लाभांश वितरण कर

- लाभांश एक कंपनी के शेयरधारकों को मुनाफे के वितरण को संदर्भित करता है।
- इस प्रकार लाभांश वितरण कर भी एक प्रकार का कर है जो कंपनियों द्वारा अपने शेयरधारकों को दिये गए लाभांश पर देय होता है।
- वित्तीय वर्ष 2020-2021 के केंद्रीय बजट में लाभांश भुगतानकर्त्ता द्वारा भुगतान किये गए कर से 'लाभांश वितरण कर' को वापस ले लिया गया था। इसके बजाय अप्रैल 2021 से लाभांश प्राप्तकर्त्ताओं यानी वितरण कंपनी के शेयरधारकों पर कर लगाया जाएगा।
    - प्रस्तावित दर भारत में निवासी शेयरधारकों को भुगतान किये गए लाभांश के लिये 10% और विदेशी निवेशकों को भुगतान किये जाने पर 20% है।

TDS/TCS

- स्रोत पर कर कटौती (TDS): एक व्यक्ति (कटौतीकर्त्ता) जो किसी अन्य व्यक्ति को निर्दिष्ट प्रकृति का भुगतान करने के लिये उत्तरदायी है, स्रोत पर कर की कटौती करता है और इसे केंद्र सरकार के खाते में भेजता है।
- स्रोत पर कर संग्रह: यह एक अतिरिक्त राशि है जो बिक्री के समय खरीदार से निर्दिष्ट माल के विक्रेता द्वारा बिक्री राशि के अतिरिक्त कर के रूप में एकत्र की जाती है और सरकारी खाते में भेजी जाती है।

प्रत्यक्ष करों में बढ़ोतरी के लिये सरकार के प्रयास

- व्यक्तिगत आयकर के लिये: वित्त अधिनियम, 2020 ने व्यक्तियों और सहकारी समितियों को रियायती दरों पर आयकर का भुगतान करने का विकल्प प्रदान किया है यदि वे निर्दिष्ट छूट और प्रोत्साहन का लाभ नहीं उठाते हैं।
- विवाद से विश्वास: इसके तहत वर्तमान में लंबित कर विवादों के निपटारे के लिये घोषणाएँ दायर की जा रही हैं।
  - इससे सरकार को समय पर राजस्व सृजित करने में मदद मिलेगी और साथ ही मुकदमेबाज़ी की बढ़ती लागत को कम करके करदाताओं को भी लाभ होगा।
- TDS/TCS के दायरे का विस्तार: कर आधार को व्यापक बनाने के लिये कई नए प्रकार के लेनदेन को स्रोत पर कर कटौती (TDS) और स्रोत पर कर संग्रह (TCS) के दायरे में लाया गया है।
  - इसमें अधिक नकद निकासी, विदेशी प्रेषण, लक्ज़री कारों की खरीद, ई-कॉमर्स प्रतिभागियों, सामानों की बिक्री, अचल संपत्ति का अधिग्रहण आदि शामिल हैं।
- 'पारदर्शी कराधान-ईमानदार का सम्मान' मंच: इसका उद्देश्य आयकर प्रणाली में पारदर्शिता लाना और करदाताओं को सशक्त बनाना है।

एकीकृत विद्युत विकास योजना

चर्चा में क्यों?

हाल ही में विद्युत मंत्रालय की एकीकृत विद्युत विकास योजना (Integrated Power Development Scheme- IPDS) के तहत हिमाचल प्रदेश के सोलन में 50 kWp के सोलर रूफटॉप का उद्घाटन किया गया।

- यह परियोजना शहरी वितरण योजना में परिकल्पित सरकार की 'गो ग्रीन' (Go Green) पहल को और पुष्ट करती है।

प्रमुख बिंदु:

IPDS के संदर्भ में:

- शुरुआत:
  - इसकी शुरुआत दिसंबर 2014 में की गई।
- नोडल एजेंसी:
  - विद्युत मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत कार्यरत एक नवरत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम (CPSE), पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (Power Finance Corporation Ltd.- PFC) इसके लिये नोडल एजेंसी का कार्य कर रहा है।
- घटक:
  - शहरी क्षेत्रों में सब-ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को मज़बूत करना।
  - शहरी क्षेत्रों में वितरण हेतु ट्रांसफार्मरों/फीडरों/उपभोक्ताओं के लिये मीटर लगाना।
  - एंटरप्राइज़ रिसोर्स प्लानिंग (ERP) और वितरण क्षेत्र को सूचना प्रौद्योगिकी में सक्षम करने हेतु योजनाएँ।
    - ERP किसी व्यवसाय के महत्त्वपूर्ण भागों को एकीकृत करने में मदद करती है।
  - राज्यों की अतिरिक्त मांग को शामिल करने के लिये और उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) में प्रदर्शन करने वाले राज्यों हेतु भूमिगत केबलिंग तथा सरकारी भवनों पर स्मार्ट मीटरिंग समाधान तथा नेट-मीटरिंग के साथ सौर पैनल भी योजना के तहत अनुमत हैं।
- उद्देश्य
  - उपभोक्ताओं को 24×7 विद्युत आपूर्ति करना।
  - कुल तकनीकी और वाणिज्यिक (Aggregate Technical and Commercial- AT&C) क्षति में कमी लाना।
  - सभी घरों तक विद्युत की आपूर्ति सुनिश्चित करना।

- योग्यता:
  - सभी विद्युत वितरण कंपनियाँ (डिस्कॉम) इस योजना के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिये पात्र हैं।
- फंडिंग पैटर्न:
  - भारत सरकार द्वारा अनुदान: 60% (विशेष श्रेणी के राज्यों के लिये 85%)।
  - अतिरिक्त अनुदान: 15% (विशेष श्रेणी के राज्यों के लिये 5%) कार्य के अनुसार।

भारत की स्थिति:

- भारत का विद्युत क्षेत्र विश्व में सबसे विविध क्षेत्रों में से एक है। विद्युत् उत्पादन के स्रोतों की श्रेणी पारंपरिक स्रोतों जैसे- कोयला, लिग्नाइट, प्राकृतिक गैस, तेल, जलविद्युत और परमाणु ऊर्जा से लेकर व्यवहार्य गैर-पारंपरिक स्रोत जैसे- पवन, सौर और कृषि तथा घरेलू कचरे तक है।
- भारत विश्व में विद्युत् का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक और दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है।
- विद्युत एक समवर्ती सूची (संविधान की सातवीं अनुसूची) का विषय है ।
- विद्युत मंत्रालय देश में विद्युत ऊर्जा के विकास के लिये प्राथमिक रूप से उत्तरदायी है।
  - यह विद्युत अधिनियम, 2003 और ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 को प्रशासित करता है।
- सरकार ने वर्ष 2022 तक अक्षय ऊर्जा में 175 गीगावाट क्षमता हासिल करने के लिये अपना रोडमैप जारी किया है, जिसमें 100 गीगावाट सौर ऊर्जा और 60 गीगावाट पवन ऊर्जा शामिल है।
  - सरकार वर्ष 2022 तक रूफटॉप सौर परियोजनाओं के माध्यम से 40 गीगावाट (GW) विद्युत उत्पन्न करने के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु 'रेंट ए रूफ' (Rent a Roof) नीति तैयार कर रही है।
  - नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा से संबंधित सभी मामलों के लिये नोडल मंत्रालय है।
- विद्युत क्षेत्र में स्वत: मार्ग के तहत 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (Foreign Direct Investment- FDI) की अनुमति है।

संबंधित सरकारी पहल:

- प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य): इसका उद्देश्य ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में देश के सभी इच्छुक घरों का विद्युतीकरण सुनिश्चित करना है।
- दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (DDUGJY): ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में (a) कृषि और गैर-कृषि फीडरों को अलग करने (b) वितरण ट्रांसफार्मर, फीडर और उपभोक्ता छोर पर मीटरिंग सहित ग्रामीण क्षेत्रों में उप-पारेषण और वितरण बुनियादी ढाँचे को मज़बूत करने और बढ़ाने का प्रावधान है।
- गर्व (ग्रामीण विद्युतीकरण-GARV) एप: विद्युतीकरण योजनाओं के कार्यान्वयन में पारदर्शिता की निगरानी हेतु GARV एप के माध्यम से प्रगति की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिये सरकार द्वारा ग्रामीण विद्युत अभियान (GVAs) चलाया गया गया है।
- उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय): डिस्कॉम के परिचालन और वित्तीय बदलाव के लिये इसकी शुरुआत की गई।
- संशोधित टैरिफ नीति में '4 ई (4 Es)': 4ई में सभी के लिये विद्युत्, किफायती टैरिफ सुनिश्चित करने की क्षमता, एक स्थायी भविष्य के लिये पर्यावरण, निवेश को आकर्षित करने और वित्तीय व्यवहार्यता सुनिश्चित करने के लिये व्यापार करने में आसानी शामिल है।

उपलब्धियाँ:

- भारत में सौर शुल्क वित्त वर्ष 2015 में 7.36 रुपए प्रति किलोवाट से कम होकर वित्त वर्ष 2020 में 2.63 रुपए प्रति किलोवाट घंटा हो गया है।
- दिसंबर 2020 तक 36.69 करोड़ से अधिक एलईडी बल्ब, 1.14 करोड़ एलईडी ट्यूबलाइट और 23 लाख ऊर्जा कुशल पंखे पूरे देश में वितरित किये गए हैं, जिससे प्रति वर्ष 47.65 बिलियन kWh ऊर्जा की बचत होती है।
- नवंबर 2020 की पहली छमाही में भारत की विद्युत खपत 7.8% बढ़कर 50.15 बिलियन यूनिट (BU) हो गई, जो आर्थिक गतिविधियों में सुधार का संकेत है।

- अप्रैल-सितंबर 2020 में थर्मल स्रोतों से ऊर्जा उत्पादन 472.90 BU रहा।
- विश्व बैंक की ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस - "गेटिंग इलेक्ट्रिसिटी" रैंकिंग में भारत की रैंक वर्ष 2014 के 137 से वर्ष 2019 में 22 हो गई।
- 28 अप्रैल, 2018 तक दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (DDUGJY) के तहत शत-प्रतिशत गाँवों का विद्युतीकरण किया जा चुका है।

ई-कॉमर्स 'फ्लैश सेल' पर प्रतिबंध का प्रस्ताव

चर्चा में क्यों

सरकार ने ई-कॉमर्स वेबसाइटों पर दी जाने वाली भारी छूट की निगरानी के लिये सभी प्रकार "फ्लैश सेल" पर प्रतिबंध लगाते हुए उपभोक्ता संरक्षण (ई-कॉमर्स) नियम [Consumer Protection (e-commerce) Rules] 2020 में बदलाव प्रस्तावित किये हैं।

प्रमुख बिंदु

परिवर्तन के मूल कारण:

- ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर तीसरे पक्ष के विक्रेताओं द्वारा पारंपरिक फ्लैश बिक्री/सेल पर प्रतिबंध नहीं है।
- छोटे व्यवसायियों द्वारा अमेज़ॅन और फ्लिपकार्ट जैसे ई-कॉमर्स मार्केटप्लेस द्वारा बाज़ार प्रभुत्व के दुरुपयोग और भारी छूट की शिकायत की जाती रही है।
- उपभोक्ता मामले मंत्रालय को ई-कॉमर्स इकोसिस्टम में व्यापक धोखाधड़ी और अनुचित व्यापार प्रथाओं के खिलाफ कई शिकायतें भी मिलती रही हैं।
- कुछ ई-कॉमर्स संस्थाएँ 'बैक-टू-बैक' या 'फ्लैश' सेल लाकर उपभोक्ताओं की पसंद को सीमित करती हैं, जिसमें प्लेटफॉर्म पर बेचने वाला कोई विक्रेता इन्वेंट्री या ऑर्डर को पूरा करने की क्षमता नहीं रखता है बल्कि प्लेटफॉर्म द्वारा नियंत्रित दूसरे विक्रेता के साथ केवल 'फ्लैश या बैक-टू-बैक' ऑर्डर पूरा करता है।

प्रस्तावित संशोधन:

- उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 और नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिये मुख्य अनुपालन अधिकारी (Chief Compliance Officer- CCO) की नियुक्ति, कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ 24x7 समन्वय के लिये एक नोडल संपर्क व्यक्ति, उनके आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिये अधिकारी की नियुक्ति का प्रस्ताव किया गया है।
- ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर उपभोक्ताओं की शिकायतों के निवारण के लिये स्थायी रूप से रहने वाले शिकायत अधिकारी (Resident Grievance Officer) की नियुक्ति का भी प्रस्ताव किया गया है, जिसे कंपनी का एक कर्मचारी तथा भारत का नागरिक होना चाहिये।
- तरजीही व्यवहार की बढ़ती चिंताओं से निपटने के लिये, नए नियमों में यह सुनिश्चित करने का प्रस्ताव किया गया है कि किसी भी संबंधित पक्ष को 'अनुचित लाभ' पहुँचाने हेतु किसी भी प्रकार की उपभोक्ता जानकारी (ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से) का उपयोग करने की अनुमति न हो।
- प्रस्तावित संशोधनों में ऐसी व्यवस्था की बात कही गई है कि जब एक ई-कॉमर्स इकाई आयातित वस्तुओं या सेवाओं की पेशकश करे, तो उसके मूल देश की पहचान करने हेतु एक फिल्टर तंत्र हो।
  - साथ ही घरेलू सामानों के लिये उचित अवसर सुनिश्चित करने हेतु विकल्प सुझाए जाएंगे।
- यदि विक्रेता लापरवाही के चलते सामान या सेवाएँ उपलब्ध कराने में विफल रहता है और मार्केटप्लेस ई-कॉमर्स इकाई द्वारा निर्धारित कर्तव्यों एवं देनदारियों को पूरा करने में असफल रहता है तो ऐसी स्थिति में प्रत्येक मार्केटप्लेस ई-कॉमर्स इकाई के लिये देयता (देनदारी या दायित्व) का प्रावधान किया गया है।
- प्रत्येक ई-कॉमर्स इकाई के पंजीकरण के लिये रूपरेखा तैयार की गई है जिसमें उसे उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग (Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT) के पास अपना पंजीकरण कराना होगा।

नोट :

प्रस्तावित संशोधनों का महत्त्व:

- ये संशोधन अधिनियम के प्रावधानों और नियमों का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित करेंगे तथा ई-कॉमर्स संस्थाओं से संबंधित शिकायत निवारण तंत्र को भी मज़बूती प्रदान करेंगे।
- संशोधन का यह प्रस्ताव इसलिये भी महत्त्वपूर्ण है क्योंकि यह ऐसे समय में आया है जब भारतीय प्रतिस्पर्द्धा आयोग (Competition Commission of India- CCI) द्वारा बाज़ार प्रभुत्व के कथित दुरुपयोग और ऐसे विक्रेताओं को तरजीही देने के संदर्भ में बड़े ई-कॉमर्स बाज़ारों की जाँच की जा रही है जिसमें वे अप्रत्यक्ष हिस्सेदारी रखते हैं।

ई-कॉमर्स

- इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स या ई-कॉमर्स एक व्यवसाय मॉडल है जो फर्मों और व्यक्तियों को इंटरनेट के माध्यम से चीजें खरीदने एवं बेचने की सुविधा देता है।
- स्मार्टफोन की बढ़ती पहुँच, 4जी नेटवर्क के लॉन्च और बढ़ती उपभोक्ता संपत्ति से प्रेरित, भारतीय ई-कॉमर्स बाज़ार के वर्ष 2026 तक 200 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँचने की उम्मीद है जो कि वर्ष 2017 में 38.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर थी।
- भारतीय ई-कॉमर्स उद्योग तेज़ी से विकास के पथ पर अग्रसर है और यह आशा व्यक्त की जा रही है वर्ष 2034 तक भारत, अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए विश्व का दूसरा सबसे बड़ा ई-कॉमर्स बाज़ार बन जाएगा।

ई-कॉमर्स के प्रमुख प्रकार

ई-कॉमर्स का प्रकार	उदाहरण
B2C- बिज़नेस टू कंज़्यूमर	Amazon.com एक सामान्य विक्रेता है जो खुदरा उपभोक्ताओं को वस्तुओं की बिक्री करता है।
B2B- बिज़नेस टू बिज़नेस	esteel.com एक स्टील इंडस्ट्री एक्सचेंज है जो स्टील उत्पादकों तथा उपयोगकर्त्ताओं के लिये एक इलेक्ट्रिक मार्केट का निर्माण करता है।
C2C- कंज़्यूमर टू कंज़्यूमर	ebay.com एक ऐसे मार्केट का निर्माण करता है जहाँ उपभोक्ता अपनी वस्तुओं की प्रत्यक्ष नीलामी अथवा बिक्री कर सकते हैं।
P2P- पीयर टू पीयर	Gnutella एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जो मार्केट मेकर के हस्तक्षेप (जैसा कि C2C ई कॉमर्स में होता है) के बिना उपभोक्ताओं को सीधे एक-दूसरे के साथ म्यूजिक साझा करने की अनुमति देता है।
M-कॉमर्स : मोबाइल कॉमर्स	PDA (पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट) या सेल फोन जैसे वायरलेस उपकरणों का उपयोग वाणिज्यिक लेनदेन हेतु कियाजा सकता है।

रिफॉर्म लिंक्ड बॉरोइंग विंडो

चर्चा में क्यों?

भारतीय राज्य 'रिफॉर्म लिंक्ड बॉरोइंग विंडो' के कारण वित्तीय वर्ष 2020-21 (FY21) में 1.06 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त उधार लेने में सक्षम थे।

- अर्थव्यवस्था पर कोविड-19 महामारी के प्रतिकूल प्रभावों से निपटने के लिये राज्यों को अतिरिक्त छूट प्रदान करने की घोषणा की गई थी।

नोट:

- भारत के संविधान के भाग XII का अध्याय II केंद्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा उधार लेने से संबंधित है।
- इसमें दो प्रावधान शामिल हैं- अनुच्छेद 292 जिसमें केंद्र सरकार द्वारा उधार लेना शामिल है और अनुच्छेद 293 जिसमें राज्य सरकारों द्वारा उधार लेना शामिल है।
- अनुच्छेद 293 (3) के अनुसार, पहले से ही केंद्र सरकार की ऋणी राज्य सरकारों को और उधार लेने से पहले केंद्र सरकार की सहमति लेने की आवश्यकता है।

प्रमुख बिंदु:

- यह एक सहायता थी, जो राज्यों को अतिरिक्त धन प्राप्त करने के लिये प्रगतिशील नीतियों को अपनाने के लिये प्रोत्साहित करती थी।
- अक्तूबर 2020 में केंद्र सरकार ने चार महत्त्वपूर्ण सुधारों के कार्यान्वयन के लिये अपने जीएसडीपी (सकल राज्य घरेलू उत्पाद) का 1% अतिरिक्त उधार लेने की अनुमति प्रदान की थी, ये हैं:
  - एक राष्ट्र एक राशन कार्ड प्रणाली का कार्यान्वयन,
  - ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस में सुधार,
  - शहरी स्थानीय निकाय / उपयोगिता में सुधार और
  - विद्युत क्षेत्र में सुधार।
- इस 'रिफॉर्म लिंक्ड बॉरोइंग विंडो' के तहत राज्यों को सभी चार सुधारों के पूरा होने पर 2.14 लाख करोड़ रुपए तक की धनराशि प्राप्त करने की सुविधा प्रदान की गई थी।
- चार में से तीन सुधारों को पूरा करने वाले राज्यों के पूंजीगत व्यय के लिये केंद्र 2,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त धनराशि की सहायता प्रदान करेगा।
- पंद्रहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर वित्त वर्ष 2021-22 के लिये राज्यों हेतु शुद्ध उधार सीमा अनुमानित जीएसडीपी (लगभग 8.46 लाख करोड़ रुपए) के 4% तय की गई है।

'वन नेशन वन राशन कार्ड' प्रणाली (ONORC) में सुधार:

- इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के तहत लाभार्थियों, विशेष रूप से प्रवासी श्रमिकों तथा उनके परिवारों को देश भर में किसी भी उचित मूल्य की दुकान (Fair Price Shop-FPS) से राशन मिल सके।
- साथ ही इसका उद्देश्य लाभार्थियों को बेहतर तरीके से लक्षित करना, फर्जी/ डुप्लिकेट/ अपात्र राशन कार्डों को समाप्त करना और कल्याण को बढ़ावा देना है।
- इसके लिये सरकार द्वारा राज्य के सभी राशन कार्डों की आधार सीडिंग, लाभार्थियों का बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण और राशन की दुकानों के स्वचालन संबंधी सुधार किये गए हैं।

'इज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस' में सुधार

- यह उद्यमों और कंपनियों के संचालन के लिये एक बेहतर वातावरण और बाधा रहित प्रक्रिया की सुविधा प्रदान करता है।
- इस श्रेणी में किये गए सुधारों में शामिल हैं:
  - 'ज़िला स्तरीय व्यापार सुधार कार्य योजना' के प्रथम मूल्यांकन का समापन।
  - विभिन्न अधिनियमों के तहत व्यवसायों द्वारा प्राप्त पंजीकरण प्रमाणपत्र/ अनुमोदन/ लाइसेंस के नवीनीकरण की आवश्यकता को समाप्त करना।
  - अधिनियमों के तहत एक कम्प्यूटरीकृत केंद्रीय यादृच्छिक निरीक्षण प्रणाली का क्रियान्वयन।

शहरी स्थानीय निकाय सुधार:

- इन सुधारों का उद्देश्य राज्यों में शहरी स्थानीय निकायों को वित्तीय मज़बूती प्रदान करना और उन्हें नागरिकों को बेहतर सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता सेवाएँ प्रदान करने में सक्षम बनाना है।
- इन सुधारों के तहत राज्यों के लिये संपत्ति कर और पानी एवं सीवेज शुल्क की न्यूनतम दरों को अधिसूचित करना अनिवार्य कर दिया गया था। यह शहरी क्षेत्रों में स्टाम्प ड्यूटी गाइडलाइंस, लेन-देन के लिये मूल्य एवं वर्तमान लागत के अनुरूप था।

विद्युत क्षेत्र में सुधार

- विद्युत क्षेत्र में सुधारों के तहत राज्य के लिये तीन मापदंडों को पूरा करना अनिवार्य है- समग्र तकनीकी तथा वाणिज्यिक (AT&C) नुकसान में कमी करना, औसत आपूर्ति लागत औरऔसत राजस्व प्राप्ति (ACS-ARR) में अंतर को कम करना तथा प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) के माध्यम से किसानों को बिजली सब्सिडी प्रदान करना।

नोट :

माइक्रोफाइनेंस इंस्टीट्यूशन हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक के प्रस्ताव

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने माइक्रोफाइनेंस इंस्टीट्यूशन (MFI) के लिये ब्याज दर पर कोई सीमा नहीं रखने का प्रस्ताव दिया तथा कहा कि सभी सूक्ष्म ऋणों को दिशा-निर्देशों के एक सामान्य सेट द्वारा विनियमित किया जाना चाहिये, भले ही उन्हें कोई भी दे।

प्रमुख बिंदु

प्रस्ताव:

- RBI का उद्देश्य सभी विनियमित संस्थाओं के लिये माइक्रोफाइनेंस ऋणों की एक सामान्य परिभाषा का सुझाव देना है।
- सूक्ष्म-वित्त संस्थानों के लिये आरबीआई के नियमों के तहत एक सूक्ष्म-वित्त उधारकर्ता की वार्षिक घरेलू आय ग्रामीण क्षेत्रों के लिये 1.25 लाख रुपए तथा शहरी /अर्द्ध-शहरी क्षेत्रों के लिये 2 लाख रुपए तक संपार्श्विक-मुक्त ऋण होना चाहिये।
  - इस प्रयोजन के लिये 'परिवार' का अर्थ सामान्य रूप में एक साथ रहने वाले तथा एक ही रसोई से भोजन प्राप्त करने वाले व्यक्तियों का समूह है।
- RBI ने घरेलू आय के प्रतिशत के रूप में घरेलू आय के सभी बकाया ऋण दायित्वों के लिये ब्याज के भुगतान तथा मूलधन के पुनर्भुगतान को अधिकतम 50% की सीमा के अधीन रखा है।
- गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (NBFC)-MFI जैसी कोई भी अन्य NBFC बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति और उचित व्यवहार संहिता के आधार पर निर्देशित होगी, जिससे प्रकटीकरण और पारदर्शिता सुनिश्चित की जाएगी।
- ब्याज दर के लिये कोई सीमा निर्धारित नहीं होगी। सूक्ष्म ऋणों हेतु कोई संपार्श्विक अनुमति नहीं होगी।
- कोई पूर्व-भुगतान जुर्माना नहीं होना चाहिये ,जबकि सभी संस्थाओं को उधारकर्ताओं को उनकी पसंद के अनुसार साप्ताहिक, पाक्षिक या मासिक किश्तों का भुगतान करने की अनुमति देनी होगी।

प्रस्ताव का महत्त्व:

- RBI ने इस कदम से माइक्रोफाइनेंस सेक्टर की परिपक्वता पर भरोसा जताया है।
- यह एक दूरदर्शी कदम है जहाँ पारदर्शी शर्तों पर उचित ब्याज दर तय करने की ज़िम्मेदारी संस्था की है।

माइक्रोफाइनेंस इंस्टीट्यूशन (MFI):

- यह वित्तीय सेवा का एक रूप है, जो गरीब और कम आय वाले परिवारों को लघु ऋण और अन्य वित्तीय सेवाएँ प्रदान करता है।
- माइक्रोफाइनेंस प्रदान करने वाले संस्थानों की संख्या और माइक्रोफाइनेंस ग्राहकों को उपलब्ध कराए गए क्रेडिट की मात्रा दोनों में वृद्धि के मामले में पिछले दो दशकों में भारतीय माइक्रोफाइनेंस क्षेत्र में अभूतपूर्व वृद्धि देखी गई है।
- माइक्रो क्रेडिट विभिन्न संस्थागत चैनलों के माध्यम से वितरित किया जाता है, जैसे,
  - अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (SCB) [लघु वित्त बैंक (SFB) और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (RRB) सहित]
  - सहकारी बैंक,
  - गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (NBFC)
  - माइक्रोफाइनेंस संस्थान (MFI) NBFC के साथ-साथ अन्य रूपों में पंजीकृत हैं।
- MFI वित्तीय कंपनियाँ उन लोगों को छोटे ऋण प्रदान करती हैं जो समाज के वंचित और कमज़ोर वर्गों से हैं तथा जिनकी बैंकिंग सुविधाओं तक पहुँच नहीं है।
  - सूक्ष्म ऋण का अभिप्राय अलग-अलग देशों में भिन्न होता है। भारत में 1 लाख रुपए से कम के सभी ऋणों को माइक्रोलोन या सूक्ष्म ऋण माना जा सकता है।

नोट :

- महत्त्व :
  - यह वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिये तैयार किया गया एक आर्थिक उपकरण है जो गरीब और निम्न-आय वाले परिवारों को गरीबी से बाहर निकालने, उनकी आय के स्तर को बढ़ाने तथा समग्र जीवन स्तर में सुधार करने में सक्षम बनाता है।
  - यह राष्ट्रीय नीतियों की उपलब्धि को सुगम बना सकता है जो गरीबी स्तर में कमी करके, महिला सशक्तीकरण, कमज़ोर समूहों को सहायता तथा उनके जीवन स्तर में सुधार को लक्षित करती है।

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - सूक्ष्म वित्त संस्थान (NBFC-MFIs)

- NBFC-MFI एक गैर-जमा धारक वाली वित्तीय कंपनी है।
- NBFC-MFI के रूप में अर्हता प्राप्त करने की शर्तें:
  - 5 करोड़ रुपए की न्यूनतम शुद्ध स्वामित्व वाली निधि (NOF)।
  - अर्हता संपत्ति की प्रकृति में इसकी शुद्ध संपत्ति का कम-से-कम 85% होना चाहिये।
    - अर्हता संपत्ति (Qualifying Assets) वे संपत्तियाँ हैं जिनके पास अपने इच्छित उपयोग या बिक्री के लिये पर्याप्त समय है।
- NBFC-MFI और अन्य NBFC के बीच अंतर यह है कि जहाँ अन्य NBFC बहुत उच्च स्तर पर काम कर सकती हैं, वहीं MFI केवल लघु स्तर के सामाजिक पहलू को पूरा करते हैं, जिसमें ऋण के रूप में छोटी राशि की आवश्यकता होती है।

विश्व का पहला आनुवंशिक रूप से संशोधित रबड़: असम

चर्चा में क्यों?

हाल ही में रबड़ अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित विश्व का पहला आनुवंशिक रूप से संशोधित (Genetically Modified- GM) रबड़ संयंत्र असम में स्थापित किया गया।

- रबड़ संयंत्र इस क्षेत्र के लिये विशेष रूप से विकसित अपनी तरह का पहला संयंत्र है जिसके चलते पूर्वोत्तर क्षेत्र की जलवायु परिस्थितियों में रबड़ के अच्छी तरह से विकसित होने की आशा है।

प्रमुख बिंदु:

GM रबड़ के संदर्भ में:

- आनुवंशिक संशोधन (GM) प्रौद्योगिकी में प्रयोगशाला तकनीकों का उपयोग कर प्रजातियों के बीच विशिष्ट लक्षणों के लिये जीन को स्थानांतरित किया जाता है।
- इस रबड़ में मैंगनीज युक्त सुपरऑक्साइड डिसम्यूटेज़ (MnSOD) जीन को अंतर्वेशित कराया गया है जिसके चलते यह उत्तर-पूर्व में शीतऋतु में पड़ने वाली कड़ाके की ठंड का मुकाबला करने में सक्षम होगी।
  - MnSOD जीन में पौधों को ठंड और सूखे जैसे गंभीर पर्यावरणीय स्थितियों के प्रतिकूल प्रभावों से बचाने की क्षमता होती है।
- आवश्यकता:
  - प्राकृतिक रबड़ उष्ण आर्द्र अमेज़न वनों की मूल प्रजाति है और पूर्वोत्तर की शीत परिस्थितियों के लिये स्वाभाविक रूप से अनुकूल नहीं है, जो भारत में रबड़ के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है।
  - शीतकाल के दौरान मृदा के लगातार शुष्क बने रहने के कारण रबर के पौधों की वृद्धि रुक जाती है। यही कारण है कि इस क्षेत्र में रबड़ के पौधों के परिपक्व होने की अवधि लंबी होती है।

प्राकृतिक रबड़:

- वाणिज्यिक वृक्षारोपण फसल: रबर हेविया ब्रासिलिएन्सिस (Hevea Brasiliensis.) नामक वृक्ष के लेटेक्स से बनाया जाता है। रबर को बड़े पैमाने पर एक रणनीतिक औद्योगिक कच्चे माल के रूप में माना जाता है और इसे रक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा तथा औद्योगिक विकास के लिये विश्व स्तर पर विशेष दर्जा दिया गया है।

- वृद्धि के लिये आवश्यक दशाएँ: यह एक भूमध्यरेखीय फसल है परंतु विशेष परिस्थितियों में इसे उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में भी उगाया जाता है।
  - तापमान: नम और आर्द्र जलवायु के साथ 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान।
  - वर्षा: 200 सेमी. से अधिक।
  - मृदा का प्रकार: अच्छी जल निकासी वाली जलोढ़ मृदा।
  - इस रोपण फसल के लिये कुशल श्रम की सस्ती और पर्याप्त आपूर्ति की आवश्यकता होती है।
- भारतीय परिदृश्य:
  - अंग्रेज़ों ने भारत में पहला रबर बागान वर्ष 1902 में केरल में पेरियार नदी के तट पर स्थापित किया था।
  - भारत वर्तमान में उच्चतम उत्पादकता (वर्ष 2017-18 में 694,000 टन) के साथ विश्व में प्राकृतिक रबड़ का छठा सबसे बड़ा उत्पादक है।
  - शीर्ष रबड़ उत्पादक राज्य: केरल > तमिलनाडु > कर्नाटक।
- सरकारी पहल: रबड़ प्लांटेशन डेवलपमेंट स्कीम और रबड़ ग्रुप प्लांटिंग स्कीम रबड़ के लिये सरकार के नेतृत्व वाली पहल के उदाहरण हैं।
  - रबर, कॉफी, चाय, इलायची, ताड़ के वृक्ष और जैतून के वृक्षारोपण में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) की अनुमति है।
- विश्व स्तर पर प्रमुख उत्पादक: थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम, चीन और भारत।
- प्रमुख उपभोक्ता: चीन, भारत, अमेरिका, जापान, थाईलैंड, इंडोनेशिया और मलेशिया।

भारत की राष्ट्रीय रबड़ नीति:

- वाणिज्य विभाग द्वारा मार्च 2019 में राष्ट्रीय रबड़ नीति प्रस्तुत की गई थी।
- इस नीति में प्राकृतिक रबड़ उत्पादन क्षेत्र और संपूर्ण रबड़ उद्योग मूल्य श्रृंखला का समर्थन करने के लिये कई प्रावधान शामिल हैं।
  - इसमें रबर की नई रोपण और पुनर्रोपण, उत्पादकों के लिये सहायता, प्राकृतिक रबड़ का प्रसंस्करण और विपणन, श्रम की कमी, उत्पादक मंच, बाह्य व्यापार, केंद्र-राज्य एकीकृत रणनीति, अनुसंधान, प्रशिक्षण, रबर उत्पाद निर्माण और निर्यात, जलवायु परिवर्तन संबंधी मुद्दे और कार्बन बाज़ार शामिल हैं।
  - यह देश में रबड़ उत्पादकों के सामने आने वाली समस्याओं को कम करने के लिये रबड़ क्षेत्र पर गठित टास्क फोर्स द्वारा चिह्नित अल्पकालिक और दीर्घकालिक रणनीतियों पर आधारित है।
  - मीडियम टर्म फ्रेमवर्क (MTF, वर्ष 2017-18 से 2019-20) में प्राकृतिक रबड़ क्षेत्र का सतत् और समावेशी विकास (Sustainable and Inclusive Development of Natural Rubber Sector) योजना को लागू करके उत्पादकों के कल्याण के लिये प्राकृतिक रबड़ क्षेत्र को विस्तारित करने हेतु रबड़ बोर्ड विकास और अनुसंधान गतिविधियों को संपन्न करता है।
  - विकासात्मक गतिविधियों में रोपण के लिये वित्तीय एवं तकनीकी सहायता, गुणवत्तापूर्ण रोपण सामग्री की आपूर्ति, उत्पादक मंचों के लिये सहायता, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास कार्यक्रम शामिल हैं।

रबड़ बोर्ड:

- यह वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है तथा इसका मुख्यालय केरल के कोट्टायम में स्थित है।
- यह रबड़ से संबंधित अनुसंधान, विकास, विस्तार एवं प्रशिक्षण गतिविधियों को सहायता और प्रोत्साहित करके देश में रबड़ उद्योग के विकास के लिये उत्तरदायी है।
- रबड़ अनुसंधान संस्थान (Rubber Research Institute) रबड़ बोर्ड के अधीन कार्यरत है।

G20 श्रम और रोज़गार मंत्रियों की बैठक

चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री (Union Minister for Labour and Employment) ने कहा है कि भारत श्रम बल की भागीदारी में लैंगिक अंतराल को कम करने के लिये सामूहिक प्रयास कर रहा है।

- वह G20 श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक में घोषणा और रोज़गार कार्य समूह की प्राथमिकताओं पर बैठक को संबोधित कर रहे थे।

G20

- G20 समूह विश्व बैंक एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रतिनिधि, यूरोपियन संघ एवं 19 देशों का एक अनौपचारिक समूह है।
- G20 समूह विश्व की प्रमुख उन्नत और उभरती अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों को एक साथ लाता है। यह वैश्विक व्यापार का 75%, वैश्विक निवेश का 85%, वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 85% तथा विश्व की दो-तिहाई जनसंख्या का प्रतिनिधित्त्व करता है
- सदस्य: इसमें अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, यूरोपियन यूनियन, फ्राँस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मेक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल हैं।

प्रमुख बिंदु:

बैठक में चर्चित मुद्दे:

- रोजगार कार्य समूह ने महिला रोज़गार, सामाजिक सुरक्षा और दूरस्थ कार्य सहित प्रमुख मुद्दों पर विचार-विमर्श किया।
  - वर्ष 2014 में G20 नेताओं ने ब्रिस्बेन में वर्ष 2025 तक पुरुषों और महिलाओं के बीच श्रम शक्ति भागीदारी दर में अंतर को 25% तक कम करने का संकल्प लिया, जिसका उद्देश्य 100 मिलियन महिलाओं को श्रम क्षेत्र में लाना, वैश्विक एवं समावेशी विकास को बढ़ाना और गरीबी एवं असमानता को कम करना था। ।

भारत द्वारा हाइलाइट की गई पहल:

- शैक्षिक और कौशल प्रयास (Educational and Skilling Efforts):
  - नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020:
    - इसका उद्देश्य स्कूल और उच्च शिक्षा प्रणालियों में सुधार करना है।
    - भारत, पूर्वस्कूली से वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लये अपने शैक्षिक और कौशल प्रयासों को मज़बूत कर रहा है।
  - राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन:
    - इसका उद्देश्य कौशल प्रशिक्षण गतिविधियों के संदर्भ में सभी क्षेत्रों और राज्यों को केंद्रबिंदु बनाना है।
  - प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना:
    - एक कौशल प्रमाणीकरण कार्यक्रम जिसके अंतर्गत एक बड़ी संख्या में भारतीय युवाओं एवं युवतियों को उद्योग-अनुरूप कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा जो उन्हें बेहतर जीविका सुनिश्चित करने में सहायता प्रदान करेगा।
  - दीक्षा (DIKSHA), स्वयं (SWAYAM) जैसे विभिन्न ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म पर डिजिटल शैक्षिक सामग्री उपलब्ध कराई गई है।
- रोजगार सृजन के लिये:
  - आत्मानिर्भर भारत रोज़गार योजना:
    - सरकार नए कर्मचारियों के साथ-साथ महामारी में अपनी नौकरी खो चुके लोगों के लिये EPF योगदान हेतु 24% तक वेतन का भुगतान कर रही है तथा उन्हें फिर से नियोजित किया जा रहा है।
- महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिये:
  - नई श्रम संहिता 2019:
    - यह वेतन, भर्ती और रोजगार की शर्तों में लिंग आधारित भेदभाव को कम करेगा।

- प्रधानमंत्री मुद्रा योजना:
  - यह महिला उद्यमियों को लघु उद्यम शुरू करने के लिये वित्तीय सहायता प्रदान करता है।
  - इस योजना के तहत अब तक कुल 9 लाख करोड़ रुपये के संपार्श्विक मुक्त ऋण वितरित किये गए हैं।
  - इस योजना के अंतर्गत लगभग 70% महिलाएँ हैं।
- नई सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020:
  - इसमें अब स्व-नियोजित तथा अन्य सभी वर्ग के कार्यबल को भी सामाजिक सुरक्षा कवरेज के दायरे में शामिल किया जा सकता है।
- अन्य:
  - महिलाएँ अब रात के समय भी काम कर सकती हैं तथा सवैतनिक मातृत्व अवकाश (Maternity Leave) की अवधि 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह कर दी गई है।

ब्रिस्बेन लक्ष्य की ओर तथा उससे आगे G20 रोडमैप:

- इसे श्रम बाजारों के साथ-साथ सामान्य रूप से समाजों में महिलाओं और पुरुषों हेतु समान अवसर तथा परिणाम प्राप्त करने के लिये विकसित किया गया है।
- ब्रिस्बेन लक्ष्य की ओर तथा उससे आगे G20 रोडमैप को इस प्रकार निर्धारित किया गया है:
  - महिलाओं के रोज़गार की मात्रा और गुणवत्ता में वृद्धि करना।
  - समान अवसर सुनिश्चित करना और श्रम बाजार में बेहतर परिणाम प्राप्त करना।
  - सभी क्षेत्रों और व्यवसायों में महिलाओं और पुरुषों के समान वितरण को बढ़ावा देना।
  - लैंगिक वेतन अंतर से निपटना।
  - महिलाओं तथा पुरुषों के बीच भुगतान और अवैतनिक काम के अधिक संतुलित वितरण को प्रोत्साहित करना।
  - श्रम बाजार में भेदभाव और लैंगिक रुढ़िबद्धता का समाधान करना।

श्रम बल भागीदारी

- श्रम बल भागीदारी दर कार्यशील आयु के सभी लोगों के प्रतिशत को इंगित करती है जो कार्यरत हैं या सक्रिय रूप से काम की तलाश कर रहे हैं।
- भारत महिलाओं को समान अवसर प्रदान करने के लिये प्रयासरत है।
- अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) के अनुमानों के अनुसार, 2019 में, कोविड -19 महामारी से पूर्व भारत में महिला श्रम बल की भागीदारी 23.5% थी।
- आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण(PLFS), 2018-19 के अनुसार, भारत में 15 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं में महिला श्रम बल भागीदारी दर (LFPR) ग्रामीण क्षेत्रों में 26.4% और शहरी क्षेत्रों में 20.4% है।

महिला श्रम बल की भागीदारी में बाधाएँ

- समाज में रूढ़िबद्धता: भारत के सामाजिक मानदंड ऐसे हैं कि महिलाओं से परिवार की देखभाल और बच्चों की देखभाल की ज़िम्मेदारी की आशा की जाती है। यह रूढ़िवादिता महिलाओं की श्रम शक्ति की भागीदारी में एक महत्त्वपूर्ण बाधा है।
  - इससे महिलाएँ काम के लिये समय के आवंटन को लेकर लगातार संघर्ष करती हैं और यह उनके लिये जीवन संघर्ष की लड़ाई होती है।
- डिजिटल अंतराल: भारत में वर्ष 2019 में इंटरनेट उपयोगकर्त्ताओं में 67% पुरुष और 33% महिलाएँ थी तथा यह अंतराल ग्रामीण क्षेत्रों में और भी अधिक है।
  - यह अंतराल महिलाओं के लिये महत्त्वपूर्ण शिक्षा, स्वास्थ्य और वित्तीय सेवाओं तक पहुँचने या उन गतिविधियों या क्षेत्रों में सफलता प्राप्त करने में एक बाधा बन सकता है जो अधिक डिजिटलाइज़ हो रहे हैं।

- तकनीकी व्यवधान: महिलाएँ अधिकांश प्रशासनिक और डेटा-प्रसंस्करण क्षेत्रों में भूमिकाएँ निभाती हैं, जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता तथा अन्य तकनीकों के प्रचलन से अधिक प्रभावित होंगे।
  - जैसे-जैसे नियमित नौकरियाँ स्वचालित होंगी, महिलाओं पर दबाव और बढ़ेगा तथा वे उच्च बेरोज़गारी दर से प्रभावित हो सकती हैं।
- लैंगिक-संबंधित डेटा का अभाव: वैश्विक स्तर पर लैंगिक डेटा में प्रमुख अंतराल और प्रचलित डेटा की कमी के कारण प्रगति की निगरानी करना मुश्किल हो जाता है।
  - भारत में भी बालिकाओं के आँकड़ों में महत्त्वपूर्ण अंतराल लड़कियों के जीवन के व्यवस्थित अनुदैर्ध्य मूल्यांकन (Longitudinal Assessment) को प्रभावित करता है।
- कोविड-19 का प्रभाव: कोविड-19 के कारण वैश्विक महिला रोज़गार पुरुष रोज़गार (ILO अनुमान) की तुलना में 19% अधिक जोखिम में है।

आगे की राह:

- महिलाओं के लिये काम के अवसर कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित हैं। विभिन्न क्षेत्रों और व्यवसायों में रोज़गार तक पहुँच को बढ़ावा देने, विविध क्षेत्रों में निवेश और विशेष रूप से ग्रामीण तथा अर्द्ध-शहरी क्षेत्रों में परिवहन, आवास, स्वच्छता सुविधाओं, रोशनी एवं बुनियादी ढाँचे के समर्थन के लिये नीति निर्माण की आवश्यकता है।
- महिला उद्यमिता को प्रोत्साहित करना एक व्यापक गतिशील अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दे सकता है, महिलाओं की आर्थिक भूमिका को बढ़ा सकता है और इसलिये विकास के लाभों को अधिक समावेशी रूप से वितरित कर सकता है।

अन्य सेवा प्रदाताओं के लिये दिशा-निर्देश

चर्चा में क्यों?

हाल ही में दूरसंचार विभाग (Department of Telecommunications- DoT) ने अन्य सेवा प्रदाताओं (Other Service Providers- OSPs) के लिये मानदंडों को और अधिक उदार बनाया है।

- भारत में बिज़नेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग (Business Process Outsourcing- BPO) उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिये OSP दिशा-निर्देशों को इससे पहले नवंबर 2020 में उदार बनाया गया था। नए दिशा-निर्देशों को और भी सरल बनाया गया है, जिससे व्यापार में अधिक आसानी और नियामक स्पष्टता की पेशकश की गई है।

प्रमुख बिंदु:

बिज़नेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग (BPO):

- BPO कई लाभ प्रदान करते हैं जैसे- कम लागत, वैश्विक विस्तार एवं उच्च दक्षता इसके अलावा इनमें कुछ कमियाँ जैसे- सुरक्षा मुद्दे, छिपी हुई लागत और अति निर्भरता आदि भी शामिल हैं।
  - BPO एक ऐसा व्यावसाय है जिसमें एक संगठन एक बाह्य सेवा प्रदाता के साथ एक आवश्यक व्यावसायिक कार्य करने के लिये अनुबंध करता है।
- OSPs या अन्य सेवा प्रदाता ऐसी कंपनियाँ या फर्म होती हैं जो विभिन्न कंपनियों, बैंकों या अस्पताल श्रृंखलाओं के लिये क्रमशः टेलीमार्केटिंग, टेलीबैंकिंग या टेलीमेडिसिन जैसी माध्यमिक या तृतीयक सेवाएँ प्रदान करती हैं।
- भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी (IT)- BPO उद्योग वर्ष 2019-2020 में $ 37.6 बिलियन का रहा और अगले चार से पाँच वर्षों में इसमें $ 55.5 बिलियन तक बढ़ने की क्षमता है।

नई नीति की महत्त्वपूर्ण विशेषताएँ:

- घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय OSP के बीच के अंतर को हटा दिया गया है। सामान्य दूरसंचार संसाधनों वाला एक BPO केंद्र अब भारत में पूरे विश्व के ग्राहकों को सेवा प्रदान करने में सक्षम होगा।

- वर्तमान में सभी प्रकार के OSP केंद्रों के बीच इंटरकनेक्टिविटी की अनुमति है।

- OSPs का इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट ऑटोमेटिक ब्रांच एक्सचेंज (Electronic Private Automatic Branch Exchange- EPABX) विश्व में कहीं भी स्थित हो सकता है।
- एक अवधि के आधार पर DoT को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने वाले OSPs की आवश्यकता को हटा दिया गया है।
  - ऐसे सेवा प्रदाताओं को एक निश्चित समय अवधि के लिये सभी ग्राहक कॉल्स के लिये कॉल डेटा रिकॉर्ड, उपयोग डेटा रिकॉर्ड और सिस्टम लॉग को स्व-विनियमित और बनाए रखना होगा।
  - उन्हें केंद्र द्वारा निर्धारित डेटा सुरक्षा मानदंडों का भी पालन करना होगा।
- अन्य प्रावधान:
  - नवंबर 2020 में OSP दिशा-निर्देशों को निम्नलिखित के रूप में उदार बनाया गया था :
    - OSPs को किसी भी पंजीकरण की आवश्यकता से छूट।
    - डेटा से संबंधित OSP को किसी भी विनियमन के दायरे से पूरी तरह से बाहर निकाल दिया गया था
    - कोई बैंक गारंटी प्रस्तुत नहीं करनी थी।
    - वर्क फ्रॉम होम और वर्क फ्रॉम एनीवेयर की भी अनुमति थी।
    - सरकार के व्यवसाय में विश्वास की पुष्टि करते हुए उल्लंघन के लिये दंड को पूरी तरह से हटा दिया गया था।

अपेक्षित लाभ:

- ये दिशानिर्देश BPOs और IT फर्मों के लिये स्थान की लागत, परिसर के किराए और बिजली तथा इंटरनेट बिल जैसे अन्य सहायक लागतों में कटौती करना आसान बना देंगे।
- कंपनियों को अब DoT व OSP कर्मचारियों के विवरण प्रदान करने का अतिरिक्त अनुपालन बोझ नहीं उठाना पड़ेगा, क्योंकि उन्हें विस्तारित या दूरस्थ एजेंट के रूप में पहचाना जाता है।
- पंजीकरण मानदंडों को हटाने का अर्थ यह भी होगा कि ऐसे लाइसेंसों का नवीनीकरण नहीं होगा। इससे विदेशी कंपनियों को भारत में अपनी अन्य सेवा प्रदान करने वाली इकाइयों की स्थापना या विस्तार करने में आसानी होगी।
- इसके अलावा कर्मचारियों को घर से काम करते हुए एक से अधिक कंपनियों के लिये फ्रीलांसिंग का विकल्प चुनने की अनुमति भी हो सकेगी, जिससे इस क्षेत्र में अधिक श्रमिकों को आकर्षित किया जा सकेगा।

BOP उद्योग को बढ़ावा देने के लिये उठाए गए अन्य कदम:

- आत्मनिर्भर भारत
- इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण उत्पादकता लिंक्ड प्रोत्साहन योजना
- इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर योजना
- दूरसंचार उपकरण के लिये पीएलआई योजना
- आईटी और दूरसंचार में व्यापार सुगमता
- स्पेक्ट्रम शेयरिंग और ट्रेडिंग
- कुछ निश्चित फ्रीक्वेंसी बैंड का लाइसेंस रद्दीकरण
- वर्चुअल नेटवर्क ऑपरेटर (Virtual Network Operator) लाइसेंस

नोट: वर्चुअल नेटवर्क ऑपरेटर (VNO), लाइसेंस इंटरनेट सेवा प्रदाता (ISP) लाइसेंस का एक छोटा उपसमुच्चय है। ISP जो केवल एक विशेष ज़िले या राज्य में ISP व्यवसाय करना चाहते हैं, वे ISP लाइसेंस की तुलना में VNO की लागत प्रभावशीलता के कारण ISP लाइसेंस के बजाय VNO लाइसेंस का विकल्प चुन सकते हैं।

गुजरात अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मध्यस्थता केंद्र

चर्चा में क्यों?

हाल ही में गुजरात की 'गिफ्ट' सिटी (गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक-सिटी) में 'गुजरात मैरीटाइम यूनिवर्सिटी' और 'इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज़ सेंटर अथॉरिटी' के बीच एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किये गए हैं।

- इस MoU का उद्देश्य संयुक्त रूप से 'गुजरात अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मध्यस्थता केंद्र' (GIMAC) की स्थापना का समर्थन करना है।

प्रमुख बिंदु

'गुजरात अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मध्यस्थता केंद्र' के विषय में

- यह देश में अपनी तरह का पहला केंद्र होगा, जो समुद्री और शिपिंग क्षेत्र से संबंधित विवादों में मध्यस्थता की कार्यवाही का प्रबंधन करेगा।
- यह मध्यस्थता केंद्र एक समुद्री क्लस्टर का हिस्सा होगा, जिसे गांधीनगर स्थित 'गुजरात मैरीटाइम बोर्ड' (GMB) द्वारा गिफ्ट सिटी में स्थापित किया जा रहा है।

आवश्यकता

- मध्यस्थता पर भारत का फोकस: हाल ही में सरकार द्वारा मध्यस्थता एवं सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2021 को अधिसूचित किया गया है, जिसे भारत को अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता केंद्र बनाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है।
  - मध्यस्थता एक प्रकार की विवाद समाधान पद्धति है, जहाँ दो या दो से अधिक पक्षों के बीच उत्पन्न होने वाले विवादों को राज्य के कानूनी निकायों के बजाय उनके द्वारा नियुक्त मध्यस्थों द्वारा हल किया जाता है।
- भारत में वर्तमान में 35 से अधिक मध्यस्थता संस्थान हैं, हालाँकि इसमें से कोई भी विशेष तौर पर समुद्री क्षेत्र से संबंधित विवादों पर ध्यान केंद्रित नहीं करता है।
  - गुजरात मैरीटाइम क्लस्टर परियोजना के कार्यान्वयन के साथ राज्य में समुद्री गतिविधियों का तेज़ी से विस्तार हो रहा है और राज्य वैश्विक समुद्री केंद्र बनने के करीब पहुँच गया है, ऐसे में समुद्री विवादों में मध्यस्थता सेवाओं के लिये एक विशेष सुविधा स्थापित करना काफी महत्त्वपूर्ण हो गया है।
- इसका उद्देश्य समुद्री और शिपिंग विवादों पर केंद्रित एक विश्व स्तरीय मध्यस्थता केंद्र स्थापित करना है, जो भारत में परिचालन वाली संस्थाओं के बीच वाणिज्यिक और वित्तीय संघर्षों को हल करने में मदद कर सके।
  - अब तक भारतीय पक्षों से जुड़े मध्यस्थता मामलों की सुनवाई सिंगापुर मध्यस्थता केंद्र में की जाती रही है।
  - वैश्विक स्तर पर लंदन को समुद्री एवं शिपिंग क्षेत्र के लिये मध्यस्थता का महत्त्वपूर्ण केंद्र माना जाता है।

लाभ

- तीव्र विवाद समाधान की सुविधा।
- अंतर्राष्ट्रीय समुद्री समुदाय के बीच 'गिफ्ट स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन (SEZ) के आकर्षण में बढ़ोतरी।
- 'ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस' में सुधार
- न्यायालयों के कार्यभार में कमी

गुजरात मैरीटाइम क्लस्टर

- इसकी परिकल्पना बंदरगाहों, समुद्री नौवहन और रसद सेवा प्रदाताओं के एक समर्पित पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में की गई है।
- यह गिफ्ट सिटी, गांधीनगर, जो कि भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (IFSCA) है, में प्रासंगिक सरकारी नियामक एजेंसियों के साथ समुद्री, शिपिंग उद्योग कंपनियों और सेवा प्रदाताओं की एक श्रृंखला की मेज़बानी करेगा।
  - अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (IFSCA) भारत में वित्तीय उत्पादों, वित्तीय सेवाओं और वित्तीय संस्थानों के विकास एवं विनियमन हेतु एक एकीकृत प्राधिकरण है।
- यह क्षेत्र में आर्थिक विकास, रोज़गार सृजन और उद्योग-शैक्षणिक समन्वय के साथ सभी समुद्री सेवाओं के लिये एक 'वन-स्टॉप सल्यूशन' होगा।

2020 में नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन लागत: IRENA

चर्चा में क्यों?

हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी (IRENA) ने '2020 में नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन लागत' रिपोर्ट जारी की।

प्रमुख बिंदु

कोयले को नवीकरणीय ऊर्जा से स्थानांतरित करना:

- दुनिया के मौजूदा कोयले से चलने वाले संयंत्रों की क्षमता 810 गीगावाट (GW) यानी कुल वैश्विक ऊर्जा क्षमता की 38% है। अब नए उपयोगिता-पैमाने पर इस ऊर्जा की लागत फोटोवोल्टिक और तटवर्ती पवन ऊर्जा की तुलना में अधिक है।
- G20 देशों में जीवाश्म ईंधन से चलने वाली बिजली के उत्पादन की लागत सीमा 0.055 0.148 अमेरिकी डॉलर प्रति किलोवाट-घंटे (kWh) के बीच होने का अनुमान है।
- इस महँगी कोयला द्वारा निर्मित ऊर्जा को नवीकरणीय ऊर्जा द्वारा स्थानांतरित करने से ऑपरेटरों को प्रतिवर्ष 32 बिलियन अमेरिकी डॉलर की बचत होगी और वार्षिक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में लगभग तीन बिलियन टन की कमी आएगी।
- वर्ष 2019 में उभरते और विकासशील देशों द्वारा अपनाई गई नवीकरणीय क्षमताओं से पारंपरिक स्रोतों की तुलना में प्रतिवर्ष 6 बिलियन अमेरिकी डॉलर की बचत की होगी।

वर्ष 2020 में नवीकरणीय ऊर्जा में वृद्धि:

- कोविड-19 महामारी के बावजूद वर्ष 2020 में नवीकरणीय ऊर्जा परिनियोजन के लिये 261 GW क्षमता स्थापित होने का रिकॉर्ड रहा। यह वृद्धि वर्ष 2019 की तुलना में लगभग 50% अधिक थी और इसने वैश्विक नवीन ऊर्जा क्षमता के 82% का प्रतिनिधित्व किया।
- पिछले वर्ष संकलित कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता की लगभग 162 GW या 62% ऊर्जा की लागत सबसे सस्ते नए जीवाश्म ईंधन विकल्पों की तुलना में भी कम थी।

वर्ष 2020 में संकलित किये गए स्रोतों से ऊर्जा की आपूर्ति का क्रम:

- जियोथर्मल ऊर्जा> फोटोवोल्टिक (पीवी) ऊर्जा> पवन ऊर्जा> जलविद्युत ऊर्जा> बायो ऊर्जा> सौर ऊर्जा को केंद्रित करना।

वृद्धि के कारण:

- वर्ष 2000 और 2020 के बीच नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता तीन गुना से अधिक बढ़ी है तथा यह 754 GW से बढ़कर 2,799 GW हो गई।
- विकास प्रौद्योगिकियों में प्रगति, घटक लागत में लगातार गिरावट, लागत-प्रतिस्पर्धी आपूर्ति वितरण चैनलों की उपस्थिति और वाणिज्यिक पैमाने पर उपलब्धता के कारण यह संभव हुआ था।

नवीकरणीय लागत में कमी:

- लगभग 10 वर्षों (2010-2020) में वाणिज्यिक सौर पीवी से उत्पादित बिजली की लागत में 85%, सीएसपी में 68%, तटवर्ती पवन में 68% और अपतटीय पवन में 48% तक कमी आई है।
- वर्ष 2022 तक के आउटलुक में वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा लागत में और गिरावट देखी जा रही है।

अक्षय/नवीकरणीय ऊर्जा के लिये भारतीय पहल:

- हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन
- जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन (JNNSM)
- अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन
- पीएम- कुसुम
- राष्ट्रीय पवन-सौर हाइब्रिड नीति
- रूफटॉप सोलर योजना

नोट :

अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी

- यह एक अंतर-सरकारी संगठन है, जिसे आधिकारिक तौर पर जनवरी 2009 में बॉन, जर्मनी में स्थापित किया गया था।
- वर्तमान में इसके 164 सदस्य देश हैं और भारत इसका 77वाँ संस्थापक सदस्य देश है।
- इसका मुख्यालय अबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात में स्थित है।

प्रमुख कार्य

- यह एक स्थायी ऊर्जा भविष्य के लिये अपने सदस्य देशों को उनके ट्रांज़ीशन में सहायता करता है और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिये प्रमुख मंच, उत्कृष्टता केंद्र और नवीकरणीय ऊर्जा पर नीति, प्रौद्योगिकी, संसाधन तथा वित्तीय ज्ञान के भंडार के रूप में कार्य करता है।
- यह सतत् विकास, ऊर्जा पहुँच, ऊर्जा सुरक्षा और निम्न कार्बन आर्थिक विकास एवं समृद्धि सुनिश्चित करने हेतु जैव ऊर्जा, भू-तापीय, जलविद्युत, महासागर, सौर एवं पवन ऊर्जा सहित नवीकरणीय ऊर्जा के सभी रूपों को व्यापक रूप से अपनाने और सतत् उपयोग को बढ़ावा देने का कार्य भी करता है।

आगे की राह

- विभिन्न उद्देश्यों और कार्यों के लिये नवीकरणीय ऊर्जा को सबसे किफायती ऊर्जा स्रोत माना जा सकता है। सभी देशों को पेरिस समझौते के तहत लक्ष्यों को प्राप्त करने और जीवाश्म ईंधन बाज़ारों में उत्पन्न होने वाली अनिश्चितता से अपनी अर्थव्यवस्थाओं को बचाने के लिये नवीकरणीय ऊर्जा के व्यापक पैमाने पर उपयोग के बारे में विचार करना चाहिये।
- नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र को जोखिम से मुक्त करने के लिये सही नीतिगत प्रोत्साहन और वित्तीय प्रोत्साहन के साथ-साथ राजनीतिक समर्थन दिये जाने की आवश्यकता है, क्योंकि अधिकांश देशों ने नवीकरणीय ऊर्जा के प्रयोग की दिशा में अपनी प्रतिबद्धताओं का संकेत पहले ही दे दिया है।

टॉयकथॉन 2021

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने टॉयकथॉन 2021 (Toycathon 2021) में प्रतिभागियों के साथ बातचीत करते हुए लोगों से "वोकल फॉर लोकल टॉयज" यानी "स्थानीय खिलौनों की ओर रुख करने" का आग्रह किया।

प्रमुख बिंदु:

मंत्रालय:

- यह पहल शिक्षा मंत्रालय, महिला और बाल विकास मंत्रालय, कपड़ा मंत्रालय, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम मंत्रालय, सूचना व प्रसारण मंत्रालय और तकनीकी शिक्षा के लिये अखिल भारतीय परिषद (AICTE) द्वारा की गई।
- इसे 5 जनवरी 2021 को खिलौनों और खेल के अभिनव विचारों को आमंत्रित करने के लिये लॉन्च किया गया था।

उद्देश्य:

- भारतीय मूल्य प्रणाली के आधार पर नवीन खिलौनों की अवधारणा का विकास करना जो बच्चों में सकारात्मक व्यवहार और अच्छे मूल्यों को बढ़ाएगा।
- भारत को एक वैश्विक खिलौना विनिर्माण केंद्र (आत्मनिर्भर अभियान) के रूप में बढ़ावा देना।

विशेषताएँ:

- आधार: यह भारतीय संस्कृति और लोकाचार, स्थानीय लोककथाएँ तथा नायक एवं भारतीय मूल्य प्रणालियों पर आधारित है।
- थीम: इसमें फिटनेस, खेल, पारंपरिक भारतीय खिलौनों के प्रदर्शन सहित नौ थीम शामिल हैं।
- भागीदार: छात्र, शिक्षक, स्टार्ट-अप और खिलौना विशेषज्ञ।
- पुरस्कार: प्रतिभागियों को 50 लाख रुपए तक का पुरस्कार प्रदान किया जा सकता है।

नोट :

लाभ:

- 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' की भावना को आगे बढ़ाने के लिये खिलौने उत्कृष्ट माध्यम हो सकते हैं
  - "एक भारत, श्रेष्ठ भारत" की घोषणा प्रधानमंत्री द्वारा वर्ष 2015 में राज्यों के मध्य समझ और संबंधों को बढ़ाने के लिये की गई थी ताकि भारत की एकता और अखंडता मज़बूत हो।
- यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के अनुरूप शैक्षिक खिलौनों (Educational Toys) के उपयोग को बढ़ावा देने में मदद करेगा।
- यह घरेलू खिलौना उद्योग और स्थानीय निर्माताओं के लिये एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाएगा, जो अप्रयुक्त संसाधनों का दोहन करेगा तथा उनकी क्षमता का उपयोग करेगा।
- यह खिलौना आयात को कम करने में मदद करेगा।

खिलौना बाज़ार की स्थिति

- वैश्विक खिलौना बाजार करीब 100 बिलियन डॉलर का है।
- जिसमें भारत का योगदान केवल 1.5 बिलियन डॉलर के आसपास है।
- भारत लगभग 80% खिलौनों का आयात विदेशों से करता है। यानी उन पर देश के करोड़ों रुपए विदेश जा रहे हैं।

आगे की राह

- खिलौना उद्योग एक लघु-स्तरीय उद्योग है, जिसमें ग्रामीण आबादी, दलित, गरीब लोग तथा आदिवासी आबादी के कारीगर शामिल हैं। इन क्षेत्रों में लाभ प्राप्त करने के लिये, हमें स्थानीय खिलौनों की तरफ रूख करना होगा अर्थात् वोकल फॉर लोकल की रणनीति अपनानी होगी।
- नए विचारों को विकसित करने, नए स्टार्ट-अप को बढ़ावा देने, नई तकनीक को पारंपरिक खिलौना निर्माताओं तक पहुँचाने और बाज़ार में नई मांग पैदा करने की आवश्यकता है।
- भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगाँठ खिलौना उद्योग के नवप्रवर्तकों और रचनाकारों के लिये एक बड़ा अवसर है। विभिन्न घटनाओं, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की कहानियों और उनकी वीरता तथा नेतृत्व को गेमिंग अवधारणाओं में शामिल किया जा सकता है।
- ऐसे दिलचस्प और परस्पर संवाद वाले गेम बनाने की आवश्यकता है जो 'जुड़ने, मनोरंजन करने और शिक्षित करने' का कार्य करें।

एग्रीस्टैक: कृषि क्षेत्र हेतु नया डिजिटल प्रयोजन

चर्चा में क्यों?

हाल ही में कृषि मंत्रालय ने 6 राज्यों के 100 गाँवों के लिये एक पायलट कार्यक्रम चलाने हेतु माइक्रोसॉफ्ट के साथ समझौता ज्ञापन (Memorandum of Understanding) पर हस्ताक्षर किये हैं।

- समझौता ज्ञापन में माइक्रोसॉफ्ट की क्लाउड कंप्यूटिंग सेवाओं के माध्यम से 'एकीकृत किसान सेवा इंटरफेस' (Unified Farmer Service Interface) बनाने की आवश्यकता है।
- इसमें 'एग्रीस्टैक' (कृषि में प्रौद्योगिकी आधारित हस्तक्षेप का एक संग्रह) बनाने की मंत्रालय की योजना का एक बड़ा हिस्सा शामिल है, जिस पर बाकी सभी संरचनाएँ बनायी जाएंगी।

प्रमुख बिंदु:

एग्रीस्टैक के बारे में:

- यह प्रौद्योगिकियों और डिजिटल डेटाबेस का एक संग्रह है जो किसानों तथा कृषि क्षेत्र पर केंद्रित है।
- एग्रीस्टैक किसानों को कृषि खाद्य मूल्य श्रृंखला में एंड टू एंड सर्विसेज़ प्रदान करने के लिये एक एकीकृत मंच तैयार करेगा।
- यह केंद्र के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य भारत में भूमि के डिजिटलीकरण से लेकर मेडिकल रिकॉर्ड तक के डेटा को डिजिटाइज़ करने के लिये व्यापक प्रयास करना है।

  - सरकार राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (National Land Records Modernisation Programme- NLRMP) भी लागू कर रही है।
- इस कार्यक्रम के तहत प्रत्येक किसान की एक विशिष्ट डिजिटल पहचान (किसानों की आईडी) होगी जिसमें व्यक्तिगत विवरण, उनके द्वारा खेती की जाने वाली भूमि की जानकारी, साथ ही उत्पादन और वित्तीय विवरण शामिल होंगे।
  - प्रत्येक आईडी व्यक्ति की डिजिटल राष्ट्रीय आईडी आधार से जुड़ी होगी।

आवश्यकता:

- वर्तमान में भारत में अधिकांश किसान छोटे और सीमांत स्तर के किसान हैं जिनकी उन्नत तकनीकों या औपचारिक ऋण तक सीमित पहुँच है जो उत्पादन में सुधार तथा बेहतर मूल्य प्राप्त करने में मदद कर सकते हैं।
- कार्यक्रम के तहत प्रस्तावित नई डिजिटल कृषि प्रौद्योगिकियों और सेवाओं के प्रयोग से मवेशियों की निगरानी के लिये सेंसर, मिट्टी का विश्लेषण करने और कीटनाशक छिड़काव के लिये ड्रोन, कृषि उपज में सुधार तथा किसानों की आय को बढ़ावा देना शामिल है।

संभावित लाभ:

- क्रेडिट और सूचना तक अपर्याप्त पहुँच, कीट संक्रमण, फसल की बर्बादी, फसलों की कम कीमत और उपज की भविष्यवाणी जैसी समस्याओं से डिजिटल प्रौद्योगिकी के उपयोग से पर्याप्त रूप से निपटा जा सकता है।
- यह नवाचार को बढ़ावा देने के साथ ही कृषि क्षेत्र में निवेश को भी बढ़ाएगा तथा अधिक लचीली फसलों के लिये अनुसंधान को बढ़ावा देगा।

चिंताएँ:

- डेटा सुरक्षा कानून का अभाव:
  - इसकी अनुपस्थिति में यह एक ऐसी व्यवस्था बन सकती है जहाँ निजी डेटा प्रोसेसिंग संस्थाएँ किसान की भूमि के बारे में किसान की तुलना में अधिक जानकारी रख सकती हैं और वे जिस सीमा तक चाहें किसानों के डेटा का दोहन करने में सक्षम हो सकती हैं।
- व्यावसायीकरण:
  - 'एग्रीस्टैक' के गठन से कृषि विस्तार गतिविधियों का व्यावसायीकरण होगा क्योंकि ये डिजिटल और निजी क्षेत्र में स्थानांतरित हो जाएंगी।
- विवाद निपटान तंत्र की अनुपस्थिति:
  - समझौता ज्ञापन डिजिटल रूप से एकत्र किये गए भूमि डेटा का भौतिक सत्यापन करते हैं, लेकिन विवाद उत्पन्न होने पर कार्रवाई का तरीका क्या होगा, इस पर कुछ भी स्पष्ट नहीं है, खासकर जब ऐतिहासिक साक्ष्य स्पष्ट करते हैं कि भूमि विवादों को निपटाने में वर्षों लगते हैं।

गोपनीयता और बहिष्करण मुद्दे:

- इस व्यवस्था में प्रस्तावित किसान आईडी आधार से जुड़ी होगी जिससे गोपनीयता और बहिष्करण के मुद्दे उभरेंगे।
- कई शोधकर्त्ताओं ने उल्लंघन और लीक के लिये आधार डेटाबेस की भेद्यता को स्पष्ट किया है, जबकि कल्याण वितरण में आधार-आधारित बहिष्करण को भी विभिन्न संदर्भों में अच्छी तरह से उल्लेखित किया गया है।
- साथ ही भूमि रिकॉर्ड का किसान डेटाबेस बनाने का तात्पर्य है कि इसमें काश्तकार किसानों, बटाईदारों और खेतिहर मजदूरों को नहीं शामिल किया जाएगा।
  - आँकड़ों से पता चलता है कि खेतिहर मज़दूरों की आबादी किसानों से ज़्यादा हो गई है।

आगे की राह:

- इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि डेटा और प्रौद्योगिकी द्वारा किसानों को सशक्त बनाया जा सकता है लेकिन केवल इसके लिये सूचना का संतुलित प्रयोग होना आवश्यक है।
- प्रायोगिक परियोजनाओं पर काम कर रही निजी फर्मों को भूमि स्वामित्व पर मतभेदों को सुलझाने के लिये राज्य सरकारों के साथ प्रभावी ढंग से सहयोग करना चाहिये।
- सरकार को पायलट ट्रेल्स से प्राप्त परिणामों के आधार पर परियोजना के साथ आगे बढ़ना चाहिये।

ऊर्जा परिवर्तन को आकार देने वाली भारतीय पहल

चर्चा में क्यों?

हाल ही में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री ने 'द इंडिया स्टोरी' पुस्तिका का शुभारंभ किया, जिसमें भारतीय ऊर्जा क्षेत्र में ट्रांज़ीशन को आकार देने वाली भारतीय पहलों का संकलन किया गया है।

- इस पुस्तिका को नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) द्वारा नागरिक केंद्रित त्वरित ऊर्जा ट्रांज़ीशन पर आयोजित कार्यक्रम में लॉन्च किया गया था।
  - यह संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन (PMI) और ऊर्जा, पर्यावरण एवं जल परिषद (CEEW) के सहयोग से आयोजित किया गया था।
- मंत्री द्वारा एक वेबसाइट भी लॉन्च की गई, जो दुनिया भर से ऊर्जा ट्रांज़ीशन संबंधी ज्ञान संसाधनों के भंडार के रूप में कार्य करेगी।

प्रमुख बिंदु

नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र का विकास:

- पिछले 6 वर्षों में भारत की स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में ढाई गुना से अधिक की वृद्धि हुई है और यह 141 गीगा वाट (बड़े हाइड्रो सहित) से अधिक तक पहुँच गई है।
  - यह देश की कुल क्षमता का लगभग 37 प्रतिशत है।
- भारत की स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता में 15 गुना से अधिक की वृद्धि हुई है और यह 41.09 गीगावाट पर पहुँच गई है।
- भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता दुनिया में चौथी सबसे बड़ी क्षमता है। वास्तव में भारत का वार्षिक नवीकरणीय ऊर्जा वर्द्धन वर्ष 2017 से कोयला आधारित थर्मल पावर से अधिक रहा है।

नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश में सुगमता:

- पिछले 7 वर्षों के दौरान भारत में नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में 70 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का निवेश किया गया है।
- भारत में नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के लिये एक बहुत ही उदार विदेशी निवेश नीति अपनाई गई है, जिसमें इस क्षेत्र में स्वत: मार्ग के माध्यम से 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) की अनुमति दी गई है।
  - 'ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस' भारत की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
- घरेलू और विदेशी निवेशकों को सहयोग एवं सुविधा प्रदान करने के लिये सभी मंत्रालयों में समर्पित 'परियोजना विकास प्रकोष्ठों' (PDC) और FDI प्रकोष्ठों की स्थापना की गई है।
  - 'परियोजना विकास प्रकोष्ठों की स्थापना केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच समन्वय के माध्यम से निवेश योग्य परियोजनाओं के विकास हेतु की गई है और इस तरह भारत में निवेश योग्य परियोजनाओं की संख्या में बढ़ोतरी होगी, जिससे देश में विदेशी निवेश के प्रवाह में भी वृद्धि होती है।
- नवीकरणीय ऊर्जा निवेश संवर्द्धन और सुविधा बोर्ड (REIPFB) पोर्टल
  - इस पोर्टल को परियोजनाओं के विकास और भारत में नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में नया निवेश लाने के लिये उद्योग एवं निवेशकों को एकमुश्त सहायता और सुविधा प्रदान करने हेतु विकसित किया गया है।

उद्योग की प्रतिबद्धताएँ:

- भारतीय उद्योग के कई सदस्यों ने स्वेच्छा से नवीकरणीय ऊर्जा संबंधी लक्ष्यों की घोषणा की है और कार्बन डिस्क्लोज़र प्रोजेक्ट (CDP), रिन्यूएबल 100% (RE 100) और विज्ञान आधारित लक्ष्य (SBTs) के लिये प्रतिबद्धता ज़ाहिर की है।
  - CDP एक वैश्विक प्रकटीकरण प्रणाली है, जो कंपनियों, शहरों, राज्यों और क्षेत्रों को उनके पर्यावरणीय प्रभावों को मापने और प्रबंधित करने में सक्षम बनाती है।
  - SBTs व्यवसायों द्वारा निर्धारित ग्रीनहाउस गैस कटौती लक्ष्य हैं।

ग्रीन टैरिफ

- 'ग्रीन टैरिफ' नीति संबंधी नियम बनाए जा रहे हैं, जो बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) को पारंपरिक ईंधन स्रोतों से बिजली की तुलना में सस्ती दर पर स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाओं से उत्पन्न बिजली की आपूर्ति करने में मदद करेगी।
  - सरकार उर्वरकों और रिफाइनिंग उद्योगों (ग्रीन हाइड्रोजन खरीद दायित्वों) के लिये दायित्वों के साथ ग्रीन हाइड्रोजन को भी बढ़ावा दे रही है।

नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश बढ़ाने की पहल:

- अपतटीय पवन ऊर्जा हेतु 'व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण' का विकल्प।
- 'ग्रीन टर्म अहेड मार्केट' और 'ग्रीन डे अहेड मार्केट'।
- ओपन एक्सेस के माध्यम से RE सुविधा के लिये नियम।
- ऊर्जा के गैर-पारंपरिक संसाधनों को बढ़ावा देने के लिये एक्सचेंजों के माध्यम से RE खरीद को भी अधिसूचित किया जाएगा।

भारत के ऊर्जा ट्रांज़ीशन को आकार देने वाली पहल:

- विद्युतीकरण:
  - प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य): विश्वसनीय और सस्ती बिजली तक पहुँच के माध्यम से ग्रामीण और शहरी परिवारों को सशक्त बनाना।
  - हरित ऊर्जा कॉरिडोर (GEC): भारत के राष्ट्रीय ट्रांसमिशन नेटवर्क के साथ ग्रिड से जुड़ी अक्षय ऊर्जा को सिंक्रोनाइज़ करना।
  - राष्ट्रीय स्मार्ट ग्रिड मिशन (NSGM) और स्मार्ट मीटर राष्ट्रीय कार्यक्रम (SMNP): भारत के बिजली क्षेत्र को एक सुरक्षित, अनुकूलित, टिकाऊ और डिजिटल रूप से सक्षम पारिस्थितिकी तंत्र के अनुरूप बनाना।
- नवीकरणीय ऊर्जा:
  - राष्ट्रीय सौर मिशन: दुनिया के सबसे बड़े अक्षय ऊर्जा विस्तार कार्यक्रम के केंद्र में 100 गीगावॉट सौर ऊर्जा की महत्त्वाकांक्षा वाला कार्यक्रम।
  - पवन ऊर्जा क्रांति: स्वच्छ ऊर्जा निर्माण और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिये भारत के मज़बूत पवन ऊर्जा क्षेत्र का लाभ उठाना।
  - राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति और सतत् कार्यक्रम: ईंधन आयात को कम करने, स्वच्छ ऊर्जा उपयोग बढ़ाने, कचरे का प्रबंधन करने और रोज़गार सृजित करने के लिये मूल्य श्रृंखला का निर्माण करना।
  - लघु जलविद्युत (SHP): दूरदराज़ के समुदायों को आर्थिक मुख्यधारा में एकीकृत करने के लिये जल शक्ति का उपयोग करना।
  - राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन: बहुमुखी स्वच्छ ईंधन की व्यावसायिक व्यवहार्यता की खोज करना।
  - उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (PLI) योजना: भारत को वैश्विक स्वच्छ ऊर्जा मूल्य श्रृंखला में एकीकृत करना।
  - राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति और SAYAY: ईंधन आयात को कम करने, स्वच्छ ऊर्जा उपयोग बढ़ाने, कचरे का प्रबंधन करने और रोज़गार सृजित करने के लिये मूल्य श्रृंखला का निर्माण।
- ऊर्जा दक्षता:
  - उजाला: नागरिकों के लिये सस्ती, ऊर्जा-कुशल प्रकाश व्यवस्था और उपकरण की सुविधा प्रदान करना।
- स्वच्छ कुकिंग:
  - प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना: स्वच्छ ईंधन, बेहतर जीवन के लिये घरों में एलपीजी गैस पहुँचाना- 'स्वच्छ ईंधन, बेहतर जीवन'।
- औद्योगिक डीकार्बोनाइज़ेशन
  - परफॉर्म अचीव एंड ट्रेड (PAT): ऊर्जा दक्षता में वृद्धि और औद्योगिक क्षेत्रों में कार्बन उत्सर्जन को कम करना।
- सतत् परिवहन:
  - FAME योजना: विश्वसनीय, सस्ती और कुशल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के लिये भारत के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाना।

- ◆ भारतीय रेलवे का गोइंग ग्रीन मिशन: पर्यावरण संरक्षण से प्रेरित, वर्ष 2030 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन कर रहा है।
- ◆ सतत् विमानन: विमान और हवाई अड्डे के संचालन के साथ स्वच्छ ईंधन, ऊर्जा दक्षता और पारिस्थितिकी तंत्र संरक्षण को एकीकृत करना।
- जलवायु स्मार्ट सिटी:
  - ◆ स्मार्ट सिटी मिशन (SCM): 'स्मार्ट समाधान' के माध्यम से टिकाऊ और जलवायु अनुकूल शहरी आवास विकसित करना।
  - ◆ ग्रीन बिल्डिंग मार्केट: संसाधन कुशल, टिकाऊ और जलवायु अनुकूल भवनों का निर्माण।
- शहरी गैस वितरण:
  - ◆ भारत का CNG और PNG नेटवर्क: वाहनों, घरों और उद्योगों के लिये 'हरित' जीवाश्म ईंधन के उपयोग में वृद्धि।
- कूलिंग एक्शन:
  - ◆ इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान: एयर कंडीशनर उद्योग को एक स्थायी कूलिंग वैल्यू चेन बनाने के लिये प्रोत्साहित करना।
- कौशल:
  - ◆ स्किल काउंसिल फॉर ग्रीन जॉब्स (SCGJ): भारत के सतत् विकास लक्ष्यों को पूरा करने के लिये एक कुशल और विशिष्ट कार्यबल का निर्माण करना।
- वैश्विक पहल:
  - ◆ अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA): सतत् मानव विकास हेतु सूर्य की अनंत ऊर्जा का दोहन करने के लिये प्रेरित करना।
  - ◆ स्वच्छ ऊर्जा मंत्रिस्तरीय (CEM): वैश्विक स्वच्छ ऊर्जा अर्थव्यवस्था के लिये प्रौद्योगिकी संचालित संक्रमण हेतु अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना।
  - ◆ मिशन इनोवेशन (MI): बड़े पैमाने पर प्रभाव के लिये सफल स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के नवाचार में निवेश करना।

अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस

चर्चा में क्यों?

हर वर्ष 27 जून को सतत् विकास लक्ष्यों (Sustainable Development Goals- SDGs) के कार्यान्वयन में सूक्ष्म, लघु और मध्यम आकार के उद्यमों के योगदान को मान्यता देने हेतु सूक्ष्म, लघु और मध्यम आकार के उद्यम (Micro, Small and Medium-sized Enterprises (MSMEs) दिवस का आयोजन जाता है।

प्रमुख बिंदु:

इतिहास:

- अप्रैल 2017 में संयुक्त राष्ट्र (United Nations- UN) ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में पारित एक प्रस्ताव के माध्यम से 27 जून को सूक्ष्म, लघु और मध्यम आकार के उद्यम दिवस के रूप में नामित किया।
- मई 2017 में 'एनहेनसिंग नेशनल केपेसिटीज़ फॉर अनलेशिंग फुल पोटेंशियल्स ऑफ एमएसएमई इन अचीविंग द एसडीजीज़ इन डेवलपिंग कंट्रीज़' (Enhancing National Capacities for Unleashing Full Potentials of MSMEs in Achieving the SDGs in Developing Countries') नामक एक कार्यक्रम शुरू किया गया ।
- इसे संयुक्त राष्ट्र शांति और विकास कोष (United Nations Peace and Development Fund) के सतत् विकास उप-निधि के लिये 2030 एजेंडा द्वारा वित्तपोषित किया गया है।

महत्त्व:

- संयुक्त राष्ट्र चाहता है कि देशों द्वारा सतत् विकास लक्ष्यों की पहचान की जाए और उनके बारे में जागरूकता उत्पन्न की जाए।

- 136 देशों के व्यवसायों के मध्य कोविड -19 के पड़ने वाले प्रभाव पर किये गए एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र सर्वेक्षण से पता चला है कि लगभग 62% महिला-नेतृत्व वाले छोटे व्यवसाय कोविड-19 संकट से प्रभावित हुए हैं, जबकि पुरुष-नेतृत्त्व वाले व्यवसायों के बीच यह संख्या आधे से भी कम है, वहीं महिलाओं के नेतृत्व वाले व्यवसायों की महामारी से न बच पाने की संभावना 27 प्रतिशत अधिक है।
- औपचारिक और अनौपचारिक सभी फर्मों में MSMEs की भागीदारी 90% से अधिक है तथा कुल रोज़गार में औसतन 70% और सकल घरेलू उत्पाद में 50% हिस्सेदारी है जिस कारण से वे ग्रीन रिकवरी (Green Recovery) की स्थिति प्राप्त करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

वर्ष 2021 की थीम:

- एमएसएमई 2021: की टू एन इन्क्लूसिव एंड सस्टेनेबल रिकवरी (Key to an inclusive and sustainable recovery)

भारतीय अर्थव्यवस्था में MSMEs की भूमिका:

- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और देश के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में लगभग 30 प्रतिशत का योगदान करते हैं।
- निर्यात के संदर्भ में वे आपूर्ति शृंखला का एक अभिन्न अंग हैं और कुल निर्यात में लगभग 48 प्रतिशत का योगदान देते हैं।
- इसके अलावा MSMEs रोज़गार सृजन में भी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और देश भर में लगभग 110 मिलियन लोगों को रोज़गार प्रदान करते हैं।
  - विदित हो कि MSMEs ग्रामीण अर्थव्यवस्था से भी जुड़े हुए हैं और लगभग आधे से अधिक MSMEs ग्रामीण भारत में कार्यरत हैं।

MSMEs क्षेत्र को बढ़ावा देने संबंधी पहलें

- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (M/oMSME) खादी, ग्राम और उद्योगों सहित MSME क्षेत्र के वृद्धि और विकास को बढ़ावा देकर एक जीवंत MSME क्षेत्र की कल्पना करता है।
- MSMEs को प्रभावित करने वाले नीतिगत मुद्दों तथा इस क्षेत्र की कवरेज एवं निवेश सीमा को संबोधित करने के लिये वर्ष 2006 में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (MSMED) अधिनियम को अधिसूचित किया गया था।
- प्रधानमंत्री रोज़गार सृजन कार्यक्रम (PMEGP): यह नए सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना और देश के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में रोज़गार के अवसर पैदा करने के लिये एक क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना है।
- पारंपरिक उद्योगों के उन्नयन एवं पुनर्निर्माण के लिये कोष की योजना (SFURTI): इस योजना का उद्देश्य कारीगरों और पारंपरिक उद्योगों को समूहों में व्यवस्थित करना और इस प्रकार उन्हें वर्तमान बाज़ार परिदृश्य में प्रतिस्पर्द्धी बनाने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
- नवाचार, ग्रामीण उद्योग और उद्यमिता को बढ़ावा हेतु एक योजना (ASPIRE): यह योजना 'कृषि आधारित उद्योग में स्टार्टअप के लिये फंड ऑफ फंड्स', ग्रामीण आजीविका बिज़नेस इनक्यूबेटर (LBI), प्रौद्योगिकी व्यवसाय इनक्यूबेटर (TBI) के माध्यम से नवाचार और ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा देती है।
- MSME को वृद्धिशील ऋण प्रदान करने के लिये ब्याज सबवेंशन योजना: यह भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा शुरू की गई थी, जिसमें सभी कानूनी MSMEs को उनकी वैधता की अवधि के दौरान उनके बकाया, वर्तमान/वृद्धिशील सावधि ऋण/कार्यशील पूंजी पर 2% तक की राहत प्रदान की जाती है।
- सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिये क्रेडिट गारंटी योजना: ऋण के आसान प्रवाह की सुविधा के लिये शुरू की गई इस योजना के अंतर्गत MSMEs को दिये गए संपार्श्विक मुक्त ऋण हेतु गारंटी कवर प्रदान किया जाता है।
- सूक्ष्म और लघु उद्यम क्लस्टर विकास कार्यक्रम (MSE-CDP): इसका उद्देश्य MSEs की उत्पादकता और प्रतिस्पर्द्धात्मकता के साथ-साथ क्षमता निर्माण को बढ़ाना है।
- क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी और टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन स्कीम (CLCS-TUS): इसका उद्देश्य संयंत्र और मशीनरी की खरीद के लिये 15% पूंजी सब्सिडी प्रदान करके सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) को प्रौद्योगिकी उन्नयन की सुविधा प्रदान करना है।

नोट :

- CHAMPIONS पोर्टल: इसका उद्देश्य भारतीय MSMEs को उनकी शिकायतों को हल करके और उन्हें प्रोत्साहन, समर्थन प्रदान कर राष्ट्रीय और वैश्विक चैंपियन के रूप में स्थापित होने में सहायता करना है।
- MSME समाधान: यह केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों/सीपीएसई/राज्य सरकारों द्वारा विलंबित भुगतान के बारे में सीधे मामले दर्ज करने में सक्षम बनाता है।
- उद्यम पंजीकरण पोर्टल: यह नया पोर्टल देश में एमएसएमई की संख्या पर डेटा एकत्र करने में सरकार की सहायता करता है।
- एमएसएमई संबंध: यह एक सार्वजनिक खरीद पोर्टल है। इसे केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा एमएसई से सार्वजनिक खरीद के कार्यान्वयन की निगरानी के लिये शुरू किया गया था।

अमेरिका का डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट

चर्चा में क्यों?

हाल ही में अमेरिका के डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट (Digital Millennium Copyright Act- DMCA) 1998 के उल्लंघन हेतु कथित रूप से प्राप्त एक नोटिस पर केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री के ट्विटर अकाउंट को एक घंटे के लिये बंद कर दिया गया था।

प्रमुख बिंदु

डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट:

- यह अमेरिका में पारित एक कानून है और इंटरनेट पर बौद्धिक संपदा (Intellectual Property- IP) को मान्यता देने वाले विश्व के पहले कानूनों में से एक है।
- DMCA, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (WIPO) के सदस्य देशों द्वारा वर्ष 1996 में हस्ताक्षरित दो संधियों के कार्यान्वयन की देख-रेख करता है।
- कोई भी सामग्री निर्माता जो यह मानता है कि उसकी मूल सामग्री को किसी भी रूप में किसी उपयोगकर्त्ता या वेबसाइट द्वारा बिना प्राधिकरण के कॉपी किया गया है, अपनी बौद्धिक संपदा की चोरी या उल्लंघन का हवाला देते हुए एक आवेदन दायर कर सकता है।
- फेसबुक, इंस्टाग्राम या ट्विटर जैसे सोशल मीडिया बिचौलियों के मामले में सामग्री निर्माता सीधे मंच से संपर्क कर सकते हैं और मूल निर्माता होने का प्रमाण दे सकते हैं।
  - चूँकि ये कंपनियाँ उन देशों में काम करती हैं जो WIPO संधि की हस्ताक्षरकर्त्ता हैं, वे वैध और कानूनी DMCA टेकडाउन नोटिस (Takedown Notice) प्राप्त होने पर उक्त सामग्री को हटाने हेतु बाध्य हैं।

विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (WIPO) संधियाँ:

- WIPO के सदस्यों ने दो संधियों पर सहमति व्यक्त की थी अर्थात् WIPO कॉपीराइट संधि और WIPO प्रदर्शन और फोनोग्राम संधि।
  - भारत दोनों संधियों का सदस्य है।
- दोनों संधियों के लिये सदस्य राष्ट्रों और हस्ताक्षरकर्त्ताओं को अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में IP को सुरक्षा प्रदान करने की आवश्यकता होती है, यह विभिन्न राष्ट्रों के नागरिकों द्वारा बनाई गई हो सकती है जो संधि के सह-हस्ताक्षरकर्त्ता होते हैं।
  - यह सुरक्षा किसी भी तरह से घरेलू कॉपीराइट धारक को दी जाने वाली सुरक्षा से कम नहीं होनी चाहिये।
  - यह संधि के हस्ताक्षरकर्त्ताओं को कॉपीराइट कार्य की सुरक्षा हेतु तकनीकी उपाय सुनिश्चित करने हेतु बाध्य करती है। साथ ही डिजिटल सामग्री को आवश्यक अंतर्राष्ट्रीय कानूनी सुरक्षा भी प्रदान करती है।

बौद्धिक संपदा (Intellectual Property- IP)

- यह संपत्ति की एक श्रेणी है जिसमें मानव बुद्धि की अमूर्त रचनाएँ और मुख्य रूप से कॉपीराइट, पेटेंट तथा ट्रेडमार्क शामिल हैं।
- इसमें अन्य प्रकार के अधिकार भी शामिल हैं, जैसे- ट्रेड सीक्रेट, प्रचार अधिकार, नैतिक अधिकार इऔर अनुचित प्रतिस्पर्द्धा के खिलाफ अधिकार।

- प्रत्येक वर्ष 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है।
- WIPO संधियों के अलावा यह विश्व व्यापार संगठन (WTO) के बौद्धिक संपदा के व्यापार संबंधी पहलुओं (TRIPS Agreement) पर समझौते के तहत भी शामिल है।
    - भारत, विश्व व्यापार संगठन का सदस्य है और इसलिये ट्रिप्स के लिये प्रतिबद्ध है।

विश्व बौद्धिक संपदा संगठन

परिचय:

- यह संयुक्त राष्ट्र की सबसे पुराने अभिकरणों में से एक है।
- इसका गठन वर्ष 1967 में रचनात्मक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने और विश्व में बौद्धिक संपदा संरक्षण को बढ़ावा देने के लिये किया गया था।
- यह वर्तमान में 26 अंतर्राष्ट्रीय संधियों का संचालन करता है जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं:
    - पेटेंट प्रक्रिया के प्रयोजनों के लिये सूक्ष्मजीवों के निक्षेप की अंतर्राष्ट्रीय मान्यता पर बुडापेस्ट संधि।
    - औद्योगिक संपदा के संरक्षण के लिये पेरिस अभिसमय (1883): विभिन्न देशों में बौद्धिक कार्यों के संरक्षण के लिये पहला कदम, जिसमें ट्रेडमार्क, औद्योगिक डिज़ाइन आविष्कार के पेटेंट शामिल थे।
    - साहित्यिक और कलात्मक कार्यों के संरक्षण के लिये बर्न अभिसमय (1886): इसमें उपन्यास, लघु कथाएँ, नाटक, गाने, ओपेरा, संगीत, ड्राइंग, पेंटिंग, मूर्तिकला और वास्तुशिल्प कृतियाँ शामिल हैं।
    - मैड्रिड समझौता (1891): यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा फाइलिंग सेवा की शुरुआत हुई।
    - इंटिग्रेटेड सर्किट के संबंध में IP पर वाशिंगटन संधि।
    - ओलंपिक प्रतीक के संरक्षण पर नैरोबी संधि।
    - दृष्टिबाधित व्यक्तियों और दिव्यांगजनों द्वारा प्रकाशित कार्यों तक पहुँच की सुविधा के लिये मराकेश संधि।

मुख्यालय:

- जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड।

सदस्य:

- वर्तमान में भारत सहित विश्व के 193 देश WIPO के सदस्य हैं।

प्रमुख कार्य:

- बदलते विश्व के लिये संतुलित अंतर्राष्ट्रीय आईपी नियमों को आकार देने हेतु नीति मंच।
- विभिन्न देशों की सीमाओं के पार बौद्धिक संपदा संरक्षण और विवादों को हल करने के लिये वैश्विक सेवाएँ देना भी इसके कार्यों में शामिल है।
- बौद्धिक संपदा प्रणालियों को आपस में जोड़ने और ज्ञान साझा करने के लिये तकनीकी आधारभूत संरचना बनाना भी WIPO के ज़िम्मे है।
- सभी सदस्य देशों को आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के लिये बौद्धिक संपदा का उपयोग करने में सक्षम बनाने के लिये सहयोग तथा क्षमता निर्माण कार्यक्रम चलाना।
- WIPO बौद्धिक संपदा की जानकारी के लिये विश्वसनीय वैश्विक संदर्भ स्रोत का काम करता है।

बौद्धिक संपदा को कवर करने वाले भारतीय कानून:

- व्यापार चिह्न अधिनियम (Trade Marks Act), 1999
- पेटेंट अधिनियम (Patents Act), 1970 (वर्ष 2005 में संशोधित)

नोट :

- कॉपीराइट अधिनियम (Copyright Act), 1957
- डिज़ाइन अधिनियम, 2000
- भौगोलिक संकेतक माल (पंजीकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1999
- सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट लेआउट डिज़ाइन एक्ट, 2000
- पौध किस्म और किसान अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001
- सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000

लघु बचत योजनाओं पर ब्याज दरें

चर्चा में क्यों?

भारत सरकार जुलाई-सितंबर तिमाही के लिये छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज़ दरों में कटौती कर सकती है।

- अर्थशास्त्रियों के अनुसार, इस समय छोटी बचत दरों में कटौती से मुद्रास्फीति में वृद्धि के बीच परिवारों को और नुकसान होगा।

प्रमुख बिंदु:

पृष्ठभूमि:

- अप्रैल 2020 में विभिन्न उपकरणों/प्रपत्र पर छोटी बचत दरों में 0.5% और 1.4% के बीच कमी की गई, जिससे सार्वजनिक भविष्य निधि (Public Provident Funds- PPF) की दर 7.9% से 7.1% हो गई।
- सरकार ने 2021-22 (अप्रैल-जून) की पहली तिमाही के लिये ब्याज दरों में और कमी करने का फैसला किया परंतु इसे "निरीक्षण" (Oversight) करार देते हुए अपने फैसले को वापस ले लिया।

लघु बचत योजनाएँ/प्रपत्र:

- संदर्भ:
  - ये भारत में घरेलू बचत के प्रमुख स्रोत हैं और इसमें 12 उपकरण/प्रपत्र (Instrument) शामिल हैं।
  - जमाकर्त्ताओं को उनके धन पर सुनिश्चित ब्याज मिलता है।
  - सभी लघु बचत प्रपत्रों से संग्रहीत राशि को राष्ट्रीय लघु बचत कोष (NSSF) में जमा किया जाता है।
  - कोविड-19 महामारी के कारण सरकारी घाटे में वृद्धि की वजह से उधार की उच्च आवश्यकता को पूरा करने के लिये छोटी बचतें सरकारी घाटे के वित्तपोषण के एक प्रमुख स्रोत के रूप में उभरी हैं।
- वर्गीकरण: लघु बचत प्रपत्रों को तीन श्रेणियों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है:
  - डाक जमा: इसमें बचत खाता, आवर्ती जमा, भिन्न-भिन्न परिपक्वता की सावधि जमा और मासिक आय योजना शामिल है।
  - बचत प्रमाणपत्र: राष्ट्रीय लघु बचत प्रमाणपत्र (NSC) और किसान विकास पत्र (KVP)।
  - सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ: सुकन्या समृद्धि योजना, लोक भविष्य निधि (PPF) और वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (SCSS)।
- दरों का निर्धारण:
  - छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दरों का निर्धारण समान परिपक्वता वाले बेंचमार्क सरकारी बॉण्डों के अनुरूप तिमाही आधार पर किया जाता है। वित्त मंत्रालय द्वारा समय-समय पर दरों की समीक्षा की जाती है।
    - पिछले एक वर्ष से बेंचमार्क सरकारी बॉण्ड यील्ड 5.7 फीसदी से 6.2 फीसदी के बीच रही है। इससे सरकार को भविष्य में छोटी बचत योजनाओं पर दरों में कटौती करने की छूट मिलती है।
  - लघु बचत योजना पर गठित श्यामला गोपीनाथ पैनल (वर्ष 2010) ने छोटी बचत योजनाओं के लिये बाज़ार-संबद्ध ब्याज दर प्रणाली का सुझाव दिया था।

दर में कटौती का लाभ

- चूँकि केंद्र सरकार अपने घाटे को पूरा करने के लिये लघु बचत कोष का उपयोग करती है, इसलिये कम दरें घाटे के वित्तपोषण की लागत को कम करेंगी।
- दरों में कटौती का अर्थ होगा कि सरकार चाहती है लोग अधिक-से-अधिक व्यय करें ताकि अर्थव्यवस्था को गति प्रदान की जा सके।

हानि:

- दरों में कटौती से निवेशकों, विशेषकर वरिष्ठ नागरिकों और मध्यम वर्ग को नुकसान होगा।
  - इसके अलावा कोविड-19 की दूसरी लहर से पहले भी घरेलू बचत लगातार दो तिमाहियों से घट रही है।
- आगे चलकर बैंकों द्वारा सावधि जमा दरों को और युक्तिसंगत बनाया जाएगा तथा रिटर्न में और कमी आएगी।
- कम दर का मतलब है अधिकांश ऋण प्रपत्रों पर रिटर्न की वास्तविक दर नकारात्मक होगी क्योंकि मुद्रास्फीति 5% के आसपास होगी।

प्रतिलाभ और मुद्रास्फीति दर:

- प्रतिलाभ दर एक बचत खाते, म्यूचुअल फंड या बॉण्ड में निवेश से प्राप्त होने वाली अपेक्षित या वांछित राशि है।
- प्रतिलाभ की वास्तविक दर मुद्रास्फीति की दर के समायोजन के बाद निवेश पर प्रतिफल है। इसकी गणना निवेश पर प्रतिफल से मुद्रास्फीति दर घटाकर की जाती है।
- मुद्रास्फीति में किसी व्यक्ति की वार्षिक वापसी दर को कम करने की शक्ति होती है। जब वार्षिक मुद्रास्फीति की दर प्रतिफल की दर से अधिक हो जाती है तो क्रय शक्ति में गिरावट के कारण उपभोक्ता को इसमें निवेश करने से हानि होती है।
- मुद्रास्फीति दैनिक या सामान्य उपयोग की अधिकांश वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में वृद्धि को संदर्भित करती है, जैसे कि भोजन, कपड़े, आवास, मनोरंजन, परिवहन, उपभोक्ता स्टेपल आदि। यह एक देश की मुद्रा इकाई की क्रय शक्ति में कमी का संकेत है।

कोरोना की दूसरी लहर के बाद आर्थिक राहत पैकेज

चर्चा में क्यों?

हाल ही में वित्त मंत्रालय ने कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर से प्रभावित विभिन्न क्षेत्रों को राहत प्रदान करने के लिये कई उपायों की घोषणा की।

- इस राहत पैकेज का उद्देश्य आपातकालीन प्रतिक्रिया के लिये स्वास्थ्य प्रणालियों को तैयार करना और विकास तथा रोज़गार के लिये प्रोत्साहन प्रदान करना है। हालाँकि भारतीय स्टेट बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार, यह पैकेज राजकोषीय घाटे में 0.6% की वृद्धि करेगा।
- कुल 17 उपायों के साथ इस आर्थिक राहत पैकेज में 6,28,993 करोड़ रुपए की राशि की घोषणा की गई है।

प्रमुख बिंदु:

महामारी से निपटने हेतु आर्थिक राहत:

- कोरोना प्रभावित क्षेत्रों के लिये ऋण गारंटी योजना:
  - व्यवसायों को 1.1 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त ऋण मिलेगा। इसमें स्वास्थ्य क्षेत्र के लिये 50,000 करोड़ रुपए और पर्यटन सहित अन्य क्षेत्रों के लिये 60,000 करोड़ रुपए शामिल हैं।
    - स्वास्थ्य क्षेत्र के घटक का उद्देश्य कम सेवा वाले क्षेत्रों (अर्थात् गैर-महानगरीय क्षेत्रों) को लक्षित करते हुए चिकित्सा बुनियादी ढाँचे को बढ़ाना है।
  - गारंटी कवरेज: विस्तार के लिये 50% और नई परियोजनाओं के लिये 75% का प्रावधान है।
    - आकांक्षी ज़िलों के लिये नई परियोजनाओं और विस्तार दोनों के लिये 75% का गारंटी कवर उपलब्ध होगा।
  - योजना के तहत स्वीकार्य अधिकतम ऋण 100 करोड़ रुपए और गारंटी अवधि 3 वर्ष तक की होगी।

- आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना:
  - मई 2020 में आत्मनिर्भर भारत पैकेज के हिस्से के रूप में शुरू की गई आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ECLGS) का 1.5 लाख करोड़ रुपए तक का विस्तार किया गया है।
- सूक्ष्म वित्त संस्थानों हेतु ऋण गारंटी योजना
  - यह एक नई योजना है, जिसका उद्देश्य सूक्ष्म वित्त संस्थानों (MFIs) के नेटवर्क की सेवा प्राप्त करने वाले छोटे-से-छोटे उधारकर्त्ताओं को लाभ पहुँचाना है।
  - इसके तहत लगभग 25 लाख छोटे उधारकर्त्ताओं को 1.25 लाख रुपए तक के ऋण उपलब्ध कराए जाने पर नए या मौजूदा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी या सूक्ष्म वित्त संस्थानों को ऋण देने के लिये अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को गारंटी प्रदान की जाएगी।
- आत्मनिर्भर भारत रोज़गार योजना का विस्तार
  - 'आत्मनिर्भर भारत रोज़गार योजना' कर्मचारियों के भविष्य निधि संगठन (EPFO) के माध्यम से नए रोज़गार के सृजन और रोज़गार के नुकसान की भरपाई के लिये नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करती है।
- प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना
  - राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA), 2013 के तहत लाभार्थियों को मई-नवंबर 2021 के दौरान प्रतिमाह 5 किलो खाद्यान्न मुफ्त प्रदान किया जाएगा।

सार्वजनिक स्वास्थ्य को सुदृढ़ बनाना:

- बच्चों और बाल चिकित्सा देखभाल हेतु नई योजना:
  - तकरीबन 23,220 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ सार्वजनिक स्वास्थ्य बुनियादी अवसंरचना और मानव संसाधन को मज़बूती प्रदान करने के लिये एक नई योजना की भी घोषणा की गई है।
  - यह बच्चों और बाल चिकित्सा देखभाल पर विशेष ज़ोर देने के साथ अल्पकालिक आपातकालीन तैयारियों पर ध्यान केंद्रित करेगी।

वृद्धि एवं रोज़गार

- 5 लाख पर्यटकों को एक महीने का मुफ्त पर्यटक वीज़ा।
- डीएपी सहित पीएंडके उर्वरकों के लिये अतिरिक्त सब्सिडी।
- क्लाइमेट रेसिलिएंट स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक वेरायटीज़
  - भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) ने प्रोटीन, आयरन, जिंक, विटामिन-A जैसे उच्च पोषक तत्त्वों वाली बायोफोर्टिफाइड फसल किस्मों को विकसित किया है।
  - ये किस्में रोगों, कीटों, सूखा, लवणता और बाढ़ के प्रति सहिष्णु हैं तथा जल्दी ही परिपक्व होती हैं एवं यांत्रिक कटाई के लिये उपयुक्त हैं।
  - चावल, मटर, बाजरा, मक्का, सोयाबीन, क्विनोआ, बकव्हीट, विंग्ड बीन, अरहर और ज्वार की 21 ऐसी किस्में राष्ट्र को समर्पित की जाएंगी।
- उत्तर-पूर्वी क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम का पुनरुद्धार:
  - उत्तर-पूर्वी क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम (North Eastern Regional Agricultural Marketing Corporation-NERAMAC) को 77.45 करोड़ रुपए का पुनरुद्धार पैकेज प्रदान किया जाएगा।
  - NERAMAC ने उत्तर-पूर्व की 13 फसलों को भौगोलिक संकेतक (Geographical Indication- GI) के पंजीकरण की सुविधा प्रदान की है।
  - इसने बिचौलियों/एजेंटों को दरकिनार कर किसानों को 10-15 फीसदी अधिक कीमत देने की योजना तैयार की है।
  - इसमें उद्यमियों को इक्विटी वित्त की सुविधा प्रदान करने हेतु जैविक खेती के लिये उत्तर-पूर्वी केंद्र स्थापित करने का भी प्रस्ताव है।

- परियोजना निर्यात को बढ़ावा:
  - 5 वर्षों में राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाते (National Export Insurance Account- NEIA) में एक अतिरिक्त कोष प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। परियोजना के निर्यात हेतु इस कोष में 33,000 करोड़ रुपए की राशि के लिये हस्ताक्षर किये गए हैं।
    - NEIA ट्रस्ट जोखिम को कम करने के उद्देश्य से मध्यम और दीर्घकालिक (Medium and Long Term- MLT) परियोजना निर्यात को बढ़ावा देता है।
    - यह एक्ज़िम (निर्यात-आयात) बैंक द्वारा कम क्रेडिट-योग्य उधारकर्त्ताओं और सहायक परियोजना निर्यातकों को दिये गए खरीदार के क्रेडिट को कवर प्रदान करता है।
    - यह कम ऋण लेने वाले उधारकर्त्ताओं को एक्ज़िम बैंक (निर्यात-आयात) के द्वारा दिये गए क्रेडिट को कवर करता है।
- निर्यात बीमा कवर को बढ़ावा:
  - 5 वर्षों के निर्यात ऋण गारंटी निगम (Export Credit Guarantee Corporation- ECGC) में इक्विटी डालने का फैसला किया गया है ताकि एक्सपोर्ट इंश्योरेंस कवर को 88,000 करोड़ रुपए से अधिक किया जा सके।
- डिज़िटल इंडिया:
  - व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण (Viability Gap Funding) के आधार पर 16 राज्यों में भारत नेट (Bharat Net) में पीपीपी मॉडल मेको लागू करने हेतु 19,041 करोड़ रुपए अतिरिक्त प्रदान किए जाएंगे।
  - यह सभी ग्राम पंचायतों और गाँवों को कवर करते हुए भारत नेट के विस्तार और उन्नयन को अधिक सक्षम बनाएगा।
- PLI योजना का विस्तार:
  - बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण हेतु उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (Production-Linked Incentive- PLI) योजना का कार्यकाल एक वर्ष और अर्थात् वर्ष 2025-26 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है।
- सुधार आधारित परिणाम संबद्ध विद्युत वितरण योजना:
  - बुनियादी ढाँचे के निर्माण, प्रणाली के उन्नयन, क्षमता निर्माण और प्रक्रिया में सुधार के लिये DISCOMS को वित्तीय सहायता की संशोधित सुधार आधारित परिणाम संबद्ध विद्युत वितरण योजना की घोषणा वर्ष 2021-22 के केंद्रीय बजट में की गई थी।
    - इसका उद्देश्य राज्य के विशिष्ट क्षेत्रों में हस्तक्षेप करना और 25 करोड़ स्मार्ट मीटर, 10,000 फीडर, 4 लाख किमी. LT ओवरहेड लाइनों की स्थापना के लिये सहायता प्रदान करना है।
  - योजना के तहत उपलब्ध राशि राज्य के सकल घरेलू उत्पाद के 0.5% की अतिरिक्त उधारी की अनुमति के अतिरिक्त है, जो कि विशिष्ट विद्युत क्षेत्र के सुधारों के अधीन अगले चार वर्षों के लिये राज्यों को वार्षिक रूप से उपलब्ध होगी।
  - एकीकृत विद्युत विकास योजना (IPDS), दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (DDUGJY) और सौभाग्य के तहत चल रहे कार्यों को भी इस योजना में शामिल किया जाएगा।
- PPP परियोजना और परिसंपत्ति मुद्रीकरण के लिये नई सुव्यवस्थित प्रक्रिया:
  - सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) प्रस्तावों के मूल्यांकन और अनुमोदन के लिये एक नई नीति तैयार की जाएगी तथा इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (InvITs) के माध्यम से कोर इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स का मुद्रीकरण किया जाएगा।
  - नीति का उद्देश्य बुनियादी ढाँचे के निर्माण और प्रबंधन के वित्तपोषण में निजी क्षेत्र की क्षमता को सुविधाजनक बनाने के लिये परियोजनाओं की त्वरित मंज़ूरी सुनिश्चित करना है।

पैकेज का महत्त्व:

- यह मौद्रिक तरलता को बढ़ाएगा और पर्यटन जैसे रोज़गार-गहन क्षेत्रों को पुनर्जीवित करने में मदद करेगा।
- यह आजीविका को बचाने में मदद करेगा और लॉकडाउन के प्रभाव को कम करेगा तथा रोज़गार के नए अवसर भी पैदा करेगा।
- यह भविष्य में ऐसी किसी भी स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों के लिये प्रयासों को बढ़ावा देगा।
- यह कोरोना प्रभावित क्षेत्रों को उन चुनौतियों से उबरने में सक्षम बनाएगा, जिनका वे पिछले डेढ़ वर्ष से सामना कर रहे हैं।
- छोटे व्यवसायों के लिये प्रदत्त तरलता, अप्रत्यक्ष रूप से उन बड़े उद्योगों को पुनर्जीवित कर सकती है जिनसे वे स्रोत या कच्चा माल प्राप्त करते हैं और बाधित आपूर्ति शृंखलाओं की मरम्मत में मदद करते हैं।

नोट :

अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम

यूरोपीय संघ की वरीयता सामान्यीकृत योजना

चर्चा में क्यों?

हाल ही में यूरोपीय संसद द्वारा एक प्रस्ताव अपनाया गया था, जिसमें यूरोपीय संघ आयोग से सामान्यीकृत योजना के तहत श्रीलंका को दी गई वरीयता प्लस (जीएसपी+) की अस्थायी वापसी पर विचार करने का आग्रह किया गया।

- श्रीलंका ने वर्ष 2017 में जीएसपी+, या यूरोपीय संघ की सामान्यीकृत वरीयता योजना को पुन: प्राप्त किया था।
- यूरोपीय संघ चीन के बाद श्रीलंका का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है और इसका दूसरा मुख्य निर्यात गंतव्य है।

प्रमुख बिंदु:

- वरीयता की सामान्यीकृत योजना (GSP) यूरोपीय संघ के नियमों का एक समूह है जो विकासशील देशों के निर्यातकों को यूरोपीय संघ को अपने निर्यात पर कम या कोई शुल्क नहीं देने की अनुमति देता है।
  - यह विकासशील देशों को गरीबी कम करने और श्रम तथा मानव अधिकारों सहित अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों एवं सिद्धांतों के आधार पर रोज़गार सृजन करने में मदद करता है।
- यूरोपीय संघ के GSP को व्यापक रूप से कवरेज और लाभों के मामले में सबसे प्रगतिशील माना जाता है।

प्रकार:

- मानक GSP:
  - निम्न और निम्न-मध्यम आय वाले देशों के लिये इसका मतलब है कि दो-तिहाई टैरिफ लाइनों पर सीमा शुल्क को आंशिक या पूर्ण रूप से हटाना।
  - विकासशील देशों को स्वचालित रूप से GSP प्रदान किया जाता है यदि उन्हें विश्व बैंक द्वारा "ऊपरी मध्यम आय" से नीचे आय स्तर के रूप में वर्गीकृत किया जाता है या उन्हें यूरोपीय संघ के बाज़ार में तरजीही पहुँच प्रदान करने वाली किसी अन्य व्यवस्था (जैसे मुक्त व्यापार समझौते) से लाभ नहीं होता है।
  - लाभार्थी: बांग्लादेश, कंबोडिया और म्याँमार।
- GSP+:
  - सतत् विकास और सुशासन के लिये विशेष प्रोत्साहन व्यवस्था।
  - यह कमज़ोर निम्न और निम्न-मध्यम आय वाले देशों के लिये समान टैरिफ (मानक जीएसपी के तहत) को घटाकर 0% कर देता है जो मानव अधिकारों, श्रम अधिकारों, पर्यावरण की सुरक्षा और सुशासन से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों को लागू करते हैं।
  - लाभार्थी: आर्मेनिया, बोलीविया, काबो वर्डे, किर्गिज़स्तान, मंगोलिया, पाकिस्तान, फिलीपींस और श्रीलंका।
- EBA:
  - अत्यधिक कम विकसित देशों के लिये विशेष व्यवस्था, उन्हें हथियारों और गोला-बारूद को छोड़कर सभी उत्पादों हेतु शुल्क मुक्त, कोटा मुक्त पहुँच प्रदान करना।

लाभार्थियों की निगरानी

- यूरोपीय संघ लगातार 'GSP+' लाभार्थी देशों के मानवाधिकारों, श्रम अधिकारों, पर्यावरण संरक्षण और सुशासन पर अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशनों के प्रभावी कार्यान्वयन की निगरानी और समीक्षा करता है।
- इस निगरानी में सूचनाओं का आदान-प्रदान और वार्ता आदि शामिल हैं, साथ ही इसमें नागरिक समाज सहित विभिन्न हितधारकों को भी शामिल किया जाता है।

सामान्यीकृत वरीयता प्रणाली (GSP)

परिचय

- सामान्यीकृत वरीयता प्रणाली (GSP) एक अम्ब्रेला अवधारणा है, जिसमें औद्योगिक देशों द्वारा विकासशील देशों को दी जाने वाली अधिमान्य योजनाओं का बड़ा हिस्सा शामिल है।
- इसमें मोस्ट फेवर्ड नेशन (MFN) के रूप में कम टैरिफ या लाभार्थी देशों द्वारा दाता देशों के बाज़ारों में निर्यात योग्य उत्पादों की शुल्क-मुक्त प्रविष्टि आदि शामिल है।
- विकासशील देशों को औद्योगिक देशों के बाज़ारों में वरीयता टैरिफ दरें प्रदान करने का विचार मूलत: वर्ष 1964 में 'संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन' (UNCTAD) की कॉन्फ्रेंस में प्रस्तुत किया गया था।
- सामान्यीकृत वरीयता प्रणाली (GSP) को वर्ष 1968 में नई दिल्ली में अपनाया गया था और वर्ष 1971 में इसे पूर्णत: स्थापित किया गया।
  - वर्तमान में अंकटाड सचिवालय को अधिसूचित कुल 13 राष्ट्रीय GSP योजनाएँ हैं।

वे देश जो सामान्यीकृत वरीयता प्रणाली (GSP) प्रदान करते हैं

- ऑस्ट्रेलिया, बेलारूस, कनाडा, यूरोपीय संघ, आइसलैंड, जापान, कज़ाखस्तान, न्यूज़ीलैंड, नॉर्वे, रूस, स्विट्ज़रलैंड, तुर्की और संयुक्त राज्य अमेरिका।
  - वर्ष 2019 में अमेरिका ने अपने GSP व्यापार कार्यक्रम के तहत एक लाभार्थी विकासशील राष्ट्र के रूप में भारत के दर्जे को समाप्त कर दिया था। अमेरिका के मुताबिक, भारत ने अमेरिका को यह आश्वासन नहीं दिया कि वह अपने बाज़ारों में अमेरिका को 'न्यायसंगत और उचित पहुँच' प्रदान करेगा।

लाभ

- आर्थिक विकास
  - इसके परिणामस्वरूप लाभार्थी देशों को विकसित देशों के साथ अपने व्यापार को बढ़ाने और अपने व्यापार में विविधता लाने में मदद मिलती है, जिससे विकासशील देश के आर्थिक विकास में बढ़ोतरी होती है।
- रोज़गार के अवसर
  - बंदरगाहों से GSP के तहत आयात किये गए सामान को उपभोक्ताओं, किसानों और निर्माताओं तक ले जाने से विकसित राष्ट्र में भी रोज़गार का सृजन होता है।
- प्रतिस्पर्द्धा में बढ़ोतरी
  - इस व्यवस्था के माध्यम से कंपनियों द्वारा सामानों के निर्माण के लिये उपयोग किये जाने वाले आयातित इनपुट की लागत में कमी आती है, जिससे कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्द्धा में बढ़ोतरी होती है।
- वैश्विक मूल्यों को बढ़ावा
  - यह लाभार्थी देशों को अपने नागरिकों को श्रमिक अधिकार प्रदान करने, बौद्धिक संपदा अधिकारों को लागू करने और कानून के शासन का समर्थन करने संबंधी वैश्विक मूल्यों को बढ़ावा देने हेतु प्रोत्साहित करता है।

संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन (UNCTAD)

- यह 1964 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्थापित एक स्थायी अंतर-सरकारी निकाय है। इसका मुख्यालय स्विट्ज़रलैंड के जिनेवा में स्थित है।
- यह विकासशील देशों को एक वैश्वीकृत अर्थव्यवस्था के लाभों को अधिक निष्पक्ष और प्रभावी ढंग से प्राप्त करने में सहायता करता है।
- इसके 194 सदस्य देश हैं। भारत भी इसका सदस्य है।
- इसके द्वारा प्रकाशित कुछ रिपोर्ट हैं:
- व्यापार और विकास रिपोर्ट (Trade and Development Report)
- इन्वेस्टमेंट ट्रेंड मॉनीटर रिपोर्ट (Investment Trends Monitor Report)
- विश्व निवेश रिपोर्ट (World Investment Report)

नोट :

- न्यूनतम विकसित देश रिपोर्ट (The Least Developed Countries Report)
- सूचना एवं अर्थव्यवस्था रिपोर्ट (Information and Economy Report)
- प्रौद्योगिकी एवं नवाचार रिपोर्ट (Technology and Innovation Report)
- वस्तु तथा विकास रिपोर्ट (Commodities and Development Report)

मोस्ट फेवर्ड नेशन (MFN)

- विश्व व्यापार संगठन के टैरिफ एंड ट्रेड पर जनरल समझौते के 'मोस्ट फेवर्ड नेशन' सिद्धांत के मुताबिक, विश्व व्यापार संगठन के प्रत्येक सदस्य देश को अन्य सभी सदस्यों के साथ समान रूप से मोस्ट फेवर्ड' व्यापारिक भागीदारों के रूप में व्यवहार करना चाहिये।
- विश्व व्यापार संगठन के अनुसार, यद्यपि 'मोस्ट फेवर्ड नेशन' शब्द किसी 'विशेष उपचार' की ओर संकेत करता है, लेकिन वास्तव में इसका अर्थ है गैर-भेदभाव की नीति से।

FAO सम्मेलन का 42वाँ सत्र

चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO) के 42वें सत्र को संबोधित किया।

- यह सम्मेलन हर दो वर्ष में होता है यह FAO का सर्वोच्च शासी निकाय है।
- यह संगठन की नीतियों को निर्धारित करता है और उनके बजट को मंज़ूरी देता है तथा सदस्यों को खाद्य और कृषि मुद्दों पर सिफारिशें करता है।

प्रमुख बिंदु:

कोविड-19 महामारी के दौरान खाद्य सुरक्षा के लिये भारत के प्रयास:

- खाद्यान्न का उच्च उत्पादन: भारत ने वर्ष 2020-21 के दौरान 305 मिलियन टन खाद्यान्न निर्यात के साथ-साथ वैश्विक खाद्य सुरक्षा में योगदान करते हुए अब तक का उच्च उत्पादन दर्ज किया।
- किसान रेल: इसे जल्दी खराब होने वाली बागवानी उपज, दूध और डेयरी उत्पाद सहित आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन केंद्रों से बड़े शहरी बाज़ारों तक परिवहन के लिये पेश किया गया था।
- प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज: इस योजना के तहत 810 मिलियन लाभार्थियों को मुफ्त खाद्यान्न प्रदान किया गया और इसे आगे भी जारी रखा गया है जिसमें श्रमिकों को नवंबर, 2021 तक लाभान्वित किया जाएगा।
- पीएम किसान योजना: किसानों को आय सहायता प्रदान करने के लिये इसके तहत 10 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में 1,37,000 करोड़ रुपए से अधिक राशि भेजी गई है।

जलवायु परिवर्तन और कृषि योजनाएँ:

- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY): इसे वर्ष 2015 में जल संसाधनों के मुद्दों को संबोधित करने और एक स्थायी समाधान प्रदान करने के लिये शुरू किया गया था जो 'प्रति बूंद अधिक फसल' की परिकल्पना करती है।
- हरित भारत मिशन: इसे वर्ष 2014 में जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना (NAPCC) की छत्रछाया में लॉन्च किया गया था, जिसका प्राथमिक उद्देश्य भारत के घटते वन आवरण की रक्षा, पुनर्स्थापना और उसमें वृद्धि करना था।
- मृदा स्वास्थ्य कार्ड (SHC): इसे क्लस्टर मिट्टी के नमूनों का विश्लेषण करने और किसानों को उनकी भूमि की उर्वरता की स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त करने के मुख्य उद्देश्य के साथ लॉन्च किया गया था।
- परंपरागत कृषि विकास योजना (PKVY): इसे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और भारत की राज्य सरकारों के संयोजन के साथ जलवायु-स्मार्ट प्रथाओं तथा प्रौद्योगिकियों के अनुकूलन का व्यापक रूप से लाभ उठाने के लिये निष्पादित किया गया था।
- बारानी क्षेत्र विकास (RAD): यह उत्पादकता बढ़ाने और जलवायु परिवर्तनशीलता से जुड़े जोखिमों को कम करने के लिये एकीकृत कृषि प्रणाली (IFS) पर केंद्रित है।

- कृषि वानिकी पर उप-मिशन (SMAF): इसका उद्देश्य किसानों को जलवायु सुगमता और किसानों को आय के एक अतिरिक्त स्रोत के लिये कृषि फसलों के साथ-साथ बहुउद्देश्यीय पेड़ लगाने हेतु प्रोत्साहित करना है, साथ ही अन्य बातों के साथ-साथ लकड़ी आधारित फीडस्टॉक को बढ़ाना है।
- जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों के प्रति कृषि को लचीला बनाने के लिये तकनीकों का विकास, प्रदर्शन और प्रसार करने हेतु सतत् कृषि पर राष्ट्रीय मिशन (NMSA) प्रारंभ किया गया।
- उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के लिये मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट (MOVCDNER): यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, यह NMSA के तहत एक उप-मिशन है, जिसका उद्देश्य प्रमाणित जैविक उत्पादन को वैल्यू चेन मोड में विकसित करना है।

अन्य कदम:

- हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति, सार्वजनिक वितरण प्रणाली और मूल्य समर्थन प्रणाली।

खाद्य और कृषि संगठन:

- FAO संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जो भुखमरी से बचने के लिये अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का नेतृत्त्व करती है।
- वर्ष 1945 में FAO की स्थापना की वर्षगाँठ को चिह्नित करने के लिये हर वर्ष 16 अक्तूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है।
- यह रोम (इटली) में स्थित संयुक्त राष्ट्र के खाद्य सहायता संगठनों में से एक है। इसकी सहयोगी संस्थाएँ विश्व खाद्य कार्यक्रम और कृषि विकास हेतु अंतर्राष्ट्रीय कोष (IFAD) हैं।
- उठाए गए कदम:
  - विश्व स्तर पर महत्त्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली (GIAHS) दुनिया भर में रेगिस्तानी टिड्डी की स्थिति पर नज़र रखती है।
  - कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन या CAC संयुक्त एफएओ/डब्ल्यूएचओ खाद्य मानक कार्यक्रम के कार्यान्वयन के संबंध में सभी मामलों के लिये ज़िम्मेदार निकाय है।
  - खाद्य और कृषि के लिये पादप आनुवंशिक संसाधनों पर अंतर्राष्ट्रीय संधि।
- प्रमुख प्रकाशन:
  - विश्व मत्स्य पालन और जलीय कृषि राज्य (SOFIA)।
  - 'स्टेट ऑफ द वर्ल्ड फॉरेस्ट्स।
  - विश्व में खाद्य सुरक्षा और पोषण राज्य (SOFI)।
  - खाद्य और कृषि राज्य (SOFA)।
  - स्टेट ऑफ एग्रीकल्चरल कमोडिटी मार्केट्स (SOCO)।
  - विश्व खाद्य मूल्य सूचकांक।
- भारत और FAO:
  - FAO अंतर्राष्ट्रीय दलहन वर्ष जो वर्ष 2016 में मनाया गया था और वर्ष 2023 को बाजरा के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित करने के लिये भारतीय प्रस्ताव का समर्थन करता है।
  - भारत ने FAO की 75वीं वर्षगाँठ (16 अक्तूबर, 2020) को चिह्नित करने के लिये 75 रुपए मूल्यवर्ग का सिक्का जारी किया।

परमाणु शस्त्रागार का वैश्विक विस्तार: SIPRI रिपोर्ट

चर्चा में क्यों?

हाल ही में प्रकाशित SIPRI इयरबुक (SIPRI Yearbook) 2021 के अनुसार, विश्व स्तर पर तैयार और तैनात परमाणु हथियारों की संख्या में वृद्धि हुई है।

- SIPRI इयरबुक स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट (Stockholm International Peace Research Institute- SIPRI) द्वारा जारी की जाती है जो अंतर्राष्ट्रीय आयुध और संघर्ष पर शोध करता है।
- SIPRI "ईयरबुक 2021" हथियारों, निरस्त्रीकरण और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा की वर्तमान स्थिति का आकलन करता है।

प्रमुख बिंदु

नौ परमाणु शस्त्र संपन्न देश:

- अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्राँस, चीन, भारत, पाकिस्तान, इज़राइल तथा उत्तरी कोरिया विश्व के 9 परमाणु हथियार संपन्न देश हैं।
  - इन देशों के पास वर्ष 2021 की शुरुआत में अनुमानित 13,080 परमाणु हथियार थे।
  - रूस और अमेरिका के पास कुल मिलाकर 90% से अधिक वैश्विक परमाणु हथियार हैं और साथ ही वे व्यापक और महँगे आधुनिकीकरण कार्यक्रम भी चल रहे हैं।
    - अमेरिका और रूस दोनों ने न्यू स्टार्ट (New START) संधि के विस्तार को मंज़ूरी दे दी है।
- चीन के परमाणु शस्त्रागार में वर्ष 2020 की शुरुआत में 320 से ऊपर 350 वॉरहेड शामिल थे।
  - चीन की स्थिति एक महत्त्वपूर्ण आधुनिकीकरण और परमाणु हथियार सूची के विस्तार के बीच स्थित है।
- वर्ष 2021 की शुरुआत में भारत के पास 156 परमाणु हथियार हैं, जो कि पिछले वर्ष (2020) की शुरुआत में 150 थे, वहीं पाकिस्तान के पास पिछले वर्ष 160 थे जो अब 165 हो गए हैं।
  - भारत और पाकिस्तान नई प्रौद्योगिकियों एवं क्षमताओं की तलाश कर रहे हैं जो परमाणु सीमा के तहत एक-दूसरे की रक्षा को खतरनाक रूप से कमज़ोर करती हैं।
- पारदर्शिता का निम्न स्तर: परमाणु शस्त्रागार की स्थिति और परमाणु-सशस्त्र राज्यों की क्षमताओं पर उपलब्ध विश्वसनीय जानकारी की स्थिति भी काफी भिन्न है।

सबसे बड़ा सैन्य खर्च:

- वर्ष 2020 में कुल खर्च में वृद्धि काफी हद तक संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन (क्रमश: पहले और दूसरे सबसे बड़े खर्च करने वाले) के व्यय पैटर्न से प्रभावित थी।
- वर्ष 2020 में 72.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर के खर्च में 2.1% की वृद्धि हुई, जिसने भारत को विश्व में तीसरे सबसे बड़े सैन्य ऋणदाता के रुप में स्थान दिया।

प्रमुख हथियारों के आयातक:

- SIPRI ने वर्ष 2016-20 में 164 राज्यों को प्रमुख हथियारों के आयातक के रूप में पहचाना।
- पाँच सबसे बड़े हथियार आयातक देश थे- सऊदी अरब, भारत, मिस्र, ऑस्ट्रेलिया एवं चीन और कुल हथियारों के आयात में इनका हिस्सा 36% था।
- क्षेत्रवार: वर्ष 2016-20 के दौरान प्रमुख हथियारों की आपूर्ति की सबसे बड़ी मात्रा प्राप्त करने वाला क्षेत्र एशिया और ओशिनिया था, जो वैश्विक कुल आपूर्ति का 42% था, इसके बाद मध्य पूर्व का स्थान है जिसे 33% हिस्सा प्राप्त हुआ।

प्रमुख हथियारों के आपूर्तिकर्त्ता:

- वर्ष 2016-20 के दौरान पाँच सबसे बड़े आपूर्तिकर्त्ताओं संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, फ्राँस, जर्मनी और चीन का प्रमुख हथियारों के निर्यात में हिस्सा 76% था।

सशस्त्र संघर्ष के हालिया उदाहरण:

- कश्मीर को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच क्षेत्रीय संघर्ष। वर्ष 2020 में स्थिति बड़े पैमाने पर सशस्त्र हिंसा की अपेक्षा निम्न स्तर की यथास्थिति में वापस आ गई।
- जून 2020 में पाँच दशकों में पहली बार कश्मीर के विवादित पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में चीन और भारत के बीच सीमा तनाव घातक हो गया।

नोट :

- नवंबर 2020 में उत्तरी इथियोपिया के टाइग्रे क्षेत्र (Tigray Region) में संघीय सरकारी बलों और टाइग्रे पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट के बीच एक नया सशस्त्र संघर्ष छिड़ गया, जिसमें हज़ारों लोग मारे गए और 46,000 से अधिक शरणार्थियों को पूर्वी सूडान में भागने के लिये मजबूर होना पड़ा।

परमाणु हथियार

इसके बारे में:

- परमाणु हथियार एक उपकरण है जिसे परमाणु विखंडन, परमाणु संलयन या दोनों के संयोजन के परिणामस्वरूप विस्फोटक तरीके से ऊर्जा जारी करने के लिये डिज़ाइन किया गया है।
- विखंडन हथियारों को आमतौर पर परमाणु बम के रूप में जाना जाता है, और संलयन हथियारों को थर्मोन्यूक्लियर बम या सामान्यत: हाइड्रोजन बम के रूप में संदर्भित किया जाता है।
- 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी में हुए बम धमाकों में इनका इस्तेमाल किया गया।

परमाणु प्रसार और परीक्षण को रोकने वाली संधियाँ

- परमाणु हथियारों के अप्रसार पर संधि (NPT)।
- वायुमंडल के बाहरी अंतरिक्ष में और पानी के नीचे परमाणु हथियार परीक्षण पर प्रतिबंध लगाने वाली संधि जिसे आंशिक परीक्षण प्रतिबंध संधि (Partial Test Ban Treaty- PTBT) के रूप में भी जाना जाता है।
- व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि (Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty- CTBT) पर वर्ष 1996 में हस्ताक्षर किये गए थे, लेकिन यह अभी तक लागू नहीं हुई है।
- परमाणु हथियारों के निषेध पर संधि (TPNW) जो 22 जनवरी, 2021 को लागू हुई।

अन्य संबंधित पहलें:

- परमाणु आपूर्तिकर्त्ता समूह, मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था, बैलिस्टिक मिसाइल प्रसार के खिलाफ हेग आचार संहिता और वासेनर अरेंजमेंट।

भारत का परमाणु हथियार कार्यक्रम:

- भारत ने मई 1974 में अपने पहले परमाणु उपकरण का परीक्षण किया और परमाणु हथियारों के अप्रसार संधि (NPT) और व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि (CTBT) दोनों से बाहर है।
- हालाँकि भारत का अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) के साथ एक सुविधा-विशिष्ट सुरक्षा उपाय समझौता है और उसे परमाणु आपूर्तिकर्त्ता समूह (NSG) से छूट मिली है जो इसे वैश्विक नागरिक परमाणु प्रौद्योगिकी वाणिज्य में भाग लेने की अनुमति देता है।
- इसे वर्ष 2016 में मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था (MTCR) में वर्ष 2017 में वासेनर अरेंजमेंट और वर्ष 2018 में ऑस्ट्रेलिया समूह में एक सदस्य के रूप में शामिल किया गया था।
- भारत ने परमाणु हथियारों के पहले प्रयोग नहीं करने की अपनी आधिकारिक प्रतिबद्धता को बनाए रखा है।

8वीं एडीएमएम-प्लस बैठक

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत के रक्षा मंत्री ने 8वीं आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक (ADMM प्लस) को संबोधित किया।

- ADMM-Plus आसियान और उसके आठ संवाद भागीदारों का एक मंच है।

प्रमुख बिंदु:

सुरक्षा और विवाद समाधान:

- भारत ने राष्ट्रों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के सम्मान के आधार पर इंडो-पैसिफिक में एक खुली और समावेशी व्यवस्था का आह्वान किया।

- यह दक्षिण चीन सागर सहित अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों में नेविगेशन, ओवरफ्लाइट और अबाध वाणिज्य की स्वतंत्रता का समर्थन करता है, भारत को उम्मीद है कि इस आचार संहिता वार्ता (दक्षिण चीन सागर के लिये) से ऐसे परिणाम निकलेंगे जो 'समुद्र कानून पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय' (UNCLOS) सहित अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अनुरूप होंगे।
  - हाल ही में आसियान और चीन ने इस कोड पर वार्ता को फिर से शुरू करने में तेज़ी लाने पर सहमति व्यक्त की, जो महामारी के कारण रुकी हुई थी।
  - चीन और आसियान ने कथित रूप से बाध्यकारी आचार संहिता पर वर्ष 2013 में बातचीत शुरू की थी।
- बातचीत और अंतर्राष्ट्रीय नियमों एवं कानूनों के पालन के माध्यम से विवादों के शांतिपूर्ण समाधान पर ज़ोर दिया गया।
- अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिये उभरती चुनौतियों का समाधान करने हेतु नई प्रणालियों की आवश्यकता है।

'एक्ट ईस्ट' पॉलिसी:

- एक्ट ईस्ट पॉलिसी का प्रमुख उद्देश्य द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और बहुपक्षीय स्तरों पर निरंतर जुड़ाव के माध्यम से आर्थिक सहयोग, सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देना और हिंद-प्रशांत क्षेत्र के देशों के साथ रणनीतिक संबंध विकसित करना है।

आतंकवाद:

- आतंकी संगठनों और उनके नेटवर्क को पूरी तरह से बाधित करने के लिये सामूहिक सहयोग का आह्वान किया गया।
  - अपराधियों की पहचान करने और उन्हें जवाबदेह ठहराने तथा यह अपेक्षा की गई कि आतंकवाद का समर्थन करने, उसे वित्तपोषित करने एवं आतंकवादियों को शरण देने वालों के खिलाफ कड़े कदम उठाए जाएँ।
- फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) के सदस्य के रूप में भारत आतंकवाद के वित्तपोषण का मुकाबला करने के लिये प्रतिबद्ध है।
  - FATF ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग वॉचडॉग है।

साइबर सुरक्षा:

- एक बहु-हितधारक दृष्टिकोण का आह्वान किया गया, जो लोकतांत्रिक मूल्यों द्वारा निर्देशित हो तथा एक खुली और समावेशी शासन संरचना हो एवं यह देशों की संप्रभुता के लिये एक सुरक्षित और स्थिर इंटरनेट व्यवस्था से संबंधित हो, जो साइबरस्पेस के भविष्य को तय करेगा।

कोविड-19:

- विश्व स्तर पर उपलब्ध पेटेंट मुक्त टीके, निर्बाध आपूर्ति शृंखला और अधिक वैश्विक चिकित्सा क्षमता कुछ ऐसे प्रयास हैं, जिनका सुझाव भारत ने संयुक्त प्रयास के माध्यम से दिया है।
  - दक्षिण अफ्रीका और भारत ने विश्व व्यापार संगठन (WTO) से कोविड -19 से संबंधित बौद्धिक संपदा (IP) अधिकारों को निलंबित करने का आह्वान किया है ताकि महामारी को नियंत्रित करने के लिये टीकों और नई तकनीक का समान साझाकरण सुनिश्चित किया जा सके।

मानवीय सहायता और आपदा राहत (HADR) संचालन:

- भारत विस्तारित पड़ोस में संकट के समय में तत्काल प्रतिक्रिया देने वाले पहले देशों में से एक है।
- एशियाई तटरक्षक एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक (HACGAM) के संस्थापक सदस्य के रूप में भारत समुद्री खोज और बचाव के क्षेत्रों में सहयोग के माध्यम से क्षमता निर्माण को बढ़ाना चाहता है।
  - HACGAM एक शीर्ष स्तर का मंच है जो एशियाई क्षेत्र की सभी प्रमुख तटरक्षक एजेंसियों के एकीकरण की सुविधा प्रदान करता है, इसकी स्थापना वर्ष 2004 में हुई थी।

आसियान की केंद्रीयता:

- भारत आसियान के साथ एक गहरा संबंध साझा करता है और क्षेत्रीय शांति एवं स्थिरता में योगदान देने वाले कई क्षेत्रों में अपनी सक्रिय भागीदारी जारी रखता है, विशेष रूप से आसियान के नेतृत्व वाले तंत्र के माध्यम से, जैसे:
  - ईस्ट एशिया समिट

- आसियान रीजनल फोरम
- ADMM प्लस

- भारत-आसियान रणनीतिक साझेदारी उनके बीच समृद्ध सांस्कृतिक और सभ्यतागत संबंधों और लोगों-से-लोगों के मध्य सहयोग को बढ़ावा देने के कारण मज़बूत हुई है।

ADMM प्लस:

- वर्ष 2007 में सिंगापुर में दूसरी आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक (एडीएमएम) में एडीएमएम-प्लस की स्थापना के लिये एक प्रस्ताव अपनाया गया।
  - पहली ADMM-Plus वार्ता वर्ष 2010 में हनोई, वियतनाम में आयोजित की गई थी।
  - ब्रुनेई वर्ष 2021 के लिये ADMM प्लस फोरम का अध्यक्ष है।
- दक्षिण-पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संघ (आसियान) एक क्षेत्रीय संगठन है जिसे एशिया-प्रशांत के उत्तर-औपनिवेशिक राज्यों के मध्य बढ़ते तनाव के बीच राजनीतिक और सामाजिक स्थिरता को बढ़ावा देने के लिये स्थापित किया गया था।

सदस्यता:

- एडीएमएम-प्लस देशों में दस आसियान सदस्य राज्य और आठ अन्य देश शामिल हैं- ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, जापान, न्यूज़ीलैंड, कोरिया गणराज्य, रूसी संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका।

उद्देश्य:

- इसका उद्देश्य अधिक संवाद और पारदर्शिता के माध्यम से रक्षा प्रतिष्ठानों के बीच आपसी विश्वास और सहयोग को बढ़ावा देना है।

सहयोग के क्षेत्र:

- समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद का मुकाबला, मानवीय सहायता और आपदा राहत, शांति अभियान तथा सैन्य चिकित्सा।

एंटोनियो गुटेरेस: दूसरे कार्यकाल के लिये संयुक्त राष्ट्र महासचिव

चर्चा में क्यों?

संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एंटोनियो गुटेरेस (Antonio Guterres) को 1 जनवरी, 2022 से 31 दिसंबर, 2026 तक के लिये दूसरे कार्यकाल हेतु नौवें संयुक्त राष्ट्र महासचिव (UNSG) के रूप में नियुक्त किया।

- भारत ने संयुक्त राष्ट्र प्रमुख के रूप में गुटेरेस के फिर से चुनाव किये जाने पर अपना समर्थन व्यक्त किया था।

प्रमुख बिंदु

एंटोनियो गुटेरेस के बारे में:

- गुटेरेस ने 1 जनवरी, 2017 को पद की शपथ ली और उनका पहला कार्यकाल 31 दिसंबर, 2021 को समाप्त हो रहा है।
- गुटेरेस ने जून 2005 से दिसंबर 2015 तक (एक दशक) शरणार्थियों के लिये संयुक्त राष्ट्र के उच्चायुक्त के रूप में कार्य किया।
- वह पुर्तगाल के पूर्व प्रधानमंत्री रहे।

नियुक्ति:

- संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत महासचिव की नियुक्ति सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा द्वारा की जाती है।
- प्रत्येक महासचिव के पास दूसरे कार्यकाल का विकल्प होता है इसके लिये उसे सदस्य राज्यों का पर्याप्त समर्थन मामला आवश्यक है।
- गुटेरेस को एक संशोधित चयन प्रक्रिया द्वारा चुना गया जिसमें महासभा में एक सार्वजनिक अनौपचारिक संवाद सत्र शामिल था, इसमें नागरिक समाज के प्रतिनिधि शामिल थे, जिसका उद्देश्य पारदर्शिता और समावेशिता सुनिश्चित करना था।

संयुक्त राष्ट्र चार्टर:

- संयुक्त राष्ट्र का चार्टर संयुक्त राष्ट्र का संस्थापक दस्तावेज है। इस पर 26 जून, 1945 को सैन फ्राँसिस्को में अंतर्राष्ट्रीय संगठन के संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के समापन के अवसर पर हस्ताक्षर किये गए और 24 अक्तूबर, 1945 को यह लागू हुआ।
- संयुक्त राष्ट्र अपने अद्वितीय अंतर्राष्ट्रीय चरित्र (International Character) और अपने चार्टर में निहित शक्तियों के कारण कई तरह के मुद्दों पर कार्रवाई कर सकता है, जिसे एक अंतर्राष्ट्रीय संधि माना जाता है।
- संयुक्त राष्ट्र चार्टर अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत साधन है और संयुक्त राष्ट्र के सदस्य राज्य इससे बँधे हैं। संयुक्त राष्ट्र चार्टर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के प्रमुख सिद्धांतों को संहिताबद्ध करता है, जिसमें राज्यों की संप्रभु समानता से लेकर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में बल के प्रयोग पर प्रतिबंध शामिल है।

UNGA के बारे में:

- महासभा संयुक्त राष्ट्र के मुख्य विचार-विमर्श, नीति निर्माण और प्रतिनिधि अंग के रूप में एक केंद्रीय स्थान रखती है।
- संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 सदस्यों से बना यह चार्टर कवर किये गए अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों के पूर्ण स्पेक्ट्रम की बहुपक्षीय चर्चा के लिये एक अनूठा मंच प्रदान करता है।
- यह मानक-निर्धारण और अंतर्राष्ट्रीय कानून के संहिताकरण की प्रक्रिया में भी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद:

- वर्ष 1945 में संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा स्थापित सुरक्षा परिषद के पास अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने की प्राथमिक ज़िम्मेदारी है।
- सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य राज्य हैं।
  - पाँच स्थायी सदस्य हैं: संयुक्त राज्य अमेरिका, रूसी संघ, फ्राँस, चीन और यूनाइटेड किंगडम।
  - सुरक्षा परिषद के गैर-स्थायी सदस्य दो वर्ष की अवधि के लिये चुने जाते हैं। हाल ही में भारत का चुनाव हुआ है।
- सुरक्षा परिषद के प्रत्येक सदस्य का एक मत होता है। मामले पर सुरक्षा परिषद का निर्णय स्थायी सदस्यों के सहमति मतों सहित नौ सदस्यों के सकारात्मक मत द्वारा किया जाता है।
- संयुक्त राष्ट्र का कोई भी सदस्य जो सुरक्षा परिषद का सदस्य नहीं है, बिना वोट के सुरक्षा परिषद के समक्ष लाए गए किसी भी प्रश्न की चर्चा में भाग ले सकता है, जब भी सुरक्षा परिषद को लगता है कि उस सदस्य के हित विशेष रूप से प्रभावित हैं।

संयुक्त राष्ट्र से संबंधित चुनौतियाँ:

- UNSC द्वारा प्रयोग किये जाने वाले वीटो पावर पर UNGA का कोई नियंत्रण नहीं है और यह UNSC के स्थायी सदस्यों के खिलाफ कोई निर्णायक कार्रवाई नहीं कर सकता है।
- 15 सदस्यीय सुरक्षा परिषद अब तक संयुक्त राष्ट्र की सबसे शक्तिशाली शाखा है। हालाँकि वीटो पावर का इस्तेमाल पाँच स्थायी देशों द्वारा अपने और अपने सहयोगियों के रणनीतिक हितों की पूर्ति के लिये किया जाता है।
- संयुक्त राष्ट्र का चार्टर महासचिव, संयुक्त राष्ट्र के शीर्ष अधिकारी के कर्तव्यों को परिभाषित करने में अस्पष्ट है।
- हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की अमेरिका द्वारा कोविड-19 महामारी के संबंध में गलत जानकारी के कारण आलोचना की गई और बाद में उसने WHO को अपने वित्तीय योगदान को निलंबित कर दिया।
  - साथ ही WHO पर अमेरिकी सरकार का दबाव है कि वह अमेरिकी फार्मा कंपनियों के हितों के पक्ष में एक समान दृष्टिकोण अपनाए।
  - WHO संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है।

संयुक्त राष्ट्र

स्थापना:

- संयुक्त राष्ट्र (UN) वर्ष 1945 में स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है।

सदस्य:

- वर्तमान में इसमें शामिल सदस्य राष्ट्रों की संख्या 193 है।
- भारत संयुक्त राष्ट्र का एक चार्टर सदस्य है और इसकी सभी विशिष्ट एजेंसियों और संगठनों में भाग लेता है।

गतिविधियाँ:

- इसकी गतिविधियों में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनाए रखना, मानवाधिकारों की रक्षा करना, मानवीय सहायता प्रदान करना, सतत् विकास को बढ़ावा देना और अंतर्राष्ट्रीय कानून को बनाए रखना शामिल है।

संयुक्त राष्ट्र के मुख्य अंग हैं:

- महासभा (The General Assembly)
- सुरक्षा परिषद (The Security Council)
- संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद (The Economic and Social Council)
- संयुक्त राष्ट्र न्यास परिषद (The Trusteeship Council)
- अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (The International Court of Justice)
- संयुक्त राष्ट्र सचिवालय (The UN Secretariat)

फंड और कार्यक्रम:

- संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष (यूनिसेफ)
- संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP)
- संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UN Environment)
- संयुक्त राष्ट्र मानव अधिवासन कार्यक्रम (UN-Habitat)
- विश्व खाद्य कार्यक्रम (WFP)

आगे की राह

- संयुक्त राष्ट्र को बहुपक्षवाद के अधिक समावेशी, नेटवर्क एवं प्रभावी रूपों के लिये एक उत्प्रेरक और एक मंच के रूप में कार्य करना चाहिये।
- वर्तमान स्थिति में एक बेहतर दुनिया और सभी के भविष्य को बदलने की शक्ति हर जगह हर किसी पर निर्भर करती है और इसे तभी सफलतापूर्वक किया जा सकता है जब मानवता और ग्रह के लाभ के लिये एक साझा एजेंडा पर कार्य करने का प्रयास किया जाए।

चीन एक सुरक्षा जोखिम के रूप में: नाटो

चर्चा में क्यों?

हाल ही में आयोजित उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन (नाटो) शिखर सम्मेलन ने पहली बार स्पष्ट रूप से चीन को सुरक्षा जोखिम के रूप में वर्णित किया है।

- नाटो 'उदघोषणा' द्वारा पहचाने गए अन्य दो जोखिम 'रूस' और 'आतंकवाद' हैं।

प्रमुख बिंदु:

उत्तर अटलांटिक संधि संगठन (नाटो):

- गठन: नाटो की स्थापना 4 अप्रैल, 1949 की उत्तरी अटलांटिक संधि (जिसे वाशिंगटन संधि भी कहा जाता है) द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और कई पश्चिमी यूरोपीय देशों द्वारा सोवियत संघ के खिलाफ सामूहिक सुरक्षा प्रदान करने के लिये की गई थी।
  - इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है।

- राजनीतिक और सैन्य गठबंधन: नाटो का प्राथमिक लक्ष्य अपने सदस्यों की सामूहिक रक्षा और उत्तरी अटलांटिक क्षेत्र में लोकतांत्रिक शांति व्यवस्था बनाए रखना है।
    - नाटो के अनुच्छेद V में निहित सामूहिक रक्षा सिद्धांत में कहा गया है कि "एक सहयोगी के खिलाफ हमले को सभी सहयोगियों के खिलाफ हमले के रूप में माना जाएगा"।
- नाटो की सेनाएँ: नाटो के पास एक सैन्य और नागरिक मुख्यालय और एक एकीकृत सैन्य कमान संरचना है, लेकिन इसके पास बहुत कम बल या संपत्ति विशेष रूप से इसकी अपनी हैं।
    - जब तक कि सदस्य देश नाटो से संबंधित कार्यों को करने के लिये सहमत नहीं हो जाते अधिकांश बल पूर्ण रूप से राष्ट्रीय कमान और नियंत्रण में रहते हैं।
- नाटो के निर्णय: एक "नाटो निर्णय" सभी 30 सदस्य देशों की सामूहिक इच्छा की अभिव्यक्ति है क्योंकि सभी निर्णय सर्वसम्मति से लिये जाते हैं।

नाटो के प्रदर्शन का विश्लेषण:

- शीत युद्ध काल: नाटो "यूरो-अटलांटिक क्षेत्र" को सोवियत विस्तार से बचाने और दो महाशक्तियों के बीच युद्ध को रोकने के अपने मिशन में पूरी तरह से सफल रहा।
    - वर्ष 1955 में नाटो और उसके सोवियत समकक्ष 'वारसॉ पैक्ट' के गठन से शीत युद्ध के युग (लगभग 1945 से 1991 तक) का प्रारंभ हुआ।
- शीत युद्ध के बाद का युग: जब वर्ष 1991 में सोवियत संघ का पतन हुआ तो नाटो के सामूहिक सुरक्षा के प्रतिमान में बदलाव देखा गया।
    - जब वर्ष 1999 में बाल्कन संघर्ष छिड़ गया, तो नाटो को शीत युद्ध के बाद यूरोप में अपनी उपयोगिता साबित करने का मौका मिला।
- पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यवस्था:
    - यूरोप के लिये यह एक आकर्षक समझौता था, जहाँ स्वायत्तता में मामूली नुकसान के बदले इसे सस्ते मूल्य पर पूर्ण सुरक्षा मिलती थी।
        - रक्षा पर बड़े पैमाने पर खर्च न करने से यूरोप को शक्तिशाली अर्थव्यवस्थाओं के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करने और एक मज़बूत कल्याणकारी राज्य में अपने अधिशेष का निवेश करने की अनुमति मिली।
    - नाटो ने जर्मनी को नीचे रखने के अतिरिक्त बोनस की भी पेशकश की जो ऐतिहासिक रूप से इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता के लिये एक प्रमुख कारक था।
    - यूरोपीय लोगों द्वारा स्वयं संगठित और प्रबंधित एक सामूहिक सैन्य बल अमेरिकी निरीक्षण से बाहर निकलने का रास्ता पेश कर सकता है।
        - हालाँकि इसने जर्मनी या फ्राँस जैसे एक या दो मज़बूत और धनी राज्यों के जोखिम का सामना किया।

नाटो और चीन:

- नाटो नेताओं द्वारा चीन को लगातार सुरक्षा चुनौती घोषित किया गया है और बताया गया है कि चीनी वैश्विक व्यवस्था को कमज़ोर करने के लिये काम कर रहे हैं।
    - यह अमेरिकी राष्ट्रपति के चीन के व्यापार, सैन्य और मानवाधिकार प्रथाओं के खिलाफ अधिक एकीकृत प्रयासों के अनुरूप है।
    - अमेरिका का बढ़ता विश्वास यह है कि चीन उसके वैश्विक वर्चस्व के लिये खतरा है और उसे नियंत्रित किया जाना चाहिये।
- हालाँकि फ्राँस और जर्मनी दोनों ने नाटो की आधिकारिक स्थिति और चीन की अपनी धारणा के बीच कुछ दूरी बनाने की मांग की।
    - नाटो के यूरोपीय सदस्य राज्य चीन को एक आर्थिक प्रतिद्वंद्वी और विरोधी के रूप में देख सकते हैं, लेकिन वे इस अमेरिकी विचार से सहमत नहीं हैं कि यह एक पूर्ण सुरक्षा खतरा है।
- चीन का रुख: इसने नाटो से चीन के विकास को तर्कसंगत रूप से देखने, 'चीनी खतरे के सिद्धांत' के विभिन्न रूपों को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करने से रोकने और चीन के वैध हितों तथा कानूनी अधिकारों का उपयोग समूह राजनीति में कृत्रिम रूप से टकराव पैदा करने के बहाने के रूप में नहीं करने का आग्रह किया है।

नाटो और रूस:

- रूस के साथ तनाव पूर्व की ओर विस्तार करने के लिये नाटो के प्रयासों का एक अनिवार्य परिणाम है जिसे रूस अपने प्रभाव क्षेत्र के रूप में मानता है।
  - यूक्रेन, जॉर्जिया और माल्डोवा जैसे देशों को नाटो की छत्रछाया में लाने की कोशिश ने रूस के साथ टकराव को जन्म दिया है।
- जैसा कि रूस ने क्रीमिया, जॉर्जिया और माल्डोवा में सैनिकों को तैनात करके अपने हितों की रक्षा करने की मांग की, नाटो ने उस पर गैर-ज़िम्मेदाराना तरीके से काम करने और "नियम-आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था" को तोड़ने का आरोप लगाया।

निष्कर्ष:

चीन की अर्थव्यवस्था पहले से ही पश्चिमी बाज़ारों के साथ गहराई से एकीकृत है। इसके बावजूद चीन को 'खतरा' माना जा रहा है। यह देखा जाना बाकी है कि वर्तमान यूरोप नाटो के निर्णयों को किस प्रकार वरीयता देगा।

अंटार्कटिक संधि

चर्चा में क्यों?

हाल ही में अंटार्कटिक संधि (Antarctic Treaty) की 60वीं वर्षगाँठ मनाई गई।

- अंटार्कटिक संधि एकमात्र एकल संधि का उदाहरण है जो पूरे महाद्वीप को नियंत्रित करती है।
- यह एक अस्थायी आबादी वाले महाद्वीप के लिये नियम-आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की नींव भी रखती है।

प्रमुख बिंदु

परिचय:

- अंटार्कटिक महाद्वीप को केवल वैज्ञानिक अनुसंधान के लिये संरक्षित करने एवं असैन्यीकृत क्षेत्र बनाने के लिये 1 दिसंबर, 1959 को वाशिंगटन में 12 देशों के बीच अंटार्कटिक संधि पर हस्ताक्षर किये गए थे।
  - 12 मूल हस्ताक्षरकर्त्ता अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, चिली, फ्राँस, जापान, न्यूज़ीलैंड, नॉर्वे, दक्षिण अफ्रीका, सोवियत संघ, यूके और यूएस हैं।
- यह संधि वर्ष 1961 में लागू हुई, तत्पश्चात इसे कई अन्य देशों ने स्वीकार किया है।
- अंटार्कटिका को 60 °S अक्षांश के दक्षिण में स्थित बर्फ से आच्छादित भूमि के रूप में परिभाषित किया गया है।
  - हाल ही में एक विशाल हिमखंड 'ए-76' (Iceberg 'A-76) अंटार्कटिका में वेडेल सागर (Weddell Sea) में स्थित रोने आइस शेल्फ (Ronne Ice Shelf) के पश्चिमी भाग में देखा गया है।

सदस्य:

- वर्तमान में इसमें 54 पक्षकार हैं। वर्ष 1983 में भारत इस संधि का सदस्य बना।

मुख्यालय:

- ब्यूनस आयर्स, अर्जेंटीना।

प्रमुख प्रावधान:

- वैज्ञानिक अनुसंधान की स्वतंत्रता को बढ़ावा देना।
- देश महाद्वीप का उपयोग केवल शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिये कर सकते हैं।
- सैन्य गतिविधियों, परमाणु परीक्षणों और रेडियोधर्मी कचरे के निपटान का निषेध।
- क्षेत्रीय संप्रभुता को निष्प्रभावी करना अर्थात् किसी देश द्वारा इस पर कोई नया दावा करने या मौजूदा दावे का विस्तार नहीं किया जाएगा।
- इस संधि द्वारा किसी देश की इस महाद्वीप पर दावेदारी संबंधी किसी भी विवाद पर रोक लगा दी गई।

विवाद और समाधान:

- इसे लेकर समय-समय पर तनाव की स्थिति बनी रहती है। उदाहरणस्वरूप महाद्वीप क्षेत्र को लेकर अर्जेंटीना और यूके के अपने अतिव्यापी दावे हैं।
- हालाँकि संधि की सक्रियता का एक प्रमुख कारण कई अतिरिक्त सम्मेलनों और अन्य कानूनी प्रोटोकॉल के माध्यम से अर्जित क्षमता है।
- ये सम्मेलन और अन्य कानूनी प्रोटोकॉल समुद्री जीव संसाधनों के संरक्षण, खनन पर प्रतिबंध तथा व्यापक पर्यावरण संरक्षण तंत्र को अपनाने से संबंधित हैं।
- विदित है कि इस पर वर्षों से विवाद उत्पन्न होते रहे हैं लेकिन इन समझौतों के साथ संधि ढाँचे के विस्तार के माध्यम से कई विवादों को हल किया गया है। इस संपूर्ण ढाँचे को अब अंटार्कटिक संधि प्रणाली के रूप में जाना जाता है।

अंटार्कटिक संधि प्रणाली:

परिचय:

- यह अंटार्कटिक में देशों के बीच संबंधों को विनियमित करने के उद्देश्य से की गई व्यवस्थाओं की जटिल संरचना है।
- इसका उद्देश्य सभी मानव जाति के हितों में यह सुनिश्चित करना है कि अंटार्कटिका हमेशा के लिये शांतिपूर्ण उद्देश्यों हेतु उपयोग किया जाता रहेगा और अंतर्राष्ट्रीय विवाद की वस्तु नहीं बनेगा।
- यह एक वैश्विक उपलब्धि है और 50 से अधिक वर्षों से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की मिसाल है।
- ये समझौते अंटार्कटिक की अनूठी भौगोलिक, पर्यावरणीय और राजनीतिक विशेषताओं के लिये कानूनी रूप से बाध्यकारी और उद्देश्यपूर्ण हैं और इस क्षेत्र के लिये एक मज़बूत अंतर्राष्ट्रीय शासन ढाँचा तैयार करते हैं।

संधि प्रणाली के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय समझौते:

- 1959 की अंटार्कटिक संधि।
- अंटार्कटिक सीलों के संरक्षण के लिये 1972 कन्वेंशन।
- अंटार्कटिक समुद्री जीवन संसाधनों के संरक्षण पर 1980 का कन्वेंशन।
- अंटार्कटिक संधि के लिये पर्यावरण संरक्षण पर 1991 का प्रोटोकॉल।

भारतीय अंटार्कटिक कार्यक्रम

परिचय:

- यह नेशनल सेंटर फॉर अंटार्कटिक एंड ओशन रिसर्च (National Centre for Antarctic and Ocean Research-NCPOR) के तहत एक वैज्ञानिक अनुसंधान और अन्वेषण कार्यक्रम है। इसकी शुरुआत 1981 में हुई थी जब अंटार्कटिका के लिये पहला भारतीय अभियान बनाया गया था।
- NCPOR देश में ध्रुवीय और दक्षिणी महासागरीय वैज्ञानिक अनुसंधान के साथ-साथ संबंधित रसद गतिविधियों की योजना, प्रचार, समन्वय और निष्पादन के लिये नोडल एजेंसी है।
- इसकी स्थापना 1998 में हुई थी।

दक्षिण गंगोत्री:

- दक्षिण गंगोत्री भारतीय अंटार्कटिक कार्यक्रम के एक भाग के रूप में अंटार्कटिका में स्थापित पहला भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान बेस स्टेशन था।
- अभी यह क्षतिग्रस्त हो गया है और सिर्फ आपूर्ति का आधार बन गया है।

मैत्री:

- मैत्री अंटार्कटिका में भारत का दूसरा स्थायी अनुसंधान केंद्र है। इसे 1989 में बनाया गया था।

- मैत्री, शिरमाकर ओएसिस नामक चट्टानी पहाड़ी क्षेत्र पर स्थित है। भारत ने मैत्री के आसपास मीठे पानी की एक झील भी बनाई जिसे प्रियदर्शिनी झील के नाम से जाना जाता है।

भारती:

- भारती, 2012 से भारत का नवीनतम अनुसंधान केंद्र का संचालन। इसका निर्माण शोधकर्त्ताओं को कठोर मौसम के बावजूद सुरक्षित होकर काम करने में मदद के लिये किया गया है।
- यह भारत की पहली प्रतिबद्ध अनुसंधान सुविधा है और मैत्री से लगभग 3000 किमी पूर्व में स्थित है।

अन्य अनुसंधान सुविधाएँ:

- सागर निधि:
  - 2008 में भारत ने शोध के लिये सागर निधि की स्थापना की।
  - एक आइस-क्लास पोत, अंटार्कटिक जल को नेविगेट करने वाला पहला भारतीय पोत, यह 40 सेमी गहराई की पतली बर्फ को काट सकता है।

आगे की राह:

- अंटार्कटिक संधि कई चुनौतियों का सफलतापूर्वक जवाब देने में सक्षम रही है परंतु 1950 के दशक की तुलना में 2020 के दशक में परिस्थितियाँ मौलिक रूप से भिन्न हैं। अंटार्कटिक आंशिक रूप से प्रौद्योगिकी के साथ ही जलवायु परिवर्तन के कारण भी बहुत अधिक सुलभ है।
  - मूल 12 देशों की तुलना में अब अधिक देशों के महाद्वीप में वास्तविक हित निहित हैं। इसके अतिरिक्त विशेष रूप से तेल जैसे कुछ वैश्विक संसाधन दुर्लभ होते जा रहे हैं।
- अंटार्कटिक संसाधनों, विशेष रूप से मत्स्यपालन और खनिजों में चीन के हितों के बारे में काफी अटकलें हैं और चीन उन संसाधनों तक सुरक्षित पहुँच के लिये संधि प्रणाली में कमज़ोरियों का फायदा उठाने की कोशिश कर सकता है।
- इसलिये सभी हस्ताक्षरकर्त्ताओं के साथ ही विशेष रूप से महाद्वीप में महत्त्वपूर्ण हिस्सेदारी वाले लोगों को संधि के भविष्य पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है।

पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में बनाए रखने का निर्णय

चर्चा में क्यों?

वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (Financial Action Task Force- FATF) ने पाकिस्तान को "इन्क्रीज्ड मॉनिटरिंग लिस्ट" में बनाए रखने का निर्णय लिया है।

- "इन्क्रीज्ड मॉनिटरिंग लिस्ट" ग्रे सूची का ही दूसरा नाम है।

प्रमुख बिंदु

पृष्ठभूमि:

- FATF ने जून 2018 में पाकिस्तान को 'ग्रे सूची' में रखने के बाद 27 सूत्रीय कार्रवाई योजना जारी की थी। यह कार्रवाई योजना धन शोधन और आतंकी वित्तपोषण पर अंकुश लगाने से संबंधित है।
- अक्तूबर 2020 सत्र के दौरान FATF द्वारा पाकिस्तान के लिये निर्धारित 27 सूत्रीय कार्रवाई योजना को पूर्ण करने की समय-सीमा को कोविड-19 महामारी के कारण फरवरी 2021 तक विस्तारित कर दिया गया था।
  - तब इसने 27 निर्देशों में से 6 का पूरी तरह से अनुपालन नहीं किया था।
- फरवरी 2021 में, FATF ने आतंकवाद का मुकाबला करने में पाकिस्तान की महत्त्वपूर्ण प्रगति को स्वीकार किया, हालाँकि उसे अभी भी 27-सूत्रीय कार्य योजना में से तीन का पूरी तरह से पालन करना था।

- ये तीन बिंदु वित्तीय प्रतिबंधों और आतंकी फंडिंग वाले बुनियादी ढाँचे तथा इसमें शामिल संस्थाओं के खिलाफ दंड के संदर्भ में प्रभावी कदमों से संबंधित थे।

ग्रे सूची में बरकरार रखने के विषय में:

- FATF ने कहा कि पाकिस्तान 26/11 के आरोपी हाफिज सईद और JeM प्रमुख मसूद अजहर जैसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा नामित आतंकवादियों के खिलाफ उचित कार्रवाई करने में विफल रहा है। हालाँकि पाकिस्तान ने कार्रवाई के 27 में से 26 बिंदुओं को पूरा किया है।
- FATF पाकिस्तान को आतंकवाद के वित्तपोषण की जाँच और संयुक्त राष्ट्र द्वारा नामित आतंकवादी समूहों के वरिष्ठ नेताओं और कमांडरों को लक्षित करते हुए अभियोजन के माध्यम से आतंकवाद के वित्तपोषण का विरोध करने से संबंधित एक शेष मुद्दे को जल्द से जल्द संबोधित करने के लिये प्रगति जारी रखने के लिये प्रोत्साहित करता है।
- इसके अलावा, FATF ने मुख्य रूप से मनी लॉन्ड्रिंग कार्रवाइयों को पूरा करने के लिये कार्यों की एक और 6-सूत्रीय सूची भी सौंपी है।
  - पाकिस्तान से उसके मनी-लॉन्ड्रिंग अधिनियम में संशोधन करने, नामित गैर-वित्तीय व्यवसायों और पेशों (Designated Non-Financial Businesses and Professions- DNFBPs) जैसे- रियल एस्टेट एजेंसियों तथा रत्न व्यापारियों पर कार्रवाई, मनी लॉन्ड्रिंग संस्थाओं की संपत्तियों को जब्त एवं फ्रीज करने और वित्तपोषण पर अंकुश लगाने के लिये व्यवसायों की निगरानी करने के साथ ही गैर-अनुपालन की स्थिति में उन पर वित्तीय प्रतिबंध लगाने की उम्मीद की गई है।

महत्त्व:

- FATF ने पाकिस्तान के विरुद्ध आतंकी गतिविधियों के लिये धन जुटाने में शामिल कई प्रतिबंधित संगठनों जैसे- जैश-ए-मोहम्मद प्रमुख मसूद अजहर, लश्कर-ए-तैयबा के हाफिज सईद आदि पर कार्रवाई में निष्क्रियता के मामले में संज्ञान लिया है।
- भारत ने कई मौकों पर 26/11 के मुंबई और पुलवामा हमलों सहित कई आतंकी मामलों में पाकिस्तान में पल रहे आतंकवादियों की संलिप्तता को उजागर किया है।
- पाकिस्तान का FATF की ग्रे सूची में बना रहना उसके समक्ष यह दबाव बनाएगा कि वह भारत में इस तरह के आतंकवादी हमलों को रोकने के लिये पर्याप्त उपाय करे।
  - अगले स्तर की "ब्लैकलिस्ट" के विपरीत, ग्रेलिस्टिंग में कोई कानूनी प्रतिबंध नहीं है, लेकिन यह आर्थिक सख्ती को आकर्षित करता है और किसी देश की अंतर्राष्ट्रीय ऋण तक पहुँच को प्रतिबंधित करता है।
    - पाकिस्तान के विदेश मंत्री द्वारा यह अनुमान लगाया था कि प्रत्येक उस वर्ष के दौरान जब पाकिस्तान ग्रेलिस्ट में रहा है, पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था को 10 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है।

वित्तीय कार्रवाई कार्य बल

परिचय:

- FATF का गठन वर्ष 1989 में जी-7 देशों की पेरिस में आयोजित बैठक में हुआ था।
- FATF मनी लांड्रिंग, टेरर फंडिंग जैसे मुद्दों पर दुनिया में विधायी और नियामक सुधार लाने के लिये आवश्यक राजनीतिक इच्छा शक्ति पैदा करने का काम करता है। यह व्यक्तिगत मामलों को नहीं देखता है।

उद्देश्य:

- FATF का उद्देश्य मनी लॉड्रिंग, आतंकवादी वित्तपोषण जैसे खतरों से निपटना और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली की अखंडता के लिये अन्य कानूनी, विनियामक और परिचालन उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन को बढ़ावा देना है।

मुख्यालय:

- इसका सचिवालय पेरिस स्थित आर्थिक सहयोग विकास संगठन (OECD) के मुख्यालय में स्थित है।

सदस्य देश:

- वर्तमान में FATF में भारत समेत 39 सदस्य देश और 2 क्षेत्रीय संगठन (यूरोपीय आयोग और खाड़ी सहयोग परिषद) शामिल हैं। भारत वर्ष 2010 से FATF का सदस्य है।

FATF की सूचियाँ:

- ग्रे लिस्ट:
  - किसी भी देश का FATF की 'ग्रे' लिस्ट में शामिल होने का अर्थ है कि वह देश आतंकवादी फंडिंग और मनी लॉड्रिंग पर अंकुश लगाने में विफल रहा है।
- ब्लैक लिस्ट:
  - किसी भी देश का FATF की 'ब्लैक लिस्ट' (Black List) में शामिल होने का अर्थ है कि उस देश को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा वित्तीय सहायता मिलनी बंद हो जाएगी।

हाई एल्टीट्यूड के लिये नई चीनी मिलिशिया इकाइयाँ

चर्चा में क्यों?

हाल ही में चीनी सेना ने हाई एल्टीट्यूड (High Altitudes) वाले युद्धक्षेत्र के लिये स्थानीय तिब्बती युवाओं को शामिल करते हुए नई मिलिशिया (Militia) इकाइयाँ बनाई हैं।

प्रमुख बिंदु

परिचय :

- मिमांग चेटन (Mimang Cheton) नामक नई इकाइयाँ वर्तमान में प्रशिक्षण के दौर से गुज़र रही हैं तथा इन्हें भारत-चीन सीमा के पूर्वी और पश्चिमी दोनों क्षेत्रों में सर्वाधिक ऊपरी हिमालय पर्वतमाला में तैनात किया जाना है।
  - उन्हें विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिये प्रशिक्षित किया जा रहा है, जिसमें एक तरफ ड्रोन जैसे उच्च तकनीक वाले उपकरणों का उपयोग करना, साथ ही साथ खच्चरों और घोड़ों को हिमालयी रेंज में उन क्षेत्रों तक पहुँचने के लिये शामिल किया गया है जहाँ आधुनिक साधनों से नहीं पहुँचा जा सकता है।
- उन्हें पूर्वी लद्दाख के पास तैनात किया गया है, जहाँ वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) के साथ-साथ सिक्किम और भूटान के साथ हालिया सीमा तनाव है।
  - LAC वह सीमांकन है जो भारतीय-नियंत्रित क्षेत्र को चीनी-नियंत्रित क्षेत्र से अलग करती है।
- पूर्वी लद्दाख में पैंगोंग त्सो झील (Pangong Tso Lake) के पास चुंबी घाटी और तिब्बत के रुतोग में विभिन्न स्थानों पर प्रशिक्षित इकाइयों को पहले ही तैनात किया जा चुका है।
- नई मिमांग चेटन इकाइयों की तैनाती भारत के कुलीन और दशकों पुराने स्पेशल फ्रंटियर फोर्स (SFF) को दर्शाती है।
  - जैसे SFF तिब्बतियों की जानकारी पर निर्भर रहते हैं वैसे ही मिमांग चेटन भी तिब्बतियों के स्थानीय ज्ञान के साथ-साथ स्थानीय लोगों के हाई एल्टीट्यूड सिकनेस के प्रतिरोध पर निर्भर करता है, जो अल्पाइन युद्ध में एक समस्या है।

उद्देश्य :

- हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर:
  - नई इकाइयों का उपयोग हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर के साथ-साथ निगरानी के लिये भी किया जाएगा।
- सामाजिक-सांस्कृतिक पहलू:
  - इकाइयों की एक नई विशेषता यह है कि प्रशिक्षण पूरा होने पर उन्हें तिब्बत में बौद्ध भिक्षुओं द्वारा "आशीर्वाद" दिया जा रहा है, जिसे PLA से जातीय तिब्बतियों तक अधिक सामाजिक-सांस्कृतिक पहुँच के संकेत के रूप में व्याख्यायित किया जा रहा है।
  - यह संभवत: तिब्बत क्षेत्र में कुछ लाभ प्राप्त करने के लिये PLA की एक नई रणनीति है।

सीमा पर चीन के हालिया घटनाक्रम:

- रेलवे लाइन:
  - चीन ने तिब्बत में पहली बुलेट ट्रेन लाइन शुरू की है, जो ल्हासा को अरुणाचल प्रदेश की सीमा के पास निंगची (Nyingchi) से जोड़ती है।

- वर्ष 2006 में शुरू किये गए चिंगहई-तिब्बत रेलमार्ग (Qinghai-Tibet railway) के बाद यह तिब्बत के लिये दूसरा प्रमुख रेल लिंक है।

- राजमार्ग:
  - वर्ष 2021 में चीन ने भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य के साथ विवादित सीमा को लेकर दूरदराज़ के क्षेत्रों में अपनी पहुँच को और अधिक मज़बूत करने हेतु सामरिक रूप से महत्त्वपूर्ण राजमार्ग के निर्माण कार्य को पूरा कर लिया है।
- नए गाँव :
  - जनवरी 2021 में अरुणाचल प्रदेश में बुमला दर्रे से 5 किलोमीटर दूर चीन द्वारा तीन गाँवों के निर्माण किये जाने की खबरें आई थीं।
  - वर्ष 2020 के कुछ उपग्रह चित्रों में भूटान की सीमा के अंतर्गत 2-3 किमी में निर्मित 'पंगडा' नामक एक नया गाँव देखा गया।
  - वर्ष 2017 में तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र (TAR) सरकार ने सीमावर्ती क्षेत्रों में मध्यम रूप से संपन्न गाँव बनाने की योजना शुरू की।
  - इस योजना के तहत भारत, भूटान, नेपाल और चीन की सीमाओं के साथ पहली और दूसरी सीमांकन रेखा वाले अन्य दूरदराज़ के इलाकों में 628 गाँव विकसित किये जाएंगे।

भारत के लिये चिंता:

- रणनीतिक स्थान:
  - चुंबी घाटी की सामरिक स्थिति को देखते हुए ऐसा विकास भारत के लिये चिंता का विषय है।
    - चुंबी घाटी पूर्व में भूटान और पश्चिम में सिक्किम के बीच स्थित चीनी क्षेत्र का 100 किलोमीटर का फैलाव है।
  - घाटी की स्थिति लंबे समय से चिंता का विषय रही है कि इसका उपयोग सिलीगुड़ी कॉरिडोर में रणनीतिक संचार लिंक को घेरने करने के लिये संचालन शुरू करने हेतु किया जा सकता है।
    - सिलीगुड़ी कॉरिडोर पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी शहर के आसपास स्थित भूमि का एक संकरा हिस्सा है। यह पूर्वोत्तर राज्यों को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ता है, इसे चिकन नेक के रूप में भी जाना जाता है।
- चीन की मज़बूत होती स्थिति:
  - ये घटनाक्रम मई 2020 में शुरू हुए सीमा गतिरोध और हवाई अड्डों, हेलीपैड, मिसाइल सुविधाओं तथा हवाई साइटों सहित LAC के साथ चीनी क्षेत्र में बुनियादी ढाँचे के तेज़ी से निर्माण की पृष्ठभूमि के खिलाफ आए हैं।

भारत द्वारा अपनी सीमा को मज़बूत करने के लिये उठाए गए कदम:

- जम्मू और कश्मीर के गुलमर्ग में भारत का अपना हाई एल्टीट्यूड वारफेयर स्कूल (High Altitude Warfare School-HAWS) है।
- भारत, सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (Border Area Development Programme- BADP) के 10 प्रतिशत कोष को केवल चीन सीमा पर बुनियादी ढाँचे में सुधार के लिये खर्च करेगा।
- सीमा सड़क संगठन (Border Roads Organisation- BRO) ने अरुणाचल प्रदेश में सुबनसिरी नदी पर दापोरिजो पुल का निर्माण किया।
  - यह भारत और चीन के बीच LAC तक जाने वाली सड़कों को जोड़ता है।
- अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम कामेंग ज़िले के नेचिफू में एक सुरंग तवांग के माध्यम से LAC तक सैनिकों की आवाजाही में लगने वाले समय को कम करेगी, जिसे चीन अपना क्षेत्र होने का दावा करता है।
- अरुणाचल प्रदेश में से ला पास (Se La pass) के नीचे एक सुरंग का निर्माण किया जा रहा है जो तवांग को बाकी अरुणाचल और गुवाहाटी से जोड़ती है।
- अरुणाचल प्रदेश सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे क्षेत्रों से शहरी केंद्रों की ओर जनसंख्या के पलायन (विशेष रूप से चीन सीमा के साथ लगे क्षेत्रों से) को रोकने के लिये केंद्र सरकार से पायलट विकास परियोजनाओं की मांग की है। अरुणाचल प्रदेश सरकार ने भारत-चीन सीमा पर बुनियादी ढाँचे के विकास के लिये पायलट परियोजनाओं के रूप में 10 जनगणना शहरों (Census Towns) के चयन की सिफारिश की है।

- वर्ष 2019 में अरुणाचल प्रदेश में निचली दिबांग घाटी में स्थित सिसेरी नदी पुल (Sisseri River Bridge) का उद्घाटन किया गया था, जो दिबांग घाटी को सियांग से जोड़ता है।
- वर्ष 2019 में भारतीय वायु सेना ने अरुणाचल प्रदेश में भारत के सबसे पूर्वी गाँव-विजयनगर (चांगलांग ज़िले) में पुनर्निर्मित हवाई पट्टी का उद्घाटन किया।
- वर्ष 2019 में भारतीय सेना ने अपने नए 'इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स' (IBG) के साथ अरुणाचल प्रदेश और असम में 'हिमविजय' (HimVijay) अभ्यास किया था।
- बोगीबील पुल जो भारत का सबसे लंबा सड़क-रेल पुल है, असम में डिब्रूगढ़ को अरुणाचल प्रदेश में पासीघाट से जोड़ता है। इसका उद्घाटन वर्ष 2018 में किया गया था।

स्पेशल फ्रंटियर फोर्स (SSF):

परिचय:

- इसकी स्थापना वर्ष 1962 में भारत-चीन युद्ध के तुरंत बाद हुई थी।
- यह कैबिनेट सचिवालय के दायरे में आता है जहाँ इसका नेतृत्त्व एक महानिरीक्षक (Inspector General) करता है जो मेजर जनरल रैंक का एक सैन्य अधिकारी होता है।
    - SFF में शामिल इकाइयाँ 'विकास बटालियन' (Vikas Battalion) के रूप में जानी जाती हैं।
- वे उच्च प्रशिक्षित विशेष बल कर्मी होते हैं, ये विभिन्न प्रकार के कार्य कर सकते हैं जो आमतौर पर किसी विशेष बल इकाई द्वारा किये जाते हैं।
- यह एक 'कोवर्ट आउटफिट' (Covert Outfit) थी जिसमें खम्पा समुदाय के तिब्बतियों को भर्ती किया जाता था किंतु अब इसमें तिब्बतियों एवं गोरखाओं दोनों को भर्ती किया जाता है।
    - महिला सैनिक भी SSF इकाइयों का हिस्सा बनती हैं।
- SFF इकाइयाँ सेना का हिस्सा नहीं हैं परंतु वे सेना के संचालन नियंत्रण में कार्य करती हैं।

प्रमुख अभियान:

- ऑपरेशन ईगल (वर्ष 1971 में पाकिस्तान के साथ युद्ध), ऑपरेशन ब्लूस्टार (वर्ष 1984 में अमृतसर के स्वर्ण मंदिर से संबंधित), ऑपरेशन मेघदूत (वर्ष 1984 में सियाचिन ग्लेशियर को सुरक्षित करना) और ऑपरेशन विजय (वर्ष 1999 में कारगिल में पाकिस्तान के साथ युद्ध) तथा देश में कई विद्रोहों के विरुद्ध अभियान।

आगे की राह:

- भारत को अपने हितों की रक्षा करने के लिये अपनी सीमा के पास चीन द्वारा किसी भी नए विकास के मामले में पर्याप्त रूप से सतर्क रहने की आवश्यकता है। इसके अलावा इसे कुशल तरीके से कर्मियों और अन्य रसद आपूर्ति की आवाजाही सुनिश्चित करने हेतु अपने क्षेत्र के कठिन सीमा क्षेत्रों में मजबूत बुनियादी ढाँचे का निर्माण करने की आवश्यकता है।

ज़ेन गार्डन - काइज़न अकादमी

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री ने गुजरात के अहमदाबाद मैनेजमेंट एसोसिएशन (AMA) में एक जापानी 'ज़ेन गार्डन - काइज़न अकादमी' (Zen Garden- Kaizen Academy) का उद्घाटन किया।

प्रमुख बिंदु:

परिचय:

- यह AMA में जापान सूचना एवं अध्ययन केंद्र और भारत-जापान मैत्री संघ (IJFA), गुजरात का एक संयुक्त प्रयास है। यह ह्योगो इंटरनेशनल एसोसिएशन (HIA) जापान द्वारा समर्थित है।
- इसमें पारंपरिक जापानी अवयव जैसे- रेड ब्रिज गुज़ेई, शोजी इंटीरियर, ग्लोरी ऑफ तोरी, एक 3-डी आर्ट म्यूरल, फ्यूजन चबुतारो, ताकी वॉटरफॉल, सुकुबाई बेसिन और किमोनो स्क्रॉल हैं।
- यह भारत में जापान की कार्य संस्कृति का प्रचार करेगा और जापान तथा भारत के बीच व्यापार संबंधों को बढ़ाएगा।
  - ज़ेन, महायान बौद्ध धर्म का एक जापानी स्कूल है जो अनुष्ठान पूजा या शास्त्रों के अध्ययन के बजाय ध्यान और अंतर्ज्ञान के मूल्यों पर बल देता है। जापान में ज़ेन का आशय भारत में ध्यान के समान है।
  - काइज़ेन का तात्पर्य 'बेहतरी के लिये परिवर्तन' या 'निरंतर सुधार' से है। काइज़ेन एक जापानी व्यापार दर्शन है जो सभी कर्मचारियों को शामिल करते हुए कार्य वातावरण को अधिक कुशल बनाकर उत्पादकता में धीरे-धीरे सुधार करने पर केंद्रित है।

भारत-जापान मित्रता:

- भारत और जापान के प्रधानमंत्रियों के बीच हाल की टेलीफोनिक बातचीत के मुख्य हाइलाइटस:
  - महामारी के कारण उत्पन्न चुनौतियों को दूर करने के लिये लचीला, विविध और भरोसेमंद आपूर्ति शृंखला बनाने, महत्त्वपूर्ण सामग्रियों एवं प्रौद्योगिकियों की विश्वसनीय आपूर्ति सुनिश्चित करने तथा विनिर्माण व कौशल विकास में नई साझेदारी विकसित करने के लिये मिलकर कार्य करने की आवश्यकता है।
  - एक स्वतंत्र और खुले हिंद-प्रशांत की धारणा को साकार करने की दिशा में जापान-ऑस्ट्रेलिया-भारत-अमेरिका चतुर्भुज सहयोग सहित जापान-भारत द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सहयोग के महत्त्व की पुष्टि की गई।
  - पूर्वोत्तर राज्य में 5जी, पनडुब्बी केबल, औद्योगिक प्रतिस्पर्द्धा को मज़बूत करने और विकास परियोजनाओं जैसे क्षेत्रों में संभावित सहयोग की आवश्यकता है।
- भारत और जापान के मध्य अन्य हालिया सहयोगात्मक पहल:
  - हाल ही में भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने भारत-प्रशांत क्षेत्र में चीन के प्रभुत्व को प्रतिसंतुलित करने हेतु औपचारिक रूप से सप्लाई चेन रेज़ीलिएंस इनीशिएटिव (Supply Chain Resilience Initiative- SCRI) की शुरुआत की है।
  - जापान ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में एक परियोजना सहित भारत में कई प्रमुख बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं हेतु कुल 233 बिलियन येन के ऋण और अनुदान को अंतिम मंज़ूरी दे दी है।
  - वर्ष 2020 में भारत और जापान के मध्य एक रसद समझौते पर हस्ताक्षर किये गए जो दोनों पक्षों के सशस्त्र बलों को सेवाओं एवं आपूर्ति में सहयोग करने की अनुमति प्रदान करता है। इस समझौते को अधिग्रहण और क्रॉस-सर्विसिंग समझौते (Acquisition and Cross-Servicing Agreement- ACSA) के रूप में जाना जाता है।
  - वर्ष 2014 में भारत और जापान ने अपने संबंधों को 'विशेष रणनीतिक एवं वैश्विक साझेदारी' के साथ मज़बूत किया।
  - अगस्त 2011 में लागू हुआ भारत-जापान व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता (India-Japan Comprehensive Economic Partnership Agreement- CEPA) वस्तुओं, सेवाओं, व्यक्तियों की आवाजाही, निवेश, बौद्धिक संपदा अधिकार, कस्टम प्रक्रियाओं और अन्य व्यापार संबंधी मुद्दों को कवर करता है।
- रक्षा अभ्यास :
  - भारत और जापान के रक्षा बलों के बीच विभिन्न द्विपक्षीय अभ्यासों का आयोजन किया जाता है, जिसमें JIMEX (नौसेना), SHINYUU मैत्री (वायु सेना) और धर्म गार्जियन (थल सेना) आदि शामिल हैं। दोनों देश संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ मालाबार अभ्यास (नौसेना अभ्यास) में भी भाग लेते हैं।

आगे की राह

- जापान से सहायता लेने के अतिरिक्त भारत को यह भी विचार करना होगा कि भारतीय घटक जापान तक कैसे पहुँच सकते हैं और उन्हें जापान में लाभांश कैसे दिया जा सकता है, साथ ही आत्मनिर्भर भारत की धारणा को भी बढ़ावा देने की आवश्यकता है।
- भारत को कोविड के बाद के संबंधों के मामले को भी देखने की ज़रूरत है, उसे दुनिया के अन्य हिस्सों के साथ अच्छे संबंध सुनिश्चित करना चाहिये ताकि नुकसान से उभर सके और समुद्री क्षेत्रों में चीनी प्रभाव को नियंत्रित कर सके।
- जापान की मदद से भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त कर सकता है।

दृष्टि The Vision

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

न्यू शेफर्ड

चर्चा में क्यों?

हाल ही में ब्लू ओरिजिन नामक एक कंपनी ने 'न्यू शेफर्ड' पर पहली सीट हेतु ऑनलाइन नीलामी का समापन किया, जो कि पर्यटकों को अंतरिक्ष में ले जाने के लिये एक रॉकेट प्रणाली है।

- इसने 20 जुलाई, 2021 को अपनी पहली मानव उड़ान भरी, जो नील आर्मस्ट्रांग और बज़ एल्ड्रिन के चंद्रमा पर उतरने की 52वीं वर्षगाँठ है।

प्रमुख बिंदु:

न्यू शेफर्ड:

- न्यू शेफर्ड का नाम अंतरिक्ष यात्री एलन शेफर्ड के नाम पर रखा गया है जो कि अंतरिक्ष में जाने वाले पहले अमेरिकी थे। न्यू शेफर्ड पृथ्वी से 100 किमी. से अधिक की दूरी पर अंतरिक्ष के लिये उड़ानों और पेलोड हेतु आवास प्रदान करता है।
- यह एक रॉकेट प्रणाली है जिसे अंतरिक्ष यात्रियों और अनुसंधान पेलोड को कार्मण रेखा से आगे ले जाने के लिये डिज़ाइन किया गया है।
- यह विचार अकादमिक अनुसंधान, कॉर्पोरेट प्रौद्योगिकी विकास और उद्यमशीलता के उपक्रमों जैसे उद्देश्यों के लिये अंतरिक्ष में आसान और अधिक लागत प्रभावी पहुँच प्रदान करेगा।
- यह अंतरिक्ष पर्यटकों को पृथ्वी से 100 किमी. ऊपर ले जाकर सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण का अनुभव करने की भी अनुमति देगा।
    - माइक्रोग्रैविटी वह स्थिति है जिसमें लोग या वस्तु भारहीन प्रतीत होते हैं। जब अंतरिक्ष यात्री और वस्तुएँ अंतरिक्ष में तैरती हैं तो माइक्रोग्रैविटी का प्रभाव देखा जा सकता है।

कार्मण रेखा:

- कार्मण रेखा अंतरिक्ष की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सीमा है।
- इसका नाम थिओडोर वॉन कार्मन (1881-1963), एक हंगेरियन अमेरिकी इंजीनियर और भौतिक विज्ञानी के नाम पर रखा गया है, जो मुख्य रूप से वैमानिकी और अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में सक्रिय थे।
    - वह ऊँचाई की गणना करने वाले पहले व्यक्ति थे, जिस पर वैमानिक उड़ान का समर्थन करने के लिये वातावरण बहुत विरल हो जाता है और वह स्वयं 83.6 किमी. की दूरी तक पहुँचे।
- फेडेरेशन एरोनॉटिक इंटरनेशनेल (FAI) कार्मण रेखा को पृथ्वी के औसत समुद्र तल से 100 किलोमीटर की ऊँचाई के रूप में परिभाषित करता है।
    - FAI हवाई खेलों हेतु वैश्विक शासी निकाय है और मानव अंतरिक्ष यान के संबंध में परिभाषाओं का भी निर्धारण करता है।
- हालाँकि अन्य संगठन इस परिभाषा का उपयोग नहीं करते हैं। अंतरिक्ष के किनारे को परिभाषित करने वाला कोई अंतर्राष्ट्रीय कानून नहीं है और इसलिये राष्ट्रीय हवाई क्षेत्र की सीमा है।

अंतरिक्ष पर्यटन:

- अंतरिक्ष पर्यटन मनोरंजक उद्देश्यों के लिये अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले मनुष्यों से संबंधित है। यह आम लोगों को मनोरंजन, अवकाश या व्यावसायिक उद्देश्यों के लिये अंतरिक्ष में जाने की क्षमता प्रदान करना चाहता है।
- यह उन व्यक्तियों के लिये अंतरिक्ष को अधिक सुलभ बना देगा जो अंतरिक्ष यात्री नहीं हैं और गैर-वैज्ञानिक उद्देश्यों के लिये अंतरिक्ष में जाना चाहते हैं।

- तीन निजी कंपनियाँ - ब्लू ओरिजिन, वर्जिन गैलेक्टिक और स्पेसएक्स अब अंतरिक्ष में विभिन्न शोधों का पता लगाने के मानव प्रयास का नेतृत्व कर रही हैं।
- उनकी प्रगति यह तय करेगी कि अंतरिक्ष यात्रा एक दिन हवाई यात्रा की तरह सुलभ हो जाएगी या नहीं।

पिछला अंतरिक्ष पर्यटक:

- पहला अंतरिक्ष पर्यटक अमेरिकी करोड़पति डेनिस टीटो था, जिसने वर्ष 2001 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का दौरा करने के लिये रूसी सोयुज अंतरिक्ष यान पर सवारी करने हेतु 20 मिलियन अमेरिकी डॉलर का भुगतान किया और वहाँ आठ दिन बिताए।
    - टीटो के बाद केवल सात अन्य निजी नागरिकों ने वर्ष 2009 तक अंतरिक्ष की यात्रा की, जब रूसी अंतरिक्ष एजेंसी ने निजी नागरिकों को टिकट बेचने के व्यवसाय को बंद कर दिया।
- 'स्पेस एडवेंचर्स' अब तक भुगतान करने वाले ग्राहकों को कक्षीय अंतरिक्ष में भेजने वाली एकमात्र निजी कंपनी है। वर्ष 2004 में परीक्षण पायलट माइक मेलविल कार्मण रेखा से आगे उड़ान भरने वाले पहले निजी अंतरिक्ष यात्री बने।

महत्त्व:

- विशाल बाज़ार:
    - ऐसी उड़ानों के लिये लगभग 2.4 मिलियन लोगों का अनुमानित बाजार है।
- परीक्षण के लिये आधार:
    - यह पृथ्वी पर विभिन्न गंतव्यों के बीच सुपरसोनिक यात्रा के परीक्षण हेतु आधार प्रदान कर सकता है, यात्रा समय को काफी कम कर सकता है। इसके अलावा यह इस क्षेत्र में निजी क्षेत्र के प्रवेश की शुरुआत करता है।

चिंताएँ:

- जलवायु परिवर्तन: समताप मंडल (पृथ्वी से लगभग 5 से 31 मील ऊपर) में रॉकेट द्वारा उत्सर्जन से उत्पन्न होने वाली कालिख या ब्लैक कार्बन को बारिश या हवाओं से नहीं धोया जा सकता है, क्योंकि यह निचले वातावरण में होता है। नतीजतन, ब्लैक कार्बन कई वर्षों तक समताप मंडल में रह सकता है, जिससे अधिक तेज़ी से जलवायु परिवर्तन हो सकता है।
- स्वास्थ्य: यह स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं का कारण बन सकता है क्योंकि यात्रियों को मोशन सिकनेस और भटकाव का भी सामना करना पड़ सकता है, जो दृष्टि, अनुभूति, संतुलन और मोटर नियंत्रण को प्रभावित कर सकता है।

आगे की राह:

- पर्यटकों को अंतरिक्ष में जाने से पहले प्रशिक्षण, चिकित्सा जाँच और देयता छूट की जांच करने की आवश्यकता होगी।
- अंतरिक्ष पर्यटन उद्योग का एक छोटा उप-क्षेत्र होगा, लेकिन यह पूरे न्यूस्पेस उद्योग को मज़बूत करेगा।
- एक बार जब अंतरिक्ष पर्यटन मुख्यधारा बन जाएगा, तो यह पृथ्वी पर कई सामाजिक-आर्थिक कारकों को भी सकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा, जैसे- रोज़गार पैदा करना, नागरिकों को अंतरिक्ष के बारे में शिक्षित करना और एक नए सौर-आधारित ऊर्जा बुनियादी ढाँचे को बढ़ावा देना।

डीप ओशन मिशन

चर्चा में क्यों?

हाल ही में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 'डीप ओशन मिशन' (DOM) पर 'पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय' (MoES) के प्रस्ताव को मंज़ूरी दे दी है।

- समुद्र की गहराई का पता लगाने के लिये वर्ष 2018 में 'डीप ओशन मिशन' के ब्लूप्रिंट का अनावरण किया गया था। इससे पूर्व 'पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय' ने ब्लू इकॉनमी पॉलिसी का मसौदा भी प्रस्तुत किया था।

प्रमुख बिंदु

डीप ओशन मिशन

- पाँच वर्ष की अवधि वाले इस मिशन की अनुमानित लागत 4,077 करोड़ रुपए है और इसे चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। 'पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय' इस बहु-संस्थागत महत्त्वाकांक्षी मिशन को लागू करने वाला नोडल मंत्रालय होगा।
- यह भारत सरकार की 'ब्लू इकॉनमी' पहल का समर्थन करने हेतु एक मिशन मोड परियोजना होगी।
  - 'ब्लू इकॉनमी' का आशय आर्थिक विकास, बेहतर आजीविका, रोज़गार सृजन और महासागरीय पारिस्थितिकी तंत्र के बेहतर स्वास्थ्य हेतु समुद्री संसाधनों के सतत् उपयोग से है।
- ऐसे मिशनों के लिये आवश्यक तकनीक और विशेषज्ञता वर्तमान में केवल पाँच देशों- अमेरिका, रूस, फ्राँस, जापान और चीन के पास उपलब्ध है।
- भारत ऐसी तकनीक वाला छठा देश होगा।

प्रमुख तत्त्व

- गहरे समुद्र में खनन और मानवयुक्त पनडुब्बी हेतु प्रौद्योगिकी विकास
  - तीन लोगों को समुद्र में 6,000 मीटर की गहराई तक ले जाने के लिये वैज्ञानिक सेंसर और उपकरणों के साथ एक मानवयुक्त पनडुब्बी विकसित की जाएगी।
  - मध्य हिंद महासागर में पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स के खनन के लिये एक एकीकृत खनन प्रणाली भी विकसित की जाएगी।
    - पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स समुद्र तल में मौजूद लोहे, मैंगनीज़, निकल और कोबाल्ट युक्त चट्टानें हैं।
  - भविष्य में संयुक्त राष्ट्र के संगठन 'इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी' द्वारा जब भी वाणिज्यिक खनन कोड तैयार किया जाएगा ऐसी स्थिति में खनिजों के अन्वेषण अध्ययन से निकट भविष्य में वाणिज्यिक दोहन का मार्ग प्रशस्त होगा।
- महासागर जलवायु परिवर्तन सलाहकार सेवाओं का विकास
  - इसके तहत जलवायु परिवर्तनों के भविष्यगत अनुमानों को समझने और उसी के अनुरूप सहायता प्रदान करने वाले अवलोकनों एवं मॉडलों के एक समूह का विकास किया जाएगा।
- गहरे समुद्र में जैव विविधता की खोज एवं संरक्षण के लिये तकनीकी नवाचार
  - इसके तहत सूक्ष्म जीवों सहित गहरे समुद्र की वनस्पतियों और जीवों की सर्वेक्षण और गहरे समुद्र में जैव-संसाधनों के सतत् उपयोग संबंधी अध्ययन पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
- गहरे समुद्र में सर्वेक्षण और अन्वेषण
  - इस घटक का प्राथमिक उद्देश्य हिंद महासागर के मध्य-महासागरीय भागों के साथ बहु-धातु हाइड्रोथर्मल सल्फाइड खनिज के संभावित स्थलों का पता लगाना और उनकी पहचान करना है।
- महासागर से ऊर्जा और मीठा पानी
  - इसमें अपतटीय 'महासागर थर्मल ऊर्जा रूपांतरण' (OTEC) विलवणीकरण संयंत्र हेतु अध्ययन और विस्तृत इंजीनियरिंग डिज़ाइन तैयार करना शामिल है।
    - OTEC एक ऐसी तकनीक है, जो ऊर्जा दोहन के लिये सतह से समुद्र के तापमान के अंतर का उपयोग करती है।
- महासागर जीवविज्ञान हेतु उन्नत समुद्री स्टेशन
  - इस घटक का उद्देश्य महासागरीय जीव विज्ञान और इंजीनियरिंग में मानव क्षमता एवं उद्यम का विकास करना है।
  - यह घटक ऑन-साइट बिज़नेस इन्क्यूबेटर सुविधाओं के माध्यम से अनुसंधान को औद्योगिक अनुप्रयोग और उत्पाद विकास में परिवर्तित करेगा।

महत्त्व

- महासागर, विश्व के 70% हिस्से को कवर करते हैं और हमारे जीवन का एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा हैं। महासागरों की गहराई में स्थित लगभग 95 प्रतिशत हिस्सा अभी भी खोजा नहीं जा सका है।

- भारत तीन दिशाओं से महासागरों से घिरा हुआ है और देश की लगभग 30 प्रतिशत आबादी तटीय क्षेत्रों में रहती है, साथ ही महासागर मत्स्य पालन, जलीय कृषि, पर्यटन, आजीविका एवं 'ब्लू इकॉनमी' का समर्थन करने वाला एक प्रमुख आर्थिक कारक है।
  - भारत की एक अद्वितीय समुद्री स्थिति है। भारत की 7517 किलोमीटर लंबी तटरेखा में 9 तटीय राज्य और 1382 द्वीप मौजूद हैं।
  - फरवरी 2019 में घोषित 'विज़न ऑफ न्यू इंडिया-2030' 'ब्लू इकॉनमी' को विकास के दस प्रमुख आयामों में से एक के रूप में उजागर करता है।
- महासागर भोजन, ऊर्जा, खनिजों, दवाओं, मौसम और जलवायु के भंडार हैं और पृथ्वी पर जीवन के आधार हैं।
  - स्थिरता पर महासागरों के महत्त्व को ध्यान में रखते हुए संयुक्त राष्ट्र ने 2021-2030 के दशक को सतत् विकास हेतु महासागर विज्ञान के दशक के रूप में घोषित किया है।

'ब्लू इकॉनमी' संबंधी अन्य पहलें

- सतत् विकास हेतु 'ब्लू इकॉनमी' पर भारत-नॉर्वे टास्क फोर्स:
  - दोनों देशों के बीच संयुक्त पहल को विकसित करने और उसका पालन करने हेतु वर्ष 2020 में दोनों देशों द्वारा संयुक्त रूप से इसका उद्घाटन किया गया था।
- सागरमाला परियोजना
  - सागरमाला परियोजना बंदरगाहों के आधुनिकीकरण हेतु सूचना प्रौद्योगिकी (IT) सक्षम सेवाओं के व्यापक उपयोग के माध्यम से बंदरगाहों के विकास हेतु एक रणनीतिक पहल है।
- 'ओ-स्मार्ट' योजना
  - भारत में ओ-स्मार्ट के नाम से एक अम्ब्रेला योजना शुरू की गई है, जिसका उद्देश्य सतत् विकास हेतु महासागरों, समुद्री संसाधनों का विनियमित उपयोग करना है।
- एकीकृत तटीय क्षेत्र प्रबंधन
  - यह तटीय और समुद्री संसाधनों के संरक्षण और तटीय समुदायों आदि के लिये आजीविका के अवसरों में सुधार पर केंद्रित है।
- राष्ट्रीय मत्स्य नीति
  - भारत में 'ब्लू ग्रोथ इनिशिएटिव' को बढ़ावा देने के लिये एक राष्ट्रीय मत्स्य नीति तैयार की गई है, जो समुद्री और अन्य जलीय संसाधनों के साथ मत्स्य संपदा के सतत् उपयोग पर केंद्रित है।

चीन का शेनझाउ-12 मानवयुक्त मिशन

चर्चा में क्यों?

हाल ही में एक चीनी अंतरिक्षयान "शेनझाउ-12", जिसमें तीन-व्यक्ति चालक दल के रूप में हैं, को चीन के नए अंतरिक्ष स्टेशन मॉड्यूल तियानहे -1 के साथ जोड़ा गया है।

- यह तियानझोउ-2 कार्गो अंतरिक्षयान के प्रक्षेपण का उत्तरवर्ती मिशन है, जिसने अंतरिक्ष स्टेशन में महत्त्वपूर्ण वस्तुओं की आपूर्ति की थी।

प्रमुख बिंदु:

- शेनझाउ-12 यान गोबी रेगिस्तान में जिउक्वान लॉन्च सेंटर से टेकऑफ़ के लगभग छह घंटे बाद तियान्हे अंतरिक्ष स्टेशन मॉड्यूल से जुड़ा।
- थ्री-मैन क्रू तीन महीने तियानहे मॉड्यूल पर बिताएगा, जो पृथ्वी से लगभग 340 किमी से 380 किमी. ऊपर परिक्रमा कर रहा है।
  - पूर्व सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद चीन तीसरा देश है जिसने अपने दम पर एक मानव मिशन को अंजाम दिया।
- यह इस वर्ष के लिये योजनाबद्ध दो मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशनों में से पहला है, जो वर्ष 2022 में चीनी अंतरिक्ष स्टेशन को पूरा करने के उद्देश्य से लॉन्च की गई सूची का हिस्सा है।
  - इस वर्ष के लिये कम-से-कम पाँच और मिशनों की योजना बनाई गई है, जिसमें शेनझाउ-13 मानवयुक्त मिशन भी है, इसमें तीन अंतरिक्ष यात्री भी शामिल हैं, जिन्हें इस वर्ष के अंत में निर्धारित किया जाएगा।

- तीन अंतरिक्ष यात्री इस लिविंग मॉड्यूल में निवास करने वाले पहले व्यक्ति होंगे, ये अगले वर्ष दो प्रयोगशाला मॉड्यूल प्राप्त करने के लिये प्रयोग, परीक्षण उपकरण, रखरखाव का संचालन करेंगे और स्टेशन तैयार करेंगे।
- यह अंतरिक्ष में चीन का सातवाँ क्रू मिशन था। यह मिशन चीन के अंतरिक्ष स्टेशन के निर्माण के दौरान पहला मानवयुक्त मिशन है जो वर्ष 2016 में देश के आखिरी मानव मिशन के बाद लगभग पाँच वर्षों में पहला और चीन का सबसे लंबा मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन है।

मिशन का उद्देश्य:

- यह लंबी अवधि तक अंतरिक्ष यात्रियों के रहने और स्वास्थ्य देखभाल, रीसाइक्लिंग, जीवन समर्थन प्रणाली, अंतरिक्ष सामग्री की आपूर्ति, अतिरिक्त गतिविधियों का संचालन और कक्षा में रखरखाव से संबंधित परीक्षण प्रौद्योगिकियों में मदद करेगा।

चीन का अंतरिक्ष स्टेशन:

- चीन अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) में भागीदार नहीं है, मुख्यत: चीनी कार्यक्रम की गोपनीयता और घनिष्ठ सैन्य संबंधों पर अमेरिकी आपत्तियों के परिणामस्वरूप चीन ISS का हिस्सा नहीं है।
  - ISS पाँच भागीदार अंतरिक्ष एजेंसियों की एक संयुक्त परियोजना है: नासा (संयुक्त राज्य अमेरिका), रोस्कोस्मोस (रूस), जेएक्सए (जापान), ईएसए (यूरोप) और सीएसए (कनाडा)।
- हालाँकि चीन रूस और कई अन्य देशों के साथ सहयोग बढ़ा रहा है और इसका स्टेशन ISS की अवधि से आगे भी काम करना जारी रख सकता है, ISS अपने कार्यात्मक जीवन के अंत की ओर है।

चीन के अन्य हालिया अंतरिक्ष मिशन:

- चीन का 'मार्स प्रोब':
  - मई 2021 में चीन का तियानवेन अंतरिक्ष यान एक रोवर 'ज़ुरोंग' को लेकर मंगल पर उतरा।
    - यह ग्रह की मिट्टी, भूवैज्ञानिक संरचना, पर्यावरण, वातावरण और पानी की वैज्ञानिक जाँच करेगा।
- चीन का 'मून प्रोब':
  - नवंबर 2020 में, चांग 'ई' -5 मिशन चंद्रमा पर उतरा और वर्ष 1970 के दशक के बाद से किसी भी देश के अंतरिक्ष कार्यक्रम द्वारा पहली बार चंद्रमा से नमूनों को लाया गया।
- चीन और रूस ने वर्ष 2036 तक चलने वाले 'संयुक्त अंतर्राष्ट्रीय चंद्र अनुसंधान स्टेशन' के लिये एक महत्त्वाकांक्षी योजना का भी अनावरण किया है। यह बहुराष्ट्रीय आर्टेमिस समझौते (MAA) के साथ प्रतिस्पर्द्धा कर सकता है।
  - MAA अंतरिक्ष सहयोग की एक ढाँचागत योजना है जो वर्ष 2024 तक मनुष्यों को चंद्रमा पर वापस लाने और मंगल पर एक ऐतिहासिक मानव मिशन शुरू करने की नासा की योजनाओं का समर्थन करता है।

हर्बिसाइड टॉलरेंट (HT) बीटी कॉटन

चर्चा में क्यों?

हर्बिसाइड टॉलरेंट (HT) बीटी कपास की अवैध खेती में भारी उछाल देखा गया है क्योंकि अवैध बीज पैकेटों की बिक्री वर्ष 2020 के 30 लाख से बढ़कर वर्ष 2021 में 75 लाख हो गई है।

प्रमुख बिंदु:

बीटी कॉटन:

- बीटी कपास एकमात्र ट्रांसजेनिक फसल है जिसे भारत में व्यावसायिक खेती के लिये केंद्र द्वारा अनुमोदित किया गया है।
- कपास के बोलवर्म का एक सामान्य कीट का मुकाबला करने हेतु कीटनाशक का उत्पादन करने के लिये आनुवंशिक रूप से संशोधित (GM) किया गया है।

हर्बिसाइड टॉलरेंट बीटी (HTBt) कपास:

- HTBt कपास संस्करण संशोधन की एक और परत को जोड़ता है, जिससे पौधा हर्बिसाइड ग्लाइफोसेट के लिये प्रतिरोधी बन जाता है, लेकिन नियामकों द्वारा इसे अनुमोदित नहीं किया गया है।
- आशंकाओं में ग्लाइफोसेट का कार्सिनोजेनिक प्रभाव होता है, साथ ही परागण के माध्यम से आस-पास के पौधों में जड़ी-बूटियों के प्रतिरोध का अनियंत्रित प्रसार होता है, जिससे विभिन्न प्रकार के सुपरवीड बनते हैं।

HTBt कपास का उपयोग करने की आवश्यकता:

- लागत में कमी: बीटी कपास के लिये कम-से-कम दो बार की निराई करने हेतु आवश्यक श्रम की कमी है।
  - HTBt के साथ बिना निराई के केवल एक राउंड ग्लाइफोसेट छिड़काव की आवश्यकता होती है। यह किसानों के लिये 7,000 से 8,000 रुपए प्रति एकड़ की बचत करता है।
- वैज्ञानिकों का सहयोग: वैज्ञानिक भी इस फसल के पक्ष में हैं और यहाँ तक कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी कहा है कि इससे कैंसर नहीं होता है।
  - लेकिन सरकार ने अभी भी HTBt मंज़ूरी नहीं नहीं दी है।

एचटीबीटी कपास की अवैध बिक्री से उत्पन्न मुद्दे:

- चूँकि यह जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति (जीईएसी) द्वारा अनुमोदित नहीं है, इसलिये भारतीय बाज़ारों में इसकी अवैध बिक्री होती है।
- कपास के बीज की इस तरह की अवैध बिक्री से किसानों को खतरा है क्योंकि बीज की गुणवत्ता की कोई जवाबदेही नहीं है, यह पर्यावरण को प्रदूषित करता है, यह उद्योग वैध बीज बिक्री को खो रहा है और सरकार को कर संग्रह के मामले में राजस्व का भी नुकसान होता है।
- यह न केवल छोटी कपास बीज कंपनियों को नष्ट कर देगा बल्कि भारत में कानूनी कपास बीज के पूरे बाज़ार को भी खतरा होगा।

जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति:

- जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत कार्य करती है।
- यह पर्यावरण के दृष्टिकोण से अनुसंधान और औद्योगिक उत्पादन में खतरनाक सूक्ष्मजीवों तथा पुन: संयोजकों के बड़े पैमाने पर उपयोग से जुड़ी गतिविधियों के मूल्यांकन के लिये ज़िम्मेदार है।
- GEAC की अध्यक्षता MoEF&CC का विशेष सचिव/अतिरिक्त सचिव करता है और जैव प्रौद्योगिकी विभाग (DBT) के एक प्रतिनिधि द्वारा सह-अध्यक्षता की जाती है।

आगे की राह:

- नियामक केवल लाइसेंस प्राप्त डीलरों और बीज कंपनियों के लिये अपने चेकिंग/विनियमन को सीमित करते हैं, जबकि HT बीज बिक्री की अवैध गतिविधि ज़्यादातर असंगठित और 'फ्लाई-बाय-नाइट' ऑपरेटरों द्वारा की जाती है।
  - इस प्रकार उन्हें पकड़ने और मज़बूत दंडात्मक कार्रवाई करने पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिये।
- केंद्र और राज्य सरकार दोनों की सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता है। केंद्र ने इस वेरिएंट पर प्रतिबंध लगाने की नीति बनाई है, लेकिन राज्य सरकारों को केंद्र सरकार के साथ मिलकर काम करना चाहिये।
- पर्यावरणीय प्रभाव का आकलन स्वतंत्र पर्यावरणविदों द्वारा किया जाना चाहिये, क्योंकि किसान पारिस्थितिकी और स्वास्थ्य पर जीएम फसलों के दीर्घकालिक प्रभाव का आकलन नहीं कर सकते हैं।

गेन-ऑफ-फंक्शन रिसर्च

चर्चा में क्यों?

कहा जा रहा है कि 'वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी' ने कोरोनवायरस पर 'गेन-ऑफ-फंक्शन' रिसर्च किया जो संभवत: SARS-CoV-2 (कोविड -19 महामारी) के लैब-रिसाव की उत्पत्ति का कारण हो सकता है।

नोट :

प्रमुख बिंदु:

'गेन-ऑफ-फंक्शन' रिसर्च

- वायरोलॉजी के अंतर्गत 'गेन-ऑफ-फंक्शन' रिसर्च में प्रयोगशाला में एक जीव को जान-बूझकर बदलना, एक जीन को बदलना या एक रोगज़नक में उत्परिवर्तन की शुरुआत करना शामिल है ताकि इसकी संप्रेषणीयता, विषाणु और प्रतिरक्षात्मकता का अध्ययन किया जा सके।
- यह कार्य वायरस को आनुवंशिक रूप से विभिन्न विकास माध्यमों में बढ़ने की अनुमति देकर किया जाता है, इस तकनीक को 'सीरियल पैसेज' कहा जाता है।
  - 'सीरियल पैसेज' से तात्पर्य बैक्टीरिया या वायरस के पुनरावृत्तियों में बढ़ने की प्रक्रिया से है। उदाहरण के लिये वायरस को एक वातावरण में उत्पन्न करना और फिर उस वायरस की आबादी के एक हिस्से को हटाकर एक नए वातावरण में रखा जाना।

महत्त्व:

- यह शोधकर्त्ताओं को संभावित उपचारों और भविष्य में रोग को बेहतर ढंग से नियंत्रित करने के तरीकों का अध्ययन करने की अनुमति देगा।
- टीके के विकास के लिये 'गेन-ऑफ-फंक्शन अध्ययन' जो 'वायरल यील्ड' और इम्यूनोजेनेसिटी (प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया से संबंधित) को बढ़ाता है, आवश्यक है।

मुद्दे:

- 'गेन-ऑफ-फंक्शन' अनुसंधान में परिचालन भी शामिल हैं जो कुछ रोगजनक रोगाणुओं को अधिक घातक या पारगम्य बनाते हैं।
- एक शोध का नाम 'लॉस-ऑफ-फंक्शन' भी है, जिसमें निष्क्रिय उत्परिवर्तन शामिल हैं, जिसके परिणामस्वरूप मूल में महत्त्वपूर्ण हानि होती है या रोगजनक को कोई कार्य नहीं होता है।
  - जब उत्परिवर्तन होते हैं, तो वे वायरस की उस संरचना को बदल देते हैं, जिसके परिणामस्वरूप उत्परिवर्तन होता है, यह वायरस को कमज़ोर कर सकता है या इसके कार्य करने की दर को बढ़ा सकता है।
- गेन-ऑफ-फंक्शन अनुसंधान में कथित तौर पर निहित जैव सुरक्षा और जैव सुरक्षा जोखिम होते हैं और इस प्रकार इसे 'चिंता के दोहरे उपयोग अनुसंधान' (DURC) के रूप में संदर्भित किया जाता है।
  - यह इंगित करता है कि जहाँ अनुसंधान से मानवता के लिये लाभ हो सकता है, वहीं नुकसान की भी संभावना है - प्रयोगशालाओं से इन परिवर्तित रोगजनकों के आकस्मिक या उन्हें जान-बूझकर दूर करने से भी महामारी हो सकती है (जैसा कि कोविड -19 के मामले में कहा जाता है)

भारत में स्थिति:

- आनुवंशिक जीवों या कोशिकाओं और खतरनाक सूक्ष्मजीवों तथा उत्पादों से संबंधित सभी गतिविधियों को "खतरनाक सूक्ष्मजीवों/आनुवंशिक जीवों या कोशिकाओं के निर्माण, उपयोग, आयात, निर्यात एवं भंडारण नियम, 1989" के अनुसार विनियमित किया जाता है।
- 2020 में जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने 'जैव सुरक्षा प्रयोगशाला' नामक नियंत्रण सुविधाओं की स्थापना के लिये दिशा-निर्देश जारी किये।
  - अधिसूचना जैव खतरों की रोकथाम और जैव सुरक्षा के स्तर पर परिचालन मार्गदर्शन प्रदान करती है जिसका इन सूक्ष्मजीवों के अनुसंधान, विकास और प्रबंधन में शामिल सभी संस्थानों को पालन करना चाहिये।

गेन-ऑफ-फंक्शन पर बहस:

- समर्थन में तर्क:
  - यह विज्ञान और सरकारों को भविष्य की महामारियों हेतु युद्ध के लिये तैयार करता है।
  - गेन-ऑफ-फंक्शन रिसर्च के समर्थकों का मानना है कि "प्रकृति सबसे बढ़ी जैव आतंकवादी है और हमें इससे एक कदम आगे रहने के लिये हर संभव प्रयास करने की आवश्यकता है"।
- आलोचना:
  - कोविड -19 महामारी के बाद इस तरह के अनुसंधान को लेकर और अधिक चिंता जताई जा रही है।
  - यह जीवित चीज़ों के विलुप्त होने का कारण बन सकता है या उनके आनुवंशिक गुणों को हमेशा के लिये बदल सकता है।

आगे की राह:

- विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) को DURC पर गतिविधियों का नेतृत्व करना चाहिये।
- जैव-जोखिमों और संबद्ध नैतिक मुद्दों के शमन एवं रोकथाम पर ध्यान केंद्रित करते हुए जीव विज्ञान से संबंधित अनुसंधान का ज़िम्मेदारी के साथ उपयोग होना चाहिये।
- देशों द्वारा अनुसरण हेतु एक वैश्विक मार्गदर्शन ढाँचा विकसित करना।
- इस तरह के शोध के बारे में अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।

चमगादड़ में निपाह वायरस के खिलाफ एंटीबॉडीज़

चर्चा में क्यों?

हाल के एक सर्वेक्षण में महाराष्ट्र के लोकप्रिय हिल स्टेशन महाबलेश्वर की एक गुफा KI कुछ चमगादड़ प्रजातियों में निपाह वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी की उपस्थिति पाई गई है।

- यह सर्वेक्षण 'इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च' (ICMR)- नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी (NIV) द्वारा किया गया था।

प्रमुख बिंदु:

सर्वेक्षण के बारे में:

- NIV की टीम ने 'रूसेटस लेसचेनौल्टी' (Rousettus leschenaultii) और 'पिपिस्ट्रेलस पिपिस्ट्रेलस' (Pipistrellus pipistrellus) चमगादड़ों पर अध्ययन किया जो सामान्यत: भारत में पाए जाते हैं।
  - पटरोपस मेडियस चमगादड़ जो फल खाने वाले बड़े चमगादड़ हैं, जो भारत में NiV के अध्ययन के स्रोत हैं क्योंकि पिछले NiV प्रकोपों के दौरान एकत्र किये गए इन चमगादड़ों के नमूनों में NiV RNA और एंटीबॉडी दोनों का पता लगाया गया था।
- अत्यधिक उत्तेजन को सीमित करने की क्षमता के कारण एक चमगादड़ की प्रतिरक्षा प्रणाली विशेष रूप से वायरल संक्रमण का सामना करने में माहिर होती है, जो इस विशिष्ट स्तनपायी हेतु घातक हुए बिना वायरस को उत्पन्न करने देती है।

निपाह वायरस:

- यह एक ज़ूनोटिक वायरस है (यह जानवरों से इंसानों में फैलता है)।
- जीव जो निपाह वायरस एन्सेफेलाइटिस का कारण बनते हैं वह पैरामाइक्सोविरिडे, जीनस हेनिपावायरस का RNA या राइबोन्यूक्लिक एसिड वायरस है और हेंड्रा वायरस से निकटता से संबंधित है।
  - हेंड्रा वायरस (HeV) संक्रमण एक दुर्लभ उभरता हुआ ज़ूनोसिस है जो संक्रमित घोड़ों और मनुष्यों दोनों में गंभीर और अक्सर घातक बीमारी का कारण बनता है।
- यह पहली बार वर्ष 1998 और 1999 में मलेशिया और सिंगापुर में देखा गया था।
- यह पहली बार घरेलू सुअरों में देखा गया और कुत्तों, बिल्लियों, बकरियों, घोड़ों तथा भेड़ों सहित घरेलू जानवरों की कई प्रजातियों में पाया गया।
- संक्रमण:
  - यह रोग पटरोपस जीनस के 'फ्रूट बैट' या 'फ्लाइंग फॉक्स' के माध्यम से फैलता है, जो निपाह और हेंड्रा वायरस के प्राकृतिक स्रोत हैं।
  - वायरस चमगादड़ के मूत्र और संभावित रूप से चमगादड़ के मल, लार और जन्म के समय तरल पदार्थों में मौजूद होता है।
- लक्षण:
  - मानव संक्रमण में बुखार, सिरदर्द, उनींदापन, भटकाव, मानसिक भ्रम, कोमा और संभावित मृत्यु आदि एन्सेफेलाइटिक सिंड्रोम सामने आते हैं।

- रोकथाम:
  - वर्तमान में मनुष्यों और जानवरों दोनों के लिये कोई टीका नहीं है। निपाह वायरस से संक्रमित मनुष्यों की गहन देखभाल की जाती है।

महाराष्ट्र में नए डॉप्लर रडार: IMD

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department- IMD) ने घोषणा की है कि वह वर्ष 2021 में मुंबई सहित महाराष्ट्र में सात नए डॉप्लर रडार (Doppler Radars) स्थापित करेगा।

- जनवरी 2021 में केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने हिमालय पर मौसम परिवर्तन की सूक्ष्मता से निगरानी करने हेतु स्वदेशी रूप से निर्मित दस में से दो एक्स-बैंड डॉप्लर वेदर रडार (Doppler Weather Radars- DWR) को चालू किया था।

प्रमुख बिंदु:

परिचय:

- आमतौर पर IMD द्वारा अलग-अलग आवृत्तियों (एस-बैंड, सी-बैंड और एक्स-बैंड) के डॉप्लर रडार का उपयोग लगभग 500 किमी. के कवरेज क्षेत्र में मौसम प्रणालियों, क्लाउड बैंड और गेज वर्षा की गति का पता लगाने तथा ट्रैक करने के लिये किया जाता है।
- मुंबई के ऊपर चार एक्स-बैंड और एक सी-बैंड रडार स्थापित किये जाएंगे। इसके अलावा रत्नागिरी में एक नया सी-बैंड और वेंगुर्ला में एक एक्स-बैंड स्थापित किया जाएगा। प्रत्येक रडार कई उद्देश्यों के लिये कार्य करेगा।

मौज़ूदा रडार:

- पूर्वी तट: कोलकाता, पारादीप, गोपालपुर, विशाखापत्तनम, मछलीपट्टनम, श्रीहरिकोटा, कराईकल और चेन्नई।
- पश्चिमी तट: तिरुवनंतपुरम, कोच्चि, गोवा और मुंबई।
- अन्य रडार: श्रीनगर, पटियाला, कुफरी, दिल्ली, मुक्तेश्वर, जयपुर, भुज, लखनऊ, पटना, मोहनबार, अगरतला, सोहरा, भोपाल, हैदराबाद और नागपुर।

महत्त्व:

- ये रडार, चरम मौसम की घटनाओं जैसे चक्रवात और भारी वर्षा के समय मौसम विज्ञानियों का मार्गदर्शन करेंगी।
- चूँकि रडार अवलोकन हर 10 मिनट में अपडेट किये जाएंगे इसलिये पूर्वानुमानकर्त्ता मौसम प्रणालियों के विकास के साथ-साथ उनकी अलग-अलग तीव्रताओं को ट्रैक करने में सक्षम होंगे और तदनुसार मौसम की घटनाओं तथा उनके प्रभाव की भविष्यवाणी कर सकेंगे।

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD):

- IMD की स्थापना वर्ष 1875 में की गई थी।
- यह भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की एक एजेंसी है।
- यह मौसम संबंधी जानकारियों, मौसम पूर्वानुमान तथा भूकंपीय विज्ञान से संबंधित प्रमुख एजेंसी है।

रडार:

रडार (Radio Detection and Ranging):

- यह एक ऐसा उपकरण है जो स्थान (गति और दिशा), ऊँचाई और तीव्रता, गतिमान एवं गैर-गतिमान वस्तुओं की आवाजाही का पता लगाने के लिये सूक्ष्म तरंगीय क्षेत्र में विद्युत चुंबकीय तरंगों का उपयोग करता है।

डॉप्लर रडार:

- यह एक विशेष रडार है जो एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित वस्तुओं के वेग से संबंधित आँकड़ों को एकत्रित करने के लिये डॉप्लर प्रभाव का उपयोग करता है।

- डॉप्लर प्रभाव: किसी तरंग स्रोत तथा प्रेक्षक के मध्य सापेक्षिक गति के कारण प्रेक्षक को तरंग की आवृत्ति बदली हुई प्रतीत होती है। तरंग की आवृत्ति में इस आभासी परिवर्तन को डॉप्लर प्रभाव या डॉप्लर परिवर्तन (Doppler Shift) कहते हैं।
- यह एक वांछित लक्ष्य (वस्तु) को माइक्रोवेव सिग्नल के माध्यम से लक्षित करता है और विश्लेषण करता है कि लक्षित वस्तु की गति ने वापस आने वाले सिग्नलों की आवृत्ति को कैसे बदल दिया है।
- यह रूपांतरण रडार के सापेक्ष लक्ष्य के वेग के रेडियल घटक का प्रत्यक्ष और अत्यधिक सटीक माप देती है।

डॉप्लर वेदर रडार (DWR):

- डॉप्लर सिद्धांत के आधार पर रडार को एक 'पैराबॉलिक डिश एंटीना' (Parabolic Dish Antenna) और एक फोम सैंडविच स्फेरिकल रेडोम (Foam Sandwich Spherical Radome) का उपयोग कर मौसम पूर्वानुमान एवं निगरानी की सटीकता में सुधार करने के लिये डिज़ाइन किया गया है।
- DWR में वर्षा की तीव्रता, वायु प्रवणता और वेग को मापने के उपकरण लगे होते हैं जो चक्रवात के केंद्र और धूल के बवंडर की दिशा के बारे में सूचित करते हैं।

डॉप्लर रडार के प्रकार: डॉप्लर रडार को तरंगदैर्ध्य के आधार पर अलग-अलग श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे- एल(L), एस(S), सी(C), एक्स(X), के(K)।

- X-बैंड रडार:
  - ये 2.5-4 सेमी. की तरंगदैर्ध्य और 8-12 गीगाहर्ट्ज़ की आवृत्ति पर कार्य करते हैं। छोटे तरंगदैर्ध्य के कारण X-बैंड रडार अत्यधिक संवेदनशील होते हैं जो सूक्ष्म कणों का पता लगाने में सक्षम होते हैं।
  - इसका उपयोग तूफान और बिजली गिरने का पता लगाने के लिये किया जाता है।
- C-बैंड रडार:
  - ये रडार 4-8 सेमी की तरंग दैर्ध्य और 4-8 गीगाहर्ट्ज़ की आवृत्ति पर कार्य करते हैं। तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति के कारण, डिश का आकार बहुत बड़ा होने की आवश्यकता नहीं है।
  - इसमें सिग्नल अधिक आसानी से क्षीण हो जाते हैं, इसलिये इस प्रकार के रडार का उपयोग कम दूरी के मौसम अवलोकन के लिये सबसे उपयुक्त है।
    - यह चक्रवात ट्रैकिंग के समय मार्गदर्शन करता है।
- S-बैंड रडार:
  - यह 8-15 सेमी की तरंग दैर्ध्य और 2-4 गीगाहर्ट्ज़ की आवृत्ति पर कार्य करता है। तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति के कारण एस बैंड रडार आसानी से क्षीण नहीं होते हैं।
  - यह विशेषता इन्हें निकट और दूर के मौसम के अवलोकन के लिये उपयोगी बनाती है।

कोविड-19 डेल्टा प्लस वेरिएंट

चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (Union Ministry of Health and Family Welfare-MoHFW) ने लोगों को नए कोविड -19 स्ट्रेन 'डेल्टा प्लस' (Delta Plus- DP) को लेकर चेतावनी दी है।

- ऐसी आशंका है कि यह नया वेरिएंट कोविड-19 की तीसरी लहर को भड़का सकता है।

प्रमुख बिंदु

परिचय:

- डेल्टा प्लस (B.1.617.2.1/(AY.1), SARS-CoV-2 कोरोनावायरस का एक नया वेरिएंट है, जो वायरस के डेल्टा स्ट्रेन (B.1.617.2 वेरिएंट) में उत्परिवर्तन के कारण बना है। तकनीकी रूप में वास्तव में सार्स-सीओवी-2 (SARS-COV-2) की अगली पीढ़ी है।

- डेल्टा के इस म्यूटेंट का पहली बार यूरोप में मार्च 2021 में पता चला था।
- डेल्टा वेरिएंट पहली बार भारत में सर्वप्रथम फरवरी 2021 में पाया गया था जो अंततः पूरी दुनिया के लिये एक बड़ी समस्या बन गया। हालाँकि वर्तमान में डेल्टा प्लस वेरिएंट देश के छोटे क्षेत्रों तक सीमित है।
- यह मोनोक्लोनल एंटीबॉडी कॉकटेल (Monoclonal Antibodies Cocktail) के लिये प्रतिरोधी है। चूँकि यह एक नया वेरिएंट है इसलिये इसकी गंभीरता अभी भी अज्ञात है।
- इसके लक्षण के रूप में लोगों में सिरदर्द, गले में खराश, नाक बहना और बुखार जैसी समस्याएँ देखी जा रही है।
- विश्व स्वास्थ्य संगठन इस वेरिएंट को अतिरिक्त उत्परिवर्तन के साथ गंभीरता से लेते हुये डेल्टा वेरिएंट के हिस्से के रूप में ट्रैक कर रहा है।

संक्रामिकता:

- इस वेरिएंट ने K417N नामक स्पाइक प्रोटीन उत्परिवर्तन का अधिग्रहण किया है जो कि इसके पहले दक्षिण अफ्रीका में पहचाने गए बीटा वेरिएंट में भी पाया गया था।
- स्पाइक प्रोटीन का उपयोग SARS-CoV-2 द्वारा किया जाता है, जो कोविड -19 वायरस का कारण बनता है तथा मेजबान कोशिकाओं में प्रवेश करता है।
- कुछ वैज्ञानिकों को डर है कि डेल्टा वेरिएंट की अन्य मौजूदा विशेषताओं के साथ संयुक्त उत्परिवर्तन इसे और अधिक पारगम्य बना सकता है।

प्रमुख चिंताएँ:

- डेल्टा प्लस कोविड-19 उत्परिवर्तन के खिलाफ टीकों की प्रभावशीलता का परीक्षण करने के लिये भारत और विश्व स्तर पर कई अध्ययन चल रहे हैं।
- भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय ने चेतावनी दी है कि जिन क्षेत्रों में यह पाया गया है, उन्हें "निगरानी, उन्नत परीक्षण, त्वरित संपर्क-अनुरेखण और प्राथमिकता टीकाकरण पर ध्यान केंद्रित करके अपनी सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रतिक्रिया को बढ़ाने की आवश्यकता हो सकती है।"
- हाल ही में मामलों में दुनिया के सबसे खराब उछाल से उभरने के बाद डेल्टा प्लस भारत पर संक्रमण की एक और लहर लाएगा ऐसी चिंताएँ विद्यमान है।
- अब तक केवल 4% से अधिक भारतीयों का संपूर्ण टीकाकरण किया गया है और लगभग 18% लोगों ने अब तक एक खुराक प्राप्त की है।

</div class="border-bg">

वायरस वेरिएंट (Virus Variant)

- वायरस के वेरिएंट में एक या अधिक म्यूटेशन (mutations) होते हैं जो इसे अन्य वेरिएंट से प्रचलन में रहते हुये अलग करते हैं। अधिकांश उत्परिवर्तन वायरस के लिये हानिकारक होते हैं जबकि कुछ वायरस के लिये जीवित रहना आसान बनाते हैं।
- SARS-CoV-2 (कोरोना) वायरस तेजी से विकसित हो रहा है क्योंकि इसने बड़े पैमाने पर दुनिया भर में लोगों को संक्रमित किया है। इसके परिसंचरण के उच्च स्तर का मतलब है कि वायरस में बदलाव आसान है क्योंकि यह तेजी से उत्परिवर्तन हेतु सक्षम है।
- मूल महामारी वायरस (प्राथमिक संस्करण) Wu.Hu.1 (वुहान वायरस) था। इसके कुछ ही महीनों में वेरिएंट D614G उभरा और विश्व स्तर पर प्रभावी हो गया।
- जीनोमिक्स पर भारतीय SARS-CoV-2 कंसोर्टियम (Indian SARS-CoV-2 Consortium on Genomics-INSACOG), SARS-CoV-2 में जीनोमिक विविधताओं की निगरानी के लिये एक बहु-प्रयोगशाला, बहु-एजेंसी एवं अखिल भारतीय नेटवर्क है।
- इन्फ्लुएंजा से संबंधित सभी डेटा साझा करने पर वैश्विक पहल (Global Initiative on Sharing All Influenza Data- GISAID) विश्व स्वास्थ्य संगठन (World Health Organization- WHO) द्वारा वर्ष 2008 में देशों के जीनोम अनुक्रम साझा करने के लिये शुरू किया गया एक सार्वजनिक मंच है।
  - GISAID सभी प्रकार के इन्फ्लूएंजा वायरस अनुक्रमों, मानव वायरस से संबंधित नैदानिक और महामारी विज्ञान डेटा और भौगोलिक तथा साथ ही एवियन एवं अन्य पशु वायरस से जुड़े प्रजातियों-विशिष्ट डेटा के अंतर्राष्ट्रीय साझाकरण को बढ़ावा देती है।

साइबर कैपेबिलिटी एंड नेशनल पावर रिपोर्ट: IISS

चर्चा में क्यों?

प्रभावशाली थिंक टैंक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रैटेजिक स्टडीज़ (International Institute for Strategic Studies-IISS) की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत की आक्रामक साइबर कैपेबिलिटी चीन केंद्रित न होकर "पाकिस्तान-केंद्रित" (Pakistan-Focused) और "क्षेत्रीय रूप से प्रभावी" (Regionally Effective) है।

प्रमुख बिंदु:

निरीक्षण के तहत शामिल देश:

- रिपोर्ट में 15 देशों की साइबर पावर का गुणात्मक मूल्यांकन (Qualitative Assessment) किया गया है।
- फाइव आईज़ इंटेलिजेंस अलायन्स (Five Eyes intelligence alliance) के चार सदस्य - अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया।
- फाइव आईज देशों के तीन साइबर-सक्षम सहयोगी - फ्राँस, इज़रायल और जापान।
- फाइव आईज़ और उनके सहयोगियों द्वारा साइबर खतरों के रूप में देखे जाने वाले चार देश - चीन, रूस, ईरान और उत्तर कोरिया।
- साइबर पावर विकास के शुरुआती चरणों में शामिल चार देश - भारत, इंडोनेशिया, मलेशिया और वियतनाम।

मूल्यांकन के मानदंड:

- कार्यप्रणाली प्रत्येक देश के साइबर पारिस्थितिकी तंत्र का विश्लेषण करती है तथा इस बात का भी विशलेषण करती है कि यह किस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक प्रतिस्पर्द्धा और सैन्य मामलों के साथ जुड़ती है। देशों का मूल्यांकन सात श्रेणियों में किया जाता है:
    - रणनीति और सिद्धांत
    - शासन, आदेश और नियंत्रण
    - कोर साइबर-खुफिया क्षमता
    - साइबर सशक्तीकरण और निर्भरता
    - साइबर सुरक्षा और लचीलापन
    - साइबरस्पेस मामलों में वैश्विक नेतृत्व
    - आक्रामक साइबर क्षमता

मुख्य अवलोकन:

- रिपोर्ट में 15 देशों को साइबर पावर के तीन स्तरों में विभाजित किया है:
    - प्रथम स्तर: कार्यप्रणाली में सभी श्रेणियों में विश्व-अग्रणी ताकत वाले राज्य। अमेरिका इस स्तर में शामिल एकमात्र देश है।
    - द्वितीय स्तर: वे राज्य जिनके पास कुछ श्रेणियों में विश्व-अग्रणी ताकत है। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चीन, फ्राँस, इज़राइल, रूस और यूनाइटेड किंगडम इस श्रेणी में हैं।
    - तृतीय स्तर: वे राज्य जिनके पास कुछ श्रेणियों में ताकत या संभावित ताकत है लेकिन अन्य में महत्त्वपूर्ण कमज़ोरियाँ हैं। भारत, इंडोनेशिया, ईरान, जापान, मलेशिया, उत्तर कोरिया और वियतनाम इस श्रेणी स्तर में शामिल हैं।
- यह रिपोर्ट कम-से-कम अगले दस वर्षों के लिये अमेरिकी डिजिटल-औद्योगिक श्रेष्ठता के संभावित स्थायित्व की पुष्टि प्रदान करती है। इसके दो कारण हो सकते हैं।
    - उन्नत साइबर प्रौद्योगिकियों और आर्थिक एवं सैन्य शक्ति के लिये उनका शोषण करने में अमेरिका अभी भी चीन से आगे है।
    - वर्ष 2018 के बाद से अमेरिका और उसके कई प्रमुख सहयोगी कुछ पश्चिमी प्रौद्योगिकियों तक चीन की पहुँच को प्रतिबंधित करने पर सहमत हुए हैं।
        - ऐसा करके इन देशों ने चीन को आंशिक रूप से अलग करने का समर्थन किया है जो संभावित रूप से अपनी उन्नत तकनीक विकसित करने की चीन की क्षमता को बाधित कर सकता है।

भारत विशिष्ट अवलोकन:

- अपने क्षेत्र की भू-रणनीतिक अस्थिरता और इसके सामने आने वाले साइबर खतरे के बारे में गहरी जागरूकता के बावजूद भारत ने साइबरस्पेस सुरक्षा के लिये अपनी नीति और सिद्धांत विकसित करने में केवल "मामूली प्रगति" की है।
- भारत के पास कुछ साइबर-खुफिया और आक्रामक साइबर क्षमताएँ हैं लेकिन वे क्षेत्रीय रूप से मुख्य तौर पर पाकिस्तान पर केंद्रित हैं।
  - हालाँकि जून 2020 में विवादित लद्दाख सीमा क्षेत्र में चीन के साथ सैन्य टकराव, जिसके बाद भारतीय नेटवर्क के खिलाफ चीनी गतिविधियों में हुई तेज़ वृद्धि, ने साइबर सुरक्षा के बारे में भारतीय चिंताओं को बढ़ा दिया है।
- भारत वर्तमान में अमेरिका, ब्रिटेन और फ्राँस सहित प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों की मदद से नई क्षमता का निर्माण करके व संयम मानदंडों को विकसित करने के लिये ठोस अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई की तलाश में अपनी कमज़ोरियों की भरपाई करने का लक्ष्य बना रहा है।
- साइबर गवर्नेंस के संस्थागत सुधार के प्रति भारत का दृष्टिकोण "धीमा और वृद्धिशील" रहा है, जिसमें सिविल और सैन्य डोमेन में साइबर सुरक्षा के लिये प्रमुख समन्वय प्राधिकरण वर्ष 2018 और 2019 के अंत तक स्थापित किये गए।
  - प्रमुख प्राधिकरण मुख्य साइबर-खुफिया एजेंसी, राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन के साथ मिलकर काम करते हैं।
- भारतीय डिजिटल अर्थव्यवस्था की शक्ति में एक जीवंत स्टार्टअप संस्कृति और एक बहुत व्यापक प्रतिभा पूल शामिल है।
  - राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा को बढ़ावा देने में निजी क्षेत्र सरकार की तुलना में अधिक तेज़ी से आगे बढ़ा है।
- देश साइबर कूटनीति में सक्रिय और दृश्यमान हैं, लेकिन भारत अब तक वैश्विक मानदंड स्थापित करने में सक्षम नहीं रहा है, इसके बजाय भारत प्रमुख देशों के साथ उत्पादक व्यावहारिक व्यवस्था स्थापित करना पसंद करता है।

राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन

- वर्ष 2004 में स्थापित 'राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन' (NTRO) प्रधानमंत्री कार्यालय में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के अधीन कार्यरत है और मुख्य तौर पर खुफिया जानकारी एकत्र करने पर केंद्रित है।
- इस एजेंसी ने कई विषयों में विशेषज्ञता हासिल की है, जिसमें रिमोट सेंसिंग, डेटा एकत्रण और प्रसंस्करण, साइबर सुरक्षा, भू-स्थानिक सूचना एकत्र करना, क्रिप्टोलॉजी, रणनीतिक हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर विकास और निगरानी शामिल है।
- नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर (NCIIPC), नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गनाइज़ेशन के नियंत्रण में एक एजेंसी है, जिसका उद्देश्य सेंसर और उपग्रह, ड्रोन, वीसैट-टर्मिनल लोकेटर तथा फाइबर-ऑप्टिक केबल नोडल टैप पॉइंट जैसे प्लेटफॉर्म का उपयोग करके एकत्र की गई खुफिया जानकारी से महत्त्वपूर्ण बुनियादी अवसंरचना व अन्य महत्त्वपूर्ण प्रतिष्ठानों पर खतरों की निगरानी, उनका अवरोधन और आकलन करना है।
- राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन के पास भी इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) और रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (R&AW) के समान ही 'आचरण के मानदंड' हैं।

आगे की राह

- रिपोर्ट के अनुसार, भारत एक तृतीय-स्तरीय साइबर शक्ति है, जिसके पास अपनी महत्त्वपूर्ण डिजिटल-औद्योगिक क्षमता का उपयोग करने और अपनी साइबर सुरक्षा रणनीति में सुधार हेतु एक संपूर्ण समाजिक दृष्टिकोण अपनाकर दूसरी श्रेणी में पहुँचने का एक बेहतरीन अवसर है।
- इसके अलावा 'राजनीतिक इच्छाशक्ति' और 'भारतीय खुफिया एजेंसियों को व्यवस्थित करने से संबंधित रणनीति' भी इस दिशा में महत्त्वपूर्ण हो सकती है। साइबर पावर बनने के लिये यह आवश्यक है कि भारत किस प्रकार स्वयं को अन्य देशों के साथ संरेखित करता है।

पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण

मरुस्थलीकरण, भूमि क्षरण और सूखे पर वार्ता

चर्चा में क्यों?

हाल ही में प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र (UN) "मरुस्थलीकरण, भूमि क्षरण और सूखे पर उच्च स्तरीय वार्ता" को संबोधित किया।

- वे संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम कन्वेंशन (United Nations Convention to Combat Desertification-UNCCD) के पार्टियों के सम्मेलन (COP) के 14वें सत्र की अध्यक्षता कर रहे थे।
- यह वार्ता सभी सदस्य राज्यों को भूमि क्षरण तटस्थता (Land Degradation Neutrality- LDN) लक्ष्यों और राष्ट्रीय सूखा योजनाओं को अपनाने तथा लागू करने के लिये प्रोत्साहित करेगी।

प्रमुख बिंदु:

भारत द्वारा उठाए गए प्रमुख कदम:

- भारत, LDN (सतत विकास लक्ष्य 15.3) पर अपनी राष्ट्रीय प्रतिबद्धता को प्राप्त करने की राह पर है।
  - LDN एक ऐसी स्थिति है जहाँ पारिस्थितिक तंत्र कार्यों और सेवाओं का समर्थन करने तथा खाद्य सुरक्षा को बढ़ाने के लिये आवश्यक भूमि संसाधनों की मात्रा एवं गुणवत्ता स्थिर रहती है या निर्दिष्ट अस्थायी व स्थानिक पैमाने और पारिस्थितिक तंत्र के भीतर बढ़ जाती है।
- भारत वर्ष 2030 तक 26 मिलियन हेक्टेयर बंजर भूमि की बहाली के लिये कार्य कर रहा है।
  - यह 2.5 से 3 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर [वर्ष 2015 के पेरिस समझौते के तहत राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDC) लक्ष्य का एक हिस्सा] अतिरिक्त कार्बन सिंक को प्राप्त करने की भारत की प्रतिबद्धता में योगदान देगा।
- पिछले 10 वर्षों में इसमें लगभग 3 मिलियन हेक्टेयर वन क्षेत्र जोड़ा गया है।
- उदाहरण के लिये: गुजरात के कच्छ के रण में बन्नी क्षेत्र अत्यधिक निम्नीकृत भूमि से ग्रस्त है और यहाँ बहुत कम वर्षा होती है।
  - ऐसे क्षेत्र में घास के मैदानों को विकसित करके भूमि की बहाली की जाती है, जिससे भूमि क्षरण तटस्थता की स्थिति प्राप्त करने में मदद मिलती है।

विकासशील विश्व के सामने आने वाली चुनौतियों के संदर्भ में:

- वर्तमान में भूमि क्षरण विश्व के दो-तिहाई हिस्से को प्रभावित कर रहा है।
- भारत अपने साथी विकासशील देशों को भूमि बहाली हेतु रणनीति विकसित करने में सहायता कर रहा है।
- भूमि क्षरण के मुद्दों के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के लिये भारत में एक उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जा रहा है। यह भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद परिसर में अवस्थित है।
  - देहरादून में स्थित ICFRE पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का एक स्वायत्त निकाय है।

भूमि क्षरण

संदर्भ:

- भूमि क्षरण कई कारणों से होता है, जिसमें चरम मौसम की स्थिति, विशेष रूप से सूखा आदि शामिल है।
- यह मानवीय गतिविधियों के कारण भी होता है जो मृदा और भूमि की गुणवत्ता में कमी लाता है तथा उन्हें प्रदूषित करता है।

नोट :

प्रभाव:

- मरुस्थलीकरण गंभीर भूमि क्षरण का परिणाम है और इसे एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जाता है जो शुष्क, अर्ध-शुष्क और शुष्क उप-आर्द्र क्षेत्रों का निर्माण करता है।
- यह जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता की क्षति को बढ़ाता है तथा सूखे, जंगल की आग, अनैच्छिक प्रवास एवं ज़ूनोटिक संक्रामक रोगों के उद्भव में योगदान देता है।

भूमि क्षरण की जाँच के लिये वैश्विक प्रयास:

- संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम कन्वेंशन (UNCCD): इसे वर्ष 1994 में स्थापित किया गया था, यह पर्यावरण और विकास को स्थायी भूमि प्रबंधन से जोड़ने वाला एकमात्र कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतरराष्ट्रीय समझौता है।
  - UNCCD के 14वें CoP द्वारा हस्ताक्षरित वर्ष 2019 के दिल्ली घोषणापत्र में भूमि पर बेहतर पहुँच और प्रबंधन का आह्वान किया गया तथा लैंगिक-संवेदनशील परिवर्तनकारी परियोजनाओं पर ज़ोर दिया गया।
- द बॉन चैलेंज: यह एक वैश्विक प्रयास है। इसके तहत वर्ष 2020 तक विश्व के 150 मिलियन हेक्टेयर गैर-वनीकृत एवं बंजर भूमि पर और वर्ष 2030 तक 350 मिलियन हेक्टेयर भूमि पर वनस्पतियाँ उगाई जाएंगी।
- ग्रेट ग्रीन वॉल: यह ग्लोबल एन्वायरनमेंट फैसिलिटी (GEF) की पहल है जहाँ साहेल-सहारन अफ्रीका के ग्यारह देशों ने भूमि क्षरण के खिलाफ लड़ने और देशी पौधों के पुनर्जीवन के प्रयासों पर ध्यान केंद्रित किया है।

भूमि क्षरण की जाँच के लिये भारत के प्रयास:

- भारत अपने निवासियों को बेहतर मातृभूमि और बेहतर भविष्य प्रदान करने, स्थानीय भूमि को स्वस्थ तथा उत्पादक बनाने हेतु सामुदायिक स्तर पर आजीविका सृजन के लिये स्थायी भूमि एवं संसाधन प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित कर रहा है।
- मरुस्थलीकरण से निपटने के लिये राष्ट्रीय कार्यक्रम वर्ष 2001 में तैयार किया गया था ताकि मरुस्थलीकरण की समस्याओं के समाधान हेतु उचित कार्रवाई की जा सके।
- वर्तमान में भूमि क्षरण और मरुस्थलीकरण से संबंधित मुद्दों को संबोधित करने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रम लागू किये जा रहे हैं:
  - एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम (IWMP) (प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना)
  - राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम (NAP)
  - हरित भारत के लिये राष्ट्रीय मिशन (GIM)
  - महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा)
  - नदी घाटी परियोजना के जलग्रहण क्षेत्र में मृदा संरक्षण
  - बारानी क्षेत्रों के लिये राष्ट्रीय वाटरशेड विकास परियोजना (NWDPRA)
  - चारा और चारा विकास योजना-घास भंडार सहित चरागाह विकास का घटक
  - कमान क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन (CADWM) कार्यक्रम
  - मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना

चिल्ड्रन एंड डिजिटल डंपसाइट' : WHO की रिपोर्ट

चर्चा में क्यों?

विश्व स्वास्थ्य संगठन (World Health Organization- WHO) ने अपनी हालिया रिपोर्ट "चिल्ड्रन एंड डिजिटल डंपसाइट्स" (Children and Digital Dumpsites) में उस जोखिम को रेखांकित किया है जिसका सामना अनौपचारिक प्रसंस्करण में काम करने वाले बच्चे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों या ई-कचरे के कारण कर रहे हैं।

- इन ई-कचरे के डंपिंग स्थलों पर कम-से-कम 18 मिलियन बच्चे (पाँच साल से कम उम्र के) और लगभग 12.9 मिलियन महिलाएँ कार्य करती हैं।

- उच्च आय वाले देशों के ई-कचरे को प्रत्येक वर्ष प्रसंस्करण के लिये मध्यम या निम्न आय वाले देशों में डंप कर दिया जाता है।

प्रमुख बिंदु:

ई-कचरे के संदर्भ में:

- ई-वेस्ट (E-Waste) का संदर्भित रूप इलेक्ट्रॉनिक-वेस्ट (Electronic-Waste) है। इस शब्द का प्रयोग पुराने या जो प्रयोग में नहीं हैं ऐसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का वर्णन करने के लिये किया जाता है।
  - इसमें मुख्य रूप से ऐसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण शामिल हैं, जो पूरी तरह से या आंशिक रूप से उपभोक्ता या थोक उपभोक्ता द्वारा कचरे के रूप में त्याग दिये जाते हैं और साथ ही निर्माण, नवीनीकरण तथा मरम्मत प्रक्रियाओं से खारिज कर दिये जाते हैं।
  - इसमें 1,000 से अधिक कीमती धातुएँ और अन्य पदार्थ जैसे सोना, तांबा, सीसा, पारा, कैडमियम, क्रोमियम, पॉलीब्रोमिनेटेड बाइफिनाइल और पॉलीसाइक्लिक एरोमैटिक हाइड्रोकार्बन शामिल हैं।

ई-कचरे की मात्रा:

- वैश्विक परिदृश्य: ग्लोबल ई-वेस्ट स्टैटिस्टिक्स पार्टनरशिप (Global E-waste Statistics Partnership) के अनुसार उत्पन्न ई-कचरे की मात्रा में विश्व भर में तेज़ी से वृद्धि हो रही है।
  - वर्ष 2019 में लगभग 53.6 मिलियन टन ई-कचरा उत्पन्न हुआ था।
  - इस ई-कचरे का केवल 17.4% औपचारिक रूप से पुनर्नवीनीकरण किया गया था। जबकि इसके बाकी हिस्से को अनौपचारिक श्रमिकों द्वारा अवैध प्रसंस्करण के लिये निम्न या मध्यम आय वाले देशों में डंप कर दिया गया था।
  - इसका प्रमुख कारण स्मार्टफोन और कंप्यूटर की बढ़ती संख्या है।
- भारतीय परिदृश्य:
  - केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार भारत ने 2019-20 में 10 लाख टन से अधिक ई-कचरा उत्पन्न किया, जो 2017-18 में उत्पादित ई-कचरे (7 लाख टन) की तुलना में बहुत अधिक है। इसके विपरीत, 2017-18 से ई-कचरा निराकरण क्षमता (7.82 लाख टन) में वृद्धि नहीं की गई है।
  - वर्ष 2018 में, पर्यावरण मंत्रालय ने ट्रिब्यूनल को बताया था कि भारत में 95% ई-कचरे का पुनर्नवीनीकरण अनौपचारिक क्षेत्र द्वारा किया जाता है और स्क्रैप डीलर इसका निपटान से अवैज्ञानिक रूप से (एसिड में जलाकर या घोलकर) करते हैं।

डिजिटल डंपसाइट्स पर कार्य करने का प्रभाव:

- बच्चों पर: ई-कचरे के संपर्क में आने वाले बच्चे छोटे आकार, अपने कम विकसित अंगों और विकास की तीव्र दर के कारण उनमें मौजूद जहरीले केमिकल्स के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील होते हैं।
  - वे अपने आकार की तुलना में अधिक प्रदूषकों को अवशोषित करते हैं। उनका शरीर विषाक्त पदार्थों को झेलने और शरीर से बाहर निकालने में वयस्कों की तुलना में कम सक्षम होता है।
  - साथ ही यह बच्चों की सांस लेने की क्षमता और फेफड़ों के कार्यप्रणाली पर भी असर डालता है। यह बच्चों के डीएनए को नुकसान पहुँचा सकता है। इससे थायरॉयड संबंधी विकार और बाद में कैंसर तथा हृदय रोग के खतरे में वृद्धि हो सकती है।
- महिलाओं पर: इस कचरे के संपर्क में आने से न केवल एक गर्भवती महिला बल्कि उसके अजन्मे बच्चे के स्वास्थ्य और विकास पर भी खतरा होता है। इसके कारण बच्चे का समय से पहले जन्म, मृत्यु तथा उसके विकास पर असर पड़ सकता है। साथ ही यह उसके मानसिक विकास, बौद्धिक क्षमता एवं बोलने की क्षमता को भी प्रभावित कर सकता है।
- अन्य पर: ऐसे स्थलों पर काम करने का खतरनाक प्रभाव उन परिवारों और समुदायों पर भी पड़ता है जो इन ई-कचरा डंपसाइट के आस-पास रहते हैं।

ई-कचरे का प्रबंधन (अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन):

- खतरनाक कचरे की सीमा-पार आवाजाही के नियंत्रण पर बेसल कन्वेंशन, 1992:
  - मूल रूप से बेसल कन्वेंशन में ई-कचरे का उल्लेख नहीं था लेकिन बाद में इसमें वर्ष 2006 (COP 8) में ई-कचरे के मुद्दों को शामिल किया गया।

- यह सम्मेलन पर्यावरण के अनुकूल प्रबंधन सुनिश्चित करने के साथ-साथ विकासशील देशों में अवैध यातायात की रोकथाम और ई-कचरे के बेहतर प्रबंधन के लिये क्षमता निर्माण में मदद करता है।
- बेसल कन्वेंशन के COP9 में नैरोबी घोषणा को अपनाया गया था। इसका उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक कचरे का पर्यावरण अनुकूल प्रबंधन के लिये अभिनव समाधान तैयार करना है।

भारत में ई-कचरे का प्रबंधन:

- निर्माता:
  - सरकार ने ई-कचरा (प्रबंधन) नियम, 2016 लागू किया है जो विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (EPR) को लागू करता है।
    - विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व एक ऐसी रणनीति है जो किसी उत्पाद के संपूर्ण जीवनकाल के दौरान आई पर्यावरणीय लागत और उसके बाज़ार मूल्य को एकीकृत करने को प्रोत्साहित करती है।
- राज्य सरकार:
  - राज्यों को ई-कचरे के निराकरण और पुनर्चक्रण सुविधाओं के लिये औद्योगिक स्थान निर्धारित करने की ज़िम्मेदारी सौंपी गई है।
  - उनसे यह भी अपेक्षा की जाती है कि वे ई-कचरे के निराकरण और पुनर्चक्रण सुविधाओं में लगे श्रमिकों के स्वास्थ्य तथा सुरक्षा के लिये उपाय करें।
- ई-कचरे का पुनर्चक्रण:
  - घरेलू और व्यावसायिक इकाइयों से कचरे को अलग करने, प्रसंस्करण और निपटान के लिये भारत का पहला ई-कचरा क्लिनिक भोपाल, मध्य प्रदेश में स्थापित किया गया है।

आगे की राह:

- भारत में अधिकांशत: ई-कचरे का पुनर्चक्रण असंगठित इकाइयों में द्वारा किया जाता है, जिसमें बड़ी संख्या में जनशक्ति लगी होती है। प्रिंटेड सर्किट बोर्ड (PCBs) से आदिम तरीकों से धातुओं की रिकवरी सबसे हानिकारक कार्य है।
- उचित शिक्षा, जागरूकता और सबसे महत्त्वपूर्ण वैकल्पिक लागत प्रभावी तकनीक प्रदान करने की आवश्यकता है ताकि इससे आजीविका कमाने वालों को बेहतर साधन उपलब्ध कराए जा सकें।
- ई-अपशिष्ट प्रबंधन में भारत के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने के लिये एक समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता है। असंगठित क्षेत्र की इकाइयों के लिये संग्रह, निराकरण, पृथक्करण पर ध्यान केंद्रित करने हेतु एक दृष्टिकोण हो सकता है, जबकि संगठित क्षेत्र द्वारा धातु निष्कर्षण, पुनर्चक्रण और निपटान किया जा सकता है।
- असंगठित क्षेत्र में छोटी इकाइयों और संगठित क्षेत्र की बड़ी इकाइयों को एकल मूल्य श्रृंखला में शामिल करने के लिये एक उपयुक्त तंत्र विकसित करने की आवश्यकता है।

ब्लैक सॉफ्टशेल कछुआ

चर्चा में क्यों?

हाल ही में असम वन विभाग ने दो गैर-सरकारी संगठनों (NGO) के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किये हैं और वर्ष 2030 तक कम-से-कम 1,000 ब्लैक सॉफ्टशेल कछुओं (Black Softshell Turtles) को पालने के लिये एक विज़न दस्तावेज़ (Vision Document) अपनाया है।

प्रमुख बिंदु

ब्लैक सॉफ्टशेल कछुए के बारे में:

- वैज्ञानिक नाम: निल्सोनिया नाइग्रिकन्स (Nilssonia Nigricans)
- विशेषताएँ:
  - वे लगभग भारतीय पीकॉक सॉफ्ट-शेल्ड कछुआ (Peacock Soft-shelled Turtle) (निल्सोनिया हर्म) के समान दिखते हैं, जिसे IUCN की रेड लिस्ट में लुप्तप्राय के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

- पर्यावास:
  - भारत में ताज़े जल के कछुओं की 29 प्रजातियाँ पाई जाती हैं।
  - वे पूर्वोत्तर भारत और बांग्लादेश में मंदिरों के तालाबों में पाए जाते हैं। इसकी वितरण सीमा में ब्रह्मपुत्र नदी और उसकी सहायक नदियाँ भी शामिल हैं।
- संरक्षण की स्थिति:
  - IUCN रेड लिस्ट: गंभीर रूप से संकटग्रस्त
  - CITES: परिशिष्ट I
  - वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972: कोई कानूनी संरक्षण नहीं
- संकट:
  - कछुए के मांस और अंडे का सेवन, रेत खनन (Silt Mining), आर्द्रभूमि का अतिक्रमण एवं बाढ़ के पैटर्न में बदलाव।

भारतीय जल क्षेत्र के समुद्री कछुए:

- भारतीय जल में कछुए की पाँच प्रजातियाँ पाई जाती हैं अर्थात् ओलिव रिडले, ग्रीन टर्टल्स, लॉगरहेड, हॉक्सबिल, लेदरबैक।
  - ओलिव रिडले, लेदरबैक और लॉगरहेड को IUCN रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीशीज़ (IUCN Red List of Threatened Species) में 'सुभेद्य' के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।
  - हॉक्सबिल कछुए को 'गंभीर रूप से लुप्तप्राय (Critically Endangered)' के रूप में सूचीबद्ध किया गया है और ग्रीन टर्टल को IUCN की खतरनाक प्रजातियों की रेड लिस्ट में 'लुप्तप्राय' के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।
    - वे भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, अनुसूची I के तहत संरक्षित हैं।

कछुआ संरक्षण:

- राष्ट्रीय समुद्री कछुआ कार्य योजना:
  - इसमें न केवल संरक्षण के लिये अंतर-क्षेत्रीय कार्रवाई को बढ़ावा देने के तरीके और साधन शामिल हैं बल्कि ये समुद्री स्तनधारियों के फँसे होने, उलझने, चोट लगने या मृत्यु दर के मामलों तथा समुद्री कछुओं की प्रतिक्रिया पर सरकार, नागरिक समाज एवं सभी संबंधित हितधारकों के बीच बेहतर समन्वय का मार्गदर्शन भी करते हैं।
- हिंद महासागर समुद्री कछुआ समझौता (IOSEA):
  - भारत संयुक्त राष्ट्र समर्थित पहल, प्रवासी प्रजातियों पर कन्वेंशन (Convention on Migratory Species- CMS) के हिंद महासागर समुद्री कछुआ समझौते (Indian Ocean Sea Turtle Agreement- IOSEA) का हस्ताक्षरकर्त्ता है।
  - यह एक ढाँचा तैयार करता है जिसके माध्यम से हिंद महासागर एवं दक्षिण-पूर्व एशियाई क्षेत्र के राज्यों के साथ ही अन्य संबंधित राज्य, घटती समुद्री कछुओं की आबादी को बचाने के लिये मिलकर काम कर सकते हैं जिसके लिये वे ज़िम्मेदारी साझा करते हैं।
- कूर्मा एप:
  - यह एक डिजिटल डेटाबेस के रूप में कार्य करता है जिसमें भारत के ताज़े जल के कछुओं सहित कछुओं की 29 प्रजातियों को शामिल किया गया है।
  - इस एप को 'टर्टल सर्वाइवल अलायंस-इंडिया' (Turtle Survival Alliance-India) और 'वाइल्डलाइफ कंज़र्वेशन सोसाइटी-इंडिया' (Wildlife Conservation Society-India) के सहयोग से 'इंडियन टर्टल कंज़र्वेशन एक्शन नेटवर्क' (Indian Turtle Conservation Action Network- ITCAN) द्वारा विकसित किया गया है।
- विश्व कछुआ दिवस प्रतिवर्ष 23 मई को मनाया जाता है।

नोट :

इबोला वायरस

चर्चा में क्यों?

हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने घोषणा की है कि फरवरी 2021 में गिनी में फैले इबोला वायरस का प्रकोप अब खत्म हो गया है।

- इसकी पहली लहर 2013-2016 के दौरान इबोला के प्रकोप ने 11,300 लोगों की जान ले ली, जिनमें ज़्यादातर लोग गिनी, सिएरा लियोन और लाइबेरिया से थे।
- WHO ने "2019 में वैश्विक स्वास्थ्य के लिये दस खतरे" की अपनी सूची में इबोला को भी शामिल किया।

प्रमुख बिंदु

इबोला वायरस रोग (EVD) के बारे में:

- इबोला वायरस रोग (EVD), जिसे पहले इबोला रक्तस्रावी बुखार के रूप में जाना जाता था, मनुष्यों में होने वाली एक गंभीर, घातक बीमारी है। यह वायरस जंगली जानवरों से लोगों में फैलता है और मानव आबादी में मानव-से-मानव में संचरण करता है।
- इबोला वायरस की खोज सर्वप्रथम वर्ष 1976 में इबोला नदी के पास स्थित गाँव में हुई थी जो कि अब कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में है।

संचरण: फ्रूट बैट' टेरोपोडीडेई परिवार (Pteropodidae family) से संबंधित है जो वायरस के प्राकृतिक वाहक (Natural Hosts) है।

- पशु से मानव संचरण: इबोला का संक्रमण उन जानवरों के रक्त, स्राव, अंगों या अन्य शारीरिक तरल पदार्थों जैसे कि फ्रूट बैट, चिंपांजी, गोरिल्ला, बंदर, वन मृग या पोर्कपीस के साथ निकट संपर्क के माध्यम से मानव आबादी में फैलता है। यह वायरस बीमार या मृत अवस्था में पाए जाते हैं या वर्षावनों में पाए जाते हैं।
- मानव से मानव संचरण: इबोला सीधे संपर्क (टूटी हुई त्वचा या श्लेष्मा झिल्ली के माध्यम से) के साथ फैलता है:
  - जो व्यक्ति इबोला से बीमार है या उसकी मृत्यु हो गई है उसके रक्त या शरीर के तरल पदार्थ के संपर्क में आने से फैलता है।
  - ऐसे शरीर के तरल पदार्थ (जैसे रक्त, मल, उल्टी) से दूषित वस्तुएँ।

लक्षण:

- यह अचानक हो सकता है और इसमें शामिल हैं: बुखार, थकान, मांसपेशियों में दर्द, सिरदर्द, गले में खराश, उल्टी, दस्त, गुर्दे का ख़राब होना और यकृत कार्य संबंधित लक्षण तथा कुछ मामलों में आंतरिक और बाहरी रक्तस्राव ।

निदान:

- इबोला को चिकित्सकीय रूप से अन्य संक्रामक रोगों जैसे मलेरिया, टाइफाइड बुखार और मेनिन्जाइटिस से अलग करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन इबोला वायरस के संक्रमण के कारण इसके लक्षणों की पुष्टि निम्नलिखित नैदानिक विधियों का उपयोग करके किया जा सकता हैं:
  - एलिसा (ELISA) (antibody-capture enzyme-linked immunosorbent assay)
  - रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पोलीमरेज़ चेन रिएक्शन (आरटी-पीसीआर) एक प्रयोगशाला तकनीक इत्यादि।

टीकाकरण:

- एर्वेबो वैक्सीन (Ervebo vaccine) को जाइरे के इबोला वायरस प्रजाति से लोगों की रक्षा करने में प्रभावी बताया गया है।
- मई 2020 में यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी ने 1 वर्ष और उससे अधिक उम्र के व्यक्तियों के लिये ज़ब्डेनो-एंड-मावाबिया (Zabdeno-and-Mvabea) नामक टीके के 2-घटक को विपणन प्राधिकरण देने की सिफारिश की।

उपचार:

- अमेरिका द्वारा वयस्कों और बच्चों में जाइरे इबोला वायरस संक्रमण के इलाज के लिये दो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी (Inmazeb and Ebanga) को मंज़ूरी दी गई है।

नोट :

ग्रेट बैरियर रीफ

चर्चा में क्यों?

हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति ने सिफारिश की है कि ऑस्ट्रेलिया के 'ग्रेट बैरियर रीफ' को विश्व धरोहर स्थलों की "खतरे की सूची' में जोड़ा जाना चाहिये।

- केवल "खतरे की सूची" में शामिल किये जासे से प्रतिबंध लागू नहीं होते हैं।
- कुछ देशों ने अपनी साइटों की तरफ अंतर्राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित करने और उन्हें बचाने में मदद करने के लिये उन्हें इस सूची से जोड़ा है।

प्रमुख बिंदु:

इस कदम के पीछे निहित कारण:

- जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के कारण इसे सूची में जोड़ने की सिफारिश की गई थी।
- गंभीर समुद्री हीटवेव के कारण कोरल रीफ पारिस्थितिकी तंत्र को वर्ष 2015 के बाद से तीन प्रमुख विरंजन घटनाओं का सामना करना पड़ा है।
  - 'रीफ 2050' लॉन्ग-टर्म सस्टेनेबिलिटी प्लान वर्ष 2050 तक ग्रेट बैरियर रीफ की सुरक्षा और प्रबंधन के लिये ऑस्ट्रेलियाई और क्वींसलैंड सरकार की व्यापक रूपरेखा है।
  - जब कोरल तापमान, प्रकाश या पोषक तत्त्वों जैसी स्थितियों में परिवर्तन के कारण तनाव का सामना करते हैं तो वे अपने ऊतकों में रहने वाले सहजीवी शैवाल 'जूज़ैंथिली' को बाहर निकाल देते हैं, जिससे वे पूरी तरह से सफेद हो जाते हैं। इस घटना को प्रवाल विरंजन कहा जाता है।
  - समुद्री हीटवेव कई दिनों से लेकर वर्षों तक प्रतिलोम रूप से गर्म समुद्री सतह के तापमान (SST) की घटना है।

नतीजे:

- इसने पर्यावरणीय समूहों को मज़बूत जलवायु कार्रवाई की ऑस्ट्रेलियाई सरकार की अनिच्छा को दूर करने हेतु प्रेरित किया।
- ऑस्ट्रेलिया जो दुनिया के सबसे बड़े प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जक देशों में से एक है, मज़बूत जलवायु कार्रवाई की प्रतिबद्धता के लिये अनिच्छुक रहा है और इसने देश के जीवाश्म ईंधन उद्योगों को समर्थन देने के लिये नौकरियों को एक प्रमुख कारण के रूप में उद्धृत किया है।
  - इसने वर्ष 2015 के बाद से अपने जलवायु लक्ष्यों का अद्यतन नही किया है।

ग्रेट बैरियर रीफ

- यह विश्व का सबसे व्यापक और समृद्ध प्रवाल भित्ति पारिस्थितिकी तंत्र है, जो कि 2,900 से अधिक भित्तियों और 900 से अधिक द्वीपों से मिलकर बना है।
- यह ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड के उत्तर-पूर्वी तट में 1400 मील तक फैला हुआ है।
- इसे बाह्य अंतरिक्ष से देखा जा सकता है और यह जीवों द्वारा बनाई गई विश्व की सबसे बड़ी एकल संरचना है।
- यह समृद्ध पारिस्थितिकी तंत्र अरबों छोटे जीवों से मिलकर बना है, जिन्हें प्रवाल पॉलिप्स के रूप में जाना जाता है।
  - ये समुद्री पौधों की विशेषताओं को प्रदर्शित करने वाले सूक्ष्म जीव होते हैं, जो कि समूह में रहते हैं। चूना पत्थर (कैल्शियम कार्बोनेट) से निर्मित इसका निचला हिस्सा (जिसे कैलिकल्स भी कहते हैं) काफी कठोर होता है, जो कि प्रवाल भित्तियों की संरचना का निर्माण करता है।
  - इन प्रवाल पॉलिप्स में सूक्ष्म शैवाल पाए जाते हैं जिन्हें जूज़ैंथिली (Zooxanthellae) कहा जाता है जो उनके ऊतकों के भीतर रहते हैं।
- इसे वर्ष 1981 में विश्व धरोहर स्थल के रूप में चुना गया था।

कोरल की रक्षा के लिये पहल:

- मुद्दों के समाधान के लिये कई वैश्विक पहलें की जा रही हैं, जैसे:
    - अंतर्राष्ट्रीय कोरल रीफ पहल
    - ग्लोबल कोरल रीफ मॉनीटरिंग नेटवर्क (GCRMN)
    - ग्लोबल कोरल रीफ एलायंस (GCRA)
    - ग्लोबल कोरल रीफ आर एंड डी एक्सेलेरेटर प्लेटफार्म
- इसी तरह पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत ने तटीय क्षेत्र अध्ययन (CZS) के तहत प्रवाल भित्तियों पर अध्ययन को शामिल किया है।
    - भारत में भारतीय प्राणी सर्वेक्षण (ZSI), गुजरात के वन विभाग की मदद से "बायोरॉक" या खनिज अभिवृद्धि तकनीक का उपयोग करके प्रवाल भित्तियों को पुनर्स्थापित करने की प्रक्रिया का प्रयास कर रहा है।
    - देश में प्रवाल भित्तियों की रक्षा और उन्हें बनाए रखने के लिये राष्ट्रीय तटीय मिशन कार्यक्रम।

प्रवाल भित्ति:

सबसे बड़ा कोरल रीफ क्षेत्र:

- इंडोनेशिया में दुनिया का सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति क्षेत्र है।
- भारत, मालदीव, श्रीलंका और छागोस में दक्षिण एशिया में सबसे अधिक प्रवाल भित्तियाँ हैं।
- ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड तट का ग्रेट बैरियर रीफ प्रवाल भित्तियों का सबसे बड़ा समूह है।

भारत में प्रवाल भित्ति क्षेत्र:

- भारत में चार प्रवाल भित्ति क्षेत्र हैं: मन्नार की खाड़ी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप द्वीप समूह और कच्छ की खाड़ी।

लाभ:

- प्राकृतिक आपदाओं से मानवता की रक्षा करती हैं।
- पर्यटन और मनोरंजन के माध्यम से राजस्व और रोज़गार प्रदान करना।
- मछलियों, स्टारफिश और समुद्री एनीमोन के लिये आवास प्रदान करना।

प्रयोग:

- इनका उपयोग आभूषणों में किया जाता है।
- कोरल ब्लॉक का उपयोग इमारतों और सड़क निर्माण के लिये किया जाता है।
- मूंगों द्वारा आपूर्ति किये जाने वाले चूने का उपयोग सीमेंट उद्योगों में किया जाता है।

खतरा:

- तटीय विकास, विनाशकारी मछली पकड़ने के तरीकों और घरेलू तथा औद्योगिक सीवेज से प्रदूषण जैसी मानवजनित गतिविधियों के कारण।
- बढ़े हुए अवसादन, अति-शोषण और आवर्ती चक्रवातों के कारण।
- तटीय क्षेत्रों में रहने वाली मानव आबादी के कारण फैलने वाले संक्रामक सूक्ष्मजीवों के कारण काली पट्टी और सफेद पट्टी जैसे प्रवाल रोग।

मैंग्रोव की भूमिका:

- मैंग्रोव वन फिल्टर के रूप में कार्य करके और चक्रवात, तूफान तथा सुनामी से सुरक्षा प्रदान करके प्रवाल भित्ति प्रणाली की मदद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

नोट :

एम्बरग्रीस

चर्चा में क्यों?

हाल ही में मुंबई पुलिस ने पाँच लोगों को गिरफ्तार कर उनके पास से लगभग 9 किलो एम्बरग्रीस (Ambergris) जब्त किया है।

प्रमुख बिंदु:

परिचय:

- फ्रांसीसी शब्द ग्रे एम्बर या एम्बरग्रीस को प्राय: व्हेल की उल्टी (Vomit) के रूप में जाना जाता है।
- यह एक ठोस और मोम जैसा पदार्थ है जो स्पर्म व्हेल की आँतों में उत्पन्न होता है।
    - स्पर्म व्हेल में से केवल 1% ही एम्बरग्रीस का उत्पादन करती हैं।
- रासायनिक रूप से एम्बरग्रीस में एल्कलॉइड, एसिड और एंब्रेन नामक एक विशिष्ट यौगिक होता है, जो कोलेस्ट्रॉल के समान होता है।
- यह जल निकाय की सतह के चारों ओर तैरता है और कभी-कभी तट के समीप आकर इकट्ठा हो जाता है।
- इसके उच्च मूल्य के कारण इसे तैरता हुआ सोना कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में 1 किलो एम्बरग्रीस की कीमत 1 करोड़ रुपए है।

प्रयोग:

- इसका इस्तेमाल इत्र बाज़ार में खासतौर पर कस्तूरी जैसी सुगंध विकसित करने के लिये किया जाता है।
    - ऐसा माना जाता है कि दुबई जैसे देशों में जहाँ इत्र का एक बड़ा बाज़ार है, इसकी अधिक मांग है।
- प्राचीन मिस्रवासी इसका प्रयोग धूप (Incense) के रूप में करते थे। ऐसा माना जाता है कि इसका उपयोग कुछ पारंपरिक औषधियों और मसालों के रूप में भी किया जाता है।

तस्करी:

- अपने उच्च मूल्य के कारण विशेष रूप से तटीय क्षेत्रों में यह तस्करों के निशाने पर रहा है।
    - ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहाँ इस तरह की तस्करी के लिये गुजरात के तट का इस्तेमाल किया गया है।
- चूँकि स्पर्म व्हेल एक संरक्षित प्रजाति है, इसलिये व्हेल के शिकार की अनुमति नहीं है। हालाँकि तस्कर, व्हेल के पेट से एम्बरग्रीस प्राप्त करने के लिये इसका अवैध रूप से शिकार करते हैं।

स्पर्म व्हेल (Sperm Whale):

परिचय:

- स्पर्म व्हेल, (फिसेटर कैटोडोन), जिसे काचलोट भी कहा जाता है, दाँत वाली व्हेल में सबसे बड़ी, अपने विशाल चौकोर सिर और संकीर्ण निचले जबड़े के कारण आसानी से पहचानी जाती है।
- स्पर्म व्हेल गहरे नीले-भूरे या भूरे रंग की होती है, जिसके पेट पर सफेद धब्बे होते हैं। यह थिकसेट है और इसमें छोटे पैडल जैसे फ्लिपर्स (Flippers) होते हैं और इसकी पीठ पर गोल कूबड़ की श्रृंखला होती है।

आवास:

- ये विश्व के समशीतोष्ण और उष्णकटिबंधीय जल क्षेत्र में पाए जाते हैं।

खतरे:

- स्पर्म व्हेल के लिये सबसे बड़ा खतरा ध्वनि प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन सहित निवास स्थान की क्षति है।
- अन्य खतरों में फिशिंग गियर में उलझाव, जहाज़ों के साथ टकराव और एक बार फिर व्हेल के व्यावसायिक शिकार की अनुमति देने का प्रस्ताव शामिल हैं।

संरक्षण स्थिति:

- अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (IUCN) की रेड लिस्ट: संकटग्रस्त
- वन्यजीवों एवं वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन (CITES): परिशिष्ट I
- भारतीय वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972: अनुसूची-I

अफ्रीकन स्वाइन फीवर

चर्चा में क्यों?

नगालैंड में पिछले दो सप्ताह में अफ्रीकन स्वाइन फ्लू (African Swine Flu) का कोई नया मामला सामने नहीं आया है।

- पहली बार इस बीमारी की पहचान नवंबर-दिसंबर 2019 में अरुणाचल प्रदेश की सीमा से लगे चीनी क्षेत्रों में की गई थी।
- इससे पहले अप्रैल 2020 में क्लासिकल स्वाइन फीवर (CSF) के कारण सूअरों की मौत की जानकारी मिली थी।

प्रमुख बिंदु

परिचय :

- यह एक अत्यधिक संक्रामक और घातक पशु रोग है, जो घरेलू तथा जंगली सूअरों को संक्रमित करता है। इसके संक्रमण से सूअर एक प्रकार के तीव्र रक्तस्रावी बुखार (Hemorrhagic Fever) से पीड़ित होते हैं।
- रोग की अन्य अभिव्यक्तियों में तेज़ बुखार, अवसाद, एनोरेक्सिया, भूख न लगना, त्वचा में रक्तस्राव, उल्टी और दस्त शामिल हैं।
- इसे पहली बार 1920 के दशक में अफ्रीका में देखा गया था।
  - ऐतिहासिक रूप से अफ्रीका और यूरोप, दक्षिण अमेरिका तथा कैरेबियन के कुछ हिस्सों में प्रकोप की सूचना मिली है।
  - हालाँकि हाल ही में (2007 से) अफ्रीका, एशिया और यूरोप के कई देशों में घरेलू और जंगली दोनों सूअरों में यह बीमारी पाई गई।
- इस रोग में मृत्यु दर 100 प्रतिशत के करीब होती है और चूँकि इस बुखार का कोई इलाज नहीं है, अत: इसके संक्रमण को फैलने से रोकने का एकमात्र तरीका जानवरों को मारना है।
- अफ्रीकी स्वाइन फीवर मनुष्य के लिये खतरा नहीं होता है, क्योंकि यह केवल जानवरों से जानवरों में फैलता है।
- अफ्रीकी स्वाइन फीवर, विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन (OIE) के पशु स्वास्थ्य कोड में सूचीबद्ध एक ऐसी बीमारी है जिसके संदर्भ में तुरंत OIE को सूचना देना आवश्यक है।

क्लासिकल स्वाइन फीवर (CSF) :

- क्लासिकल स्वाइन बुखार को हॉग हैजा (Hog Cholera) के नाम से भी जाना जाता है, यह सूअरों से संबंधित एक गंभीर बीमारी है।
- यह दुनिया में सूअरों से संबंधित आर्थिक रूप से सर्वाधिक हानिकारक महामारी, संक्रामक रोगों में से एक है।
- यह Flaviviridae फैमिली के जीनस पेस्टीवायरस के कारण होता है, जो कि इस वायरस से निकटता से संबंधित है जो मवेशियों में 'बोवाइन संक्रमित डायरिया' और भेड़ों में 'बॉर्डर डिज़ीज़' का कारण बनता है।
- इसमें मृत्यु दर 100% है।
- हाल ही में इससे बचने के लिये ICAR-IVRI ने एक 'सेल कल्चर CSF वैक्सीन (लाइव एटेन्यूटेड या जीवित ऊतक) विकसित की, जिसमें लैपिनाइज़्ड वैक्सीन वायरस का उपयोग एक बाह्य स्ट्रेन के माध्यम से किया गया।
  - नया टीका टीकाकरण के 14 दिन से 18 महीने तक सुरक्षात्मक प्रतिरक्षा प्रदान करता है।

विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन (World Organisation for Animal Health or OIE)

- यह दुनिया-भर में पशुओं के स्वास्थ्य में सुधार हेतु उत्तरदायी एक अंतर-सरकारी संगठन (Intergovernmental Organisation) है।

नोट :

- वर्तमान में कुल 182 देश इसके सदस्य हैं। भारत इसके सदस्य देशों में से एक है।
- यह नियमों से संबंधित मानक दस्तावेज़ विकसित करता है जिनके उपयोग से सदस्य देश बीमारियों और रोगजनकों से स्वयं को सुरक्षित कर सकते हैं। इसमें से एक क्षेत्रीय पशु स्वास्थ्य संहिता भी है।
- इसके मानकों को विश्व व्यापार संगठन (WTO) द्वारा संदर्भित संगठन (Reference Organisation) के अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छता नियमों के रूप में मान्यता प्राप्त है।
- इसका मुख्यालय पेरिस (फ्राँस) में स्थित है।

वायु गुणवत्ता और कोविड-19 के बीच संबंध

चर्चा में क्यों?

एक अखिल भारतीय अध्ययन में पहली बार वायु प्रदूषण और कोविड -19 के बीच पारस्परिक संबंध पाया गया है।

- इस अध्ययन में यह पाया गया कि खराब वायु गुणवत्ता और पार्टिकुलेट मैटर (PM) 2.5 के उच्च उत्सर्जन वाले क्षेत्रों में कोविड -19 संक्रमण और इससे संबंधित मौतों की संभावना अधिक है।

पार्टिकुलेट मैटर (Particulate Matter) 2.5 :

- यह 2.5 माइक्रोमीटर से कम व्यास का एक वायुमंडलीय कण होता है, जो कि मानव बाल के व्यास का लगभग 3% होता है।
    - यह इतना छोटा होता है कि इसे केवल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से ही देखा जा सकता है।
- यह श्वसन संबंधी समस्याओं का कारण बन सकता है और हमारे देखने की क्षमता को भी प्रभावित करता है। यह एक अंत:स्रावी विघटनकर्त्ता है, जो इंसुलिन स्राव और इंसुलिन संवेदनशीलता को प्रभावित कर सकता है, इस प्रकार मधुमेह में योगदान देता है।
- ये कण ईंधन के जलने और वातावरण में होने वाली रासायनिक प्रतिक्रियाओं के परिणामस्वरूप बनते हैं। जंगल की आग जैसी प्राकृतिक आपदाएँ भी हवा में PM 2.5 में योगदान करती हैं।
- ये कण भी स्मॉग उत्पन्न होने का प्राथमिक कारण हैं।

प्रमुख बिंदु

परिचय :

- यह अध्ययन विभिन्न विश्वविद्यालयों के वैज्ञानिकों जैसे- भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान (IITM), पुणे; राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान राउरकेला; भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भुवनेश्वर द्वारा आयोजित किया गया था।
- यह आंशिक रूप से पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वित्तपोषित था।

घटक:

- अध्ययन में तीन प्रकार के डेटा सेट शामिल हैं :
    - PM2.5 की राष्ट्रीय उत्सर्जन सूची (NEI) 2019, वैज्ञानिकों द्वारा विकसित।
    - 5 नवंबर, 2020 तक कोविड-19 पॉज़िटिव मामलों की संख्या और संबंधित मौतों की संख्या।
    - वायु गुणवत्ता सूचकांक डेटा (इन-सीटू अवलोकन)।

महत्त्वपूर्ण अवलोकन:

- 'मानवजनित उत्सर्जन स्रोतों और वायु गुणवत्ता डेटा के आधार पर भारत में सूक्ष्म कण पदार्थ (पीएम2.5) क्षेत्रों और कोविड-19 के बीच एक लिंक स्थापित करना' शीर्षक के अध्ययन में बताया गया है कि अत्यधिक प्रदूषित क्षेत्रों में रहने वाले लोग कोरोनावायरस संक्रमण के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं।
- परिवहन और औद्योगिक गतिविधियों में भारी मात्रा में जीवाश्म ईंधन जैसे-पेट्रोल, डीज़ल और कोयले का उपयोग करने वाले क्षेत्रों में कोविड -19 मामलों की अधिक संख्या देखने को मिली।

- उदाहरणस्वरूप महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और गुजरात जैसे राज्यों में कोविड-19 मामलों की अधिक संख्या देखने को मिली। इन राज्यों में लोग लंबे समय तक 2.5 PM की उच्च सांद्रता के संपर्क में अपेक्षाकृत अधिक रहे हैं, खासकर शहरों में जहाँ जीवाश्म ईंधन का अत्यधिक उपयोग होता है।
- मुंबई और पुणे उन हॉटस्पॉट्स में से हैं जहाँ परिवहन और औद्योगिक क्षेत्रों से उच्च वायु प्रदूषण कोविड -19 मामलों और मौतों की अधिक संख्या से संबंधित है।

- इस तथ्य के भी प्रमाण हैं कि नोवेल कोरोनावायरस PM 2.5 जैसे सूक्ष्म कणों से चिपक जाता है, जिससे वे कोविड-19 के हवाई संचरण को और अधिक प्रभावी बनाकर एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जाने की अनुमति देते हैं।

प्रभाव:

- जब मानव-प्रेरित उत्सर्जन को कोविड-19 वायरस के दोहरे प्रभाव के साथ जोड़ा जाता है तो फेफड़ों को नुकसान बहुत तेज़ी से होगा और स्वास्थ्य की स्थिति खराब होगी।
- अध्ययन के परिणाम वर्तमान परिस्थितियों के साथ-साथ भविष्य की संभावनाओं के लिये उच्च प्रदूषण स्तर वाले क्षेत्रों में अधिक निवारक कदम और संसाधन प्रदान करके वायरस के प्रसार को कम करने में मदद करेंगे।

समाधान:

- स्वच्छ प्रौद्योगिकी को अपनाने, भारत स्टेज (BS) VI जैसे बेहतर परिवहन उत्सर्जन मानदंडों को अपनाने और कण उत्सर्जन को कम करने के लिये अल्ट्रा-सुपरक्रिटिकल पावर प्लांट जैसी बेहतर कोयला प्रौद्योगिकी सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।

वायु प्रदूषण को कम करने के लिये अन्य पहलें:

- उजाला (UJALA) योजना।
- अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन।
- जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्ययोजना (NAPCC)।
- वायु गुणवत्ता और मौसम पूर्वानुमान तथा अनुसंधान प्रणाली (SAFAR)।

वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI)

- AQI दैनिक वायु गुणवत्ता की रिपोर्टिंग के लिये एक सूचकांक है।
- यह उन स्वास्थ्य प्रभावों पर केंद्रित है जिन्हें कोई भी व्यक्ति प्रदूषित वायु में साँस लेने के कुछ घंटों या दिनों के भीतर अनुभव कर सकता है।
- AQI की गणना आठ प्रमुख वायु प्रदूषकों के लिये की जाती है:
  - भू-स्तरीय ओज़ोन,
  - PM10,
  - PM2.5,
  - कार्बन मोनोऑक्साइड,
  - सल्फर डाइऑक्साइड,
  - नाइट्रोजन डाइऑक्साइड,
  - अमोनिया,
  - लेड (शीशा),
- भू-स्तरीय ओज़ोन और एयरबोर्न पार्टिकल्स दो ऐसे प्रदूषक हैं जो भारत में मानव स्वास्थ्य के लिये सबसे बड़ा खतरा हैं।

बरनाडी वन्यजीव अभयारण्य: असम

चर्चा में क्यों?

हाल ही में वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर-इंडिया (WWF) ने असम के बरनाडी वन्यजीव अभयारण्य (Barnadi Wildlife Sanctuary) में कुछ बाघों को पाया।

- बरनाडी वन्यजीव अभयारण्य असम के सबसे छोटे वन्यजीव अभयारण्यों में से एक है तथा 26.22 वर्ग किमी. के क्षेत्र को कवर करता है।

प्रमुख बिंदु

अवस्थिति:

- बरनाडी वन्यजीव अभयारण्य (BWS) उत्तरी असम के बक्सा और उदालगुरी ज़िलों में भूटान की सीमा के निकट स्थित है।
- अभयारण्य पश्चिम और पूर्व में क्रमश: बरनाडी तथा नलपारा नदी से घिरा हुआ है।

कानूनी दर्जा:

- असम सरकार द्वारा वर्ष 1980 में वन्यजीव अभयारण्य का दर्जा दिया गया।
- बरनाडी अभयारण्य की स्थापना विशेष रूप से पिग्मी हॉग (Sus salvanius) और हिस्पिड हेयर (Caprolagus hispidus) के संरक्षण हेतु की गई थी।

जैव-विविधता:

- यह एशियाई हाथी (Elephas maximus), बाघ/टाइगर (Panthera tigris) और गौर (Bos frontalis) जैसी संकटग्रस्त प्रजातियों के लिये महत्त्वपूर्ण है।
- BWS के लगभग 60% भाग को चरागाह के रूप में दर्ज किया गया है, इसमें से अधिकांश क्षेत्र अब घासयुक्त वनप्रदेश/जंगल हैं।
- अभयारण्य में पाए जाने वाले वन मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती प्रकार के हैं जो कि उत्तरी किनारे पर पाए जाते हैं तथा दक्षिणी भागों में कुछ वृक्षों के साथ मिश्रित झाड़ियाँ और घास के मैदान हैं।

वनस्पति:

- मानव गतिविधियों ने क्षेत्र की वनस्पति को काफी हद तक परिवर्तित किया गया है।
- अधिकांश प्राकृतिक वनस्पतियों को बॉम्बेक्स सेइबा, टेक्टोना ग्रैंडिस और यूकेलिप्टस के व्यावसायिक वृक्षारोपण तथा छप्पर घास (अधिकांशत: सैकरम, कुछ मात्रा में फ्राग्माइट्स और थीम्डा के साथ) द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है।

असम में अन्य संरक्षित क्षेत्र:

- डिब्रू-सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान
- मानस राष्ट्रीय उद्यान
- नामेरी राष्ट्रीय उद्यान
- राजीव गांधी ओरंग राष्ट्रीय उद्यान
- काज़ीरंगा राष्ट्रीय उद्यान

हिस्पिड हेयर/असम रैबिट (Caprolagus hispidus)

आवास:

- मध्य हिमालय की दक्षिणी तलहटी।
- यह प्रारंभिक क्रमिक लंबे घास, जिसे स्थानीय रूप से हाथी घास कहा जाता है, के मैदानों में रहता है। शुष्क मौसम के दौरान, घास वाले अधिकांश क्षेत्रों में आग लगने की संभावना होती है तब ये खरगोश नदी के किनारे दलदली क्षेत्रों या घास में शरण लेते हैं जो अग्नि के प्रति अतिसंवेदनशील नहीं होते हैं।

नोट :

खतरे:

- हिस्पिड हेयर का आवास बढ़ती कृषि, बाढ़ नियंत्रण और मानव विकास के कारण अत्यधिक खंडित हो रहा है।
- वनप्रदेशों/जंगलों में घास के मैदानों के अनुक्रमण की प्राकृतिक प्रक्रिया उपयुक्त आवास को कम कर देती है।

संरक्षण:

- CITES: परिशिष्ट I
- वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की अनुसूची I में शामिल
- IUCN रेड लिस्ट: लुप्तप्राय।

एनर्जी कॉम्पैक्ट

चर्चा में क्यों?

नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन (NTPC) लिमिटेड भारत में ऊर्जा क्षेत्र में पहली ऊर्जा कंपनी बन गई है, जिसने ऊर्जा पर संयुक्त राष्ट्र उच्च स्तरीय वार्ता (High-level Dialogue on Energy- HLDE) के हिस्से के रूप में अपने ऊर्जा कॉम्पैक्ट लक्ष्यों को घोषित किया है।

- संयुक्त राष्ट्र, सतत् विकास के लिये 2030 एजेंडा के ऊर्जा संबंधी लक्ष्यों और इन लक्ष्यों के कार्यान्वयन को बढ़ावा देने हेतु सितंबर, 2021 में एक उच्च स्तरीय वार्ता (HLD) आयोजित करने के लिये तैयार है।
- NTPC भारत की सबसे बड़ी विद्युत उत्पादन कंपनी है जो विद्युत मंत्रालय के अधीन है।

प्रमुख बिंदु:

एनर्जी कॉम्पैक्ट्स (प्रतिबद्धताओं और कार्यों के एकीकरण और संयोजन हेतु एक मंच):

- एनर्जी कॉम्पैक्ट्स को यूएन-एनर्जी (UN-Energy) द्वारा संगठित किया जा रहा है और मौजूदा दशक की कार्रवाई के दौरान इसे संगठित एवं अपडेट किया जाना जारी रहेगा।
- ये स्पष्ट, अंतर्निहित कार्रवाइयों के साथ चल रही या नई प्रतिबद्धताएं हैं जो SDG7 के तीन मुख्य लक्ष्यों में से एक या अधिक को आगे बढ़ाएगी।
  - SDG7 वर्ष 2030 तक "सभी के लिये सस्ती, विश्वसनीय, टिकाऊ और आधुनिक ऊर्जा" का आह्वान करता है।
  - SDG 7 तीन के मुख्य लक्ष्य: ऊर्जा तक पहुँच, नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता।
- ये सदस्य राज्यों और गैर-राज्य अभिनेताओं, जैसे- कंपनियों, क्षेत्रीय/स्थानीय सरकारों, गैर- सरकारी संगठनों और अन्य स्वैच्छिक प्रतिबद्धताएँ हैं।
- चूँकि सस्ती, स्वच्छ ऊर्जा अन्य सभी SDG और पेरिस समझौते के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये एक पूर्वापेक्षा है, इसलिये एनर्जी कॉम्पेक्ट में परिभाषित कार्यों को SDG एक्सेलेरेशन एक्शन के रूप में माने जाने वाले राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान से सीधे जोड़ा जा सकता है।

एनर्जी कॉम्पैक्ट्स (EC) और राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDCs) के बीच अंतर:

- NDCs सदस्य राज्यों की राष्ट्रीय जलवायु महत्त्वाकांक्षाओं और लक्ष्यों को संबोधित करते हैं जो पेरिस समझौते के तहत कानूनी रूप से आवश्यक हैं और ये संपूर्ण रूप से अर्थव्यवस्था के माध्यम से देश के उत्सर्जन प्रोफाइल पर ध्यान केंद्रित करते हैं।
- वहीं दूसरी ओर 'एनर्जी कॉम्पैक्ट्स' के तहत विशेषत: ऊर्जा प्रणाली और SDG7 पर केंद्रित विभिन्न प्रकार की स्वैच्छिक प्रतिबद्धताएँ, कार्य, पहल और भागीदारी शामिल हैं।
  - ये SDG7 लक्ष्यों को कवर करते हैं और इसमें वे लक्ष्य भी शामिल हैं, जो किसी देश के NDCs में परिलक्षित नहीं होते हैं।
- 'एनर्जी कॉम्पैक्ट्स' SDG7 से संबंधित सभी हितधारकों के लिये खुला हुआ है, जिसमें व्यवसाय, संगठन और उप-राष्ट्रीय प्राधिकरण शामिल हैं तथा वार्षिक तौर पर प्रतिबद्धताओं को लेकर प्रगति को ट्रैक करने हेतु तंत्र भी शामिल है।

एनर्जी कॉम्पैक्ट्स (EC) की आवश्यकता:

- विश्व स्तर पर ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन (GHG) में ऊर्जा क्षेत्र का सबसे महत्त्वपूर्ण योगदान है, जो औद्योगीकरण की समान प्रवृत्ति को जारी रखे हुए है।
- मौजूदा स्थिति
  - 789 मिलियन लोगों तक बिजली की पहुँच नहीं है (वर्ष 2018)।
  - 2.8 बिलियन लोगों के पास स्वच्छ खाना पकाने की सुविधा नहीं है (वर्ष 2018)।
  - कुल अंतिम ऊर्जा खपत का 17% हिस्सा नवीकरणीय ऊर्जा से आता है (वर्ष 2017)।
  - 1.7% ऊर्जा दक्षता सुधार दर (वर्ष 2017)।

NTPC एनर्जी कॉम्पैक्ट लक्ष्य:

- इसने वर्ष 2032 तक 60 GW नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। इसका लक्ष्य 2032 तक शुद्ध ऊर्जा तीव्रता में 10% की कमी करना है।
- एनटीपीसी ने घोषणा की है कि वह वर्ष 2025 तक स्वच्छ ऊर्जा अनुसंधान की सुविधा और ऊर्जा मूल्य शृंखला में स्थिरता को बढ़ावा देने के लिये कम-से-कम 2 अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन/समूह बनाएगी।

यूएन-एनर्जी

- यूएन-एनर्जी की स्थापना 'यूएन सिस्टम चीफ एक्ज़ीक्यूटिव्स बोर्ड फॉर कोऑर्डिनेशन' (CEB) द्वारा 2004 में ऊर्जा के क्षेत्र में अंतर-एजेंसी सहयोग हेतु संयुक्त राष्ट्र के तंत्र के रूप में की गई थी।
- यह SDG7 और पेरिस जलवायु एजेंडा एवं व्यापक SDG एजेंडा के परस्पर संबंधित लक्ष्यों को प्राप्त करने में देशों का समर्थन करता है।

डिकेड ऑफ एक्शन

- सितंबर 2019 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने महत्त्वाकांक्षी, सार्वभौमिक और समावेशी 2030 एजेंडा के प्रयासों में तेज़ी लाकर सतत् विकास लक्ष्यों (SDGs) को पूरा करने के लिये वर्ष 2021-2030 को 'डिकेड ऑफ एक्शन' के रूप में घोषित किया था।

पायरोस्ट्रिया लालजी: अंडमान में नई प्रजाति

चर्चा में क्यों?

हाल ही में कॉफी फेमली (Coffee Family) के वर्ग से संबंधित एक नई प्रजाति पाइरोस्ट्रिया लालजी (Pyrostria laljii) अंडमान द्वीप समूह में खोजी गई है।

- रिविना अंडमानेंसिस (Rivina Andamanensis) नामक पोकेवीड (Pokeweed) की एक नई प्रजाति की भी खोज की गई।
- अंडमान और निकोबार (Andaman and Nicobar) 572 द्वीपों का समूह है जो भारत में पौधों की विविधता के मामले में समृद्ध और अद्वितीय स्थान है।

प्रमुख बिंदु

पाइरोस्ट्रिया लालजी के बारे में:

- भारत में जीनस पायरोस्ट्रिया का यह पहला पौधा रिकॉर्ड किया गया है जिसकी लंबाई 15 मीटर है।
  - जीनस पाइरोस्ट्रिया से संबंधित पौधे आमतौर पर मेडागास्कर में पाए जाते हैं लेकिन हाल ही में खोजी गई प्रजाति विज्ञान के लिये नई है।
  - भारत में जीनस पायरोस्ट्रिया नहीं पाया जाता है बल्कि रुबियासी फैमिली की कई प्रजातियाँ भारत में सामान्यत: पाई जाती हैं।
  - रुबियासी फैमिली के सिनकोना, कॉफी, एडिना, हैमेलिया, इक्सोरा, गैलियम, गार्डेनिया, मुसेंडा, रूबिया तथा मोरिंडा पौधों का उच्च आर्थिक मूल्य है।

- भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण द्वारा अंडमान और निकोबार क्षेत्रीय केंद्र के संयुक्त निदेशक लाल जी सिंह के नाम पर इस नई प्रजाति को पायरोस्ट्रिया लालजी नाम दिया गया है।
- पाइरोस्ट्रिया लालजी को अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (International Union for Conservation of Nature's-IUCN) की रेड लिस्ट में 'गंभीर संकटग्रस्त' (Critically Endangered) की सूची में शामिल किया गया है।

विशेषताएँ

- इसमें ट्रंक (Trunk) पर एक सफेद कोटिंग के साथ एक लंबा तना है और क्यूनेट बेस के साथ आयताकार-अंडाकार पत्तियाँ हैं।
- 8 से 12 फूलों के साथ एक छतरीदार पुष्पक्रम इस पेड़ की अन्य विशेषता है जो इसे अन्य प्रजातियों से अलग बनाता है।

  भारत में मौजूदगी
- इसकी सूचना सर्वप्रथम दक्षिण अंडमान के वंदूर जंगल से मिली थी। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के अन्य स्थान जहाँ पेड़ स्थित हो सकते हैं, वे हैं जरावा रिज़र्व फॉरेस्ट के पास तिरूर जंगल और चिड़िया टापू (मुंडा पहाड़) जंगल।

रिविना अंडमानेंसिस

- रिविना अंडमानेंसिस नामक पोकेवीड की एक और नई प्रजाति की भी खोज की गई। यह जड़ी-बूटियों तथा झाड़ीदार पौधों के साथ उगने वाले बड़े पेड़ों, छायांकित एवं चट्टानी क्षेत्रों में पाया गया।
  - पोकेवीड (फाइटोलैक्का अमेरिकाना), जिसे पोकेबेरी, पोक या अमेरिकन पोकेवीड भी कहा जाता है, एक तेज़ महक वाला पौधा है, जिसमें हॉर्सरैडिश जैसी एक ज़हरीली जड़ होती है।
  - यह मूलत: पूर्वी उत्तरी अमेरिका के गीले या रेतीले क्षेत्रों में पाया जाता है। इसमें शराब, कैंडी, कपड़ा और कागज को रंगने के लिये इस्तेमाल किया जाने वाला लाल रंग होता है।
- अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में पोकेवीड परिवार पेटीवेरियासी की इस नई प्रजाति की यह खोज द्वीपों की वनस्पति प्रणाली में एक और प्रजाति को जोड़ती है।

भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण

परिचय:

- यह देश के जंगली पौधों के संसाधनों पर टैक्सोनॉमिक और फ्लोरिस्टिक अध्ययन करने के लिये पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (MoEFCC) के तहत एक शीर्ष अनुसंधान संगठन है।
- इसकी स्थापना वर्ष 1890 में देश जंगली पौधों के संसाधनों की खोज एवं आर्थिक गुणों के साथ पौधों की प्रजातियों की पहचान करने के उद्देश्य से की गई थी।
- इसके नौ क्षेत्रीय वृत्त देश के विभिन्न क्षेत्रों में स्थित हैं। हालाँकि इसका मुख्यालय कोलकाता, पश्चिम बंगाल में स्थित है।

कार्य:

- सामान्य और संरक्षित क्षेत्रों में पादप विविधता की खोज, सूची व प्रलेखन, विशेष रूप से हॉटस्पॉट तथा नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र।
- राष्ट्रीय, राज्य और ज़िला फ्लोरा का प्रकाशन।
- संकटग्रस्त और लाल सूची वाली प्रजातियों की पहचान तथा संरक्षण की आवश्यकता वाले समृद्ध क्षेत्रों की प्रजातियाँ।
- वनस्पति उद्यानों में गंभीर रूप से संकटग्रस्त प्रजातियों का एक्स-सीटू संरक्षण।
- पौधों से जुड़े पारंपरिक ज्ञान (एथनो-बॉटनी) का सर्वेक्षण और प्रलेखन।
- भारतीय पौधों का राष्ट्रीय डेटाबेस विकसित करना, जिसमें हर्बेरियम और जीवित नमूने, वनस्पति चित्र आदि शामिल हैं।

नोट :

भूगोल एवं आपदा प्रबंधन

दक्षिण-पश्चिम मानसून

चर्चा में क्यों?

निर्धारित समय से दो दिन देरी से केरल तट पर पहुँचने के बाद दक्षिण पश्चिम मानसून दक्षिण प्रायद्वीपीय और मध्य भारत के कुछ क्षेत्रों में जल्दी पहुँच गया है।

प्रमुख बिंदु:

कारण:

- मई माह में बंगाल की खाड़ी में विकसित चक्रवात यास ने अंडमान सागर के ऊपर महत्त्वपूर्ण दक्षिण-पश्चिम मानसूनी पवनों को लाने में मदद की।
  - नियमानुसार दक्षिण अंडमान समुद्र पर अपने आगमन के लगभग दस दिन बाद मानसून सबसे पहले केरल में दस्तक देता है।
- केरल में देरी से प्रवेश के बाद इसकी गति में वृद्धि मुख्य रूप से अरब सागर से तेज़ पश्चिमी पवनों और बंगाल की उत्तरी खाड़ी के ऊपर एक कम दबाव प्रणाली के गठन के कारण हुई, जो वर्तमान में पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार पर स्थित है।
- महाराष्ट्र और केरल के बीच बनी एक अपतटीय द्रोणिका ने मानसून को कर्नाटक, गोवा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और दक्षिणी गुजरात में जल्दी पहुँचने में मदद की है।

आगे की स्थिति:

- उत्तर-पश्चिम भारत में मानसून तभी सक्रिय होता है जब मानसून की धाराएँ या तो अरब सागर से या बंगाल की खाड़ी से इस क्षेत्र में प्रवेश करती हैं। चूँकि इस घटना के जल्द घटित होने की संभावना नहीं है, अत: मानसून की प्रगति धीमी रहेगी।
- साथ ही मध्य अक्षांश की पश्चिमी पवनों की एक धारा उत्तर पश्चिमी भारत की ओर प्रवाहित हो रही है, जो आने वाले दिनों में मानसून की प्रगति में बाधा उत्पन्न करेगी।

समय पूर्व मानसून और वर्षा की मात्रा:

- किसी क्षेत्र में मानसून के आगमन के दौरान प्राप्त वर्षा की मात्रा या मानसून की प्रगति पर कोई सीधा प्रभाव नहीं पड़ता है।
- उदाहरण के लिये मानसून ने वर्ष 2014 में 42 दिन और वर्ष 2015 में 22 दिन में पूरे देश को कवर किया। इतनी अलग श्रेणियों के साथ भी भारत में दोनों वर्षों के दौरान कम वर्षा दर्ज की गई।

ग्रीष्म ऋतु में बोई जाने वाली फसलों पर प्रभाव:

- मध्य और उत्तरी भारत में मानसून के जल्दी आने से किसानों को धान, कपास, सोयाबीन और दलहन जैसी ग्रीष्म ऋतु में बोई जाने वाली फसलों की बुवाई में तेज़ी लाने में मदद मिलेगी और फसल की पैदावार भी बढ़ सकती है।

जलवायु परिवर्तन के संकेत:

- देश के विभिन्न हिस्सों में प्रत्येक वर्ष मानसून की शुरुआत समय से पहले या देर से हो सकती है। मानसून की जटिलता को देखते हुए इन बदलावों को आमतौर पर सामान्य माना जाता है।
- हालाँकि जलवायु विशेषज्ञों ने जलवायु परिवर्तन के संकेत के रूप में चार महीनों (जून-सितंबर) के दौरान कम समय के भीतर एक क्षेत्र में तीव्र वर्षा या लंबे समय तक शुष्क मौसम को चरम मौसमी घटनाओं को जोड़ा है।

भारत में मानसून:

संदर्भ:

- भारत की जलवायु को 'मानसून' प्रकार के रूप में वर्णित किया गया है। एशिया में इस प्रकार की जलवायु मुख्य रूप से दक्षिण और दक्षिण-पूर्व में पाई जाती है।
- भारत के कुल 4 मौसमी भागों में से मानसून 2 भागों में व्याप्त है, अर्थात्:
  - दक्षिण-पश्चिम मानसून का मौसम - दक्षिण-पश्चिम मानसून से प्राप्त वर्षा मौसमी है, जो जून और सितंबर के मध्य होती है।
  - मानसून का निवर्तन- अक्तूबर और नवंबर माह को मानसून की वापसी या मानसून का निवर्तन के लिये जाना जाता है।

दक्षिण-पश्चिम मानसून के गठन को प्रभावित करने वाले कारक:

- भूमि और जल के अलग-अलग तापमान के कारण भारत के भूभाग पर कम दाब बनता है जबकि आसपास की समुद्री सतह पर तुलनात्मक रूप से उच्च दाब का विकास होता है।
- ग्रीष्म ऋतु में गंगा के मैदान के ऊपर अंतः ऊष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र (Inter Tropical Convergence Zone-ITCZ) की स्थिति में बदलाव (यह विषुवत वृत्त पर स्थित एक निम्नदाब वाला क्षेत्र है। इसे कभी -कभी मानसूनी गर्त भी कहते हैं)।
- हिंद महासागर के ऊपर लगभग 20° दक्षिणी अक्षांश पर अर्थात् मेडागास्कर के पूर्व में उच्च दबाव वाले क्षेत्र की उपस्थिति पाई जाती है। इस उच्च दबाव वाले क्षेत्र की तीव्रता और स्थिति भारतीय मानसून को प्रभावित करती है।
- तिब्बत का पठार ग्रीष्मकाल के दौरान तीव्र रूप से गर्म हो जाता है, जिसके परिणामस्वरूप पवन की प्रबल ऊर्ध्वाधर धाराएँ पैदा होती हैं और तिब्बत के पठार की सतह पर निम्न दाब का निर्माण होता है।
- पश्चिमी जेट धारा का हिमालय के उत्तर की ओर विस्थापित होना और गर्मियों के दौरान भारतीय प्रायद्वीप पर उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम की उपस्थिति भी भारतीय मानसून को प्रभावित करती है।
- अल नीनो दक्षिणी दोलन (ENSO): आमतौर पर जब उष्णकटिबंधीय पूर्वी दक्षिण प्रशांत महासागर में उच्च दबाव का क्षेत्र बनता होता है तो उष्णकटिबंधीय पूर्वी हिंद महासागर में निम्न दबाव का विकास होता है। लेकिन कुछ वर्षों में दबाव की स्थिति में उलटफेर होता है और पूर्वी हिंद महासागर की तुलना में पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में दबाव कम होता है। दबाव की स्थिति में यह आवधिक परिवर्तन SO के रूप में जाना जाता है।

समुद्र जल स्तर में वृद्धि

चर्चा में क्यों?

हाल ही में एक अध्ययन में अनुमान लगाया गया है कि ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव के कारण लक्षद्वीप द्वीप समूह के आसपास समुद्र का स्तर बढ़ जाएगा।

- यह हवाई अड्डे और उन आवासीय क्षेत्रों को प्रभावित करेगा जो वर्तमान में समुद्र तट के काफी करीब हैं।
- भारत का सबसे छोटा केंद्रशासित प्रदेश लक्षद्वीप एक द्वीपसमूह है जिसमें 36 द्वीप हैं इसका क्षेत्रफल 32 वर्ग किमी. है।

प्रमुख बिंदु:

समुद्री जल स्तर में वृद्धि (SLR):

- SLR जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के कारण दुनिया के महासागरों के जल स्तर में हुई वृद्धि है, विशेष रूप से ग्लोबल वार्मिंग जो तीन प्राथमिक कारकों से प्रेरित है: तापीय विस्तार, ग्लेशियरों, ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका की बर्फ पिघलना।
- समुद्र स्तर को मुख्य रूप से ज्वार स्टेशनों और 'सैटेलाइट लेज़र अल्टीमीटर' का उपयोग करके मापा जाता है।

SLR के प्राथमिक कारक:

- ऊष्मीय विस्तार: जब पानी गर्म होता है, तो वह फैलता है। पिछले 25 वर्षों में समुद्र के स्तर में वृद्धि का लगभग आधा हिस्सा गर्म महासागरों के कारण है जो अपेक्षाकृत अधिक स्थान घेरते हैं।

- ग्लेशियरों का पिघलना: ग्लोबल वार्मिंग के परिणामस्वरूप उच्च तापमान के कारण पर्वतीय हिमनद गर्मियों में अधिक पिघलते हैं।
  - यह अपवाह और समुद्र के वाष्पीकरण के बीच असंतुलन पैदा करता है, जिससे समुद्र का स्तर बढ़ जाता है।
- ग्रीनलैंड और अंटार्कटिक बर्फ की चादरों को हानि: बढ़ी हुई गर्मी के कारण ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका को कवर करने वाली विशाल बर्फ की चादरें पर्वतीय ग्लेशियरों की तरह और अधिक तेज़ी से पिघल रही हैं तथा और समुद्र जल में भी तेज़ी सेवृद्धि हो रही है।

SLR की दर:

- वैश्विक स्वरूप: पिछली शताब्दी में वैश्विक समुद्र स्तर में वृद्धि हुई है और हाल के दशकों में इसकी दर में तेज़ी आई है। वर्ष 1880 और 2015 के बीच औसत वैश्विक समुद्र स्तर 8.9 इंच बढ़ा है। यह पिछले 2,700 वर्षों की तुलना में बहुत तेज़ है।
  - इसके अलावा 'इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज' (IPCC) ने वर्ष 2019 में 'द स्पेशल रिपोर्ट ऑन द ओशन एंड क्रायोस्फीयर इन ए चेंजिंग क्लाइमेट' जारी की, जिसमें महासागरों, ग्लेशियरों और भूमि तथा समुद्र में बर्फ के जमाव में होने वाले गंभीर परिवर्तनों को रेखांकित किया गया।
- क्षेत्रीय: यह दुनिया भर में एक समान नहीं है। उपप्रवाह, अपस्ट्रीम बाढ़ नियंत्रण, कटाव, क्षेत्रीय महासागरीय धाराओं, भूमि की ऊँचाई में भिन्नता और हिमयुग के हिमनदों के संकुचित भार के कारण क्षेत्रीय SLR वैश्विक एसएलआर से अधिक या कम हो सकता है।

SLR के परिणाम:

- तटीय बाढ़: विश्व स्तर पर विश्व के 10 सबसे बड़े शहरों में से आठ एक तट के पास हैं, जिनको तटीय बाढ़ से खतरा है।
- तटीय जैव विविधता का विनाश: SLR विनाशकारी क्षरण, आर्द्रभूमि बाढ़, जलभृत और नमक के साथ कृषि मिट्टी संदूषण और जैव विविधता आवास के विनाश का कारण बन सकता है।
- खतरनाक तूफानों में वृद्धि: समुद्र का ऊँचा स्तर अधिक खतरनाक तूफानों का कारण बन रहा है जिससे जान-माल का नुकसान हो रहा है।
- पार्श्व और अंतर्देशीय प्रवासन: निचले तटीय क्षेत्रों में बाढ़ लोगों को उच्च भूमि पर प्रवास करने के लिये मजबूर कर रही है जिससे विस्थापन हो रहा है और बदले में दुनिया भर में शरणार्थी संकट पैदा हो रहा है।
- बुनियादी ढाँचे पर प्रभाव: उच्च तटीय जल स्तर की संभावना से इंटरनेट की पहुँच जैसी बुनियादी सेवाओं को खतरा है।
- अंतर्देशीय जीवन के लिये खतरा: बढ़ता समुद्र जल स्तर नमक के साथ मिट्टी और भूजल को दूषित कर सकता है।
- पर्यटन और सैन्य तैयारी: तटीय क्षेत्रों में पर्यटन और सैन्य तैयारी भी एसएलआर में वृद्धि के कारण नकारात्मक रूप से प्रभावित होगी।

SLR से निपटने के लिये उठाए गए कदम:

- स्थानांतरण: कई तटीय शहरों ने पुनर्वास को एक शमन रणनीति के रूप में अपनाने की योजना बनाई है। उदाहरण के लिये किरिबाती द्वीप ने फिज़ी में स्थानांतरण की योजना बनाई है, जबकि इंडोनेशिया की राजधानी को जकार्ता से बोर्नियो स्थानांतरित किया जा रहा है।
- समुद्री दीवार का निर्माण: इंडोनेशिया की सरकार ने शहर को बाढ़ से बचाने के लिये वर्ष 2014 में एक विशाल समुद्री दीवार या "विशालकाय गरुड़" नामक एक तटीय विकास परियोजना शुरू की।
- बिल्डिंग एनक्लोज़र: शोधकर्ताओं ने उत्तरी यूरोपीय संलग्नक बाँध (NEED) का प्रस्ताव दिया है, जिसमें उत्तरी सागर के सभी 15 देशों को बढ़ते समुद्रों से बचाने के लिये शामिल किया गया है। फारस की खाड़ी, भूमध्य सागर, बाल्टिक सागर, आयरिश सागर और लाल सागर को भी ऐसे क्षेत्रों के रूप में पहचाना गया जो समान मेगा बाड़ों से लाभान्वित हो सकते हैं।
- पानी के प्रवाह संचालन हेतु वास्तुकला: डच सिटी रॉटरडैम ने अस्थायी तालाबों के साथ "वाटर स्क्वायर" जैसी बाधाओं, जल निकासी और नवीन वास्तुशिल्प सुविधाओं का निर्माण किया।

भारत की भेद्यता:

- भारत की 7,516 किलोमीटर लंबी तटरेखा में मुख्य भूमि पर 5,422 किलोमीटर और नौ राज्यों और चार केंद्र शासित प्रदेशों के द्वीपों पर 2,094 किलोमीटर की तटरेखा शामिल है।
- समुद्र तट व्यापार देश के कुल व्यापार का 90% हिस्सा है और यह 3,331 तटीय गाँवों और 1,382 द्वीपों तक फैला है।

भारत के प्रयास:

- तटीय विनियमन क्षेत्र:
  - समुद्र, खाड़ियों, नदियों और बैकवाटर के तटीय क्षेत्र जो उच्च ज्वार रेखा (HTL) से 500 मीटर तक के ज्वार से प्रभावित होते हैं और निम्न ज्वार रेखा (LTL) तथा उच्च ज्वार रेखा के बीच की भूमि को 1991 में तटीय विनियमन क्षेत्र (CRZ) घोषित किया गया था।
  - नवीनतम विनियमन ग्लोबल वार्मिंग के कारण बढ़ते समुद्र के स्तर को भी ध्यान में रखता है।
- जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना:
  - इसे वर्ष 2008 में जलवायु परिवर्तन पर प्रधानमंत्री परिषद द्वारा लॉन्च किया गया था।
  - इसका उद्देश्य जनता के प्रतिनिधियों, सरकार की विभिन्न एजेंसियों, वैज्ञानिकों, उद्योग और समुदायों के बीच जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न खतरे और इसका मुकाबला करने के कदमों के बारे में जागरूकता पैदा करना है।

आगे की राह:

- पेरिस समझौता ग्लोबल वार्मिंग और SLR को सीमित करने पर एक स्पष्ट दृष्टिकोण प्रदान करता है।
- इस दिशा में कुछ अन्य कदमों को भी शामिल किया जाएगा:
  - जीवाश्म ईंधन से सौर, वन ऊर्जा जैसे स्वच्छ विकल्पों को अपनाना।
  - उद्योगों पर कार्बन टैक्स लगाना और कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिये सब्सिडी देना।
  - मौजूदा ग्रीनहाउस गैसों को पकड़ने के लिये भू-इंजीनियरिंग और प्राकृतिक तरीकों जैसे पीटलैंड और आर्द्रभूमि क्षेत्रों को बहाल करना।
  - वनों की कटाई को कम करना।
  - जलवायु परिवर्तन पर अनुसंधान कार्यों को सब्सिडी देना।

ग्रीष्म संक्रांति: 21 जून

चर्चा में क्यों?

21 जून उत्तरी गोलार्द्ध में सबसे लंबा दिन होता है, तकनीकी रूप से इस दिन को ग्रीष्म अयनांत या संक्रांति (Summer Solstice) कहा जाता है। दिल्ली में यह दिन लगभग 14 घंटे का होता है।

- ग्रीष्म संक्रांति के दौरान उत्तरी गोलार्द्ध में एक विशिष्ट क्षेत्र द्वारा प्राप्त प्रकाश की मात्रा उस स्थान के अक्षांशीय स्थान पर निर्भर करती है।
- 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में भी मनाया जाता है।

प्रमुख बिंदु

'संक्रांति' शब्द का अर्थ:

- यह एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है "Stalled Sun" यानी "ठहरा हुआ सूर्य"। यह एक प्राकृतिक घटना है जो पृथ्वी के प्रत्येक गोलार्द्ध में वर्ष में दो बार होती है, एक बार ग्रीष्म ऋतु में और एक बार शीत ऋतु में।

ग्रीष्म संक्रांति के बारे में:

- यह उत्तरी गोलार्द्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है।
- इस दौरान उत्तरी गोलार्द्ध के देश सूर्य के सबसे निकट होते हैं और सूर्य कर्क रेखा (23.5° उत्तर) पर ऊपर की ओर चमकता है।
  - 23.5° के अक्षांशों पर कर्क और मकर रेखाएँ भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण में स्थित हैं।
  - 66.5° पर उत्तर और दक्षिण में आर्कटिक और अंटार्कटिक वृत्त हैं।
  - अक्षांश भूमध्य रेखा से किसी स्थान की दूरी का माप है।
- संक्रांति के दौरान पृथ्वी की धुरी जिसके चारों ओर ग्रह एक चक्कर पूरा करता है।

- आमतौर पर यह काल्पनिक धुरी ऊपर से नीचे तक पृथ्वी के मध्य से होकर गुज़रती है और हमेशा सूर्य के संबंध में 23.5 डिग्री झुकी होती है।
- आर्कटिक सर्कल में संक्रांति के दौरान सूर्य कभी अस्त नहीं होता है।

ऊर्जा की अधिक मात्रा:

- इस दिन सूर्य से प्राप्त ऊर्जा की अधिक मात्रा इसकी विशेषता है। नासा (राष्ट्रीय वैमानिकी एवं अंतरिक्ष प्रशासन) के अनुसार, इस दिन पृथ्वी को सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा की मात्रा भूमध्य रेखा की तुलना में उत्तरी ध्रुव पर 30% अधिक होती है।
- इस समय के दौरान उत्तरी गोलार्द्ध द्वारा सूर्य के प्रकाश की अधिकतम मात्रा आमतौर पर 20, 21 या 22 जून को प्राप्त होती है। इसके विपरीत दक्षिणी गोलार्द्ध में सबसे अधिक धूप 21, 22 या 23 दिसंबर को प्राप्त होती है, जब उत्तरी गोलार्द्ध में सबसे लंबी रातें या शीतकालीन संक्रांति होती है।

भौगोलिक कारण:

- दिनों की बदलती लंबाई के पीछे का कारण पृथ्वी का झुकाव है।
- पृथ्वी का घूर्णन अक्ष अपने कक्षीय तल से 23.5° के कोण पर झुका हुआ है। यह झुकाव पृथ्वी की परिक्रमा और कक्षा जैसे कारकों के साथ सूर्य के प्रकाश की अवधि में भिन्नता को दर्शाता है, जिसके कारण ग्रह के किसी भी स्थान पर दिनों की लंबाई अलग-अलग होती है।
  - उत्तरी गोलार्द्ध सूर्य की दिशा में झुका हुआ आधा वर्ष बिताता है, लंबे गर्मी के दिनों में सीधी धूप प्राप्त करता है।
- झुकाव पृथ्वी पर विभिन्न मौसमों के लिये भी ज़िम्मेदार है। इस घटना के कारण सूर्य की गति उत्तरी से दक्षिणी गोलार्द्ध की ओर होती है और इसके विपरीत यह वर्ष में मौसमी परिवर्तन लाता है।

विषुव

- वर्ष में दो बार विषुव ("बराबर रातें") के दौरान पृथ्वी की धुरी हमारे सूर्य की ओर नहीं होती है, बल्कि आने वाली किरणों के लंबवत होती है।
- इसका परिणाम सभी अक्षांशों पर "लगभग" समान मात्रा में दिन के उजाले और अंधेरे में होता है।
- वसंत विषुव (Spring Equinox) उत्तरी गोलार्द्ध में 20 या 21 मार्च को होता है। 22 या 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्द्ध में शरद ऋतु या पतझड़ विषुव होता है।

बैहेतन बाँध: दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जलविद्युत बाँध

चर्चा में क्यों?

हाल ही में चीन ने दुनिया के दूसरे सबसे बड़े जलविद्युत बाँध- बैहेतन बाँध का संचालन शुरू कर दिया है।

- चीन की यांग्त्ज़ी नदी पर स्थित 'थ्री गॉर्जेस डैम' दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रोपावर डैम है। इसने वर्ष 2003 में परिचालन शुरू किया था।

प्रमुख बिंदु

बाँध के विषय में

- यह जिंशा नदी पर है, जो कि यांग्त्ज़ी नदी (एशिया की सबसे लंबी नदी) की एक सहायक नदी है।
- इसे 16,000 मेगावाट की कुल स्थापित क्षमता के साथ बनाया गया है।
- यह अंततः एक दिन में इतनी बिजली पैदा करने में सक्षम होगा, जो तकरीबन 500000 लोगों की एक वर्ष की बिजली ज़रूरतों को पूरा करने के लिये पर्याप्त होगी।

चीन के लिये इसका महत्त्व

- यह अधिक जलविद्युत क्षमता का निर्माण करके जीवाश्म ईंधन की बढ़ती मांग को कम करने संबंधी चीन के प्रयासों का हिस्सा है।
  - इसका निर्माण ऐसे समय में किया गया है जब पर्यावरण संबंधी शिकायतों (जैसे कि खेतों में बाढ़ और नदियों की पारिस्थितिकी में व्यवधान, मछलियों एवं अन्य प्रजातियों के लिये खतरा आदि) के कारण अन्य देश बाँध निर्माण के पक्ष में नहीं हैं।

- चीन ने वर्ष 2020 में वर्ष 2060 तक कार्बन तटस्थता के लक्ष्य को प्राप्त करने की प्रतिज्ञा की थी, जिसने इस बाँध के निर्माण के निर्णय को लेकर चीन की तात्कालिकता को और बढ़ा दिया था।

चीन की अन्य आगामी परियोजनाएँ:

- तिब्बत के मेडोग काउंटी (Tibet's Medog County) में चीन द्वारा मेगा-डैम की योजना जो आकार में थ्री गॉर्जिज डैम (Three Gorges Dam) से भी विशाल है, के संबंध में विश्लेषकों का मानना है कि यह तिब्बती सांस्कृतिक विरासत के लिये एक खतरा है, साथ ही यह बीजिंग द्वारा भारत की जल आपूर्ति के एक बड़े हिस्से को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने का एक तरीका है।
  - इस योजना के तहत ब्रह्मपुत्र नदी (Brahmaputra River) के निचले हिस्से में एक बाँध का निर्माण किया जाना है।
  - ब्रह्मपुत्र विश्व की सबसे लंबी नदियों में से एक है।
  - ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में हिमालय से शुरू होकर अरुणाचल प्रदेश राज्य में भारत में प्रवेश करती है, फिर असम, बांग्लादेश से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है।
- चीन के मेकांग वाले क्षेत्र में बाँधों के प्रभाव ने इस आशंका को भी बढ़ा दिया है कि इनके निर्माण से उस निचले जलमार्ग में अपरिवर्तनीय क्षति हो रही है जो वियतनामी डेल्टा से होकर गुज़रता है तथा 60 मिलियन लोगों को पोषण/भोजन उपलब्ध कराता है।

चिंताएँ:

- कृषि:
  - एक विशाल बाँध (जैसे ब्रह्मपुत्र पर) नदी द्वारा लाई गई गाद को भारी मात्रा में रोक सकता है (सिल्टी मिट्टी अन्य प्रकार की मिट्टी की तुलना में अधिक उपजाऊ होती है और यह फसल उगाने के लिये अच्छी होती है)।
  - इससे नदी के निचले इलाकों में खेती प्रभावित हो सकती है।
- जल संसाधन:
  - भारत पूर्वोत्तर राज्यों जैसे असम में मानसून के दौरान बाढ़ का पानी छोड़े जाने को लेकर भी चिंतित है।
  - देशों के बीच गतिरोध के समय यह परिवर्तन चिंता का विषय है।
    - भारत और चीन के बीच वर्ष 2017 के डोकलाम सीमा (Doklam Border) गतिरोध के दौरान चीन ने अपने बाँधों से जल स्तर को रोक दिया था।
- पारिस्थितिक प्रभाव:
  - हिमालयी क्षेत्र में पारिस्थितिकी तंत्र पहले से ही गिरावट की स्थिति में है। जंगल और जीवों की कई प्रजातियाँ दुनिया के इस हिस्से के लिये स्थानिक हैं तथा उनमें से कुछ गंभीर रूप से संकटग्रस्त हैं। पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील इस क्षेत्र में इसके विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं।
  - बड़े पैमाने पर इंजीनियरिंग परियोजनाओं ने भी सैकड़ों-हज़ारों स्थानीय समुदायों को विस्थापित कर दिया है और पड़ोसी देशों के समक्ष चिंता की स्थिति पैदा कर दी है।

आगे की राह

- भारत ने चीन से यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया है कि अपस्ट्रीम क्षेत्रों में किसी भी गतिविधि से डाउनस्ट्रीम राज्यों के हितों को नुकसान न पहुँचे। इस बीच भारत चीनी बाँध के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिये अरुणाचल प्रदेश में दिबांग घाटी में 10 गीगावाट (GW) की जलविद्युत परियोजना बनाने पर विचार कर रहा है।
- हालाँकि बड़ा मुद्दा यह है कि एक नाजुक पहाड़ी परिदृश्य में बहुत अधिक जल-विद्युत विकास एक अच्छा विचार नहीं है।

सामाजिक न्याय

दिव्यांगता प्रारंभिक हस्तक्षेप केंद्र

चर्चा में क्यों?

हाल ही में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (Ministry of Social Justice and Empowerment) ने किसी जोखिम में रहने वाले या दिव्यांग बच्चों और शिशुओं को सहायता प्रदान करने के लिये देश भर में 14 क्रॉस-डिसेबिलिटी अर्ली इंटरवेंशन सेंटर लॉन्च (Cross-Disability Early Intervention Centres) किये हैं।

दिव्यांगता:

- दिव्यांगता एक व्यापक पद है, जिसमें असमर्थता, बाधित शारीरिक गतिविधियाँ और सामाजिक भागीदारी में असमर्थता शामिल हैं।
    - असमर्थता शारीरिक कार्य करने या संरचना में किसी समस्या से संबंधित है;
    - बाधित शारीरिक गतिविधियों का आशय किसी कार्य या क्रिया को निष्पादित करने में किसी व्यक्ति के समक्ष आने वाली कठिनाइयों से है;
    - सामाजिक भागीदारी में असमर्थता का अर्थ एक व्यक्ति द्वारा जीवन की विभिन्न परिस्थितियों में शामिल होने में अनुभव की जाने वाली समस्या से है।
- दिव्यांगजनों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन दिव्यांग व्यक्तियों के व्यापक वर्गीकरण को अपनाता है और पुष्टि करता है कि सभी प्रकार के दिव्यांग व्यक्तियों को सभी मानवाधिकारों तथा मौलिक स्वतंत्रता का लाभ मिलना चाहिये।
    - भारत ने इस कन्वेंशन की पुष्टि की है और 'दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016' को अधिनियमित किया है।

प्रमुख बिंदु:

संदर्भ:

- इन केंद्रों पर दिव्यांगता स्क्रीनिंग व पहचान, पुनर्वास, परामर्श, चिकित्सीय सेवाएँ, माता-पिता की काउंसलिंग और प्रशिक्षण के साथ-साथ सहकर्मी परामर्श आदि सेवाएँ प्रदान की जाएंगी।
- ये केंद्र स्कूल से संबंधित तैयारी पर भी ध्यान देंगे।

आवश्यकता:

- 2011 का जनगणना परिदृश्य:
    - 0-6 वर्ष के आयु वर्ग में 20 लाख से अधिक दिव्यांग बच्चे हैं, जो दृष्टिबाधित, श्रवण बाधित, चलन में अक्षमता आदि श्रेणियों से संबंधित हैं।
    - इसका अर्थ है कि इस आयु वर्ग के लगभग 7% बच्चे किसी-न-किसी रूप में दिव्यांगता से पीड़ित हैं।
- संख्या में अपेक्षित वृद्धि:
    - ऐसे बच्चों की संख्या में वृद्धि होने की संभावना है क्योंकि दिव्यांगजनों के अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार दिव्यांगों के प्रकारों की संख्या 7 से बढ़कर 21 हो गई है।
- 0-6 वर्ष एक महत्त्वपूर्ण चरण है:
    - प्रारंभिक बचपन (0-6 वर्ष) मस्तिष्क के विकास का सबसे महत्त्वपूर्ण चरण होता है। ऐसे शिशु और छोटे बच्चे जो किसी जोखिम में हैं या दिव्यांगता या जिनका विकास देरी से हुआ है, उनके परिवारों को उनके विकास, कल्याण तथा पारिवारिक एवं सामुदायिक जीवन में भागीदारी में मदद करने के लिये प्रारंभिक हस्तक्षेप विशेष सहायता और सेवाएँ प्रदान कर सकता है।
    - यह बेहतर भविष्य के साथ-साथ स्वतंत्र/कम आश्रित जीवन द्वारा आर्थिक बोझ को कम हो सकता है।

दिव्यांगों के लिये अन्य पहलें:

- दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016: दिव्यांगता के प्रकारों की संख्या में वृद्धि के अलावा, यह दिव्यांगजन के लिये सरकारी नौकरियों में 3% से 4% और उच्च शिक्षा संस्थानों में 3% से 5% तक आरक्षण सुनिश्चित करता है।
- सुगम्य भारत अभियान: यह दिव्यांगजनों (PwDs) के लिये बाधा रहित और सुखद/अनुकूल वातावरण तैयार करता है।
- ऑनलाइन मोड में अद्वितीय अक्षमता पहचान (Unique Disability ID- UDID) पोर्टल: इस परियोजना को राष्ट्रीय स्तर पर दिव्यांगजनों का डेटाबेस तैयार करने और प्रत्येक दिव्यांग (PwDs) को एक विशिष्ट अद्वितीय अक्षमता पहचान पत्र जारी करने के उद्देश्य से कार्यान्वित किया जा रहा है।
- दीनदयाल दिव्यांग पुनर्वास योजना: इस योजना के तहत NGOs को विशेष स्कूल, व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र, समुदाय-आधारित पुनर्वास, प्री-स्कूल और प्रारंभिक हस्तक्षेप जैसी विभिन्न सेवाएँ प्रदान करने के लिये वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
- सहायक यंत्रों/उपकरणों की खरीद/फिटिंग के लिये विकलांग व्यक्तियों हेतु सहायता योजना (ADIP): दिव्यांग व्यक्तियों को उनकी पहुँच के भीतर उपयुक्त, टिकाऊ, वैज्ञानिक रूप से निर्मित, आधुनिक, मानक सहायता और उपकरणों को खरीदने में उनकी सहायता करना है।
- दिव्यांग छात्रों के लिये राष्ट्रीय फैलोशिप: दिव्यांग छात्रों के लिये उच्च शिक्षा प्राप्त करने के अवसरों को बढ़ाने हेतु प्रतिवर्ष 200 फैलोशिप प्रदान की जाती है।
- सेरेब्रल पाल्सी, मानसिक मंदता और बहु-दिव्यांगता से पीड़ित व्यक्तियों के कल्याण के लिये राष्ट्रीय न्यास (National Trust) की योजनाएँ।

आगे की राह:

- विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में जोखिम वाले मामलों की पहचान करना एक महत्त्वपूर्ण पहलू है और उनके माता-पिता को समय पर आवश्यक सहायता एवं परामर्श प्रदान करना भी महत्त्वपूर्ण है।
- एक अनुसंधान के अनुसार, स्वस्थ विकास सुनिश्चित करने के लिये बच्चे के जीवन के शुरुआती 1000 दिन महत्त्वपूर्ण होते हैं, इसलिये कम उम्र में जोखिम के मामलों की पहचान करना बहुत महत्त्वपूर्ण है ताकि उचित उपायों के माध्यम से दिव्यांगता की गंभीरता को कम किया जा सके।

विश्व सिकल सेल दिवस, 2021

चर्चा में क्यों?

19 जून को जनजातीय मामलों के मंत्रालय (Ministry of Tribal Affairs- MOTA) ने विश्व सिकल सेल रोग (World Sickle Cell Disease- SCD) दिवस मनाने के लिये झारखंड और छत्तीसगढ़ के आदिवासी ज़िलों में SCD की स्क्रीनिंग एवं समय पर प्रबंधन को मज़बूत करने हेतु उन्मुक्त परियोजना के तहत मोबाइल वैन को हरी झंडी दिखाई।

- संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) ने आधिकारिक तौर पर 22 दिसंबर, 2008 को यह घोषणा की थी कि प्रत्येक वर्ष 19 जून को विश्व सिकल सेल दिवस के रूप में मनाया जाएगा।
- UNGA ने SCD को पहले आनुवंशिक रोगों में से एक के रूप में भी मान्यता दी है।

प्रमुख बिंदु:

सिकल सेल रोग:

- यह एक वंशानुगत रक्त संबंधी रोग है जो अफ्रीकी, अरब और भारतीय मूल के लोगों में सबसे अधिक प्रचलित है।
- यह विकारों का एक समूह है जो हीमोग्लोबिन को प्रभावित करता है। हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं का एक अणु है जो पूरे शरीर में कोशिकाओं को ऑक्सीजन की आपूर्ति करता है।
- इस रोग से पीड़ितों में हीमोग्लोबिन एस नामक असामान्य हीमोग्लोबिन अणु पाए जाते हैं, जो लाल रक्त कोशिकाओं को अर्धचंद्राकार आकार में विकृत कर सकते हैं।
  - ये रक्त के प्रवाह और ऑक्सीजन को शरीर के सभी हिस्सों तक पहुँचने से रोकते हैं।

लक्षण

- यह गंभीर दर्द पैदा कर सकता है, जिसे सिकल सेल क्राइसिस (Sickle Cell Crises) कहा जाता है।
- समय के साथ सिकल सेल रोग वाले लोगों के यकृत, गुर्दे, फेफड़े, हृदय और प्लीहा सहित अन्य अंगों को नुकसान पहुँच सकता है। इस विकार की जटिलताओं के कारण मृत्यु भी हो सकती है।

उपचार

- औषधि, रक्त आधान और कभी-कभी अस्थि-मज्जा प्रत्यारोपण इसका उपचार है।

संबंधित आँकड़े:

- अकेले भारत में SCD के लगभग 1,50,000 रोगी हैं और एशिया में लगभग 88 प्रतिशत मामले सिकल सेल एनीमिया (Sickle Cell Anemia- SCA) के हैं।
- भारत में यह रोग मुख्य रूप से पूर्वी गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिमी ओडिशा और उत्तरी तमिलनाडु तथा केरल में नीलगिरि पहाड़ियों के क्षेत्रों में व्याप्त है।
- यह रोग आदिवासी समुदायों (बच्चों सहित) के बीच फैल रहा है।
    - मंत्रालय के अनुसार, SCD महिलाओं और बच्चों को अधिक प्रभावित कर रहा है तथा SCD पीड़ित लगभग 20% आदिवासी बच्चों की दो वर्ष की आयु तक पहुँचने से पहले ही मृत्यु हो जाती है एवं 30% बच्चों की मृत्यु वयस्क होने से पहले ही हो जाती है।

चुनौतियाँ:

- जनजातीय आबादी के बीच सामाजिक कलंक और प्रसार (जहाँ SCD की देखभाल तक पहुँच सीमित है) आदि इस रोग से निपटने हेतु चुनौतियाँ हैं।
- स्कूल छूट जाना:
    - सिकल सेल रोग से पीड़ित बच्चों को प्राय: स्कूल छोड़ना पड़ जाता है।
- नीति संबंधी मुद्दे:
    - हीमोग्लोबिनोपैथी (Haemoglobinopathies) पर 2018 मसौदा नीति का विलंबित कार्यान्वयन।
        - इस नीति का उद्देश्य रोगियों को साक्ष्य-आधारित उपचार प्रदान करना और सिकल सेल एनीमिया नियंत्रण कार्यक्रम, स्क्रीनिंग तथा प्रसव पूर्व निदान जैसी पहलों के माध्यम से सिकल सेल रोग वाले नवजात बच्चों की संख्या कम करना है।

भारत की पहल:

- जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा पहल:
    - SCD सपोर्ट कॉर्नर- SCD सपोर्ट कॉर्नर की परिकल्पना भारत के जनजातीय क्षेत्रों में SCD से संबंधित सूचना के साथ वन स्टॉप पोर्टल के रूप में की गई। यह पोर्टल डैशबोर्ड, ऑनलाइन स्व-पंजीकरण सुविधा के माध्यम से प्रत्येक आगंतुक को वास्तविक समय डेटा तक पहुँच प्रदान करेगा और रोग तथा विभिन्न सरकारी पहलों के बारे में जानकारी के साथ एक ज्ञान भंडार के रूप में कार्य करेगा।
    - एक 'एक्शन रिसर्च' परियोजना जिसके तहत इस बीमारी से पीड़ित रोगी में जटिलताओं को कम करने के लिये योग पर निर्भर जीवन शैली को बढ़ावा दिया जाता है।
- विस्तारित स्क्रीनिंग:
    - छत्तीसगढ़ और गुजरात जैसे कुछ राज्यों ने अपने स्क्रीनिंग कार्यक्रमों को अस्पताल से लेकर स्कूल-आधारित स्क्रीनिंग तक विस्तारित कर दिया है।
    - इस तरह के स्क्रीनिंग प्रयासों और कार्यान्वयन रणनीतियों को अन्य राज्यों में लागू करने से रोग की व्यापकता का पता लगाने में मदद मिलेगी।
- दिव्यांगता प्रमाण पत्र:
    - सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने SCD रोगियों के लिये दिव्यांगता प्रमाण पत्र की वैधता 1 वर्ष से बढ़ाकर 3 वर्ष कर दी है।

2019 में दुनिया भर में आत्महत्या: WHO

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा "वर्ष 2019 में दुनिया भर में आत्महत्या" (Suicide worldwide in 2019) नामक शीर्षक से एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई।

- निराशा अथवा अवसाद के परिणामस्वरूप किसी व्यक्ति द्वारा मरने के इरादे से स्व-निर्देशित हानिकारक व्यवहार के कारण होने वाली मृत्यु को आत्महत्या कहा जाता है।

प्रमुख बिंदु

अधूरा लक्ष्य:

- संयुक्त राष्ट्र द्वारा अनिवार्य सतत् विकास लक्ष्यों (SDG) में वैश्विक आत्महत्या मृत्यु दर को एक तिहाई कम करना एक लक्ष्य है। लेकिन दुनिया इस लक्ष्य से अभी भी कोसों दूर है।
- SDG रोकथाम और उपचार के माध्यम से देशों से गैर-संचारी रोगों के कारण समय से पहले होने वाली मृत्यु दर को एक-तिहाई तक कम करने और मानसिक स्वास्थ्य एवं कल्याण को बढ़ावा देने का आह्वान किया गया।
- देशों से मादक द्रव्यों के सेवन और शराब के हानिकारक उपयोग सहित मादक द्रव्यों के सेवन की रोकथाम और उपचार को मज़बूती प्रदान करने हेतु भी प्रयास का आह्वान करते हैं। साथ ही वे सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज का भी आह्वान करते हैं, जो कि मानसिक स्वास्थ्य का हिस्सा है।
- रिपोर्ट में कहा गया है कि हालांकि कुछ देशों ने आत्महत्या की रोकथाम को अपने एजेंडे में सबसे ऊपर रखा है, फिर भी कई देश इसके प्रति प्रतिबद्ध नहीं हैं।
- वर्तमान में केवल 38 देशों में ही राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम रणनीति लागू है।

वर्ष 2019 में आत्महत्या की घटनाएँ:

- कोविड-19 महामारी ने वैश्विक स्तर पर मानसिक तनाव को बढ़ा दिया है। हालाँकि वर्ष 2019 में पहले से ही आत्महत्याओं की संख्या अत्यधिक देखी गई। वर्ष 2019 में लगभग 7,03,000 लोगों या 100 में से एक व्यक्ति की आत्महत्या से मृत्यु हो गई।
- वर्ष 2019 के लिये वैश्विक आयु-मानकीकृत आत्महत्या दर 9.0 प्रति 1,00,000 जनसंख्या थी।
- इनमें से कई युवा थे। आधे से अधिक वैश्विक आत्महत्याएँ (58%) 50 वर्ष की आयु से पहले हुईं। वर्ष 2019 में वैश्विक स्तर पर 15-29 आयु वर्ग के युवाओं में मृत्यु का चौथा प्रमुख कारण आत्महत्या थी।
- वर्ष 2019 में लगभग 77% वैश्विक आत्महत्याएँ निम्न और मध्यम आय वाले देशों में हुईं।

क्षेत्रीय डेटा:

- अफ्रीका, यूरोप और दक्षिण-पूर्व एशिया में आत्महत्या की दर वैश्विक औसत से अधिक दर्ज की गई।
- यह संख्या अफ्रीकी क्षेत्र (11.2) में सबसे अधिक थी, इसके बाद यूरोप (10.5) और दक्षिण-पूर्व एशिया (10.2) का स्थान था
- पिछले 20 वर्षों (2000-2019) में वैश्विक आत्महत्या दर में 36% की कमी आई थी।
- यह कमी पूर्वी भूमध्यसागरीय क्षेत्र में 17% से लेकर यूरोपीय क्षेत्र में 48% और पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में 49% तक थी।
- इसी अवधि के दौरान अमेरिकी क्षेत्र में आत्महत्या की दर में 17% की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई और यह एक अपवाद रहा है।

भारत में आत्महत्या:

- दक्षिण-पूर्व एशियाई क्षेत्र में भारत में आत्महत्या की दर सबसे अधिक है।
- राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार, भारत में वर्ष 2018 में आत्महत्या के कुल 1,34,516 मामले दर्ज किये गए।
- जबकि वर्ष 2017 में आत्महत्या की दर 9.9 थी, यह वर्ष 2018 में बढ़कर 10.2 हो गई।

आत्महत्याओं को कम करने के लिये डब्ल्यूएचओ दिशा-निर्देश:

- WHO ने वर्ष 2030 तक वैश्विक आत्महत्या मृत्यु दर को एक तिहाई तक कम करने में देशों की मदद करने के लिये नए LIVE LIFE दिशा-निर्देश प्रकाशित किये थे। ये हैं:
- अत्यधिक खतरनाक कीटनाशकों और आग्नेयास्त्रों जैसे आत्महत्या के साधनों तक पहुँच सीमित करना।
- आत्महत्या की ज़िम्मेदार रिपोर्टिंग पर मीडिया को शिक्षित करना।
- किशोरों में सामाजिक-भावनात्मक जीवन कौशल को बढ़ावा देना।
- आत्मघाती विचारों और व्यवहार से प्रभावित किसी व्यक्ति की प्रारंभिक पहचान, मूल्यांकन, प्रबंधन और अनुवर्ती कार्रवाई।
- इन्हें स्थिति विश्लेषण, बहु-क्षेत्रीय सहयोग, जागरूकता बढ़ाने हेतु क्षमता निर्माण, वित्तपोषण, निगरानी और मूल्यांकन जैसे मूलभूत स्तंभों के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है।

भारत में आत्महत्या के प्रयास को लेकर कानूनी स्थिति:

- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुसार, "किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा।" जबकि संविधान में जीवन या स्वतंत्रता का अधिकार शामिल है, इसमें 'मृत्यु का अधिकार' शामिल नहीं है।
- किसी के जीवन लेने के प्रयासों को जीवन के संवैधानिक अधिकार के दायरे में नहीं माना जाता है।
- भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 309 में कहा गया है कि जो कोई भी आत्महत्या करने का प्रयास करता है और इस तरह के अपराध को अंजाम देने के लिये कार्य करता है, उसे साधारण कारावास या जुर्माना या दोनों सज़ा से दंडित किया जा सकता है जिसे एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।
- यह ध्यान दिया जाना चाहिये कि आत्महत्या के लिये उकसाने हेतु दंड का प्रावधान IPC की धारा 306 के तहत किया गया है और एक बच्चे को आत्महत्या के लिये उकसाने है दंड का प्रावधान IPC की धारा 305 के अंतर्गत किया गया है।
- मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017 की धारा 115 (1) के अनुसार, भारतीय दंड संहिता की धारा 309 में सम्मिलित किसी भी प्रावधान के बावजूद कोई भी व्यक्ति जो आत्महत्या करने का प्रयास करेगा, उसके संबंध में तब तक, यह माना जाएगा कि वह गंभीर तनाव में जब तक कि यह अन्यथा साबित न हो, और साथ ही उसके विरुद्ध मुकदमा नहीं चलाया जाएगा और न ही उसे दंडित किया जाएगा।
- हालाँकि यह कानून केवल मानसिक बीमारी से पीड़ित लोगों पर लागू होता है। आत्महत्या के प्रयास के मामले में गंभीर तनाव का अनुमान है।

संबंधित भारतीय पहलें:

मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017

- किरण: सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने चिंता, तनाव, अवसाद, आत्महत्या के विचार और अन्य मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं का सामना कर रहे लोगों को सहायता प्रदान करने के लिये 24/7 टोल-फ्री हेल्पलाइन शुरू की है।
- मनोदर्पण पहल: यह आत्मानिर्भर भारत अभियान के तहत शिक्षा मंत्रालय की एक पहल है। इसका उद्देश्य कोविड -19 के समय में छात्रों, परिवार के सदस्यों और शिक्षकों को उनके मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण के लिये मनोसामाजिक सहायता प्रदान करना है।

दिव्यांग व्यक्तियों के लिये पदोन्नति में आरक्षण का अधिकार

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्वीकार किया है कि शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों को पदोन्नति में भी आरक्षण का अधिकार है।

- एक दिव्यांग व्यक्ति तब भी पदोन्नति के लिये आरक्षण का लाभ प्राप्त कर सकता है, जब उसे सामान्य वर्ग में भर्ती किया गया हो या अक्षमता की स्थिति रोज़गार प्राप्त करने के बाद उत्पन्न हुई हो।

प्रमुख बिंदु

मामले के विषय में

- यह मामला 'दिव्यांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995' के तहत प्रस्तुत एक दावे पर आधारित है।
  - इस अधिनियम को दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 के साथ प्रतिस्थापित किया गया है।
- केरल प्रशासनिक न्यायाधिकरण ने आवेदक की याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि सरकार द्वारा 1995 के अधिनियम की धारा 32 के तहत केरल राज्य में भर्ती के नियम, सामान्य नियम और इससे संबंधी आदेशों में पदोन्नति में किसी भी आरक्षण का प्रावधान नहीं किया गया है।
- केरल उच्च न्यायालय ने केरल प्रशासनिक न्यायाधिकरण के फैसले को रद्द कर दिया था।

निर्णय का महत्त्व

- वर्ष 1995 का अधिनियम पदोन्नति में आरक्षण के अधिकार को मान्यता देता है।
- वर्ष 1995 के अधिनियम की धारा 32 के अनुसार, आरक्षण के लिये पदों की पहचान नियुक्ति हेतु एक पूर्वापेक्षा है; लेकिन पदों की पहचान करने से इनकार करके नियुक्ति के लिये मना नहीं किया जा सकता है।
- भर्ती नियमों में आरक्षण के प्रावधान की अनुपस्थिति किसी दिव्यांग व्यक्ति के अधिकार को समाप्त नहीं करती है, क्योंकि दिव्यांग व्यक्ति को यह अधिकार कानून से प्राप्त होता है।
- दिव्यांग व्यक्ति (PwD) को पदोन्नति के लिये आरक्षण दिया जा सकता है, भले ही वह व्यक्ति मूल रूप से PwD कोटे में नियुक्त न हुआ हो।
- इसके अलावा दिव्यांग व्यक्तियों को समान अवसर प्रदान करने का दायित्त्व भर्ती के समय उन्हें आरक्षण देने के साथ समाप्त नहीं होता है।
- विधायी जनादेश दिव्यांग व्यक्तियों को पदोन्नति समेत संपूर्ण कॅरियर में प्रगति के लिये समान अवसर प्रदान करता है।
  - इस प्रकार यदि दिव्यांग व्यक्तियों को पदोन्नति से वंचित किया जाता है और यदि ऐसा आरक्षण सेवा में शामिल होने के प्रारंभिक चरण तक ही सीमित है तो यह विधायी जनादेश की उपेक्षा होगी ।
  - यदि आरक्षण की व्यवस्था नहीं की जाती है तो इसके परिणामस्वरूप दिव्यांग व्यक्ति एक निश्चित पद तक सीमित हो जाएंगे और उनमें मानसिक तनाव बढ़ेगा।

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016

- यह अधिनियम 'विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय' (United National Convention on the Rights of Persons with Disabilities- UNCRPD) के दायित्वों को पूरा करता है, जिस पर भारत ने भी हस्ताक्षर किये हैं।
- इस अधिनियम में विकलांगता को एक विकसित और गतिशील अवधारणा के आधार पर परिभाषित किया गया है:
  - अपंगता के मौजूदा प्रकारों को 7 से बढ़ाकर 21 कर दिया गया है।
  - इस अधिनियम में मानसिक बीमारी, ऑटिज़्म, स्पेक्ट्रम विकार, सेरेब्रल पाल्सी, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, पुरानी न्यूरोलॉजिकल स्थितियाँ, बोलने और भाषा की विकलांगता, थैलेसीमिया, हीमोफिलिया, सिकल सेल रोग, बहरापर, अंधापन, एसिड अटैक से पीड़ित व्यक्ति तथा पार्किंसंस रोग सहित कई विकलांगताएँ शामिल हैं, जिन्हें पूर्व अधिनियम में काफी हद तक नज़रअंदाज कर दिया गया था।
  - इसके अलावा सरकार को किसी विशेष प्रकार की विकलांगता को अन्य श्रेणी में अधिसूचित करने का अधिकार दिया गया है।
- यह अधिनियम दिव्यांग लोगों हेतु सरकारी नौकरियों में आरक्षण की सीमा को 3%-4% और उच्च शिक्षा संस्थानों में 3%-5% तक बढ़ाता है।
- इस अधिनियम में बेंचमार्क विकलांगता (Benchmark-Disability) से पीड़ित 6 से 18 वर्ष तक के बच्चों के लिये नि:शुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई है।
  - सरकारी वित्तपोषित शैक्षिक संस्थानों और सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों को दिव्यांग बच्चों को समावेशी शिक्षा प्रदान करनी होगी।

नोट :

- सुगम्य भारत अभियान (Accessible India Campaign) को मज़बूती प्रदान करने एवं निर्धारित समय-सीमा में सार्वजनिक इमारतों (सरकारी और निजी दोनों) में दिव्यांगजनों की पहुँच सुनिश्चित करने पर बल दिया गया है।
- दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों के लिये मुख्य आयुक्त और राज्य आयुक्त नियामक निकायों के रूप में कार्य करेंगे तथा शिकायत निवारण एजेंसियाँ, अधिनियम के कार्यान्वयन की निगरानी करेंगी।
- दिव्यांगजनों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिये 'राष्ट्रीय और राज्य निधि' (National and State Fund) का निर्माण किया जाएगा।

भारत में दिव्यांगजनों हेतु संवैधानिक ढाँचा:

- राज्य के नीति निदेशक तत्त्वों (DPSP) के अनुच्छेद 41 में कहा गया है कि राज्य अपनी आर्थिक क्षमता एवं विकास की सीमा के भीतर काम, शिक्षा और बेरोज़गारी, वृद्धावस्था, बीमारी तथा अक्षमता के मामलों में सार्वजनिक सहायता के अधिकार को सुरक्षित करने हेतु प्रभावी प्रावधान करेगा।
- राज्य का विषय: विकलांगों और बेरोज़गारों को राहत' (Relief Of The Disabled and Unemployable') का विषय संविधान की सातवीं अनुसूची की राज्य सूची में निर्दिष्ट है।

प्रवासी कामगारों के लिये ONORC प्रणाली पर सर्वोच्च न्यायालय का फैसला

चर्चा में क्यों?

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों (UT) को 31 जुलाई, 2021 तक वन नेशन-वन राशन कार्ड (ONORC) प्रणाली को लागू करने का निर्देश दिया।

- यह योजना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत आने वाले प्रवासी मज़दूरों को देश के किसी भी हिस्से में अपने राशन कार्ड से किसी भी उचित मूल्य की दुकान से राशन प्राप्त करने की अनुमति देती है।

प्रमुख बिंदु

- भोजन का अधिकार :
  - संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के मौलिक अधिकार की व्याख्या मानवीय गरिमा के साथ जीने का अधिकार, भोजन का अधिकार और अन्य बुनियादी आवश्यकताओं को शामिल करने के लिये की जा सकती है।
- प्रवासियों का महत्त्व :
  - असंगठित क्षेत्रों (राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) 2017-2018 के आँकड़े के अनुसार) में लगभग 38 करोड़ कर्मचारी कार्यरत हैं।
  - इन असंगठित श्रमिकों के पास रोज़गार का कोई स्थायी स्रोत नहीं था और वे अपने घर से दूर विभिन्न स्थानों पर छोटी अवधि के व्यवसायों में लगे हुए थे।
  - विभिन्न परियोजनाओं, उद्योगों में लगे इन मज़दूरों का योगदान देश के आर्थिक विकास में काफी वृद्धि करता है।
- डेटाबेस:
  - प्रवासी श्रमिकों के पंजीकरण और पहचान हेतु 45.39 करोड़ रुपए के लागत वाले असंगठित श्रमिकों के राष्ट्रीय डेटाबेस (NDUW) पोर्टल का काम पूरा नहीं होने पर श्रम मंत्रालय की आलोचना की गई।
    - कोर्ट ने मंत्रालय को 2018 में NDUW मॉड्यूल को अंतिम रूप देने का आदेश दिया था।
  - राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के अंतर-राज्य प्रवासी कामगार (रोज़गार और सेवा की शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1979 के तहत सभी प्रतिष्ठानों और लाइसेंस ठेकेदारों को पंजीकृत करने तथा यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि वे अधिकारियों को उनके साथ कार्यरत श्रमिकों का पूरा विवरण प्रदान करें।

- NFSA के तहत लाभार्थियों का पुनर्निर्धारण:
  - केंद्र सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 की धारा 9 के तहत राज्य के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के तहत कवर किये जाने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या को फिर से निर्धारित करने के लिये प्रयास कर सकती है।

'वन नेशन-वन राशन कार्ड' प्रणाली

पृष्ठभूमि

- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA), 2013 के तहत लगभग 81 करोड़ लाभार्थी किसी भी उचित मूल्य की दुकान (FPS) से सब्सिडी वाले खाद्यान्न प्राप्त करने के हकदार हैं, जिसमें 3 रुपए किलो चावल, 2 रुपए किलो गेहूँ और 1 रुपए किलो मोटा अनाज शामिल है।
- हालाँकि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लाभार्थी अपने PDS (सार्वजनिक वितरण प्रणाली) के लाभों को कसी विशिष्ट उचित मूल्य की दुकान के अधिकार क्षेत्र से बाहर ले जाने में सक्षम नहीं थे।
- 'वन नेशन-वन राशन कार्ड' प्रणाली की शुरुआत करने का उद्देश्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार करना है, जो ऐतिहासिक रूप से किसी विशिष्ट अधिकार क्षेत्र से बाहर लाभ प्रदान करने में सक्षम रही है।

लॉन्च

- 'वन नेशन-वन राशन कार्ड' प्रणाली को अगस्त 2019 में लॉन्च किया गया था।

उद्देश्य

- 'वन नेशन-वन राशन कार्ड' योजना का उद्देश्य प्रवासी श्रमिकों और उनके परिवार के सदस्यों को NFSA के तहत देश में किसी भी उचित मूल्य की दुकान से रियायती राशन खरीदने में सक्षम बनाना है।
- सार्वजनिक वितरण प्रणाली में इस सुधार को बढ़ावा देने के लिये केंद्र सरकार ने राज्यों को प्रोत्साहन प्रदान किया है और इसे बीते वर्ष कोविड-19 महामारी के दौरान राज्यों द्वारा अतिरिक्त उधार लेने के लिये एक पूर्व शर्त के रूप में भी प्रस्तुत किया गया था।

प्रौद्योगिकी का उपयोग:

- 'वन नेशन-वन राशन कार्ड' योजना ऐसी तकनीक पर आधारित है जिसमें लाभार्थियों के राशन कार्ड, आधार संख्या और इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल (ePoS) का विवरण शामिल है। यह प्रणाली उचित मूल्य की दुकानों पर ePoS उपकरणों पर बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के माध्यम से लाभार्थी की पहचान करती है।
- यह प्रणाली दो पोर्टलों के समर्थन से चलती है- 'सार्वजनिक वितरण प्रणाली का एकीकृत प्रबंधन' (IM-PDS) पोर्टल और 'अन्न वितरण' पोर्टल।
  - यद्यपि 'अन्न वितरण' पोर्टल राज्य के भीतर यानी इंटर-डिस्ट्रिक्ट और इंट्रा-डिस्ट्रिक्ट लेनदेन का रिकॉर्ड रखता है, जबकि 'सार्वजनिक वितरण प्रणाली का एकीकृत प्रबंधन' पोर्टल अंतर-राज्यीय लेनदेन को रिकॉर्ड करता है।

ONORC कवरेज:

- अब तक 32 राज्य और केंद्रशासित प्रदेश ONORC में शामिल हो चुके हैं, जिसमें लगभग 69 करोड़ NFSA लाभार्थियों को शामिल किया गया है।
- चार राज्यों- असम, छत्तीसगढ़, दिल्ली और पश्चिम बंगाल को अभी इस योजना में शामिल करना शेष हैं।
- जबकि 32 राज्यों में अंतर-राज्यीय राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी (Inter-State Ration Card Portability) की सुविधा उपलब्ध है, ऐसे लेनदेन की संख्या अंतर-ज़िला (Intra-District) और इंट्रा-डिस्ट्रिक्ट (Inter-District) लेनदेन की तुलना में बहुत कम है।

नोट :

लाभ:

- ONORC के तहत एक राज्य के लाभार्थी अपने हिस्से का राशन दूसरे राज्यों में प्राप्त कर सकते हैं जहाँ मूल रूप से राशन कार्ड जारी किया गया था।
- ONORC लाभार्थियों को अपनी पसंद के डीलर को चुनने का अवसर भी देगा।
- यह महिलाओं और अन्य वंचित समूहों के लिये विशेष रूप से फायदेमंद साबित होगा, यह देखते हुए कि कैसे सामाजिक पहचान (जाति, वर्ग और लिंग) तथा अन्य प्रासंगिक कारक (शक्ति संबंधों सहित) PDS तक पहुँचने में एक मज़बूत पृष्ठभूमि प्रदान करते हैं।
- इससे सतत् विकास लक्ष्य-2 (वर्ष 2030 तक भूख खत्म करना) के तहत निर्धारित लक्ष्य को हासिल करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा यह भारत में भूख की खराब स्थिति को भी चिह्नित करेगा जैसा कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स (Global Hunger Index) में दिखाया गया है, जिसमें भारत को 107 देशों में 94वाँ स्थान दिया गया है।

दृष्टि The Vision

कला एवं संस्कृति

तुलू भाषा

चर्चा में क्यों ?

मुख्य रूप से कर्नाटक और केरल में तुलू भाषी लोगों ने सरकार से इसे आधिकारिक भाषा का दर्ज़ा देने और संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने का अनुरोध किया है।

- वर्ष 2020 में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (National Education Policy- NEP) में तुलू को शामिल करने की मांग उठी थी।

किसी राज्य की राजभाषा या भाषाएँ

- भारतीय संविधान का भाग XVII अनुच्छेद 343 से 351 में राजभाषा से संबंधित है।
- संविधान का अनुच्छेद 345 कहता है कि "राज्य का विधानमंडल कानून द्वारा राज्य में उपयोग की जाने वाली किसी एक या अधिक भाषाओं को या हिंदी को उस राज्य के सभी या किसी भी आधिकारिक उद्देश्य के लिये उपयोग की जाने वाली भाषा के रूप में अपना सकता है"

संविधान की आठवीं अनुसूची

- आठवीं अनुसूची से संबंधित संवैधानिक प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 344 (1) और 351 में हैं।
- आठवीं अनुसूची के तहत सूचीबद्ध भाषाएँ हैं:
  - (1) असमिया (2) बांग्ला (3) गुजराती (4) हिंदी (5) कन्नड़ (6) कश्मीरी (7) कोंकणी (8) मलयालम (9) मणिपुरी (10) मराठी (11) नेपाली (12) उड़िया (13) पंजाबी (14) संस्कृत (15) सिंधी (16) तमिल (17) तेलुगु (18) उर्दू (19) बोडो (20) संथाली (21) मैथिली और (22) डोगरी।
- भाषाओं को संवैधानिक संशोधनों के माध्यम से जोड़ा जाता है।

प्रमुख बिंदु

'तुलू' भाषा के बारे में:

- तुलू (Tulu) एक द्रविड़ भाषा है, जिसे बोलने-समझने वाले लोग मुख्यतया कर्नाटक के दो तटीय ज़िलों और केरल के कासरागोड ज़िले में रहते हैं।
  - दक्षिण भारत के केरल और कर्नाटक राज्यों के तुलू बाहुल्य क्षेत्र को तुलूनाडू नाम से भी जाना जाता है। तुलूनाडू को अलग राज्य का दर्ज़ा देने की मांग की जा रही है।
- जनगणना 2011 के अनुसार, तुलू भाषी (तुलू भाषा बोलने वाले) स्थानीय लोगों की संख्या लगभग 18,46,427 थी।
- तुलू में सबसे पुराने उपलब्ध शिलालेख 14वीं से 15वीं शताब्दी ईस्वी के बीच के हैं।
- कुछ वर्ष पहले कर्नाटक सरकार द्वारा तुलू को स्कूल में एक भाषा के रूप में पेश किया गया था।

तुलू भाषा की कला और संस्कृति:

- तुलू में लोकगीत रूपों जैसे- पद्दना (Paddana) और पारंपरिक लोक रंगमंच यक्षगान के साथ एक समृद्ध मौखिक साहित्य परंपरा है।
- तुलू में सिनेमा की एक सक्रिय परंपरा भी है, जिसमें प्रतिवर्ष लगभग 5 से 7 फिल्में तुलु भाषा में बनती हैं।

मान्यता का मामला:

- संविधान का अनुच्छेद 29: यह "अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण" से संबंधित है। इसमें कहा गया है कि भारत के राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के निवासी नागरिकों के किसी अनुभाग, जिसकी अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति है, को बनाए रखने का अधिकार होगा।

- युलु उद्घोषणा:
  - युलु उद्घोषणा (Yuelu Proclamation) को यूनेस्को (संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन) द्वारा 2018 में सेंट्रल चीन के हुनान प्रांत के चांग्शा में भाषा संसाधन संरक्षण पर पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में अपनाया गया था।
  - यह अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, राज्यों, सरकारों और गैर-सरकारी संगठनों से विश्व में भाषायी विविधता के संरक्षण और संवर्द्धन पर आम सहमति पर पहुँचने का आह्वान करता है।
- आठवीं अनुसूची के तहत मान्यता के लाभ:
  - साहित्य अकादमी से मान्यता।
  - साहित्य अकादमी को भारत की राष्ट्रीय पत्र अकादमी भी कहा जाता है, जो विभिन्न भारतीय भाषाओं में निहित साहित्य को संरक्षित करती है और उन्हें बढ़ावा देती है।
  - तुलू साहित्यिक कृतियों का अन्य भाषाओं में अनुवाद।
  - संसद सदस्य (Members of Parliament- MP) और विधानसभा के सदस्य (Members of the Legislative Assembly- MLA) क्रमश: संसद और राज्य विधानसभाओं में तुलु बोल सकते हैं।
  - सिविल सेवा परीक्षा जैसी अखिल भारतीय प्रतियोगी परीक्षाओं में तुलू में परीक्षा देने का विकल्प।
  - केंद्र सरकार की ओर से विशेष फंड।
  - प्राथमिक और हाईस्कूल में तुलू का अध्यापन।

हुमायूँ का मकबरा: मुगल वास्तुकला

चर्चा में क्यों?

भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण (Archaeological Survey of India-ASI) ने अधिसूचित किया कि हुमायूँ के मकबरे सहित देश भर के सभी केंद्रीय रूप से संरक्षित स्मारक, स्थल और संग्रहालय 16 जून, 2021 से आगंतुकों के लिये खोल दिये हैं।

- दिल्ली स्थित हुमायूँ का मकबरा महान मुगल वास्तुकला का बेहतरीन नमूना है।
- संस्कृति मंत्रालय के तहत कार्यरत ASI, पुरातातात्त्विक अनुसंधान और राष्ट्र की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिये प्रमुख संगठन है।

प्रमुख बिंदु:

हुमायूँ का मकबरा:

- संदर्भ:
  - इस मकबरे का निर्माण वर्ष 1570 में हुआ था। यह मकबरा विशेष सांस्कृतिक महत्त्व का है क्योंकि यह भारतीय उपमहाद्वीप का पहला उद्यान-मकबरा था।
    - इसकी अनोखी सुंदरता को अनेक प्रमुख वास्तुकलात्मक नवाचारों से प्रेरित कहा जा सकता है, जो एक अतुलनीय ताजमहल के निर्माण में प्रवर्तित हुआ।
  - इसका निर्माण हुमायूँ के पुत्र महान सम्राट अकबर के संरक्षण में किया गया था।
  - इसे 'मुगलों का शयनागार' भी कहा जाता है क्योंकि इसके कक्षों में 150 से अधिक मुगल परिवार के सदस्य दबे हुए हैं।
  - हुमायूँ का मकबरा चारबाग (कुरान के स्वर्ग की चार नदियों के साथ चार चतुर्भुज उद्यान) का एक उदाहरण है, जिसमें चैनल शामिल हैं।
  - संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) ने वर्ष 1993 में इसे विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी।

मुगल वास्तुकला:

- संदर्भ:
  - यह एक इमारत शैली है जो 16वीं सदी के मध्य से 17वीं सदी के अंत तक मुगल सम्राटों के संरक्षण में उत्तरी और मध्य भारत में फली-फूली।
  - मुगल काल ने उत्तरी भारत में इस्लामी वास्तुकला के एक महत्त्वपूर्ण पुनरुद्धार को चिह्नित किया। मुगल बादशाहों के संरक्षण में फारसी, भारतीय और विभिन्न प्रांतीय शैलियों को गुणवत्ता और शोधन कार्यों के लिये संरक्षण दिया गया था।
  - यह विशेष रूप से उत्तर भारत में इतना व्यापक हो गई कि इसे इंडो-सरसेनिक शैली के औपनिवेशिक वास्तुकला में भी देखा जा सकता है।
- महत्त्वपूर्ण विशेषताएँ:
  - मिश्रित वास्तुकला: यह भारतीय, फारसी और तुर्की स्थापत्य शैली का मिश्रण था।
  - विविधता: विभिन्न प्रकार की इमारतें, जैसे- राजसी द्वार (प्रवेश द्वार), किले, मकबरे, महल, मस्जिद, सराय आदि इसकी विविधता थी।
  - भवन निर्माण सामग्री: इस शैली में अधिकतर लाल बलुआ पत्थर और सफेद संगमरमर का प्रयोग किया जाता था।
  - विशेषता: इस शैली में विशिष्ट विशेषताएँ हैं जैसे- मकबरे की चारबाग शैली, स्पष्ट बल्बनुमा गुंबद, कोनों पर पतले बुर्ज, चौड़े प्रवेश द्वार, सुंदर सुलेख, अरबी और स्तंभों तथा दीवारों पर ज्यामितीय पैटर्न एवं स्तंभों पर समर्थित महल हॉल आदि थी।
    - मेहराब, छतरी और विभिन्न प्रकार के गुंबद भारत-इस्लामी वास्तुकला में बेहद लोकप्रिय हो गए तथा मुगलों के शासन के तहत इसे और विकसित किया गया।
- उदाहरण:
  - ताजमहल:
    - शाहजहाँ ने अपनी पत्नी मुमताज़ महल की याद में वर्ष 1632-1653 के बीच इसका निर्माण कराया था।
    - यूनेस्को ने वर्ष 1983 में ताजमहल को विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी। यह आगरा में स्थित है।
  - लाल किला:
    - वर्ष 1618 में शाहजहाँ ने इसका निर्माण तब कराया जब उसने राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित करने का फैसला किया। यह मुगल शासकों का निवास स्थान था।
    - यूनेस्को ने इसे वर्ष 2007 में विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित किया था।
  - जामा मस्जिद:
    - इसका निर्माण दिल्ली में शाहजहाँ द्वारा किया गया था। इसका निर्माण कार्य वर्ष 1656 में पूरा हुआ था।
  - बादशाही मस्जिद:
    - इसका निर्माण औरंगज़ेब के शासनकाल के दौरान हुआ। वर्ष 1673 मेंइसके पूरा होने के समय यह विश्व की सबसे बड़ी मस्जिद थी। यह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की राजधानी लाहौर में स्थित है।

राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर: लोथल

चर्चा में क्यों ?

संस्कृति मंत्रालय (MoC) और पत्तन, पोत परिवहन ईवा जलमार्ग मंत्रालय (MoPSW) ने गुजरात के लोथल में 'राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर' (NMHC) के विकास में सहयोग हेतु एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किये हैं।

प्रमुख बिंदु

राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर

- 'राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर' (NMHC) गुजरात के लोथल क्षेत्र में विकसित किया जाएगा।

- इसे एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा, जहाँ प्राचीन से लेकर आधुनिक काल तक की भारत की समुद्री विरासत को प्रदर्शित किया जाएगा।
  - इस परिसर को मनोरंजन के साथ-साथ शिक्षा प्रदान करने के दृष्टिकोण से विकसित किया जाएगा।
- इस परिसर को लगभग 400 एकड़ के क्षेत्र में विकसित किया जाएगा, जिसमें राष्ट्रीय समुद्री विरासत संग्रहालय, लाइट हाउस संग्रहालय, विरासत थीम पार्क, संग्रहालय थीम वाले होटल, समुद्री थीम वाले इको-रिसॉर्ट्स और समुद्री संस्थान जैसी विभिन्न अनूठी संरचनाएँ शामिल होंगी।
- इस परिसर में कई मंडप भी शामिल होंगे, जहाँ भारत के विभिन्न तटीय राज्य और केंद्रशासित प्रदेश की कलाकृतियों और समुद्री विरासत को प्रदर्शित किया जाएगा।
- इस परिसर की सबसे महत्त्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसे गुजरात के लोथल शहर में स्थापित किया जा रहा है, जो कि प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख शहरों में से एक है।

लोथल के विषय में

- लोथल गुजरात में स्थित प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे दक्षिणी शहरों में से एक था।
- इस शहर का निर्माण लगभग 2400 ईसा पूर्व में शुरू हुआ था।
- भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण (ASI) की मानें तो लोथल में दुनिया का सबसे पुराना ज्ञात डॉक था, जो लोथल शहर को सिंध के हड़प्पा शहरों और सौराष्ट्र प्रायद्वीप के बीच व्यापार मार्ग पर साबरमती नदी के एक प्राचीन मार्ग से जोड़ता था।
- प्राचीन काल में लोथल एक महत्त्वपूर्ण एवं संपन्न व्यापार केंद्र था, जिसके मोतियों, रत्नों और बहुमूल्य गहनों का व्यापार पश्चिम एशिया और अफ्रीका के सुदूर क्षेत्रों तक विस्तृत था।
  - मनके बनाने और धातु विज्ञान में इस शहर के लोगों ने जिन तकनीकों और उपकरणों का प्रयोग किया वे वर्षों बाद आज भी प्रयोग की जा रही हैं।
- लोथल स्थल को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित किया गया है और यूनेस्को की अस्थायी सूची में इसका आवेदन अभी भी लंबित है।

सिंधु घाटी सभ्यता

- हड़प्पा सभ्यता के रूप में प्रचलित सिंधु घाटी सभ्यता लगभग 2,500 ईसा पूर्व दक्षिण एशिया के पश्चिमी भाग में समकालीन पाकिस्तान और पश्चिमी भारत में विकसित हुई थी।
- सिंधु घाटी सभ्यता चार प्राचीनतम सबसे बड़ी शहरी सभ्यताओं में से एक थी, अन्य शहरी सभ्यताओं में मेसोपोटामिया, मिस्र और चीन शामिल हैं।
- यह मूल रूप से एक शहरी सभ्यता थी, जहाँ लोग सुनियोजित और बेहतर तरह से निर्मित कस्बों में रहते थे, जो व्यापार के केंद्र भी थे।
  - यहाँ चौड़ी सड़कें और बेहतर तरीके से विकसित जल निकासी व्यवस्था मौजूद थी।
  - घर पकी हुई ईंटों के बने होते थे और घरों में दो या दो से अधिक मंज़िलें होती थीं।
- हड़प्पावासी अनाज उगाने की कला जानते थे और गेंहूँ तथा जौ उनके भोजन का मुख्य हिस्सा थे।
- 1500 ईसा पूर्व तक हड़प्पा संस्कृति का अंत हो गया। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के लिये उत्तरदायी विभिन्न कारणों में बार-बार आने वाली बाढ़ और भूकंप जैसे अन्य प्राकृतिक कारण शामिल हैं।

संत कबीर दास जयंती

चर्चा में क्यों?

24 जून, 2021 को संत कबीर दास (Sant Kabir Das Jayanti) की जयंती मनाई गई।

- कबीर दास जयंती हिंदू चंद्र कैलेंडर (Hindu Lunar Calendar) के अनुसार ज्येष्ठ पूर्णिमा तिथि को मनाई जाती है।

नोट :

प्रमुख बिंदु:

परिचय:

- संत कबीर दास का जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में हुआ था। वह 15वीं शताब्दी के रहस्यवादी कवि, संत और समाज सुधारक तथा भक्ति आंदोलन के प्रस्तावक थे।
    - कबीर की विरासत अभी भी 'कबीर का पंथ' (एक धार्मिक समुदाय जो उन्हें संस्थापक मानता है) नामक पंथ के माध्यम से चल रही है।
- शिक्षक: उनका प्रारंभिक जीवन एक मुस्लिम परिवार में बीता, परंतु वे अपने शिक्षक, हिंदू भक्ति नेता रामानंद से काफी प्रभावित थे।
- साहित्य: कबीर दास के लेखन का भक्ति आंदोलन पर बहुत प्रभाव पड़ा तथा इसमें कबीर ग्रंथावली, अनुराग सागर, बीजक और सखी ग्रंथ जैसे शीर्षक शामिल हैं।
    - उनके छंद सिख धर्म के ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में पाए जाते हैं।
    - उनके प्रमुख कार्यों का संकलन पाँचवें सिख गुरु, गुरु अर्जन देव द्वारा किया गया था।
    - उन्होंने अपने दो-पंक्ति के दोहों के लिये सबसे अधिक प्रसिद्धि प्राप्त की, जिन्हें 'कबीर के दोहे' के नाम से जाना जाता है।
- भाषा: कबीर की कृतियाँ हिंदी भाषा में लिखी गईं, जिन्हें समझना आसान था। लोगों को जागरूक करने के लिये वहअपने लेख दोहों के रूप में लिखते थे।

भक्ति आंदोलन:

- शुरुआत: आंदोलन की शुरुआत संभवत: 6वीं और 7वीं शताब्दी ईस्वी के आसपास तमिल क्षेत्र में हुई और अलवार (विष्णु के भक्त) तथा नयनार (शिव के भक्त), वैष्णव और शैव कवियों की कविताओं के माध्यम से आंदोलन ने काफी लोकप्रियता प्राप्त की।
    - अलवार और नयनार अपने देवताओं की स्तुति में तमिल में भजन गाते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करते थे।
    - नालयिर दिव्यप्रबंधम अलवारों की एक रचना है। इसे प्राय: तमिल वेद के रूप में वर्णित किया जाता है।
- वर्गीकरण: एक अलग स्तर पर धर्म के इतिहासकार प्राय: भक्ति परंपराओं को दो व्यापक श्रेणियों में वर्गीकृत करते हैं: सगुण (विशेषताओं या गुणों के साथ) और निर्गुण (विशेषताओं या गुणों के बिना)।
    - सगुण में ऐसी परंपराएँ शामिल थीं जो शिव, विष्णु और उनके अवतार देवी या देवी के रूपों जैसे विशिष्ट देवताओं की पूजा पर केंद्रित थीं, जिन्हें प्राय: मानवशास्त्रीय रूपों में अवधारणाबद्ध किया जाता था।
    - दूसरी ओर निर्गुण भक्ति भगवान के एक अमूर्त रूप की पूजा थी।

सामाजिक व्यवस्था:

- यह आंदोलन भारतीय उपमहाद्वीप के हिंदुओं, मुसलमानों और सिखों द्वारा भगवान की पूजा से जुड़े कई संस्कारों तथा अनुष्ठानों के लिये उत्तरदायी था। उदाहरण के लिये एक हिंदू मंदिर में कीर्तन, एक दरगाह में कव्वाली (मुसलमानों द्वारा) तथा एक गुरुद्वारे में गुरबानी का गायन।
- वे प्राय: सभी सत्तावादी मठवासी व्यवस्था के विरोधी थे।
- उन्होंने समाज में सभी प्रकार सांप्रदायिक कट्टरता और जातिगत भेदभाव की भी कड़ी आलोचना की।
- उच्च और निम्न दोनों जातियों से आने वाले इन कवियों ने साहित्य का एक दुर्जेय (Formidable) निकाय बनाया जिसने खुद को लोकप्रिय कथाओं में मज़बूती से स्थापित किया।
- उन सभी ने सामाजिक जीवन में वास्तविक मानवीय आकांक्षाओं और सामाजिक संबंधों के क्षेत्र में धर्म की प्रासंगिकता का दावा किया।
- भक्ति कवियों ने ईश्वर के प्रति समर्पण पर ज़ोर दिया।
- आंदोलन की प्रमुख उपलब्धि मूर्ति पूजा का उन्मूलन था।

महिलाओं की भूमिका:

- अंडाल एक महिला अलवार थी और वह खुद को विष्णु की प्रेमिका के रूप में देखती थी।

- कराईकल अम्मैयार शिव की भक्त थीं और उन्होंने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये कठोर तपस्या का मार्ग अपनाया। उनकी रचनाओं को नयनार परंपरा के भीतर संरक्षित किया गया है।

महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्व:

- कन्नड़ क्षेत्र: इस क्षेत्र में आंदोलन 12वीं शताब्दी में बसवन्ना (1105-68) द्वारा शुरू किया गया था।
- महाराष्ट्र: महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन 13वीं सदी के अंत में शुरू हुआ। इसके समर्थकों को वारकरी कहा जाता था।
  - इसके सबसे लोकप्रिय नामों में ज्ञानदेव (1275-96), नामदेव (1270-50) और तुकाराम (1608-50) थे।
- असम: श्रीमंत शंकरदेव एक वैष्णव संत थे जिनका जन्म 1449 ईस्वी में असम के नगांव ज़िले में हुआ था। उन्होंने नव-वैष्णव आंदोलन शुरू किया था।
- बंगाल: चैतन्य बंगाल के एक प्रसिद्ध संत और सुधारक थे जिन्होंने कृष्ण पंथ को लोकप्रिय बनाया।
- उत्तरी भारत: इस क्षेत्र में 13वीं से 17वीं शताब्दी तक बड़ी संख्या में कवि फले-फूले, ये सभी भक्ति आंदोलन के काफी महत्त्वपूर्ण व्यक्ति थे।
  - जबकि कबीर, रविदास और गुरु नानक ने निराकार भगवान (निर्गुण भक्ति) की बात की, राजस्थान की मीराबाई (1498-1546) ने कृष्ण की स्तुति में भक्ति छंदों की रचना की और उनका गुणगान किया।
  - सूरदास, नरसिंह मेहता और तुलसीदास ने भी भक्ति साहित्य के सिद्धांत में अमूल्य योगदान दिया तथा इसकी गौरवशाली विरासत को बढ़ाया।

आंतरिक सुरक्षा

एकीकृत ट्राइसर्विस थिएटर कमांड

चर्चा में क्यों?

हाल ही में एकीकृत ट्राइसर्विस थिएटर कमांड के निर्माण पर विचार-विमर्श के लिये एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है।

- यह समिति सभी मुद्दों की जाँच करेगी और सुरक्षा मामले पर मंत्रिमंडलीय समिति को एक औपचारिक नोट प्रस्तुत करने से पूर्व एकीकृत ट्राइसर्विस थिएटर कमांड के निर्णय से संबंधित भविष्य की कार्यवाहियों का निर्धारण करेगी।

प्रमुख बिंदु

समिति के संबंध

- अर्द्ध-सैनिक बलों (जो कि वर्तमान में गृह मंत्रालय के अधीन हैं) को थिएटर कमांड के दायरे में लाने और एकीकरण की प्रक्रिया के कारण उत्पन्न होने वाले वित्तीय प्रभावों जैसे विभिन्न पहलुओं पर विचार-विमर्श करने हेतु इस समिति का गठन करना काफी महत्त्वपूर्ण है।
- प्रस्तावित वायु रक्षा कमान के तहत वायु सैन्य संपत्तियों को एकीकृत करने की योजना बना रही है, वहीं मैरीटाइम थिएटर कमांड के तहत नौसेना, तटरक्षक बल के साथ-साथ सेना और वायु सेना के समग्र तटीय संरचनाओं की सभी संपत्तियों को एक साथ लाने की योजना बनाई गई है।
- थल सेना की उत्तरी कमान और पश्चिमी कमान को 2-5 थिएटर कमांड में बदल दिया जाएगा।

एकीकृत थिएटर कमांड

- एकीकृत थियेटर कमांड का आशय सुरक्षा और रणनीतिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण किसी भौगोलिक क्षेत्र के लिये एक ही कमान के अधीन तीनों सशस्त्र सेनाओं (थल सेना, वायुसेना और नौसेना) के एकीकृत कमांड से है।
- इन बलों (थल सेना, वायुसेना और नौसेना) के कमांडर अपनी क्षमताओं के साथ किसी भी विपरीत परिस्थिति में सभी संसाधनों को वहन करने में सक्षम होंगे।
- एकीकृत थिएटर कमांड किसी एक विशिष्ट सेवा के प्रति जवाबदेह नहीं होगा।
- तीनों बलों का एकीकरण संसाधनों के दोहराव को कम करेगा। एक सेवा के तहत उपलब्ध संसाधन को अन्य सेवाओं में भी उपयोग किया जा सकेगा।
- शेकातकर समिति (वर्ष 2015) ने तीन 3 एकीकृत थिएटर कमांड बनाने की सिफारिश की है - चीन सीमा हेतु उत्तरी कमांड, पाकिस्तान सीमा हेतु पश्चिमी कमांड और समुद्री क्षेत्र हेतु दक्षिणी कमांड।

एकीकरण के पक्ष में तर्क

- एकीकरण के पश्चात् थिएटर कमांडर अपने कार्यों के लिये किसी भी विशिष्ट सेवा के प्रति जवाबदेह नहीं होगा और वह अपनी कमांड के निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम एक 'संयुक्त युद्धक बल' के रूप में विकसित एवं प्रशिक्षित होने हेतु स्वतंत्र होगा।
- अपने ऑपरेशनों को पूरा करने के लिये आवश्यक संसाधनों को थियेटर कमांडर के नियंत्रण में ही रखा जाएगा ताकि ऑपरेशन के दौरान उसे किसी पर निर्भर न रहना पड़े।
- यह भारत की वर्तमान 'सेवा-विशिष्ट कमांड प्रणाली', जिसमें पूरे देश में तीनों सैन्य सेवाओं (थल सेना, वायु सेना और नौसेना) की अपनी-अपनी कमांड होती है, के पूर्णत: विपरीत है। युद्ध की स्थिति में प्रत्येक सेवा प्रमुख से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपनी सेवा के संचालन को अलग-अलग कमांड के माध्यम से नियंत्रित करें, जबकि वे संयुक्त रूप से काम करते हैं।

एकीकरण के विपक्ष में तर्क:

- वास्तव में युद्ध के दौरान ऐसा कोई अवसर नहीं आया जब तीनों सेनाओं ने सराहनीय सहयोग के साथ कार्य नहीं किया हो।
- बढ़ते संचार नेटवर्क ने तीनों सैन्य सेवाओं के बीच संचार को आसान बनाया है, जिसके तहत स्थानिक दूरी पर विचार किये बिना योजना बनाई जा सकती है, ऐसे में नवीन संगठन की कोई आवश्यकता नहीं है।
- एकीकृत बल कमांडर के डोमेन ज्ञान का उनके कमांड के तहत अन्य दो सेवा घटकों के संबंध में सीमित होने की संभावना है, जिससे उन्हें सबसे उपयुक्त तरीके से और उचित समय पर नियोजित करने की उनकी क्षमता सीमित हो जाती है।

वर्तमान स्थिति:

- भारतीय सशस्त्र बलों के पास वर्तमान में 17 कमांड हैं। थल सेना और वायु सेना प्रत्येक में 7 और नौसेना के पास 3 कमांड हैं।
  - प्रत्येक कमांड का नेतृत्व एक 4-स्टार (4-star) रैंक का सैन्य अधिकारी करता है।
- अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में एक संयुक्त कमान है।
  - यह भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पोर्ट ब्लेयर में स्थित भारतीय सशस्त्र बलों की पहली त्रि-सेवा थिएटर कमान है।
- अन्य त्रि-सेवा कमान जैसे कि सामरिक बल कमान (SFC), देश की परमाणु संपत्ति के वितरण और परिचालन नियंत्रण की देखभाल करती है।

हाल के विकास:

- चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) की नियुक्ति और सैन्य मामलों के विभाग (DMA) का निर्माण रक्षा बलों के एकीकरण और उन्नति की दिशा में महत्त्वपूर्ण कदम हैं।
  - CDS: वर्ष 1999 में कारगिल समीक्षा समिति के सुझाव पर स्थापित यह सरकार का एकल-बिंदु सैन्य सलाहकार पद है।
  - सैन्य मामलों का विभाग (DMA): केवल सैन्य मामलों से संबंधित कार्य ही DMA के दायरे में आएंगे। इससे पहले ये कार्य रक्षा विभाग (DoD) के जनादेश के तहत थे।
- चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने मुंबई में तीसरे संयुक्त लॉजिस्टिक्स नोड (JLN) का संचालन किया।
  - LNs सशस्त्र बलों को उनके छोटे हथियारों जैसे- गोला-बारूद, राशन, ईंधन, जनरल स्टोर,विमानन वस्त्र, पुर्जों और इंजीनियरिंग सहायता के लिये संयुक्त लॉजिस्टिक्स कवर प्रदान करेंगे ताकि उनके परिचालन प्रयासों को समन्वित किया जा सके

भारत-अमेरिका: PASSEX

चर्चा में क्यों?

भारतीय नौसेना के जहाज़ हिंद महासागर क्षेत्र (Indian Ocean Region- IOR) के माध्यम से अपने पारगमन के दौरान अमेरिकी नौसेना के रोनाल्ड रीगन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप (US Navy's Ronald Reagan Carrier Strike Group) के साथ एक 'पैसेज सैन्य अभ्यास' (Passage Exercise-PASSEX) में भाग लेंगे।

- पूर्व-नियोजित समुद्री अभ्यासों के विपरीत पैसेज सैन्य अभ्यास अवसर के अनुसार कभी भी किया जा सकता है।
- इससे पहले भारतीय नौसेना ने भी जापानी नौसेना और फ्राँसीसी नौसेना के साथ इसी तरह के PASSEX का आयोजन किया था।

प्रमुख बिंदु

- अभ्यास IAF के दक्षिणी वायु कमान के अधिकार क्षेत्र में है और IAF बलों में जगुआर (Jaguars), सुखोई-30 MKI फाइटर्स, एयर-टू-एयर रिफ्यूलर एयरक्राफ्ट, एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम (AWACS) और एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल (AEW&C) शामिल होंगे।
- P-8I (समुद्री गश्ती विमान) और (भारतीय जहाज़ आधारित) मिग 29K विमान के साथ भारतीय नौसेना के जहाज़ कोच्चि एवं तेग PASSEX में भाग ले रहे हैं।

नोट :

- भारतीय नौसेना के युद्धपोत, भारतीय नौसेना और भारतीय वायु सेना (IAF) के विमानों के साथ यूएस कैरियर स्ट्राइक ग्रुप के साथ संयुक्त बहु-क्षेत्रीय संचालन में संलग्न होंगे।
- अभ्यास के दौरान उच्च गति के संचालन में उन्नत वायु रक्षा अभ्यास, क्रॉस डेक हेलीकॉप्टर संचालन और पनडुब्बी रोधी अभ्यास शामिल हैं।

अमेरिका के साथ पूर्व में आयोजित PASSEX:

- इसके अलावा जुलाई 2020 में भारतीय नौसेना ने यूएसएस निमित्ज़ (USS Nimitz) के साथ एक और PASSEX का संचालन किया।
- भारतीय नौसेना ने अक्तूबर 2020 में यूएसएस रोनाल्ड रीगन (USS Ronald Reagan) के साथ PASSEX का आयोजन किया।

प्रभाव:

- नियम आधारित आदेश स्थापित करना:
  - यह एक खुली, समावेशी और नियम-आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के प्रति प्रतिबद्धता सुनिश्चित करने में साझेदार नौसेनाओं के रूप में साझा मूल्यों को रेखांकित करता है।
- बढ़ी हुई इंटरऑपरेबिलिटी:
  - यह अंतर्संचालन, अंतर्राष्ट्रीय एकीकृत समुद्री खोज और बचाव कार्यों की बारीकियों और समुद्री वायुशक्ति डोमेन में सर्वोत्तम प्रथाओं के आदान-प्रदान के पहलुओं को बढ़ावा देगा।
- काउंटर चीन के विस्तारवाद:
  - यह अभ्यास भारतीय रक्षा मंत्री द्वारा 8वीं आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक (ADMM) प्लस बैठक में दक्षिण चीन सागर सहित भारत-प्रशांत क्षेत्र में एक खुले और समावेशी आदेश के आह्वान के एक सप्ताह बाद आयोजित किया जाता है।
  - भारतीय नौसेना IOR में चौबीसों घंटे निगरानी कर रही है क्योंकि उसका मानना है कि चीन, वैश्विक शक्ति बनने की कोशिश कर रहा है जैसे कि उसने विवादित दक्षिण चीन सागर के बड़े हिस्से पर दावा किया है।

भारत-अमेरिका संयुक्त अभ्यास:

- वज्र-प्रहार (थल सेना)
- युद्ध अभ्यास (थल सेना)
- कोप इंडिया (वायु सेना)
- रेड फ्लैग (अमेरिका का बहुपक्षीय वायु अभ्यास)
- मालाबार अभ्यास (भारत, अमेरिका और जापान के बीच त्रिपक्षीय अभ्यास)

क्रिवाक स्टील्थ फ्रिगेट

चर्चा में क्यों?

हाल ही में नौसेना स्टाफ के उप-प्रमुख ने क्रिवाक या तलवार क्लास के दूसरे युद्धपोत के निर्माण कार्य का उद्घाटन किया है।

- पहले युद्धपोत का निर्माण कार्य जनवरी 2021 में शुरू किया गया था। इसे वर्ष 2026 में डिलीवर किया जाना है, जबकि दूसरे युद्धपोत को इसके छह महीने बाद डिलीवर किया जाएगा।

प्रमुख बिंदु

क्रिवाक या तलवार क्लास

- 'मेक इन इंडिया' के तहत गोवा शिपयार्ड लिमिटेड (GSL) द्वारा रूस से प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के साथ क्रिवाक श्रेणी के स्टील्थ जहाज़ों का निर्माण किया जा रहा है। जहाज़ों के लिये इंजन की आपूर्ति यूक्रेन द्वारा की जा रही है।

- अक्तूबर 2016 में भारत और रूस ने चार क्रिवाक या तलवार स्टील्थ फ्रिगेट के लिये एक अंतर-सरकारी समझौते (IGA) पर हस्ताक्षर किये थे।
- पहले दो युद्धपोत रूस के कैलिनिनग्राद में यंतर शिपयार्ड में बनाए जाएंगे, जबकि अन्य दो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में बनाए जाएंगे।

- नए क्रिवाक फ्रिगेट में वही इंजन और आर्मामेंट कॉन्फिगरेशन मौजूद हैं जो यंतर शिपयार्ड में निर्मित तीन युद्धपोतों - आईएनएस तेग, तरकश और त्रिकंद में शामिल हैं। ये ब्रह्मोस एंटी-शिप और लैंड अटैक मिसाइलों से लैस होंगे।

प्रयोग

- इनका प्रयोग मुख्य रूप से दुश्मन देशों की पनडुब्बियों और बड़े सतही जहाज़ों को खोजने और नष्ट करने जैसे विभिन्न प्रकार के नौसैनिक मिशनों को पूरा करने के लिये किया जाएगा।

मौजूदा युद्धपोत

- नौसेना पहले से ही छह क्रिवाक III फ्रिगेट संचालित कर रही है। इसमें से पहले तीन जून 2003 और अप्रैल 2004 के बीच नौसेना के बेड़े में शामिल हुए, जबकि अन्य तीन अप्रैल 2012 और जून 2013 के बीच नौसेना के बेड़े में शामिल हुए। मौजूदा अनुबंध के साथ नौसेना 10 क्रिवाक युद्धपोतों का संचालन करेगी।

भारत-रूस रक्षा संबंध

पृष्ठभूमि

- रक्षा सहयोग भारत-रूस रणनीतिक साझेदारी का एक महत्त्वपूर्ण स्तंभ है।
- मौजूदा परियोजनाओं की स्थिति और सैन्य तकनीकी सहयोग के अन्य मुद्दों पर चर्चा तथा समीक्षा करने के लिये दोनों देशों के रक्षा मंत्री बारी-बारी से रूस और भारत में मिलते हैं।
- यद्यपि भारत इज़रायल, अमेरिका और फ्राँस के साथ अपने आपूर्ति आधार का विस्तार कर रहा है, किंतु इसके बावजूद रूस अभी भी एक प्रमुख आपूर्तिकर्त्ता बना हुआ है।
- दोनों पक्ष सफलतापूर्वक AK-203 राइफल अनुबंध और 200 Ka-226T यूटिलिटी हेलीकॉप्टर आपूर्ति के कार्यान्वयन की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।
- स्टिमसन सेंटर द्वारा प्रकाशित एक पेपर के अनुसार, भारत में वर्तमान में सैन्य सेवा में 86 प्रतिशत उपकरण, हथियार और प्लेटफॉर्म रूस के हैं।

संयुक्त अभ्यास

- अभ्यास इंद्र, भारत और रूस के बीच एक संयुक्त त्रि-सेवा अभ्यास है।

भारत द्वारा तैनात रूस के सैन्य उपकरण

- नौसेना
  - नौसेना का एकमात्र सक्रिय विमानवाहक पोत आईएनएस विक्रमादित्य रूस से है। परमाणु हमले में सक्षम पनडुब्बी 'चक्र II' भी सेवा में है।
- थल सेना
  - सेना के टी-90 और टी-72 मुख्य युद्धक टैंक।
  - S-400 ट्रायम्फ मिसाइल सिस्टम।
- वायुसेना
  - वायुसेना का Su30 MKI फाइटर।

द वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट-2021

चर्चा में क्यों?

हाल ही में 'ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय' (UNODC) ने अपनी 'द वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट-2021' में इस बात पर प्रकाश डाला है कि कोविड-19 के दौरान लॉकडाउन प्रतिबंधों ने इंटरनेट के माध्यम से मादक पदार्थों की तस्करी को तेज़ कर दिया है।

- इस रिपोर्ट में दवाओं से आशय दवा नियंत्रण कन्वेंशन के तहत नियंत्रित पदार्थों और उनके गैर-चिकित्सीय उपयोग से है।

प्रमुख बिंदु

आँकड़ों का विश्लेषण

- वर्ष 2010-2019 के बीच वैश्विक जनसंख्या में वृद्धि के कारण नशीली दवाओं का उपयोग करने वाले लोगों की संख्या में 22 प्रतिशत की वृद्धि हुई।
- पिछले वर्ष दुनिया भर में लगभग 275 मिलियन लोगों ने नशीली दवाओं का इस्तेमाल किया, जबकि 36 मिलियन से अधिक लोग नशीली दवाओं के उपयोग संबंधी विकारों से पीड़ित थे।
- नशीली दवाओं के उपयोग के कारण होने वाली बिमारियों के लिये 'ओपिओइड' सबसे अधिक उत्तरदायी है।
- कोरोना वायरस महामारी के दौरान फार्मास्युटिकल दवाओं के गैर-चिकित्सा उपयोग में भी वृद्धि देखी गई।

भांग अधिक शक्तिशाली है, किंतु कम युवा इसे हानिकारक रूप में देखते हैं:

- पिछले 24 वर्षों में विश्व के कुछ हिस्सों में भांग की क्षमता चार गुना तक बढ़ गई है, यहाँ तक कि भांग को हानिकारक मानने वाले किशोरों की संख्या में भी 40 प्रतिशत की गिरावट आई है।
    - भांग में प्रमुख मनो-सक्रिय घटक Δ9-THC लंबे समय से मानसिक स्वास्थ्य विकारों के विकास के लिये उत्तरदायी है।
- कारण: भांग उत्पादों का आक्रामक विपणन और सोशल मीडिया चैनलों के माध्यम से प्रचार।

बढ़ती वेब-आधारित बिक्री वैश्विक नशीली दवाओं के उपयोग के पैटर्न को बदल सकती है:

- ऑनलाइन बिक्री के साथ दवाओं तक पहुँच भी पहले से कहीं ज़्यादा आसान हो गई है और डार्क वेब पर प्रमुख दवा बाज़ारों की कीमत अब लगभग 315 मिलियन डॉलर सालाना हो गई है।
- एशियाई देश, मुख्य रूप से चीन और भारत वर्ष 2011-2020 के दौरान विश्लेषण किये गए 19 प्रमुख डार्कनेट बाज़ारों में बेची जाने वाली दवाओं के शिपमेंट से जुड़े हुए हैं।
- डार्क वेब पर नशीली दवाओं के लेन-देन में कैनबिस या भांग सबसे प्रमुख है और सामान्य वेब पर नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक पदार्थ (NDPS) तथा सिंथेटिक दवाओं के निर्माण में उपयोग किये जाने वाले पदार्थों की बिक्री शामिल है।

कोविड-19 का प्रभाव

- सामाजिक आर्थिक प्रभाव
    - कोविड-19 संकट ने 100 मिलियन से अधिक लोगों को अत्यधिक गरीबी में धकेल दिया है और बेरोज़गारी तथा असमानता में भी बढ़ोतरी की है। आँकड़ों की मानें तो वर्ष 2020 में दुनिया भर में 255 मिलियन लोगों ने अपना रोज़गार खो दिया है।
    - दुनिया भर में मानसिक स्वास्थ्य से पीड़ित लोगों की संख्या भी बढ़ रही है। इस तरह के सामाजिक आर्थिक तनावों से दवाओं की मांग में तेज़ी आने की संभावना है।
- सकारात्मक ट्रेंड
    - महामारी के दौरान प्रौद्योगिकी के उपयोग में वृद्धि ने टेलीमेडिसिन जैसे सेवा वितरण के अधिक लचीले मॉडल के माध्यम से नवाचार को गति दी है, जिसने स्वास्थ्य पेशेवरों को अधिक रोगियों तक पहुँचने और उनका इलाज करने में सक्षम बनाया है।
    - वैश्विक बाज़ार में उभर रहे नए नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक पदार्थों (NDPS) की संख्या वर्ष 2013 में 163 से गिरकर वर्ष 2019 में 71 हो गई।

- ओपिओइड के उपयोग संबंधी विकारों वाले लोगों के इलाज के लिये उपयोग की जाने वाली ओपिओइड दवा सुलभता से उपलब्ध है, क्योंकि विज्ञान-आधारित उपचार अधिक व्यापक रूप से उपलब्ध हो गए हैं।

नशीली दवाओं के उपयोग में वृद्धि के कारण:

- ड्रग तस्करों ने लॉकडाउन प्रतिबंधों के कारण शुरुआती झटके से जल्द ही स्वयं की रिकवरी कर ली है और एक बार फिर से तीव्रता से कार्य कर रहे हैं।
  - यह आंशिक रूप से प्रौद्योगिकी और क्रिप्टोकरेंसी भुगतान के उपयोग में वृद्धि से भी प्रेरित है, जो नियमित वित्तीय प्रणाली के भीतर नहीं आती है।
- नशीली दवाओं के संपर्क रहित लेन-देन, जैसे कि मेल के माध्यम से, में भी बढ़ोतरी हो रही है और यह ट्रेंड संभवत: महामारी के बाद और अधिक तीव्र हो गया है।
- विक्रेता अपने उत्पादों का विज्ञापन और विपणन 'अनुसंधान रसायन' या 'कस्टम सिंथेसिस' के रूप में करके कानून प्रवर्तन एजेंसियों से बचने का प्रयास करते हैं।

सुझाव

- भांग उत्पादों के उपयोग के सकारात्मक प्रभाव संबंधी गलत सूचनाओं का मुकाबला करना काफी महत्त्वपूर्ण है।
- नशीली दवाओं के नकारात्मक उपयोग संबंधी वैज्ञानिक जानकारी और तथ्यों के प्रसार तथा इससे संबंधित जागरूकता अभियान शुरू किये जाने चाहिये।
- डार्कनेट पर मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने के लिये कानून प्रवर्तन एजेंसियों की क्षमता को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिये।
- सरकारों और निजी क्षेत्र की संयुक्त प्रतिक्रियाओं के माध्यम से इंटरनेट पर अवैध दवाओं के विज्ञापनों और लिस्टिंग को नियंत्रित करना आसान हो सकता है।
- इंटरनेट-आधारित सेवाओं में आ रही तेज़ी के साथ वैज्ञानिक मानकों को लगातार अपडेट करना भी आवश्यक है।

ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय (UNODC)

- इसकी स्थापना वर्ष 1997 में हुई थी और वर्ष 2002 में इसे ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय (UNODC) के रूप में नामित किया गया था।
- इसकी स्थापना यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल ड्रग्स कंट्रोल प्रोग्राम (UNDCP) तथा संयुक्त राष्ट्र में अपराध निवारण और आपराधिक न्याय विभाग (Crime Prevention and Criminal Justice Division- CPCJD) के संयोजन में की गई थी और यह ड्रग कंट्रोल एवं अपराध रोकथाम की दिशा में कार्य करता है।

इससे संबंधित अन्य प्रयास

- प्रतिवर्ष 26 जून को 'नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस' का आयोजन किया जाता है।
- सिंगल कन्वेंशन ऑन नारकोटिक्स ड्रग्स, 1961
- कन्वेंशन ऑन साइकोट्रोपिक सब्सटेंस-1971
- कन्वेंशन ऑन इलीसिट ट्रैफिक ऑन नारकोटिक ड्रग्स एँड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस, 1988
  - भारत उपर्युक्त तीनों का हस्ताक्षरकर्त्ता है और इसने 'नारकोटिक्स ड्रग्स एँड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस' (NDPS) अधिनियम, 1985 भी लागू किया है।

भारत की सुभेद्यता

- भारत दुनिया में दो प्रमुख अवैध अफीम उत्पादन क्षेत्रों- पश्चिम में गोल्डन क्रीसेंट (ईरान-अफगानिस्तान-पाकिस्तान) और पूर्व में स्वर्णिम त्रिभुज (दक्षिण-पूर्व एशिया) के मध्य में स्थित होने के कारण ड्रग उत्पादों की तस्करी के प्रति काफी सुभेद्य है।
- गोल्डन क्रीसेंट क्षेत्र में अफगानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान शामिल हैं। स्वर्णिम त्रिभुज, रूक तथा मेकांग नदियों के संगम पर स्थित वह क्षेत्र है जहाँ थाईलैंड की सीमाएँ लगती हैं।

आईएनएस विक्रांत: पहला स्वदेशी विमानवाहक

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत के रक्षा मंत्री ने 'आत्मनिर्भर भारत' अभियान के हिस्से के रूप में निर्मित स्वदेशी विमानवाहक आईएनएस विक्रांत (IAC-1) पर चल रहे कार्य की समीक्षा की।

- आईएनएस विक्रांत को वर्ष 2022 में कमीशन किये जाने की संभावना है। वर्तमान में भारत के पास केवल एक ही विमानवाहक पोत है, रूसी मूल का आईएनएस विक्रमादित्य।
- इससे पहले रक्षा अधिग्रहण परिषद (DAC) ने 'प्रोजेक्ट-75I' के तहत भारतीय नौसेना हेतु छह उन्नत पनडुब्बियों के लिये 'प्रस्ताव निवेदन' (RFP) जारी करने की मंज़ूरी दी थी।

प्रमुख बिंदु

आईएनएस विक्रांत

- इस स्वदेशी विमानवाहक का नाम नौसेना के सेवामुक्त प्रथम वाहक के नाम पर 'विक्रांत' रखा गया है।
- इसमें 30 विमानों का एक वायु घटक होगा, जिसमें स्वदेशी उन्नत हल्के हेलीकाप्टरों के अलावा मिग-29K लड़ाकू जेट, कामोव-31 एयरबोर्न अर्ली वार्निंग हेलीकॉप्टर और जल्द ही नौसेना में शामिल होने वाले MH-60R मल्टी-रोल हेलीकॉप्टर होंगे।
- इसकी अधिकतम गति तकरीबन 30 समुद्री मील (लगभग 55 किमी. प्रति घंटा) होगी और इसे चार गैस टर्बाइनों द्वारा संचालित किया जाएगा। स्वदेशी विमानवाहक एक बार में 18 समुद्री मील (32 किमी. प्रति घंटे) की गति से 7,500 समुद्री मील की दूरी तय करने में सक्षम होगा।
- इस विमानवाहक पर हथियारों के रूप में बराक एलआर एसएएम और एके-630 शामिल हैं, साथ ही इसमें सेंसर के रूप में एमएफएसटीएआर और आरएएन -40 एल 3डी रडार शामिल हैं। पोत में 'शक्ति' नाम का इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट भी मौजूद है।
- इस विमानवाहक पोत में विमान संचालन को नियंत्रित करने के लिये 'रनवे' और 'शॉर्ट टेक ऑफ बट अरेस्टड रिकवरी' सिस्टम भी मौजूद है।

महत्त्व:

- विमानवाहक पोत की लड़ाकू क्षमता, पहुँच और बहुमुखी प्रतिभा देश की रक्षा में मज़बूत क्षमताओं को जोड़ेगी और समुद्री क्षेत्र में भारत के हितों को सुरक्षित रखने में मदद करेगी।
- यह लंबी दूरी पर वायु शक्ति को प्रक्षेपित करने की क्षमता के साथ एक अतुलनीय सैन्य उपकरण की पेशकश करेगा, जिसमें हवाई अवरोध, सतह-विरोधी युद्ध, आक्रामक और रक्षात्मक काउंटर-एयर, हवाई पनडुब्बीरोधी युद्ध तथा हवाई पूर्व चेतावनी शामिल हैं।

भारतीय नौसेना की वर्तमान स्थिति:

- समुद्री क्षमता परिप्रेक्ष्य योजना (Maritime Capability Perspective Plan) के अनुसार, वर्ष 2027 तक भारत के पास लगभग 200 जहाज़ होने चाहिये परंतु लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है।
  - हालाँकि इसका कारण मुख्य रूप से वित्तपोषण नहीं बल्कि प्रक्रियात्मक देरी या स्वयं द्वारा लगाए गए कुछ प्रतिबंध हैं।
- नौसेना के पास अत्याधुनिक सोनार और रडार हैं। इसके अलावा इसके कई जहाज़ों में स्वदेशी सामग्री की उच्च मात्रा इस्तेमाल की गई है।

कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में नौसेना का योगदान:

- ऑपरेशन समुद्र सेतु- I: कोरोना वायरस के मद्देनज़र लागू किये गए यात्रा प्रतिबंधों के बीच विदेश में फँसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिये निकासी अभियान है।
- ऑपरेशन समुद्र सेतु- II: भारतीय नौसेना ने भारत में ऑक्सीजन से भरे कंटेनरों की शिपमेंट के लिये 'ऑपरेशन समुद्र सेतु-II' की शुरुआत की थी।

जम्मू में ड्रोन से हमला

चर्चा में क्यों?

हाल ही में ड्रोन (Drone) का इस्तेमाल पहली बार विस्फोटक उपकरणों को गिराने के लिये किया गया, जिससे जम्मू में वायु सेना स्टेशन के तकनीकी क्षेत्र के अंदर विस्फोट किया गया।

ड्रोन

- ड्रोन मानव रहित विमान (Unmanned Aircraft) के लिये एक आम शब्दावली है। मानव रहित विमान के तीन उप-सेट हैं- रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट (Remotely Piloted Aircraft), ऑटोनॉमस एयरक्राफ्ट (Autonomous Aircraft) और मॉडल एयरक्राफ्ट (Model Aircraft)।
  - रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट में रिमोट पायलट स्टेशन, आवश्यक कमांड और कंट्रोल लिंक तथा अन्य घटक होते हैं।
- युद्धक उपयोग के अलावा ड्रोन का उपयोग कृषि में कीटनाशकों का छिड़काव, पर्यावरणीय परिवर्तनों की निगरानी, हवाई फोटोग्राफी और खोज तथा राहत कार्यों आदि के लिये किया जाता है।

प्रमुख बिंदु:

ड्रोन हमला और चिंताएँ :

- पिछले दो वर्षों में भारतीय क्षेत्र में हथियारों, गोला-बारूद और ड्रग्स की तस्करी के लिये पाकिस्तान स्थित संगठनों द्वारा नियमित रूप से ड्रोन इस्तेमाल किये गए हैं।
  - ड्रोन काफी नीचे उड़ते हैं और इसलिये किसी भी रडार सिस्टम द्वारा इसका पता नहीं लगाया जा सकता है।
- सरकारी आँकड़ों के मुताबिक वर्ष 2019 में पाकिस्तान से लगी सीमा पर 167 ड्रोन देखे गए और वर्ष 2020 में ऐसे 77 ड्रोन देखे गए थे।
- हाल के वर्षों में ड्रोन प्रौद्योगिकी के तेज़ी से प्रसार और इसके वैश्विक बाज़ार के तेज़ी से विकास के साथ दुनिया के सबसे सुरक्षित शहरों में भी ड्रोन हमले की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है।
- ड्रोन सुरक्षा के लिये खतरा बन रहे हैं, विशेष रूप से संघर्ष क्षेत्रों में जहाँ गैर-राज्य पक्ष सक्रिय हैं और प्रौद्योगिकी तक आसान पहुँच रखते हैं।
  - उदाहरणार्थ: वर्ष 2019 में सऊदी अरब में 'अरामको क्रूड ऑइल' पर दोहरे ड्रोन हमले।
- सामूहिक विनाश के हथियार इतने बड़े पैमाने पर मौत और विनाश करने की क्षमता वाले हथियार हैं कि शत्रु के हाथों में इनकी उपस्थिति को एक गंभीर खतरा माना जा सकता है।
- सैन्य क्षेत्र में छोटे ड्रोन उस दर से बढ़ रहे हैं जिसने युद्धक्षेत्र कमांडरों और योजनाकारों को समान रूप से चिंतित कर दिया है।
  - कुछ घटनाओं में छोटे ड्रोन भी विस्फोटक आयुध से लैस थे, उन्हें संभावित घातक निर्देशित मिसाइलों में परिवर्तित करने के लिये इस प्रकार के परिष्करण का प्रदर्शन किया गया।

ड्रोन अटैक बढ़ने की वजह:

- सस्ता एवं सुलभ:
  - ड्रोन अटैक के मामलों में बढ़ोतरी का प्राथमिक कारण यह है कि पारंपरिक हथियारों की तुलना में ड्रोन अपेक्षाकृत सस्ते होते हैं और काफी विनाशकारी हो सकते हैं।
- दूर से नियंत्रित करना सक्षम
  - युद्ध के उद्देश्यों के लिये ड्रोन का उपयोग करने का सबसे बड़ा लाभ यह है कि इसे दूर से नियंत्रित किया जा सकता है और यह हमलावर पक्ष के किसी भी सदस्य को खतरे में नहीं डालता है।
- प्रयोग करने में आसान
  - सुगम संचालन और शत-प्रतिशत क्षति पहुँचाने की ड्रोन की क्षमता ही सभी देशों को अपनी सेना को ड्रोन-विरोधी युद्ध तकनीक से लैस करने पर मजबूर करती है।

नोट :

भारत में ड्रोन संचालन से संबंधित नियम

- मानव रहित विमान प्रणाली (UAS) नियम, 2020:
  - यह सरकार द्वारा अधिसूचित नियमों का एक समूह है जिसका उद्देश्य मानव रहित विमान यानी ड्रोन के उत्पादन, आयात, व्यापार, स्वामित्व, ड्रोन पोर्ट (ड्रोन के लिये हवाई अड्डे) और इसके संचालन को विनियमित करना है।
  - यह व्यवसायों द्वारा ड्रोन के उपयोग के लिये एक रूपरेखा तैयार करता है।
- नेशनल काउंटर रोग ड्रोन दिशा-निर्देश, 2019 (National Counter Rogue Drones Guidelines)
  - इन दिशा-निर्देशों के तहत किसी संपत्ति की महत्ता, अविनियमित उपयोग से उठने वाले संभावित खतरों का मुकाबला करने के लिये कई उपायों का सुझाव दिया गया है।
  - राष्ट्रीय महत्त्व के महत्त्वपूर्ण स्थानों के लिये दिशा-निर्देशों में एक ऐसे मॉडल की तैनाती का आह्वान किया गया है जिसमें रडार, रेडियो फ्रीक्वेंसी (RF) डिटेक्टर, इलेक्ट्रो-ऑप्टिकल और इन्फ्रारेड कैमरे जैसे प्राइमरी और पैसिव पहचान साधन शामिल हों।
  - इसके अलावा रेडियो फ्रीक्वेंसी जैमर, ग्लोबल पोज़िशनिंग सिस्टम (GPS) स्पूफर्स, लेज़र और ड्रोन कैचिंग नेट जैसे सॉफ्ट किल और हार्ड किल उपायों को प्रयोग करने का भी सुझाव दिया गया है।

अन्य पहल:

- निर्देशित-ऊर्जा हथियार (Directed-Energy Weapon):
  - रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) ने दो ड्रोन-विरोधी निर्देशित-ऊर्जा हथियार (DEW) सिस्टम विकसित किये हैं,जिसमें 2 किमी की दूरी पर हवाई लक्ष्य को निशाना बनाने के लिये 10 किलोवाट और 1 किमी की रेंज के लिये 2 किलोवाट लेज़र के साथ एक कॉम्पैक्ट ट्राइपॉड-माउंटेड है। लेकिन इनका अभी बड़ी संख्या में उत्पादन होना बाकी है।
- स्मैश-2000 प्लस (Smash-2000 Plus):
  - सशस्त्र बल अब इज़रायली `स्मैश-2000 प्लस' कम्प्यूटरीकृत अग्नि नियंत्रण और इलेक्ट्रो-ऑप्टिक साईट्स जैसी अन्य प्रणालियों का भी सीमित संख्या में आयात कर रहे हैं जिसे दिन और रात दोनों स्थितियों में छोटे शत्रु ड्रोन के खतरे से निपटने के लिये बंदूकों और राइफलों पर लगाया जा सकता है।

आगे की राह:

- ड्रोन हमले को ध्यान में रखते हुए नागरिक उड्डयन मंत्रालय संभावित रूप से मानव रहित विमान प्रणालियों के लिये मौजूदा नियमों को और अधिक कठोर बनाने पर विचार कर सकता है।
- वर्तमान ड्रोन नियम, निर्माता या आयातक से अंतिम उपयोगकर्त्ताओं तक ड्रोन के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिये पर्याप्त हैं। हालांकि दुश्मन ड्रोन हमेशा गैर-अनुपालक होंगे। इनकी रोकथाम के लिये कड़े नियमों की आवश्यकता है।

अग्नि-पी (प्राइम)

चर्चा में क्यों?

हाल ही में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) द्वारा एक नई पीढ़ी की परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-पी (प्राइम) का ओडिशा के बालासोर तट पर डॉ एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया।

- अग्नि-पी, एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम (Integrated Guided Missile Development Program-IGMDP) के तहत अग्नि वर्ग का एक नई पीढ़ी का उन्नत संस्करण है।
- यह कनस्तर-आधारित प्रणाली की मिसाइल है जिसकी मारक क्षमता 1,000 से 2,000 किमी के बीच है।
  - मिसाइलों की कनस्तर-आधारित प्रणाली, मिसाइल को लॉन्च करने के लिये आवश्यक समय को कम करती है इसके अलावा इसके भंडारण और गतिशीलता में सुधार करती है।

- इसमें कंपोज़िट, प्रणोदन प्रणाली, नवीन मार्गदर्शन और नियंत्रण तंत्र तथा अत्याधुनिक नेविगेशन सिस्टम सहित कई उन्नत प्रौद्योगिकियाँ प्रस्तुत की गई हैं। अग्नि-पी मिसाइल भविष्य में भारत की विश्वसनीय प्रतिरोधक क्षमता को और मज़बूत करेगी।
- अन्य अग्नि श्रेणी की मिसाइलों की तुलना में अग्नि-पी ने पैंतरेबाज़ी और सटीकता सहित मापदंडों में सुधार किया है।
- अग्नि मिसाइलों की श्रेणी:
  - यह भारत की परमाणु प्रक्षेपण क्षमता का मुख्य आधार है।
  - अन्य अग्नि मिसाइलों की मारक क्षमता:
    - अग्नि I: 700-800 किमी. की मारक क्षमता।
    - अग्नि II: 2000 किमी. से अधिक की मारक क्षमता।
    - अग्नि III: 2,500 किमी. से अधिक की मारक क्षमता।
    - अग्नि IV: 3,500 किमी. से अधिक मारक क्षमता है।
    - अग्नि-V: अग्नि श्रृंखला की सबसे लंबी अंतर-महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल (ICBM) है जिसकी रेंज 5,000 किमी. से अधिक है।

एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम (IGMDP)

- इसकी स्थापना का विचार प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा दिया गया था। इसका उद्देश्य मिसाइल प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करना था। इसे वर्ष 1983 में भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया था और मार्च 2012 में पूरा किया गया था।
- इस कार्यक्रम के तहत विकसित 5 मिसाइलें (P-A-T-N-A) हैं:
  - पृथ्वी: सतह-से-सतह पर मार करने में सक्षम कम दूरी वाली बैलिस्टिक मिसाइल।
  - अग्नि: सतह-से-सतह पर मार करने में सक्षम मध्यम दूरी वाली बैलिस्टिक मिसाइल, यानी अग्नि (1,2,3,4,5)
  - त्रिशूल: सतह-से-आकाश में मार करने में सक्षम कम दूरी वाली मिसाइल।
  - नाग: तीसरी पीढ़ी की टैंक भेदी मिसाइल।
  - आकाश: सतह-से-आकाश में मार करने में सक्षम मध्यम दूरी वाली मिसाइल।

कनस्तर आधारित प्रक्षेपण प्रणाली:

- कनस्तर आधारित प्रक्षेपण प्रणाली (Canister Based Launch System) परिवहन हेतु एक कंटेनर/डब्बे के रूप में कार्य करती है, यह एक जहाज़ पर भंडारण हेतु स्थान उपलब्ध कराने के साथ-साथ परिचालन में भी काफी सुगम होती है।
- कनस्तर प्रक्षेपण प्रणाली या तो गर्म प्रक्षेपण (Hot Launch) प्रणाली हो सकती है, जिसमें मिसाइल को एक सेल (Cell) में प्रज्वलित किया जाता है, या फिर यह एक ठंडी प्रक्षेपण (Cold Launch) प्रणाली हो सकती है जहाँ मिसाइल को गैस जनरेटर (Gas Generator) जो कि मिसाइल से संबद्ध नहीं होता है, से उत्पादित गैस द्वारा प्रक्षेपित किया जाता है तथा इसके बाद मिसाइल प्रज्वलित होती है।
- ठंडी प्रक्षेपण प्रणाली, गर्म प्रक्षेपण प्रणाली की तुलना में अधिक सुरक्षित है क्योंकि मिसाइल के फेल होने की स्थिति में भी इसका इजेक्शन सिस्टम (Ejection System) मिसाइल को स्वत: अलग कर देता है। अग्नि V (Agni V) मिसाइल में ठंडी प्रक्षेपण प्रणाली का प्रयोग किया गया है।
- प्रक्षेपण के दौरान मिसाइल द्वारा उत्पन्न ऊष्मा गर्म प्रक्षेपण प्रणाली की प्रमुख समस्या है। छोटी मिसाइलों के लिये गर्म प्रक्षेपण एक बेहतर विकल्प है क्योंकि इजेक्शन पार्ट का संचालन मिसाइल में लगे इंजन का उपयोग करके किया जाता है।

न्यूक्लियर ट्रायड:

- न्यूक्लियर ट्रायड एक त्रि-पक्षीय सैन्यबल संरचना है, जिसमें भूमि-प्रक्षेपित परमाणु मिसाइल, परमाणु मिसाइल से लैस पनडुब्बी और परमाणु बम एवं मिसाइल के साथ सामरिक विमान (जैसे राफेल, ब्रह्मोस) आदि शामिल हैं।

- 'रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन' (DRDO) ने जनवरी 2020 में विशाखापत्तनम तट पर एक जलमग्न पोन्टून से 3,500 किलोमीटर की रेंज वाले K-4 परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया था।
- एक बार नौसेना के बेड़े में शामिल होने के बाद ये मिसाइलें स्वदेशी बैलिस्टिक मिसाइल परमाणु पनडुब्बियों (SSBN) की 'अरिहंत' क्लास का मुख्य आधार होंगी और भारत को भारतीय जलीय क्षेत्र में परमाणु हथियारों को लॉन्च करने की क्षमता प्रदान करेंगी।
- आईएनएस अरिहंत, भारतीय नौसेना के पास मौजूद सेवा में एकमात्र बैलिस्टिक मिसाइल परमाणु पनडुब्बी है, जिसमें 750 किलोमीटर की रेंज के साथ K-4 परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल शामिल हैं।
  - आईएनएस अरिहंत, भारतीय नौसेना के पास मौजूद सेवा में एकमात्र बैलिस्टिक मिसाइल परमाणु पनडुब्बी है, जिसमें 750 किलोमीटर की रेंज के साथ K-4 परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल शामिल हैं।
- पिछले कुछ वर्षों में भारत ने अपना न्यूक्लियर ट्रायड पूरा करने में सफलता हासिल कर ली है। यह भारत की 'नो-फर्स्ट-यूज़' नीति को देखते हुए भी काफी महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि भारत किसी भी परमाणु हमले की स्थिति में व्यापक पैमाने पर जवाबी कार्रवाई का अधिकार सुरक्षित रखता है।

दृष्टि The Vision

नोट :

चर्चा में

दक्षिणी महासागर

हाल ही में विश्व महासागर दिवस (8 जून) के अवसर पर नेशनल ज्योग्राफिक पत्रिका ने 'दक्षिणी महासागर' को विश्व के पाँचवें महासागर के रूप में मान्यता दी है।

- इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गनाइज़ेशन (International Hydrographic Organization- IHO) ने भी वर्ष 1937 में 'दक्षिणी महासागर' को अंटार्कटिका के आसपास के जल के एक अलग भाग के रूप में मान्यता दी थी लेकिन वर्ष 1953 में इसे निरस्त कर दिया था।
- अन्य चार महासागर हैं: अटलांटिक, प्रशांत, भारतीय और आर्कटिक महासागर।

इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गनाइज़ेशन (IHO)

- अंतर्राष्ट्रीय हाइड्रोग्राफिक संगठन एक अंतर-सरकारी परामर्शदाता और तकनीकी संगठन है जिसे वर्ष 1921 में नेविगेशन की सुरक्षा एवं समुद्री पर्यावरण की सुरक्षा का समर्थन करने के लिये स्थापित किया गया था।
- भारत भी IHO का सदस्य है।

प्रमुख बिंदु:

संदर्भ:

- यह सीधे अंटार्कटिका को घेरता है, जो ड्रेक पैसेज और स्कोटिया सागर को छोड़कर महाद्वीप के समुद्र तट से 60 डिग्री दक्षिण अक्षांश तक फैला हुआ है।
- दक्षिणी महासागर एकमात्र ऐसा महासागर है जो 'तीन अन्य महासागरों (प्रशांत, अटलांटिक और हिंद महासागर) को छूता है और एक महाद्वीप से पूरी तरह से घिरे होने के बजाय उसे घेरता है।
- इसके अंटार्कटिक सर्कम्पोलर करंट द्वारा भी इसे परिभाषित किया गया है जिसका विकास 34 मिलियन वर्ष पहले हुआ था। अंटार्कटिका के चारों ओर पश्चिम से पूर्व की ओर मझासागरीय धाराएँ प्रवाहित होती है।

  अंटार्कटिक सर्कम्पोलर करंट (Antarctic Circumpolar Current-ACC):
- ACC वैश्विक महासागर में एकमात्र ऐसी धारा है जो एक सर्कम्पोलर लूप में अपने आप बंद हो जाती है।
  - ACC की यह विशेषता इसे पृथ्वी की जलवायु प्रणाली में सबसे महत्वपूर्ण धारा बनाती है क्योंकि यह अटलांटिक, प्रशांत और हिंद महासागरों को जोड़ती है और ऊष्मा, कार्बन डाइऑक्साइड, रसायन, जीव विज्ञान तथा अन्य ट्रेसर के अंतर-बेसिन विनिमय का प्राथमिक साधन है।
- ACC का विकास दक्षिणी महासागर में तेज़ पछुआ हवाओं के संयुक्त प्रभावों और भूमध्य रेखा तथा ध्रुवों के बीच सतह के तापमान में बड़े बदलाव के कारण हुआ है।
- जैसे-जैसे जल ठंडा होता है यह और अधिक खारा होता जाता है, वैसे-वैसे समुद्र का घनत्व बढ़ता जाता है। उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र का गर्म, सतह का खारा जल अंटार्कटिका के नज़दीक ठंडे, ताज़े जल की तुलना में बहुत हल्का होता है।
  - नियत घनत्व स्तरों की गहराई अंटार्कटिका की ओर ढलान बनाती है। पछुआ पवनें इस ढलान को और भी तीव्र कर देती हैं और ACC इसके साथ-साथ पूर्व की ओर चलती है, जहाँ ढलान तीव्र होता है वहाँ ACC की गति बढ़ जाती है और जहाँ कम होता है वहाँ गति कम हों जाती है।

मान्यता का महत्त्व:

- विश्व के महासागरों के संरक्षण की दिशा में कदम उठाना, विशेष रूप से एक संरक्षण स्पॉटलाइट की आवश्यकता वाले क्षेत्र पर जन जागरूकता पर ध्यान केंद्रित करना।
- ग्लोबल वार्मिंग के कारण दक्षिणी महासागर के तेज़ी से गर्म होने के अलावा, क्रिल और पेटागोनियन टूथफिश जैसी मछलियों की कमी दशकों से चिंता का विषय रहा है। इन मुद्दों पर ध्यान आकर्षित करने की उम्मीद है।

डगमारा जलविद्युत परियोजना: बिहार

चर्चा में क्यों?

हाल ही में डगमारा जलविद्युत परियोजना, जिला सुपौल के कार्यान्वयन के लिये राष्ट्रीय जलविद्युत निगम (National Hydro Power Corporation- NHPC) लिमिटेड और बिहार राज्य जलविद्युत निगम लिमिटेड (Bihar State Hydroelectric Power Corporation Limited- BSHPC) के बीच एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किये गए हैं।

- जलविद्युत के क्षेत्र में NHPC भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के तहत श्रेणी-ए की एक मिनीरत्न कंपनी है।
  - यह भारत में जलविद्युत विकास के लिये सबसे बड़ा संगठन है, वर्तमान में NHPC के पास 24 परिचालन विद्युत स्टेशन हैं जिनकी कुल स्थापित क्षमता 7071 मेगावाट है।

प्रमुख बिंदु

इस परियोजना बारे में:

- यह परियोजना कोसी नदी पर भीमनगर बैराज से लगभग 22.5 किमी नीचे, दाहिने किनारे पर गाँव दगमारा और बाएँ किनारे पर सिमरी के पास स्थित है।
- यह एक रन-ऑफ-द-रिवर योजना है। रन-ऑफ-रिवर पनबिजली परियोजनाएँ पानी द्वारा ले जाने वाली गतिज ऊर्जा का पता लगाने के लिये नदियों और सूक्ष्म टरबाइन जनरेटर के प्राकृतिक नीचे की ओर प्रवाह का उपयोग करती हैं।
  - आमतौर पर नदी से पानी को एक उच्च बिंदु पर प्राप्त किया जाता है और एक चैनल, पाइपलाइन या दबाव वाली पाइपलाइन (या पेनस्टॉक) में भेज दिया जाता है।
- परियोजना की कुल क्षमता 130 मेगावाट ऊर्जा पैदा करना है जिसमें विद्युत उत्पादन के लिये 7.65 मेगावाट की 17 इकाइयाँ स्थापित की जाएंगी।
- इस परियोजना के निर्माण की अनुमानित लागत 2478.24 करोड़ रुपए है।

महत्त्व:

- जहाँ तक हरित ऊर्जा का संबंध है यह बिहार के बिजली क्षेत्र के परिदृश्य में एक ऐतिहासिक परियोजना होगी।
- स्वच्छ और हरित विद्युत उत्पन्न करने के अलावा यह निष्पादन क्षेत्र में सामाजिक-आर्थिक और बुनियादी ढाँचे के विकास को बढ़ावा देगी और रोज़गार के अवसर भी पैदा करेगी।

कोसी नदी

- यह एक सीमापारीय नदी (Trans-Boundary River) है जो तिब्बत, नेपाल एवं भारत से होकर बहती है।
- यह तिब्बत में हिमालय के उत्तरी ढलानों और नेपाल में दक्षिणी ढलानों से होकर बहती है।
- इसकी तीन प्रमुख सहायक नदियाँ, सूर्य कोसी, अरुण और तैमूर हिमालय की तलहटी से 10 किमी. की घाटी के ठीक ऊपर एक बिंदु पर मिलती हैं।
- कटिहार ज़िले में कुर्सेला के पास गंगा में शामिल होने से पहले यह नदी उत्तरी बिहार, भारत में प्रवाहित होती है, जहाँ यह वितरिकाओं में बँट जाती है।

- इसकी अस्थिर प्रकृति में बदलाव और मानसून के मौसम के दौरान भारी गाद तथा भारत में बाढ़ के अत्यधिक प्रभाव के लिये ज़िम्मेदार ठहराया गया है।
    - भारत में ब्रह्मपुत्र के बाद कोसी में अधिकतम मात्रा में गाद और रेत है।
- इसे "बिहार का शोक" के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि वार्षिक बाढ़ लगभग 21,000 किमी. उपजाऊ कृषि भूमि को प्रभावित करती है जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था छिन्न-भिन्न हो जाती है।

भारत-थाईलैंड समन्वित गश्त (इंडो-थाई कॉर्पेट)

हाल ही में भारतीय नौसेना और रॉयल थाई नौसेना के बीच भारत-थाईलैंड समन्वित गश्ती (इंडो-थाई कॉर्पेट) के 31वें संस्करण का आयोजन किया गया। इस अभ्यास का आयोजन संस्करण मलक्का जलडमरूमध्य के पास अंडमान सागर में किया गया था।

प्रमुख बिंदु:

- भारत और थाईलैंड द्वारा वर्ष 2005 से ही अपनी अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा के निकट वर्ष में दो बार इस समन्वित गश्ती का आयोजन किया जाता है।
- भारतीय नौसेना के स्वदेशी निर्मित नौसैनिक अपतटीय गश्ती पोत जहाज़ सरयू (INS Saryu) एवं थाईलैंड का अपतटीय गश्ती पोत हिज मजेस्टीस थाइलैंड शिप कर्बी (HTMS-Krabi) तथा दोनों नौसेनाओं के डोर्नियर समुद्री गश्ती विमानों ने कॉर्पेट के 31वें संस्करण में भाग लिया।

समन्वित गश्त का उद्देश्य:

- दोनों देशों के बीच समुद्री संपर्कों को मजबूत करने और हिंद महासागर के इस महत्त्वपूर्ण हिस्से को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिये सुरक्षित रखना।
- संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि (UN Convention on the Law of the Sea-UNCLOS) के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करना।
    - UNCLOS प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा एवं संरक्षण, समुद्री पर्यावरण के संरक्षण, मछली पकड़ने की अवैध एवं अनियंत्रित गतिविधियों की रोकथाम और दमन, मादक पदार्थों की तस्करी, समुद्री डकैती, तस्करी की रोकथाम हेतु सूचनाओं के आदान-प्रदान, अवैध प्रवासन तथा समुद्र में खोज एवं बचाव कार्यों के संचालन संबंधी नियमों को निर्दिष्ट करता है।

सागर मिशन के दृष्टिकोण के अनुरूप:

- भारत सरकार के सागर (Security And Growth for All in the Region- SAGAR) मिशन के दृष्टिकोण के एक भाग के तौर पर, भारतीय नौसेना द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय अभ्यासों, समन्वित गश्ती, संयुक्त EEZ निगरानी और मानवीय सहायता तथा आपदा राहत अभियानों के माध्यम से क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा बढ़ाने की दिशा में हिंद महासागर क्षेत्र के देशों के साथ सक्रिय रूप से जुड़ रही है।

भारत और थाईलैंड के बीच अन्य अभ्यास:

- मैत्री (MAITREE) अभ्यास - थल सेना
- सियाम-भारत (SIAM BHARAT) अभ्यास - वायुसेना

नमामि गंगे कार्यक्रम

हाल ही में नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत पश्चिम बंगाल के महेशतला (गंगा नदी के पूर्वी तट पर स्थित शहर) में 35 MLD (मेगा लीटर प्रतिदिन) सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के विकास के लिये एक समझौते पर हस्ताक्षर किये गए।

- इस प्लांट के निर्माण हेतु हाइब्रिड वार्षिकी पीपीपी मोड के तहत हस्ताक्षर किये गए थे।

नोट :

प्रमुख बिंदु

नमामि गंगे कार्यक्रम:

- नमामि गंगे कार्यक्रम एक एकीकृत संरक्षण मिशन है जिसे जून 2014 में केंद्र सरकार द्वारा 'फ्लैगशिप कार्यक्रम' के रूप में अनुमोदित किया गया था ताकि प्रदूषण के प्रभावी उन्मूलन और राष्ट्रीय नदी गंगा के संरक्षण एवं कायाकल्प जैसे दोहरे उद्देश्यों को पूरा किया जा सके।
- इस कार्यक्रम का संचालन केंद्रीय जल संसाधन, नदी विकास और गंगा कायाकल्प मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है।
- यह कार्यक्रम राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (NMCG) और इसके राज्य समकक्ष संगठनों यानी राज्य कार्यक्रम प्रबंधन समूहों (SPMGs) द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।
- NMCG राष्ट्रीय गंगा परिषद का कार्यान्वयन विंग है (यह वर्ष 2016 में स्थापित किया गया था जिसने राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण - NGRBA को प्रस्थापित किया)।
- इसके पास 20,000 करोड़ रुपए का केंद्रीय वित्तपोषित, गैर-व्यपगत कोष है और इसमें लगभग 288 परियोजनाएँ शामिल हैं।
- कार्यक्रम के मुख्य स्तंभ हैं:
  - सीवेज ट्रीटमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर
  - रिवर फ्रंट डेवलपमेंट
  - नदी-सतह की सफाई
  - जैव विविधता
  - वनीकरण
  - जन जागरण
  - औद्योगिक प्रवाह निगरानी
  - गंगा ग्राम

गंगा नदी प्रणाली:

- गंगा नदी उद्गम जिसे 'भागीरथी' कहा जाता है, गंगोत्री ग्लेशियर द्वारा पोषित होता है और उत्तराखंड के देवप्रयाग में यह अलकनंदा से मिलती है।
- हरिद्वार में गंगा पहाड़ों से निकलकर मैदानी इलाकों में प्रवेश कर जाती है।
- गंगा में हिमालय की कई सहायक नदियाँ मिलती हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख नदियाँ यमुना, घाघरा, गंडक और कोसी आदि हैं।

इन-ईयू नेवफोर' संयुक्त नौसेना अभ्यास

हाल ही में 'इन-ईयू नेवफोर' संयुक्त नौसेना (IN-EUNAVFOR) अभ्यास अदन की खाड़ी में आयोजित गया है।

प्रमुख बिंदु

प्रतिभागी:

- इसमें भारतीय नौसेना के साथ-साथ अन्य नौसैनिक बल इटली, स्पेन और फ्रांस के हैं।
- इस नौसैनिक अभ्यास में उन्नत वायु रक्षा और पनडुब्बी रोधी अभ्यास, सामरिक युद्धाभ्यास, खोज और बचाव तथा अन्य समुद्री सुरक्षा अभियान शामिल थे

उद्देश्य:

- समुद्री क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिये एक एकीकृत बल के रूप में नौसेनाओं के युद्ध कौशल और उनकी क्षमता को बढ़ावा देना और सुधार करना।

नोट :

महत्त्व:

- यूरोपीय संघ नौसैनिक बल और भारतीय नौसेना, विश्व खाद्य कार्यक्रम चार्टर (UN WFP) के तहत तैनात समुद्री डकैती अभियानों और जहाज़ों की सुरक्षा सहित अनेक मुद्दों पर साथ काम करते हैं।
- भारतीय नौसेना और यूरोपीय संघ नौसैनिक बल, बहरीन में सालाना आयोजित SHADE (शेयर्ड अवेयरनेस एंड डी-कोन्फ्लिक्शन) बैठकों के माध्यम से नियमित बातचीत भी करते हैं।
  - SHADE बहरीन में आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय ऑपरेशनल काउंटर पायरेसी प्लेटफॉर्म है।
  - इसका उद्देश्य भागीदारों को सूचनाओं को साझा करने, प्रवृत्तियों के विकास का आकलन करने, सर्वोत्तम प्रथाओं का आकलन करने और अदन की खाड़ी, ओमान की खाड़ी तथा पश्चिमी हिंद महासागर में समुद्री डकैती के विरुद्ध कार्रवाई करने वालों के बीच संघर्ष को रोकने हेतु प्रोत्साहित करना है।
- यह समुद्रों की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने तथा एक खुली, समावेशी और नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के प्रति प्रतिबद्धता के तौर पर साझेदार नौसेनाओं के रूप में साझा मूल्यों को भी रेखांकित करता है।
- समवर्ती रूप से भारतीय नौसेना सूचना संलयन केंद्र-हिंद महासागर क्षेत्र और समुद्री सुरक्षा केंद्र-हॉर्न ऑफ अफ्रीका क्षेत्र के बीच एक आभासी "सूचना साझाकरण अभ्यास" भी आयोजित किया जा रहा है, जो EUNAVFOR का एक अभिन्न अंग है।
- यह आपसी संपर्क भारतीय नौसेना तथा यूरोपीय संघ नौसैनिक बल के बीच तालमेल, समन्वय और अंतर-संचालनशीलता के स्तर में वृद्धि को प्रदर्शित करता है।

प्रमुख भारतीय समुद्री अभ्यास

अभ्यास का नाम	देश का नाम
SLINEX	श्रीलंका
बोंगोसागर और IN-BN CORPAT	बांग्लादेश
जिमेक्स	जापान
नसीम-अल-बहरी	ओमान
इंद्र	रूस
ज़ैर-अल-बहरी	कतर
समुद्र शक्ति	इंडोनेशिया
भारत-थाई निगम	थाईलैंड
IMCOR	मलेशिया
सिम्बेक्स	सिंगापुर
औसइंडेक्स	ऑस्ट्रेलिया
मालाबार अभ्यास	जापान और यूएसए

7वाँ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस

संस्कृति मंत्रालय द्वारा देश भर में 75 सांस्कृतिक विरासत स्थानों पर सातवाँ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस (21 जून, 2021) आयोजित किया जा रहा है।

प्रमुख बिंदु

भारत द्वारा प्रस्तावित

- वर्ष 2014 में आयोजित संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) के 69वें सत्र के उद्घाटन के दौरान भारत द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस (IDY) का विचार प्रस्तावित किया गया था।
- संयुक्त राष्ट्र ने दिसंबर, 2014 में एक प्रस्ताव पारित करके 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस (IDY) के रूप में घोषित किया।
- वर्ष 2015 में नई दिल्ली में राजपथ पर आयोजित पहले योग दिवस समारोह के दौरान दो गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए गए थे।
  - यह 35,985 लोगों के साथ दुनिया का सबसे बड़ा योग सत्र था।
  - इसमें 84 राष्ट्रों के लोगों द्वारा हिस्सा लिया गया था।

योग के विषय में

- योग एक प्राचीन शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक अभ्यास है जिसकी उत्पत्ति भारत में हुई थी।
- 'योग' शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा से हुई है इसका अर्थ है- किसी व्यक्ति के शरीर एवं चेतना का मिलन या एकजुट होना।
- वर्तमान में यह दुनिया भर में विभिन्न रूपों में प्रचलित है और इसकी लोकप्रियता में लगातार बढ़ोतरी हो रही है।
- क्वारंटाइन और आइसोलेशन में कोविड-19 रोगियों के मनो-सामाजिक देखभाल और पुनर्वास में योग महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने भी अपने सभी सदस्य देशों से योग के अभ्यास को बढ़ावा देने को कहा है और साथ ही इसे 2018-30 की शारीरिक गतिविधि हेतु अपनी वैश्विक कार्य योजना में भी शामिल किया है।

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस- 2021

- इस वर्ष की थीम 'योग फॉर वेलनेस' है।
- 'योग, एक भारतीय विरासत' नाम से एक व्यापक अभियान (75 सांस्कृतिक विरासत स्थलों में योग अभ्यास) शुरू किया गया और यह अभियान भारत के 'आजादी का अमृत महोत्सव' अभियान का भी हिस्सा है।
  - इन 75 सांस्कृतिक विरासत स्थलों की सूची में आगरा किला (उत्तर प्रदेश), शांति स्तूप (लद्दाख), एलोरा गुफाएँ (महाराष्ट्र) और बिहार में नालंदा, राजीव लोचन मंदिर (रायपुर), साबरमती आश्रम (गुजरात) तथा अखनूर किला (जम्मू) हैं।
- प्रधानमंत्री ने एम-योग एप की घोषणा की जो 'एक विश्व एक स्वास्थ्य' के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करेगा।
  - यह एप विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) और आयुष मंत्रालय (भारत सरकार) के बीच सहयोग के माध्यम से विकसित किया गया है।
  - एम-योग एप में दुनिया भर के लोगों के लिये विभिन्न भाषाओं में योग प्रशिक्षण वीडियो और ऑडियो सत्र होंगे, इस तरह यह एप दुनिया भर में योग के विस्तार में महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा।
  - वर्तमान में यह एप अंग्रेज़ी, हिंदी और फ्रेंच भाषा में उपलब्ध है। यह आने वाले समय में संयुक्त राष्ट्र की अन्य भाषाओं में भी उपलब्ध होगा।

इस संबंध में भारत के अन्य प्रयास

- आयुष मंत्रालय ने अपने 'सामान्य योग प्रोटोकॉल' में यम, नियम, आसन आदि को लोकप्रिय योग 'साधना' में सूचीबद्ध किया है।
- ब्यूटी एंड वेलनेस सेक्टर स्किल काउंसिल (B&WSSC) में CBSE स्कूलों के लिये योग में व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम शामिल है।
  - B&WSSC को राष्ट्रीय कौशल विकास निगम, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के तत्त्वावधान में एक गैर-लाभकारी संगठन के रूप में स्थापित किया गया है।
- प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY) जैसी विभिन्न कौशल पहलों के माध्यम से हज़ारों उम्मीदवारों को योग प्रशिक्षक के रूप में प्रशिक्षित किया गया है।
  - PMKVY कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की महत्त्वाकांक्षी योजना है।

- योग 'फिट इंडिया मूवमेंट' का भी हिस्सा है।
  - फिट इंडिया मूवमेंट एक राष्ट्रव्यापी अभियान है जिसका उद्देश्य लोगों को अपने दैनिक जीवन में शारीरिक गतिविधियों और खेलों को शामिल करने के लिये प्रोत्साहित करना है।

पिग्मी हॉग

हाल ही में असम के मानस राष्ट्रीय उद्यान में विश्व के सबसे दुर्लभ और सबसे छोटे जंगली सूअर पिग्मी हॉग (Pygmy Hogs) को छोड़ा गया था।

- यह एक वर्ष में पिग्मी हॉग कंजर्वेशन प्रोग्राम (Pygmy Hog Conservation Programme- PHCP) के तहत जंगल में फिर से शुरू किया गया दूसरा बैच है।

प्रमुख बिंदु:

पिग्मी हॉग कंजर्वेशन प्रोग्राम (PHCP):

- पिग्मी हॉग को सहभागी प्रयासों द्वारा लगभग विलुप्त होने की कगार से बचाया गया था और अब संपूर्ण क्षेत्र में इसकी संख्या में वृद्धि हो रही है।
- PHCP, यूनाईटेड किंगडम के ड्यूरेल वाइल्डलाइफ कंज़र्वेशन ट्रस्ट (Durrell Wildlife Conservation Trust), असम वन विभाग, वाइल्ड पिग स्पेशलिस्ट ग्रुप ऑफ इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर (IUCN) तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के बीच एक सहयोग है।
- इसे वर्तमान में गैर सरकारी संगठनों, आरण्यक और इकोसिस्टम्स इंडिया द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।
  - पिग्मी हॉग के संरक्षण की शुरुआत प्रसिद्ध प्रकृतिवादी गेराल्ड ड्यूरेल और उनके ट्रस्ट द्वारा वर्ष 1971 में की गई थी।
- प्रजनन कार्यक्रम शुरू करने के लिये वर्ष 1996 में मानस राष्ट्रीय उद्यान के बांसबारी क्षेत्र से छह हॉग को पकड़ा गया था।
- वर्ष 2008 में सोनाई-रूपाई वन्यजीव अभयारण्य, ओरंग राष्ट्रीय उद्यान और बोर्नडी वन्यजीव अभयारण्य (ये सभी असम में हैं) के साथ पुनर्स्थापना कार्यक्रम शुरू हुआ।
- वर्ष 2025 तक PHCP ने मानस में 60 पिग्मी हॉग छोड़ने की योजना बनाई है।

पिग्मी हॉग के संदर्भ में:

- वैज्ञानिक नाम: पोर्कुला साल्वेनिया (Porcula Salvania)
- विशेषताएँ:
  - यह उन गिने-चुने स्तनधारियों में से एक है जो एक 'छत' के साथ अपना घर या घोंसला बनाते हैं।
  - यह एक संकेतक प्रजाति भी है। इनकी उपस्थिति इसके प्राथमिक आवास, क्षेत्र, गीले घास के मैदानों के स्वास्थ्य की स्थिति को दर्शाती है।
- आवास:
  - ये आर्द्र घास के मैदान में पाए जाते हैं।
  - पूर्व में हिमालय की तलहटी- नेपाल के तराई क्षेत्रों और बंगाल के दुअर क्षेत्रों से होते हुए उत्तर प्रदेश से असम तक- में लंबे और गीले घास के मैदानों की एक संकीर्ण पट्टी में पाए जाते थे। वर्तमान में ये मुख्य रूप से असम में पाए जाते हैं।
- संरक्षण स्थिति:
  - अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (IUCN) की रेड लिस्ट: संकटग्रस्त
  - वन्य जीवों एवं वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन (CITES): परिशिष्ट I
  - भारतीय वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972: अनुसूची-I
- खतरे:
  - पर्यावास (घास का मैदान) क्षति और गिरावट तथा अवैध शिकार।

राजस्थान का चौथा बाघ अभयारण्य

हाल ही में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA) की तकनीकी समिति ने राजस्थान के रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य (Ramgarh Vishdhari wildlife sanctuary) को बाघ अभयारण्य बनाने की मंज़ूरी दी है। इसके साथ ही रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य राजस्थान का चौथा टाइगर रिज़र्व/बाघ अभयारण्य बन जाएगा।

- यहाँ भारत का 52वाँ टाइगर रिज़र्व होगा।
- प्रत्येक वर्ष 29 जुलाई को वैश्विक बाघ दिवस (Global Tiger Day) मनाया जाता है जो कि बाघ संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिये चिह्नित एक वार्षिक कार्यक्रम है।

प्रोजेक्ट टाइगर

- हमारे राष्ट्रीय पशु, बाघ के संरक्षण के लिये 9 बाघ अभयारण्यों के साथ इस परियोजना को 1973 में लॉन्च किया गया था।
- यहाँ पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की एक केंद्र-प्रायोजित योजना है।
- वर्तमान में, 51 बाघ अभयारण्य, प्रोजेक्ट टाइगर के दायरे में आते हैं, यह परियोजना टाइगर रेंज वाले 18 राज्यों में विस्तारित है, जो हमारे देश के भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 2.21% है।
- बाघ अभयारण्यों का गठन एक कोर/बफर रणनीति के आधार पर किया जाता है। मुख्य/कोर क्षेत्रों को राष्ट्रीय उद्यान या अभयारण्य के रूप में कानूनी दर्जा प्राप्त है, जबकि बफर या परिधीय क्षेत्र वन और गैर-वन भूमि का मिश्रण हैं, जिन्हें बहु उपयोग क्षेत्र के रूप में प्रबंधित किया जाता है।
- टाइगर टास्क फोर्स की सिफारिशों के बाद वर्ष 2005 में NTCA का गठन किया गया था। यह मंत्रालय का एक सांविधिक निकाय है, जो व्यापक पर्यवेक्षी/समन्वयकारी निकाय की भूमिका निभाता है। यह वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 में के तहत किये गए प्रावधानों/कार्यों कार्यों का निष्पादन करता है।
- M-STrIPES (Monitoring System for Tigers - Intensive Protection and Ecological Status) यानी बाघों के लिये निगरानी प्रणाली - गहन सुरक्षा और पारिस्थितिक स्थिति, एक एप आधारित निगरानी प्रणाली है, जिसे वर्ष 2010 में NTCA द्वारा भारतीय बाघ अभयारण्यों में लॉन्च किया गया था।

बाघ/टाइगर की संरक्षण स्थिति

- भारतीय वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972: अनुसूची-I
- अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (IUCN) की रेड लिस्ट: संकटग्रस्त (Endangered)
- वन्य जीवों एवं वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन (CITES): परिशिष्ट-I

प्रमुख बिंदु

रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य:

- अवस्थिति:
  - यह अभयारण्य राजस्थान के बूंदी ज़िले में रामगढ़ गाँव के निकट बूंदी शहर से 45 किमी. की दूरी पर बूंदी-नैनवा रोड पर स्थित है।
- स्थापना:
  - इसे वर्ष 1982 में वन्यजीव अभयारण्यके रूप में अधिसूचित किया गया था और यह 252.79 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है।
- बाघ अभयारण्य का क्षेत्रफल:
  - 1,017 वर्ग किमी. के कुल क्षेत्र को आरक्षित क्षेत्र के रूप में चिह्नित गया है जिसमें भीलवाड़ा के दो वन ब्लॉक- बूंदी का क्षेत्रीय वन ब्लॉक और इंदरगढ़ शामिल हैं, जो रणथंभौर टाइगर रिज़र्व (RTR) के बफर ज़ोन के अंतर्गत आता है।
- जैव-विविधता:
  - इसकी वनस्पतियों में आम और बेर के कुछ वृक्षों के साथ-साथ ढोक, खैर, सालार, खिरनी के वृक्ष शामिल हैं।

- यहाँ पाए जाने वाले प्रमुख जंतु वर्ग में तेंदुआ, सांभर, जंगली सूअर, चिंकारा, स्लॉथ बियर, भारतीय भेड़िया, लकड़बग्घा, सियार, लोमड़ी, हिरण और मगरमच्छ जैसे पक्षी और जानवर शामिल हैं।

राजस्थान के अन्य तीन टाइगर रिज़र्व:

- राजस्थान के अन्य तीन बाघ अभयारण्यों में सवाई माधोपुर स्थित रणथंभौर टाइगर रिज़र्व (RTR), अल्वर स्थित सरिस्का टाइगर रिज़र्व (STR) और कोटा स्थित मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिज़र्व (MHTR) शामिल हैं जहाँ बाघों की संख्या 90 से अधिक है।

राजस्थान में अन्य संरक्षित क्षेत्र:

- मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान (Desert National Park), जैसलमेर
- केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, भरतपुर
- सज्जनगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, उदयपुर
- राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य (राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के त्रि-जंक्शन पर)

पीटर पैन सिंड्रोम

हाल ही में मुंबई की एक विशेष अदालत नेद्वारा नाबालिग का यौन शोषण करने वाले आरोपी को इसलिये जमानत दे दी गई क्योंकि वह पीटर पैन सिंड्रोम (PPS) से पीड़ित था।

- सिंड्रोम लक्षणों और संकेतों का एक संयोजन है जो एक साथ किसी रोग प्रक्रिया का प्रतिनिधित्व करते हैं।

प्रमुख बिंदु

- PPS एक मनोवैज्ञानिक स्थिति है जिसका उपयोग एक ऐसे वयस्क व्यक्ति का वर्णन करने के लिये किया जाता है जो सामाजिक रूप से अपरिपक्व है।
- ऐसे व्यक्ति जो लापरवाह तरीके से जीवन जीने जीते हैं, वयस्कता में भी जिन्हे ज़िम्मेदारियाँ चुनौतीपूर्ण लगती हैं और जो मूल रूप से कभी बड़े नहीं होते हैं, वे प्राय: PPS से पीड़ित होते हैं।
  - पीटर पैन स्कॉटिश उपन्यासकार जेम्स मैथ्यू बैरी द्वारा 1900 के दशक की शुरुआत में बनाया गया एक काल्पनिक चरित्र है।
  - वह काल्पनिक चरित्र एक लापरवाह युवा लड़के का था जो कभी बड़ा नहीं होता है।
- यह शब्द वर्ष 1983 में मनोवैज्ञानिक डैन केली द्वारा ऐसे पुरुषों के व्यवहार की व्याख्या करने के लिये गढ़ा गया था जो 'बड़े होने से इनकार करते हैं" और अपनी उम्र के अनुसार व्यवहार नहीं करते हैं।
- यद्यपि विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) पीटर पैन सिंड्रोम को एक स्वास्थ्य संबंधी विकार के रूप में मान्यता नहीं देता है लेकिन कई विशेषज्ञों का मानना है कि यह एक मानसिक स्वास्थ्य स्थिति है जो किसी के जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकती है।

लक्षण:

- PPS को अभी तक आधिकारिक तौर पर स्वास्थ्य विकार के रूप में मान्यता नहीं दी गई है तथा अभी तक इस बीमारी के लिये स्पष्ट रूप से उत्तरदायी कोई परिभाषित लक्षण या या कारण भी संज्ञान में नहीं आए हैं।
- हालाँकि यह किसी की दैनिक दिनचर्या, रिश्तों, कार्य नैतिकता को प्रभावित कर सकता है और इसके परिणामस्वरूप इससे ग्रसित व्यक्ति के व्यवहार में भी परिवर्तन हो सकता है।

प्रभावित लोग:

- यह किसी भी लिंग, जाति या संस्कृति के व्यक्ति को प्रभावित कर सकता है। यद्यपि यह सिंड्रोम सामान्यत: पुरुषों में अधिक प्रतीत होता है।
- यह उन लोगों को प्रभावित करता है जो बड़े होने में असमर्थ महसूस करते हैं या महसूस नहीं करते हैं, यानी शरीर तो वयस्क होता है लेकिन इनका दिमाग बच्चे के समान होता है।
  - इस सिंड्रोम से ग्रसित लोग नहीं जानते कि कैसे बच्चे की तरह व्यवहार करना बंद करना है या वे ऐसा करना ही नहीं चाहते हैं और माता या पिता बनना शुरू करते हैं।

- इसे वर्तमान में साइकोपैथोलॉजी नहीं माना गया है। हालाँकि पश्चिमी समाज में बड़ी संख्या में वयस्क भावनात्मक रूप से अपरिपक्व व्यवहार प्रस्तुत कर रहे हैं।
    - साइकोपैथोलॉजी एक ऐसा शब्द है जो या तो मानसिक बीमारी या मानसिक संकट के अध्ययन या व्यवहार और अनुभवों की अभिव्यक्ति को संदर्भित करता है, यह मानसिक बीमारी या मनोवैज्ञानिक हानि का संकेत हो सकता है।

वेंडी सिंड्रोम

- PPS को परिभाषित करने वाले मनोवैज्ञानिक ने वेंडी सिंड्रोम (WS) शब्द का प्रयोग उन महिलाओं का वर्णन करने के लिये किया है जो अपने सहयोगियों या उनके करीबी लोगों के साथ माँ की तरह व्यवहार करती हैं।
- WS से पीड़ित लोगों को प्राय: निर्णय लेते हुए, गंदगी को साफ करते हुए और एकतरफा भावनात्मक समर्थन प्रस्तुत करते हुए देखा जाता है।

"लैंड फॉर लाइफ" पुरस्कार

हाल ही में राजस्थान के एक जलवायु कार्यकर्त्ता श्याम सुंदर ज्ञानी को अपनी पर्यावरण संरक्षण अवधारणा- पारिवारिक वानिकी हेतु संयुक्त राष्ट्र का प्रतिष्ठित "लैंड फॉर लाइफ" पुरस्कार दिया गया है।

- विजेता की घोषणा विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस के अवसर पर 17 जून 2021की गई थी।
- पारिवारिक वानिकी तात्पर्य वृक्ष और पर्यावरण की देखभाल को परिवार की आदतों का एक अहम हिस्सा बनाने से है ताकि एक वृक्ष परिवार की चेतना का हिस्सा बन जाए।

प्रमुख बिंदु

लैंड फॉर लाइफ पुरस्कार:

- संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभिसमय (UNCCD) द्वारा यह पुरस्कार प्रत्येक 2 वर्षों में प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार भूमि संतुलन की दिशा में किये गए प्रयासों में उत्कृष्टता और नवाचार को मान्यता देता है।
- इसके पिछले संस्करण विश्व भर की निम्नीकृत/क्षयित भूमि के पुनर्नवीकरण और बहाली की प्रेरक पहलों पर प्रकाश डालते हैं।
- इन सभी प्रयासों ने सतत् विकास लक्ष्य (SDG) संख्या 15: "भूमि पर जीवन", विशेष रूप से लक्ष्य संख्या 15.3 अर्थात् भूमि क्षरण तटस्थता (LDN) को प्राप्त करने में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया।
- इस वर्ष यह पुरस्कार उन व्यक्तियों/संगठनों पर प्रकाश डालता है जिन्होंने बड़े पैमाने पर भूमि क्षरण तटस्थता में उत्कृष्ट योगदान दिया है।
    - इसका अर्थ यह है कि 25 वर्षों या उससे अधिक समय में दीर्घकालिक परिवर्तन और समर्पित कार्यों द्वारा भूमि, लोगों, समुदायों तथा समाज पर उल्लेखनीय सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

शुरुआत :

- इस पुरस्कार को वर्ष 2011 में आयोजित 'संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभिसमय' (UNCCD) के COP-10 (पक्षकारों का सम्मेलन) में कोरिया गणराज्य की चांगवोन पहल के हिस्से के रूप में शुरू किया गया था
- चांगवोन पहल का उद्देश्य वर्ष 2008-18 के लिये रणनीति और COP-10 के निर्णयों के अनुसार की जा रही गतिविधियों के पूरक के रूप में कार्य करना है।

चांगवोन पहल के मुख्य घटकों में शामिल हैं:

- UNCCD की वैज्ञानिक प्रक्रिया को बढ़ाना।
- अतिरिक्त संसाधन जुटाना और साझेदारी व्यवस्था को सुगम बनाना।
- सर्वोत्तम प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिये वैश्विक ढाँचे का समर्थन करना।

नोट :

वर्ष 2021 के लिये पुरुस्कार की थीम:

- "स्वस्थ भूमि, स्वस्थ जीवन" (Healthy Land, Healthy Lives)

  संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभिसमय (UNCCD)

- वर्ष 1994 में स्थापित, यह पर्यावरण और विकास को स्थायी भूमि प्रबंधन से जोड़ने वाला एकमात्र कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय समझौता है।
- यह विशेष रूप से शुष्क, अर्ध-शुष्क और शुष्क उप-आर्द्र क्षेत्रों को संबोधित करता है, जिन्हें शुष्क भूमि के रूप में जाना जाता है, जहाँ कुछ सबसे कमज़ोर पारिस्थितिक तंत्र और लोग पाए जा सकते हैं।
- यह अभिसमय राष्ट्रीय सरकारों को मरुस्थलीकरण के मुद्दे से निपटने के लिये उपाय करने के लिये बाध्य करता है।
- यह तीन रियो अभिसमयों में से एक है, अन्य दो अभिसमयों जैव विविधता अभिसमय (CBD) और जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCCC) हैं।
- भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल है, जिसने तीनों रियो सम्मेलनों के COPs की मेज़बानी की है।
- नया UNCCD 2018-2030 रणनीतिक फ्रेमवर्क भूमि क्षरण तटस्थता (LDN) को प्राप्त करने के लिये सबसे व्यापक वैश्विक प्रतिबद्धता है ताकि क्षरित भूमि को बहाल किया जा सके; 1.3 बिलियन से अधिक लोगों की आजीविका में सुधार किया जा सके और संवेदनशील आबादी पर सूखे के प्रभावों को कम किया जा सके।

टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर्स प्रोग्राम

हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) और आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन (OECD) की एक संयुक्त पहल टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स (TIWB) को भूटान में शुरू किया गया।

- भारत को इसमें भागीदार के रूप में चुना गया है। भारत ने इस कार्यक्रम के लिये कर-विशेषज्ञ उपलब्ध कराए हैं।

प्रमुख बिंदु

- यह कार्यक्रम लगभग 24 महीने की अवधि का है।
- इसका उद्देश्य कर लेखा परीक्षकों को तकनीकी जानकारी और कौशल हस्तांतरित कर सर्वोत्तम लेखापरीक्षा प्रथाओं को साझा करके कर प्रशासन को मज़बूत करने में भूटान की सहायता करना है। कार्यक्रम का फोकस अंतर्राष्ट्रीय कराधान और हस्तांतरण तथा मूल्य निर्धारण के क्षेत्र पर होगा।
- स्थानांतरण मूल्य, जिसे स्थानांतरण लागत के रूप में भी जाना जाता है, वह मूल्य है जिस पर संबंधित पक्ष एक-दूसरे के साथ लेन-देन करते हैं, इसमें विभागों के बीच आपूर्ति या श्रम के व्यापार के दौरान होने वाला लेन-देन शामिल है। बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ अपने को कम कर क्षेत्रों में स्थानांतरित करने के लिये हस्तांतरण कीमतों में हेरफेर कर सकती हैं।
- यह कार्यक्रम भारत और भूटान के बीच निरंतर सहयोग और दक्षिण-दक्षिण सहयोग हेतु भारत के निरंतर तथा सक्रिय समर्थन में एक और मील का पत्थर है।

टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर्स (TIWB)

- TIWB एक क्षमता निर्माण कार्यक्रम है।
- यह दुनिया भर में विकासशील देशों की लेखापरीक्षा क्षमता और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के अनुपालन को मज़बूत करने के लिये जुलाई 2015 में शुरू की गई एक संयुक्त ओईसीडी / यूएनडीपी पहल है।
- यह पूरे अफ्रीका, एशिया, पूर्वी यूरोप, लैटिन अमेरिका और कैरिबियन के विकासशील देशों में योग्य विशेषज्ञों को नियुक्त करता है ताकि ऑडिट, आपराधिक कर जाँच और स्वचालित रूप से आदान-प्रदान की गई जानकारी के प्रभावी उपयोग के क्षेत्रों में कर क्षमता का निर्माण किया जा सके।
- TIWB की सहायता से दुनिया के कुछ सबसे कम विकसित देशों में घरेलू संसाधन जुटाने में वृद्धि हुई है।

नोट :

काला सागर

हाल ही में रूस ने आरोप लगाया है कि ब्रिटिश युद्धपोत ने काला सागर में उसकी क्षेत्रीय जल सीमा का उल्लंघन किया है, जबकि ब्रिटेन और दुनिया के अधिकांश देशों द्वारा इस क्षेत्र को यूक्रेन की सीमा के रूप में जाना जाता है।

- रूस ने वर्ष 2014 में यूक्रेन से क्रीमिया प्रायद्वीप का अधिग्रहण कर लिया था और इस कब्ज़े वाले क्षेत्र के तट के आसपास के क्षेत्रों को रूस अपने क्षेत्रीय जल के रूप में स्वीकार करता है।

प्रमुख बिंदु

'काला सागर' की भौगोलिक स्थिति

- काला सागर, जिसे यूक्सिन सागर के नाम से भी जाना जाता है, दुनिया के प्रमुख जल निकायों और प्रसिद्ध अंतर्देशीय समुद्रों में से एक है।
- अटलांटिक महासागर का यह सीमांत समुद्र, पूर्वी यूरोप और पश्चिमी एशिया के बीच स्थित है।
- यह दक्षिण, पूर्व और उत्तर में क्रमश: पोंटिक, काकेशस और क्रीमियन पहाड़ों से घिरा हुआ है।
- तुर्की जलडमरूमध्य प्रणाली- डारडेनेल्स, बोस्फोरस और मरमारा सागर- भूमध्यसागर तथा काला सागर के बीच एक ट्रांज़ीशन ज़ोन के रूप में कार्य करती है।
- काला सागर, केर्च जलडमरूमध्य के माध्यम से सागर से भी जुड़ा हुआ है।
- काला सागर के सीमावर्ती देशों में- रूस, यूक्रेन, जॉर्जिया, तुर्की, बुल्गारिया और रोमानिया शामिल हैं।

काला सागर- एनोक्सिक जल

- काला सागर के जल में ऑक्सीजन की भारी कमी है।
- काला सागर एक मेरोमिक्टिक बेसिन के साथ सबसे बड़ा जल निकाय है, जिसका अर्थ है कि यहाँ समुद्र की निचली और ऊपरी परतों के बीच पानी की आवाजाही एक दुर्लभ घटना है।
- एनोक्सिक स्थिति समुद्र में यूट्रोफिकेशन की प्रक्रिया की उपस्थिति के कारण भी होती है।

एनोक्सिक जल

- एनोक्सिक जल समुद्र के पानी, ताज़े पानी या भूजल के वह क्षेत्र है, जहाँ घुलित ऑक्सीजन की कमी होती है और ये हाइपोक्सिया की अधिक गंभीर स्थिति में होते हैं।
- यह स्थिति आमतौर पर उन क्षेत्रों में पाई जाती है, जहाँ आसपास के जल निकायों से जल विनिमय सीमित अथवा पूर्णत: प्रतिबंधित होता है।

समुद्र से गुज़रने संबंधी अंतर्राष्ट्रीय नियम

- समुद्र परिवहन संबंधी अंतर्राष्ट्रीय कानून (यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी, 1982) एक जहाज़ को दूसरे राज्य के क्षेत्रीय जल से गुज़रने की अनुमति देता है, जब तक कि यह उसकी सुरक्षा को प्रभावित नहीं करता हो।

प्रोजेक्ट सीबर्ड: आईएनएस कदंब

हाल ही में रक्षा मंत्री ने 'प्रोजेक्ट सीबर्ड' (Project Seabird) के दूसरे चरण के अंतर्गत चल रहे बुनियादी ढाँचे के विकास की समीक्षा के लिये कर्नाटक में कारवार नौसेना बेस का दौरा किया।

प्रमुख बिंदु

प्रोजेक्ट सीबर्ड फेज II:

- प्रोजेक्ट सीबर्ड में 11,169 एकड़ के क्षेत्र में एक नौसैनिक अड्डे का निर्माण शामिल है।
- प्रथम चरण में गहरे समुद्र में बंदरगाह, ब्रेकवाटर ड्रेजिंग, टाउनशिप, नौसैनिक अस्पताल और एक डॉकयार्ड अपलिफ्ट सेंटर का निर्माण शामिल था। इसे वर्ष 2005 में पूरा किया गया था।

- प्रोजेक्ट सीबर्ड के द्वितीय चरण को वर्ष 2012 में सुरक्षा पर कैबिनेट कमेटी द्वारा मंज़ूरी दी गई थी। इसमें अतिरिक्त युद्धपोतों को रखने और अन्य योजनाओं के साथ एक नया नेवल एयर स्टेशन स्थापित करने के लिये सुविधाओं का विस्तार करने की परिकल्पना की गई है।
- आईएनएस कदंब (INS Kadamba) वर्तमान में तीसरा सबसे बड़ा भारतीय नौसैनिक अड्डा है और द्वितीय विस्तार चरण के पूरा होने के बाद पूर्वी गोलार्द्ध में सबसे बड़ा नौसैनिक अड्डा बनने की उम्मीद है।
- नौसेना का अकेला विमानवाहक पोत आईएनएस विक्रमादित्य कारवार में स्थित है। इस बेस में जहाज़ों एवं पनडुब्बियों के लिये देश की पहली सीलिफ्ट सुविधा, एक अद्वितीय "शिपलिफ्ट" और डॉकिंग तथा अनडॉकिंग स्थानांतरण प्रणाली भी है।
- इस परियोजना में कई तकनीकी और पर्यावरणीय चुनौतियाँ शामिल हैं।

भारतीय नौसेना में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के प्रयास:

- पिछले पाँच वित्तीय वर्षों में नौसेना के बजट का दो-तिहाई से अधिक स्वदेशी खरीद पर खर्च किया गया है।
- 48 जहाज़ों और पनडुब्बियों में से 46 को स्वदेशी निर्माण के माध्यम से शामिल किया जा रहा है।
- प्रोजेक्ट 75 (I) में 43,000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से अत्याधुनिक एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम (Air Independent Propulsion System) से लैस पनडुब्बियों के स्वदेशी निर्माण की परिकल्पना की गई है।
- विमान वाहक विक्रांत, जिसके वर्ष 2022 में नौसेना में शामिल होने की संभावना है, नौसेना के आत्मनिर्भरता प्रयासों का एक प्रमुख उदाहरण है।
- नौसेना 'सागर' (SAGAR- Security & Growth for All in Region) पर ध्यान देने के साथ अपने समुद्री पड़ोसियों के साथ भारत के संबंधों को लगातार मज़बूत कर रही है।
    - कोविड-19 महामारी से प्रभावित देशों से फँसे भारतीय नागरिकों को निकालने से लेकर विदेशों में ऑक्सीजन सिलेंडर सहित महत्त्वपूर्ण उपकरणों को लाने-ले जाने में भारतीय नौसेना ने (ऑपरेशन समुद्र सेतु - I और II) अथक प्रयास किया है।
    - सागर को वर्ष 2015 में लॉन्च किया गया था। यह हिंद महासागर क्षेत्र (Indian Ocean Region) रणनीति पर आधारित है।

राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस

राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रणाली (National Statistical System) की स्थापना में प्रशांत चंद्र महालनोबिस के अमूल्य योगदान को मान्यता देने के लिये इनकी जयंती (29 जून) को हर साल सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है।

प्रमुख बिंदु:

दिवस को मनाने का उद्देश्य:

- दैनिक जीवन में सांख्यिकी के उपयोग को लोकप्रिय बनाना और जनता को इस बात के लिये जागरूक करना कि नीतियों को आकार देने तथा तैयार करने में सांख्यिकी किस तरह सहायक है।

  वर्ष 2021 के लिये थीम:
- सतत् विकास लक्ष्य (SDG) -2 (भुखमरी की समाप्ति, खाद्य सुरक्षा प्राप्त करना तथा बेहतर पोषण और टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देना ।

संबंधित आयोजन:

- सरकारी सांख्यिकी में प्रो. पी.सी. महालनोबिस राष्ट्रीय पुरस्कार, 2021 और युवा सांख्यिकीविद् के लिये प्रो. सी. आर. राव राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 के विजेताओं की घोषणा की जाएगी।
    - सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (Ministry of Statistics and Programme Implementation) ने वर्ष 2019 में केंद्र सरकार, राज्य सरकारों एवं संस्थानों में आधिकारिक सांख्यिकीविदों के असाधारण योगदान के सम्मान में प्रो. पी. सी. महालनोबिस राष्ट्रीय आधिकारिक सांख्यिकी पुरस्कार (Prof. P.C. Mahalanobis National Award in Official Statistics) नामक पुरस्कार का गठन किया था।

नोट :

- मंत्रालय वैकल्पिक वर्षों में प्रदान किये जाने वाले प्रो. सी.आर. राव और प्रो. पी.वी. सुखात्मे पुरस्कारों के माध्यम से आधिकारिक सांख्यिकीय प्रणाली को लाभान्वित करने वाले अनुप्रयुक्त एवं सैद्धांतिक सांख्यिकी के क्षेत्र में उच्च गुणवत्ता वाले शोध कार्य हेतु उत्कृष्ट योगदान को भी मान्यता देता है।.

प्रशांत चंद्र महालनोबिस (1893-1972)

- उन्हें भारत में आधुनिक सांख्यिकी का जनक माना जाता है, उन्होंने भारतीय सांख्यिकी संस्थान (Indian Statistical Institute-ISI) की स्थापना की, योजना आयोग को आकार दिया (जिसे 1 जनवरी, 2015 को नीति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित किया गया) और बड़े पैमाने पर सर्वेक्षण के लिये कार्यप्रणाली का मार्ग प्रशस्त किया।
- उन्होंने रैंडम सैंपलिंग की विधि का उपयोग करते हुए बड़े पैमाने पर नमूना सर्वेक्षण करने तथा परिकलित रकबे/पहले से अनुमानित क्षेत्रफल और फसल की पैदावार का आकलन करने हेतु नवीन तकनीकों की शुरुआत की।
  - उन्होंने 'फ्रैक्टाइल ग्राफिकल एनालिसिस' नामक एक सांख्यिकीय पद्धति भी तैयार की, जिसका उपयोग विभिन्न समूहों की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों के बीच तुलना करने के लिये किया जाता है।

कालक्रम:

- 1930: पहली बार 'महालनोबिस दूरी' का प्रस्ताव किया गया, जो दो डेटा सेट के बीच तुलना हेतु एक माप है।
  - कई आयामों में माप के आधार पर, एक बिंदु और वितरण के बीच की दूरी का पता लगाने के लिये इस सूत्र का उपयोग किया जाता है। व्यापक स्तर पर इसका उपयोग क्लस्टर विश्लेषण और वर्गीकरण क्षेत्र में किया जाता है।
- 1932: कोलकाता में ISI की स्थापना, जिसे वर्ष 1959 में राष्ट्रीय महत्त्व का संस्थान घोषित किया गया।
- 1933: 'सांख्य: द इंडियन जर्नल ऑफ स्टैटिस्टिक्स' की शुरुआत।
- 1950: राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण (National Sample Survey) की स्थापना और सांख्यिकीय गतिविधियों के समन्वय के लिये केंद्रीय सांख्यिकी संगठन (Central Statistical Organisation- CSO) की स्थापना।
- 1955: योजना आयोग के सदस्य बने और वर्ष 1967 तक उस पद पर बने रहे।
  - उन्होंने भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना (1956-1961) तैयार करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसने भारत में औद्योगीकरण और विकास का खाका तैयार किया।
- 1968: पद्म विभूषण से सम्मानित।
  - उन्हें अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा भी कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था।

अभ्यास 'सी ब्रीज 2021'

रूस और यूक्रेन के बीच तनावपूर्ण संबंधों के बीच यूक्रेन के साथ पश्चिमी सहयोग का प्रदर्शन करते हुए यूक्रेन तथा संयुक्त राज्य अमेरिका ने काला सागर में संयुक्त नौसैनिक अभ्यास 'सी ब्रीज' (Sea Breeze) की शुरुआत की है।

यह अभ्यास ब्रिटिश रॉयल नेवी के HMS डिफेंडर के काला सागर में रूस के कब्जे वाले क्रीमिया के पास से गुज़रने के कुछ ही दिनों बाद ही शुरू हुआ है।

प्रमुख बिंदु

अभ्यास के बारे में:

- अभ्यास सी ब्रीज का आयोजन वर्ष 1997 से किया जा रहा है, जिसमें नाटो राज्य तथा काला सागर क्षेत्र में स्थित नाटो सहयोगी देश शामिल होते हैं।
- वर्ष 1997 से अब तक 21 बार इस अभ्यास का आयोजन हो चुका है। इस बार का संस्करण (वर्ष 2021) अभी तक आयोजित अभ्यासों के इतिहास में सबसे बड़ा होगा जिसमें 30 से अधिक देशों के लगभग 5,000 सैन्यकर्मी शामिल होंगे।

अभ्यास का उद्देश्य:

- अभ्यास का उद्देश्य नौसेना और भूमि संबंधी ऑपरेशनों में सुधार करना तथा भाग लेने वाले देशों के बीच आपसी सहयोग में सुधार करना है।
- अभ्यास का एक अन्य उद्देश्य क्षेत्र में स्थिरता और शांति बनाए रखने के लिये एक शक्तिशाली संदेश भेजना भी है।

रूस के लिये काला सागर का महत्त्व:

- काला सागर क्षेत्र की अद्वितीय भौगोलिक अवस्थिति रूस को कई भू-राजनीतिक लाभ प्रदान करती है और इसीलिये रूस हमेशा इस क्षेत्र पर अपना नियंत्रण बनाए रखने चाहता था।
  - पहला, यह पूरे क्षेत्र के लिये एक महत्त्वपूर्ण और रणनीतिक चौराहे के रूप में कार्य करता है। काला सागर तक पहुँच सभी तटीय और पड़ोसी राज्यों के लिये महत्त्वपूर्ण है और कई आसन्न क्षेत्रों में शक्ति प्रदर्शन को काफी हद तक बढ़ाता है।
  - दूसरा, यह क्षेत्र माल और ऊर्जा परिवहन के लिये एक महत्त्वपूर्ण पारगमन गलियारे के रूप में कार्य करता है।
  - तीसरा, काला सागर क्षेत्र सांस्कृतिक एवं जातीय विविधता से समृद्ध है और भौगोलिक निकटता के कारण, रूस के साथ घनिष्ठ ऐतिहासिक संबंध साझा करता है।
- इस तरह के हितों का अनुसरण करने के बाद रूस ने वर्ष 2014 में क्रीमिया को यूक्रेन से अलग कर इस पर कब्ज़ा कर लिया और प्रायद्वीप के आसपास के जलक्षेत्र को अपने क्षेत्र के हिस्से के रूप में दावा किया।
  - अधिकांश देश रूस द्वारा किये गए इस अधिग्रहण को मान्यता नहीं देते हैं और जल के लिये यूक्रेन के दावों का समर्थन करते हैं।

काला सागर:

- अटलांटिक महासागर का यह सीमांत समुद्र, पूर्वी यूरोप और पश्चिमी एशिया के बीच स्थित है।
- काला सागर के सीमावर्ती देशों में- रूस, यूक्रेन, जॉर्जिया, तुर्की, बुल्गारिया और रोमानिया शामिल हैं।
- काला सागर एक मेरोमिक्टिक बेसिन के साथ सबसे बड़ा जल निकाय है, जिसका अर्थ है कि यहाँ समुद्र की निचली और ऊपरी परतों के बीच जल की आवाजाही एक दुर्लभ घटना है जो इसके जल के एनोक्सिक (यानी जल में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन की कमी) होने के लिये भी उत्तरदायी है।

NATRAX-हाई स्पीड ट्रैक

हाल ही में भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्री ने पीथमपुर, इंदौर (मध्य प्रदेश) में NATRAX- हाई स्पीड ट्रैक (NATRAX-High Speed Track) का उद्घाटन किया।

प्रमुख बिंदु:

परिचय:

- यह नेशनल ऑटोमोटिव टेस्टिंग एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट (R&D) इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट (NATRIP) के तहत अत्याधुनिक ऑटोमोटिव टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन सेंटर में से एक है।
  - NATRIP ऑटोमोटिव क्षेत्र में सबसे बड़ी और सबसे महत्त्वपूर्ण पहल है जिसमें भारत सरकार, कई राज्य सरकारों तथा भारतीय ऑटोमोटिव उद्योग के प्रतिनिधि शामिल हैं।
    - यह भारी उद्योग मंत्रालय की एक फ्लैगशिप परियोजना है।
  - इसका उद्देश्य देश में अत्याधुनिक परीक्षण, सत्यापन और अनुसंधान एवं विकास अवसंरचना का निर्माण करना है।
- यह एक विश्व स्तरीय 11.3 किमी का हाई स्पीड ट्रैक है जो एशिया का सबसे लंबा और विश्व का पाँचवाँ सबसे बड़ा ट्रैक है।
  - इसे 1000 एकड़ भूमि में विकसित किया गया है।
- यह कई परीक्षण क्षमताएँ जैसे- अधिकतम गति का मापन, त्वरण, निरंतर गति ईंधन की खपत, वास्तविक सड़क ड्राइविंग सिमुलेशन के माध्यम से उत्सर्जन परीक्षण, लेन परिवर्तन के दौरान उच्च गति और स्थिरता मूल्यांकन, उच्च गति स्थायित्व परीक्षण आदि के साथ वाहन गतिशीलता के लिये उत्कृष्टता केंद्र है।

नोट :

अवस्थिति:

- यह मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर से केवल 50 किमी दूर स्थित है।
- केंद्र में स्थित होने के कारण यह अधिकांश प्रमुख मूल उपकरण निर्माताओं (Original Equipment Manufacturers-OEMs) के लिये सुलभ है।

महत्त्व:

- भारत के लिये प्रोटोटाइप कारों का विकास:
  - हाई स्पीड ट्रैक का उपयोग हाई-एंड (High- End) कारों जैसे- बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज़ आदि की अधिकतम गति क्षमता को मापने के लिये किया जाता है जिन्हें किसी भी भारतीय परीक्षण ट्रैक पर नहीं मापा जा सकता है।
  - विदेशी OEM भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल प्रोटोटाइप कारों के विकास के लिये नैट्रैक्स हाई स्पीड ट्रैक पर ध्यान देंगे।
    - वर्तमान में विदेशी OEM उच्च गति परीक्षण आवश्यकताओं के लिये विदेश में अपने संबंधित उच्च गति ट्रैक का उपयोग करते हैं।
- वन स्टॉप सॉल्यूशन:
  - यह सभी प्रकार के उच्च गति प्रदर्शन परीक्षणों के लिये वन स्टॉप सॉल्यूशन है, जो विश्व में सबसे बड़ा है।
  - यह वाहनों की व्यापक श्रेणी को पूरा कर सकता है; दो पहिया वाहनों से लेकर सबसे भारी ट्रैक्टर ट्रेलरों तक।

भरितलासुचस तपनी: एक मांसाहारी सरीसृप

हाल ही में जीवाश्म विज्ञानियों की अंतर्राष्ट्रीय टीम ने एक मांसाहारी सरीसृप पर प्रकाश डाला है जो 240 मिलियन वर्ष पहले (भरितलासुचस तपनी) पाया जाता था।

- टीम ने भारतीय सांख्यिकी संस्थान, कोलकाता में संग्रहीत कुछ जीवाश्म नमूनों का अध्ययन किया।
- 20वीं शताब्दी के मध्य में संस्थान के शोधकर्त्ताओं ने येर्रापल्ली संरचना (वर्तमान में तेलंगाना) की चट्टानों पर व्यापक अध्ययन किया, इसमें कई जीवाश्मों को उजागर किया गया है।

प्रमुख बिंदु:

परिचय:

- यह सरीसृप एक जीनस और प्रजाति से संबंधित है इसके संबंध में पूर्व में विज्ञान में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं थी। पेलियोन्टोलॉजिस्ट तपन रॉय चौधरी के नाम पर शोधकर्त्ताओं ने इसका नाम भरितलासुचस तपनी (BT) रखा है।
  - भारतीय कशेरुकी जीवाश्म विज्ञान में तपन रॉय चौधरी के योगदान और विशेष रूप से येर्रापल्ली संरचना में पाए जाने वाले टेट्रापॉड जीवों पर उनके व्यापक कार्य के सम्मान में यह नाम रखा गया है।
- BT बड़े सिर और बड़े दाँतों वाले मज़बूत जानवर थे और ये शायद अन्य छोटे सरीसृपों से पूर्व के थे।
  - ये लगभग एक वयस्क नर शेर के आकार के थे और अपने पारिस्थितिक तंत्र में सबसे बड़े शिकारी थे।
- तेलुगु भाषा में भारी का अर्थ है विशाल, ताला का अर्थ है सिर और सुचुस मिस्र के मगरमच्छ के सिर वाले देवता का नाम है।
- आगे के अध्ययनों से पता चला कि सरीसृप एरिथ्रोसुचिडे (Erythrosuchidae) नामक विलुप्त सरीसृपों के परिवार से संबंधित था।
  - एरिथ्रोसुचिड्स दक्षिण अफ्रीका, रूस और चीन के निचले-मध्य त्रिविधकालीन (Triassic Period) चट्टानों में जाता था और दक्षिण-मध्य भारत के मध्य त्रिविधकालीन येर्रापल्ली संरचना से प्रारंभिक रिपोर्टें मिली हैं।

येर्रापल्ली संरचना (Yerrapalli Formation):

- यह त्रिविधकालीन चट्टानी संरचना है जिसमें मुख्य रूप से दक्षिण-पूर्वी भारत में प्राणहिता-गोदावरी बेसिन में बहने वाले मडस्टोन शामिल हैं।
    - 250-201 मिलियन वर्ष पूर्व की अवधि को त्रिविधकाल (Triassic Period) के रूप में जाना जाता है।
- येर्रापल्ली संरचना के जीवाश्म संयोजन में इस एरिथ्रोसुचिड सरीसृप के अलावा सेराटोडॉन्टिड लंगफिश, राइनोकोसौर और एलोकोटोसॉरियन जैसे कई अन्य विलुप्त जीव शामिल हैं।
- हालाँकि वनों की कटाई, खनन, कृषि विस्तार, शहरीकरण आदि भारत के जीवाश्म क्षेत्रों को धीरे-धीरे नष्ट कर रहे हैं।

दृष्टि The Vision

विविध

राजा परबा

14 जून, 2021 से ओडिशा में 3 दिवसीय 'राजा परबा' की शुरुआत हो गई है। इस दिवस का लक्ष्य नारीत्व के महत्त्व और उनके योगदान को रेखांकित करना है। इस अवधि के दौरान यह माना जाता है कि मानसून के आगमन के साथ धरती माता को मासिक धर्म होता है और वह भविष्य की कृषि गतिविधियों के लिये स्वयं को तैयार करती हैं। ज्ञात हो कि मासिक धर्म को प्रजनन क्षमता का संकेत माना जाता है। उत्सव की शुरुआत 'मिथुन संक्रांति' से एक दिन पूर्व होती है और उसके दो दिन बाद यह समाप्त होता है। त्योहार के पहले दिन को 'पहिली राजा' कहा जाता है, जबकि दूसरे दिन को 'मिथुन संक्रांति' और तीसरे दिन को 'भु दहा' या 'बसी राजा' कहा जाता है। परबा के दौरान ओडिशा के लोग कोई भी निर्माण कार्य, जुताई अथवा कोई ऐसा कार्य नहीं करते हैं, जिसके लिये मिट्टी को खोदने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार की गतिविधियों को न करने का प्राथमिक उद्देश्य धरती माँ (भूमि देवी) को उनके नियमित कार्य से अवकाश प्रदान करना होता है। यह त्योहार गर्मी के मौसम की समाप्ति और मानसून के आगमन के साथ भी जुड़ा हुआ है और इसीलिये यह कृषि से संबंधित समुदायों के लिये काफी महत्त्वपूर्ण माना जाता है।

'जीवन वायु' उपकरण

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान- रोपड़ (IIT-R) के शोधकर्त्ताओं ने एक ऐसा उपकरण विकसित किया है, जिसे 'कंटीन्यूअस पॉज़िटिव एयरवे प्रेशर' (CPAP) मशीन के विकल्प के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। 'जीवन वायु' नामक यह उपकरण 60 लीटर प्रति मिनट (LPM) तक उच्च प्रवाह ऑक्सीजन प्रदान करने में सक्षम है। पारंपरिक तौर पर CPAP मशीन का प्रयोग वायुमार्ग को खुला रखने के लिये हल्के वायुदाब के रूप में किया जाता है और यह साँस लेने में समस्या और 'स्लीप एपनिया' से पीड़ित रोगियों के लिये काफी उपयोगी होता है। 'कंटीन्यूअस पॉज़िटिव एयरवे प्रेशर' (CPAP) थेरेपी यह सुनिश्चित करने में मदद करती है कि नींद के दौरान साँस लेने से वायुमार्ग में कोई समस्या उत्पन्न न हो। इस थेरेपी का उपयोग उन शिशुओं के इलाज के लिये भी किया जाता है, जिनके फेफड़े पूरी तरह से विकसित नहीं हुए हैं। नया उपकरण भारत में डिज़ाइन किया गया अपनी तरह का पहला उपकरण है, जो बिजली के बिना भी काम करता है और दोनों प्रकार की ऑक्सीजन उत्पादन इकाइयों जैसे- ऑक्सीजन सिलेंडर और ऑक्सीजन पाइपलाइनों के लिये अनुकूलित है। इस उपकरण को गैस मिश्रण में ऑक्सीजन की सांद्रता को 40 प्रतिशत से ऊपर बनाए रखने के लिये डिज़ाइन किया गया है, साथ ही इसमें एक वायरल फिल्टर भी मौजूद है, जिसमें 99.99 प्रतिशत की प्रभावकारिता का दावा किया गया है।

लकड़ी से निर्मित पहला अंतरिक्ष उपग्रह

यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी (ESA) ने इस वर्ष के अंत तक दुनिया के पहले लकड़ी से निर्मित उपग्रह, 'WISA वुडसैट' को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करने की योजना बनाई है। इस उपग्रह का मिशन अंतरिक्षयान संरचनाओं में प्लाईवुड जैसी लकड़ी की सामग्री की प्रयोज्यता का परीक्षण करना है और इस पर चरम अंतरिक्ष स्थितियों जैसे- गर्मी, ठंड, वैक्यूम और विकिरण आदि के प्रभाव का परीक्षण करना है। इसे न्यूज़ीलैंड के माहिया प्रायद्वीप प्रक्षेपण परिसर से 'रॉकेट लैब इलेक्ट्रॉन' नामक रॉकेट के साथ वर्ष 2021 के अंत तक अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया जाएगा। फिनलैंड में डिज़ाइन और निर्मित यह उपग्रह लगभग 500-600 किलोमीटर की ऊँचाई पर परिक्रमा करेगा। 'WISA वुडसैट' एक 10x10x10 सेंटीमीटर नैनो उपग्रह है, जिसे प्लाईवुड से बने मानकीकृत बॉक्स और सतह पैनलों से बनाया गया है। इसके तहत निर्माताओं ने लकड़ी से आने वाली वाष्प को कम करने और परमाणु ऑक्सीजन के क्षरणकारी प्रभावों से बचाने के लिये एक बहुत पतली एल्युमीनियम ऑक्साइड परत का भी उपयोग किया है। इस उपग्रह में एक कैमरा भी लगाया गया है, जो इस बात की निगरानी करने में मदद करेगा कि लकड़ी से निर्मित यह उपग्रह अंतरिक्ष की परिस्थितियों के साथ किस प्रकार व्यवहार कर रहा है।

'सिल्वरलाइन' परियोजना

हाल ही में केरल मंत्रिमंडल ने 'सिल्वरलाइन' परियोजना के लिये भूमि अधिग्रहण को मंज़ूरी दे दी है। इस परियोजना में राज्य के दक्षिणी हिस्से और राज्य की राजधानी 'तिरुवनंतपुरम' को कासरगोड के उत्तरी हिस्से से जोड़ने के लिये राज्य में एक सेमी हाई-स्पीड रेलवे कॉरिडोर का निर्माण किया जाना शामिल है। यह लाइन तकरीबन 529.45 किलोमीटर लंबी होगी, जिसमें 11 स्टेशनों के माध्यम से राज्य के 11 ज़िलों को जोड़ा

जाएगा। इस परियोजना के पूरा होने से कासरगोड से तिरुवनंतपुरम तक की यात्रा चार घंटे से भी कम समय में पूरी की जा सकेगी। केरल रेल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (KRDCL) द्वारा इस परियोजना को वर्ष 2025 तक पूरा किया जाएगा। 'केरल रेल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड' केरल सरकार और केंद्रीय रेल मंत्रालय के बीच एक संयुक्त उद्यम है। 'सिल्वरलाइन' परियोजना के माध्यम से राज्य की मौजूदा रेलवे अवसंरचना के भार को कम किया जा सकेगा, साथ ही इसके माध्यम से राज्य के निवासियों को तीव्र सार्वजानिक परिवहन सुविधा उपलब्ध की जा सकेगी। इससे सड़कों पर भीड़भाड़ कम होगी और हादसों एवं मौतों की संख्या को भी कम किया जा सकेगा।

अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस

संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा प्रतिवर्ष 16 जून को अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस (IDFR) का आयोजन किया जाता है। इस दिवस के आयोजन की घोषणा वर्ष 2015 में की गई थी। 'अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस' उन दो सौ मिलियन प्रवासी श्रमिकों को मान्यता प्रदान करता है, जो अपने प्रियजनों को धन हस्तांतरित करते हैं। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस की थीम है- 'रिकवरी एंड रेसिलिएंस थ्रू डिजिटल एंड फाइनेंशियल इन्क्लूज़न'। प्रेषित धन वह धन है जो किसी अन्य पार्टी (सामान्यत: एक देश से दूसरे देश में) को भेजा जाता है। प्रेषक आमतौर पर एक अप्रवासी होता है और प्राप्तकर्त्ता एक समुदाय/परिवार से संबंधित होता है। दूसरे शब्दों में रेमिटेंस या प्रेषण से आशय प्रवासी कामगारों द्वारा धन अथवा वस्तु के रूप में अपने मूल समुदाय/परिवार को भेजी जाने वाली आय से है। ज्ञात हो कि विश्व में प्रेषित धन या रेमिटेंस का सबसे बड़ा प्राप्तकर्त्ता भारत है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक, 'प्रेषण' प्रवासी श्रमिकों को उनके परिवारों से आर्थिक रूप से जोड़ता है। यह दिवस इस तथ्य को रेखांकित करता है कि 'प्रेषण' दुनिया भर में परिवारों की कई बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करता है। संयुक्त राष्ट्र की मानें तो वर्ष 2020 में कोविड-19 महामारी के कारण प्रेषण में 1.6 प्रतिशत की गिरावट आई है।

हेलियोस्फीयर का पहला 3D मानचित्र

संयुक्त राज्य अमेरिका में 'लॉस एलामोस नेशनल लेबोरेटरी' के खगोलविदों ने हेलियोस्फीयर का पहला 3D मानचित्र विकसित किया है। वैज्ञानिकों ने पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले नासा के उपग्रह 'इंटरस्टेलर बाउंड्री एक्सप्लोरर' के डेटा का उपयोग करके यह 3D मानचित्र तैयार किया है। विदित हो कि फिज़िक्स के मॉडल्स ने कई वर्षों पूर्व ही हेलियोस्फीयर की सीमाओं को सिद्ध कर दिया था, किंतु यह पहली बार है जब वास्तव में इसे मापने और इसके त्रि-आयामी मानचित्र को बनाने का प्रयास किया गया है। वैज्ञानिकों ने हेलियोस्फीयर के किनारे यानी हेलियोपॉज़ तक का नक्शा तैयार किया है। हेलियोस्फीयर, सोलर विंड (सूर्य से निकालने वाली आवेशित कणों की एक सतत् धारा, जो सभी दिशाओं में प्रवाहित होती है) द्वारा हमारे सौरमंडल के चारों ओर निर्मित एक सुरक्षात्मक बबल होता है, जो हमें हानिकारक इंटरस्टेलर विकिरण से बचाता है। वहीं हेलियोपॉज़ 'सोलर विंड' और इंटरसेलर विंड के बीच की सीमा होती है, जहाँ दोनों हवाओं का दबाव संतुलन में होता है।

प्रोजेक्ट O2 फॉर इंडिया

कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के बीच केंद्र सरकार ने महामारी संबंधी भविष्य की चुनौतियों से निपटने और मेडिकल उपयोग हेतु ऑक्सीजन के उत्पादन को बढ़ाने के लिये 'प्रोजेक्ट O2 फॉर इंडिया" लॉन्च किया है। 'प्रोजेक्ट O2 फॉर इंडिया' भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कार्यालय (भारत सरकार) की एक पहल है, जिसका उद्देश्य मेडिकल उपयोग हेतु ऑक्सीजन की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिये देश की क्षमता बढ़ाने हेतु काम कर रहे हितधारकों की मदद करना है। कोविड-19 की दूसरी लहर के दौरान देश के विभिन्न हिस्सों में मेडिकल उपयोग हेतु ऑक्सीजन की मांग में वृद्धि देखी गई, ऐसे में वर्तमान मांग को पूरा करते हुए भविष्य में पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु मेडिकल ऑक्सीजन अवसंरचना का विकास करना आवश्यक है। परियोजना के तहत 'नेशनल कंसोर्टियम ऑफ ऑक्सीजन' महत्त्वपूर्ण कच्चे माल जैसे- जिओलाइट्स की आपूर्ति, छोटे ऑक्सीजन संयंत्रों की स्थापना, कंप्रेशर्स का निर्माण, अंतिम उत्पाद जैसे ऑक्सीजन प्लांट, कंसेंट्रेटर और वेंटिलेटर आदि की आपूर्ति सुनिश्चित करने में मदद कर रहा है। इसके अलावा यह कंसोर्टियम दीर्घावधिक तैयारियों को सुनिश्चित करने के लिये विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को मज़बूत करने हेतु भी काम कर रहा है।

चंद्रशेखर वैद्य

हाल ही में वयोवृद्ध अभिनेता और सामाजिक कार्यकर्त्ता चंद्रशेखर वैद्य का 98 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। चंद्रशेखर वैद्य 1950 के दशक के एक लोकप्रिय अभिनेता थे और उन्होंने 'काली टोपी लाल रुमाल', 'बरा-दरी', 'स्ट्रीट सिंगर' और 'रुस्तम-ए-बगदाद' जैसी फिल्मों में काम किया था। चंद्रशेखर वैद्य ने वर्ष 1954 में 'औरत तेरी ये कहानी' फिल्म से अपने कॅरियर की शुरुआत की और अपने संपूर्ण कॅरियर में उन्होंने 112 से भी अधिक फिल्मों में काम किया। चंद्रशेखर वैद्य, रामानंद सागर की टीवी सीरीज़ 'रामायण' का भी हिस्सा थे। फिल्म इंडस्ट्री का अभिन्न हिस्सा होने के साथ-साथ चंद्रशेखर वैद्य ने वर्ष 1985 से वर्ष 1996 तक सिने आर्टिस्ट एसोसिएशन (CINTAA) के अध्यक्ष के रूप में भी काम किया।

नोट :

ऑटिस्टिक प्राइड डे

प्रतिवर्ष 18 जून को विश्व स्तर पर 'ऑटिस्टिक प्राइड डे' के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस के आयोजन का प्राथमिक उद्देश्य 'ऑटिज़्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर' नामक विकार से पीड़ित लोगों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। ऑटिज़्म से पीड़ित लोगों को प्राय: मानवाधिकारों के उल्लंघन, भेदभाव और तमाम तरह की गलत धारणाओं का सामना करना पड़ता है। 'ऑटिस्टिक प्राइड डे' का लक्ष्य इसी प्रकार के भेदभाव को समाप्त कर ऑटिज़्म से पीड़ित लोगों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ना है। 'ऑटिस्टिक प्राइड डे' पहली बार वर्ष 2005 में 'एस्पीज़ फॉर फ्रीडम' नाम नागरिक संगठन द्वारा मनाया गया था। ऑटिज़्म स्पेक्ट्रम विकार (ASD) सामाजिक विकृतियों, संवाद में परेशानी, प्रतिबंधित, व्यवहार का दोहराव और व्यवहार का स्टिरियोटाइप पैटर्न द्वारा पहचाना जाने वाला तंत्रिका विकास संबंधी जटिल विकार है। नीले रंग को ऑटिज़्म का प्रतीक माना गया है। इस विकार के लक्षण जन्म या बाल्यावस्था (पहले तीन वर्षों) में ही नज़र आने लगते हैं। यह विकार व्यक्ति की सामाजिक कुशलता और संप्रेषण क्षमता पर विपरीत प्रभाव डालता है। यह जीवनपर्यंत बना रहने वाला विकार है। इस विकार से पीड़ित बच्चों का विकास अन्य बच्चों से अलग होता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के मुताबिक, विश्व स्तर पर प्रत्येक 160 बच्चों में से एक बच्चा ऑटिज़्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से पीड़ित है। विश्व स्वास्थ्य संगठन एक ऐसे पारिस्थितिक तंत्र के निर्माण पर ज़ोर देता है, जो ऑटिज़्म से पीड़ित लोगों का समर्थन करता हो।

सत्या नडेला

हाल ही में अमेरिका की दिग्गज टेक कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने 'जॉन थॉम्पसन' के स्थान पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) सत्या नडेला को अपना नया अध्यक्ष नामित किया है। जॉन थॉम्पसन, जिन्होंने वर्ष 2014 में कंपनी के सह-संस्थापक बिल गेट्स का स्थान लिया था, अब कंपनी के प्रमुख स्वतंत्र निदेशक के रूप में काम करेंगे। 19 अगस्त, 1967 को हैदराबाद में जन्मे सत्या नडेला ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा हैदराबाद में ही प्राप्त की। इसके पश्चात् उन्होंने 'मणिपाल प्रौद्योगिकी संस्थान' से इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त की और बाद में उन्होंने अमेरिका से कंप्यूटर साइंस में मास्टर डिग्री हासिल की। सत्या नडेला वर्ष 1992 में एक युवा इंजीनियर के तौर पर माइक्रोसॉफ्ट में शामिल हुए थे। इसके पश्चात् वर्ष 2000 में उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट सेंट्रल के उपाध्यक्ष के रूप में अपनी पहली कार्यकारी भूमिका हासिल की। वर्ष 2011 में उन्हें सर्वर और टूल्स डिवीज़न का अध्यक्ष बनाया गया, जहाँ उनका प्राथमिक कार्य एज़्योर क्लाउड प्लेटफॉर्म, विंडोज़ सर्वर और SQL सर्वर डेटाबेस आदि के डेटा केंद्रों के उत्पादों की देखरेख करना था। स्टीव बाल्मर के पद छोड़ने के बाद सत्या नडेला ने 4 फरवरी 2014 को 'मुख्य कार्यकारी अधिकारी' (CEO) के रूप में माइक्रोसॉफ्ट की बागडोर संभाली।

'जूनटींथ' फेस्टिवल

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन जल्द ही 19 जून को 'जूनटींथ' फेस्टिवल के रूप में आधिकारिक मान्यता प्रदान करने संबंधी कानून पर हस्ताक्षर करेंगे, जो इसे अमेरिकी नागरिक युद्ध (1861-65) के बाद दासता के अंत की याद में संघीय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय अवकाश बनाएगा। ध्यातव्य है कि अमेरिकी कॉन्ग्रेस द्वारा पहले से ही इस संबंध में विधेयक को मंज़ूरी दी जा चुकी है। 'जूनटींथ' अमेरिका में दासता के अंत के अंत को चिह्नित करने संबंधी सबसे पुराना राष्ट्रीय स्मरणोत्सव है, जिसे प्रतिवर्ष 19 जून को आयोजित किया जाता है। वर्तमान में इसे 47 अमेरिकी राज्यों द्वारा अवकाश के रूप में मान्यता प्राप्त है। इसे मुक्ति दिवस या जूनटींथ स्वतंत्रता दिवस के रूप में भी जाना जाता है। ज्ञात हो कि 1 जनवरी, 1863 को तत्कालीन राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने मुक्ति उद्घोषणा जारी की थी, जिसमें घोषणा की गई कि विद्रोह के दौरान राज्यों के भीतर 'गुलाम के रूप में रखे गए सभी व्यक्ति अब स्वतंत्र होंगे। हालाँकि इस घोषणा के बाद भी कई लोगों ने दासों को रखना जारी रखा। इसके पश्चात् 19 जून, 1865 को मेजर जनरल गॉर्डन ग्रेंजर गैल्वेस्टन ने गृहयुद्ध और दासता दोनों के अंत की घोषणा कर दी। तब से यह अफ्रीकी-अमेरिकियों के लिये स्वतंत्रता का प्रतिनिधित्व करने वाली एक प्रतीकात्मक तिथि बन गई है।

नेशनल मैरीटाइम हैरिटेज कॉम्प्लेक्स

हाल ही में केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय तथा संस्कृति मंत्रालय ने गुजरात के लोथल में 'नेशनल मैरीटाइम हैरिटेज कॉम्प्लेक्स (NMHC) के विकास में सहयोग हेतु एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये हैं। 'नेशनल मैरीटाइम हैरिटेज कॉम्प्लेक्स' को भारत में अपनी तरह की पहली संस्था के रूप में विकसित किया जाएगा, जो पूर्ण रूप से भारत की समृद्ध और विविध समुद्री विरासत को प्रदर्शित करने के प्रति समर्पित होगी। इस कॉम्प्लेक्स के माध्यम से देश के प्राचीन समुद्री इतिहास और जीवंत तटीय परंपरा दोनों को एक ही स्थान पर प्रदर्शित करने में सुविधा होगी और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की समुद्री विरासत की छवि का उत्थान होगा। 'नेशनल मैरीटाइम हैरिटेज कॉम्प्लेक्स' को लगभग 400 एकड़ के क्षेत्र में विकसित किया जाएगा, जिसमें राष्ट्रीय समुद्री विरासत संग्रहालय, लाइट हाउस संग्रहालय, विरासत थीम पार्क,

संग्रहालय थीम वाले होटल, समुद्री थीम वाले इको-रिसॉर्ट्स और समुद्री संस्थान जैसी विभिन्न अनूठी संरचनाएँ शामिल होंगी, जिन्हें चरणबद्ध तरीके से विकसित करने का प्रयास किया जाएगा। ज्ञात हो कि यह परिसर गुजरात के लोथल में स्थापित किया जा रहा है, जो कि 2400 ईसा पूर्व की प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख शहरों में से एक है।

मिल्खा सिंह

बहुचर्चित एथलीट और 'फ्लाइंग सिख' के नाम से प्रसिद्ध मिल्खा सिंह का हाल ही में निधन हो गया है। 20 नवंबर, 1932 को लायलपुर,पाकिस्तान (वर्तमान फैसलाबाद) में जन्मे मिल्खा सिंह विभाजन के बाद वर्ष 1947 में भारत चले आए। इसके पश्चात् वे भारतीय सेना में शामिल हुए और इस दौरान मिल्खा सिंह ने एक धावक के रूप में अपनी पहचान बनाई। 1958 के एशियाई खेलों में सिंह ने 200 मीटर और 400 मीटर दोनों में जीत हासिल की। इसी वर्ष उन्होंने राष्ट्रमंडल खेलों में 400 मीटर दौड़ प्रतिस्पर्द्धा में स्वर्ण पदक प्राप्त किया, जो खेलों के इतिहास में भारत का पहला एथलेटिक्स स्वर्ण पदक था। मिल्खा सिंह चार बार के एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता थे, लेकिन उनका सबसे बेहतरीन प्रदर्शन वर्ष 1960 के रोम में 400 मीटर फाइनल में चौथा स्थान हासिल करना था, जहाँ वे मात्र 0.1 सेकंड पीछे होने के कारण कांस्य पदक प्राप्त नहीं कर सके थे। मिल्खा सिंह को वर्ष 1959 में पद्मश्री (भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक) से सम्मानित किया गया था। सेवानिवृत्ति के बाद उन्होंने पंजाब में खेल निदेशक के रूप में कार्य किया। मिल्खा सिंह की आत्मकथा 'द रेस ऑफ माई लाइफ' वर्ष 2013 में प्रकाशित हुई थी।

'इन-ईयू नेवफोर' संयुक्त अभ्यास

पहली बार भारतीय नौसेना, अदन की खाड़ी में आयोजित यूरोपीय संघ की नौसेना बल के साथ संयुक्त अभ्यास में हिस्सा ले रही है, जिसमें फ्राँसीसी, स्पेनिश और इतालवी नौसेनाओं के युद्धपोत भी शामिल हैं। 18 जून, 2021 से शुरू हुए 'इन-ईयू नेवफोर' (IN EUNAVFOR) नामक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास में भारतीय युद्धपोत त्रिकंड हिस्स ले लिया जा रहा है। यूरोपीय संघ नौसेना बल द्वारा आयोजित इस दो दिवसीय अभ्यास में एडवांस एयर डिफेंस और एंटी सबमरीन अभ्यास, क्रॉस-डेक हेलीकॉप्टर ऑपरेशन, सामरिक युद्धाभ्यास, बोर्डिंग ऑपरेशन, खोज और बचाव तथा मैन ओवरबोर्ड अभ्यास आदि का संचालन किया जाएगा। इस संयुक्त अभ्यास में शामिल नौसेनाएँ समुद्री क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिये अपने युद्ध-कौशल तथा एकीकृत बल के रूप में अपनी क्षमता को बढ़ाने और सुधारने का प्रयास करेंगी। युद्ध अभ्यास में शामिल सभी देश विश्व खाद्य कार्यक्रम (UN WFP) के चार्टर के तहत काउंटर पायरेसी ऑपरेशन और तैनात जहाज़ों की सुरक्षा सहित कई मुद्दों पर एकजुट रूप से कार्य कर रहे हैं। यह अभ्यास भारत और अन्य देशों के बीच तालमेल, समन्वय और अंतर-संचालन की क्षमता बढ़ाने में भी महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है।

स्टाइगारक्टस केरलेंसिस

शोधकर्त्ताओं ने स्टाइगारक्टस जीनस की एक नई 'टार्डिग्रेड' प्रजाति की खोज की है, जिसका नाम भारतीय राज्य 'केरल' के नाम पर रखा गया है, जहाँ इसकी खोज की गई थी। यह खोज केरल के पनडुब्बी भूजल आवासों की पारिस्थितिकी और विविधता को लेकर राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान अध्ययन केंद्र (पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय) द्वारा किये जा रहे अध्ययन का परिणाम है। शोधकर्त्ताओं के मुताबिक, 'स्टाइगारक्टस केरलेंसिस' नामक यह नई प्रजाति भारतीय जल में मौजूद पहली समुद्री टार्डिग्रेड है, जो नवीनतम खोज को महत्त्वपूर्ण बनाती है। 'स्टाइगारक्टस केरलेंसिस' स्टाइगारक्टस जीनस के तहत नामित आठवीं प्रजाति है, जो 130 माइक्रोमीटर की लंबाई तक बढ़ती है। यह एक जलीय जीव है, लेकिन यह भूमि पर भी निवास कर सकता है और वर्ष 2008 के एक अध्ययन में पाया गया कि यह बाहरी अंतरिक्ष के ठंडे वैक्यूम में जीवित रह सकता है। टार्डिग्रेड जीवों को पानी के भालू के रूप में भी जाना जाता है, यह जीव पृथ्वी पर उपलब्ध सबसे जटिल संरचना वाले लचीले एवं कठोर जीवों में से एक है। टार्डिग्रेड इतने छोटे होते हैं कि इनके अध्ययन के लिये उच्च क्षमता वाले माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है। अपने छोटे आकार के बावजूद ये पृथ्वी पर मौजूद सबसे कठोर जानवर के रूप में जाने जाते हैं। यह एक जलीय जीव है, लेकिन यह भूमि पर भी निवास कर सकता है और वर्ष 2008 के एक अध्ययन में पाया गया कि यह बाहरी अंतरिक्ष के ठंडे वैक्यूम में जीवित रह सकता है।

डॉ. केनेथ कोंडा

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आधुनिक जाम्बिया के प्रथम राष्ट्रपति और संस्थापक डॉक्टर केनेथ कोंडा (97) के निधन पर दुख व्यक्त किया है। केनेथ कोंडा, अफ्रीका खासतौर पर जाम्बिया के अग्रणी नेताओं में से एक थे और उन्होंने जाम्बिया में उपनिवेशवाद को समाप्त करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। एक पैन-अफ्रीका गठित करने के लिये प्रतिबद्ध केनेथ कोंडा ने एक नए जाम्बिया का गठन किया, जो अंतर्राष्ट्रीय मामलों

में अपना रास्ता तय करने के लिये स्वतंत्र था। केनेथ डेविड कोंडा का जन्म 28 अप्रैल, 1924 को तत्कालीन उत्तरी रोडेशिया और कांगो की सीमा के पास एक मिशन स्टेशन पर हुआ था। अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद केनेथ कोंडा ने एक शिक्षक के तौर पर कार्य करना शुरू किया। वर्ष 1953 में वे उत्तरी रोड्सियन अफ्रीकन नेशनल कॉन्ग्रेस के महासचिव बने, लेकिन संगठन श्वेत-शासित फेडरेशन ऑफ रोडेशिया और न्यासालैंड के खिलाफ अश्वेत अफ्रीकियों को लामबंद करने में विफल रहा। रोडेशिया और न्यासालैंड संघ को वर्ष 1963 के अंत में भंग कर दिया गया तथा कुछ ही समय बाद केनेथ कोंडा को उत्तरी रोडेशिया का प्रधानमंत्री चुना गया। बाद में जाम्बिया के रूप में नामित इस देश ने अक्तूबर 1964 में पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त की और केनेथ कोंडा इसके प्रथम राष्ट्रपति बने।

विश्व संगीत दिवस

प्रत्येक वर्ष 21 जून को 'विश्व संगीत दिवस' का आयोजन किया जाता है। इस दिवस के आयोजन का मुख्य उद्देश्य संगीत के माध्यम से शांति और सद्भावना को बढ़ावा देना है। इस दिवस के आयोजन की कल्पना सर्वप्रथम वर्ष 1981 में फ्राँस के तत्कालीन संस्कृति मंत्री द्वारा की गई थी। 'विश्व संगीत दिवस' की शुरुआत में महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाले फ्राँस के तत्कालीन संस्कृति मंत्री मौरिस फ्लेरेट स्वयं एक प्रसिद्ध संगीतकार, पत्रकार और रेडियो प्रोडूसर थे। इस दिवस के अवसर पर भारत समेत विश्व के तमाम देशों में जगह-जगह संगीत प्रतियोगिताओं और संगीत कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। वर्तमान समय में संगीत एक ऐसा सशक्त माध्यम बन गया है, जिसका प्रयोग वैज्ञानिकों द्वारा व्यक्ति को मानसिक रोगों व व्याधियों से मुक्ति प्रदान करने के लिये भी किया जा रहा है। कई अध्ययनों और विशेषज्ञों के मुताबिक, संगीत तनाव को कम करने और बेहतर नींद प्रदान करने में भी मददगार साबित हो सकता है। ध्यातव्य है कि एक कॅरियर के रूप में भी संगीत का क्षेत्र असीम संभावनाओं से भरा हुआ है और मौजूदा समय में युवा वर्ग संगीत को अपना रहे हैं।

बोत्सवाना में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा डायमंड

हाल ही में अफ्रीकी देश बोत्सवाना में 1,098 कैरेट के दुनिया के तीसरे सबसे बड़े डायमंड की खोज की गई है। बोत्सवाना की 'देबस्वाना डायमंड कंपनी' द्वारा खोजा गया यह डायमंड वर्ष 1905 में दक्षिण अफ्रीका में खोजे गए 3,106 कैरेट कलिनन डायमंड और वर्ष 2015 में बोत्सवाना में ही खोजे गए 1,109 कैरेट 'लेसेडी ला रोना' डायमंड के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा डायमंड है। बाद में कलिनन डायमंड को छोटे हिस्सों में काट दिया गया, जिनमें से कुछ ब्रिटिश शाही परिवार के मुकुट रत्नों का हिस्सा है। वहीं 'लेसेडी ला रोना' डायमंड को वर्ष 2017 में डायमंड के आभूषण बनाने वाली कंपनी 'ग्रेफ' को 53 मिलियन डॉलर में बेचा गया था। ज्ञात हो कि अफ्रीकी देश बोत्सवाना वर्तमान में दुनिया में डायमंड्स का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। दुनिया के कुछ सबसे बड़े डायमंड यहीं पाए गए हैं। अफ्रीकी महाद्वीप के दक्षिण में स्थित बोत्सवाना एक भू-आबद्ध यानी लैंडलॉक्ड देश है और वर्ष 1966 में स्वतंत्रता प्राप्ति के समय बोत्सवाना में साक्षरता दर न्यूनतम और व्यापक गरीबी थी, किंतु बोत्सवाना की डायमंड इंडस्ट्री ने यहाँ के विकास में काफी महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा की है।

इब्राहिम रईसी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इब्राहिम रईसी को ईरान का नया राष्ट्रपति बनने पर बधाई दी है। 60 वर्षीय ईरानी नेता सर्वप्रथम राष्ट्रीय पटल पर तब उभरे जब वे मात्र 20 वर्ष की आयु में वर्ष 1980 में करज के प्रासीक्यूटर जनरल बने। इसके पश्चात् वह वर्ष 2004 से वर्ष 2014 के बीच तेहरान के प्रासीक्यूटर बने। वर्ष 2014 से वर्ष 2016 के बीच उन्होंने ईरान के प्रासीक्यूटर जनरल के रूप में कार्य किया। वर्ष 2019 में इब्राहिम रईसी को ईरान की न्यायपालिका का प्रमुख नियुक्त किया गया था, हालाँकि ईरान-इराक युद्ध के बाद वर्ष 1988 में हज़ारों राजनीतिक कैदियों की सामूहिक फाँसी में उनकी भूमिका के कारण इस नियुक्ति का काफी विरोध किया गया। अंतर्राष्ट्रीय संगठन 'एमनेस्टी इंटरनेशनल' ने इब्राहिम रईसी के विरुद्ध मानवता से संबंधित अपराधों के आरोपों पर मुकदमा चलाने का आह्वान किया है। राजनीतिक कट्टरपंथी माने जाने वाले इब्राहिम रईसी ने वर्ष 2017 में वर्तमान राष्ट्रपति हसन रूहानी के विरुद्ध चुनाव भी लड़ा था। इब्राहिम रईसी का जन्म पूर्वोत्तर ईरान के मशहद में हुआ था, जो एक प्रमुख शहर और शिया मुसलमानों का एक धार्मिक केंद्र है।

विश्व शरणार्थी दिवस

विश्व भर के शरणार्थियों की शक्ति और दृढ़ निश्चय एवं उनके प्रति सम्मान को स्वीकृति देने के लिये संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिवर्ष 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस के रूप में आयोजित किया जाता है। इस दिवस के आयोजन का प्राथमिक उद्देश्य विश्व भर में आम जनमानस के बीच शरणार्थियों की स्थिति के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। यह दिवस मुख्यत: उन लोगों के प्रति समर्पित है, जिन्हें प्रताड़ना, संघर्ष और हिंसा की चुनौतियों के कारण अपना देश छोड़कर बाहर भागने को मजबूर होना पड़ता है। इस दिवस का आयोजन वस्तुत: शरणार्थियों की दुर्दशा और

समस्याओं का समाधान करने हेतु किया जाता है। अफ्रीकी देशों की एकता को अभिव्यक्त करने के लिये वर्ष 2000 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा एक प्रस्ताव पारित किया गया था। इस प्रस्ताव में वर्ष 2001 को शरणार्थियों की स्थिति से संबंधित वर्ष 1951 की संधि की 50वीं वर्षगाँठ के रूप में चिह्नित किया गया। ऑर्गनाइज़ेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी अंतर्राष्ट्रीय शरणार्थी दिवस को अफ्रीकी शरणार्थी दिवस के साथ 20 जून को मनाने के लिये सहमत हो गया। शरणार्थी का अभिप्राय एक ऐसे व्यक्ति से है जिसे उत्पीड़न, युद्ध या हिंसा के कारण उसके देश से भागने के लिये मज़बूर किया गया हो।

दिव्यांग खेल केंद्र

केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ने हाल ही में देश के विभिन्न हिस्सों में पाँच 'दिव्यांग खेल केंद्र' स्थापित करने की घोषणा की है। ध्यातव्य है कि देश में 'दिव्यांगजनों' की खेलों के प्रति रुचि और पैरालिंपिक में भारत के बेहतरीन प्रदर्शन को देखते हुए 'दिव्यांग खेल केंद्र' स्थापित करने से संबंधित निर्णय काफी महत्त्वपूर्ण है। इस तरह के प्रयासों का प्राथमिक लक्ष्य दिव्यांगजनों को सशक्त बनाना और उन्हें देश के समग्र विकास हेतु समाज की मुख्य धारा से जोड़ना है। साथ ही इन केंद्रों के माध्यम से दिव्यांगजनों को खेलों में अंतर्राष्ट्रीय मानकों के आधार पर प्रशिक्षित किया जाएगा, जिससे पैरालिंपिक खेलों में भारत की स्थिति में भी और अधिक सुधार होगा। ज्ञात हो कि वर्तमान में दिव्यांगजनों की सहायता और सशक्तीकरण के लिये सरकार द्वारा विभिन्न कार्यक्रम और पहलों की शुरुआत की गई है, जिसमें 'सुगम्य भारत अभियान' सबसे प्रमुख है। सुगम्य भारत अभियान सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग का राष्ट्रव्यापी अभियान है, जिसके तहत वर्तमान में 709 रेलवे स्टेशनों और 10,175 बस डिपो को शामिल किया गया है। इस अभियान का उद्देश्य देश भर में दिव्यांगजनों के लिये बाधा रहित और सुखद/अनुकूल वातावरण तैयार करना है। इसके अलावा वर्ष 2016 में सरकार द्वारा दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम पारित किया गया, जिसने न केवल दिव्यांगजनों को अधिक सुरक्षा प्रदान की है, बल्कि यह पूरे देश में दिव्यांग व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों को भी सुनिश्चित करता है।

तमिलनाडु आर्थिक सलाहकार परिषद

हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने आर्थिक मामलों पर राज्य के मुख्यमंत्री को सलाह देने हेतु एक 'आर्थिक सलाहकार परिषद' के गठन का निर्णय लिया है, जिसमें मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (MIT) के नोबेल पुरस्कार विजेता एस्थर डुफ्लो और भारतीय रिज़र्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन शामिल होंगे। इसके अलावा इस परिषद में पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम भी शामिल हैं। आर्थिक सलाहकार परिषद राज्य की वित्तीय स्थिति का अध्ययन करेगी और राज्य की अर्थव्यवस्था को मज़बूत बनाने के लिये तदनुसार बदलावों की सिफारिश करेगी। इस परिषद की सिफारिश के आधार पर सरकार राज्य की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने का प्रयास करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि आर्थिक विकास का लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुँचे। परिषद की सिफारिशों के आधार पर राज्य सरकार अपनी वित्तीय नीतियों में आवश्यक सुधार करने में सक्षम होगी, साथ ही इससे राज्य के औद्योगिक आधार में विविधता लाने और तकनीकी उन्नयन सुनिश्चित करने की भी उम्मीद है।

लॉरेल हबर्ड

न्यूज़ीलैंड की भारोत्तोलक 'लॉरेल हबर्ड' ओलंपिक के लिये चुनी जाने वाली पहली ट्रांसजेंडर एथलीट बन गई हैं। 43 वर्षीय हबर्ड ने इससे पूर्व वर्ष 2013 में पुरुष वर्ग में हिस्सा लिया था। अब वह टोक्यो में महिला श्रेणी में 87 किलोग्राम वर्ग में प्रतिस्पर्द्धा करेंगी। ट्रांसजेंडर एथलीटों पर अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के दिशा-निर्देश ऐसे एथलीटों को कुछ निर्धारित शर्तों को पूरा करने के बाद ओलंपिक खेलों में हिस्सा लेने की अनुमति देते हैं, जिन्होंने पुरुष से महिला में ट्रांजीशन किया है। दिशा-निर्देशों के मुताबिक, महिला वर्ग में प्रतिस्पर्द्धा के योग्य होने के लिये ऐसे एथलीटों को अपने टेस्टोस्टेरोन के स्तर को प्रतियोगिता से पहले के 12 महीनों के दौरान 10 नैनोमोल्स प्रति लीटर से कम रखना होगा। टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन है, जो मांसपेशियों को बढ़ाता है। एथलीट्स की नियमित रूप से निगरानी की जाती और यदि वे नियमों का अनुपालन नहीं करते हैं तो वे प्रतियोगिता में शामिल होने के पात्र नहीं होंगे। हालाँकि पुरुष से महिला में ट्रांजीशन करने वाले एथलीटों को ओलंपिक खेलों में शामिल करने संबंधित इस निर्णय पर वाद-विवाद भी शुरू हो गया है, आलोचकों का मानना है कि उन एथलीटों को अनुचित लाभ मिलता है, जबकि समर्थकों का मत है कि इससे खेल में समावेशन को बढ़ावा मिलता है।

जस्टिस महमूद जमाल

कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारतीय मूल के जस्टिस महमूद जमाल को कनाडा के सर्वोच्च न्यायालय के लिये नामित किया है, जो देश के सर्वोच्च न्यायालय में नामित होने वाले पहले अश्वेत व्यक्ति बन गए हैं। जस्टिस महमूद जमाल, सर्वोच्च न्यायालय से सेवानिवृत्ति हो रहीं रोज़ली सिलबरमैन अबेला का स्थान लेंगे, जो कि स्वयं ही कनाडा के सर्वोच्च न्यायालय की पहली शरणार्थी और पहली यहूदी महिला न्यायाधीश थीं। भारतीय मूल के जस्टिस महमूद जमाल की वर्ष 2019 में ओंटारियो के अपीलीय न्यायालय में नियुक्ति से पूर्व नि:शुल्क कार्य के प्रति गहरी प्रतिबद्धता के साथ एक लिटिगेटर के रूप में एक विशिष्ट कॅरियर रहा है। इसके अलावा उन्होंने मैकगिल विश्वविद्यालय में संवैधानिक कानून और ऑस्गोड हॉल लॉ स्कूल में प्रशासनिक कानून के अध्यापक के रूप में भी कार्य किया है। जस्टिस महमूद जमाल का जन्म केन्या के एक भारतीय परिवार में हुआ था। वर्ष 1981 में उनका परिवार कनाडा चला गया। उन्होंने टोरंटो विश्वविद्यालय, मैकगिल विश्वविद्यालय और येल लॉ स्कूल जैसे प्रसिद्ध संस्थानों से कानून की पढ़ाई की है।

ओडिशा में मगरमच्छ की तीनों प्रजातियाँ मौजूद

हाल ही में ओडिशा की महानदी में घड़ियाल की एक गंभीर रूप से लुप्तप्राय प्रजाति का प्राकृतिक निवास स्थान देखा गया है। इसी के साथ ओडिशा भारत का एकमात्र राज्य बन गया है, जहाँ मगरमच्छ की तीनों प्रजातियाँ मौजूद हैं। इन तीन प्रजातियों में सरीसृप मीठे पानी के घड़ियाल, मगर क्रोकोडाइल और साल्टवाटर क्रोकोडाइल शामिल हैं। ज्ञात हो कि घड़ियाल गंभीर रूप से लुप्तप्राय प्रजातियाँ हैं और ओडिशा में उन्हें पहली बार वर्ष 1975 में लाया गया था, यह पहली बार है जब ओडिशा में इन प्रजातियों को प्राकृतिक रूप से देखा गया है। घड़ियाल के अंडों को लगभग 70 दिनों तक ऊष्मायन की आवश्यकता होती है आर घड़ियाल के बच्चे कई हफ्तों या महीनों तक माताओं के साथ ही रहते हैं। घड़ियाल, मगर क्रोकोडाइल से अलग होते हैं और वे इंसानों को नुकसान नहीं पहुँचाते हैं, हालाँकि कई लोग इन्हें गलती से मगरमच्छ समझ लेते हैं और इन्हें नुकसानदेह मानते हैं। अतिक्रमण और मछली पकड़ने जैसी गतिविधियों के कारण घड़ियाल के प्राकृतिक आवास खतरे में हैं। मछली पकड़ने के जाल में फँसने पर वे या तो मारे जाते हैं या उनके शरीर के अगले हिस्से को काट दिया जाता है। विदित हो कि घड़ियाल को स्थानीय कानूनों के तहत पूर्ण संरक्षण प्रदान किया गया और इसे वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची-1 के तहत सूचीबद्ध किया गया है।

अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस

सैनिक गतिविधियों में खेल एवं स्वास्थ्य के महत्त्व को बढ़ावा देने के लिये प्रतिवर्ष 23 जून को 'अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस' का आयोजन किया जाता है। यह दिवस वर्ष 1894 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना को चिह्नित करता है। इस दिवस के आयोजन का प्राथमिक उद्देश्य आम लोगों के बीच खेलों को प्रोत्साहित करना और खेल को जीवन का अभिन्न अंग बनाने का संदेश प्रसारित करना है। ज्ञात हो कि आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत ओलंपिया (ग्रीस) में आठवीं शताब्दी ईसा पूर्व से चौथी शताब्दी ईस्वी तक आयोजित प्राचीन ओलंपिक खेलों से प्रेरित है। यह ग्रीस के ओलंपिया में ज़ीउस (Zeus) (ग्रीक धर्म के सर्वोच्च देवता) के सम्मान में आयोजित किया जाता था। बेरोन पियरे दी कोबर्टिन ने वर्ष 1894 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति (IOC) की स्थापना की और ओलंपिक खेलों की नींव रखी। यह एक गैर-लाभकारी स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो खेल के माध्यम से एक बेहतर विश्व के निर्माण के लिये प्रतिबद्ध है। यह ओलंपिक खेलों के नियमित आयोजन को सुनिश्चित करता है, सभी संबद्ध सदस्य संगठनों का समर्थन करता है और उचित तरीकों से ओलंपिक के मूल्यों को बढ़ावा देता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस के आयोजन का विचार वर्ष 1947 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बैठक में प्रस्तुत किया गया और वर्ष 1948 में इस प्रस्ताव को आधिकारिक स्वीकृति दी गई।

संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस

संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिवर्ष 23 जून को दुनिया भर के लोक सेवाओं के प्रति सम्मान और कृतज्ञता के प्रतीक के रूप में 'संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस' का आयोजन किया जाता है। यह दिवस लोक सेवकों के कार्य को मान्यता देते हुए समाज के विकास में उनके योगदान पर ज़ोर देता है और युवाओं को सार्वजनिक क्षेत्र में कॅरियर बनाने के लिये प्रेरित करता है। 20 दिसंबर, 2002 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 23 जून को संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस के रूप में घोषित किया था। इस दिवस के संबंध में जागरूकता और लोक सेवा के महत्त्व को बढ़ाने के लिये संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2003 में 'संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार' (UNPSA) कार्यक्रम की शुरुआत की थी, जिसे वर्ष 2016 में सतत् विकास के लिये वर्ष 2030 एजेंडा के अनुसार अपडेट किया गया था। 'संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार' कार्यक्रम सार्वजनिक संस्थाओं की नवीन उपलब्धियों और सेवाओं को मान्यता देकर लोक सेवाओं में नवाचार एवं गुणवत्ता को बढ़ावा देता है तथा उन्हें पुरस्कृत करता है, जो सतत् विकास के पक्ष में दुनिया भर के देशों में अधिक कुशल एवं अनुकूल लोक प्रशासन में योगदान दे रहे हैं।

मेडिटेशन एंड योग साइंसेज़' डिप्लोमा

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस-2021 के अवसर पर दिल्ली सरकार ने 'मेडिटेशन एंड योग साइंसेज़' विषय पर एक वर्षीय डिप्लोमा कोर्स शुरू करने की घोषणा की है। दिल्ली सरकार के मुताबिक, लगभग 450 उम्मीदवारों ने इस पाठ्यक्रम में अपना नामांकन कराया है। इस पाठ्यक्रम की शुरुआत का प्राथमिक उद्देश्य 'योग और ध्यान' संबंधी गतिविधियों को घर-घर तक पहुँचाना है। गौरतलब है कि इस पाठ्यक्रम की शुरुआत 'दिल्ली फार्मास्युटिकल साइंसेज़ एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी' में की गई है, हालाँकि इस शहर के स्कूलों में भी कई केंद्र स्थापित किये जाएंगे, जो सप्ताह में तीन बार दो घंटे के लिये योग सत्र आयोजित करेंगे। इस डिप्लोमा कार्यक्रम के पूरा होने के बाद छात्र एक पेशेवर योग प्रशिक्षक के रूप में योग सिखाने में सक्षम होंगे। इस तरह इस कार्यक्रम के माध्यम से दिल्ली में योग प्रशिक्षकों की संख्या में भी बढ़ोतरी होगी।

डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी

उपराष्ट्रपति एम.वेंकैया ने 23 जून, 2021 को डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी का जन्म 06 जुलाई, 1901 को तत्कालीन कलकत्ता के एक संभ्रांत परिवार में हुआ था। श्यामाप्रसाद मुखर्जी के पिता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे और कलकत्ता विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में भी कार्य कर चुके थे। वर्ष 1921 में कलकत्ता से अंग्रेज़ी में स्नातक करने के पश्चात् उन्होंने वर्ष 1923 में कलकत्ता से ही बांग्ला भाषा और साहित्य में परास्नातक की डिग्री प्राप्त की। वर्ष 1934 में मात्र 33 वर्ष की आयु में डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी को कलकत्ता विश्वविद्यालय का सबसे कम उम्र का कुलपति नियुक्त किया गया। कुलपति के तौर पर डॉ. मुखर्जी के कार्यकाल के दौरान ही रवींद्रनाथ टैगोर ने पहली बार बांग्ला भाषा में कलकत्ता विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को संबोधित किया और उन्ही के कार्यकाल के दौरान कलकत्ता विश्वविद्यालय की उच्च परीक्षा में जनभाषा को एक विषय के रूप में प्रस्तुत किया गया। इसके अलावा डॉ. मुखर्जी स्वतंत्र भारत के पहले उद्योग और आपूर्ति मंत्री भी थे। हालाँकि बाद में उन्होंने विचारों में मतभेद के कारण कॉन्ग्रेस पार्टी छोड़ दी और वर्ष 1977-1979 में जनता पार्टी की सह-स्थापना की, जो बाद में भारतीय जनता पार्टी बन गई। मई 1953 में तत्कालीन जम्मू-कश्मीर में बिना परमिट के प्रवेश करने के मामले में डॉ. मुखर्जी को हिरासत में ले लिया गया, जिसके पश्चात् 23 जून, 1953 को रहस्यमय परिस्थितियों में उनकी मृत्यु हो गई।

कृषि विविधीकरण योजना-2021

हाल ही में गुजरात के मुख्यमंत्री ने 'कृषि विविधीकरण योजना-2021' का शुभारंभ किया है, जिससे आदिवासी क्षेत्रों में किसानों को लाभ प्राप्त होगा। इस योजना के माध्यम से राज्य के 14 आदिवासी ज़िलों के 1.26 लाख से अधिक किसान लाभान्वित होंगे। इस योजना के शुभारंभ का प्राथमिक उद्देश्य आदिवासी क्षेत्रों में कृषि को और अधिक सतत् तथा लाभदायक बनाना है। इस योजना के तहत आदिवासी किसानों को 31 करोड़ रुपए की खाद-बीज सहायता प्रदान की जाएगी, जिसमें 45 किलो यूरिया, 50 किलो एनपीके उर्वरक और 50 किलो अमोनियम सल्फेट शामिल होगा। इस योजना के तहत आदिवासी किसानों को मक्का, करेला, कैलाबश (दूधी), टमाटर, बाजरा आदि फसलों के बीज प्रदान किये जाएंगे। इसके अलावा आदिवासी किसानों को बेहतर ढंग से खेती करने में सक्षम बनाने और सिंचाई के लिये आवश्यक पानी तक पहुँच सुनिश्चित करने के लिये राज्य सरकार ने आदिवासी ज़िले के पहाड़ी क्षेत्रों में विभिन्न लिफ्ट सिंचाई योजनाओं के माध्यम से ऊँचाई पर सिंचाई हेतु पानी पहुँचाने के लिये व्यापक पैमाने पर कार्य शुरू किया है।

'रोल ऑफ एक्सीलेंस' सम्मान

कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (CIAL) ने हाल ही में हवाईअड्डे की गुणवत्तापूर्ण सेवाओं के लिये 'एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल' (ACI) का 'रोल ऑफ एक्सीलेंस' सम्मान जीता है। 'एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल' एयरपोर्ट संचालकों की एक वैश्विक संस्था है, जिसने उन हवाईअड्डों के लिये 'रोल ऑफ एक्सीलेंस' सम्मान की स्थापना की है, जिन्होंने यात्रियों की राय में गुणवत्तापूर्ण एवं उत्कृष्ट सेवाएँ प्रदान की हैं। यह पुरस्कार 9 सितंबर, 2021 को मॉन्ट्रियल, कनाडा में आयोजित होने वाले ACI कस्टमर एक्सपीरियंस ग्लोबल समिट के दौरान प्रदान किया जाएगा। वर्ष 1991 में स्थापित 'एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल' (ACI) दुनिया भर की सरकारों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों जैसे- अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन' (ICAO) के साथ-साथ विभिन्न एयरपोर्ट्स के हितों का प्रतिनिधित्त्व करता है, इसके अलावा यह हवाई अड्डों के लिये मानकों, नीतियों और अनुशंसित प्रथाओं को भी विकसित करता है तथा दुनिया भर में मानकों को बढ़ावा देने के लिये सूचना और प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित करता है।

नोट :

अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस

दुनिया भर में वाणिज्य एवं आर्थिक प्रणाली में नाविकों के अमूल्य योगदान को मान्यता देने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष 25 जून को 'अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस' का आयोजन किया जाता है। दुनिया भर का लगभग 90 प्रतिशत व्यापार जहाज़ों के माध्यम से किया जाता है और इन जहाज़ों का संचालन नाविकों द्वारा किया जाता है, जो पानी के माध्यम से व्यापार के सुचारु प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिये अथक प्रयास करते हैं। 'अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन', जो कि नौवहन को विनियमित करने हेतु उत्तरदायी संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है, ने वर्ष 2010 में प्रतिवर्ष 25 जून को अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। इसके पश्चात् वर्ष 2011 में पहला 'अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस' आयोजित किया गया। इस दिवस की शुरुआत का प्राथमिक लक्ष्य आम लोगों को वैश्विक व्यापार और परिवहन में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले नाविकों के कार्य के संदर्भ में जागरूक करना है। साथ ही यह दिवस निजी जहाज़ कंपनियों से समुद्र में सुरक्षित यात्रा के लिये अपने नाविकों को पर्याप्त सुविधाएँ प्रदान करने का भी आग्रह करता है। गौरतलब है कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन (IMO) संयुक्त राष्ट्र (UN) की एक विशेष संस्था है, जिसकी स्थापना वर्ष 1948 में जिनेवा सम्मेलन के दौरान एक समझौते के माध्यम से की गई थी। यह एक अंतर्राष्ट्रीय मानक-निर्धारण प्राधिकरण है जो मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग की सुरक्षा में सुधार करने हेतु उत्तरदायी है।

'कवल प्लस कार्यक्रम'

हाल ही में केरल सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग ने 'कवल प्लस' कार्यक्रम को राज्य के पाँच अन्य ज़िलों में विस्तारित करने की घोषणा की है। बच्चों को देखभाल और सुरक्षा प्रदान करने तथा यौन शोषण से पीड़ित बच्चों का समग्र समर्थन करने संबंधी इस महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम को प्रारंभ में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लॉन्च किया गया था। दिसंबर 2020 में तिरुवनंतपुरम और पलक्कड़ ज़िलों में इसकी शुरुआत के बाद से यह परियोजना क्रमश: लगभग 300 और 150 बच्चों तक मदद पहुँचाने में सक्षम रही है। अब इस परियोजना को एर्नाकुलम, इडुक्की, मलप्पुरम, कोझीकोड और कन्नूर में भी लागू किया जाएगा। इस परियोजना को बच्चों के साथ कार्य करने में सक्षम गैर-सरकारी संगठनों की सहायता से क्रियान्वित किया जाएगा। सभी ज़िलों में गैर-सरकारी संगठन का चयन ज़िला स्तर पर गठित एक समिति द्वारा किया जाता है, जिसमें ज़िला बाल संरक्षण अधिकारी, बाल कल्याण समिति के प्रतिनिधि एवं संरक्षण अधिकारी (गैर-संस्थागत देखभाल) आदि शामिल होते हैं। पात्र बच्चों के व्यक्तिगत मूल्यांकन के आधार गैर-सरकारी संगठन प्रत्येक बच्चे के लिये व्यक्तिगत देखभाल योजना तैयार करेगा। इसके पश्चात् बच्चों को समग्र मनो-सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षिक सहायता प्रदान की जाती है।

'सपोर्टिंग आंध्र लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन' कार्यक्रम

हाल ही में 'इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट' (IBRD) ने 'सपोर्टिंग आंध्र लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन' कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिये 1,860 करोड़ रुपए की धनराशि की मंज़ूरी दे दी है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य सरकारी स्कूलों को जीवंत और प्रतिस्पर्द्धी संस्थानों में बदलकर बुनियादी शिक्षा में सीखने के परिणामों, शिक्षण प्रथाओं की गुणवत्ता और स्कूल प्रबंधन में सुधार करना है। इस कार्यक्रम के तहत राज्य भर के सरकारी स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं को नया रूप दिया जाएगा। इस कार्यक्रम के तहत मुख्य तौर पर राज्य द्वारा संचालित शिक्षण संस्थानों में शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेज़ी को शुरू करके पाठ्यक्रम में सुधार, बेहतर कक्षा प्रबंधन, शिक्षकों का व्यावसायिक विकास और छात्रों को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्द्धी बनने हेतु तैयार करने जैसे महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इस पाँच वर्षीय परियोजना को शैक्षणिक वर्ष 2021-22 से वर्ष 2026-27 तक लागू किया जाएगा। ज्ञात हो कि 'इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट' (IBRD) विश्व बैंक में शामिल एक अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है, जिसे वर्ष 1945 में स्थापित किया गया था और वर्तमान में इसमें 189 सदस्य हैं।

हाई-पावर लेज़र एयर डिफेंस सिस्टम

हाल ही में इज़रायल ने 'हाई-पावर लेज़र एयर डिफेंस सिस्टम' का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। विदित हो कि इज़रायल की यह प्रणाली ड्रोन के कारण उत्पन्न खतरों का मुकाबला करने के लिये काफी महत्त्वपूर्ण हो सकती है। इस तरह इज़रायल दुनिया का पहला देश बन गया, जिसने शत्रु के ड्रोन को मार गिराने के लिये एरियल लेज़र हथियारों का निर्माण किया है। प्रारंभ में लेज़र हथियार का परीक्षण एक हल्के विमान पर किया गया और इसने लगभग आधा मील (1 किलोमीटर) की दूरी पर कई ड्रोनों को सफलतापूर्वक मार गिराया। कम निर्माण लागत, व्यापक क्षेत्र को कवर करने की क्षमता और अधिक ऊँचाई पर भी लंबी दूरी के खतरों को प्रभावी ढंग से रोकने की क्षमता इस प्रणाली को काफी महत्त्वपूर्ण बनाती है। इस नई लेज़र प्रणाली में 'सी-म्यूज़िक' के समान ट्रैकिंग तकनीकों का उपयोग किया गया है, ज्ञात हो कि 'सी-म्यूज़िक' विमान में फिट की जाने वाली एक रक्षा प्रणाली है जो आने वाली मिसाइलों की दृश्य क्षमता को कम करने के लिये लेज़र का उपयोग करती है और लक्ष्य को इस हद तक गर्म कर देती है कि वह कुछ सेकंड के भीतर ही आग पकड़ लेता है।

नोट :

कर्णम मल्लेश्वरी

हाल ही में दिल्ली सरकार ने ओलंपिक पदक विजेता कर्णम मल्लेश्वरी को 'दिल्ली खेल विश्वविद्यालय' का पहला कुलपति नियुक्त किया है। कर्णम मल्लेश्वरी ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला भारोत्तोलक हैं। उन्होंने वर्ष 2000 में सिडनी ओलंपिक में 'स्नैच' और 'क्लीन एंड जर्क' श्रेणियों में 110 किलोग्राम और 130 किलोग्राम भार उठाकर इतिहास रच दिया था। दिल्ली विधानसभा ने वर्ष 2019 में 'दिल्ली खेल विश्वविद्यालय' (DSU) स्थापित करने के लिये एक विधेयक पारित किया था, जो क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी समेत विभिन्न खेलों में स्नातक, स्नातकोत्तर और डॉक्टरेट की डिग्री प्रदान करेगा। 'दिल्ली खेल विश्वविद्यालय' से छात्रों को प्राप्त होने वाली डिग्री मुख्यधारा के पाठ्यक्रमों से प्राप्त होने वाली डिग्री के समान होगी। 'दिल्ली खेल विश्वविद्यालय' की स्थापना का उद्देश्य ऐसे एथलीट बनाना और प्रशिक्षित करना है जो खेल के क्षेत्र में बेहतरीन प्रदर्शन कर देश को गौरवान्वित कर सकें। यह विश्वविद्यालय अत्याधुनिक खेल सुविधाएँ प्रदान कर लोगों की एथलेटिक प्रतिभा का निर्माण करने में मदद करता है। इस खेल विश्विद्यालय का लक्ष्य विश्व स्तरीय प्रतियोगिताओं के लिये एथलीटों को तैयार करने हेतु आवश्यक खेल सुविधाएँ प्रदान करना और संसाधनों की कमी से जूझ रहे एथलीटों को इसके दायरे में लाना है। विदित हो कि दिल्ली का उपराज्यपाल इस विश्वविद्यालय का चांसलर होगा।

सुचेता कृपलानी

उपराष्ट्रपति एम. वेंकैया नायडू ने विख्यात स्वतंत्रता सेनानी और भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी सुचेता कृपलानी का जन्म 25 जून, 1908 को हरियाणा के अंबाला में एक बंगाली परिवार में हुआ था। इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय और दिल्ली विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात् सुचेता कृपलानी ने 'बनारस हिंदू विश्वविद्यालय' में व्याख्याता के रूप में काम करना शुरू किया। अरुणा आसफ अली और उषा मेहता जैसी समकालीन महिलाओं की तरह सुचेता कृपलानी भी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हुईं। सुचेता कृपलानी ने भारत के विभाजन के दौरान हुए दंगों में महात्मा गांधी के साथ मिलकर काम किया। सुचेता कृपलानी उन महिलाओं में से एक थीं, जिन्हें भारतीय संविधान समिति में शामिल किया गया था। भारत की स्वतंत्रता के बाद सुचेता कृपलानी उत्तर भारत की राजनीति में सक्रिय रूप से शामिल हो गईं। वर्ष 1952 में उन्हें लोकसभा के सदस्य के रूप में चुना गया और वर्ष 1962 में वह कानपुर से उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य के रूप में चुनी गईं। 1963 में वह उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनीं और इसी के साथ उन्होंने देश की पहली महिला मुख्यमंत्री बनने का गौरव हासिल किया। वर्ष 1971 में वह सेवानिवृत्त हुईं और वर्ष 1974 में उनकी मृत्यु हो गई।

स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना

पश्चिम बंगाल मंत्रिमंडल ने 'स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना' को मंज़ूरी दे दी है। 'स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना' की मदद से उच्च अध्ययन करने के लिये 10 लाख रुपए तक का सॉफ्ट लोन प्राप्त किया जा सकता है। पश्चिम बंगाल में कम-से-कम 10 वर्ष बिताने वाला कोई भी छात्र इस योजना का लाभ उठा सकता है। यह ऋण भारत या विदेश में स्नातक, स्नातकोत्तर, डॉक्टरेट और पोस्ट-डॉक्टरेट अध्ययन के लिये उपलब्ध होगा। कोई भी एक व्यक्ति 40 वर्ष की आयु तक योजना के लिये पात्र होगा। योजना के तहत लाभ प्राप्त करने वाले छात्र को नौकरी मिलने के बाद ऋण चुकाने के लिये पंद्रह वर्ष का समय दिया जाएगा। योजना के तहत 10वीं या उससे अधिक की कक्षा के विद्यार्थी ऋण प्राप्त करने के लिये पात्र हैं। ज्ञात हो कि वर्तमान में राज्य में दसवीं कक्षा में लगभग 12 लाख छात्र और बारहवीं कक्षा में 9 लाख से अधिक छात्र हैं, जो इस योजना का लाभ प्राप्त करने में सक्षम होंगे। इस नई योजना से छात्रों के अभिभावकों को भी काफी राहत मिलेगी, क्योंकि अब उन्हें अपने बच्चों की उच्च शिक्षा के लिये विभिन्न अनौपचारिक स्रोतों से ऋण नहीं लेना पड़ेगा।

ओपन सोसाइटी पुरस्कार

हाल ही में केरल की पूर्व स्वास्थ्य मंत्री के.के. शैलजा को सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी (CEU) के प्रतिष्ठित 'ओपन सोसाइटी पुरस्कार' (2021) से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार, जो कि सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी का सर्वोच्च सम्मान है, महामारी के दौरान उनके दृढ़ नेतृत्त्व और आम लोगों की जीवन रक्षा के लिये उनके द्वारा किये गए समुदाय-आधारित सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यों को मान्यता प्रदान करता है। सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी द्वारा 'ओपन सोसाइटी पुरस्कार' प्रतिवर्ष ऐसे व्यक्ति या संगठन को प्रदान किया जाता है, जिसकी उपलब्धियों ने समाज के निर्माण में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है। 'सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी' की स्थापना वर्ष 1991 में हंगरी के राजनीतिक कार्यकर्त्ता जॉर्ज सोरोस द्वारा की गई थी।

नोट :

अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौता

हाल ही में यूरोपीय देश डेनमार्क ने भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते (ISA FA) पर हस्ताक्षर किये हैं। इस प्रकार 08 जनवरी, 2021 को 'अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते' में संशोधन लागू होने के बाद डेनमार्क इस समझौते की पुष्टि करने वाला पहला देश बन गया है। ज्ञात हो कि संशोधन का मुख्य उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों को संगठन की सदस्यता प्राप्त करने में सक्षम बनाना था। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन मुख्यत: सौर ऊर्जा संपन्न देशों का एक संधि आधारित अंतर-सरकारी संगठन है, हालाँकि संगठन के फ्रेमवर्क समझौते में संशोधन के पश्चात् संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देश इसमें शामिल हो सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की शुरुआत भारत और फ्राँस ने 30 नवंबर, 2015 को पेरिस जलवायु सम्मेलन के दौरान की थी। इसका मुख्यालय गुरुग्राम (हरियाणा) में स्थित है। ISA के प्रमुख उद्देश्यों में 1000 गीगावाट से अधिक सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता की वैश्विक तैनाती और 2030 तक सौर ऊर्जा में निवेश के लिये लगभग $1000 बिलियन की राशि जुटाना शामिल है। इसकी पहली बैठक का आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। यह संगठन ISA सौर परियोजनाओं को ज़मीनी स्तर पर प्रारंभ करने में सहयोग प्रदान करता है और सौर ऊर्जा की वैश्विक मांग को समेकित करने के लिये सौर क्षमता समृद्ध देशों को एक साथ लाता है।

केरल में मछुआरों की सुरक्षा के लिये समिति

समुद्र में मछली पकड़ने के दौरान दुर्घटनाओं की बढ़ती संख्या विशेष रूप से मानसून के दौरान और तटीय सुरक्षा एवं अवैध तथा अनियमित मत्स्य पालन से संबंधित समस्याओं को देखते हुए केरल के मत्स्य विभाग ने मछुआरों की सुरक्षा के लिये समिति का गठन किया है। मत्स्य पालन विभाग के पूर्व अतिरिक्त निदेशक पी. सहदेवन की अध्यक्षता में गठित यह सात सदस्यीय समिति समुद्री सुरक्षा, तटीय सुरक्षा और पोत निगरानी प्रणाली एवं अवैध, असूचित व अनियमित मत्स्य पालन से संबंधित मुद्दों को संबोधित करने के तरीकों का अध्ययन करेगी और एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। प्रादेशिक जल में मछली पकड़ने के संदर्भ में मछुआरों की सुरक्षा एक प्रमुख चिंता का विषय बन गई है, जिसने मछुआरों को गहरे समुद्र में जाने के लिये प्रेरित किया है। ऐसी कई घटनाएँ देखी गई हैं, जिसमें मछुआरे गहरे समुद्र में जाने और तेज़ धाराओं के कारण प्राय: भटक जाते हैं और श्रीलंका, बांग्लादेश तथा पाकिस्तान जैसे पड़ोसी तटीय देशों तक पहुँच जाते हैं, जिसके कारण उन्हें समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

नेशर रामला होमो टाइप

इज़राइल में कार्यरत शोधकर्त्ताओं ने एक अज्ञात प्राचीन मानव की पहचान की है, जो तकरीबन 100,000 वर्ष पूर्व मौजूद मानवीय प्रजाति के साथ रहता था। शोधकर्त्ताओं का मानना है कि रामला शहर से प्राप्त यह अवशेष बहुत प्राचीन मानव समूह के 'अंतिम बचे' हुए अवशेषों में से एक का प्रतिनिधित्त्व करता है। खोजकर्त्ताओं ने एक व्यक्ति की आंशिक खोपड़ी और जबड़ा खोजा है, जो कि 140,000 और 120,000 वर्ष पहले मौजूद था। विश्लेषण से ज्ञात होता है कि जिस व्यक्ति के अवशेषों की खोज की गई है वह पूरी तरह से होमो सेपियन्स यानी आधुनिक मानव से मेल नहीं खाता नहीं है। हालाँकि उनकी विशेषताएँ पूरी तरह निएंडरथल से भी नहीं मिलती हैं, जो कि उस समय इस क्षेत्र में रहने वाली एकमात्र अन्य मानव प्रजाति थी। बल्कि यह प्रजाति दोनों अन्य मानव प्रजातियों के बीच मौजूद थी, जिसकी पहचान अब तक आधुनिक विज्ञान द्वारा नहीं की गई है। इसके विश्लेषण से यह कहा जा सकता है कि प्राचीन काल में विभिन्न होमो प्रजातियों के बीच इंटरब्रीडिंग अपेक्षाकृत एक सामान्य प्रक्रिया थी।

बंगलूरू सब-अर्बन रेल प्रोजेक्ट

हाल ही में कर्नाटक सरकार ने जल्द ही 'बंगलूरू सब-अर्बन रेल प्रोजेक्ट' के शुरू होने की घोषणा की है। बंगलूरू सब-अर्बन रेल प्रोजेक्ट (BSRP) का प्रस्ताव पहली बार वर्ष 1983 में पेश किया गया था और तब से यह कर्नाटक की कई विभिन्न सरकारों के लिये सबसे महत्त्वपूर्ण परियोजना रही है। इस 58 किलोमीटर लंबी परियोजना को प्रारंभ में तत्कालीन दक्षिणी रेलवे (अब बंगलूरू दक्षिण पश्चिम रेलवे के दायरे में आती है) की एक विशेषज्ञ टीम द्वारा प्रस्तावित किया गया था। यह प्रस्ताव कर्नाटक के तत्कालीन मुख्यमंत्री आर. गुंडू राव द्वारा शुरू किये गए कर्नाटक के पहले परिवहन सर्वेक्षण के हिस्से के रूप में प्रस्तुत किया गया था। परियोजना का उद्देश्य रेल-आधारित रैपिड-ट्रांज़िट सिस्टम द्वारा बंगलूरू को अपने आसपास के टाउनशिप, उपनगरों और ग्रामीण क्षेत्रों से जोड़ना है। 'बंगलूरू सब-अर्बन रेल प्रोजेक्ट' हज़ारों ग्रामीण और शहरी यात्रियों को यात्रा का एक तीव्र, सुरक्षित एवं अधिक आरामदायक माध्यम प्रदान करेगा। रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी, कर्नाटक (K-RIDE), जो कि कर्नाटक सरकार और केंद्रीय रेल मंत्रालय का एक संयुक्त उद्यम है- इस परियोजना के क्रियान्वयन के लिये उत्तरदायी है।

भारत का पहला रैबीज़ मुक्त राज्य: गोवा

हाल ही में गोवा के मुख्यमंत्री ने राज्य को देश का पहला रैबीज़ मुक्त राज्य घोषित किया है। ज्ञात हो कि गोवा में पिछले तीन वर्ष में रैबीज़ का एक भी मामला सामने नहीं आया है। रैबीज़ नियंत्रण का कार्य मिशन रैबीज़ परियोजना द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है, जिसे केंद्र सरकार के अनुदान के माध्यम से चलाया जा रहा है। विदित हो कि राज्य में अब तक रैबीज़ के विरुद्ध पाँच लाख से अधिक कुत्तों का टीकाकरण किया गया है और संपूर्ण गोवा में रैबीज़ की रोकथाम हेतु लगभग एक लाख लोगों को शिक्षित किया गया है, साथ ही 24 घंटे रैबीज़ निगरानी केंद्र भी स्थापित किये गए हैं, जिसमें एक आपातकालीन हॉटलाइन और ऐसे लोगों की सहायता के लिये त्वरित प्रतिक्रिया टीम शामिल है, जिन्हें कुत्तों ने काटा है। रैबीज़ एक रिबोन्यूक्लिक एसिड (RNA) वायरस के कारण होता है, जो किसी पागल जानवर जैसे कुत्ता, बिल्ली, बंदर, आदि की लार में मौजूद होता है। जानवर के काटने और रैबीज़ के लक्षण दिखाई देने की समयावधि चार दिनों से लेकर दो साल तक या कभी-कभी उससे भी अधिक हो सकती है। ऐसे में घाव से वायरस को जल्द-से-जल्द हटाना आवश्यक होता है। आँकड़ों की मानें तो दुनिया में रैबीज़ से होने वाली मौतों में एक-तिहाई से अधिक भारत में होती हैं। भारत में रैबीज़ एक प्रमुख सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या है, जिससे प्रतिवर्ष अनुमानित 20,000 लोगों की मौत हो जाती है।

खाद्य सुरक्षा हेतु ओडिशा और विश्व खाद्य कार्यक्रम की साझेदारी

हाल ही में ओडिशा सरकार और संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम (WFP) ने आजीविका पहल को ओडिशा करने और राज्य समर्थित महिला स्वयं सहायता समूहों (WSHGs) का समर्थन करने, घरेलू खाद्य एवं पोषण सुरक्षा में सुधार करने हेतु साझेदारी की है। महिलाओं के सशक्तीकरण, आजीविका और आय पर केंद्रित इस साझेदारी का प्राथमिक उद्देश्य ओडिशा में पोषण सुरक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करना है। यह साझेदारी इस विचार पर केंद्रित है कि सतत् आजीविका से घरेलू खाद्य एवं पोषण सुरक्षा में सुधार होगा, जिससे अंतत: महिलाओं का समग्र सशक्तीकरण सुनिश्चित किया जा सकेगा। इस साझेदारी के माध्यम से तकनीकी सहायता और क्षमता विकास प्रदान कर महिला स्वयं सहायता समूहों (WSHGs) का समर्थन किया जाएगा, जिससे राज्य में दीर्घकालिक खाद्य सुरक्षा में प्रत्यक्ष योगदान दिया जा सकेगा। दिसंबर 2023 तक प्रभावी इस साझेदारी में सरकारी खरीद प्रणालियों के साथ महिला समूहों के जुड़ाव, अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने, महिला समूहों के क्षमता निर्माण, निगरानी उपकरण विकसित करने और समूहों के कामकाज में सुधार हेतु मूल्यांकन मापदंड विकसित करने आदि पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा। ज्ञात हो कि इस साझेदारी को ओडिशा सरकार की ओर से 'मिशन शक्ति विभाग' द्वारा क्रियान्वित किया जाएगा, जिसका गठन इसी वर्ष 01 जून को किया गया है।

निजी क्षेत्र को रॉकेट लॉन्च साइट निर्माण की अनुमति

भारत ने निजी कंपनियों को सरकार से पूर्व मंज़ूरी के अधीन देश के भीतर और बाहर रॉकेट लॉन्च साइट स्थापित करने एवं संचालित करने की अनुमति देने का निर्णय लिया है। इसी प्रकार भारतीय या विदेशी क्षेत्र से किसी भी रॉकेट को लॉन्च (कक्षीय या उप-कक्षीय) केवल 'भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्द्धन तथा प्रमाणीकरण केंद्र' (IN-SPACe) से पूर्व मंज़ूरी के साथ ही किया जा सकता है, जो कि अंतरिक्ष विभाग के तहत भारत सरकार द्वारा गठित एक स्वतंत्र निकाय है। अंतरिक्ष विभाग द्वारा लाए गए राष्ट्रीय अंतरिक्ष परिवहन नीति-2020 के मसौदे के अनुसार, रॉकेट लॉन्च स्वयं की लॉन्च साइट या लीज़ पर ली गई लॉन्च साइट और मोबाइल प्लेटफॉर्म (भूमि, समुद्र या वायु) से भी हो सकता है। मसौदा नीति के अनुसार, IN-SPACe की मंज़ूरी प्राप्त करने के लिये प्रस्तावक को वित्तीय गारंटी या बीमा कवर संबंधी दस्तावेज़ प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी। भारत के क्षेत्र के बाहर से लॉन्च करने के मामले में आवश्यक है कि लॉन्च के लिये अनुमोदन, संबंधित राष्ट्र/क्षेत्र के लागू कानूनों के तहत हो।

तिब्बत में पहली पूर्ण विद्युतीकृत बुलेट ट्रेन

हाल ही में चीन ने तिब्बत के सुदूर हिमालयी क्षेत्र में अपनी पहली पूर्ण विद्युतीकृत बुलेट ट्रेन का संचालन शुरू किया है, जो प्रांतीय राजधानी ल्हासा और न्यिंगची को जोड़ती है, यह रणनीतिक रूप से अरुणाचल प्रदेश के निकट तिब्बती सीमावर्ती शहर है। सिचुआन-तिब्बत रेलवे का 'ल्हासा-न्यिंगची खंड' तकरीबन 435.5 किलोमीटर लंबा है। इस परियोजना के महत्त्व को इस बात से समझा जा सकता है कि यह तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र में पहली विद्युतीकृत रेल परियोजना है। इस खंड की अधिकतम गति 160 किमी प्रति घंटा है और यह सिंगल लाइन विद्युतीकृत रेलवे पर संचालित है। यह ल्हासा, शन्नान और न्यिंगची सहित नौ स्टेशनों पर रुकती है। सड़कों की तुलना में ल्हासा-न्यिंगची रेलवे ल्हासा से न्यिंगची तक यात्रा के समय को 5 घंटे से घटाकर लगभग 3.5 घंटे कर देता है, और शन्नान से न्यिंगची तक यात्रा के समय को 6 घंटे से घटाकर लगभग 2 घंटे कर देता है। भारत के लिये यह इस लिहाज़ से भी महत्त्वपूर्ण है कि चीन दक्षिण तिब्बत के हिस्से के रूप में अरुणाचल प्रदेश का दावा करता है, जिसे भारत ने दृढ़ता से खारिज किया है। भारत-चीन सीमा विवाद में 3,488 किलोमीटर लंबी वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) शामिल है।

नोट :

पी. साईनाथ

भारत के वरिष्ठ पत्रकार और 'पीपल्स आर्काइव ऑफ रूरल इंडिया' के संस्थापक संपादक 'पी. साईनाथ' को वर्ष 2021 के जापान के प्रतिष्ठित 'फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार' से सम्मानित किया गया है। फुकुओका पुरस्कार समिति के मुताबिक, पी. साईनाथ एक प्रतिबद्ध पत्रकार हैं, जिन्होंने भारत में गरीब और कृषि आश्रित गाँवों की रिपोर्टिंग की और ऐसे क्षेत्रों के निवासियों की जीवनशैली की वास्तविकता को दुनिया के समक्ष प्रस्तुत किया। विदित हो कि पी. साईनाथ का जन्म चेन्नई में हुआ था और वह 'द हिंदू' अखबार के संपादक एवं राजनीतिक पत्रिका 'ब्लिट्ज़' के उप-संपादक के रूप में कार्य कर चुके हैं। पी. साईनाथ को वर्ष 1995 में पत्रकारिता के लिये यूरोपीय आयोग के 'लोरेंजो नताली पुरस्कार' और वर्ष 2000 में 'एमनेस्टी इंटरनेशनल ग्लोबल ह्यूमन राइट्स जर्नलिज़्म पुरस्कार' से भी सम्मानित किया गया था। इसके अलावा उन्हें वर्ष 2007 में एशियाई पत्रकारिता में उत्कृष्ट योगदान देने हेतु 'रेमन मैग्सेसे अवॉर्ड' से भी सम्मानित किया गया था। जापान के 'फुकुओका सिटी इंटरनेशनल फाउंडेशन' द्वारा स्थापित यह पुरस्कार एशियाई संस्कृति के संरक्षण में महत्त्वपूर्ण योगदान देने वाले व्यक्तियों और संगठनों को दिया जाता है। इस पुरस्कार का उद्देश्य एशियाई संस्कृतियों के मूल्यों के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना और एक ऐसी नींव स्थापित करना है, जिससे एशियाई लोग सीख सकें और एक-दूसरे के साथ साझा कर सकें। यह पुरस्कार मुख्यत: तीन श्रेणियों- ग्रैंड प्राइज़, अकादमिक प्राइज़ और आर्ट एंड कल्चर प्राइज़ में प्रदान किया जाता है।

अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्रग्रह दिवस

क्षुद्रग्रहों, उनके कारण उत्पन्न संभावित खतरों और उनके अध्ययन से ज्ञात वैज्ञानिक रहस्यों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिये प्रतिवर्ष 30 जून को संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता प्राप्त अभियान के रूप में 'अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्रग्रह दिवस' का आयोजन किया जाता है। साथ ही यह दिवस आम जनमानस को क्षुद्रग्रहों के बारे में जानने के लिये प्रेरित करता है। इस वर्ष का 'अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्रग्रह दिवस' साइबेरिया में तुंगुस्का नदी के पास हुई सबसे बड़ी 'क्षुद्रग्रह घटना' की 113वीं वर्षगाँठ का प्रतीक है। दिसंबर 2016 में संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) ने प्रतिवर्ष 30 जून को 'अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्रग्रह दिवस' के रूप में आयोजित करने के लिये एक प्रस्ताव को अपनाया था, जिसका उद्देश्य साइबेरिया में हुई 'तुंगुस्का घटना' को प्रतिवर्ष याद करना था। विदित हो कि क्षुद्रग्रह सूर्य की परिक्रमा करने वाले छोटे चट्टानी पदार्थ होते हैं। क्षुद्रग्रह द्वारा सूर्य की परिक्रमा ग्रहों के समान ही की जाती है लेकिन इनका आकार ग्रहों की तुलना में बहुत छोटा होता है। इन्हें लघु ग्रह भी कहा जाता है। नासा के अनुसार, ज्ञात क्षुद्रग्रहों की संख्या तकरीबन 1,097,106 है, जिनका निर्माण 4.6 अरब वर्ष पूर्व सौरमंडल के निर्माण के समय हुआ था।

'काला अमरूद'

बिहार कृषि विश्वविद्यालय, भागलपुर के वैज्ञानिकों ने अमरूद की एक अनोखी किस्म 'काला अमरूद' विकसित किया है। वैज्ञानिकों के मुताबिक, इसमें प्रचुर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट, खनिज और विटामिन पाया जाता है। अमरूद की इस अनोखी किस्म को तीन वर्ष से अधिक के अनुसंधान के बाद विकसित किया गया है और इसके आकार, सुगंध व लंबे समय तक टिकाऊ रहने के लिये कुछ सुधार के बाद जल्द ही व्यावसायिक खेती के लिये प्रयोग किया जा सकेगा। वैज्ञानिक इस अमरूद की गुणवत्ता में और सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे यह कई गुना पोषण क्षमता प्राप्त सकेगा और इसके वाणिज्यिक उत्पादन एवं निर्यात की संभावनाएँ भी बढ़ेंगी। वैज्ञानिकों का मानना है कि 'काले अमरूद' की यह विशेष किस्म अगस्त के अंत या सितंबर की शुरुआत तक पूरी तरह से पक जाएगी। अमरूद की यह अनूठी किस्म अपने एंटी-एजिंग गुणों और समृद्ध पोषण मूल्य के कारण काफी महत्त्वपूर्ण हो सकती है।

क्रिप्टो-एक्सचेंज 'बाइनेंस' पर प्रतिबंध

दुनिया भर में क्रिप्टोकरेंसी और उनके विकेंद्रीकृत एक्सचेंजों पर बढ़ती कार्रवाई के बीच यूनाइटेड किंगडम ने दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टो-एक्सचेंज 'बाइनेंस' को प्रतिबंधित कर दिया है। 'बाइनेंस' ट्रेडिंग वॉल्यूम के लिहाज़ से दुनिया का सबसे बड़ा क्रिप्टो एक्सचेंज है और वह जल्द ही ब्रिटेन में अपना स्वयं का डिजिटल एसेट मार्केटप्लेस लॉन्च करने की योजना बना रहा था। यूनाइटेड किंगडम क्रिप्टो उद्योग पर कठोर नीति अपनाने वाला एकमात्र देश नहीं है। बीते दिनों जापान की वित्तीय सेवा एजेंसी ने भी चेतावनी दी थी कि 'बाइनेंस' देश में उसकी अनुमति के बिना काम कर रहा है। इस बीच चीन ने क्रिप्टोकरेंसी में हेर-फेर के प्रयासों को कम करने हेतु कई क्षेत्रों में क्रिप्टो माइनिंग का परिचालन बंद करने का आदेश दिया है, साथ ही चीन ने अपने बैंकों और भुगतान फर्मों से क्रिप्टो-संबंधित सेवाओं की पेशकश नहीं करने का आग्रह किया है। इस प्रकार की वित्तीय कार्यवाही का प्रभाव क्रिप्टोकरेंसी पर भी देखने को मिल रहा है और बिटकॉइन के मूल्य में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है, जो कि इस वर्ष अप्रैल माह में अपने सबसे उच्चतम स्तर (65,000 डॉलर) पर पहुँच गया था।

नोट :